



वार्षिक रिपोर्ट Annual Report —2023 - 2024—



पवन हंस लिमिटेड
Pawan Hans Limited
हमारी उड़ान आपके लिए WE  FOR YOU

ANNUAL REPORT 2023-24



PAWAN HANS LIMITED



एक कदम स्वच्छता की ओर



OUR MISSION

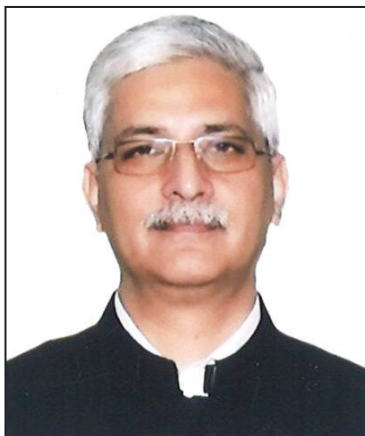
To become a market leader in Helicopters and Sea Plane services, to provide regional connectivity through Small Fixed Wing Aircrafts operations and provide repair/overhaul services at par with international standards.

CONTENTS

● Board of Directors	4
● Management Team	5
● Notice	6
● Chairman's Speech to the Members	8
● Board's Report	11
● Annexures to Board's Report	28
● Declaration Regarding Compliance with the Code of Conduct	33
● Certification/Declaration of Financial Statements by the Chief Executive & Chief Finance Officer of the Company	34
● Certificate on Compliance of Corporate Governance Norms	35
● Management Discussion and Analysis Report	36
● Financial Highlights	89
● Summarized Accounts	91
● Auditors Report	92
● Financial Statements	144
● Report of the Comptroller & Auditor General of India	222



BOARD OF DIRECTORS



Sanjeev Razdan
Chairman & Managing Director



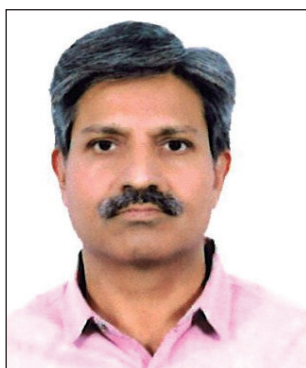
Asangba Chuba Ao
JS, MoCA



Padam Lal Negi
JS & FA, MoCA



AVM Tejbir Singh
ACAS (Ops. T&H)
Indian Air Force



Ajay Ratan
ED, Chief Production
JV Asset & BD
ONGC Ltd.



Naveen Kumar Soni
Independent Director



Amiben Manishbhai Parikh
Independent Director

MANAGEMENT TEAM

Chairman & Managing Director	Sh. Sanjeev Razdan	Registered Office: C-14, Sector-1 Noida, UP-201301
Chief Vigilance Officer	Dr. Nikhil Kumar Kanodia	
HOD (F&A) & C.F.O.	Sh. Ajay Gupta	Corporate Office: C-14, Sector-1 Noida, UP-201301
Company Secretary & Joint General Manager (Legal)	Sh. Ranjit Singh Chauhan	Regional Office: Western Region Juhu Aerodrome S.V. Road Vile Parle (West) Mumbai-400 056
General Manager (CPMS)	Sh. Vanrajsinh Dodiya	
General Manager (Marketing)	Sh. Manish Ramesh Rokade	
General Manager (AME)	Sh. Jitendra Singh Negi	Northern Region: Rohini Heliport Sector-36, Rohini, Delhi-110085
General Manager (Operations)	Gp. Capt.V. D. Badoni- VSM (Retd.)	Auditors M/s Luthra & Luthra LLP Chartered Accountants Head office: A16/9, Vasant Vihar, New Delhi - 110057
General Manager (Flight Safety)	Gp. Capt. Arvind Kumar (Retd.)	
HOD (Materials)	Sh. N V Pawar	
HOD (IS)	Smt. Jayashree Nair	Branch Auditors M/s Om Prakash S Chaplot & Co. Chartered Accountants B-48, 3rd floor, Bhagnari Chs. Ltd., N.S. Mankikar Marg, Vrindavan Chowk, Near Chunabhatti Bus Depo, Sion-Chunabhatti (West), Mumbai - 400022
HOD (HR & Admin.)	Smt. Sarika Sharda	
HOD (Internal Audit)	Ms. Shilpa Premraj Meshram	
Offg General Manager (Western Region)	Sh. Chetan Behl	Bankers Bank of Baroda Punjab National Bank Canara Bank
General Manager (Northern Region)	Sh. Sarabjit Singh	



PAWAN HANS LIMITED
(A GOVERNMENT OF INDIA ENTERPRISE)
REGD. & CORPORATE OFF.: C-14, Sector-1, Noida-201301(U.P.)
CIN: U62200UP1985GOI129953

NOTICE

NOTICE is hereby given that the 39th (Adjourned) Annual General Meeting (AGM) of the Members of the Company will be held on **Tuesday, the 2nd September, 2025 at 12:30 P.M.** at Board Room, 8th Floor, Registered & Corporate Office of the Company situated at C-14, Sector-1, Noida, Uttar Pradesh-201301 through Video Conferencing (VC)/ Other Audio Visual Means (OAVM) to transact the following business: -

ORDINARY BUSINESS

Item No.1

To receive, consider and adopt the Audited Financial Statements of the Company for the Financial Year ended March 31, 2024 together with the Board's Report, the Auditors' Report thereon and Comments of the Comptroller & Auditor General of India

“RESOLVED THAT the Audited Financial Statements of the Company for the financial year ended on 31.03.2024 together with the Board's Report and the Auditors' Report thereon and Comments of the Comptroller & Auditor General of India be and are hereby received, considered and adopted.”

Item No.2

To authorize Board of Directors of the Company for fixing the remuneration of the Statutory Auditor(s) of the Company in terms of the provisions of Section 142(1) of the Companies Act, 2013 for Financial Year 2024-25

“RESOLVED THAT pursuant to applicable provisions under the Companies Act, 2013, the Board of Directors of the Company be and is hereby authorized to determine and fix the remuneration payable to Auditors of the Company as appointed by the Comptroller and Auditor General of India for the financial year 2024-25.”

The link for attending the 39th (Adjourned) AGM is given as hereunder: -

Video call link: <https://meet.google.com/htz-exty-xjn>

By the order of Board
For PAWAN HANS LIMITED

Sd/-
(R. S. Chauhan)
Company Secretary
FCS No. 8785

Dated: 1st September, 2025

Place: Noida

To,

1. All Members of the Company
2. Directors
3. Statutory Auditors
4. Secretarial Auditor

NOTES:

1. Ministry of Corporate Affairs (“MCA”) vide General Circular No.09/2024 dt. 19.09.2024 has permitted the companies to hold Annual General Meeting (“AGM”) through Video Conference (VC)/ Other Audio Visual Means (OAVM), without the physical presence of the Members at a common venue. Accordingly, AGM of the Company for Financial Year 2023-24 will be held through VC/OAVM, subject to other applicable provisions of the Companies Act, 2013 (“Act”).
2. Since, this AGM is being held, pursuant to the MCA Circulars, through VC /OAVM, therefore, physical attendance of members has been dispensed with. Accordingly, the facility for appointment of proxies by the members will not be available for the AGM and hence the Proxy Form, Route Map and Attendance Slip are not annexed to this Notice.
3. Members attending the AGM through VC/OAVM shall be counted for the purpose of reckoning the quorum under Section 103 of the Act.
4. None of the Directors of the Company has any interest in the Items mentioned above.
5. The meeting is being called at Shorter Notice.
6. The Register of Directors & KMP and their Shareholding maintained under Section 170 of the Companies Act, 2013, Register of Contracts and Arrangements in which Directors are interested maintained under Section 189 of the Companies Act, 2013 and all other documents referred to in the Notice will be available for inspection by the Members at the Registered Office of the Company on all working days during business hours and at the time of AGM of the Company at the venue of the Meeting.

INSTRUCTIONS FOR MEMBERS ATTENDING AGM THROUGH VIDEO CONFERENCE (VC) OR OTHER AUDIO-VISUAL MEANS (OAVM)

1. For attending AGM through VC/OAVM, the link for VC/OAVM shall be shared with the members at their e-mail address available with the Company.
2. Facility of joining the AGM through VC/OAVM shall open 15 minutes before the time scheduled for the AGM.
3. Members are encouraged to join the Meeting through Laptops/iPads for better experience.
4. Members will be required to switch on the video facility and use Internet connection with a good speed to avoid any disturbance throughout the Meeting.
5. Please note that participants connecting from Mobile Devices or Tablets or through Laptop connecting via Mobile Hotspot may experience Audio/Video loss due to fluctuations in their respective networks. It is therefore recommended to use stable Wi-Fi or LAN connection to minimize/mitigate any kind of aforesaid glitches.



CHAIRMAN'S SPEECH TO THE MEMBERS

Dear Members,

I take great pleasure in welcoming you all to the 39th (Adjourned) Annual General Meeting of your Company. The Annual Report for the financial year 2023-24 has been circulated and with your permission I take it as read.

The original 39th AGM was held on 27.12.2023 which was adjourned due to non-finalization of Financial Statements, non-availability of Auditors' Report and C&AG Comments. The adjourned AGM for Financial Year 2023-24 has been considerably delayed. The main reasons for delay are long time (more than 9 months) taken by the Statutory Auditors in completing the Audit and subsequent revision of Audit Report to comply with the observations of C&AG w.r.t. typographical errors and to provide more clarification and information. Comments of C&AG were received on 21.08.2025.

The Auditors have given an adverse opinion which inter-alia states that the Financial Statement of the Company for F.Y. 2023-24 do not give a true and fair view in conformity with the Accounting Principles Generally Accepted in India. It is significant to note that the **C&AG has differed with the adverse opinion of Statutory Auditors and has stated that the basis of Adverse Opinion Para 6(b) is deficient.**

Total Operational Income earned by your Company during financial year 2023-24 is ₹38812.40 Lac as compared to ₹41515.96 Lac in the previous year. Total Operating Profit of your Company during the year under review was ₹4338.12 Lac as compared to Operating Profit of previous year (2022-23) of ₹7114.78 Lac. However, company continues to incur loss after tax. Average monthly deployment of helicopters during the year ended on 31.03.2024 was 25 helicopters out of the fleet size of 42 helicopters. The total revenue flying hours in the year 2023-24 were 17364.17 hours as against 18850 hours during the previous year.

Due to net loss incurred during the year 2023-24, Board of Directors has not recommended any dividend for the year under review.

Your Company continues to be one of Asia's largest helicopter operators having a well-balanced own operational fleet of 46 helicopters (including 4 impaired helicopters) at present with pan India presence. To meet the growing requirement of your Company, Government of India (GOI), Ministry of Civil Aviation (MOCA) has approved acquisition of 23 Helicopters.

The following significant Events/Developments have taken place during the year:-

Your Company had on contract 5 Dauphin N3 Helicopters with ONGC for their off-shore task. In July 2024 this contract has ended. Further, ONGC has issued a Notification of Award dated 14.12.2024 to your company for (Factory New) 04 Dhruv ALH (NG) helicopters for their offshore operations at Bombay High for a period of 10 years. Your Company has also issued Letter of Intent to Hindustan Aeronautics Limited for purchase of initial 04 (Factory New) Dhruv ALH (NG) helicopters. In addition to above, 02 helicopters will also be provided by the HAL as stand by helicopters at its own cost to support the ONGC contract.

Operations under RCS UDAN Scheme

Your Company is the first helicopter operator in India to get the Scheduled Commuter Operator (SCO) permit. It has been awarded 11 networks in 4 states under RCS UDAN tender 2.0, 2 networks under 4.0, 6 networks under RCS UDAN 4.1 and 8 networks under RCS UDAN 4.2 and 15 networks under UDAN 5.1.

Your Company successfully launched the helicopter services in Himachal Pradesh and Uttarakhand in 2019 and 2020 respectively and subsequently new routes were added during 2021 and 2022.

Your Company has achieved a significant milestone by extending Regional Connectivity Scheme (RCS) UDAN services to the North-Eastern region, specifically in Assam. The operations were officially launched on February 8, 2023, connecting key locations such as Dibrugarh, Jorhat, Tezpur, and Guwahati.

Governments of Himachal Pradesh, Uttarakhand, Karnataka and Tamil Nadu have engaged the services of PHL for providing Project Management Consultancy for developing and licensing / operational authorization of the heliports under development in their respective States.

Further, MoCA has designated PHL as the nodal agency for Centralized Procurement of all equipment including Communication, Security, Visual Aids and Fire fighting for all the 31 heliports under development across the five States of Himachal Pradesh, Uttarakhand, Manipur, Assam & Arunachal Pradesh under RCS UDAN-II'. Most of the equipments

have been supplied to the concerned State Governments.

I take this opportunity to thank you all for the continued co-operation, guidance and support received from various Ministries of the Government of India, particularly, the Ministry of Civil Aviation and the Director General of Civil Aviation. I deeply appreciate the confidence reposed by the Oil and Natural Gas Corporation Limited, Oil India Limited, various State Governments and other customers and all other stake-holders in the operations of the Company. I also place on record appreciation for the sincere and devoted services rendered by the employees at all levels for the progress of the Company.

Sd/-
(Sanjeev Razdan)
Chairman & Managing Director

Dated : 2nd September, 2025



BOARD'S REPORT

Dear Members,

Your Board has pleasure in presenting its 39th Report together with the audited Financial Statements for the year ended on 31st March, 2024, Auditors' Report and comments on the Financial Statements by the Comptroller & Auditor General of India and Board replies thereto.

I. Operations

a) Operational results

Total Operational Income earned by the Company during financial year 2023-24 is ₹38812.40 Lac as compared to ₹41515.96 Lac in the previous year. Average monthly deployment of helicopters during the year ended on 31.03.2024 was 25 helicopters out of the fleet size of 42 helicopters. The total revenue flying hours in the year 2023-24 were 17364.17 hours as against 18850 hours during the previous year.

b) Fleet Profile

Your Company continues to be one of Asia's largest helicopter operators having a well-

balanced own operational fleet of 46 helicopters at present with pan India presence.

The Company's operational fleet presently comprises of the following:-

Helicopter type	No. of helicopters	Average Age (years)
Dauphin SA365N	17*	37
Dauphin AS365 N3	14	15
Bell-407	3	21
Bell 206L4	2	29
AS 350 B3	2	14
MI-172	3	17
Dhruv (LEASED)	1	18
Sikorsky S 76D (LEASED)	04	10
Total	46	

*Four Dauphin SA365N Helicopters having vintage of over 33 years which were grounded since long due to obsolescence and have been approved as impaired Assets by the Board.

Therefore, effective operational fleet comprises of 42 helicopters only.



Launch of the "Pradhan Mantri Air Ambulance Service" for the state of Madhya Pradesh by PHL in collaboration with ICATT.

c) Fleet Deployment

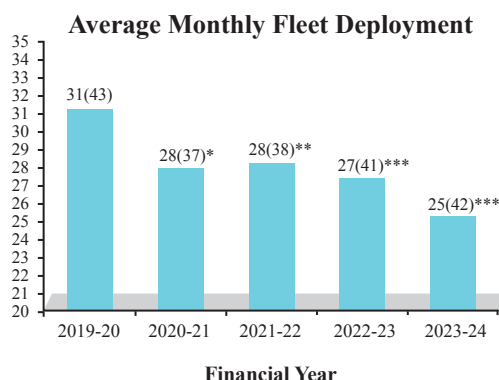
During the year under review, fleet deployment of the Company is given hereunder:

1. Your company has been providing Five N-3 Dauphin Helicopter support for offshore operations of Oil & Natural Gas Corporation Limited (ONGC) for carrying its men and vital supplies round the clock to drilling rigs situated in Bombay off-shore platforms & operating to ONGC's Rigs (mother platforms and drilling rigs) and production platforms (wells) within a radius of 130 nm from the main land at Mumbai.
2. Four Dauphin-N3 Helicopters were provided to the Administration of Andaman & Nicobar Islands.
3. Three Dauphin-N Helicopters were given to the Lakshadweep Administration and one Dauphin N/ N3 was provided to the Union Territory of Daman & Diu.
4. One Dauphin Helicopter was provided to each of the State Governments in the North East Region namely, Mizoram and Tripura.
5. One Bell 206 / 407 helicopter was operated in Gangtok Sikkim up to 26-12-2023.
6. The Company has also renewed Helicopter services contract with Maharashtra Police.
7. Helicopter services were provided to Hindustan Oil Exploration Company Limited at Mumbai.
8. Service of one Bell 407 Helicopter was provided to the J&K Police.
9. Helicopter services were also provided from Phata to the Holy Shrine of Kedarnath during the yatra seasons i.e. May-June and September-October every year. Contract was awarded for the years 2023 to 2025.
10. UCADA also extended contract for shuttle services in Hemkund Sahib Sector located in the State of Uttarakhand Govind Ghat – Ghangaria sectors.
11. One Dauphin N Helicopter was deployed in RCS-Chandigarh up to November 2023 and one Dauphin N is being operated in RCS-Uttarakhand. One Dauphin is also being provided in Assam & Manipur states.

Important contracts received in the year 2024

1. ONGC has issued Notification of Award (NOA) to your company for 04 Dhruv Helicopter for their offshore operations at Bombay High in the year 2024. In this line your company has issued Letter of Intent on 01.01.2025 to M/s Hindustan Aeronautics Limited (HAL) for purchase of initial 04 nos. (Factory New) Dhruv ALH (NG) helicopters. The date of Letter of Intent will be considered as 14.12.2024, the date on which NOA by ONGC was issued to PHL.
2. Your company has been providing Helicopter support for offshore operations of Oil India Limited (OIL) for carrying its men and vital supplies round the clock to drilling rigs situated in A&N from Portblair to Black Ford Dolphin & Black Ford to Portblair without rotor off for off-shore platforms.
3. One Bell 407 single engine helicopter has also been deployed for Uttarakhand Air Connectivity Scheme (UACS) operations in Uttarakhand 2024.

During the year under review, average monthly deployment of helicopters was 25 out of 42. Comparison of average monthly deployment of the helicopters in previous financial years along with current financial year are as under: -



* Including one Dhruv helicopter taken on lease from HAL and excluding 4 impaired helicopters.

** Including one Dhruv helicopter taken on lease from HAL and excluding 5 impaired helicopters.

*** Including one Dhruv helicopter taken on lease from HAL and excluding 4 impaired helicopters.

d) Fleet Augmentation

1. To meet the growing requirement of your Company, Government of India (GOI), Ministry of Civil Aviation (MOCA) has approved acquisition of 23 Helicopters. Proposal for funding this acquisition is under active consideration of MOCA, GOI.
2. Your Company has issued work order to Hindustan Aeronautics Limited (HAL) for purchase of initial 04 nos. (Factory New) Dhruv ALH (NG) helicopters.
3. Your Company has floated Tender for purchase of 03 Single Engine Helicopters.
4. Your Company has also re-floated tender for hiring of 02 Twin Engine Amphibious Seaplane on Wet Lease Basis.

e) Demerger of Rohini Heliport

The Rohini Heliport consists of a terminal building having capacity of upto 150 passengers (at any point of time), 4 hangars with parking capacities of 16 helicopters and 9 parking bays. It has been developed to provide one-point solution for helicopter

business including regular helicopter operations, landing & parking facility for other operators, MRO services and training services.

Land for Rohini Heliport was allotted by DDA directly in the name of Ministry of Civil Aviation on long term lease, the heliport at Rohini shall not form part of the proposed transaction of strategic sale/disinvestment. Therefore, the Ministry of Civil Aviation has decided that the Rohini Heliport assets shall be hived off from PHL's books before the completion of strategic divestment process to a special purpose vehicle. For this purpose, a separate mirror company of MoCA and ONGC has been incorporated in the name of Rohini Heliport Limited (RHL).

The Scheme of Demerger has been approved vide order dated 29.8.2022 passed by Jt. Secretary, Ministry of Corporate Affairs (MCA) vide which Rohini Heliport will be demerged from Pawan Hans Limited to Rohini Heliport Limited on a going concern basis. The appointed date of demerger has been modified to 1.4.2022 in place of proposed appointed date of 1.4.2019. This change of appointed date will obviate the need for revising financial statements, income tax returns, etc. for both companies for the last three financial years. The Demerger Scheme is effective from 26.09.2022 (the date of filing of certified copy of the order with Registrar of Companies). From appointed date (1.4.2022), the business of Rohini Heliport is being carried on by your Company on behalf of RHL.

f) Significant Events/Developments taken place after closure of Financial Year 2023-24

Company has on contract 5 Dauphin N3 Helicopters with ONGC for their off-shore task. In July 2024 this contract has ended. Further, ONGC has issued a Notification of Award dated 14.12.2024 to your company for (Factory New) 04 Dhruv ALH (NG) helicopters for their offshore operations at Bombay High for a period of 10 years. Your Company has also issued Letter of Intent to Hindustan Aeronautics Limited for purchase



of initial 04 (Factory New) Dhruv ALH (NG) helicopters. In addition to above, 02 helicopters will also be provided by the HAL as stand by helicopters at its own cost to support the ONGC contract.

II. Vision and Mission

Vision:

Enable the people to have access to safe, secure, sustainable, affordable world class niche aviation services.

Mission:

To become market leader in helicopters and sea plane services, to provide regional air connectivity through Small Fixed Wing Aircraft operations and provide repair and overhaul services at par with International Standards.

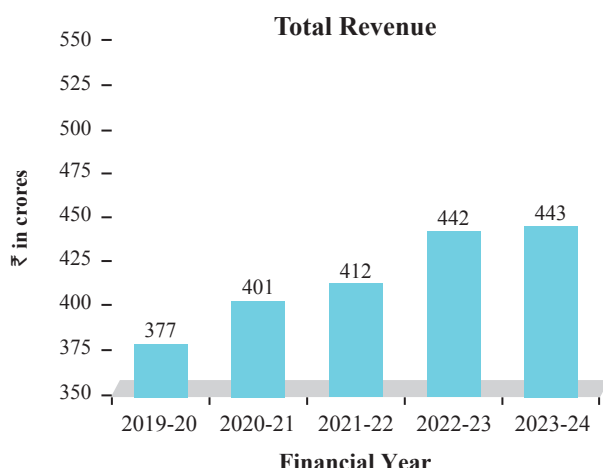
III. Finance and Accounts

Your Company has prepared Financial Statements comprising of the Balance Sheet as on 31.03.2024, the Statement of Profit & Loss, Cash Flow Statement, Statement of Changes in Equity for the year ended on 31.03.2024 and additional Notes to Financial Statements including a summary of significant accounting policies and other explanatory information in conformity with Ind AS for the financial year 2023-24.

a) Financial Results

Financial performance of your Company during the years 2022-23 and 2023-24 is given below: -
(Rupees in Lakhs)

Particulars	2023-24 Amount	2022-23 Amount
A) Revenue from Operations	37476.56	40080.03
B) Other Operating Income	1335.84	1435.93
C) Total Operating Income [A+B]	38812.40	41515.96
D) Operating Expenditure		
i) Helicopter Operational & Maintenance expenses	12944.08	15149.36
ii) Employees Benefits expenses	15732.70	15758.19
iii) Other Expenses	5797.50	3493.63
Total Operating Expenditure	34474.28	34401.18
E) Operating Profit/(Loss) [C-D]	4338.12	7114.78
F) Other Non-Operating Income/ (Expenditure)		
i) Other Income	5485.51	2713.59
ii) Finance Cost	(836.83)	(815.62)
iii) Depreciation & Amortization	(10373.91)	(9896.57)
Total of Other Non-Operating Income/(Expenditure)	(5725.23)	(7998.60)
G) Net Profit/(Loss) before Tax[E-F]	(1387.11)	(883.82)
H) i) Deferred tax Assets/(Liabilities)	498.59	(1709.22)
ii) Provision for tax	(367.17)	--
Total of Deferred & Provision for Tax	131.42	(1709.22)
I) i) Other comprehensive income/loss	124.78	124.38
J) Net Profit/(Loss) after tax [G+H+I]	(1130.90)	(2468.68)
K) Net worth	88502.04	89631.92



b) Dividend

Due to losses incurred during the year 2023-24, your directors express their inability to recommend any dividend for the year under review.

c) MOU with Ministry of Civil Aviation

Your Company used to sign MoU with the Ministry of Civil Aviation every year after negotiation meetings in Department of Public Enterprises. For the year 2016-17 as per Performance Evaluation Report submitted by your Company, the MoU rating was “Very Good” and for the year 2017-18, it was “Good”. Your Company has sought exemption for the year 2018-19 onwards from signing MoU from Department of Public Enterprises (DPE) through Ministry of Civil Aviation (MoCA) due to disinvestment process.

d) Equity Capital

Total paid up Equity share capital of the Company is ₹557,48,20,000/- comprising of 5,57,482 Equity Shares of ₹10,000/- each.

The equity shares of your Company have been admitted in the depository system of National Securities Depository Limited (NSDL) thereby enabling shareholders of the Company to dematerialize their shares. A Tripartite Agreement among PHL, NSDL and NSDL Data Base Management Ltd. (Registrar & Transfer Agent) was entered into. Entire shareholding of President of India comprising of 2,84,309

equity shares of ₹10,000/- each held have been dematerialized.

IV. Engineering / Maintenance Activities

Your Company has established Director General of Civil Aviation (DGCA) approved maintenance facilities in Mumbai, New Delhi, Guwahati (Assam) and Portblair (A&N Island) for maintenance of fleet of Helicopters. Maintenance checks on helicopters are carried out and workshops with in-house facilities provide the back up. Your Company has the maintenance capability to carry out (upto 5400 hrs/10 years Insp / ‘G’ Inspections) on Dauphin helicopters and (upto 100 hours & 36 months inspection) on S76D helicopters totally in-house without any foreign assistance which leads to saving of foreign exchange on account of lower cost of repairs/ inspections.

Further, Guwahati (Assam) Base of your Company is also approved for the following maintenance activities:

1. Maintenance of Dauphin SA 365N helicopters upto 3000 hrs/06 years Insp.
2. Maintenance of Dauphin AS 365 N3 helicopters upto 3000 hrs/06 years.
3. Maintenance of Ecureuil AS 350 B3 helicopter upto 1200 hrs/48 months.
4. Maintenance of Bell 206 L4 helicopter upto 100 hrs/90 days.
5. Maintenance of Bell 407 helicopter upto 100 hrs/90 days.

PHL Portblair (A&N Islands) Base is also approved for the following maintenance activities:

1. Maintenance of Dauphin SA 365N helicopters upto 3000 hrs/06 years Insp.
2. Maintenance of Dauphin AS 365 N3 helicopters upto 1200 hrs/48 months.

A total of 20 inspections consisting of T/2T/5T/G (600 hrs/1200 hrs/3000 hrs/ 5400 hrs) inspection on Dauphin fleet

of helicopters were carried out by your Company from its resources during the year under review.

In addition to above, Rohini Heliport (Delhi) is also approved by DGCA for the following maintenance activities:

1. Maintenance of Bell 206-L4 helicopter upto 1500 hrs. inspection
2. Maintenance of Bell 407 helicopter upto 1200 hrs./24 months inspection
3. Maintenance of Ecureuil AS 350 B3 helicopter upto 1200 hrs./48 months inspection, excluding major modifications/repair
4. Maintenance of Dauphin SA 365 N helicopter upto 1200 Hrs/4 year inspection

5. Maintenance of Dauphin SA 365 N3 helicopter upto 1200 hrs./04 years inspection

6. Maintenance of Mi-172 helicopter upto and including 500 hrs. and 1000 hrs. inspection.

Maintenance, Repair, and Overhaul (MRO) has been set up as separate vertical to enhance maintenance system in Company and take outside business.

V. Materials Management

Your Company is operating following helicopter fleet and spare support is managed by Western and Northern Region to support the Engineering Department for maintenance and servicing of helicopters.



Signing of a Memorandum of Understanding (MoU) for code sharing between Alliance Air and Pawan Hans Limited.

<u>Western Region</u>	<u>Northern Region</u>
1. Dauphin N	1. Bell 206-L4
2. Dauphin N3	2. Bell 407
3. Sikorsky S76D (Lease)	3. MI-172
	4. AS350 Écureuil

E-procurement system is utilized for procurement of all the items which is more transparent and efficient system. Material department is also complying with the guidelines given in the purchase manual and new guidelines issued by the Department of Expenditure, Ministry of Finance.

The procurement of all fast-moving consumable and spares is controlled by reviewing the Re-order level (ROL) and stock monitoring system. During procurement, ROL are reviewed and new levels are fixed depending upon the consumption of last 5 years so as to procure as per requirement and reduce overstocking and minimize unnecessary blockage of funds. The high value, SLL items are procured by obtaining the future requirement for 1-2 year preferably from Original Equipment Manufacturer (OEM)/Helicopter Manufacturer.

All the repairable and rotatable components are sent to OEM /Helicopter Manufacturer for repair/overhaul and OEM authorised repair.

All activities/processes of different sections of Materials Department are online through integrated system. This system enables department to monitor the procurement at all the stages and monitoring of the inventory at the main store or different detachments as well as in transit. Processing of demand and supply has become more efficient. All data is available to users across the network in all regions and bases.

VI. Information System & Technology initiatives

Good Governance is not possible without incorporation of the latest technology solutions for communication. Information Technology (IT) tools have been adopted as catalysts to meet the business needs.

To begin with, the company has its own website (www.pawanhans.co.in) for disseminating the latest news and information. Additionally, an in-house employee portal (mypawanhans.co.in) has been developed to keep all the employees updated with the latest insights within the company and its various regions.

Your company is utilising cloud services for business applications and Integrated Information System (IISP) covering Flight Data Scheduling System, Component Health Monitoring System, Material Management System, Finance & Accounting System, HR Management System and Business Dashboard.

Other hosted solutions implemented by your Company are e-Office, e-Tendering, e-RTI, e-GeM, e-PHASE60+ e-Ticketing, Online Bill Tracking System, Safety Management System, Virtual Meet and e-Mail Solutions.

Technology deployed at your Company enables employees to access mission-critical information in efficient and seamless manner and also intends to drive competitive advantage in the market. The Information Communication & Technology (ICT) environment facilitates easy and quick access to services,

computing resources, online learning materials, training manuals and other centralised applications. The technologies that are in place also empower employees to continuously upgrade their skills and bring diverse improvements in their working environment.

Your Company adopts best IT practices to balance cost control and customer services for better and meaningful delivery of services with an objective to standardize various business processes “under ease of doing operations”.

VII. Human-Resource Management

a) Manpower

The total manpower of your Company as on 31st March 2024 was 558 (with 238 permanent employees and 320 contractual employees) which comprise of 86 pilots, 84 Aircraft Maintenance Engineers, 01 Flight Engineer, 67 Executives, 149 Technicians and 171 other technical and non-technical employees as against 569 as on 31st March 2023.

b) Industrial Relations

Industrial relations during the period under review continued to be cordial and harmonious. Regular meetings with employees’ representatives were held. The issues concerning employees were resolved through dialogue and discussion in various meetings. Revised IDA pay scales and allowances in respect of Executives, Pilots and Engineers (both regular and contractual) as well as for unionised categories of employees have been implemented.

c) Employees Welfare

The Company continues to extend welfare benefits to the employees and their dependents by way of comprehensive medical care, housing loan, post-retirement medical benefit and social security. PHL also extended the medical facility under its Post Retirement Medical Benefit Scheme to the spouses of the employees who died while performing the duty or otherwise or reasons for medical grounds w.e.f. 1.1.2017 as a welfare



Gen. (Dr.) V.K. Singh (Retd.), Hon'ble Minister of State for Civil Aviation and RT&H felicitated Ms Triveni Rahate, AME from Pawan Hans Ltd during the award function held to Honour Women in Indian Aviation, at an Event organised by Women in Aviation in New Delhi.

measure. Further, the Company continues to align its policies with changing economy and business environment. The Company has established three Trusts for welfare of the employees i.e. Employees Contributory Provident Fund Trust, Employees Gratuity Fund Trust and Employees Defined Contributory Pension Trust.

d) Disclosure as per Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013

As per the provisions of Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013 and the rules framed there under, your Company has in place, a committee for prevention, prohibition and redressal of sexual harassment at workplace. No case of Sexual Harassment was reported in the Financial Year 2023-24.

e) Employment of Persons with Disabilities and implementation of Government directives for priority section

Your Company has been following the provisions of the Rights of Persons with Disabilities (Equal Opportunities, Protection of Rights and Full Participation) Act, 2016 subsequently amended on timely basis. As per Government of India Guidelines for granting the relaxation in recruitment, your Company has made available various facilities for Persons with Disabilities like Toilets, Ramps, Lifts, Wheel Chairs etc. in the infrastructure at its Corporate Office, Northern Region and Western Region. Facility of E- rickshaw to commute between different buildings at Rohini Heliport in Sector 36, Delhi has also been provided to Persons with Disabilities (PwD).

In line with Government of India Guidelines, PwD employees have been extended payment of Additional Travelling

Allowance at the rate double from other employees with effect from 10/06/2020. Your Company is also complying with the Government Directives for priority sections of society i.e. SC/ST, OBC and EWS.

f) Training

Training of all employees i.e. Executives, Pilots, Engineers, Technicians and Support staff has always been given high priority. Lectures on different subjects of Managerial Skills have been conducted regularly. Your Company has also been nominating the employees for specialized training programmes and for in-house training.

Resources of Aviation Training School of your Company were utilized for conducting various refresher courses for Pilots, Engineers and Technicians on regular basis. Your Company has set up Pawan Hans Helicopters Training Institute (PHTI) at Mumbai in September, 2009 which has been offering B.Sc. (Aeronautics) through University of Mumbai as well as the Basic Aircraft Maintenance Engineering License Preparatory course for acquiring AME license duly approved by DGCA.

For the purpose of enhancing safety and efficiency, your Company has signed a Memorandum of Understanding (MoU) with International Air Transport Association (IATA) for conducting safety training which will be covered under Insurance Bursary Provision. Your company has also laid special emphasis on Training of the Crew and its Methodology to enable pilots to tackle the emergent situations. Simulator Training of all the crew is also conducted which involves training on handling all kinds of critical emergencies so that the pilots are better prepared to cope up with the emergency situations while flying.



VIII. Safety Management System and FOQA system

Safety is our paramount importance and your Company is pursuing safety in its operations and maintenance activities as a continuous process. Third Party Safety Management System (SMS) Audits by the Global Domain Experts are carried out as per the requirement.

Flight Data Analysis Programme (FDAP) Cells have been established at Northern Region and Western Region for analysis of flight data on daily basis as per the regulatory requirements for improvement in Flight Data Analysis. Helicopter tracking system has also been installed in twenty-nine helicopters and

process for installation on remaining fleet of your Company is in progress.

Safety Policy of your Company has also been revised to include Safety as a core activity. Your company has also implemented a software (“Aviator SMS”) based Safety Management System for its operations and maintenance activities as per ICAO/DGCA guidelines.

The Company’s National Institute of Aviation Safety & Services at Corporate Office, Noida is also conducting various courses for its employees e.g. CRM, SMS, SGT and Human Factor Trainings based on classroom and video based online sessions. Additionally, your company’s personnel are undertaking training through IATA towards Safety enhancement.

IX. Board of Directors

The Board of Directors held four meetings during the year 2023-24. Details of number of meetings attended by each director during the financial year are as under: -

Sl. No.	Name of the Director	Designation	DIN	No. of Board Meetings entitled to attend	No. of Board Meetings attended
1	Shri Sanjeev Razdan	Chairman & Managing Director	08711596	4	4
2	Shri Asangba Chuba Ao	Government Nominee Director	08086220	4	1
3	Shri Padam Lal Negi	Government Nominee Director	10041387	4	4
4	AVM Tejbir Singh (Appointed w.e.f. 17.08.2023)	Government Nominee Director representing Indian Air Force	10280997	3	0
5	AVM S. Srinivasan (Ceased w.e.f. 16.06.2023)	Government Nominee Director representing Indian Air Force	07493794	1	0
6	Shri Ajay Ratan (Appointed w.e.f. 01.09.2023)	Nominee Director representing ONGC Ltd	10303789	3	2
7	Shri Pankaj Kumar (Ceased w.e.f. 01.09.2023)	Nominee Director representing ONGC Ltd.	09252235	1	0
8	Shri Naveen Kumar Soni	Independent Director	07134716	4	4
9	Smt. Ami Manish Parikh	Independent Director	09487463	4	4

During the year under review, AVM S. Srinivasan and Shri Pankaj Kumar ceased to be director of the company consequent upon withdrawal of their nomination by the nominating authority w.e.f. 16.06.2023 and 01.09.2023 respectively.

The Board places on record its appreciation for the valuable services rendered by the outgoing Directors to the Company during their tenure.

Details of Key Managerial Personnel

In terms of section 203(1) of the Companies Act, 2013 and Rule 8(5)(iii) of the Companies (Accounts) Rules, 2014; the Company has following Whole Time Key Managerial Personnel (KMP) as on 31st March 2024: -

1. Shri Sanjeev Razdan, Chairman & Managing Director
2. Shri Ranjit Singh Chauhan, Company Secretary
3. Shri Ajay Gupta, Chief Financial Officer

Details of Accountable Manager under DGCA Rules

Shri M.S. Boora, Officiating Executive Director (Technical) was the Accountable Manager w.e.f. 03.01.2023 to 28.12.2023. With effect from 06.03.2024, Shri Sanjay Kumar, Officiating Executive Director (BD & Mktg.) was appointed as Accountable Manager. However, consequent upon superannuation of Sh. Sanjay Kumar on 31.01.2025, Shri Jitendra Singh Negi, General Manager (AME&MRO) was appointed as Accountable Manager with effect from 31.01.2025.

In addition to above, Capt. Rajiv Sharma is the Chief of Flight Safety.

X. Directors' Responsibility Statement

Pursuant to the provisions of Section 134(5) of the Companies Act, 2013 in the preparation of Annual Accounts for the

financial year ended on 31st March, 2024 your Directors: -

1. have followed in the preparation of Annual Accounts, the applicable accounting standards and proper explanation relating to material departure if any, have been incorporated.
2. have selected such accounting policies and applied them consistently and made judgments and estimates that are reasonable and prudent so as to give a true and fair view of the state of affairs of the Company at the end of financial year and of Profit of the Company for that period.
3. have taken proper and sufficient care for the maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Companies Act, 2013 for safeguarding the assets of the Company and for preventing and detecting fraud and other irregularities.
4. have prepared the Annual Accounts on a going concern basis, and
5. have devised proper system to ensure compliance with provisions of all applicable laws and such systems were adequate and operating effectively.

XI. Declaration by Independent Directors

Declaration under Section 149 (7) of the Companies Act, 2013 has been given by the Independent Directors declaring that they meet the criteria of Independence as provided in section 149 (6) of the Companies Act, 2013.

XII. Corporate Governance

Report on Corporate Governance including a certificate from practicing Company Secretary regarding compliance of Corporate Governance Guidelines is attached as Annexure-A. Management Discussion and Analysis Report is attached herewith as Annexure-B.

XIII. Statutory Auditors' Report

M/s Luthra & Luthra LLP, Chartered Accountants were appointed as Statutory Auditors in pursuance of Section 139 of the Companies Act, 2013 by the Comptroller & Auditor General of India. The Statutory Auditors have submitted revised Audit Report dated 23.06.2025 which has superseded their previous Audit Report dated 19.05.2025. The opinion of Statutory Auditors is adverse. Explanations by the Board on every qualification, reservation or adverse remark made by the Statutory Auditors in their report are attached as Annexure-C.

XIV. Comments of Comptroller & Auditor General of India

The Comments of the Comptroller & Auditor General of India pursuant to Section 143(6)(b) of the Companies Act, 2013 are awaited. Board's Reply to the comments of C&AG, if any will be dealt separately by way of Addendum to the Board's Report.

XV. Secretarial Audit Report

Interms of section 204(1) of the Companies Act, 2013, the Company has engaged M/s VAP & Associates, Company Secretaries in whole time practice as Secretarial Auditor for conducting Secretarial Audit for the financial year ended on 31.3.2024. Secretarial Audit Report along with Board's Reply on the observations made by the Secretarial Auditor has been attached as Annexure-D.

XVI. Related Party Transactions

The particulars of contracts or arrangements made during the year with Related Parties referred in section 188(1) of the Companies Act, 2013 are attached as Annexure-E.

XVII. Particulars of the Employees

As per Notification dated June 5, 2015 issued by the Ministry of Corporate Affairs, provisions of Section 197 of the Companies Act, 2013 & corresponding rules of Chapter XIII are exempted for Government Companies. As your Company is a Government Company within the provisions of the Companies Act, 2013, therefore the information has not been included as a part of Board Report. The terms & conditions of appointment of whole time Functional Directors is decided by the Government of India. The salary and terms & conditions of appointment of CFO and Company Secretary being KMP of the Company are in line with the parameters prescribed by the Department of Public Enterprises (DPE).

XVIII. CSR Committee

During the year under review, CSR Committee of your Company comprises of Smt. Ami Parikh as Chairperson, Shri Naveen Kumar Soni and Shri Padam Lal Negi as Members. The Annual Report of CSR activities is attached as Annexure-F.

XIX. Vigil Mechanism

As an integrated part of Vigil Mechanism, the Company provides an easily accessible machinery to the employees & public for redressal of their grievances by following the Government Guidelines. Regular public grievance monitoring on the Public Grievance Portal of Government is being made by the dedicated officer.

XX. Right to Information Act

The Company has set up a mechanism throughout the organization to deal with requests received under RTI Act, 2005 by Nodal Officer at Corporate Office. Further, separate Central Public Information Officers have been nominated at Corporate

Office, Western Region and Northern Region. The First Appellate Authority is nominated at Corporate Office.

XXI. Citizens' Charter

Your Company has published Citizen's Charter on its website as per the format prescribed by the Ministry of Civil Aviation.

XXII. Integrity Pact

Your Company signs Integrity Pact with vendors at pre-tendering stage and the Integrity Pact forms part of major tenders valued at Rupees One Crore and above and signed by the vendor.

XXIII. Compliance relating to Public Procurement Policy for Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs)

In compliance to MSMEs Order, 2012, the details on purchase of goods and services from MSMEs by the Corporate and Regional Office of your company are as under: -

Heads	Financial years (Figures in lakhs)	
	2023-24	2022-23
Total Annual Procurement Value	13321.62	11427.47
Total Value of Goods & Services procured from MSEs (including MSMEs owned by SC/ ST entrepreneurs & Women entrepreneurs)	966.06	249.89

More than 90% of the procurement of goods & services in your Company are for helicopters related items and the list of items provided by Ministry of MSME are of non-aviation standards and these procurements are met by imports. For remaining procurement, the provisions of MSME Order, 2012 are being complied.

XXIV. Conservation of Energy and Technology absorption

In view of the nature of activities which are being carried out by the Company,

provisions regarding conservation of energy & technology absorption are having very limited impact. Wherever necessary the Company is making efforts to conserve the energy such as use of Electric Vehicles for official work/ visits and for the technology absorption your Company is focusing on in-house maintenance, import substitution, product improvement and cost reduction.

XXV. Foreign Exchange Earning & Outgo

Foreign exchange earned by your Company during the year under review is Nil (previous year Nil). Originally the Company was having contracts with ONGC in foreign currency. At the time of extension, these contracts were extended with the modification that consideration under the extended contracts will be paid to Pawan Hans Limited in Indian currency. Due to this reason, the earning in foreign currency has become Nil. The foreign exchange outgo amounted to ₹11,269.16 Lac (previous year ₹9525.29 Lac) during the year under review

XXVI. Annual Return

As per the requirement of section 92 (3) read with Section 134 (3) (a) of the Companies Act 2013, Annual Return of the Company will be hosted on the website of the Company and can be viewed after its filing by clicking on below-mentioned links

https://www.pawanhans.co.in/inner.aspx?status=2&menu_id=194

https://www.pawanhans.co.in/english/inner.aspx?status=2&menu_id=10185

XXVII. Policy on Directors' Appointment

Pawan Hans being a Government Company, the provisions of section 134(3) (e) of the Companies Act 2013 shall not apply in view of the Gazette Notification dated 5.6.2015 issued by Ministry of Corporate Affairs.



XXVIII. Performance Evaluation

Pawan Hans being a Government Company, the provisions of section 134(3) (p) of the Companies Act 2013 shall not apply in view of the Gazette Notification dated 5.6.2015 issued by Ministry of Corporate Affairs.

XXIX. Statutory Disclosures

1. There was no change in the nature of business of the Company during the financial year 2023-24.
2. The Company has not accepted any public deposits during the financial year 2023-24.
3. No significant and material orders were passed by the Regulators or Courts or Tribunals impacting the going concern status and Company's operations in future.
4. The Company maintains an adequate system of internal controls including suitable monitoring procedures, which ensures adequate and timely financial reporting of various transactions, efficiency of operations and compliance with statutory laws, regulations and company policies.
5. There are no material changes and commitments affecting the financial position of the Company which have occurred between the end of the financial year i.e. 31.03.2024 and the date of this report.

XXX. Official Language Policy

During the year under review, the Company has made significant progress towards implementation of various provisions of Government's Official Language Policy by celebrating Hindi Day/Pakhwada, holding Hindi workshops and granting monetary incentives to winners of various competitions organized on the occasion of Hindi Pakhwada (14-28 September, 2023) besides complying section 3(3) and other

provisions under the Official Language Act, 1963 as also of the Official Language Rules, 1976. The Company has been awarded IIIrd Prize for its in-house magazine "Hansdhwani" in the Inter Ministerial Departmental competitions organized by Ministry of Civil Aviation for the year 2023.

XXXI. Vigilance

The Company has a Vigilance Department headed by Chief Vigilance Officer. Vigilance Department has been actively pursuing its role in Preventive, Punitive, participative Vigilance as well as carrying out its role under Surveillance and Detection Functions.

To ensure transparency in procurement processes, Integrity Pact has been adopted as per the guidelines of Central Vigilance Commission. In order to leverage technology, e-tendering, e-ticketing, e-payment and file tracking systems have been implemented.

Continuous monitoring, scrutiny of Annual Property Returns and Investigations carried out by Vigilance Department have instilled fear in the minds of wrong doers and at the same time boosted the morale of honest and hardworking employees.

During the period Vigilance department enquired into cases and necessary systemic improvements have been suggested to the management for their implementation to enhance transparency and account inability in the Company.

Vigilance Department has also carried out periodical inspections of Bases/Regions of the company as a preventive vigilance to improve and simplify the existing procedures and practices prevailing in the organization. The inspections also focussed on the causes of delay and possible measures, so that suitable procedure may be devised to minimize such delays and reduce the scope of corruption.



Pawan Hans Limited's in-house magazine Hansdhwani has been awarded the third prize for the year 2023 during the quarterly meeting of Official Language held on 20.03.2024 in the presence of the Secretary, Ministry of Civil Aviation.

On direction of CVC, Vigilance Awareness Week during 30th Oct to 5th Nov 2023 was organized in Pawan Hans with the aim to sensitize the employees about the dangers and pitfalls of corruption with the theme “अष्टाचार का विरोध करे; राष्ट्र के प्रति समर्पित रह” “Say no to corruption’ commit to the Nation”.

Vigilance Department had organized seminars on Procurement, Ethics & Governance, Cyber Hygiene & Security, IO/PO Training Programme as well as Systems & Procedure of the Organization at various locations of the Company and a large number of employees attended the said Programme /Workshops.

XXXII. New businesses

Regional Connectivity Scheme (RCS)

Your Company is the first helicopter operator in India to get the Scheduled Commuter Operator (SCO) permit. It has been awarded 11 networks in 4 states

under RCS UDAN tender 2.0, 2 networks under 4.0, 6 networks under RCS UDAN 4.1 and 8 networks under RCS UDAN 4.2 and 15 networks under UDAN 5.1.

Background:

The RCS UDAN initiative, backed by the Indian government, aims to promote regional development by improving accessibility to underserved areas. PHL is the **first Helicopter operator** in the country to launch the flagship RCS scheme of Govt. of India for the Helicopter operations. Your company has been awarded total of 42 networks covering 128 routes spread across the 7 States in the country. Your company has also been awarded the Certificate of Appreciation for being “Champion of UDAN” by the Ministry of Civil Aviation (MoCA), to offer its exemplary services to connect various under served and un-served sectors under this Scheme.



Details of the awarded routes are as under:

Awarded routes in RCS 2.0

1. Dehradun-New Tehri- Srinagar- Gauchar-Joshimath-Gauchar-Srinagar- New Tehri- Dehradun
2. Dehradun- Mussorie -Dehradun
3. Dehradun-Ramnagar-Pantnagar-Nainital- Pantnagar-Almora-Pithoragarh-Almora- Pantngr- Ramnagar-Dehradun
4. Chandigarh-Kasauli/Baddi-Shimla
5. Shimla-Mandi-Kullu-Manali-Mandi- Shimla
6. Shimla-Mandi- Kangra Airport- Mandi- Shimla
7. Shimla-Rampur-Nathpa Jhakri-Rampur- Shimla
8. Imphal-Moreh-Imphal
9. Imphal-Tamenglong-Jiribam-Tameglong- Imphal
10. Imphal-Thanon-Parbung-Thanon- Imphal
11. Guwahati- Tezpur- Jorhat- Dibrugarh- Jorhat- Tezpur- Guwahati

Awarded routes in RCS 4.0

1. Guwahati-Tezpur-Guwahati
2. Guwahati-Misa-Geleki-Jorhat-Geleki- Misa-Guwahati

Awarded routes in RCS 4.1

Twin Engine

1. Shillong- Sohra-Shillong
2. Shillong – Dowaki-Shillong
3. Dehradun - Srinagar –Dehradun
4. Dehradun-Gauchar-Dehradun

Single Engine

1. Pantnagar – Pithoragarh-Pantnagar
2. Haldwani – Haridwar-Haldwani

Awarded routes in RCS 4.2

1. Guwahati-Nagaon-Guwahati
2. Nagaon-Tezpur-Nagaon
3. Tezpur-Itanagar-Tezpur
4. Khliehrat- Shillong-Khliehrat
5. Shella-Shillong-Shella
6. Shillong-Jowai-Shillong
7. Shillong-Nongstoin-Shillong
8. Shillong-Williamnagar-Shillong

Awarded routes in RCS 5.1

1. Chandigarh-Baddi-Kullu-Baddi- Chandigarh
2. Chandigarh-Sanjoli-Rampur-Sanjoli- Chandigarh
3. Dehradun-Almora-Dehradun
4. Dehradun-Lansdown-Dehradun
5. Dibrugarh-Miao-Vijaynagar-Miao- Dibrugarh
6. Dimapur-Kohima-Mokokchung-Kohima- Dimapur
7. Dimapur-Mokokchung-Jorhat- Mokokchung-Dimapur
8. Dimapur-Zunheboto-Dimapur
9. Gangtok-Namchi-Bagdogra-Namchi- Gangtok
10. Imphal-Jiribam-Imphal
11. Imphal-Parbung-Imphal
12. Kohima-Phek-Kohima
13. Mokokchung-Tuensang-Mokokchung
14. Rampur-Reckong Peo-Rampur
15. Sanjoli-Manali-Sanjoli

Operationalization of RCS UDAN Routes

Your Company has successfully launched the helicopter services in Himanchal Pradesh and Uttarakhand in 2019 and 2020 respectively. The routes are as under:-

1. Chandigarh-Shimla-Chandigarh (Six days a week) w.e.f. 28.02.2019.
2. Shimla-Kullu-Shimla w.e.f. 13.05.2019. Further extended to Shimla-Mandi-Kullu-Mandi-Shimla w.e.f 10.12.2021 (Thrice a week).
3. Shimla-Dharamshala-Shimla w.e.f. 14.05.2019. Further extended to Shimla-Mandi-Dharamshala-Mandi-Shimla w.e.f 09.12.2021(Thrice a week).
4. Dehradun New Tehri-Srinagar-Gauchar-Srinagar-New Tehri-Dehradun (Thrice a week) w.e.f. 29.07.2020.
5. Shimla-Rampur-Shimla w.e.f 09.12.2021 (Thrice a week).
6. Dehradun-Gauchar-Dehradun w.e.f 08.10.2021 (Six days a week)
7. Dehradun-Srinagar-Dehradun (Thrice a week)
8. Dehradun-Haldwani/Pantnagar-Pithoragarh-Dehradun w.e.f 08.10.2021 (Six days a week).
9. Dehradun-Haldwani/Pantnagar-Almora-Pithoragarh-Almora-Pantnagar/Haldwani-Dehradun w.e.f 26.08.2022.
10. Dibrugarh-Jorhat-Tezpur-Guwahati and back w.e.f. 08.02.2023.
11. Imphal-Tamenglong-Jiribam-Tamenglong-Imphal w.e.f. 13.03.2024
12. Imphal-Jiribam-Imphal w.e.f. 13.03.2024

Your Company will launch services on the other awarded sectors in a phased manner subject to availability of infrastructure and other necessities. Governments of Himachal Pradesh, Uttarakhand,

Karnataka and Tamil Nadu have engaged the services of your company for providing Project Management Consultancy for developing and licensing / operational authorization of the RCS heliports under development in their respective States.

Further, MoCA has designated your company as the nodal agency for Centralized Procurement of all equipment including Communication, Security, Visual Aids and Fire fighting for all the 31 heliports under development across the five States of Himachal Pradesh, Uttarakhand, Manipur, Assam & Arunachal Pradesh under RCS UDAN-II'.

XXXIII. Acknowledgements

The Board of Directors deeply appreciates the continued co-operation, guidance and support received from various Ministries of the Government of India, particularly, the Ministry of Civil Aviation and the Director General of Civil Aviation.

The Board expresses its thanks for the continued confidence reposed by the Oil and Natural Gas Corporation Limited, various State Governments and other customers and all other stake-holders in the operations of the Company.

The Board also places on record its appreciation of the sincere and devoted services rendered by the employees at all levels for the progress of the Company.

**For & On behalf of the
Board of Directors**

Sd/-

(Sanjeev Razdan)

**Chairman & Managing Director
DIN:08711596**

Date: 21.08.2025

Place: Noida

ANNEXURES TO THE BOARDS' REPORT

Report on Corporate Governance including Compliance Certificate from Practicing Company Secretary	Annexure-A
Management Discussion & Analysis Report	Annexure-B
Board's replies to the qualifications/observations of auditors in their revised report	Annexure-C
Secretarial Audit Report along with Board's reply on the Observations made by Secretarial Auditor	Annexure-D
AOC-2 (Related Party Transactions)	Annexure-E
Annual Report on CSR Activities	Annexure-F
Addendum to Board's Report - Board's reply to comments of C&AG	



Hon'ble Minister of Civil Aviation, Shri J.M. Scindia in the presence of General (Dr.) V K Singh (Retd.), MoSCA awarded Pawan Hans as the Best "NSOP-Helicopter Operator" at Wings India 2024.

COMPANY'S REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE

A. Corporate Governance

The Company's philosophy on Corporate Governance reflects the ethos of the Company and its continuous commitment to ethical business principles across its operations. Corporate Governance is more than set of processes and compliances in your company. Your Company is having a well-defined corporate structure that establishes checks, balances and delegates decision making power to appropriate levels in the organization. The Company follows the best practices and adopts the procedures which are in line with Government of India's Guidelines for implementation of Corporate Governance Norms for unlisted CPSEs.

The Corporate Governance structure of your Company is multi-tiered, comprising of Board of Directors at the apex level and various committees, which collectively ensure highest standards of Corporate Governance and transparency in the Company's functioning. Board is committed to ensure that there is a strong and effective system of corporate governance in place to support the successful execution of Company's strategy. The Board has complete access to all the relevant information with the Company and it exercises independent judgment in overseeing management performance and plays a vital role in the oversight and management of the Company. Independent Directors and Government Nominee Directors are also appointed on the Board of your Company as per prescribed guidelines. All the Board level Committees are chaired by Independent Directors.

Your company has laid down a well-defined Code of Conduct for all the Board Members and Senior Management Personnel of the Company, which is also uploaded on the website of the Company. All Board Members and Senior Management Personnel have affirmed compliance to the Code of Conduct. A declaration signed by the CMD affirming the compliance with the Code of Conduct by the Board Members and Senior Management Personnel of the Company is attached and forms part of this Report.

B. Board of Directors

During the year 2023-24, four meetings of Board of Directors were held on 17.05.2023, 27.09.2023, 07.11.2023 and 06.03.2024. All meetings were held through hybrid mode.

Details regarding attendance of the Directors in the Board Meetings and the last AGM held on 23.07.2024 & their Directorships, Committee Memberships and Chairmanships during the year under review are as follows:-

Name of the Directors	Category	No. of Board Meetings attended during 2023-24	Attendance in last AGM	Directorship in Other Companies	Number of Membership / Chairmanship in Committees* of various other companies by each Director	
					Member	Chairman
Shri Sanjeev Razdan	Chairman and Managing Director	4	Yes	1	NIL	NIL
Shri Asangba Chuba Ao	Government Nominee Director	1	Yes	6	5	NIL
Shri Padam Lal Negi	Government Nominee Director	4	Yes	5	3	4

AVM Tejbir Singh (Appointed w.e.f. 17.08.2023)	Government Nominee Director representing Indian Air Force	0	N.A.	NIL	NIL	NIL
AVM S. Srinivasan (Ceased w.e.f. 16.06.2023)	Government Nominee Director representing Indian Air Force	0	N.A.	NIL	NIL	NIL
Shri Ajay Ratan (Appointed w.e.f. 01.09.2023)	Nominee Director representing ONGC Ltd	2	Yes	NIL	NIL	NIL
Shri Pankaj Kumar (Ceased w.e.f. 01.09.2023)	Nominee Director representing ONGC Ltd.	0	N.A.	5	2	NIL
Shri Naveen Kumar Soni	Independent Director	4	Yes	1	3	2
Smt. Ami Manish Parikh	Independent Director	4	No	NIL	2	1

Note:

**Membership/Chairmanship of the Audit Committee & Stakeholders' Relationship Committee has been considered in terms of Department of Public Enterprises (DPE) Guidelines on Corporate Governance for Central Public Sector Enterprises (CPSEs) 2010.*

#During the year under review, none of the Director is a member in more than 10 Committees or Chairman in more than 5 Committees, across all the companies in which he/ she is a director as mentioned in DPE Guidelines on Corporate Governance for CPSEs 2010.

C. Audit Committee

Your Company has in place an Audit Committee in terms of Section 177 of the Companies Act, 2013 and also as per DPE guidelines. The Audit Committee inter-alia reviews the financial statements, internal control system, internal auditors report, statutory auditors report, comments of C&AG. The Committee also oversees Company's Financial Report Process and disclosure of its financial information to ensure that the financial statements are correct, sufficient and credible. Reviewing the adequacy of the internal audit function is also undertaken by the Audit Committee. The Terms of Reference of Audit Committee are as per the provisions of section 177 of the Companies Act, 2013 as well as DPE guidelines.

During the financial year 2023-24, five meetings of the Audit Committee were held through hybrid mode on 17.05.2023, 12.06.2023, 27.09.2023, 07.11.2023 and 11.12.2023.

The composition of Audit Committee as on 31.03.2024 and attendance in Audit Committee meetings held during the year 2023-24 is given below: -

S. No.	Name of the Director	Designation	Category	No. of meeting attended
1	Shri Naveen Kumar Soni	Chairman	Independent Director	5
2	Shri Padam Lal Negi	Member	Government Nominee Director	4
3	Smt. Ami Parikh	Member	Independent Director	5

D. Nomination & Remuneration Committee

Your Company has a duly constituted Nomination & Remuneration Committee pursuant to the provisions of section 178 of the Companies Act, 2013 as well as DPE guidelines on Corporate Governance. The functions of the Nomination & Remuneration Committee are as specified in the above-mentioned provisions except those exempted for Government companies.

During the financial year 2023-24, one meeting of Nomination & Remuneration Committee was held on 07.11.2023.

The composition of Nomination & Remuneration Committee as on 31.03.2024 and attendance in Nomination & Remuneration Committee meeting held during the year 2023-24 is given below:

S. No.	Name of the Director	Designation	Category	No. of meeting attended
1	Shri Naveen Kumar Soni	Chairman	Independent Director	1
2	Shri Asangba Chuba Ao	Member	Government Nominee Director	-
3	Smt. Ami Parikh	Member	Independent Director	1

E. Annual General Meetings

Details of last three (3) Annual General Meetings are given as follows:

No. of AGM	Financial Year	Date	Time	Venue	Special Resolution
36th	2020-21	23.11.2021	3:00 P.M.	Registered Office of the Company at C-14, Sector-1, Noida-201301 (Through Video Conferencing/ OAVM)	NIL
37th	2021-22	30.12.2022 and 19.01.2023 (Adjourned AGM)	10:00 A.M. 11:30 A.M.		NIL
38th	2022-23	29.12.2023 and 23.07.2024 (Adjourned AGM)	10:30 A.M. 12:30 P.M.		NIL

F. Disclosures

1. Disclosure on materially significant Related Party Transactions

Details of the Related Party Transactions as per Indian Accounting Standard-24 forms part of the Notes to the Accounts. Also Form AOC-2 containing particulars of Related Party Transactions is attached as **Annexure-E** to Board's Report.

2. Disclosure on non-compliance by the Company

There is no significant non-compliance by the Company and no penalties, strictures have been imposed on the Company by any Statutory Authority on any matter related to any guidelines issued by Government during the last three years.

3. Whistle Blower Policy

A Whistle Blower Policy has been implemented. The policy provides that a genuine whistle blower is granted due protection from any victimization with access to Ombudsperson and Audit Committee. The policy is available to all employees of the Company and uploaded



on the intranet of the Company. It is affirmed that no personnel have been denied access to the Audit Committee.

4. Certificate from Practicing Company Secretary regarding compliance of Corporate Governance Guidelines

Certificate from Practicing Company Secretary regarding compliance of Corporate Governance Guidelines has been received and the same is included in **Annexure-A** to Board's Report.

5. Presidential Directives

No Presidential directive was issued by the Central Government during the last three years.

G. Internal Audit / Internal Control System / Delegation of Powers

During the financial year 2023-24, Internal Audit has been carried out by the Internal Audit department of the Company. Observations of Internal Audit are periodically reviewed by the Audit Committee of the Board and necessary directions are issued whenever required. The Company has established adequate Internal Financial Control System & Procedures. The Company has a well-defined Delegation of Financial Powers to its various executives through the Delegation of Powers Manual.

H. Training of Board Members

The new Directors are given orientation and induction regarding company's vision, core value including ethics, financial matters, business operations, risk matters. The normal practice is to furnish booklets,

brochures, Annual Report, Memorandum & Article of Association of the company, guidelines on Corporate Governance etc.

Apart from above, Directors are also nominated for training/conference on Corporate Governance and other subjects conducted by DPE, IICA and other Institutions. During the year under review, Shri Sanjeev Razdan, CMD had attended 2 Days Familiarization Programme in accordance with Companies (Creation & Maintenance of Databank of Independent Directors) Second Amendment Rules, 2021 held on 27-28 Nov, 2023, at Goa and Shri Naveen Kumar Soni had attended "Capacity Building Program for Directors-Enterprise Risk Management" held on 19th January, 2024 at Indian Institute of Management (IIM) Bangalore conducted by IICA.

I. Means of Communication

Annual Results to the shareholders are sent by way of Annual Report which is accessible to public at large on website of the Company i.e. www.pawanhans.co.in. Tenders and career opportunities are also posted on the website.

For & On behalf of the Board of Directors

Sd/-

(Sanjeev Razdan)

Chairman & Managing Director

DIN:08711596

Date: 21.08.2025

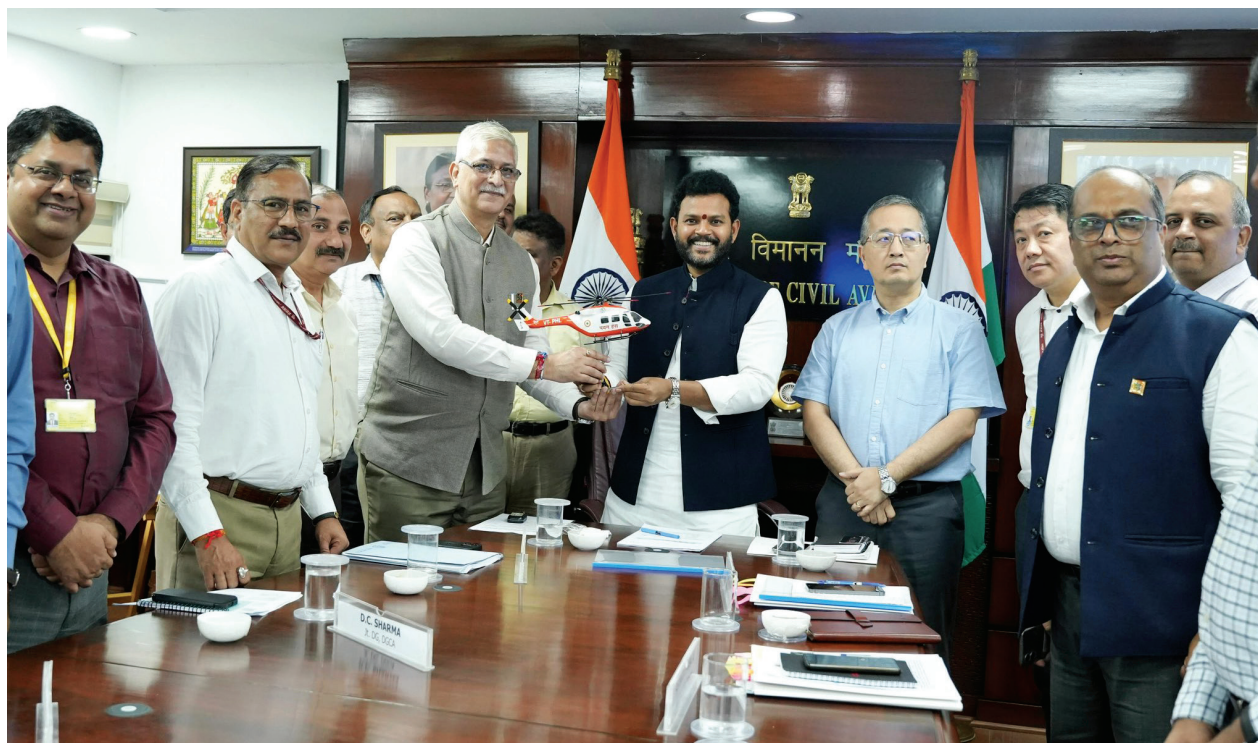
Place: Noida

**ANNEXURE-I OF ANNEXURE-A TO BOARD'S REPORT
DECLARATION REGARDING COMPLIANCE WITH THE CODE OF CONDUCT**

I hereby declare that the Company has received affirmation from the Board Members and the Senior Management Personnel with regard to Compliance of the Code of Business Conduct and Ethics of the Company for Directors and Senior Management Personnel, in respect of the financial year ended on 31st March, 2024.

Sd/-
(Sanjeev Razdan)
Chairman & Managing Director
DIN: 08711596

Place: Noida
Date: 22.04.2025



**Organizational Review Meeting of Pawan Hans Limited by Shri Kinjarapu Rammohan Naidu,
Hon'ble Minister of Civil Aviation at Rajiv Gandhi Bhawan**



**CERTIFICATION / DECLARATION OF FINANCIAL STATEMENTS BY THE CHIEF
EXECUTIVE & CHIEF FINANCE OFFICER OF THE COMPANY**

We Sanjeev Razdan, Chairman & Managing Director and Ajay Gupta, Chief Financial Officer of Pawan Hans Limited certify that in respect of financial year ended on 31st March 2024:

- (1) We have reviewed financial statements and the cash flow statements for the year and that to the best of our knowledge and belief:
 - (i) these statements do not contain any materially untrue statement or omit any material fact or contain statements that might be misleading; and
 - (ii) these statements together present a true and fair view of the company's affairs and are in compliance with existing accounting standards, applicable laws and regulations.
- (2) There are to the best of our knowledge and belief, no transaction entered into by the company during the year which is fraudulent, illegal or violative of the Company's code of conduct.
- (3) We accept responsibility for establishing and maintaining, internal controls for financial reporting and that we have evaluated the effectiveness of the internal control systems of the company pertaining to financial reporting and we have disclosed to the auditors and Audit Committee, deficiencies in the design or operation of internal controls, if any, of which we are aware and the steps taken or proposed to be taken to rectify the same.
- (4) We have indicated, wherever applicable, to the auditors and the Audit Committee.
 - a. significant changes, if any in internal control over financial reporting during the year;
 - b. significant changes, if any in accounting policies during the year and that the same have been disclosed in the notes to the financial statements; and
 - c. instances of significant fraud, if any wherein there has been involvement of management or an employee having a significant role in the company's internal control system over financial reporting.

Sd/-
(Sanjeev Razdan)
Chairman & Managing Director
DIN: 08711596 Membership No. 079580

Sd/-
(Ajay Gupta)
Chief Financial Officer

Place: Noida
Date: 22.04.2025



Head Office:
105, Charms Solitaire, Ahinsa Khand -2,
Indirapuram, Ghaziabad-201014, U.P.
Tel: +91-0120-4272409
M: +91-9910091070, 9711670085
E-mail: vapassociatespcs@gmail.com

CERTIFICATE ON COMPLIANCE OF CORPORATE GOVERNANCE NORMS
(As per Clause 8.2.1 of the Guidelines on Corporate Governance for
Central Public Sector Enterprises, 2010 issued by DPE)

To
The Members,
Pawan Hans Limited.

We have examined the relevant books, records and statements in connection with compliance of the conditions of Corporate Governance of Pawan Hans Limited (CIN:U62200UP1985GOI129953) (hereinafter called the "Company") for the financial year ended 31st March, 2024, as stipulated in Guidelines on Corporate Governance for Central Public Sector Enterprises (CPSEs), 2010 issued by the Department of Public Enterprises (DPE), Ministry of Heavy Industries and Public Enterprises, Government of India.

The compliance of the conditions of the Corporate Governance is the responsibility of the Management. Our examination was limited to procedures and implementation thereof, adopted by the Company for ensuring the compliance of the conditions of Corporate Governance as laid down in the guidelines. Our Certification is neither an audit nor an expression of the opinion on the financial statements of the Company.

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, we certify that the Company has complied with the conditions of Corporate Governance norms as stipulated in DPE Guidelines, except the following:

1. Number of Nominee Directors appointed by the Government shall be restricted to a maximum of two. The composition of the Board was not in compliance of Clause 3.1.4 of the DPE Guidelines from 01.04.2023 to 15.06.2023 and from 17.08.2023 to 31.03.2024, according to which at least one-third of the Board Members should be Independent Directors.
2. Time gap between any two Board Meetings should not be more than three months. However, upon review of records of the Company, it was observed that the time gap between Board Meetings held on 18.01.2023 and 17.05.2023, 17.05.2023 and 27.09.2023, as well as between 07.11.2023 and 06.03.2024 exceeded the prescribed limit of three months.
3. The Board has not reviewed compliance report of all laws applicable to the Company pursuant to the DPE Guidelines.

We further state that such compliance is neither an assurance as to the future viability of the Company nor the efficiency of the effectiveness with which the management has conducted the affairs of the Company.

For VAP & Associates
Company Secretaries
FRN: P2023UP098500
Peer Review No: 1083/2021

Sd/-
Parul Jain
Managing Partner
M. No. F8323
CP No. 13901

Place: Ghaziabad
Date: 25.07.2025

MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS REPORT

A. Industry Structure and Developments

India is one of the fastest growing aviation markets in the world and is already the third largest domestic aviation market. To cater to the rising air traffic, the Government of India has been working towards development of infrastructure to facilitate air connectivity across the length and breadth of the country. Helicopters and related services form a considerable part of any National Air Space and Airport System i.e. the General Aviation Market. The Civil fleet was expected to grow at 15%. The actual growth of helicopters has not been as promising as predicted by experts. The civil aviation industry in India has emerged as one of the fastest growing industries in the country during the last three years. Demand for helicopters is anticipated to experience substantial growth during the next five years primarily due to their broad application base, especially in the civil and commercial sectors. However, the COVID-19 Pandemic had significant effect on the helicopter market directly. Furthermore, the COVID-19 Pandemic has adversely affected the tourism industry, thereby affecting revenues of commercial helicopter operators.

The usage of civil helicopters in India is majorly confined to logistic air support to offshore exploration & production, helicopter pilgrimage, non-scheduled passenger service and only a very small percentage of total helicopter operations are devoted to application roles such as hotline washing, casualty air evacuation, electronic news gathering, under-slung load operations, airborne law enforcement etc. vis-à-vis developed nations, where the major helicopter deployment is in such areas.

There are approximately 250 civil registered helicopters in actual usage in India for a population of 143 Crore (approx.) which works out to one helicopter per 57 Lac (approx.) people. In fact, India currently has civil helicopters less than Switzerland. Despite of these statistics, the market and industry remain optimistic about the Indian Civil Helicopter Industry.

Regulatory support is being provided by MoCA & DGCA through various policies as given below: -

i. Regional Connectivity Scheme (RCS)

The growth of air connectivity to India's remote regions has historically been restricted due to lack of proper infrastructure and preference for railways due to high airfares.

MoCA released the RCS – UDAN scheme on October 21, 2016 for a period of 10 years and approved the revised RCS version 2.0 document dated August 24, 2017 which planned to stimulate regional air connectivity by making it affordable to masses by providing a favorable eco-system through fiscal support and infrastructure development.

The scheme specifies airfare caps for helicopters ranging from ₹2,480/- to ₹4,970/- based on flight duration and inflation. A Regional Connectivity Fund (RCF) has been created through a levy or fee per departure on domestic departures. Further, the scheme offers tax reductions on Aviation Turbine Fuel (ATF) which includes reduction in excise duty from 14% to 2% for a period of 3 years & VAT at 1% or less for a period of 10 years. Additionally, support to be provided by airport operators (AAI, State Governments, private players or

the Ministry of Defence) in the form of no levy of landing and parking charges on RCS flights etc.

Further, the selected airline operator would provide 50% of the flight capacity (subject to a minimum of 9 and a maximum of 40) as RCS Seats for operations through fixed wing aircraft and a maximum of 13 RCS Seats on the RCS Flights for operations through helicopters.

The company has been awarded the Certificate of Appreciation for being “Champion of UDAN” by the Ministry of Civil Aviation (MoCA), to offer its exemplary services to connect various under served and un-served sectors under this Scheme.

Revenue earned by the Company from RCS operations for Financial Year 2023-24 is ₹26.35 Crore as compared to ₹28.24 Crore during Financial Year 2022-23.

Your Company has been awarded total of 42 networks covering 128 routes spread across 7 states in the country under RCS bidding and has commenced operations on the following routes: -

HIMACHAL PRADESH

1. Chandigarh-Shimla-Chandigarh (Six days a week) w.e.f. 28-02-2019.
2. Shimla-Kullu-Shimla w.e.f. 13.05.2019. Further extended to Shimla-Mandi-Kullu-Mandi- Shimla w.e.f 10th Dec 2021(Thrice a week).
3. Shimla-Dharamshala-Shimla w.e.f. 14.05.2019. Further extended to Shimla-Mandi-Dharamshala-Mandi-Shimla w.e.f 9th Dec 2021(Thrice a week).
4. Dehradun-New Tehri-Srinagar-Gauchar-Srinagar-New Tehri-Dehradun (Thrice a week) w.e.f. 29-07-2020.
5. Shimla-Rampur-Shimla w.e.f 9th Dec 2021 (Thrice a week).

UTTARAKHAND

1. Dehradun-Gauchar-Dehradun w.e.f 8th Oct 2021 (Six days a week)
2. Dehradun-Srinagar-Dehradun (Thrice a week)



Meeting of Pawan Hans Team with Hon'ble Chief Minister Shri Neiphiu Rio regarding launching of 14 RCS routes in Nagaland under UDAN 5.1, connecting Dimapur, Mokokchung, Kohima, Zunheboto, Phek & Tuensang, along with Jorhat Airport. A step towards enhanced connectivity! #NagalandConnectivity

3. Dehradun - Haldwani / Pantnagar - Pithoragarh - Dehradun w.e.f 8th Oct 2021 (Six days a week).
4. Dehradun-Haldwani/Pantnagar-Almora-Pithoragarh-Almora - Pantnagar/Haldwani - Dehradun w.e.f. 26th Aug 2022.
5. Dehradun - New Tehri-Srinagar-Gauchar-Srinagar-New Tehri-Dehradun (Thrice a week) w.e.f. 29.07.2020

ASSAM

1. Dibrugarh - Jorhat - Tezpur - Guwahati and back w.e.f. 08.02.2023.
2. Imphal - Tamenglong - Jiribam - Tamenglong - Imphal w.e.f. 13.03.2024
3. Imphal-Jiribam-Imphal w.e.f. 13.03.2024

FUTURE PLANS

Your Company is a prominent helicopter service provider in India gearing up to broaden its reach by extending helicopter services under the Regional Connectivity Scheme (RCS) UDAN to the states of Manipur, Arunachal Pradesh, Nagaland, Sikkim and other areas in Uttarakhand.

This expansion is expected to unfold in a phased manner, signifying a strategic approach for enhancing air connectivity in these geographically challenging and remote regions.

ii. Helicopter Emergency Medical Services (HEMS)

Across the globe, around 11% of civil helicopters are used for emergency medical services and around 13% of new helicopters planned to be acquired during next five years are expected to be utilized for HEMS and search & rescue operations. However, even with a population of around 1.44 billion residents, the presence of HEMS services is almost negligible in India. In comparison, USA with a population of 321 million people is already served by 1,500 EMS helicopters.

iii. The National Civil Aviation Policy (NCAP) 2016

NCAP also identifies Helicopter services as critical in the areas of intra-city movement, tourism, law enforcement, disaster relief, search and rescue, emergency medical evacuation, etc. and aims to promote helicopter usage in the following manner:

1. The Government shall notify separate regulations for helicopters and facilitate development of at least four heli-hubs initially, across the country to promote regional connectivity.
2. AAI may provide or earmark / lease land for helicopter operations at airports on appropriate commercial terms from where helicopters can operate without interfering with fixed wing traffic. Further, airport charges for helicopter operations shall be suitably rationalized.

The policy was further amended by the Central Government on July 13, 2023 which primarily focus on adjustments and clarifications to the original policy rather than any significant overhauls in 2016 policy.

iv. Helicopter Operations Policy

Helicopter Operations Policy has been formulated by Ministry of Civil Aviation in October, 2021 to encourage helicopter operations creating demand and growth. The objective of this policy is to address the difficulties being faced by helicopter operators and to make the helicopter operations viable so that they could provide seamless and efficient helicopter services across the country. This policy will also open new opportunities for masses to visit far away and inaccessible location / tourist places.

B. SWOT Analysis

Strength

Your Company has established itself as a reputed brand and is the largest helicopter operator in India. Your Company's strength includes the following: -

1. Good Brand Equity and Track Record.
2. Dedicated and experienced workforce capable of performing in most difficult geographies and terrain.
3. Government of India lineage and support.
4. Deployment of helicopters to Institutional customers on long term basis (ONGC, Oil India Limited, State Governments, PSUs, etc.).
5. State-of-art maintenance facilities.
6. Competitive advantage because of availability of fleet mix to cater to different needs of customers.
7. Competency for development of Heliports / Helicopter Operations Consultancy.

Weakness

1. Old helicopter fleet.
2. Ageing manpower.
3. Stiff competition in the market, the margins to be kept low for winning the projects.

Opportunities

1. Growth in Heli-tourism.
2. MRO facilities.
3. Consultancy in the field of development of new Heliports by various State Governments.
4. Medical Evacuation.
5. Disaster Management.
6. Sea Plane operations.

Threats

1. Due to old fleet, cost of repairs has become high.



Signing of MoU between PHL and FlyOla Training Academy at the 5th Helicopter and Small Aircraft (HSA) Summit on 25th July 2023, Khajuraho

2. Stipulation by some clients regarding vintage clause due to which Company may not be able to participate in the tenders.
3. Delay in repair and overhaul of components at OEM facilities.
4. Logistic / spare supply delays due to ongoing Ukraine – Russia war.
5. Difficulty in retaining Licensed Category Employees.

C. Segment-wise Performance

Your Company is primarily engaged in domestic non-scheduled air transport service of passengers and therefore as per provisions regarding segment-wise performance reporting are not applicable to it.

D. Outlook

Your Company has got a six-year Business Plan 2021-2026 prepared from ASCI which inter-alia includes taking of the following key initiatives during this period:

1. Helicopter Operations: -
 - Strengthen competitive position in existing markets.
 - Long term deployment of 85% fleet and balance 15% for short term deployment.
 - Acquisition of 20 helicopters through leasing and phasing out of 8 old helicopters.
 - Operation & Maintenance Contracts for helicopter owned by others.
2. Providing of MRO facilities
3. Establishing Heliports and Heli Hubs
4. Sea Plane Operations
5. Fixed Wing Operations
6. Improvement of Customer Satisfaction

Strengthen competitive position in existing market

1. Renew existing contracts for market advantage
2. Maintain high standards for safety and reliability
3. Selectively pursue international operations whenever opportunity arise
4. Strengthen its competitive advantage by improving focus on customer needs and acquisition of new Helicopters.
5. Strengthen relationship with customers and other business associates.

Pursue Business in New Areas

1. Consultancy and Project Management for heliports with various States. The Company has already taken up consultancy work for 31 Heliports in five States under RCS Scheme. The Company is also providing Consultancy for Heliport development to State Governments of Karnataka and Tamil Nadu.
2. Medical evacuation, law enforcement, news gathering, intra-city transportation connecting airports to city- centers in major cities, corporate travel, pilgrimage services, etc.
3. There is tremendous potential in the tourism/pilgrimage areas in the country that need to be carefully tapped. New areas that can be explored for this purpose are States of Himachal, Uttarakhand, Gujarat, South India, Goa and North-East States.

During the year under review, your Company attended a presentation given by M/s IIFCL Projects Limited (IPL) (A Govt. of India Enterprise) on strategic framework for promoting Heli-Services for the Ministry of Civil Aviation. After attending the presentation, it was decided

to hire services of IPL for development of company's Business Plan for promoting Heli Services and take advisory support in procurement of new helicopters and sale of vintage helicopters. Accordingly, a Letter of Award was issued on 25.06.2024 to M/s IIFCL for development of Strategy Report for promoting helicopter services and review of Business Plan. First Draft has been submitted by M/s IPL on 15.12.2024. Final Report on Business Plan is currently under preparation by IIFCL.

Disaster Management- dedicated emergency medical services/SAR operations

1. The country's first Medivac helicopter to ONGC was provided by PHL.
2. Your Company would explore possibility to venture into Medivac/SAR sector in association with NDMA.

Acquisition of New Helicopters

During the year under review, your company has decided to acquire 23 New Helicopters (10 nos. of Medium Twin Engine from M/s HAL on nomination basis and remaining 13 helicopters through global tender) to meet the future requirements and thus replacing the vintage helicopters. Ministry of Civil Aviation has also conveyed its In-principle approval on 20.02.2024 to the proposed acquisition by your Company.

As a key initiative under 'ATMANIRBHAR BHARAT' (involving three PSUs) and in order to promote the indigenously developed helicopters for ONGC's off shore requirements, your company had entered into Intent of Co-operation (IOC) as well as Memorandum of Understanding (MoU) with M/s HAL for supply of 10 Dhruv / Advanced Light Helicopter (ALH Mk III) (Civil Variant) and 10 Light Utility Helicopter (LUH) (Civil Variant). On the basis of these IOC & MoU, your Company has also participated

in the ONGC's Tender and quoted 08 nos. from the pool of 10 nos. ALH Mk III Civil Helicopters under Group I for crew change task helicopters. After various discussion and Inter Ministerial Meeting regarding finalization of discount on quoted price, ONGC has issued Notification of Award (NoA) to your company for 04 Dhruv Helicopter for their offshore operations at Bombay High in the year 2024. In this line your company has also issued Letter of Intent (LoI) on 01.01.2025 to M/s Hindustan Aeronautics Limited (HAL) for purchase of initial 04 nos. (Factory New) Dhruv ALH (NG). In addition to the 04 helicopters, 02 helicopters as standby helicopters to support M/s ONGC operations are to be provided by M/s HAL as its own cost as agreed in principle by M/s HAL.

Helicopter Maintenance Services

Your Company is an Authorized Maintenance Centre of M/s Eurocopter, France for Dauphin series of Helicopters. Your Company plans to expand its repair and overhaul business by offering its services to other operators having fleet of Dauphin in the initial stages. For this purpose, it plans to create a new state-of-the-art Maintenance Centre. We are working on a proposal to set up MRO facilities for defence helicopters and is working out the details with M/s. JSC Helicopters, Russia and Indian Airforce for Mi-172 and with M/s.HAL for Dhruv helicopters.

Improvement in customer satisfaction

Your Company has been collecting feedback both from the passengers travelling as well as from the customer organizations from time to time and has also engaged an outside agency to redevelop the proforma and collect feedback from them.



Strategic Disinvestment

Government of India decided for strategic disinvestment of the entire 51% shareholding of Government of India in Pawan Hans Limited along with transfer of management control. M/s SBI Capital Markets Ltd. and M/s. Crawford Bayley & Co. were appointed as Transaction Advisor and legal Advisor respectively by DIPAM, Ministry of Finance for the said strategic disinvestment. M/s. RBSA Advisor was appointed by Ministry of Civil Aviation for valuation of PHL assets. Subsequently, Oil and Natural Gas Corporation Limited (“ONGC”), vide its board resolution dated August 02, 2018, also decided to offload its entire shareholding of 49% in PHL.

The disinvestment process could not be completed earlier due to poor response from bidders.

The strategic disinvestment of PHL is currently in process for which PIM/request for Expression of Interest (EOI) was issued on 8.12.2020. Basis the evaluation of EOIs received till due date (March 05, 2021) and as per IMG directions, shortlisted bidders were provided access to VDR, SIM, RFP and draft Share Purchase Agreement. The shortlisted bidders undertook various due diligence activities and submitted their bids which were technically evaluated. The financial bids were opened on April 23, 2022 and a Consortium of three members (namely Star9 Mobility Pvt. Ltd.) was declared as highest bidder on April 29, 2022. The Government has decided to disqualify the successful bidding consortium M/s Star9 Mobility Pvt. Ltd. from the process of strategic disinvestment of Pawan Hans Limited in terms of provisions of PIM and RFP. Further, the current EOI process for strategic disinvestment stands annulled on 3rd July, 2023.

E. RISKS AND CONCERNS

PSUs like ONGC have issued tenders with 7 to 10 years vintage conditions of helicopters. Some North East States like Government of Arunachal Pradesh have also floated tenders for Heavy helicopters with 5 years vintage. There is therefore, risk of finding new business for the older helicopter fleet in case this trend is followed by some other customers. The recovery period of customer dues specially from some State Governments is long resulting in large number of outstanding dues. This affects the cash flow of the Company. Although, most of the Contracts with the customers have an inbuilt provision for hedging against fluctuations in terms of rates of foreign exchange and Aviation Turbine Fuel, such fluctuations affect contracts which may have fixed and firm charter rates for helicopter services leading to increased input cost and reduced profit margins. Prevailing uncertainty due to ongoing disinvestment is also a cause of concern for the Company. Aviation business is characterized by the safety in air and on ground. Helicopter accidents may affect customer confidence and influence the business of the Company.

F. INTERNAL CONTROL SYSTEMS AND THEIR ADEQUACY

Standard procedures and guidelines are issued from time to time to institutionalize best practices in all facets of activities. Pawan Hans has an adequate system of internal control to ensure that all activities are monitored and controlled against any unauthorized use of the assets and those transactions are authorized, recorded and reported correctly. The Company ensures adherence to all internal control policies and procedures as well as compliance

with Regulatory guidelines with suitable connective measures if any. The Audit Committee of the Board of Directors oversee the adequacy of internal controls. Audit by Regulatory authorities covering operational and safety aspects is carried out from time to time.

ANALYSIS OF FINANCE AND OPERATIONS

Physical & Financial performance is submitted to the Board of Directors. The Company's website publishes the Annual Report as also official news are regularly and promptly displayed on the Company's website.

The revenue from operations earned by your Company during 2023-24 is ₹37476.56 Lac as compared to ₹40080.03 Lac in the previous year. Profit from operations during the year under review is ₹4338.12 Lac as compared to ₹7114.78 Lac in the previous year. Reserves & Surplus of the Company stands at ₹32753.84 Lac (P.Y. ₹33883.72 Lac).

PECUNIARY RELATIONSHIP OR TRANSACTIONS OF THE PART-TIME DIRECTORS VIS-A-VIS THE COMPANY

There has been no pecuniary relationship of any part-time director during the year with the Company. Further, no remuneration or sitting fee has been paid to any part-time director except payment of sitting fee to two Independent Directors for attending Board meetings and meetings of Sub Committees of the Board.

HUMAN RESOURCES, INDUSTRIAL RELATIONS AND TALENT MANAGEMENT ISSUES

The staff strength as on 31st March, 2024 was 558 (with 238 regular employees and 320 contractual employees) as against

569 (with 256 regular employees and 313 contractual employees) as on 31st March 2023. During the year Industrial relations had been cordial. The Company has been sending its pilots and other staff for training as also doing internal training development of its employees on regular basis.

ENVIRONMENTAL CONSERVATION, RENEWABLE ENERGY USE AND R&D ISSUES

The Company has always considered energy saving and technology absorption as an important goal and high priority has been accorded to the same during the year under review. As part of Innovation, the Company has carried out study on indigenization of spares and enhanced reliability of HMUs (Dauphin N-3 helicopter).

CAUTIONARY STATEMENT

Statement in this Report on Management Discussion and Analysis describing the Company's objectives, projections, estimates, figures and expectation may constitute "forward looking statement" within the meaning of applicable laws and regulations. Actual results might differ materially from those expressed or implied.

The Company assumes no responsibility in respect of forward-looking statements herein which may undergo changes in future on the basis of subsequent developments, information or events.

For & On behalf of the Board of Directors

**Sd/-
(Sanjeev Razdan)
Chairman & Managing Director
DIN: 08711596**

**Date: 21.08.2025
Place: Noida**



Annexure-C

BOARD'S REPLIES TO THE QUALIFICATIONS/ OBSERVATIONS OF AUDITORS IN THEIR REVISED REPORT

Auditor's Observations	Board's Replies
To the Members Pawan Hans Limited Report on Audit of IND AS Financial Statements This Revised Audit report supersedes our previous audit report dated 19th May 2025. This revised audit report is issued to comply with the observations made by the Comptroller & Auditor General of India w.r.t certain inadvertent typographical errors noticed and to provide more clarification and information with respect to Standards on Auditing (SAs), specifically SA 700 to include a section as prescribed under para 28 of SA700 which has now been expressly done in this report. Adverse Opinion We have audited the accompanying INDAS financial statements of Pawan Hans Limited. ("the Company") which comprises the Balance Sheet as at March 31, 2024, the Statement of Profit and Loss, Statement of Changes in Equity and Cash Flow Statement for the year ended on that date, and notes to financial statements, including a summary of the significant accounting policies and other explanatory information (hereinafter referred to as the "financial statements"). In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, because of the significance of the matter discussed in the Basis for Adverse Opinion para, the aforesaid financial statements do not give the information required by the Act in the manner so required and do not give a true and fair view in conformity with the accounting principles generally accepted in India, of the financial position of the company as at 31 March 2024, and its financial performance, and its cash flows for the year ended on that date.	
Basis for Adverse Opinion 1) The audit was conducted by us on the basis of standard audit procedures and practices. The audit procedures were adopted on test check basis on sample transactions selected on the basis of materiality and other relevant considerations. During the conduct of audit	All information desired for the F Y 2023-24 audit by statutory auditor was provided to them along-with supporting documents if any except in few cases which were very old (20 to 30 years). Even though as per the Companies Act,2013, the company is required to keep documents/records for last 8

complete information in respect of few aspects were not available to us neither proper information and explanation was provided to us by the management. In absence of same the audit was conducted on the basis of information / documents made available to us. Due to the inherent limitation in the audit in view of above there may be possibility of existence of more errors / omissions which cannot be all together ruled out. Specific point wise observations are listed in paras below.	financial years only. Maximum information as desired by the auditors has been provided.
2) Previous Statutory Auditor S.S. Periwal & Co., had stated in their statutory audit report about non-reliance on books of account of the company and given the adverse opinion on the Financial Statement of the company for the year ended 31.3.2023 in absence of relevant information and sufficient audit evidence. Company has not provided the rectification status of audit qualification no. 5,9,10A,10B,15C,16,17A,17B regarding unbilled revenue, delay in payment of GST liability, Advances and trade payables outstanding for long period, Debit balance in trade payable, insurance claim not in functional currency, inconsistency in revenue billing, inconsistency in foreign currency conversion respectively given by the previous statutory auditor of the company. In absence of information and sufficient audit evidence, we are unable to comment whether opening balances contain misstatements that materially affect the current period's financial statements.	Printed annual accounts for the F Y 2022-23 have been shared with the statutory auditor which are also available on website of the company wherein audit qualifications of M/s. S S Periwal & Co., were adequately replied and during the audit process audit team also verified the information from the system and documents.
3) Difference in GST Balances- The northern region has made under reporting of GST Liability amounting to Rs. 375.69 Lakhs in the returns filed during the Fin. year under Audit scope and also the northern region has claimed excess input of Rs. 4.33 Lakhs in the return filed during the F.Y. Further there are differences in Opening balance of input in Northern Region and Corporate office of Rs. 720.33 Lakhs and Rs. 166.68 Lakhs respectively (excess in books) as compared to Electronic Credit ledger balances. The company has made a provision of Rs. 67.64 lakhs against the same in corporate office books. Consequently, the closing balance of input in the books is overstated by Rs. 819.36 Lakhs. Out of the above difference,	In Northern region, the differences in GST liability were mainly due to inter ledger rectification done in current year books. Differences have been occurred due to comparison of liability ledger of the prior year transactions with outward liability as per GST returns for the current year. Difference in opening ITC pertains to pending liabilities and set off entries of the same is under reconciliation. At Corporate Office, Unutilized IGST amount of Rs. 102.51 Lakhs under GST No.09AAACP1561A1ZX was paid through ITC on refund of advance payment of Rs.672.00 Lakhs received from Lakshadweep Govt. All the details pertaining to Lakshadweep has already been discussed and the relevant documents were already handed over to the auditor during the audit.

as explained by the company **Rs. 102.51 Lakhs** is related to the Lakshadweep case, where PHL received an advance of **Rs. 672 Lakhs** on 30-03-2019. Tax was paid on 16-04-2019, however later the transaction did not materialise due to termination of contract. Company had filed refund under Section 54 of the CGST Act, 2017 however, the refund was filed late on 28-02-2024 and the matter is under appeal with GST Appeal Noida. Further, no reconciliation/explanation has been provided to us w.r.t balance difference. Also, Voluntary Payments debited in ECL to the tune of **Rs. 66.81 Lakhs** has not been recorded in books of accounts. This has resulted in overstatement of **Rs. 886.17 Lakhs** of asset and understatement of expense for the year/ reserves & surplus.

The case is further explained below:

During the year 2017-2018, it was decided between the parties that PHL will provide 'Night Landing Facilities in islands i.e. Kavaratti, Agatti and Minicoy at total contract value of Rs.825.00 Lakhs. In this regard, the Lakshadweep Administration has issued sanction letter nos. F.No.6/16/91-Port (OPI) Part/1273 dated 10th Feb.2018, 1519 dated 13th Mar,2018 & 1551 dated 16.3.2018. On 27.03.2018 the Lakshadweep Govt. had made an advance payment of Rs.200.00 Lakhs which was received by PHL out of total contract value of Rs.825.00 Lakhs on account of construction of "Night Landing Facilities on Helipads in Lakshadweep" vide sanction no.F.No.6/16/1991-Port (OPI)/1273 dated 10th Feb,2018 & 1551 dated 16.03.2018 of Lakshadweep Administration, Department of Port and Aviation. The advance payment is comprising of taxable value of Rs.169.49 Lakhs plus IGST amount of Rs.30.51 Lakhs which was deposited with GST department and shown in Aug,2018 GSTR-1 & GSTR-3B return filed vide ARN No. AA090818287603K dated 19.9.2018 and AA0908188847085 on 20.09.2018 respectively. Further, on 30.03.2019 the 2nd instalment of Rs.472.00 Lakhs also received comprising taxable advance payment of Rs.400.00 Lakhs and IGST amount of Rs.72.00 Lakhs which was paid through ITC Mar2019 GSTR-3B return filed vide ARN No. AA090319812970Y dated 16.4.2019 and the liability has been shown in May2019 GSTR-1 return filed vide ARN No. AA090519250981R dated 11.06.2019. It is pertinent to mention here that, due to Covid 19 restriction and inspite of repeated tenders floated by the Company for the above assignment, the company could not get the vendors/ parties who were ready for work in covid environment, hence, PHL commitment for commission of the Night Landing facilities in the proposed islands could not be materialized for which the advance of Rs. 672.00 lakhs was paid by the Lakshadweep Administration. Due to non-fulfilment of contractual obligation by the Pawan Hans, on 30.03.2021 the Lakshadweep Administration had recovered the above advance of Rs.672.00 Lakhs from our billing of services provided on account of helicopter hire charges for the month of October 2020 to January,2021. The Company had issued the refund advice for Rs.672.00 Lakhs in December, 2021 refer GSTR-1 file vide ARN No. AA091221754728Y dated 11/01/2022

	under the head <u>table no.11B(1),11B(2) 'Adjustment of Advances'</u> on this account, hence, Rs.102.51 Lakhs which is lying with the GST department as unutilized input tax credit which is to be refunded by the department. In this regard, on 27/12/2023 vide acknowledgement no. AA0912231586460 the Company has requested to the concerned Assessing Authority to refund the unutilized IGST under Circular No.162/18/2021-GST, notification no.35/2021 dated 25th Sept,2021, the IGST amount of Rs.1,02,50,847.00 arises on refund/adjustment on advance of Rs. 672.00 Lakhs adjusted by the Lakshadweep Government on 30th Mar2021 from our billing and the Company had issued the refund advice for Rs.672.00 Lakhs in December, 2021 refer GSTR-1. The Company had again filed fresh refund application vide ARN No. AA0902242125410 on 28.02.2024 as advised by the GST department against the Deficiency Memo No. ZD090224007198H issued on 01/02/2024. Further, the GST department on 19/03/2024 issued the deficiency Memo no. ZD090324196904Y in Form-GST-RFD-03 and had again advised to file a fresh application for the deficiencies noticed by them. Accordingly, again on 18.07.2024 the Company had filed its application vide AA090724088502Y and reply to show cause notice was filed on 22.08.2024, the same was rejected by the AO on 18.10.2024 against which the Company has filed appeal before the appellate authority vide acknowledgement no.AD091124191114A dated 26.11.2024 which was accepted by the department. The notice for hearing was fixed for 28/01/2025 and was attended by our GST consultant. The Company is hopeful to get the favorable order from the Appellate Authority. The matter is sub-judice before the GST Appellate Authority. Secondly, a GST input as well as ISD reconciliations as on 31.03.2024 has been carried out for the unutilized GST amount of earlier years. The Company had already made the Provision vide JV no.CO/ JV/ 2023-24 /0666 dated 31.03.2024 and the balance amount of Rs.102.51 lakhs are sub-judice of GST Appellate Authority and the last hearing was done on 04/08/2025. Decision is awaited from the Appellate Authority.

4) Difference in GST Cash ledger Balance- A mismatch was observed between the cash ledger balance as per the GST portal and the books of accounts, with the GST portal reflecting a balance of Rs. 8.14 lakhs while the books of accounts show a net balance of Rs. 88.28 lakhs resulting in mismatch amounting to Rs. 80.14 lakhs. This discrepancy arises after adjustments related to cheque in transit and the GST payable ledger, for which queries have already been raised, but no supporting information has been provided. As a result, the exact amount of the mismatch cannot be quantified. This has resulted into overstatement of asset and overstatement of income for the year /reserve & surplus amounting to Rs. 80.14 lakhs.	In Northern region, For the balance in GST cash ledger, GST liability in books was also standing against the GST cash ledger balance. Also, it is the first year in which the separate cash ledger has been created for GST TDS, RCM and GST liability.
5) During the financial year 2023-2024, the company has received advances from customers amounting to Rs. 249.31 lakhs for rendering of charter flying services of model Sikorsky S76D, Dauphin AS 365 N3 & Dauphin SA 365N helicopters at Western Region. The company has not paid an output tax liability (CGST and SGST @9 % each) on such advances received amounting to Rs. 44.88 lakhs as required under Section 13 of Central Goods and Services Act, 2017. This could potentially result in levy or interest and other penal provisions of statutes for the non-compliance.	Necessary GST is paid at time of raising invoices and invoices are settled against the advance payment.
6) Inventory a) We were unable to observe the physical verification of inventory conducted by the management as at 31st March 2024, due to the late commencement of the statutory audit arising from the delayed receipt of the No Objection Certificate (NOC) from the previous statutory auditor. Accordingly, we were unable to obtain sufficient appropriate audit evidence regarding the existence and condition of inventory as at 31st March 2024. As a result, we are unable to determine whether any adjustments might have been necessary in respect of inventory and the related impact, if any, on the financial statements for the year then ended.	No Comments.

b) The company has provided us the stock ledger report which is generated from the software used for accounting purpose. However, during the scrutiny of the closing balance, it was observed that the closing balance as per the system generated ledger deviates from the closing balance reported in the financials statement (Excess in financial statement) at Northern Region. On verification the differences arising from opening balance amounting to Rs 2028.70 Lakhs and current year inventory difference amount to Rs. 34.81 Lakhs, aggregating to a difference of Rs 2063.51 Lakhs. As per information and explanation provided by the management Rs. 34.81 Lakhs is still under reconciliation for which no details have been provided and further the management was unable to furnish the traceability & stock ledger for the westland inventory which is the core reason for difference in inventory amounting to Rs. 2028.70 Lakhs. This has resulted in overstatement of asset & profit/reserve & surplus to the extent of Rs. 2063.51 lakhs.	Note regarding Westland fleet is already disclosed in notes to accounts in northern region where it is mentioned that the case regarding Westland Inventory and Fixed Assets is under legal proceeding since 1993. During the meantime we have migrated to our new Accounting Software and Westland inventory part wise details was not updated in migrated version of Software on transition. In addition to these, 100% provision created for carrying amount of Inventory and Fixed Asset in books. Hence, there is NIL impact on current year profit and 100% provision on the gross cost is created in earlier years, hence no impact on assets and liability as well. In respect of Inventory other than Westland helicopters Rs. 34.81 Lacs is under reconciliation by the Management.
c) As per the accounting policy of the company, the inventory of Avian Turbine Fuel is to be valued at cost (Basis of valuation - Weighted average method) or NRV whichever is lower. However, the company has valued the closing inventory amounting to Rs. 16.54 lakhs at closing rate in contravention to stated accounting policy. Due to the unavailability of necessary data, we were unable to quantify the resulting impact on the financial statements.	Valuation of closing inventory of ATF was done on FIFO basis as per past practice. The closing Inventory of Aviation Turbine Fuel is not having material value in relation to the total inventory. The Total Inventory value as on 31/03/2024 was Rs. 5348.96 Lakhs against ATF inventory of Rs.16.54 Lakhs. There is no impact/negligible impact on the financial Statements. Company will review the valuation policy of ATF inventory.
d) The physical verification of inventory at the Northern Region was carried out by the management in March 2024. Upon review of the physical verification report, it was observed that 12 excess items were identified by the department amounting to Rs. 2.33 Lakhs, which deviated from the inventory quantities reported in the financial statements. Further, no accounting treatment for the excess items has been provided by the management. This has resulted into understatement of assets & profit/reserve & surplus to that extent.	Excess items worth ₹2.33 lakhs identified during physical verification are under reconciliation by the Management. Though immaterial compared to total stock (₹668.50 Lakhs net of provision in northern region), the items will be appropriately recorded and adjusted in next financial year 2024-25.

7) Fixed Assets/Depreciation a) Company had in earlier years recognized a provision for WDV of fixed assets pertaining to the Westland assets amounting to Rs. 869.33 lakhs (Gross cost of Rs. 6,011.82 lakhs, accumulated depreciation Rs.5,142.48 lakhs & written down value Rs. 869.33 lakhs). However, this amount could not be traced in the Fixed Assets Register of the company. Furthermore, the management was unable to provide the relevant WDV details supporting the said amount. Consequently, the accuracy and completeness of the opening balance of fixed assets cannot be relied upon. In addition, the company's inventory includes Gem Modules amounting to Rs. 501.37 lakhs for which the company had created provision amounting to Rs. 501.37 lakhs against Gem Modules in earlier years. However, no basis/ supporting document/ clarification has been provided for the same. In absence of the same we cannot comment on the adequacy or otherwise of the value of inventory / provision created against the same.	Note regarding Westland fleet is already disclosed in Notes to Accounts at Northern Region wherein it is mentioned that the case regarding Westland Inventory and Fixed Assets is under legal proceeding since 1993. It is clearly understood from above that the company has recognised Assets with a gross cost of Rs. 6,011.82 lakhs and a corresponding depreciation provision of Rs.5,142.48 lakhs resulting in a residual written down value (WDV) of Rs.869.33 lakhs for which provision under GL code 270520 for westland is created more than 30 years back. Hence, there is NIL impact on profit and 100% provision on the gross cost is created, hence no impact on assets and liability as well.
b) Depreciation Not Provided - The company had not charged depreciation on certain components of helicopters in the northern region where life of the component was still not over. No clarification / adjustment for the same has been made in the books of accounts for the same. This has resulted in understatement of expenses for the year/reserve & surplus and overstatement of Fixed Assets amounting to Rs. 28.44 lakhs.	No break up has been provided for the amount of Rs. 28.44 Lakhs. However, as observed that Depreciation in respect of the components will be reviewed and resultant entries will be passed in FY 2024-25
c) The Physical verification of fixed assets conducted at Northern Region in the Financial Year 23-24 highlighted difference (shortage) of 586 items between Physical balance and balances as per Books of accounts and no corresponding correlation with the respective asset value of these shortages could be made by the management due to lack of information and thus the value for such difference cannot be quantified and necessary adjustment could not be made in the books of accounts.	The shortage of items in Northern Region mainly comprises of AC's, Computers, Furniture and Fixtures which are shifted to different bases of operation on need basis. The differences are under review/reconciliation and after due process of approval, resultant entries will be passed in books of Accounts. Further, during the F Y 2020-21 physical verification of Fixed Assets of Corporate Office/Northern Region/Western Region has been conducted by Independent Agency.

Further physical verification had not been conducted in the Financial Year 2023-24 at Corporate office and Western Region. The Property, Plant and Equipment of Corporate office was last physically verified in August 2020 even though 3 years has elapsed from the last verification, the physical verification has not been conducted in Financial Year 2023-24 as a result the availability of assets / the value of assets at which they are appearing and any discrepancies arising on verification cannot be commented upon.	The Company will conduct physical verification as per policy.
d) Several instances of mismatch in the depreciation on fixed assets amounting to Rs. 5.23 lakhs were noticed which has resulted in excess booking of depreciation in the books of accounts. The management has not provided with the justification or clarification for the differences identified nor any adjustment for the same has been made in the books of accounts. This has resulted in overstatement of accumulated depreciation and understatement of profit for the year / reserves & surplus to that extent.	In Northern Region, while transition to IND AS compliant financials, adjustment in carrying value had been done as per IND AS rules due to which difference has arisen in some of the items. The Depreciation is calculated through automated software and manual intervention in the calculation of depreciation is not possible.
e) The company has disposed off fixed assets in the northern region amounting to Rs. 11.11 lakhs (Gross cost) during the FY 23-24. Also, the fixed assets that were sold through the MSTC portal have not been reflected in the fixed asset disposal working. For example, items such as chairs, sofa, fans, etc., were sold but were not included in the disposal calculations, indicating incomplete and inaccurate reporting of asset disposals. The amount of such disposal could not be identified and in absence of same we cannot comment on the correctness of the value of assets disposed off / balance fixed assets.	The Fixed Assets comprising chairs, sofa, fans have been written off from Books in the year in which approval have been accorded by the Management. The Fixed Assets Disposal Workings have been prepared on approval basis. This is in line with practice with prior years. After the approval, assets are listed and auctioned through MSTC Portal and after the realization of proceeds, Scrap Sale entry is accounted in Books of Accounts.
f) The Company has reported disposal of fixed assets amounting to Rs. 11.11 lakhs during the FY 23-24. However, based on the information and documentation provided by management, these assets were actually sold in the FY 24-25. The disposal was recorded in the financial statements solely on the basis of the	In Northern Region, after receipt of approval from management for disposal of assets, the WDV of the Assets to be disposed is written off as expense in that year. As and when amount received against disposal the same is accounted as income.

approval process initiated by management (FY 23-24), rather than the when the sale of fixed asset was materialized (FY 24-25). This premature recognition of disposal has resulted into overstatement of expenses and an understatement of fixed assets / reserve & surplus to the extent of Rs. 11.06 Lakhs.	
g) The Company has reported a sale of Car (Maruti SX4 794) Gross Value Rs. 2.33 lakhs WDV Rs. 0.33 lakhs in addition to other assets for consideration. No supporting documentation was provided to substantiate the approval of disposal of the said vehicle, whether as scrap or without consideration. In the absence of such evidence, we cannot comment the on the authenticity and appropriateness / loss on sale of such car. This discrepancy has resulted into understatement of assets by Rs. 2.33 lakhs, understatement of accumulated depreciation /reserve & surplus by Rs. 2.00 lakhs & Rs. 0.33 lakhs respectively & overstatement of expenses for the year by Rs. 0.33 lakhs.	As approval for disposal of Maruti SX4 794 is received in FY 2023-24, asset is written off from books as scrap. Subsequently, the same car as scrap was actually sold in FY 2024-25 and now the amount realized is considered as income.
h) The company has used carrying value on the date of transition i.e. April, 2015 as deemed cost of Property, Plant and Equipment. The Western region has considered embedded maintenance of Rs. 40 lakhs for each Dauphin N3 helicopter and Rs. 60 lakhs for each Dauphin N helicopter. Basis of such allocation could not be justified and hence, its impact on the Ind AS financial statements cannot be quantified.	In case of the embedded cost, the embedded maintenance cost has been considered as INR 40 lakh for each Dauphin N3 Helicopter and INR 60 lakh for each Dauphin N Helicopter from the date of transition. Accordingly, 1 Dauphin N and 6 Dauphin N3 helicopters were depreciated as per the embedded maintenance cost. The same was almost fully depreciated. After transition period, the Embedded cost is capitalised as per the actual expenditure as and when the same was incurred.
i) The company has revalued its fixed asset components as of April 1, 2015, for the purpose of transitional provisions and applicability of IND AS. However, it has been observed that the depreciation calculations performed by us, based on the number of months the assets were in use from the date of purchase do not align with the Written Down Value (WDV) figures provided by management. Moreover, no valuation report or supporting justification has been made available for the discrepancies. Upon our review, we identified significant variances which has resulted into understatement of assets and profit/reserve & surplus to the extent of Rs. 595.76 lakhs.	The Company did not revalue the fixed assets components as of April 1,2015 for the purpose of transitional provision and applicability of IND AS. As per requirement of IND AS component accounting, major components of helicopter were separated from helicopters' total cost. Therefore, there is no under/overstatement of assets/reserves.

j) With respect to component accounting for depreciation, the Western Region has considered zero flying hours as of the transition date (April 1, 2015) for all identified components except the Main Gear Box (MGB) and Engine, despite these components being in use from the date of capitalization. As explained to us, the actual flying hours as of the transition date i.e., April 1, 2015 could not be determined, and consequently, the impact of this on the financial statements cannot be quantified.	While calculating Depreciation for component accounting, PHL considered zero flying hours as on date of transition, ie.1st April,2015 for MGB, ENGINES and EMBEDDED. The company has already revised depreciation as per actual flying hours for MGB and ENGINES in F Y 2019-20 and 2020-21 respectively from transition period i.e. from 01/04/2015 onwards.
k) The intangible assets amounted to Rs. 182.77 Lakhs on which 100% depreciation has been charged at northern region. However, no traceability in the FAR has been provided by the management for the same.	Above treatment with respect to intangible asset is provided as per the process of transiting to Ind AS. It is also understood from above that asset is also fully depreciated. Hence, no effect on profit/loss and Asset and Liability.
l) The company has certain Rotables lying with foreign parties as at 31st March, 2024 amounting to Rs. 13,181.37 Lakhs (Net Balance). No confirmation has been provided for the same. Due to non-availability of confirmation of balances & limited information available to us, we are unable to quantify the impact, if any, arising from the confirmation of balances on the Ind AS financial statements.	Confirmations of stock lying abroad were sought from the repairing agencies. Few confirmations are received and for remaining necessary follow up with repairing agencies is being done.
8) Cheques In Transit - During the year, a sum of Rs. 529.16 lakhs was identified under the “Cheques in Transit” account which were appearing from earlier years and had remained unadjusted. The management undertook corrective measures to rectify these entries. While a significant portion of the discrepancies was addressed by reversing these transactions through bank account, which has affected the reconciliation of bank accounts. Management has explained that these entries originated in earlier financial years and were recorded without proper substantiating evidence. As of the reporting date, no reconciliation statements for the affected bank accounts have not been made available. Consequently, the accuracy and reliability of these bank balances reflected in the books of accounts cannot be verified.	In Northern Region, the matter primarily relates to accounting entry issues arising from legacy balances in Ledger Account. Major rectification entries have already been passed during the year to clear these old items, and the “Cheques in Transit” account has been substantially resolved. Necessary final adjustments are being carried out to align the bank statements with the Books of Accounts.

9) The company had recognized a provision of Rs. 577.34 lakhs for salary increments applicable to both executive and non-executive employees in earlier years, including contractual and regular staff, effective retrospectively from 2019. However, the Company was unable to provide the basis for provisioning of Rs. 197.38 lakhs out of above amount, and in absence of the same we cannot comment on the adequacy and appropriateness of the provision made.	In Northern region, the amount is in the nature of provision consisting of pay revision benefits for both executive and non-executive employees. The amount is shown as Rs. 382.00 lakhs payable as of April-24 and all arrears other than arrears of non-executive contractual employees have been paid. The Arrears for Non-executive contractual employees have been paid in May'24 and resultant entry arising as surplus will be passed in FY 2024-25.
10) The company has created a provision of Rs. 7,242.21 lakhs for doubtful trade receivables for the financial year 2023-24. However, based on the Expected Credit Loss (ECL) assessment conducted by the management through an independent third party, the required provision to be made amounted to Rs. 7,261.60 lakhs. This discrepancy has resulted in an understatement of the provision for doubtful debts & expenses and a corresponding overstatement of profit/ reserve & surplus by Rs. 19.39 lakhs which is continuing from the previous year. Further, the basis i.e. Provision matrix & policies on which the provision has been created in the books of accounts has not been provided by the management to verify the same.	In Northern Region, the provision was booked in current FY 2023-24 based on the Expected Credit Loss (ECL) assessment conducted by the management through an independent third party. Understatement of provision pertains to prior years in relation to debtors of Rohini Heliport Limited. Necessary adjustment entry will be passed in FY 2024-25. Detailed Report by the Third Party has been submitted to the Auditor for review.
11) The company has made a restatement in the financial statements for FY 2023-24 to correct prior material errors. However, certain prior period income which were identified remained unadjusted during the year amounting to Rs. 207.35 Lakhs which has resulted in overstatement of debtors and overstatement of profit of current year and understatement of previous year profit. Further, in the Northern region, an amount of Rs. 211.66 lakhs has been incorrectly classified under trade payables, specifically under the MSME category instead of classifying into respective correct heads. This misclassification affects the true and fair presentation of trade payables and may result in an understatement or overstatement of other liabilities.	In Northern Region, the amount has been erroneously classified under MSME Category instead of other trade payables. There is no impact on the financial statements. Necessary reinstatement will be made in FY 2024-25.

12) The company has recognized Deferred Tax Liability (Net) amounting to Rs. 10,257.59 lakhs for the FY 2023-24. However, upon verification of the underlying calculations, it was observed that the company applied an incorrect tax rate to the provision for employee benefits. This error resulted in an overstatement of the deferred tax liability by Rs. 121.45 lakhs. Additionally, while calculating depreciation on income tax, an amount of Rs. 4.67 lakhs related to inventory sales has been erroneously included under the sale of fixed assets. Further, several fixed asset purchases of Northern region were inter-changeably misclassified under the “less than 180 days” and “more than 180 days” categories, leading to incorrect depreciation/ tax calculation. Due to incorrect calculation, this has resulted into Overstatement of liability & expenses for the year and understatement of reserve & surplus amounting to that extent.	Due to oversight, rate of income tax was erroneously considered 31.20% instead of 33.384% for provision for employee benefits and regarding calculation of Depreciation under Income Tax Act. The Company will correct the depreciation chart while filing Income Tax Return.
13) The company has created provision for Income Tax amounting to Rs. 300.00 Lakhs for the FY 23-24. However, upon verification of the underlying calculation, it was observed that the company has incorrectly taken amount of provision created as per actuarial for the FY 23-24 (Rs. 203.79 Lakhs) & Exchange fluctuation on capital assets (Rs. 24.82 lakhs) which has resulted into overstatement of provision for taxes / expenses and understatement of reserve & surplus by Rs. 77.09 Lakhs.	For the year 2023-24, the Company had made a provision for tax amounting to Rs.300.00 lakhs. In this regard, the discussion was held with their team and all the supporting documents had been given to them vide email dated 25/04/2025. Regarding, provision created or debited to profit & loss account it can be seen from the computation of taxable income that Company had correctly added the provision created during the year 2023-24 amounting to Rs.994.32 lakhs which is related to Pilots and AME for the current year. Secondly, the Company had rightly claimed the revenue on Capital Items due to Exchange Rate Fluctuation (ERF) on capital expenditure amounting to Rs.12.41 lakhs and revenue on capital items amounting to Rs. 51.37 lakhs aggregating to Rs.63.78 lakhs. This has been communicated to Audit Team through mail dated 25/04/2025. Hence, the observation reported by the Auditor at point no.13 of the Audit Report is not correct.
14) In respect of Trade Receivables, Trade Payables, Long-term and Short-term Liabilities, Other Current Liabilities, Long-term and Short-term Loans & Advances, and Deposits, external confirmations of balances including demerged unit of Pawan Hans (i.e. Rohini Heliport amounting to Rs.184.01 lakhs)	As required by the auditor, external confirmation was duly sent and acknowledgement for the same is provided to the auditor and out of these some of the confirmations were received from the parties. Confirmations are delayed due to the fact that most of the parties are Inter-State and Government Parties.

were not available for the financial year 2023–24. Though provisions are made based on expected credit loss method on the trade receivables however due to non- availability of confirmation of balances & limited information available to us, we are unable to quantify the impact, if any, arising from the confirmation of balances on the Ind AS financial statements.	It is stated that balance confirmation is a periodic and is continuous process as a part of Internal Financial control.
15) There have been delays in 6 months in remitting provident fund contributions to the trust, leading to the levy of interest for the periods of delay. However, the corresponding interest liability amounting to Rs. 48.43 lakhs has not been accounted for in the Books of Account. This has resulted in understatement of liabilities and overstatement of profit for the year / reserves & surplus.	Majority of our customers are State Govt./ Union Territories and they release the payment as and when budget is available with them. Due to delay in receipt of fund from customers sometimes there was delay in deposit of PF Contribution to trust.
16) The party-wise reconciliation of TDS receivable for the current year, as recorded in the Books of Account is not reconciled with Form 26AS. As a result, there is a short booking of TDS amounting to Rs. 4.60 lakhs and an excess booking of TDS amounting to Rs. 9.13 lakhs in the books. This has resulted in overstatement of TDS receivable & understatement of Debtors balance by Rs. 4.53 lakhs. An accounting entry of Rs. 5.30 lakhs was passed in the books under the head “WR/NR – TDS” to account for TDS adjustments; however, this entry does not rectify the underlying party-wise balances. Consequently, the accuracy and reliability of TDS receivable and debtor balances in the financial statements remain impacted.	The party-wise reconciliation of TDS credit available in Form 26AS has been prepared and handed over to the auditor long back during the first phase of audit i.e. in Sept/Oct,2024 and subsequently, in second phase in Mar,2025. A statement of TDS amount booked in the books of Corporate Office along with the journal vouchers were also handed over to auditor on 18.04.2025 and also communicated to them via mail dated 25/04/2025. The region has booked short booking of TDS by Rs.4.60 lakhs and excess TDS amounting to Rs.9.13 lakhs. The net impact of Rs.5.30 lakhs has been shown under TDS/TCS recoverable. It is pertinent to mentioned here that the Company has booked the TDS/TCS amount and claimed in its ITR for the FY 2023-24 and the effect of entries has been taken in subsequent year i.e. in FY2024-25 keeping in view of closing of the entries in current year i.e. 2023-24.
17) Professional Tax – Opening Debit balance w.r.t Professional tax is appearing in the books of accounts of Northern region amounting to Rs. 1.32 lakhs. No detail in regards to the same is available. In absence of same we cannot comment on the correctness / recoverability of the said balance.	In Northern Region, the Professional Tax GL Account shows an opening balance on 01.04.2023 of Rs. 0.61 lacs as credit. The Debit balance is mainly the payments made in respect of Professional Tax shown in subsidiary heads under the GL. The total Credit outstanding to be paid as of 31.03.2024 is Rs. 1.06 lacs. It will be paid in the subsequent Financial Year after reconciliation.

18) Provident Fund Not Deducted - It was observed that for some of the employees who left the organization, their F&F settlement amount is directly paid through bank without routing it through salary payable account due to which the management failed to deduct Provident fund for the employees who left the organization. The resignee list was provided by the management at the time of finalization of audit only and thus the same could not be verified. In view of same amount of PF not deducted cannot be quantified.	In Northern Region, total 4 cases were identified and the total impact is Rs. 0.17 Lakhs. As the final settlement has happened and PF Settlements made in those cases, the compliances in relation to PF has been ensured in future cases. The amount is not material and PF Compliances are ensured.
19) amount of Rs. 6.45 lakhs is standing in the books of accounts of northern region in regards of amount payable to the employees who had left the organization. However, we have not been provided with the details of the amount outstanding. In absence of same, the authenticity or correctness of the amount cannot be commented upon.	These are very old balances and the amount will be paid to concerned employees on receipt of NOC and as and when final settlement will be made in respect of the same.
20) An amount of Rs. 4.66 lakhs is standing as receivable from NTPC for which no details has been provided. As per the information provided by the management, all the contracts in relation to NTPC has been closed as of now and all payments/receivables has been settled still the balance is outstanding in the books of accounts for which no justification has been provided which has resulted into overstatement of assets and overstatement of income for the year/ reserve & surplus by Rs. 4.66 lakhs.	This has not been shown as income in FY 2023-24. The receivable entry is under review and rectification entry will be passed in FY 2024-25. The amount is not material to the financial statements.
21) Revenue reconciliation has not been prepared in respect of RCS ticket sale by the management at Northern region. As per our verification and as per information and explanation provided to us, excess revenue has been booked amounting to Rs. 3.08 lakhs. This has resulted in overstatement of revenue & profit/reserve & surplus for the year and overstatement of Bank balance by that amount.	The revenue has been accounted for on the basis of receipts in Bank Account. In some cases, refunds are required to be made in case of non-availment of services. Further, the reconciliation for the ticket sales is under process. The amount is not material to the financial statements.
22) The company for calculating lease liabilities and Right of Use Asset has not considered incremental borrowing rate. This accounting practice followed by the company is neither in accordance with the accounting policy nor in adherence to Ind AS 116 'leases'. Due to non-availability of information, we are unable to quantify the impact and further Northern	Under Ind AS 116, the rate that can be used for discounting lease liabilities is either the interest rate implicit in the lease or the incremental borrowing rate. Here implicit rate is used for the unwinding of interest from lease liability.

	Region has not accounted for the impact of the lease liability correctly, which has led to an understatement of the Right-of-Use (ROU) assets by Rs. 0.66 lakhs , overstatement of lease liabilities by Rs. 1.22 lakhs and provision for depreciation by Rs. 0.77 lakhs cumulatively amounting to Rs. 2.64 lakhs .			
23)	In financial statements, we noted an “Opening SOCE Adjustment” amounting to Rs. 1.04 lakhs in the previous financial year. However, no supporting documentation for this adjustment has been provided by the management. In the absence of an adequate explanation or basis for this adjustment, we are unable to assess the appropriateness and accuracy of the adjustment recorded.	The amount has been specifically shown as difference in opening reserves and the same is under reconciliation and resultant entry will be passed in Current Year 2024-25.		
24)	There has been non-compliance with Ind AS 37 – Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets in the western region, as no provision has been recognized for onerous contracts, despite indications that the cost of fulfilling contractual obligations exceeds the expected economic benefits during the term of the contract. Additionally, the Region lacks a defined system of cost centers and does not perform comparative analysis of actual versus budgeted revenue at the level of individual customer contracts. In the absence of such systems and assessments, the potential impact of onerous contracts and the related provision on the Ind AS financial statements cannot be quantified.	Currently company is working out the profitability statement cost centre wise manually. The Company is in process of updating the system so that cost centre wise profitability can be ascertained and can be compared with approved budget.		
25)	During our review of the financial statements, we have noted certain discrepancies under the following heads of the Balance Sheet (figures shown incorrectly).	The issue is regarding the classification of head of Assets/Liability under different Notes to financial statement. Though there is no financial impact the same is noted for future compliances.		
In the financial year 2023-24				
(Rs. In Lakhs)				
Heading	Sub Heading	Sub-Sub Heading	Correct figures	Disclosed figures
Non - Current Assets	Loan	Loans to employees – Secured & Unsecured	52.49	38.49
Current Assets	Cash and Cash Equivalents	Cash on hand	6.52	6.60
Current Assets	Trade receivables	Allowance for Doubtful Debt / Expected Credit Losses	11,760.08	11,740.69
Non-Current Liabilities	Other financial liabilities	Lease Liabilities	8,729.82	8,735.63
Current Liabilities	Other financial liabilities	Lease Liabilities	2,797.36	2,791.53

In the financial year 2022-23 (Rs. In Lakhs)					The issue is regarding the classification of Head of Assets/Liability under different Notes to financial statement. Though there is no financial impact the same is noted for future compliances.
Heading	Sub Heading	Sub-Sub Heading	Correct figures	Disclosed figures	
Current Liabilities	Trade payables	Outstanding dues of micro & medium enterprises	104.66	316.33	
In the financial year 2021-22 (Rs. In Lakhs)					The issue is regarding the classification of Head of Assets/Liability under different Notes to financial statement. Though there is no financial impact the same is noted for future compliances.
Heading	Sub Heading	Sub-Sub Heading	Correct figures	Disclosed figures	
Non-Current Assets	Capital work-in-progress	-	928.92	891.67	
Current Liabilities	Provisions	Provision for Corporate Social Responsibility	202.4	193.37	
The bifurcation of Current & Non-Current balances under EMD & Security deposit has not been provided by the management.					
26) The following are the discrepancies related to documents, which are essential for the review and verification of the Notes to Accounts forming part of the financial statements, which were not provided to us as of the date of review and certain misstatement of figures were noticed as mentioned herein below:					
In respect of note 32(ii) (d), Adequate supporting for Amount of Rs. 233.81 lakhs shown under Litigations is not provided to us to verify whether the same is correct.					Necessary disclosure under contingent liabilities has been made in additional Notes to Accounts.
In respect of note 32(XIII), the details regarding business loss and unabsorbed depreciation transferred to Rohini Heliport Limited as per approved scheme of demerger has not been given.					Necessary disclosure was made in F Y 2022-23 when demerger had taken place.
In respect of note 32(XVI), details regarding obligation towards operating lease has not been provided to us.					All necessary documents/workings were provided to Auditors during the course of audit. There is no Impact on financial statement.
In respect of note 32(XVII)(D), No explanation regarding the cash flow of Rs. 2658.38 lakhs for Lease Liabilities of Current Year has been provided to us.					All necessary documents/workings were provided to Auditors during the course of audit. There is no Impact on financial statement.
In respect of note 32(XXI)(A) and (B), Details regarding Movement of Contract Assets and Liabilities is inconsistent with the information provided by the management, hence we are unable to comment upon the same.					All necessary documents/workings were provided to Auditors during the course of audit. There is no Impact on financial statement.

In respect of note 32(XXV)(b), details of independent directors, to whom director sitting fees have been awarded, have not been disclosed.	As per past practice company does not disclose list of independent directors in financial statement. The same is disclosed in Board's report.
In respect of note 32(XXV)(d), bifurcation of director sitting fees of Rs 2.7 Lakhs have not been shown separately from short term employment benefits.	As per past practice, in the company, Director sitting fees was disclosed at note 32(XXV)(c).
In respect of note 32(XXVIII), The dues to MSME for financial year 2022-23 of Rs. 316.33 Lakhs is not correct as in the northern region, the restatement of FY 2022-23 has been routed through Dues to MSME, without any explanation of the same.	Trade payable at Northern Region is not correctly classified under MSME/other Creditors but there is no impact on financial statement. Noted for future compliance.
In respect of Note 32(XXXIII)(C)(ii), the details of Fair Value measurement using unobservable inputs has been mentioned by the Branch Auditor, however no disclosure is provided in the consolidated Financial Statements. Consequently, such shall be read as Rs. 947.19 Lakhs instead of Nil.	The amount is related to unbilled revenue of western region. The same was informed to auditor.
In respect of note 32(XXXIII)(iii), we have not provided with the details of foreign currency assets and liabilities, consequently we are also unable to comment on the sensitivity analysis.	Foreign currency detail of WR was audited by branch auditor and details of Northern region and corporate office was provided to auditors during Audit.
27) Quantification of above qualification The effect of Cumulative impact of our observations mentioned in paragraphs 3, 4, 6(b), 6(d), 7(a), 7(b), 7(d), 7(g), 7(i), 10, 12, 13, 15, 19, 20, 21, 22 are: Loss of company for the year/ reserves & surplus is understated by Rs. 2,317.93 lakhs, Assets are overstated by an amount of Rs. 2,453.86 lakhs and Liabilities are overstated by an amount of Rs. 135.93 lakhs. Possible effect of matter described in other Paras are not ascertained by the management. We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing (SAs) specified under section 143(10) of the Companies Act, 2013. Our responsibilities under those Standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements section of our report.	Adequately explained above.

We are independent of the Company in accordance with the Code of Ethics issued by the Institute of Chartered Accountants of India together with the ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements under the provisions of the Companies Act, 2013 and the Rules thereunder, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements and the Code of Ethics. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our adverse opinion on the Financial Statement for the year March 31, 2024.	
Emphasis of Matter 1. We draw to attention to Note No. 2(vi) of the Ind AS financial statements, wherein estimated useful life of the Helicopters was increased from 20 years as stated in Schedule II of the Companies Act, 2013 to 40 years for Dauphin fleet at Western Region, as suggested by internal technical committee leading to lower depreciation charge for the year with consequential impact on the loss for the year in the Ind AS financial statements. We have observed that in the past few years, Aircraft on ground (AOG) days, Levy of Liquidated damages by clients has increased, revenue flying hours has decreased, and non-availability of few avionics spares of Dauphin AS365N from the manufacturers/OEMs due to obsolescence, leading to long grounding of helicopters. Since it is a technical matter, we have relied on the assessment of the technical committee.	The estimated useful life of the helicopters has been assessed by the Internal Technical Committee. The lives of Bell & Airbus helicopters are indefinite. The Airbus helicopters have given an assurance to provide product support upto 30 to 40 years which has been the basis for giving the life as 30 to 40 years. In case of Mi-172 helicopters, the Russian Helicopters has provided a definite life of 30 years and any further enhancement will be based as life extension programmes provided by them. Globally the helicopters are deployed on the basis of Air worthiness certificate issued by the Regulatory Authority of the concerned country. Thus, the only criteria for determining useful life of a helicopter is the valid Airworthiness Certificate issued by DGCA (Regulatory Authority) with continued OEM spare support.
2. A) The company had entered into a contract with Oil and Natural Gas Corporation (ONGC) on 19th July, 2022 to provide charter hire of 3 Nos Dauphin 365N3 Production Task Helicopters and also entered into an agreement on 15th February, 2022 to provide charter hire of 2 Nos. of Sikorsky S76D crew change helicopters for offshore operation for carrying out ONGC's Operations in conformation to specifications as mentioned in the agreement at Western region. Further the Production Task Helicopters contract was renewed vide Contract No.	The said emphasis is a factual statement for FY 2023-24 and LD/deductions are as per contract with ONGC.

MUM / OFF LOGISTICS / MM/2022/PHTHLGRPA/1067720/ P76AL2204/90100357-5 dated for hiring of 2 Nos Production Task Helicopters and crew change helicopters contract was changed to Production Task Helicopters vide Contract No MUM/ OFFLOGISTICS /MW2022 / PRODUCN /1027876/P76AL22004/ for hiring of 3 Nos Production Task for offshore operations. The Region in consideration for the above services receives Fixed Monthly Charges and Flying Monthly Charges. In case the Region is not able to provide the helicopter to ONGC, fixed monthly charge shall not be payable to region for the period helicopter was not available. In addition, Liquidation Damages are required to be paid for full day of grounding at an amount equivalent to 5 % of fixed monthly charge and for half day of grounding at an amount equivalent to 2.5% (i.e., 50% of 5%) of fixed monthly charge. Amount of Rs. 844.84 lakhs (Previous year Rs. 113.36 lakhs) had been deducted during the year due to 200 non-operational days and has resulted into loss of Fixed Monthly Charges as well as Liquidation Damages which are deducted from the payments due. As cost of meeting obligations estimated under the contract exceeds its economic benefits expected to be received during the period of the contract, the contract is an onerous contract. (Refer Note No. 24 Helicopter Operational and Maintenance Expense)	
B) The company has not complied with the terms of the Agreement with respect to issue of invoices of Fixed Monthly Charges (FMC) and Flying Hourly Charges (FMC) and other admissible charges by 7th of every month with respect to the flying done during the preceding month. For Fixed Monthly Charges (FMC) and Flying Hourly Charges (FHC), the payment for the same shall be received within 21 Working Days from the receipt of Invoice which may impact company's cash flows.	In case of FMC, the invoices are raised in advance for the month. The Hourly charges invoices can be raised only after the receipt of signed flying manifest by both the parties. On receipt of the same, FHC invoices are raised on priority. There were instances where the bills were raised late, as in case of S76D and the same were addressed and at present the revenue invoices are raised immediately after the receipt of signed manifest. Efforts are being made to follow up with the party for early submission of Flying Manifest to raise invoices as per the terms of the agreement. Also, we are continuously following up with the customer coupled with the personal visits to the customer's offices for early and timely release of payments as per the agreement.

3. We draw attention to Note no. 32(XXVIII) forming part of the IndAS financial statements, the company is of the opinion that there are no dues as on March 31, 2024 to Micro, Small and Medium enterprises registered under the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006 for more than 45 days on the Balance Sheet Date. Confirmations were sought from the suppliers regarding applicability of provisions of 'The Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006' to them, but no response was received. The information w.r.t MSME dues has been provided based on the information available with the company.	Payments are made within the schedule as per terms of contract agreement. During tender process PHL asks prospective bidder the status of MSME along with relevant Certificate. Accordingly, on awarding of Work Order the payment are made to the suppliers as per applicable provisions of MSME Act.
4. As stated in Note No.32 (XIX) (a) forming part of Ind AS financial statements, based on Inter Office Memorandum from Vigilance Department Rf. No. PHL/CO/VIG/219 dated 12th August, 2014, the said (IOM) CVO (Chief Vigilance Officer) conducted enquiry and submitted the report to the management regarding financial irregularities at Lakshadweep amounting to Rs.129.20 lakhs The management identified supporting/ invoices/bills/credits payable to employees amounting to Rs. 40.09 lakhs & only the balance of Rs. 89.12 lakhs in view of the management is considered as loss & had been provided for in the financial statements of 2014-15. During the current financial year travelling bills received from the Lakshadweep Administration for the period April 2008 to March 2011. As informed by HR Dept. investigation has been conducted and action suggested has been acceded by the competent authority. The matter is further being dealt with by the company.	Adequately explained in Additional Notes to Accounts.
5. As stated in Note No.32 (II)(d) forming part of Ind AS financial statements the Western region has filed writ petition against the order dated 27th June, 2022 passed by RLCRLC (c) u/s 33C(I) of the ID Act issuing recovery certificate (RC) of an amount of Rs 580.75 lakhs with an interest of 10% p.a. and consequent attachment order dated 12th October, 2022 issued by collector, Mumbai suburban Dist. attaching the bank account of the region to the extent of amount mentioned above.	Adequately explained in Additional Notes to Accounts.

The Hon'ble Bombay High court vide its order dated 15th November, 2022 has directed that instead of freezing the bank account in its entirety, the Bank of Baroda could be directed to permit the petitioner (PHL) to operate the bank account by retaining an amount of Rs. 650.00 lakhs This has resulted in material impact on company's liquidity position.	
6. Reference is invited to Annexure B as well as paras relating to Basis of Adverse Opinion indicating various gaps in internal controls were noticed resulting in errors & omission across various functions / departments. Hence, internal audit needs to be strengthened and the scope should be enhanced to ensure in-depth verification of all functional departments specifically Fixed Assets Management, Inventory Management, Procurement Process, Cash & Bank Management, Accounting and Recoverability of Revenue, Statutory Compliances, Human Resources Management and Information Technology General Controls to make it commensurate with the size and nature of operations of the company.	The Company is in the process of strengthening Internal Audit Dept.
7. No provision of impairment has been made during the year as Western region management is of the opinion that there is no concrete hint for impairment of assets. However, as explained and as informed by the management in subsequent year i.e. FY 2024-2025 management will take independent report for impairment of assets.	No comments required.
8. Loans and Advances received (Liabilities) amounting to Rs. Nil (5.61 lakhs) which has resulted into overstatement of Liabilities and understatement of profit to the extent of Rs Nil (Rs. 5.61 lakhs) and Trade payable amounting to Rs. 41.60 lakhs (Rs. 25.15 lakhs) in the western region are outstanding for more than 3 years. Payments have not been made to the parties and no confirmations have been received.	The Company is in the process of reconciliation of the trade payable and will settle the accounts at the earliest. It will be paid/adjusted during subsequent financial year with proper supporting from the concerned departments.
9. The Trade receivables amounting to Rs. 3987.65 lakhs is outstanding for more than 3 years, out of this, provision for Rs. 3237.96 lakhs have been made at western region and details regarding provision made for debtors outstanding for more than 3 years is not available at Northern region. The balances have been carry forwarded since many years.	Appropriate provision as per IND AS requirement has been made in Books of Accounts. The Company is following up with customers for recovery of outstanding dues.

Report on Other Legal and Regulatory Requirements	
1. As required by the Companies (Auditor's Report) Order, 2020 ("the order"), issued by the Central Government of India in terms of sub section (11) of section 143 of the Companies Act, 2013, we give in the Annexure-A a statement on the matters specified in paragraphs 3 & 4 of the order, to the extent applicable.	No comments required.
2. As required by section 143(3) of the Act, we report that: a) We have not been able to obtain all the information and explanations, which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purposes of our audit;	All necessary information as desired by Auditors' was provided to them physically and also through emails wherever required.
b) <i>In view of the effect of matters described in the Basis of Adverse Opinion paragraph and paragraph 2(h)(vi) below on reporting under Rule 11(g) of the Companies (audit and Auditors) Rules 2014 (as amended) ("the Rules"), in our opinion proper books of account as required by law have not been kept by the Company so far as appears from our examination of those books.</i>	All necessary Books of Accounts are maintained by the company as per statutory norms and based on the records all past statutory auditors have done their audit and submitted their report.
c) The Balance Sheet, the Statement Profit and Loss, and the Cash Flow Statement Account dealt with by this report are in agreement with the books of account;	No Comments required.
d) <i>In our opinion, the Balance Sheet, Statement of Profit and Loss, Statement of Changes in Equity and Cash Flow Statement do not comply with Indian Accounting Standards ("Ind AS") as per the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 notified under Section 133 of the Companies Act, 2013.</i>	It is denied that the Balance Sheet, Statement of Profit and Loss, Statement of Changes in Equity and Cash Flow Statement do not comply with Indian Accounting Standards ("Ind AS") as per the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 notified under Section 133 of the Companies Act, 2013. It is submitted that there has been no such opinion in the past from earlier Statutory Auditors and C&AG..
e) <i>In our opinion the matter described in the "Basis for Adverse Opinion Paragraph" above may have an adverse effect on the functioning of the Company.</i>	Adequately explained above.
f) Requirement relating to declaration from directors under section 164 (2) is not applicable to the company in terms of exemption vide notification no. 1/2/2014-CL-V dt. 05th June 2015.	No Comments required.

g) With respect to the other matters to be included in the Auditor's Report in accordance with the requirements of section 197(16) of the Act, as amended are not applicable to government companies. As per notification no. GSR 463(E) date 5th June, 2015 issued by the Ministry of Corporate Affairs, Government of India, Section 197 is not applicable to the Government Companies.	No Comments required.
h) With respect to the adequacy of the internal financial controls over financial reporting of the Company and the operating effectiveness of such controls, refer to our separate report in "Annexure-B"; and	Adequately explained at Annexure - B
i) With respect to the other matters to be included in the Auditor's Report in accordance with Rule 11 of the Companies (Audit & Auditor's) Rules, 2014, In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us: i. The Company has adequately disclosed the impact of its pending litigations in Note no.32(XLII) to the financial statements. ii. The Company did not have any long-term contracts including derivative contracts for which there were any material foreseeable losses. iii. There were no amounts which were required to be transferred to the Investor Education and Protection Fund by the Company.	No Comments required.
iv. a) The Management has represented that, to the best of its knowledge and belief, as disclosed in note 32(XLII), no funds have been advanced or loaned or invested (either from borrowed funds or share premium or any other sources or kind of funds) by the Company to or in any other person or entity, including foreign entity ("Intermediaries"), with the understanding, whether recorded in writing or otherwise, that the Intermediary shall, whether, directly or indirectly lend or invest in other persons or entities identified in any manner whatsoever by or on behalf of the Company ("Ultimate Beneficiaries") or provide any guarantee, security or the like on behalf of the Ultimate Beneficiaries;	No Comments required.

(b) The Management has represented, that, to the best of its knowledge and belief, as disclosed in note 32(XLII), no funds have been received by the Company from any person or entity, including foreign entity (“Funding Parties”), with the understanding, whether recorded in writing or otherwise, that the Company shall, whether, directly or indirectly, lend or invest in other persons or entities identified in any manner whatsoever by or on behalf of the Funding Party (“Ultimate Beneficiaries”) or provide any guarantee, security or the like on behalf of the Ultimate Beneficiaries).	No Comments required.
c) Based on the audit procedures that have been considered reasonable and appropriate in the circumstances, nothing has come to our notice that has caused us to believe that the representations under sub-clause (a) and (b) contain any material misstatement.	No Comments required.
v. The Company has not declared or paid dividend during the year.	No Comments required.
vi. Based on our examination, which included test checks, the company had used accounting software i.e. IISP (TCS software) and D-Base 3 for maintaining its books of accounts and calculating depreciation respectively for the financial year ended March 31,2024. IISP Software has a feature of recording audit trail (edit log) facility and the same had operated throughout the year for all relevant transactions recorded in the software except that (a) Time stamps are not getting captured at the functional interface of Integrated Information System package (IISP) (b): No evidence was provided to verify audit trail for D-Base 3. Accordingly, we cannot comment on the integrity of data processed through this software. Further, during the course of audit, we did not come across any instance of audit trail feature being tampered with for IISP (TCS Software) for the period for which audit trail was enabled.	a) Time stamps are being captured, the actual posting date and time on the Voucher Report will be displayed. b) All fixed asset purchase bookings are captured in the ERP at the time of acquisition, which serves as the source of truth for asset details and additions. At year-end, these details are manually entered into a depreciation file in D-Base 3, where the depreciation calculation is processed outside the ERP. The complete history of past depreciation workings is available in the D-Base 3 files and any cross-verification of asset additions for previous years can be done directly in the ERP. This method has been consistently followed in past years and accepted in earlier audits. Both the source data in ERP and the processed results in D-Base 3 are complete, accessible and verifiable, ensuring a full audit trail and no loss of data integrity.

vii. As proviso to rule 3(1) of the Companies (Accounts) Rules, 2014 is applicable for the company with effect from April 1, 2023, reporting under Rule 11 (g) of Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014 on preservation of audit trail as per statutory requirements for record retention is not applicable for the financial year ended March 31, 2024.	No Comments required.
j) As required under section 143(5) of the Companies Act'2013 on directions and sub directions issued by CAG, we give our report on the matters specified in "Annexure III" enclosed.	No Comments required.

ANNEXURE- A TO THE INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

Auditors' Observations	Board's Reply
The Annexure referred to in Independent Auditors' Report to the members of the Company on the Financial Statements for the year ended 31 March 2024	
1. In respect of the Company's Property, Plant and Equipment and Intangible Assets:	
a. (A) The company has <i>not maintained</i> proper records showing full particulars including quantitative details and situation of Property, Plant & Equipment except for the corporate office (records not proper for northern & western region).	Proper records showing full particulars are maintained for property, plant & equipment. Based on this record, physical verification was done by independent agency in F Y 2020-21 during disinvestment process.
b. B) According to the information and explanations given to us, the corporate office of the Company has maintained proper records showing full particulars of intangible assets. However, in respect of the Northern Region, the Company has <i>not maintained</i> proper records showing full particulars of intangible assets. In respect of the Western Region, the Company does not have any intangible assets, and accordingly, the provisions of this sub-clause is not applicable to that region.	In case of Northern Region intangible assets are fully depreciated in earlier years.
c. As per the information and explanations given to us, the Company has a regular programme of physical verification of its Property, Plant and Equipment by which all Property, Plant and Equipment are verified in a phased manner over a period of 3 Years, which in our opinion is not reasonable, having regard to the size of the company and the nature of its business. In the absence of the relevant information, we are unable to comment on the material discrepancies, if any during the year. All the Property, Plant and Equipment of the Western Region of the company were not physically verified by the Management in the previous year in accordance with its planned programme. Further, Rotables and repairable of Gross value of Rs. 13,181.37 lakhs were sent for repairs and were lying with foreign OEMs as at the year end. The company was unable to obtain confirmation from the respective OEM for holding rotatables on behalf of the company.	Physical verification of fixed assets was done by independent agency in F Y 2020-21 and during the current financial year physical verification was conducted in Northern Region and Western Region. Reconciliation of physical verification report with assets register is in progress. Confirmation of stock lying abroad were sought from the repairing agencies. Few confirmations are received and for remaining follow-up is being made with repairing agencies.

The Physical verification conducted at Northern Region in the Financial Year 23-24 indicates difference of 586 items between Physical Verification of Property, Plant and Equipment and Books of accounts and the value for such difference cannot be quantified and thus the discrepancies have not been adequately adjusted in the books of accounts. In respect of the Corporate Office, physical verification has not been conducted during the previous year, with the last verification conducted in August 2020.																
d. The title deeds of Immovable properties, as disclosed in Note no.32(III)(b) on Property, Plant and Equipment in the Ind AS financial statements are held in the name of the company except for Building Residential (JHC) in Western Region whose title deeds are not held in the region's name as land is registered in the name of Airport Authority of India (AAI) and region had constructed 242 flats out of which 50 flats were given to AAI in lieu of lease rentals for the said land which are partially taken on lease for a period of 25 years. Further in respect of 6 MHADA flats as disclosed in Note no. 32(III) (b) of Property, Plant and Equipment the possession of the flats is lying with company but title deed of such flats is not registered in the name of company. Below are the details for such flats:	This is the statement of fact.															
<table><tr><th>Description of the Property</th><th>Gross Carrying Value</th><th>Held in the name of</th><th>Whether Promoter, Director or their Relative or Promoter</th><th>Period held (indicate Range)</th><th>Reason being not held in the name of company</th></tr><tr><td>Residential Flats</td><td>NA</td><td>MHADA</td><td>Not Applicable</td><td>1998 till date</td><td>Due to non-payment of Stamp Duty</td></tr></table>	Description of the Property	Gross Carrying Value	Held in the name of	Whether Promoter, Director or their Relative or Promoter	Period held (indicate Range)	Reason being not held in the name of company	Residential Flats	NA	MHADA	Not Applicable	1998 till date	Due to non-payment of Stamp Duty				
Description of the Property	Gross Carrying Value	Held in the name of	Whether Promoter, Director or their Relative or Promoter	Period held (indicate Range)	Reason being not held in the name of company											
Residential Flats	NA	MHADA	Not Applicable	1998 till date	Due to non-payment of Stamp Duty											
Further few residential flats whose share certificates are not held by the Western region are as under:																
<table><tr><th>Flat no</th><th>Located</th><th>Remark</th></tr><tr><td>Vrindavan Soc.</td><td>2-B-105, Kandiwali</td><td>No share certificate</td></tr><tr><td>Oshiwara Soc.</td><td>13-107, Malad</td><td>No share certificate</td></tr><tr><td>Oshiwara Soc.</td><td>13-702, Malad</td><td>No documents were provided</td></tr><tr><td>Oshiwara Soc.</td><td>23-401, Malad</td><td>No documents were provided</td></tr></table>	Flat no	Located	Remark	Vrindavan Soc.	2-B-105, Kandiwali	No share certificate	Oshiwara Soc.	13-107, Malad	No share certificate	Oshiwara Soc.	13-702, Malad	No documents were provided	Oshiwara Soc.	23-401, Malad	No documents were provided	
Flat no	Located	Remark														
Vrindavan Soc.	2-B-105, Kandiwali	No share certificate														
Oshiwara Soc.	13-107, Malad	No share certificate														
Oshiwara Soc.	13-702, Malad	No documents were provided														
Oshiwara Soc.	23-401, Malad	No documents were provided														

e. The Company has not revalued any of its Property, Plant and No Comments required. Equipment and intangible assets during the year.	No Comments required.
f. As per information and explanations provided and based on our verifications of records no proceedings have been initiated during the year or are pending against the Company as at March 31, 2024 for holding any Benami property under the Benami Transactions (Prohibition) Act, 1988 (as amended in 2016) and rules made thereunder	No Comments required.
2. a. According to the information and explanations given to us, in the Western and Northern regions, inventory has been physically verified by the management at reasonable intervals, excluding inventory lying with third parties and material in transit. However, in the Northern region, 12 excess inventory items amounting to Rs. 2.33 lakhs were identified during the physical verification as compared to the books of account. These discrepancies have not been appropriately dealt with in the books of account. In case of stock or stores and spares at the detachments, the Issuance are made from Mumbai and at the year and the closing stock of stores and spares at western region is recorded based on physical verification reports submitted by respective detachment. Also, proper internal control should be placed in inventory movement to eliminate any deviations between book quantity and actual quantity.	Physical verification of Inventory was conducted in F Y 2023-24 for all regions. Reconciliation of Physical Verification report with books of accounts is in progress. Shortage & Excess on physical verification is accounted for in Western Region.
b. The Company has not been sanctioned working capital limits in excess of INR 5 crore, in aggregate, at any points of time during the year, from banks or financial institutions on the basis of security of current assets and hence reporting under clause 3(ii)(b) of the Order is not applicable.	No Comments required.
3. In our opinion and according to the information and explanation given to us, the Company has not made investment in, provided any guarantee or security or granted any loans or advances in the nature of loans, secured or unsecured, to companies, firms, Limited Liability Partnerships or any other parties. Hence reporting under clause 3 (iii) of the Order is not applicable.	No Comments required.

4.	In our opinion and according to the information and explanations given to us, the Company has not given/made any loan, investment, guarantee and security and accordingly provisions of section 185 and 186 of the Act are not applicable.	No Comments required.
5.	According to the information and explanations given to us the company has not accepted deposits or amounts which are deemed to be deposits. Hence, reporting under clause 3(v) of the Order is not applicable.	No Comments required.
6.	According to the information and explanations given to us, the Central Government has not prescribed the maintenance of cost records under Section 148(1) of the Companies Act, 2013 for the products manufactured by it (and/or services provided by it). Accordingly, clause 3(vi) of the Order is not applicable.	No Comments required.
7.	a) According to the information and explanations given to us, the company is generally regular in depositing undisputed statutory dues including Goods and Services Tax, provident fund, income-tax, sales-tax, service tax, duty of customs, duty of excise, value added tax, cess and other material statutory dues applicable to it with the appropriate authorities though delay in some cases in deposit of TDS, Professional Tax, and Goods and Service Tax (most states in northern region) were noticed. During the year there were dues of Professional tax, Provident Fund, TDS and TDS on GST amounting to Rs. 0.29 (in lakhs), Rs. 48.43 (in lakhs), 0.30 (in lakhs) and 0.023 (in lakhs) respectively and in respect of TDS in arrears appearing on the income tax portal (Traces) Rs. 65.02 lakhs which is outstanding as on the last day of the financial year concerned for a period of more than six months from the date they became payable.	The Company is in process of reconciliation and revising of TDS Returns. Majority of TDS demands are more than 5 years range from 2008-09 to 2016-17. Regarding delay in depositing PF the same is adequately explained above. Rest professional tax, TDS on GST etc. will be deposited in due course after reconciliation.
	b) According to the information and explanations given to us, there are no dues of income tax, provident fund, employee's state insurance, sales tax, service tax, goods & services tax, value added tax, duty of customs, duty of excise and cess which have not been deposited by the company with the appropriate on account of any dispute as at march 31, 2024, other than those mentioned below:	The amounts have been considered under contingent liability in Additional Notes to Accounts No.32(II).

	Name of the Statute	Name of the dues	Amount (Rs. In Lakhs) *	Period to which the amount relates	Forum where dispute is pending
1	Finance Act, 1994	Service Tax	532.31 (71.21)	FY 2009-10	Appellate Tribunal, Mumbai
2	Finance Act, 1994	Service Tax	447.43	FY 2010-11	Appellate Tribunal, Mumbai
3	Finance Act, 1994	Service Tax	551.39	FY 2011-12	Appellate Tribunal, Mumbai
4	Finance Act, 1994	Service Tax	274.07 (50.51)	FY 2012-13	Appellate Tribunal, Mumbai
5	Finance Act, 1994	Service Tax	482.40 (43.00)	FY 2014-15	Appellate Tribunal, Mumbai
6	Finance Act, 1994	Service Tax	223.50 (20.07)	FY 2015-16	Appellate Tribunal, Mumbai
7	Finance Act, 1994	Service Tax	354.08 (33.29)	FY 2016-17	Appellate Tribunal, Mumbai
8	Finance Act, 1994	Service Tax	31.84 (2.69)	FY 2017-18	Appellate Tribunal, Mumbai
9	Finance Act, 1994	Penalty	182.20 (13.66)	FY 2009-13	Appellate Tribunal, Mumbai
10	Income Tax Act, 1961	Disallowance of expenses and Interest	4742 (5046.84)	FY 1999-00	ITAT, Delhi
11	Income Tax Act, 1961	Disallowance of expenses and Interest	2556 (3277.93)	FY 2000-01	ITAT, Delhi
12	Income Tax Act, 1961	Disallowance of expenses and Interest	131.37	FY 2019-20	CIT (Appeals), Delhi
13	Income Tax Act, 1961	Disallowance of expenses and Interest	628.71 (1254.09)	FY 2020-21	CIT (Appeals), Delhi
14	Central Goods and Services Tax Act, 2017	Interest and Penalty u/s 73(9)	12.10	FY 2017-18	State Tax Department, Noida, Uttar Pradesh
* Figure in brackets either represents amount deposited under protest or amount withheld by authorities from refund due to the Company.					
8.	As per the information and explanation given to us and based on our examination of the records of the Company, there were no transactions relating to previously unrecorded income that have been surrendered or disclosed as income during the year in the tax assessments under the Income Tax Act, 1961.				No Comments required.
9.	a. As per the information and explanation given to us and based on our examination of the records of the Company, the Company has not defaulted in repayment of loans or borrowing or payment of interest thereon to any lender during the year.				No Comments required.

b.	As per the information and explanation given to us, the Company has not been declared willful defaulter by any bank or financial institution or government or any government authority.	No Comments required.
c.	As per the information and explanation given to us, the Company has not taken any term loan so reporting on clause 3(ix) (c) of the Order is not applicable.	No Comments required.
d.	On an overall examination of the financial statements of the Company, funds raised on short term basis have, prima facie, not been used during the year for long-term purposes by the Company.	No Comments required.
e.	On an overall examination of the financial statements of the Company, the Company has not taken any funds from any entity or person on account of or to meet the obligations of its associates. The Company does not have any subsidiary and joint venture.	No Comments required.
f.	According to information and explanation given to us, The Company has not raised any loans during the year on the pledge of securities held in its security held in its securities, Joint ventures or associate companies and hence reporting on clause 3(ix)(f) of the Order is not applicable.	No Comments required.
10.	a. The Company did not raise any money by way of initial public offer or further public offer (including debt instruments) during the year. Hence reporting under clause 3(x) (a) of the order is not applicable.	No Comments required.
b.	According to the information and explanations given to us and on the basis of our examination of the records of the Company the Company has not made any preferential allotment or private placement of shares or fully or partly convertible debentures during the year. Accordingly, clause 3(x)(b) of the Order is not applicable.	No Comments required.
11.	a. According to the information and explanations given to us and based on our examination of the records of the Company, no fraud by the Company or on the Company has been noticed or reported during the course of our audit.	No Comments required.

b. According to the information and explanations given to us, no report under sub-section (12) of section 143 of the Companies Act has been filed in Form ADT-4 as prescribed under rule 13 of Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014 with the Central Government, during the year and upto the date of this report.	No Comments required.
c. As represented to us by the management, there are no whistle blower complaints received by the company during the year.	No Comments required.
12. In our opinion and according to the information and explanations given to us, the Company is not a Nidhi company. Hence reporting under clause (xii) of the Order is not applicable.	No Comments required.
13. According to the information and explanations given to us and based on our examination of the records of the Company, the Company is in compliance with Section 177 and 188 of the Companies Act, 2013 with respect to applicable transactions with the related parties and the details of related party transactions have been disclosed in the financial statements as required by the applicable Indian accounting standards.	No Comments required.
14. a) In our opinion the Company has an internal audit system however the coverage and effectiveness of audit needs improvement.	The Company is in the process of strengthening Internal Audit Dept.
b) We have considered, the internal audit reports for the year under audit, issued to the Company during the year and till date, in determining the nature, timing and extent of our audit procedures.	No Comments required.
15. According to the information and explanations given to us and based on our examination of the records of the Company, the Company has not entered into non-cash transactions with directors or persons connected with him. Hence reporting under clause (xv) of the Order is not applicable.	No Comments required.
16. a. In our opinion, the Company is not required to be registered under section 45-IA of the Reserve Bank of India Act, 1934. Hence, reporting under clause 3(xvi)(a), (b) and (c) of the Order is not applicable.	No Comments required.
b. In our opinion, there is no core investment company within the Group (as defined in the Core Investment Companies (Reserve Bank) Directions, 2016) and accordingly reporting under clause 3(xvi)(d) of the Order is not applicable.	No Comments required.

17. The Company has not incurred cash losses during the financial year covered by our audit and the immediately preceding financial year.	No Comments required.
18. There has been no resignation of the statutory auditors of the Company during the year.	No Comments required.
19. On the basis of the financial ratios, ageing and expected dates of realisation of financial assets and payment of financial liabilities, other information accompanying the financial statements and our knowledge of the Board of Directors and Management plans and based on our examination of the evidence supporting the assumptions, nothing has come to our attention, which causes us to believe that any material uncertainty exists as on the date of the audit report indicating that Company is not capable of meeting its liabilities existing at the date of balance sheet as and when they fall due within a period of one year from the balance sheet date. We, however, state that this is not an assurance as to the future viability of the Company. We further state that our reporting is based on the facts up to the date of the audit report and we neither give any guarantee nor any assurance that all liabilities falling due within a period of one year from the balance sheet date, will get discharged by the Company as and when they fall due.	No Comments required.
20. According to information and explanations given to us and based on our examination of the records of the Company, the provisions of Corporate Social Responsibility contained in Section 135 of Companies Act, 2013 are not applicable on the company subject to Note No. 32(XV) of the Ind AS Financial Statements.	No Comments required.
21. In our opinion and according to the information and explanations given to us, there are no separate qualifications or adverse remarks by the Western Region branch auditor in the Companies (Auditor's Report) Order, 2020 included in these Financial Statements. Qualification or Adverse Remark by the respective Auditor of Western Region in CARO Report has been incorporated/merged point wise in the main CARO Report along with Corporate Region and Northern region reporting respectively.	Adverse qualifications have been adequately explained wherever required.

ANNEXURE- B TO THE INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

Auditors' Observation	Board's Reply
<u>Report on the Internal Financial Controls under Clause (i) of Sub-section 3 of Section 143 of the Companies Act, 2013 ("the Act")</u>	
We were engaged to audit the internal financial controls over financial reporting of Pawan Hans Limited as of March 31, 2024 in conjunction with our audit of the financial statements of the Company for the year ended on that date.	
Disclaimer of Opinion The system of Internal Financial Controls over Financial Reporting with regard to the company were not made available to us to enable us to determine if the Company has established adequate internal financial control over financial reporting and whether such internal financial controls were operating effectively as on 31.3.24. Therefore, we are unable to obtain sufficient appropriate audit evidence to provide a basis for our opinion whether the company had adequate internal financial controls over financial reporting and whether such controls were operating effectively as at 31st March 2024. We have considered the disclaimer reported above in determining the nature, timing, and extent of audit tests applied in our audit of the financial statements of the Company, and the disclaimer has affected our opinion on the financial statements of the Company and we have issued a adverse opinion on the financial statements.	The Company already has a robust internal control environment supported by: • A well-defined Delegation of Authority Matrix, Purchase Manual, and HR Manual. • Compliance with DGCA rules and regulations, in addition to regular oversight through Internal Audit, Vigilance Reviews, CAG Audits, and Statutory audits under the Companies Act. • Effective systems of documentation, review and supervision of all transactions with controls operating at transaction, collation/aggregation and presentation/reporting levels. • Established control mechanisms in Fixed Asset Management, Procurement Process, Accounting for Revenue, Statutory Compliances, Treasury Management, Human Resource Management, and Information Technology. These frameworks ensure that internal controls are in place and functioning effectively. This is a documentation and presentation gap and does not indicate any material weakness in the internal control systems in the Company.

For and On Behalf of Board of Directors

Sd/-
Sanjeev Razdan
Chairman & Managing Director
DIN:08711596

Date: 21.08.2025
Place: Noida



Annexure-D

**SECRETARIAL AUDIT REPORT
FOR THE FINANCIAL YEAR ENDED 31 MARCH, 2024**

*[Pursuant to section 204(1) of the Companies Act, 2013 and rule 9 of the Companies
(Appointment and Remuneration of Managerial Personnel) Rules, 2014]*

**To
The Members,
Pawan Hans Limited**

We have conducted the secretarial audit of the compliance of applicable statutory provisions and the adherence to good corporate practices by **Pawan Hans Limited (CIN U62200UP1985GOI129953)** (hereinafter called the 'Company'). Secretarial Audit was conducted in a manner that provided us a reasonable basis for evaluating the corporate conducts/statutory compliances and expressing our opinion thereon.

- A. Based on our verification of the Company's books, papers, minute books, forms and returns filed and other records maintained by the company and also the information provided by the Company, its officers and authorized representatives during the conduct of secretarial audit, we hereby report that in our opinion, the company has, during the audit period covering the financial year ended on 31st March, 2024 ('Audit Period') complied with the statutory provisions listed hereunder and also that the Company has proper Board-processes and compliance-mechanism in place to the extent, in the manner and subject to the reporting made hereinafter:
- B. We have examined the books, papers, minute books, forms and returns filed and other records maintained by the Company for the financial year ended on 31st March, 2024 according to the provisions of:
- (i) The Companies Act, 2013 (the Act) and the rules made thereunder;
 - (ii) The Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 ('SCRA') and the rules made there under; **(Not Applicable to the Company during the Audit period);**
 - (iii) The Depositories Act, 1996 and the Regulations and Bye-laws framed there under, to the extent applicable to the Company;
 - (iv) Foreign Exchange Management Act, 1999 and the rules and regulations made there under to the extent of Foreign Direct Investment, Overseas Direct Investment and External Commercial Borrowings; **(Not Applicable to the Company during the Audit period);**
 - (v) The Regulations and Guidelines prescribed under the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 ('SEBI Act') **(Not Applicable to the Company during the Audit Period);**

- (vi) Guidelines on Corporate Governance for Central Public Sector Enterprises (CPSEs), 2010 issued by Department of Public Enterprises ('DPE Guidelines').
 - (vii) We further report that, having regards to the compliance system prevailing in the Company, on examination of the relevant documents and records in pursuance thereof, on test check basis, the Company has generally complied with the specifically applicable laws to the Company as identified by the Management, including the Aircraft Act, 1934 and the Aircraft Rules, 1937, etc., to the extent of their applicability to company.
- C. We have also examined compliance with the applicable clauses of the following:
- (i) Secretarial Standards with regard to Meetings of the Board of Directors (SS-1) and General Meetings (SS-2) issued by The Institute of Company Secretaries of India.
 - (ii) Listing Agreements entered into by the Company with Stock Exchange(s). **(Not applicable to the Company during the audit period).**
- D. During the period under review the Company has complied with the provisions of the Act, Rules, Regulations, Guidelines, Standards, etc. mentioned above subject to the following observations:
- (i) *Audited Financial Statements for the Financial year 2022-23, approved by the Board could not be laid at the 38th Annual General Meeting (AGM) of the Company held on 29.12.2023 (Extension for 3 months was obtained by the Company), as the C&AG comments were not received till then. Audited Financial Statements along with the comments of the C&AG were laid at the adjourned 38th AGM of the Company held on 23.07.2024 and were adopted by the shareholders.*
 - (ii) *As per Section 173(1) of the Act the interval between two consecutive Board Meetings shall not exceed 120 days. However, upon review of records of the Company, it was observed that the time gap between Board Meetings held on 17.05.2023 and 27.09.2023 exceeded the prescribed limit of 120 days.*
- (iii) *Related to the DPE Guidelines:*
- *Number of Nominee Directors appointed by the Government shall be restricted to a maximum of two. The composition of the Board was not in compliance of Clause 3.1.4 of the DPE Guidelines from 01.04.2023 to 15.06.2023 and from 17.08.2023 to 31.03.2024, according to which at least one-third of the Board Members should be Independent Directors.*
 - *Time gap between any two Board Meetings should not be more than three months. However, upon review of records of the Company, it was observed that the time gap between Board Meetings held on 18.01.2023 and 17.05.2023, 17.05.2023 and 27.09.2023, as well as between 07.11.2023 and 06.03.2024 exceeded the prescribed limit of three months.*
 - *The Board has not reviewed compliance report of all laws applicable to the Company pursuant to the DPE Guidelines.*



E. We further report that

- (i) The Board of Directors of the Company is duly constituted with proper balance of Executive Directors, Non-Executive Directors *except as mentioned in para D regarding appointment of Nominee Director(s) and Independent Directors on the Board of the Company*. The changes in the composition of the Board of Directors that took place during the period under review were carried out in compliance with the provisions of the Act.
- (ii) Adequate notice is given to all Directors to schedule the Board Meetings, agenda and detailed notes on agenda were generally sent at least seven days in advance, *however, in some cases Notice and agenda papers were sent with shorter notice with the consent of the Board* and a system exists for seeking and obtaining further information and clarifications on the agenda items before the meeting and for meaningful participation at the meeting.
- (iii) All decisions at Board Meetings and Committee Meetings are carried out by majority as recorded in the minutes of the meetings of the Board of Directors or Committee of the Board, as the case may be.

F. We further report that based on the information received and records maintained there are adequate systems and processes in the Company commensurate with the size and operations of the company to monitor and ensure compliance with applicable laws, rules, regulations and guidelines.

Note: This report is to be read with our letter of even date which is annexed as “**Annexure A**” and forms an integral part of this report.

For VAP & Associates
Company Secretaries
FRN: P2023UP098500
Peer Review No: 1083/2021

Sd/-
Parul Jain
Managing Partner
M. No. F8323
CP No. 13901
UDIN: F008323G000858031

Place: Ghaziabad
Date: 25.07.2025

**To,
The Members,
Pawan Hans Limited**

Our report of even date is to be read along with this letter.

1. Maintenance of secretarial record is the responsibility of the management of the Company. Our responsibility is to express an opinion on these secretarial records based on our audit.
2. We have followed the audit practices and processes as were appropriate to obtain reasonable assurance about the correctness of the contents of secretarial records. The verification was done on test basis to ensure that correct facts are reflected in secretarial record. We believe that the process and practices, we followed provide a reasonable basis for our opinion.
3. The compliance of the provisions of corporate and other applicable laws, rules, regulations, standards is the responsibility of management. Our examination was limited to the verification of procedures on test check basis.
4. Our Audit examination is restricted only upto legal compliances of the applicable laws to be done by the Company, we have not checked the practical aspects relating to the same.
5. We have not verified the correctness and appropriateness of financial records and Books of Accounts of the company as well as correctness of the values and figures reported in various disclosures and returns as required to be submitted by the Company under the specified laws, though we have relied to a certain extent on the information furnished in such returns.
6. The compliance by the Company of applicable financial laws such as direct and indirect tax laws has not been reviewed in this Audit since the same have been subject to review by statutory auditors and other designated professionals and the contents of this Report has to be read in conjunction with and not in isolation of the observations, if any, in the report(s) furnished/to be furnished by any other auditor(s)/agencies/authorities with respect to the Company.
7. Due to the inherent limitations of an audit including internal, financial, and operating controls, there is an unavoidable risk that some misstatements or material non compliances may not be detected, even though the audit is properly planned and performed in accordance with audit practices.
8. Wherever required, we have obtained the management representation about the compliance of laws, rules and regulations and happening of events, etc.
9. The Secretarial Audit Report is neither an assurance as to future viability of the Company nor of the efficacy or effectiveness with which the management has conducted the affairs of the Company.

**For VAP & Associates
Company Secretaries
FRN: P2023UP098500
Peer Review No: 1083/2021**

Sd/-
Parul Jain
M. No. F8323
CP No. 13901
UDIN: F008323G000858031

Place: Ghaziabad
Date: 25.07.2025



**Reply by the Board on observations made by the Secretarial Auditor in their
Audit Report for the Financial Year 2023-24**

Observation (i):

Audited Financial Statements for the Financial year 2022-23, approved by the Board could not be laid at the 38th Annual General Meeting (AGM) of the Company held on 29.12.2023 (Extension for 3 months was obtained by the Company), as the C&AG comments were not received till then. Audited Financial Statements along with the comments of the C&AG were laid at the adjourned 38th AGM of the Company held on 23.07.2024 and were adopted by the shareholders.

Reply to Observation (i) :

Noted for future compliance.

Observation (ii)

As per Section 173(1) of the Act the interval between two consecutive Board Meetings shall not exceed 120 days. However, upon review of records of the Company, it was observed that the time gap between Board Meetings held on 17.05.2023 and 27.09.2023 exceeded the prescribed limit of 120 days.

Reply to Observation (ii):

Noted for future compliance.

Observation (iii) related to the DPE Guidelines:

- a) Number of Nominee Directors appointed by the Government shall be restricted to a maximum of two. The composition of the Board was not in compliance with Clause 3.1.4 of the DPE Guidelines from 01.04.2023 to 15.06.2023 and from 17.08.2023 to 31.03.2024, according to which at least one-third of the Board Members should be Independent Directors.
- b) Time gap between any two Board Meetings should not be more than three months. However, upon review of records of the Company, it was observed that the time gap between Board Meetings held on 18.01.2023 and 17.05.2023, 17.05.2023 and 27.09.2023, as well as between 07.11.2023 and 06.03.2024 exceeded the prescribed limit of three months.
- c) The Board has not reviewed compliance report of all laws applicable to the Company pursuant to the DPE Guidelines.

Reply to Observation (iii) :

- (a) The Board of the Company is constituted by the Administrative Ministry i.e. the Ministry of Civil Aviation. Issue of proper composition of the Board of Directors as per DPE Guidelines has been taken up with the Ministry of Civil Aviation. Request letters dated 09.12.2024, 05.02.2025 and 15.05.2025 has also been sent for the follow up in this behalf.
- (b) Noted for future compliance.
- (c) Compliance Report of all laws applicable to the Company pursuant to the DPE Guidelines for the Financial Year 2023-24 has been noted by the Audit Committee in its 79th meeting held on 05.06.2024. With respect to Board's review it has been noted for future compliance.

For and on behalf of the Board of Directors

Sd/-

(Sanjeev Razdan)

Chairman & Managing Director

DIN: 08711596

Date: 21.08.2025

Place: Noida

ANNEXURE-‘E’ TO THE BOARD’S REPORT
FORM NO. AOC -2

(Pursuant to clause (h) of sub-section (3) of section 134 of the Act and Rule 8(2) of the Companies (Accounts) Rules, 2014.

Form for Disclosure of particulars of contracts/arrangements entered into by the company with related parties referred to in sub section (1) of section 188 of the Companies Act, 2013 including certain arms length transaction under third proviso thereto.

1. Details of contracts or arrangements or transactions not at Arm's length basis.

[illegible]

2. Details of contracts or arrangements or transactions at Arm's length basis.

Sl. No.	(a) Name(s) of the related party and nature of relationship	(b) Nature of contracts/ arrangements/ transactions	(c) Duration of the contracts/ arrangements/ transactions	(d) Salient terms of the contracts or arrangements/ transactions including of value if any	(e) Date(s) of approval by the Board, if any.	(f) Amount paid as advances, if any.
	Name	Relationship		Salient terms	Transaction value (Rs. In Lakhs)	
1	Oil & Natural Gas Corporation Ltd.	Associate	Revenue on account of helicopter services	For F.Y 2023-24	Contract through ICB	10910.64
2	Oil & Natural Gas Corporation Ltd.	Associate	Forex gain/(Loss) on providing services	For F.Y 2023-24	Actual	Nil
3	Oil & Natural Gas Corporation Ltd.	Associate	LD charges by ONGC	For F.Y 2023-24	Actual	844.84

For and on behalf of the Board of Directors

**Sd/-
(Sanjeev Razdan)
Chairman & Managing Director
DIN: 08711596**

Date: 21.08.2025
Place: Noida

**ANNUAL REPORT ON CSR ACTIVITIES TO BE
INCLUDED IN THE BOARD'S REPORT FOR FY 2023-24**

1. A brief outline of the Company's CSR policy, including overview of projects or programs proposed to be undertaken and a reference to the web-link to the CSR policy and projects or programs.

The Corporate Social Responsibility (CSR) and Sustainable Development (SD) Policy of your company was approved by the Board in its 158th Meeting held on 02nd May, 2017 which is in consonance with the CSR Policy framework enshrined in the section 135 of the Companies Act, 2013, the Companies (Corporate Social Responsibility Policy) Rules, 2014 notified by Ministry of Corporate Affairs, Government of India and Guidelines on Corporate Social Responsibility (CSR) and Sustainability for Central Public Sector Enterprises issued by Department of Public Enterprises, Government of India (DPE Guidelines, 2014).

It shall apply to all CSR Project/Programmes undertaken by PHL as per liberal interpretation of activities listed in Schedule-VII of the Companies Act, 2013 within the geographical limits of the India alone, preferably towards the benefits of marginalized, disadvantaged, poor and deprived sections of the community and the environment.

As per the policy, projects/programs are identified and budget is allocated for them through a process incorporating identification of suitable implementing agencies, need assessment and clear outlining of desired outcomes. The CSR projects/programs, which will, as far as possible, entail the following components:

- i. Need Based Assessment/Baseline survey/Study were considered necessary/ feasible;
- ii. Identification of specific and measurable objects/goals in identified sectors and geographies;
- iii. Formation of the project and preparation of Detailed Project Report (DPR);
- iv. Identification of time lines – clear specification of start date and end date;
- v. Specification of annual financial allocation;
- vi. Clear identification of beneficiaries (by name where possible)
- vii. Clear identification milestones for the complete duration of the Project/programme;
- viii. Preparation and signing of agreement with Implementation Agencies;
- ix. Preparation and implementation of a comprehensive and concurrent documentation procedure;
- x. Robust, periodic review & monitoring;
- xi. Mandatory Reporting

The focus areas and budget allocation for individual CSR Projects/Programmes/activities are made initially by the 1st level (Junior) and further proposed by 2nd level (Senior) Committee on CSR and SD, based on the proposals received from various Government Departments including PSUs and non-Government/Private agencies.

The website of PHL, www.pawanhans.co.in, has the link to the CSR and SD activities with reference to other documents such as Government Gazette notifications of 28.02.2014, 06.08.2014, 24.10.2014 and 23.05.2016, DPE O&M dated 21.10.2014, Ministry of Corporate Affairs General Circular No. 21/2014 dated 28.06.2014, 01/2016 dated 12.01.2016, 05/2016 dated 16.05.2016 and DPE OM No.CSR-08/002/2018-Dir(CSR) dated 10.12.2018.

2. The Composition of the CSR Committee

The CSR Committee of the Board of PHL comprises of following Members:

- i) Shri Asangba Chuba Ao, Joint Secretary, MoCA & Director, PHL- Chairman
- ii) Shri Padam Lal Negi, Joint Secretary and Financial Advisor, MoCA & Director, PHL- Member
- iii) Shri Prashant Singh, GGM-Head New Energy (Hydrogen & CCUS), ONGC & Director, PHL - Member

3. Average net profit of the company for last three financial years.

Average net profit of the Company during the last three financial years is negative as per details given hereunder:

	(Rupees in Lakhs)		
Particulars	2020-21	2021-22	2022-23
Profit/(Loss) as per Sec 198	(3317.07)	(1006.11)	(471.04)
Average net profit/(loss) u/s 135 for the last three years		(-) 1598.07 (4794.22 / 3)	

4. Prescribed CSR Expenditure (two per cent of the amount as in item 3 above).

No CSR expenditure has been prescribed for the financial year 2023-24 as average profit u/s 135 for the last three years is negative in view of status in table at point no.3 above.

5. Details of CSR spent during the financial year.

Due to negative average profit for the last three years, no amount was spent on CSR activities during the financial year 2023-24.

- (a) Total amount to be spent for the financial year – NIL
- (b) Amount unspent, if any – Not applicable.

6. In case the company has failed to spend the two per cent of the average net profit of the last three financial years or any part thereof, the company shall provide the reasons for not spending the amount in its Board report.

Not applicable as the Company was not required to spend any amount on CSR activities during the financial year 2023-24.

7. A responsibility statement of the CSR Committee that the implementation and monitoring of CSR policy, is in compliance with CSR objectives and policy of the company.

This is to certify that the implementation and monitoring of the CSR Policy in respect of all previous projects/programs is in compliance with CSR objectives and Policy of the Company.

Date: 21.08.2025
Place: Noida

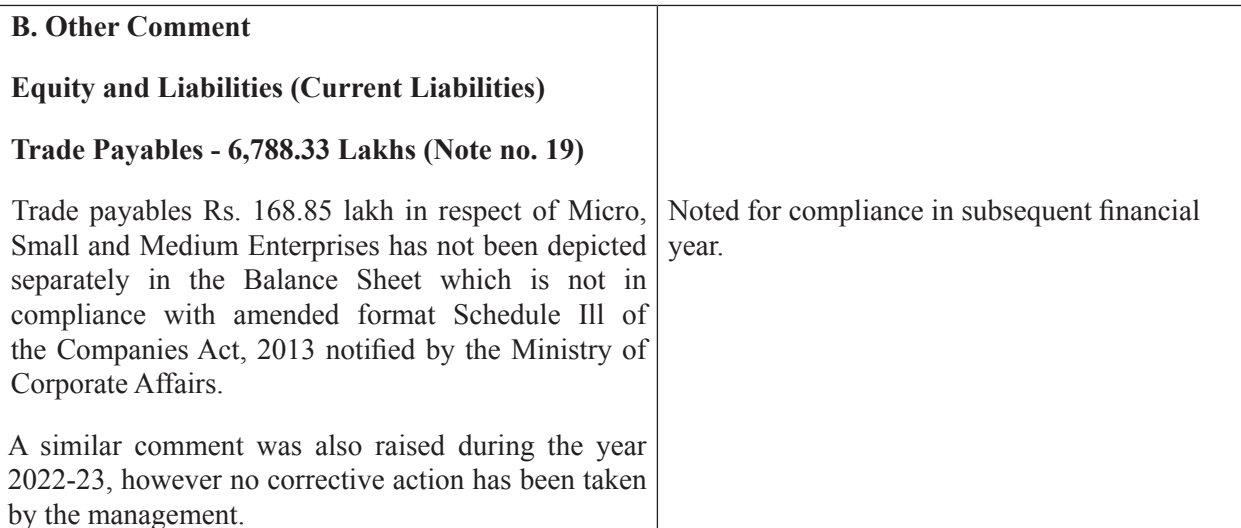
Sd/-
Sanjeev Razdan
(Chairman & Managing Director)
DIN:08711596

Sd/-
Asangba Chuba Ao
(Chairman CSR Committee)
DIN: 08086220

BOARD'S REPLIES TO THE COMMENTS OF THE COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA UNDER SECTION 143(6)(b) OF THE COMPANIES ACT, 2013 ON THE FINANCIAL STATEMENTS OF THE COMPANY FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 2024.

C&AG Comments	Board's Replies
A. Comments On Independent Auditors Report Basis for Adverse Opinion (i) Para 6 Inventory Para 21 of SA 720 states that if there is a material misstatement of the financial statements that relates to specific amounts in the financial statements (including quantitative disclosures in the notes to the financial statements), the auditor shall include in the Basis for Opinion section a description and quantification of the financial effects of the misstatement, unless impracticable. In this regard, Statutory auditor in the Basis for Adverse Opinion vide para 6 (b), Inventory, has stated that <i>"The company has provided us the stock ledger report which is generated from the software used for accounting purpose. However, during the scrutiny of the closing balance, it was observed that the closing balance as per the system generated ledger deviates from the closing balance reported in the financials statement (Excess in financial statement) at Northern Region. On verification the differences arising from opening balance amounting to Rs. 2028.70 Lakhs and current year inventory differences amount to Rs. 34.81 Lakhs, aggregating to a difference of Rs. 2063.51 Lakhs. As per information and explanation provided by the management Rs. 34.81 Lakhs is still under reconciliation for which no details have been provided and further the management was unable to furnish the traceability & stock ledger for the westland inventory which is the core reason for difference in inventory amounting to Rs.2028.70 Lakhs. This has resulted in overstatement of' asset & profit/reserve & surplus to the extent of Rs. 2063.51 lakhs."</i> The above, basis for adverse opinion may be seen in light of the following:	Comments from Statutory Auditors on CAG report have been received vide which they have reiterated their comments given in the Auditors' Report. Traceability with respect to provision for Westland Inventory was submitted through our mail dated 29th April 2025 to the Statutory Auditors in which details for original cost, impairment and provision for carrying amount was provided with GL code as per Trial Balance. The Inventory value of 2028.70 Lacs has been provisioned through GL 150510 - OBSOL. RESERVE-R/R WESTLAND of Rs. 1436.26 lacs (Credit) and balance provision through GL 270520 of Rs. 592.44 lacs during the financial year 1999-2000. No Movement has happened in respect of those ledgers. The matter has been adequately disclosed in Notes to Accounts of Northern Region and have no impact in FY 2023-24. The Comments of CAG are self-explanatory and supports the stand of the company on this issue.

a.) The issue with respect to westland inventory is a legacy issue and the same has been disclosed in detail in the financial statements of northern region which was provided by the management to the statutory auditor. From the said note it could be ascertained that the issue pertains to the year 1993, when Gol conveyed (18th January 1993) its decision regarding sale of the entire Westland fleet together with the related inventory through global tender. The note further states that the book value of Rs. 647 lakh of wetland inventory has been completely provided for. b.) Further, from the examination of the financial statements of Northern Region of PHL, it could be ascertained that management had created provision on account of impairment of value with respect to Westland inventories which were in the nature of rotatable / repairable, stores and spares and the net value of the westland inventories stood at Rs. 647 lakh as on March 2024. Hence, in view of the above disclosure in the Notes to accounts of Northern Region of PHL and the fact that provision for the westland inventory has been made in the financial statements, the impact given by the statutory auditor that the assets and profit/ reserve and surplus are overstated to the extent of Rs. 2063.51 lakh in the basis for adverse opinion para 6 (b), is deficient.	
(ii) Annexure III to the Independent Auditor's Report As per direction issued by the C&AG under section 143 (5), the statutory auditor is required to report in its independent auditor's report on "<i>Whether funds (grants/subsidy etc.) received/receivable for specific schemes from Central/State Government or its agencies were properly accounted for/utilized as per its term and conditions? List the cases of deviation.</i>" " The Statutory auditor while complying with the said direction reported that "<i>As per information and explanation given to us there are no funds received/ receivable for specific schemes form Central/ state agencies hence this clause is not applicable.</i>" However, during scrutiny of financial statement it was observed that the company has claimed VGF amounting under RCS-UDAN scheme of the Ministry of Civil aviation, Government of India during the year 2023-24. Thus, reporting of statutory auditor's that there is no funds received/receivable for specific schemes from central/state agencies and this clause is not applicable is not correct and is deficient to that extant.	During the Financial Year 2023-24 company has claimed VGF amount of ₹ 25.42 Cr. under RCS-UDAN scheme of the Ministry of Civil Aviation. All Revenue records including VGF Claims were submitted to the Auditors for their audit.

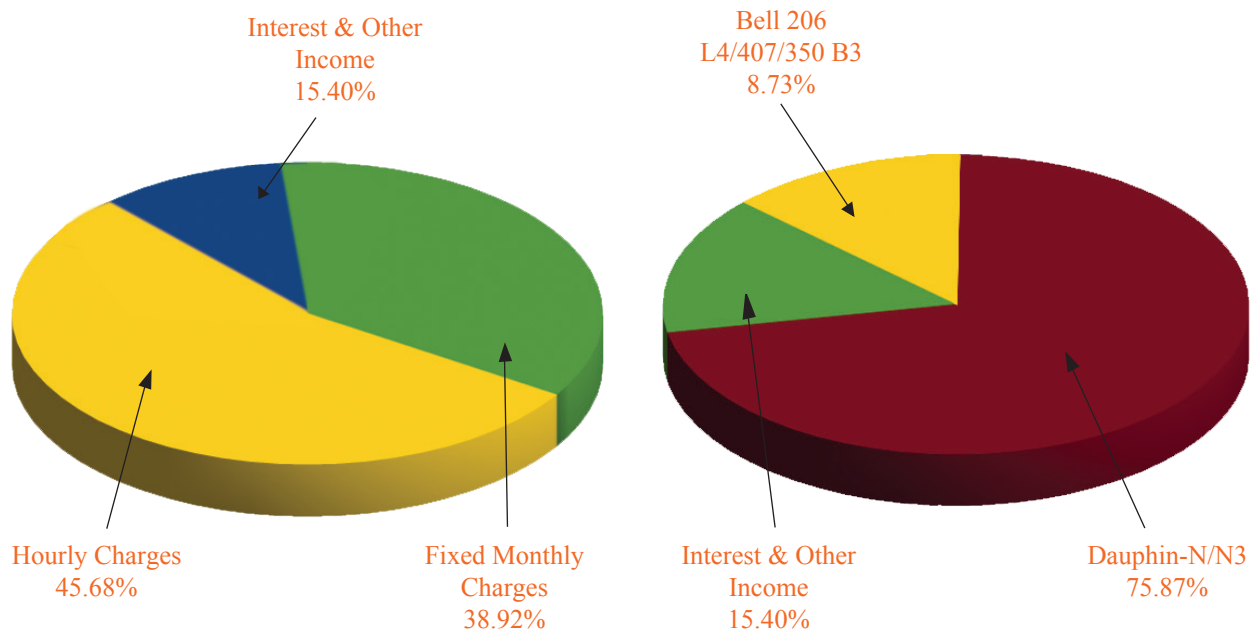


Sd/-
Sanjeev Razdan
Chairman & Managing Director
DIN:08711596

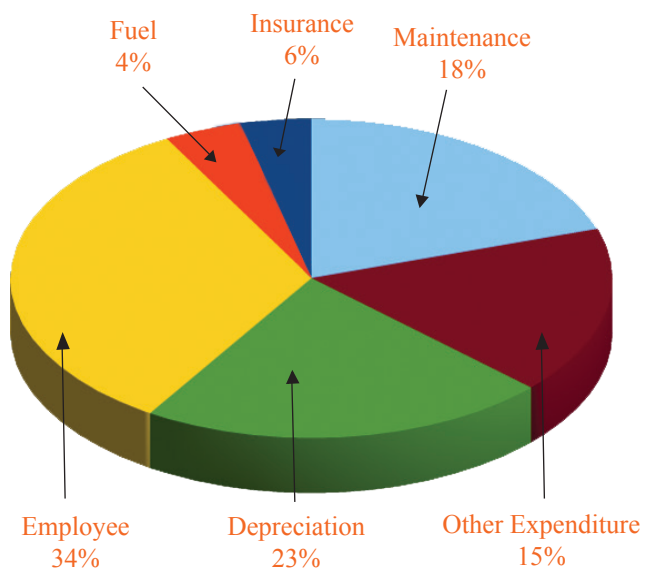
88

FINANCIAL HIGHLIGHTS For 2023-24

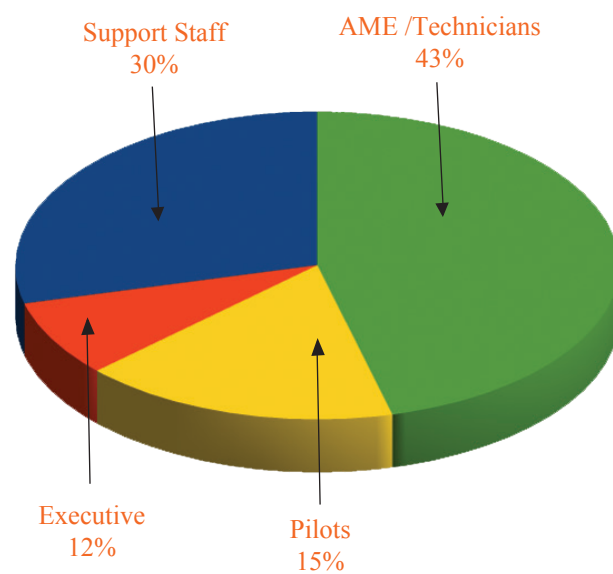
Source of Income



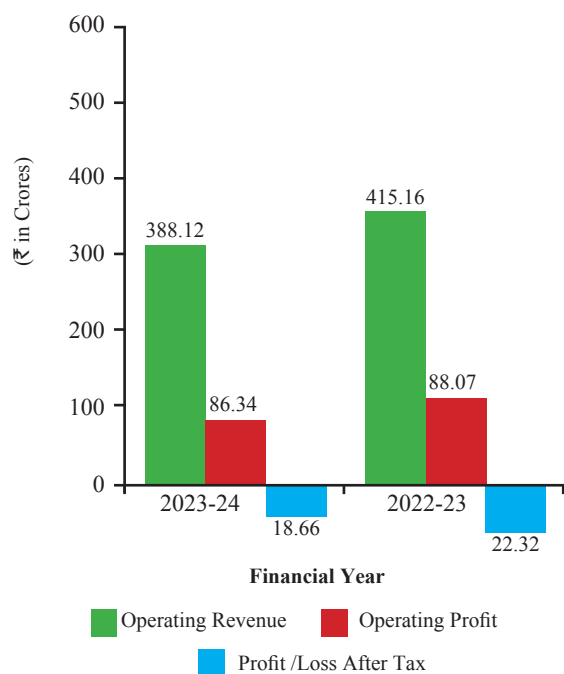
Cost Structure



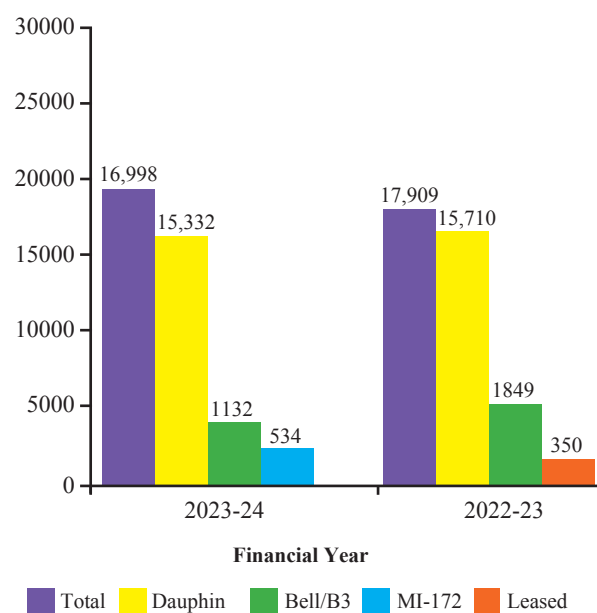
Manpower Profile



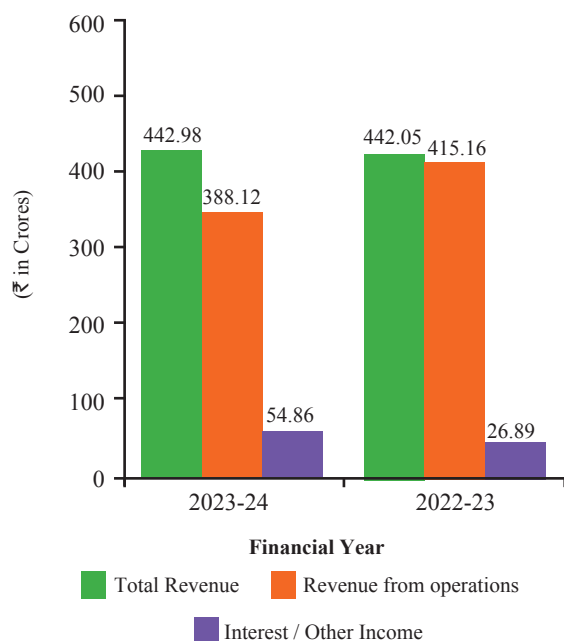
Revenue from Operations, Operating Profit and Net Profit



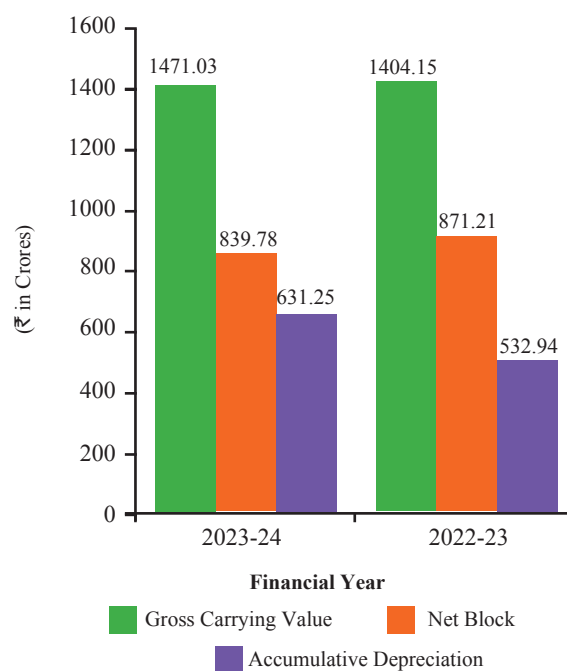
Revenue Flying Hours



Revenue



Property Plant and Equipment



Pawan Hans Limited

Audited Summarised Accounts 2019-20 to 2023-24

Rs./Lakhs

Particulars	Ratio	2023-24 (IndAs)	2022-23 (IndAs)	2021-22 (IndAs)	2020-21 (IndAs)	2019-20 (IndAs)
Resources						
Net Worth		88502.04	90255.39	97000.66	98865.92	101011.02
Non-Current Liabilities						
- Loan Funds- Secured Loans			-	-	67.60	853.10
- Other Long -term Liabilities		8749.91	11067.87	18164.21	755.89	873.72
- Long Term Provisions		4971.11	4695.52	4391.56	4302.90	3913.05
- Deferred Tax Liabilities		10257.59	10699.6	8933.98	8073.84	9329.72
Total		112480.65	116718.38	128490.41	112066.15	115980.61
Utilisation of Resources						
Fixed Asset		147102.68	140415.26	140550.92	114839.76	109512.59
Less: Depreciation		63124.93	53294.48	45707.8	38563.14	32861.08
Net Fixed Assets		83977.75	87120.78	94843.12	76276.62	76651.51
Capital Work in Progress		461.61	112.75	928.92	32.82	12.77
Long-Term Loans & Advances		38.49	54.66	93.08	100.83	121.43
Other Non-Current Assets		4963.83	7356.24	7076.54	6500.51	6717.09
Other Financial Assets		393.88	475.70	514.81	520.52	547.28
Net Working Capital		22645.1	21598.24	25033.94	28634.85	31930.53
		112480.66	116718.37	128490.41	112066.15	115980.61
Capital Employed		107084.46	108831.77	120805.98	104944.29	108594.81
Earnings						
Revenue from Operations		38812.40	41515.96	38512.77	37237.48	34593.16
Interest /Other income		5485.51	2688.76	2708.37	2881.32	3081.68
Total		44297.91	44204.72	41221.14	40118.80	37674.84
Outgoings						
Helicopter Operational & Maintenance Expenses		12944.08	14212.13	12395.07	13031.46	14872.99
Employee Benefits Expenses		15732.7	15758.19	15829.01	16748.39	18016.27
Financial Costs		836.83	803.8	545.38	195.69	284.60
Depreciation and Amortization Expenses		10373.91	9805.16	9338.07	6599.2	7261.69
Other Expenses		5797.5	4272.59	3541.32	5788.78	5615.61
Total		45685.02	44851.87	41648.85	42363.52	46051.16
Profit for the year before Extraordinary		(1,387.11)	(647.15)	(427.71)	(2,244.72)	(8,376.32)
Exceptional Items		-	-	-	-	-
Profit before tax		(1,387.11)	(647.15)	(427.71)	(2,244.72)	(8,376.32)
Prov.for Taxation		300	-	-	90.00	-
Less: MAT Credit Availed		-	-	-	-	-
Prov. For Tax Previous Yrs		67.17	-	-	-	191.21
Deferred Tax Liability		(498.60)	1,709.22	885.14	(1,074.26)	(7,721.26)
Other Comprehensive income		124.78	124.37	(55.13)	(400.53)	(506.73)
Profit/(Loss) from discontinued operation		-	-	(498.27)	(484.12)	(499.93)
Net profit after tax		(1,130.90)	(2,232.00)	(1,866.25)	(2,145.11)	(1,852.93)
Significant Ratios						
a) Net profit Ratio	Net Profit/(Loss) ----- Total Revenue	-2.91%	-5.38%	-4.85%	-5.76%	-5.36%
b) Return on Investment	Net Profit/(Loss) ----- Cap.Employed	-1.06%	-2.05%	-1.54%	-2.04%	-1.71%
Return on Net Worth	Net Profit/(Loss) ----- Net Worth	-1.28%	-2.47%	-1.92%	-2.17%	-1.83%
Debt Collection Pd.(months)	Operational debts ----- Avg monthly Op.Rev. Year & Inventory	5.76	4.69	5.98	5.58	5.71
Inventory Turnover (months)	----- Avg monthly Op.Rev. C.A.:C.L	1.65	1.59	1.94	1.59	1.77
Current Ratio	----- Debts/Equity	1.97	2.01	2.15	2.34	2.76
Debt Equity Ratio	----- Debts/Net Worth	-	-	-	0.00	0.02
		-	-	-	0.00	0.01



For Luthra & Luthra LLP
Chartered Accountants

Revised Independent Auditor's Report

To The Members of Pawan Hans Limited

Report on Audit of INDAS Financial Statements

This Revised Audit report supersedes our previous audit report dated 19th May 2025.

This revised audit report is issued to comply with the observations made by the Comptroller & Auditor General of India w.r.t certain inadvertent typographical errors noticed and to provide more clarification and information with respect to Standards on Auditing (SAs), specifically SA 700 to include a section as prescribed under para 28 of SA700 which has now been expressly done in this report.

Adverse Opinion

We have audited the accompanying INDAS financial statements of **Pawan Hans Limited**. ("the Company") which comprises the Balance Sheet as at March 31, 2024, the Statement of Profit and Loss, Statement of Changes in Equity and Cash Flow Statement for the year ended on that date, and notes to financial statements, including a summary of the significant accounting policies and other explanatory information (hereinafter referred to as the "financial statements").

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, because of the significance of the matter discussed in the Basis for Adverse Opinion para, the aforesaid financial statements do not give the information required by the Act in the manner so required and do not give a true and fair view in conformity with the accounting principles generally accepted in India, of the financial position of the company as at 31 March 2024, and its financial performance, and its cash flows for the year ended on that date.

Basis for Adverse Opinion

- 1) The audit was conducted by us on the basis of standard audit procedures and practices. The audit procedures were adopted on test check basis on sample transactions selected on the basis of materiality and other relevant considerations. During the conduct of audit complete information in respect of few aspects were not available to us neither proper information and explanation was provided to us by the management. In absence of same the audit was conducted on the basis of information / documents made available to us. Due to the inherent limitation in the audit in view of above there may be possibility of existence of more errors / omissions which cannot be all together ruled out. Specific point wise observations are listed in paras below.
- 2) Previous Statutory Auditor S.S. Periwal & Co., had stated in their statutory audit report about non-reliance on books of account of the company and given the adverse opinion on the Financial Statement of the company for the year ended 31.3.2023 in absence of relevant information and sufficient audit evidence. Company has not provided the rectification status of audit qualification no. 5,9,10A,10B,15C,16,17A,17B regarding unbilled revenue, delay in payment of GST liability, Advances and trade payables outstanding for long period, Debit balance in trade payable, insurance claim not in functional currency, inconsistency in revenue billing, inconsistency in foreign currency conversion respectively given by the previous statutory auditor of the company. In absence of information and sufficient audit evidence, we are unable to comment whether opening balances contain misstatements that materially affect the current period's financial statements.

- 3) **Difference in GST Balances-** The northern region has made under reporting of GST Liability amounting to **Rs. 375.69 Lakhs** in the returns filed during the Fin. year under Audit scope and also the northern region has claimed excess input of **Rs. 4.33 Lakhs** in the return filed during the F.Y. Further there are differences in Opening balance of input in Northern Region and Corporate office of **Rs. 720.33 Lakhs** and **Rs. 166.68 Lakhs** respectively (excess in books) as compared to Electronic Credit ledger balances. The company has made a provision of **Rs. 67.64 lakhs** against the same in corporate office books. Consequently, the closing balance of input in the books is overstated by **Rs. 819.36 Lakhs**. Out of the above difference, as explained by the company **Rs. 102.51 Lakhs** is related to the Lakshadweep case, where PHL received an advance of **Rs. 672 Lakhs** on 30-03-2019. Tax was paid on 16-04-2019, however later the transaction did not materialise due to termination of contract. Company had filed refund under Section 54 of the CGST Act, 2017 however, the refund was filed late on 28-02-2024 and the matter is under appeal with GST Appeal Noida. Further, no reconciliation/ explanation has been provided to us w.r.t balance difference. Also, Voluntary Payments debited in ECL to the tune of **Rs. 66.81 Lakhs** has not been recorded in books of accounts. This has resulted in overstatement of **Rs. 886.17 Lakhs** of asset and understatement of expense for the year/ reserves & surplus.
- 4) **Difference in GST Cash ledger Balance-** A mismatch was observed between the cash ledger balance as per the GST portal and the books of accounts, with the GST portal reflecting a balance of **Rs. 8.14 lakhs** while the books of accounts show a net balance of **Rs. 88.28 lakhs** resulting in mismatch amounting to **Rs. 80.14 lakhs**. This discrepancy arises after adjustments related to cheque in transit and the GST payable ledger, for which queries have already been raised, but no supporting information has been provided. As a result, the exact amount of the mismatch cannot be quantified. This has resulted into overstatement of asset and overstatement of income for the year /reserve & surplus amounting to **Rs. 80.14 lakhs**.
- 5) During the financial year 2023-2024, the company has received advances from customers amounting to Rs. 249.31 lakhs for rendering of charter flying services of model Sikorsky S76D, Dauphin AS 365 N3 & Dauphin SA 365N helicopters at Western Region. The company has not paid an output tax liability (CGST and SGST @9 % each) on such advances received amounting to **Rs. 44.88 lakhs** as required under Section 13 of Central Goods and Services Act, 2017. This could potentially result in levy or interest and other penal provisions of statutes for the non-compliance.
- 6) **Inventory**
- a) We were unable to observe the physical verification of inventory conducted by the management as at 31st March 2024, due to the late commencement of the statutory audit arising from the delayed receipt of the No Objection Certificate (NOC) from the previous statutory auditor. Accordingly, we were unable to obtain sufficient appropriate audit evidence regarding the existence and condition of inventory as at 31st March 2024. As a result, we are unable to determine whether any adjustments might have been necessary in respect of inventory and the related impact, if any, on the financial statements for the year then ended.
- b) The company has provided us the stock ledger report which is generated

- from the software used for accounting purpose. However, during the scrutiny of the closing balance, it was observed that the closing balance as per the system generated ledger deviates from the closing balance reported in the financial statement (Excess in financial statement) at Northern Region. On verification the differences arising from opening balance amounting to **Rs 2028.70 Lakhs** and current year inventory difference amount to **Rs. 34.81 Lakhs**, aggregating to a difference of **Rs 2063.51 Lakhs**. As per information and explanation provided by the management **Rs. 34.81 Lakhs** is still under reconciliation for which no details have been provided and further the management was unable to furnish the traceability & stock ledger for the westland inventory which is the core reason for difference in inventory amounting to **Rs. 2028.70 Lakhs**. This has resulted in overstatement of asset & profit/reserve & surplus to the extent of **Rs. 2063.51 lakhs**.
- c) As per the accounting policy of the company, the inventory of Avian Turbine Fuel is to be valued at cost (Basis of valuation - Weighted average method) or NRV whichever is lower. However, the company has valued the closing inventory amounting to **Rs. 16.54 lakhs** at closing rate in contravention to stated accounting policy. Due to the unavailability of necessary data, we were unable to quantify the resulting impact on the financial statements.
- d) The physical verification of inventory at the Northern Region was carried out by the management in March 2024. Upon review of the physical verification report, it was observed that 12 excess items were identified by the department amounting to **Rs. 2.33 Lakhs**, which deviated from the inventory quantities reported in the financial statements. Further, no accounting treatment for the excess items has been provided by the management. This has resulted into understatement of assets & profit/reserve & surplus to that extent.
- 7) **Fixed Assets/Depreciation**
- a) Company had in earlier years recognized a provision for WDV of fixed assets pertaining to the Westland assets amounting to **Rs. 869.33 lakhs** (Gross cost of **Rs. 6,011.82 lakhs**, accumulated depreciation **Rs. 5,142.48 lakhs** & written down value **Rs. 869.33 lakhs**). However, this amount could not be traced in the Fixed Assets Register of the company. Furthermore, the management was unable to provide the relevant WDV details supporting the said amount. Consequently, the accuracy and completeness of the opening balance of fixed assets cannot be relied upon. In addition, the company's inventory includes Gem Modules amounting to **Rs. 501.37 lakhs** for which the company had created provision amounting to **Rs. 501.37 lakhs** against Gem Modules in earlier years. However, no basis/supporting document/ clarification has been provided for the same. In absence of the same we cannot comment on the adequacy or otherwise of the value of inventory / provision created against the same.
- b) **Depreciation Not Provided** - The company had not charged depreciation on certain components of helicopters in the northern region where life of the component was still not over. No clarification / adjustment for the same has been made in the books of accounts for the same. This has resulted in understatement

- of expenses for the year/reserve & surplus and overstatement of Fixed Assets amounting to **Rs. 28.44 lakhs**.
- c) The Physical verification of fixed assets conducted at Northern Region in the Financial Year 23-24 highlighted difference (shortage) of **586 items** between Physical balance and balances as per Books of accounts and no corresponding correlation with the respective asset value of these shortages could be made by the management due to lack of information and thus the value for such difference cannot be quantified and necessary adjustment could not be made in the books of accounts. Further physical verification had not been conducted in the Financial Year 2023-24 at Corporate office and Western Region. The Property, Plant and Equipment of Corporate office was last physically verified in August 2020 even though 3 years has elapsed from the last verification, the physical verification has not been conducted in Financial Year 2023-24 as a result the availability of assets / the value of assets at which they are appearing and any discrepancies arising on verification cannot be commented upon.
- d) Several instances of mismatch in the depreciation on fixed assets amounting to **Rs. 5.23 lakhs** were noticed which has resulted in excess booking of depreciation in the books of accounts. The management has not provided with the justification or clarification for the differences identified nor any adjustment for the same has been made in the books of accounts. This has resulted in overstatement of accumulated depreciation and understatement of profit for the year / reserves & surplus to that extent.
- e) The company has disposed off fixed assets in the northern region amounting to **Rs. 11.11 lakhs** (Gross cost) during the FY 23-24. Also, the fixed assets that were sold through the MSTC portal have not been reflected in the fixed asset disposal working. For example, items such as chairs, sofa, fans, etc., were sold but were not included in the disposal calculations, indicating incomplete and inaccurate reporting of asset disposals. The amount of such disposal could not be identified and in absence of same we cannot comment on the correctness of the value of assets disposed off / balance fixed assets.
- f) The Company has reported disposal of fixed assets amounting to **Rs. 11.11 lakhs** during the FY 23-24. However, based on the information and documentation provided by management, these assets were actually sold in the FY 24-25. The disposal was recorded in the financial statements solely on the basis of the approval process initiated by management (FY 23-24), rather than the when the sale of fixed asset was materialized (FY 24-25). This premature recognition of disposal has resulted into overstatement of expenses and an understatement of fixed assets / reserve & surplus to the extent of **Rs. 11.06 Lakhs**.
- g) The Company has reported a sale of Car (Maruti SX4 794) Gross Value **Rs. 2.33 lakhs** WDV **Rs. 0.33 lakhs** in addition to other assets for consideration. No supporting documentation was provided to substantiate the approval of disposal of the said vehicle, whether as scrap or without consideration. In the absence of such evidence, we cannot comment the on the authenticity and

appropriateness / loss on sale of such car. This discrepancy has resulted into understatement of assets by **Rs. 2.33 lakhs**, understatement of accumulated depreciation /reserve & surplus by **Rs. 2.00 lakhs & Rs. 0.33 lakhs** respectively & overstatement of expenses for the year by **Rs. 0.33 lakhs**.

- h) The company has used carrying value on the date of transition i.e. April, 2015 as deemed cost of Property, Plant and Equipment. The Western region has considered embedded maintenance of **Rs. 40 lakhs** for each Dauphin N3 helicopter and **Rs. 60 lakhs** for each Dauphin N helicopter. Basis of such allocation could not be justified and hence, its impact on the Ind AS financial statements cannot be quantified.
- i) The company has revalued its fixed asset components as of April 1, 2015, for the purpose of transitional provisions and applicability of IND AS. However, it has been observed that the depreciation calculations performed by us, based on the number of months the assets were in use from the date of purchase do not align with the Written Down Value (WDV) figures provided by management. Moreover, no valuation report or supporting justification has been made available for the discrepancies. Upon our review, we identified significant variances which has resulted into understatement of assets and profit/ reserve & surplus to the extent of **Rs. 595.76 lakhs**
- j) With respect to component accounting for depreciation, the Western Region has considered zero flying hours as of the transition date (April 1, 2015) for all identified components except the Main Gear Box (MGB) and Engine,

despite these components being in use from the date of capitalization. As explained to us, the actual flying hours as of the transition date i.e., April 1, 2015 could not be determined, and consequently, the impact of this on the financial statements cannot be quantified.

- k) The intangible assets amounted to **Rs. 182.77 Lakhs** on which 100% depreciation has been charged at northern region. However, no traceability in the FAR has been provided by the management for the same.
 - l) The company has certain Rotables lying with foreign parties as at 31st March, 2024 amounting to **Rs. 13,181.37 Lakhs** (Net Balance). No confirmation has been provided for the same. Due to non- availability of confirmation of balances & limited information available to us, we are unable to quantify the impact, if any, arising from the confirmation of balances on the Ind AS financial statements.
- 8) **Cheques In Transit** - During the year, a sum of **Rs. 529.16 lakhs** was identified under the “Cheques in Transit” account which were appearing from earlier years and had remained unadjusted. The management undertook corrective measures to rectify these entries. While a significant portion of the discrepancies was addressed by reversing these transactions through bank account, which has affected the reconciliation of bank accounts. Management has explained that these entries originated in earlier financial years and were recorded without proper substantiating evidence. As of the reporting date, no reconciliation statements for the affected bank accounts have not been made available. Consequently, the accuracy and reliability

of these bank balances reflected in the books of accounts cannot be verified.

- 9) The company had recognized a provision of **Rs. 577.34 lakhs** for salary increments applicable to both executive and non-executive employees in earlier years, including contractual and regular staff, effective retrospectively from 2019. However, the Company was unable to provide the basis for provisioning of **Rs. 197.38 lakhs** out of above amount, and in absence of the same we cannot comment on the adequacy and appropriateness of the provision made.
- 10) The company has created a provision of **Rs. 7,242.21 lakhs** for doubtful trade receivables for the financial year 2023-24. However, based on the Expected Credit Loss (ECL) assessment conducted by the management through an independent third party, the required provision to be made amounted to **Rs. 7,261.60 lakhs**. This discrepancy has resulted in an understatement of the provision for doubtful debts & expenses and a corresponding overstatement of profit/ reserve & surplus by **Rs. 19.39 lakhs** which is continuing from the previous year. Further, the basis i.e. Provision matrix & policies on which the provision has been created in the books of accounts has not been provided by the management to verify the same.
- 11) The company has made a restatement in the financial statements for FY 2023-24 to correct prior material errors. However, certain prior period income which were identified remained unadjusted during the year amounting to **Rs. 207.35 Lakhs** which has resulted in overstatement of debtors and overstatement of profit of current year and understatement of previous year profit. Further, in the Northern region, an amount of **Rs. 211.66 lakhs** has been incorrectly classified under trade payables, specifically under the MSME category instead of classifying into respective correct heads. This misclassification affects the true and fair presentation of trade payables and may result in an understatement or overstatement of other liabilities.
- 12) The company has recognized Deferred Tax Liability (Net) amounting to **Rs. 10,257.59 lakhs** for the FY 2023-24. However, upon verification of the underlying calculations, it was observed that the company applied an incorrect tax rate to the provision for employee benefits. This error resulted in an overstatement of the deferred tax liability by **Rs. 121.45 lakhs**. Additionally, while calculating depreciation on income tax, an amount of **Rs. 4.67 lakhs** related to inventory sales has been erroneously included under the sale of fixed assets. Further, several fixed asset purchases of Northern region were inter-changeably misclassified under the “less than 180 days” and “more than 180 days” categories, leading to incorrect depreciation/tax calculation. Due to incorrect calculation, this has resulted into Overstatement of liability & expenses for the year and understatement of reserve & surplus amounting to that extent.
- 13) The company has created provision for Income Tax amounting to **Rs. 300.00 Lakhs** for the FY 23-24. However, upon verification of the underlying calculation, it was observed that the company has incorrectly taken amount of provision created as per actuarial for the FY 23-24 (**Rs. 203.79 Lakhs**) & Exchange fluctuation on capital assets (**Rs. 24.82 lakhs**) which has resulted into overstatement of provision for taxes / expenses and understatement of reserve & surplus by **Rs. 77.09 Lakhs**.
- 14) In respect of Trade Receivables, Trade Payables, Long-term and Short-term Liabilities, Other Current Liabilities, Long-term and Short-term Loans &

Advances, and Deposits, external confirmations of balances including demerged unit of Pawan Hans (i.e. Rohini Heliport amounting to Rs.184.01 lakhs) were not available for the financial year 2023–24. Though provisions are made based on expected credit loss method on the trade receivables however due to non-availability of confirmation of balances & limited information available to us, we are unable to quantify the impact, if any, arising from the confirmation of balances on the Ind AS financial statements.

- 15) There have been delays in 6 months in remitting provident fund contributions to the trust, leading to the levy of interest for the periods of delay. However, the corresponding interest liability amounting to **Rs. 48.43 lakhs** has not been accounted for in the Books of Account. This has resulted in understatement of liabilities and overstatement of profit for the year / reserves & surplus.
- 16) The party-wise reconciliation of TDS receivable for the current year, as recorded in the Books of Account is not reconciled with Form 26AS. As a result, there is a short booking of TDS amounting to **Rs. 4.60 lakhs** and an excess booking of TDS amounting to **Rs. 9.13 lakhs** in the books. This has resulted in overstatement of TDS receivable & understatement of Debtors balance by **Rs. 4.53 lakhs**. An accounting entry of Rs. 5.30 lakhs was passed in the books under the head “WR/NR – TDS” to account for TDS adjustments; however, this entry does not rectify the underlying party-wise balances. Consequently, the accuracy and reliability of TDS receivable and debtor balances in the financial statements remain impacted.
- 17) **Professional Tax** – Opening Debit balance w.r.t Professional tax is appearing in the books of accounts of Northern region amounting to **Rs. 1.32 lakhs**. No detail in regards to the same is available.

In absence of same we cannot comment on the correctness / recoverability of the said balance.

- 18) **Provident Fund Not Deducted** - It was observed that for some of the employees who left the organization, their F&F settlement amount is directly paid through bank without routing it through salary payable account due to which the management failed to deduct Provident fund for the employees who left the organization. The resignee list was provided by the management at the time of finalization of audit only and thus the same could not be verified. In view of same amount of PF not deducted cannot be quantified.
- 19) An amount of **Rs. 6.45 lakhs** is standing in the books of accounts of northern region in regards of amount payable to the employees who had left the organization. However, we have not been provided with the details of the amount outstanding. In absence of same, the authenticity or correctness of the amount cannot be commented upon.
- 20) An amount of **Rs. 4.66 lakhs** is standing as receivable from NTPC for which no details has been provided. As per the information provided by the management, all the contracts in relation to NTPC has been closed as of now and all payments/receivables has been settled still the balance is outstanding in the books of accounts for which no justification has been provided which has resulted into overstatement of assets and overstatement of income for the year/ reserve & surplus by **Rs. 4.66 lakhs**.
- 21) Revenue reconciliation has not been prepared in respect of RCS ticket sale by the management at Northern region. As per our verification and as per information and explanation provided to us, excess revenue has been booked amounting

to **Rs. 3.08 lakhs**. This has resulted in overstatement of revenue & profit/reserve & surplus for the year and overstatement of Bank balance by that amount.

- 22) The company for calculating lease liabilities and Right of Use Asset has not considered incremental borrowing rate. This accounting practice followed by the company is neither in accordance with the accounting policy nor in adherence to Ind AS 116 'leases'. Due to non-availability of information, we are unable to quantify the impact and further Northern Region has not accounted for the impact of the lease liability correctly, which has led to an understatement of the Right-of-Use (ROU) assets by **Rs. 0.66 lakhs**, overstatement of lease liabilities by **Rs. 1.22 lakhs** and provision for depreciation by **Rs. 0.77 lakhs** cumulatively amounting to **Rs. 2.64 lakhs**.
- 23) In financial statements, we noted an "Opening SOCE Adjustment" amounting to **Rs. 1.04 lakhs** in the previous financial year. However, no supporting documentation for this adjustment has been provided by the management. In the

absence of an adequate explanation or basis for this adjustment, we are unable to assess the appropriateness and accuracy of the adjustment recorded.

- 24) There has been non-compliance with Ind AS 37 – Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets in the western region, as no provision has been recognized for onerous contracts, despite indications that the cost of fulfilling contractual obligations exceeds the expected economic benefits during the term of the contract. Additionally, the Region lacks a defined system of cost centers and does not perform comparative analysis of actual versus budgeted revenue at the level of individual customer contracts. In the absence of such systems and assessments, the potential impact of onerous contracts and the related provision on the Ind AS financial statements cannot be quantified.
- 25) During our review of the financial statements, we have noted certain discrepancies under the following heads of the Balance Sheet (figures shown incorrectly).

In the financial year 2023-24

(Rs. In Lakhs)

Heading	Sub Heading	Sub-Sub Heading	Correct figures	Disclosed figures
Non - Current Assets	Loan	Loans to employees – Secured & Unsecured	52.49	38.49
Current Assets	Cash and Cash Equivalents	Cash on hand	6.52	6.60
Current Assets	Trade receivables	Allowance for Doubtful Debt / Expected Credit Losses	11,760.08	11,740.69
Non-Current Liabilities	Other financial liabilities	Lease Liabilities	8,729.82	8,735.63
Current Liabilities	Other financial liabilities	Lease Liabilities	2,797.36	2,791.53

In the financial year 2022-23

(Rs. In Lakhs)

Heading	Sub Heading	Sub-Sub Heading	Correct figures	Disclosed figures
Current Liabilities	Trade payables	Outstanding dues of micro & medium enterprises	104.66	316.33

In the financial year 2021-22

(Rs. In Lakhs)

Heading	Sub Heading	Sub-Sub Heading	Correct figures	Disclosed figures
Non-Current Assets	Capital work-in-progress	-	928.92	891.67
Current Liabilities	Provisions	Provision for Corporate Social Responsibility	202.4	193.37

- The bifurcation of Current & Non-Current balances under EMD & Security deposit has not been provided by the management.

26) The following are the discrepancies related to documents, which are essential for the review and verification of the **Notes to Accounts** forming part of the financial statements, which were **not provided** to us as of the date of review and certain **misstatement of figures** were noticed as mentioned herein below:

- In respect of note 32(ii) (d), Adequate supporting for Amount of Rs. 233.81 lakhs shown under Litigations is not provided to us to verify whether the same is correct.
- In respect of note 32(XIII), the details regarding business loss and unabsorbed depreciation transferred to Rohini Heliport Limited as per approved scheme of demerger has not been given.
- In respect of note 32(XVI), details regarding obligation towards operating lease has not been provided to us.
- In respect of note 32(XVII)(D), No explanation regarding the cash flow of Rs. 2658.38 lakhs for Lease Liabilities

of Current Year has been provided to us.

- In respect of note 32(XXI)(A) and (B), Details regarding Movement of Contract Assets and Liabilities is inconsistent with the information provided by the management, hence we are unable to comment upon the same.
- In respect of note 32(XXV)(b), details of independent directors, to whom director sitting fees have been awarded, have not been disclosed.
- In respect of note 32(XXV)(d), bifurcation of director sitting fees of Rs 2.7 Lakhs have not been shown separately from short term employment benefits.
- In respect of note 32(XXVIII), The dues to MSME for financial year 2022-23 of Rs. 316.33 Lakhs is not correct as in the northern region, the restatement of FY 2022-23 has been routed through Dues to MSME, without any explanation of the same.

- In respect of Note 32(XXXIII)(C)(ii), the details of Fair Value measurement using unobservable inputs has been mentioned by the Branch Auditor, however no disclosure is provided in the consolidated Financial Statements. Consequently, such shall be read as Rs. 947.19 Lakhs instead of Nil.
- In respect of note 32(XXXIII)(iii), we have not provided with the details of foreign currency assets and liabilities, consequently we are also unable to comment on the sensitivity analysis.

27) Quantification of above qualification

The effect of Cumulative impact of our observations mentioned in paragraphs 3,4,6(b),6(d),7(a),7(b),7(d),7(g),7(i),10,12,13,15,19,20,21,22 are: Loss of company for the year/ reserves & surplus is understated by **Rs. 2,317.93 lakhs**, Assets are overstated by an amount of **Rs. 2,453.86 lakhs** and Liabilities are overstated by an amount of **Rs. 135.93 lakhs**. Possible effect of matter described in other Paras are not ascertained by the management.

We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing (SAs) specified under section 143(10) of the Companies Act, 2013. Our responsibilities under those Standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements section of our report. We are independent of the Company in accordance with the Code of Ethics issued by the Institute of Chartered Accountants of India together with the ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements under the provisions of the Companies Act, 2013 and the Rules thereunder, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements and the Code of Ethics. We believe that the audit evidence we have

obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our adverse opinion on the Financial Statement for the year March 31, 2024.

Emphasis of Matter

1. We draw to attention to Note No. 2(vi) of the Ind AS financial statements, wherein estimated useful life of the Helicopters was increased from 20 years as stated in Schedule II of the Companies Act, 2013 to 40 years for Dauphin fleet at Western Region, as suggested by internal technical committee leading to lower depreciation charge for the year with consequential impact on the loss for the year in the Ind AS financial statements. We have observed that in the past few years, Aircraft on ground (AOG) days, Levy of Liquidated damages by clients has increased, revenue flying hours has decreased, and non-availability of few avionics spares of Dauphin AS365N from the manufacturers/OEMs due to obsolescence, leading to long grounding of helicopters. Since it is a technical matter, we have relied on the assessment of the technical committee.
2. A) The company had entered into a contract with Oil and Natural Gas Corporation (ONGC) on 19th July, 2022 to provide charter hire of 3 Nos Dauphin 365N3 Production Task Helicopters and also entered into an agreement on 15th February, 2022 to provide charter hire of 2 Nos. of Sikorsky S76D crew change helicopters for offshore operation for carrying out ONGC's Operations in conformation to specifications as mentioned in the agreement at Western region. Further the Production Task Helicopters contract was renewed vide Contract No. MUM/OFFLOGISTICS/MM/2022/PHTHLGRPA/1067720/P76AL2204/90100357-5 dated for hiring of 2 Nos Production Task Helicopters and crew change helicopters contract was

changed to Production Task Helicopters vide Contract No MUM/ OFF-LOGISTICS /MW2022 /PRODUCN /1027876/P76AL22004/ for hiring of 3 Nos Production Task for offshore operations. The Region in consideration for the above services receives Fixed Monthly Charges and Flying Monthly Charges. In case the Region is not able to provide the helicopter to ONGC, fixed monthly charge shall not be payable to region for the period helicopter was not available. In addition, Liquidation Damages are required to be paid for full day of grounding at an amount equivalent to 5 % of fixed monthly charge and for half day of grounding at an amount equivalent to 2.5% (i.e., 50% of 5%) of fixed monthly charge. Amount of Rs. 844.84 lakhs (Previous year Rs. 113.36 lakhs) had been deducted during the year due to 200 non-operational days and has resulted into loss of Fixed Monthly Charges as well as Liquidation Damages which are deducted from the payments due. As cost of meeting obligations estimated under the contract exceeds its economic benefits expected to be received during the period of the contract, the contract is an onerous contract. (Refer Note No. 24 Helicopter Operational and Maintenance Expense)

B) The company has not complied with the terms of the Agreement with respect to issue of invoices of Fixed Monthly Charges (FMC) and Flying Hourly Charges (FHC) and other admissible charges by 7th of every month with respect to the flying done during the preceding month. For Fixed Monthly Charges (FMC) and Flying Hourly Charges (FHC), the payment for the same shall be received within 21 Working Days from the receipt of Invoice which may impact company's cash flows.

3. We draw attention to Note no. 32(XXVIII) forming part of the Ind AS financial

statements, the company is of the opinion that there are no dues as on March 31, 2024 to Micro, Small and Medium enterprises registered under the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006 for more than 45 days on the Balance Sheet Date. Confirmations were sought from the suppliers regarding applicability of provisions of 'The Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006' to them, but no response was received. The information w.r.t MSME dues has been provided based on the information available with the company.

4. As stated in Note No.32 (XIX) (a) forming part of Ind AS financial statements, based on Inter Office Memorandum from Vigilance Department Rf. No. PHL/CO/VIG/219 dated 12th August, 2014, the said (IOM) CVO (Chief Vigilance Officer) conducted enquiry and submitted the report to the management regarding financial irregularities at Lakshadweep amounting to Rs.129.20 lakhs The management identified supporting/invoices/bills/credits payable to employees amounting to Rs. 40.09 lakhs & only the balance of Rs. 89.12 lakhs in view of the management is considered as loss & had been provided for in the financial statements of 2014-15. During the current financial year travelling bills received from the Lakshadweep Administration for the period April 2008 to March 2011. As informed by HR Dept. investigation has been conducted and action suggested has been acceded by the competent authority. The matter is further being dealt with by the company.
5. As stated in Note No.32 (II)(d) forming part of Ind AS financial statements the Western region has filed writ petition against the order dated 27th June, 2022 passed by RLCRLC (c) u/s 33C(I) of the ID Act issuing recovery certificate (RC) of an amount of Rs 580.75 lakhs with

an interest of 10% p.a. and consequent attachment order dated 12th October, 2022 issued by collector, Mumbai suburban Dist. attaching the bank account of the region to the extent of amount mentioned above. The Hon'ble Bombay High court vide its order dated 15th November, 2022 has directed that instead of freezing the bank account in its entirety, the Bank of Baroda could be directed to permit the petitioner (PHL) to operate the bank account by retaining an amount of Rs. 650.00 lakhs This has resulted in material impact on company's liquidity position.

6. Reference is invited to Annexure B as well as paras relating to Basis of Adverse Opinion indicating various gaps in internal controls were noticed resulting in errors & omission across various functions / departments. Hence, internal audit needs to be strengthened and the scope should be enhanced to ensure in-depth verification of all functional departments specifically Fixed Assets Management, Inventory Management, Procurement Process, Cash & Bank Management, Accounting and Recoverability of Revenue, Statutory Compliances, Human Resources Management and Information Technology General Controls to make it commensurate with the size and nature of operations of the company.
7. No provision of impairment has been made during the year as Western region management is of the opinion that there is no concrete hint for impairment of assets. However, as explained and as informed by the management in subsequent year i.e. FY 2024-2025 management will take independent report for impairment of assets.
8. Loans and Advances received (Liabilities) amounting to Rs. Nil (5.61 lakhs) which has resulted into overstatement of Liabilities and understatement of profit to the extent of Rs Nil (Rs. 5.61 lakhs) and

Trade payable amounting to Rs. 41.60 lakhs (Rs. 25.15 lakhs) in the western region are outstanding for more than 3 years. Payments have not been made to the parties and no confirmations have been received.

9. The Trade receivables amounting to Rs. 3987.65 lakhs is outstanding for more than 3 years, out of this, provision for Rs. 3237.96 lakhs have been made at western region and details regarding provision made for debtors outstanding for more than 3 years is not available at Northern region. The balances have been carry forwarded since many years.

Our opinion is not modified in respect of these matters.

Other Matters

We did not audit the financial statements of Western Region included in the financial statements of the company whose financial statements reflect total assets of Rs. 1,13,918.81 lakhs as at 31st March 2024 and total revenue of Rs. 28,225.61 lakhs for the year ended on that date, as considered in the IndAS financial statements. The financial statements of the western region have been audited by the branch auditor appointed by the Comptroller & Auditor General of India, whose report has been furnished to us. Our opinion in so far as it relates to the amounts and disclosures included in respect of western region, is based solely on the report of the branch auditor.

Information Other than the Financial Statements and Auditor's Report Thereon

The Company's Board of Directors is responsible for the other information. The other information comprises the directors report, but does not include the financial statements and our auditor's report thereon.

Our opinion on the financial statements does not cover the other information and we do not express any form of assurance conclusion thereon. In connection with our audit of the financial statements, our responsibility is to read the other information and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the financial statements or our knowledge obtained in the audit, or

otherwise appears to be materially misstated. If, based on the work we have performed on the other information obtained prior to the date of this auditor's report, we conclude that there is a material misstatement of this other information, we are required to report that fact. We have nothing to report in this regard.

Management's Responsibility for the Financial Statements

The Company's Board of Directors is responsible for the matters stated in section 134(5) of the Companies Act, 2013 ("The Act"), with respect to the preparation of these financial statements that give a true and fair view of the financial position, financial performance, and cash flows of the Company in accordance with the accounting principles generally accepted in India, including the Accounting Standards specified under section 133 of the Companies Act, 2013 ("the Act"). This responsibility includes maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Act for safeguarding of the assets of the Company and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate accounting policies; making judgments and estimates that are reasonable and prudent; and design, implementation and maintenance of adequate internal control, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to

the preparation and presentation of the financial statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the financial statements, management is responsible for assessing the Company's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Company or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so. Those Board of Directors are also responsible for overseeing the Company's financial reporting process.

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with SAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.

As part of an audit in accordance with SAs, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is

sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.

- Obtain an understanding of internal financial controls relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances.
- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.
- Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Company's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Company to cease to continue as a going concern.
- Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

Report on Other Legal and Regulatory Requirements

1. As required by the Companies (Auditor's Report) Order, 2020 ("the order"), issued by the Central Government of India in terms of sub section (11) of section 143 of the Companies Act, 2013, we give in the **Annexure-A** a statement on the matters specified in paragraphs 3 & 4 of the order, to the extent applicable.
2. As required by section 143(3) of the Act, we report that:
 - a) We have not been able to obtain all the information and explanations, which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purposes of our audit;
 - b) *In view of the effect of matters described in the Basis of Adverse Opinion paragraph and paragraph 2(h)(vi) below on reporting under Rule 11(g) of the Companies (audit and Auditors) Rules 2014 (as amended) ("the Rules"), in our opinion proper books of account as required by law have not been kept by the Company so far as appears from our examination of those books.*

- c) The Balance Sheet, the Statement Profit and Loss, and the Cash Flow Statement Account dealt with by this report are in agreement with the books of account;
- d) ***In our opinion, the Balance Sheet, Statement of Profit and Loss, Statement of Changes in Equity and Cash Flow Statement do not comply with Indian Accounting Standards (“Ind AS”) as per the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 notified under Section 133 of the Companies Act, 2013.***
- e) ***In our opinion the matter described in the “Basis for Adverse Opinion Paragraph” above may have an adverse effect on the functioning of the Company.***
- f) Requirement relating to declaration from directors under section 164 (2) is not applicable to the company in terms of exemption vide notification no. 1/2/2014-CL –V dt. 05th June 2015.
- g) With respect to the other matters to be included in the Auditor’s Report in accordance with the requirements of section 197(16) of the Act, as amended are not applicable to government companies. As per notification no. GSR 463(E) date 5th June, 2015 issued by the Ministry of Corporate Affairs, Government of India, Section 197 is not applicable to the Government Companies.
- h) With respect to the adequacy of the internal financial controls over financial reporting of the Company and the operating effectiveness of such controls, refer to our separate report in “Annexure-B”; and
- i) With respect to the other matters to be included in the Auditor’s Report in accordance with Rule 11 of the Companies (Audit & Auditor’s) Rules, 2014, In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us:
 - i. The Company has adequately disclosed the impact of its pending litigations in Note no.32(XLII) to the financial statements.
 - ii. The Company did not have any long-term contracts including derivative contracts for which there were any material foreseeable losses.
 - iii. There were no amounts which were required to be transferred to the Investor Education and Protection Fund by the Company.
 - iv. a) The Management has represented that, to the best of its knowledge and belief, as disclosed in note note 32(XLII), no funds have been advanced or loaned or invested (either from borrowed funds or share premium or any other sources or kind of funds) by the Company to or in any other person or entity, including foreign entity (“Intermediaries”), with the understanding, whether recorded in writing or otherwise, that the Intermediary shall, whether, directly or indirectly lend or invest in other persons or entities identified in any manner whatsoever by or on behalf of the Company (“Ultimate Beneficiaries”) or provide any guarantee, security or the like on behalf of the Ultimate Beneficiaries;
 - (b) The Management has represented, that, to the best of its knowledge and belief, as disclosed in note 32(XLII), no funds have been received by the Company from any person or entity, including foreign entity (“Funding Parties”), with the understanding, whether recorded in writing or otherwise, that the Company shall, whether, directly or indirectly, lend or invest in other persons or entities identified in any manner whatsoever by or on behalf of the Funding Party

- (“Ultimate Beneficiaries”) or provide any guarantee, security or the like on behalf of the Ultimate Beneficiaries).
- c) Based on the audit procedures that have been considered reasonable and appropriate in the circumstances, nothing has come to our notice that has caused us to believe that the representations under sub-clause (a) and (b) contain any material misstatement.
- v. The Company has not declared or paid dividend during the year.
- vi. Based on our examination, which included test checks, the company had used accounting software i.e. IISP (TCS software) and D-Base 3 for maintaining its books of accounts and calculating depreciation respectively for the financial year ended March 31, 2024. IISP Software has a feature of recording audit trail (edit log) facility and the same had operated throughout the year for all relevant transactions recorded in the software except that (a) Time stamps are not getting captured at the functional interface of Integrated Information System package (IISP) (b): No evidence was provided to verify audit trail for D-Base 3. Accordingly, we cannot comment on the integrity of data processed through this software.
- Further, during the course of audit, we did not come across any instance of audit trail feature being tampered with for IISP (TCS Software) for the period for which audit trail was enabled.
- vii. As proviso to rule 3(1) of the Companies (Accounts) Rules, 2014 is applicable for the company with effect from April 1, 2023, reporting under Rule 11 (g) of Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014 on preservation of audit trail as per statutory requirements for record retention is not applicable for the financial year ended March 31, 2024.
- j) As required under section 143(5) of the Companies Act 2013 on directions and sub directions issued by CAG, we give our report on the matters specified in “Annexure III” enclosed.

For Luthra & Luthra LLP
Chartered Accountants
F.R No 002081N/N500092

Sd/-
Nilesh Mehta
Partner
M. No. 093847

Place: New Delhi
Date: 23-06-2025
UDIN: 25093847BMMHWU6400

ANNEXURE- A TO THE INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

The Annexure referred to in Independent Auditors' Report to the members of the Company on the Financial Statements for the year ended 31 March 2024

1. In respect of the Company's Property, Plant and Equipment and Intangible Assets:
 - a. (A) The company has *not maintained* proper records showing full particulars including quantitative details and situation of Property, Plant & Equipment except for the corporate office (records not proper for northern & western region).
 - b. (B) According to the information and explanations given to us, the corporate office of the Company has maintained proper records showing full particulars of intangible assets. However, in respect of the Northern Region, the Company has *not maintained* proper records showing full particulars of intangible assets. In respect of the Western Region, the Company does not have any intangible assets, and accordingly, the provisions of this sub-clause is not applicable to that region.
 - c. As per the information and explanations given to us, the Company has a regular programme of physical verification of its Property, Plant and Equipment by which all Property, Plant and Equipment are verified in a phased manner over a period of 3 Years, which in our opinion is not reasonable, having regard to the size of the company and the nature of its business. In the absence of the relevant information, we are unable to comment on the material discrepancies, if any during the year. All the Property, Plant and Equipment of the Western Region of the company were not physically verified by the Management in the previous year in accordance with its planned programme.
- Further, Rotables and repairable of Gross value of Rs. 13,181.37 lakhs were sent for repairs and were lying with foreign OEMs as at the year end. The company was unable to obtain confirmation from the respective OEM for holding rotatables on behalf of the company. The Physical verification conducted at Northern Region in the Financial Year 23-24 indicates difference of 586 items between Physical Verification of Property, Plant and Equipment and Books of accounts and the value for such difference cannot be quantified and thus the discrepancies have not been adequately adjusted in the books of accounts. In respect of the Corporate Office, physical verification has not been conducted during the previous year, with the last verification conducted in August 2020.
- d. The title deeds of Immovable properties, as disclosed in Note no.32(III)(b) on Property, Plant and Equipment in the Ind AS financial statements are held in the name of the company except for Building Residential (JHC) in Western Region whose title deeds are not held in the region's name as land is registered in the name of Airport Authority of India (AAI) and region had constructed 242 flats out of which 50 flats were given to AAI in lieu of lease rentals for the said land which are partially taken on lease for a period of 25 years. Further in respect of 6 MHADA flats as disclosed in Note no. 32(III) (b) of Property, Plant and Equipment the possession of the flats is lying with company but title deed of such flats is not registered in the name of company. Below are the details for such flats:

Description of the Property	Gross Carrying Value	Held in the name of	Whether Promoter, Director or their Relative or Promoter	Period held (indicate Range)	Reason being not held in the name of company
Residential Flats	NA	MHADA	Not Applicable	1998 till date	Due to non-payment of Stamp Duty

Further few residential flats whose share certificates are not held by the Western region are as under:

Flat no	Located	Remark
Vrindavan Soc.	2-B-105, Kandiwali	No share certificate
Oshiwara Soc.	13-107, Malad	No share certificate
Oshiwara Soc.	13-702, Malad	No documents were provided
Oshiwara Soc.	23-401, Malad	No documents were provided

- e. The Company has not revalued any of its Property, Plant and Equipment and intangible assets during the year.
- f. As per information and explanations provided and based on our verifications of records no proceedings have been initiated during the year or are pending against the Company as at March 31, 2024 for holding any Benami property under the Benami Transactions (Prohibition) Act, 1988 (as amended in 2016) and rules made thereunder.
2.
 - a. According to the information and explanations given to us, in the Western and Northern regions, inventory has been physically verified by the management at reasonable intervals, excluding inventory lying with third parties and material in transit. However, in the Northern region, 12 excess inventory items amounting to Rs. 2.33 lakhs were identified during the physical verification as compared to the books of account. These discrepancies have not been appropriately dealt with in the books of account. In case of stock or stores and spares at the detachments, the Issuance are made from Mumbai and at the year and the closing stock of stores and spares at western region is recorded based on physical verification reports submitted by respective detachment. Also, proper internal control should be placed in inventory movement to eliminate any deviations between book quantity and actual quantity.
 - b. The Company has not been sanctioned working capital limits in excess of INR 5 crore, in aggregate, at any points of time during the year, from banks or financial institutions on the basis of security of current assets and hence reporting under clause 3(ii)(b) of the Order is not applicable.
3. In our opinion and according to the information and explanation given to us, the Company has not made investment in, provided any guarantee or security or granted any loans or advances in the nature of loans, secured or unsecured, to companies, firms, Limited Liability Partnerships or any other parties. Hence reporting under clause 3 (iii) of the Order is not applicable.
4. In our opinion and according to the information and explanations given to us, the Company has not given/made any loan, investment, guarantee and security and accordingly provisions of section 185 and 186 of the Act are not applicable.
5. According to the information and explanations given to us the company has not accepted deposits or amounts which are deemed to be deposits. Hence, reporting under clause 3(v) of the Order is not applicable.

6. According to the information and explanations given to us, the Central Government has not prescribed the maintenance of cost records under Section 148(1) of the Companies Act, 2013 for the products manufactured by it (and/or services provided by it). Accordingly, clause 3(vi) of the Order is not applicable.
7. a) According to the information and explanations given to us, the company is generally regular in depositing undisputed statutory dues including Goods and Services Tax, provident fund, income-tax, sales-tax, service tax, duty of customs, duty of excise, value added tax, cess and other material statutory dues applicable to it with the appropriate authorities though delay in some cases in deposit of TDS, Professional Tax, and Goods and Service Tax (most states in northern region) were noticed. During the year there were dues of Professional tax, Provident Fund, TDS and TDS on GST amounting to Rs. 0.29 (in lakhs), Rs. 48.43 (in lakhs), 0.30 (in lakhs) and 0.023 (in lakhs) respectively and in respect of TDS in arrears appearing on the income tax portal (Traces) Rs. 65.02 lakhs which is outstanding as on the last day of the financial year concerned for a period of more than six months from the date they became payable.
- b) According to the information and explanations given to us, there are no dues of income tax, provident fund, employee's state insurance, sales tax, service tax, goods & services tax, value added tax, duty of customs, duty of excise and cess which have not been deposited by the company with the appropriate on account of any dispute as at March 31, 2024, other than those mentioned below:

S. No.	Name of the Statute	Name of the dues	Amount (Rs. In Lakhs) *	Period to which the amount relates	Forum where dispute is pending
1	Finance Act, 1994	Service Tax	532.31 (71.21)	FY 2009-10	Appellate Tribunal, Mumbai
2	Finance Act, 1994	Service Tax	447.43	FY 2010-11	Appellate Tribunal, Mumbai
3	Finance Act, 1994	Service Tax	551.39	FY 2011-12	Appellate Tribunal, Mumbai
4	Finance Act, 1994	Service Tax	274.07 (50.51)	FY 2012-13	Appellate Tribunal, Mumbai
5	Finance Act, 1994	Service Tax	482.40 (43.00)	FY 2014-15	Appellate Tribunal, Mumbai
6	Finance Act, 1994	Service Tax	223.50 (20.07)	FY 2015-16	Appellate Tribunal, Mumbai
7	Finance Act, 1994	Service Tax	354.08 (33.29)	FY 2016-17	Appellate Tribunal, Mumbai
8	Finance Act, 1994	Service Tax	31.84 (2.69)	FY 2017-18	Appellate Tribunal, Mumbai
9	Finance Act, 1994	Penalty	182.20 (13.66)	FY 2009-13	Appellate Tribunal, Mumbai
10	Income Tax Act, 1961	Disallowance of expenses and Interest	4742 (5046.84)	FY 1999-00	ITAT, Delhi
11	Income Tax Act, 1961	Disallowance of expenses and Interest	2556 (3277.93)	FY 2000-01	ITAT, Delhi

12	Income Tax Act, 1961	Disallowance of expenses and Interest	131.37	FY 2019-20	CIT (Appeals), Delhi
13	Income Tax Act, 1961	Disallowance of expenses and Interest	628.71 (1254.09)	FY 2020-21	CIT (Appeals), Delhi
14	Central Goods and Services Tax Act, 2017	Interest and Penalty u/s 73(9)	12.10	FY 2017-18	State Tax Department, Noida, Uttar Pradesh

* Figure in brackets either represents amount deposited under protest or amount withheld by authorities from refund due to the Company.

8. As per the information and explanation given to us and based on our examination of the records of the Company, there were no transactions relating to previously unrecorded income that have been surrendered or disclosed as income during the year in the tax assessments under the Income Tax Act, 1961.
9.
 - a. As per the information and explanation given to us and based on our examination of the records of the Company, the Company has not defaulted in repayment of loans or borrowing or payment of interest thereon to any lender during the year.
 - b. As per the information and explanation given to us, the Company has not been declared willful defaulter by any bank or financial institution or government or any government authority.
 - c. As per the information and explanation given to us, the Company has not taken any term loan so reporting on clause 3(ix)(c) of the Order is not applicable.
 - d. On an overall examination of the financial statements of the Company, funds raised on short term basis have, prima facie, not been used during the year for long-term purposes by the Company.
 - e. On an overall examination of the financial statements of the Company, the Company has not taken any funds from any entity or person on account of or to meet the obligations of its associates. The Company does not have any subsidiary and joint venture.
 - f. According to information and explanation given to us, The Company has not raised any loans during the year on the pledge of securities held in its security held in its securities, Joint ventures or associate companies and hence reporting on clause 3(ix)(f) of the Order is not applicable.
10.
 - a. The Company did not raise any money by way of initial public offer or further public offer (including debt instruments) during the year. Hence reporting under clause 3(x) (a) of the order is not applicable.
 - b. According to the information and explanations given to us and on the basis of our examination of the records of the Company the Company has not made any preferential allotment or private placement of shares or fully or partly convertible debentures during the year. Accordingly, clause 3(x)(b) of the Order is not applicable.
11.
 - a. According to the information and explanations given to us and based on our examination of the records of the Company, no fraud by the Company or on the Company has been

noticed or reported during the course of our audit.

- b. According to the information and explanations given to us, no report under sub-section (12) of section 143 of the Companies Act has been filed in Form ADT-4 as prescribed under rule 13 of Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014 with the Central Government, during the year and upto the date of this report.
 - c. As represented to us by the management, there are no whistle blower complaints received by the company during the year.
12. In our opinion and according to the information and explanations given to us, the Company is not a Nidhi company. Hence reporting under clause (xii) of the Order is not applicable.
 13. According to the information and explanations given to us and based on our examination of the records of the Company, the Company is in compliance with Section 177 and 188 of the Companies Act, 2013 with respect to applicable transactions with the related parties and the details of related party transactions have been disclosed in the financial statements as required by the applicable Indian accounting standards.
 14. a) In our opinion the Company has an internal audit system however the coverage and effectiveness of audit needs improvement.
b) We have considered, the internal audit reports for the year under audit, issued to the Company during the year and till date, in determining the nature, timing and extent of our audit procedures.
 15. According to the information and explanations given to us and based on our examination of the records of the

Company, the Company has not entered into non-cash transactions with directors or persons connected with him. Hence reporting under clause (xv) of the Order is not applicable.

16. a. In our opinion, the Company is not required to be registered under section 45-IA of the Reserve Bank of India Act, 1934. Hence, reporting under clause 3(xvi)(a), (b) and (c) of the Order is not applicable.
b. In our opinion, there is no core investment company within the Group (as defined in the Core Investment Companies (Reserve Bank) Directions, 2016) and accordingly reporting under clause 3(xvi)(d) of the Order is not applicable.
17. The Company has not incurred cash losses during the financial year covered by our audit and the immediately preceding financial year.
18. There has been no resignation of the statutory auditors of the Company during the year.
19. On the basis of the financial ratios, ageing and expected dates of realisation of financial assets and payment of financial liabilities, other information accompanying the financial statements and our knowledge of the Board of Directors and Management plans and based on our examination of the evidence supporting the assumptions, nothing has come to our attention, which causes us to believe that any material uncertainty exists as on the date of the audit report indicating that Company is not capable of meeting its liabilities existing at the date of balance sheet as and when they fall due within a period of one year from the balance sheet date. We, however, state that this is not an assurance as to the future viability of the Company. We further state that our

reporting is based on the facts up to the date of the audit report and we neither give any guarantee nor any assurance that all liabilities falling due within a period of one year from the balance sheet date, will get discharged by the Company as and when they fall due.

20. According to information and explanations given to us and based on our examination of the records of the Company, the provisions of Corporate Social Responsibility contained in Section 135 of Companies Act, 2013 are not applicable on the company subject to Note No. 32(XV) of the Ind AS Financial Statements.
21. In our opinion and according to the information and explanations given to us, there are no separate qualifications or adverse remarks by the Western Region branch auditor in the Companies (Auditor's

Report) Order, 2020 included in these Financial Statements. Qualification or Adverse Remark by the respective Auditor of Western Region in CARO Report has been incorporated/merged point wise in the main CARO Report along with Corporate Region and Northern region reporting respectively.

For Luthra & Luthra LLP
Chartered Accountants
F.R No 002081N/N500092

Sd/-
Nilesh Mehta
Partner
M. No. 093847
Place: New Delhi
Date: 23-06-2025
UDIN: 25093847BMMHWU6400



ANNEXURE- B TO THE INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

Report on the Internal Financial Controls under Clause (i) of Sub-section 3 of Section 143 of the Companies Act, 2013 ("the Act")

We were engaged to audit the internal financial controls over financial reporting of **Pawan Hans Limited** as of March 31, 2024 in conjunction with our audit of the financial statements of the Company for the year ended on that date.

Management's Responsibility for Internal Financial Controls

The Board of Directors of the of the Company is responsible for establishing and maintaining internal financial controls based on the internal control over financial reporting criteria established by the Company considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI). These responsibilities include the design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls that were operating effectively for ensuring the orderly and efficient conduct of its business, including adherence to company's policies, the safeguarding of its assets, the prevention and detection of frauds and errors, the accuracy and completeness of the accounting records, and the timely preparation of reliable financial information, as required under the Companies Act, 2013.

Auditors' Responsibility

Our responsibility is to express an opinion on the Company's internal financial controls over financial reporting based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting (the "Guidance Note") and the Standards

on Auditing, issued by ICAI and deemed to be prescribed under section 143(10) of the Companies Act, 2013, to the extent applicable to an audit of internal financial controls, both applicable to an audit of Internal Financial Controls and, both issued by the Institute of Chartered Accountants of India.

Because of the matter described in Disclaimer of Opinion Paragraph below We were not able to obtain sufficient appropriate audit evidence to provide a basis for our audit opinion on the Company's internal financial controls system over financial reporting.

Meaning of Internal Financial Controls over Final Reporting:

A company's internal financial control over financial reporting is a process designed to provide reasonable assurance regarding the reliability of financial reporting and the preparation of financial statements for external purposes in accordance with generally accepted accounting principles. A company's internal financial control over financial reporting includes those policies and procedures that (1) pertain to the maintenance of records that, in reasonable detail, accurately and fairly reflect the transactions and dispositions of the assets of the company; (2) provide reasonable assurance that transactions are recorded as necessary to permit preparation of financial statements in accordance with generally accepted accounting principles, and that receipts and expenditures of the company are being made only in accordance with authorizations of management and directors of the company; and (3) provide reasonable assurance regarding prevention or timely detection of unauthorized acquisition, use, or disposition of the company's assets that could have a material effect on the financial statements.

Disclaimer of Opinion

The system of Internal Financial Controls over Financial Reporting with regard to the company were not made available to us to enable us to determine if the Company has established adequate internal financial control over financial reporting and whether such internal financial controls were operating effectively as on 31.3.24. Therefore, we are unable to obtain sufficient appropriate audit evidence to provide a basis for our opinion whether the company had adequate internal financial controls over financial reporting and whether such controls were operating effectively as at 31st March 2024.

We have considered the disclaimer reported above in determining the nature, timing, and extent of audit tests applied in our audit of the financial statements of the Company, and the disclaimer has affected our opinion on the financial statements of the Company and we have issued a adverse opinion on the financial statements.

For Luthra & Luthra LLP

Chartered Accountant
F.R No 002081N/N500092

Sd/-

Nilesh Mehta

Partner

M. No. 093847

Place: New Delhi

Date: 23-06-2025

UDIN: 25093847BMMHWU6400



“ANNEXURE III” TO THE INDEPENDENT AUDITOR’S REPORT – 31st MARCH, 2024

(Referred to in our report of even date)

“Annexure III” referred to in paragraph (3) under the heading ‘Report on Other Legal & Regulatory Requirement’ of our report of even date on the financial statements of Pawan Hans Limited for the year ended 31st March, 2024:

1.	Whether the company has system in place to process all the accounting transactions through IT system? If yes, the implications of processing of accounting transactions outside IT system on the integrity of the accounts along with the financial implications, if any, may be stated.	All the accounting transactions of the company are processed region-wise through centralized integrated IT systems. However, company has to merge financial data and Books of Account region wise manually for Preparation of Standalone/ Consolidated Balance sheet and reporting purposes, which may give the scope of human error, omission and commission during the consolidation of the Financial Statements. Trial Balance, GST, TDS and Ledger accounts of all regions are separately generated. Keeping in view the same there is no as such reporting, reconciliation, data analysis IT system in place though which financial reports can be generated on IT system. Manual working has been relied upon for consolidation/reporting and analysis for the purpose of Audit. However, we have relied upon the available IT and Manual System for conclusion of our audit observations. Financial Statements prepared in excel are not linked with the trial balance, figures in some columns are manually punched/entered in the excel sheets linking.
2.	Whether there is any restructuring of an existing loan or cases of waiver/write off of debts /loans/interest etc. made by a lender to the company due to the company’s inability to repay the loan? If yes, the financial impact may be stated. Whether such cases are properly accounted for? (In case, lender is a Government Company, then this direction is also applicable for Statutory auditor of lender company).	As per the information and explanations given to us by the management, there are no cases of waiver/ write off of debts/loans/interest made by a lender to the company due to its inability to repay the loan etc., hence this clause is not applicable.

3.	Whether funds (grants/subsidy etc.) received for specific schemes from central/ state Government or its agencies were properly accounted for/ utilized as per its term and conditions? List the cases of deviation	As per information and explanation given to us there are no funds received/receivable for specific schemes from Central/state agencies, hence this clause is not applicable.

For **Luthra & Luthra LLP**
Chartered Accountants
FRN: 002081N/N500092

Sd/-
Nilesh Mehta
Partner
Membership No. 093847

Place: New Delhi
Date: 23-06-2025
UDIN: 25093847BMMHWU6400



For Luthra & Luthra LLP
Chartered Accountants

Independent Auditor's Report

To the Members
Pawan Hans Limited.

Report on audit of IN DAS Financial Statements

Adverse Opinion

We have audited the accompanying IN DAS financial statements of Pawan Hans Limited. ("the Company") which comprises the Balance Sheet as at March 31, 2024, the Statement of Profit and Loss, Statement of Changes in Equity and Cash Flow Statement for the year ended on that date, and notes to financial statements, including a summary of the significant accounting policies and other explanatory information (hereinafter referred to as the "financial statements").

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, because of the significance of the matter discussed in the Basis for Adverse Opinion para, the aforesaid financial statements do not give the information required by the Act in the manner so required and do not give a true and fair view in conformity with the accounting principles generally accepted in India, of the financial position of the company as at 31 March 2024, and its financial performance, and its cash flows for the year ended on that date.

Basis for Adverse Opinion

1) The audit was conducted by us on the basis of standard audit procedures and practices. The audit procedures were adopted on test check basis on sample transactions selected on the basis of materiality and other relevant considerations. During the conduct of audit complete information in respect of few aspects were not available to us neither proper information and explanation was provided to us by the management. In absence of same the audit

was conducted on the basis of information / documents made available to us. Due to the inherent limitation in the audit in view of above there may be possibility of existence of more errors / omissions which cannot be all together ruled out. Specific point wise observations are listed in paras below.

- 2) Previous Statutory Auditor S.S. Periwal & Co., had stated in their statutory audit report about non Sreliance on books of account of the company and given the adverse opinion on the Financial Statement of the company for the year ended 31.3.2023 in absence of relevant information and sufficient audit evidence. Company has not provided the rectification status of audit qualification no. 5,9,10A,10B,15C,16,17A,17B regarding unbilled revenue, delay in payment of GST liability, Advances and trade payables outstanding for long period, Debit balance in trade payable, insurance claim not in functional currency, inconsistency in revenue billing, inconsistency in foreign currency conversion respectively given by the previous statutory auditor of the company. In absence of information and sufficient audit evidence, we are unable to comment whether opening balances contain misstatements that materially affect the current period's financial statements.
- 3) **Difference in GST Balances-** The northern region has made under reporting of GST Liability amounting to Rs. 375.69 Lakhs in the returns filed during the Fin. year under Audit scope and also the northern region has claimed excess input of Rs. 4.33 Lakhs in the return filed during the F.Y. Further there are differences in Opening balance of input in Northern

Region and Corporate office of Rs. 720.33 Lakhs and Rs. 166.68 Lakhs respectively (excess in books) as compared to Electronic Credit ledger balances. The company has made a provision of Rs. 67.64 lakhs against the same in corporate office books. Consequently, the closing balance of input in the books is overstated by Rs. 819.36 Lakhs. Out of the above difference, as explained by the company Rs. 102.51 Lakhs is related to the Lakshadweep case, where PHL received an advance of Rs. 672 Lakhs on 30-03-2019. Tax was paid on 16-04-2019, however later the transaction did not materialise due to termination of contract. Company had filed refund under Section 54 of the CGST Act, 2017 however, the refund was filed late on 28-02-2024 and the matter is under appeal with GST Appeal Noida. Further, no reconciliation/ explanation has been provided to us w.r.t balance difference. Also, Voluntary Payments debited in ECL to the tune of Rs. 66.81 Lakhs has not been recorded in books of accounts. This has resulted in overstatement of Rs. 886.17 Lakhs of asset and understatement of expense for the year/ reserves & surplus.

- 4) **Difference in GST Cash ledger Balance-**
A mismatch was observed between the cash ledger balance as per the GST portal and the books of accounts, with the GST portal reflecting a balance of Rs. 8.14 lakhs while the books of accounts show a net balance of Rs. 88.28 lakhs resulting in mismatch amounting to Rs. 80.14 lakhs. This discrepancy arises after adjustments related to cheque in transit and the GST payable ledger, for which queries have already been raised, but no supporting information has been provided. As a result, the exact amount of the mismatch cannot be quantified. This has resulted into overstatement of asset and overstatement of income for the year /reserve & surplus amounting to Rs. 80.14 lakhs.

- 5) During the financial year 2023-2024, the company has received advances from customers amounting to Rs. 249.31 lakhs for rendering of charter flying services of model Sikorsky S76D, Dauphin AS 365 N3 & Dauphin SA 365N helicopters at Western Region. The company has not paid an output tax liability (CGST and SGST @9 % each) on such advances received amounting to Rs. 44.88 lakhs as required under Section 13 of Central Goods and Services Act, 2017. This could potentially result in levy or interest and other penal provisions of statutes for the non-compliance.

6) **Inventory**

- a) We were unable to observe the physical verification of inventory conducted by the management as at 31st March 2024, due to the late commencement of the statutory audit arising from the delayed receipt of the No Objection Certificate (NOC) from the previous statutory auditor. Accordingly, we were unable to obtain sufficient appropriate audit evidence regarding the existence and condition of inventory as at 31st March 2024. As a result, we are unable to determine whether any adjustments might have been necessary in respect of inventory and the related impact, if any, on the financial statements for the year then ended.
- b) The company has provided us the stock ledger report which is generated from the software used for accounting purpose. However, during the scrutiny of the closing balance, it was observed that the closing balance as per the system generated ledger deviates from the closing balance reported in the financials statement (Excess in financial statement) at Northern Region. On verification the differences arising from opening balance amounting to Rs 2028.70 Lakhs and current year inventory difference amount to Rs. 34.81 Lakhs, aggregating to a difference of Rs 2063.51

Lakhs. As per information and explanation provided by the management Rs. 34.81 Lakhs is still under reconciliation for which no details have been provided and further the management was unable to furnish the traceability & stock ledger for the westland inventory which is the core reason for difference in inventory amounting to Rs. 2028.70 Lakhs. This has resulted in overstatement of asset & profit/reserve & surplus to the extent of Rs. 2063.51 lakhs.

- c) As per the accounting policy of the company, the inventory of Avian Turbine Fuel is to be valued at cost (Basis of valuation - Weighted average method) or NRV whichever is lower. However, the company has valued the closing inventory amounting to Rs. 16.54 lakhs at closing rate in contravention to stated accounting policy. Due to the unavailability of necessary data we were unable to quantify the resulting impact on the financial statements.
- d) The physical verification of inventory at the Northern Region was carried out by the management in March 2024. Upon review of the physical verification report, it was observed that 12 excess items were identified by the department amounting to Rs. 2.33 Lakhs, which deviated from the inventory quantities reported in the financial statements. Further, no accounting treatment for the excess items has been provided by the management. This has resulted into understatement of assets & profit/reserve & surplus to that extent.

7) Fixed Assets/Depreciation

- a) Company had in earlier years recognized a provision for WDV of fixed assets pertaining to the Westland assets amounting to Rs. 869.33 lakhs (Gross cost of Rs. 6,011.82 lakhs, accumulated depreciation Rs. 5,142.48 lakhs & written down value

Rs. 869.33 lakhs). However, this amount could not be traced in the Fixed Assets Register of the company. Furthermore, the management was unable to provide the relevant WDV details supporting the said amount. Consequently, the accuracy and completeness of the opening balance of fixed assets cannot be relied upon. In addition, the company's inventory includes Gem Modules amounting to Rs. 501.37 lakhs for which the company had created provision amounting to Rs. 501.37 lakhs against Gem Modules in earlier years. However, no basis/ supporting document/ clarification has been provided for the same. In absence of the same we cannot comment on the adequacy or otherwise of the value of inventory / provision created against the same.

- b) **Depreciation Not Provided** - The company had not charged depreciation on certain components of helicopters in the northern region where life of the component was still not over. No clarification / adjustment for the same has been made in the books of accounts for the same. This has resulted in understatement of expenses for the year/reserve & surplus and overstatement of Fixed Assets amounting to Rs. 28.44 lakhs.
- c) The Physical verification of fixed assets conducted at Northern Region in the Financial Year 23-24 highlighted difference (shortage) of 586 items between Physical balance and balances as per Books of accounts and no corresponding correlation with the respective asset value of these shortages could be made by the management due to lack of information and thus the value for such difference cannot be quantified and necessary adjustment could not be made in the books of accounts. Further physical verification had not been conducted in the Financial Year 2023-24 at corporate office and Western Region. The Property, Plant

and Equipment of Corporate office was last physically verified in August 2020 even though 3 years has elapsed from the last verification, the physical verification has not been conducted in Financial Year 2023-24 as a result the availability of assets / the value of assets at which they are appearing and any discrepancies arising on verification cannot be commented upon.

- d) Several instances of mismatch in the depreciation on fixed assets amounting to Rs. 5.23 lakhs were noticed which has resulted in excess booking of depreciation in the books of accounts. The management has not provided with the justification or clarification for the differences identified nor any adjustment for the same has been made in the books of accounts. This has resulted in overstatement of accumulated depreciation and understatement of profit for the year / reserves & surplus to that extent.
- e) The company has disposed off fixed assets in the northern region amounting to Rs. 11.11 lakhs (Gross cost) during the FY 23-24. Also, the fixed assets that were sold through the MSTC portal have not been reflected in the fixed asset disposal working. For example, items such as chairs, sofa, fans, etc., were sold but were not included in the disposal calculations, indicating incomplete and inaccurate reporting of asset disposals. The amount of such disposal could not be identified and in absence of same we cannot comment on the correctness of the value of assets disposed off / balance fixed assets.
- f) The Company has reported disposal of fixed assets amounting to Rs. 11.11 lakhs during the FY 23-24. However, based on the information and documentation provided by management, these assets were actually sold in the FY 24-25. The disposal was recorded in the financial statements solely on the basis of the approval process initiated by management (FY 23-24), rather than the when the sale of fixed asset was materialized (FY 24-25). This premature recognition of disposal has resulted into overstatement of expenses and an understatement of fixed assets / reserve & surplus to the extent of Rs. 11.06 Lakhs.
- g) The Company has reported a sale of Car (Maruti SX4 794) Gross Value Rs. 2.33 lakhs WDV Rs. 0.33 lakhs in addition to other assets for consideration. No supporting documentation was provided to substantiate the approval of disposal of the said vehicle, whether as scrap or without consideration. In the absence of such evidence, we cannot comment the on the authenticity and appropriateness / loss on sale of such car. This discrepancy has resulted into understatement of assets by Rs. 2.33 lakhs, understatement of accumulated depreciation /reserve & surplus by Rs.2.00 lakhs & Rs. 0.33 lakhs respectively & overstatement of expenses for the year by Rs. 0.33 lakhs.
- h) The company has used carrying value on the date of transition i.e. April, 2015 as deemed cost of Property, Plant and Equipment. The Western region has considered embedded maintenance of Rs. 40 lakhs for each Dauphin N3 helicopter and Rs. 60 lakhs for each Dauphin N helicopter. Basis of such allocation could not be justified and hence, its impact on the Ind AS financial statements cannot be quantified.
- i) The company has revalued its fixed asset components as of April 1, 2015, for the purpose of transitional provisions and applicability of IND AS. However; it has been observed that the depreciation calculations performed by us, based on the number of months the assets were in use from the date of purchase do not align with the Written Down Value (WDV) figures provided by management.

Moreover, no valuation report or supporting justification has been made available for the discrepancies. Upon our review, we identified significant variances which has resulted into understatement of assets and profit/reserve & surplus to the extent of Rs. 595.76 lakhs

- j) With respect to component accounting for depreciation, the Western Region has considered zero flying hours as of the transition date (April 1, 2015) for all identified components except the Main Gear Box (MGB) and Engine, despite these components being in use from the date of capitalization. As explained to us, the actual flying hours as of the transition date i.e., April 1, 2015 could not be determined, and consequently, the impact of this on the financial statements cannot be quantified.
- k) The intangible assets amounted to Rs. 182.77 Lakhs on which 100% depreciation has been charged at northern region. However, no traceability in the FAR has been provided by the management for the same.
- l) The company has certain Rotables lying with foreign parties as at 31st March, 2024 amounting to Rs. 13,181.37 Lakhs (Net Balance). No confirmation has been provided for the same. Due to non-availability of confirmation of balances & limited information available to us, we are unable to quantify the impact, if any, arising from the confirmation of balances on the Ind AS financial statements.
- 8) **Cheques In Transit** - During the year, a sum of Rs. 529.16 lakhs was identified under the “Cheques in Transit” account which were appearing from earlier years and had remained unadjusted. The management undertook corrective measures to rectify these entries. While a significant portion of the discrepancies was addressed by reversing these transactions through bank account, which has affected the reconciliation of bank accounts. Management has explained that these entries originated in earlier financial years and were recorded without proper substantiating evidence. As of the reporting date, no reconciliation statements for the affected bank accounts have not been made available. Consequently, the accuracy and reliability of these bank balances reflected in the books of accounts cannot be verified.
- 9) The company had recognized a provision of Rs. 577.34 lakhs for salary increments applicable to both executive and non-executive employees in earlier years, including contractual and regular staff, effective retrospectively from 2019. However, the Company was unable to provide the basis for provisioning of Rs. 197.38 lakhs out of above amount, and in absence of the same we cannot comment on the adequacy and appropriateness of the provision made.
- 10) The company has created a provision of Rs. 7,242.21 lakhs for doubtful trade receivables for the financial year 2023-24. However, based on the Expected Credit Loss (ECL) assessment conducted by the management through an independent third party, the required provision to be made amounted to Rs. 7,261.60 lakhs. This discrepancy has resulted in an understatement of the provision for doubtful debts & expenses and a corresponding overstatement of profit/reserve & surplus by Rs. 19.39 lakhs which is continuing from the previous year. Further, the basis i.e. Provision matrix & policies on which the provision has been created in the books of accounts has not been provided by the management to verify the same.
- 11) The company has made a restatement in the financial statements for FY 2023—24 to correct prior material errors. However,

certain prior period income which were identified remained unadjusted during the year amounting to Rs. 207.35 Lakhs which has resulted in overstatement of debtors and overstatement of profit of current year and understatement of previous year profit. Further, in the Northern region, an amount of Rs. 211.66 lakhs has been incorrectly classified under trade payables, specifically under the MSME category instead of classifying into respective correct heads. This misclassification affects the true and fair presentation of trade payables and may result in an understatement or overstatement of other liabilities.

- 12) The company has recognized Deferred Tax Liability (Net) amounting to Rs. 10,257.59 lakhs for the FY 2023-24. However, upon verification of the underlying calculations, it was observed that the company applied an incorrect tax rate to the provision for employee benefits. This error resulted in an overstatement of the deferred tax liability by Rs. 121.45 lakhs. Additionally, while calculating depreciation on income tax, an amount of Rs. 4.67 lakhs related to inventory sales has been erroneously included under the sale of fixed assets. Further, several fixed asset purchases of Northern region were inter-changeably misclassified under the “less than 180 days” and “more than 180 days” categories, leading to incorrect depreciation/tax calculation.

Due to incorrect calculation, this has resulted into Overstatement of liability & expenses for the year and understatement of reserve & surplus amounting to that extent.

- 13) The company has created provision for Income Tax amounting to Rs 300.00 Lakhs for the FY 2324. However, upon verification of the underlying calculation, it was observed that the company has incorrectly taken amount

of provision created as per actuarial for the FY 23-24 (Rs. 203.79 Lakhs) & Exchange fluctuation on capital assets (Rs. 24.82 lakhs) which has resulted into overstatement of provision for taxes / expenses and understatement of reserve & surplus by Rs. 77.09 Lakhs.

- 14) In respect of Trade Receivables, Trade Payables, Long-term and Short-term Liabilities, Other Current Liabilities, Long-term and Short-term Loans & Advances, and Deposits, external confirmations of balances including demerged unit of Pawan Hans (i.e. Rohini Heliport amounting to Rs.184.01 lakhs) were not available for the financial year 2023—24. Though provisions are made based on expected credit loss method on the trade receivables however due to non-availability of confirmation of balances & limited information available to us, we are unable to quantify the impact, if any, arising from the confirmation of balances on the Ind AS financial statements.
- 15) There have been delays in 6 months in remitting provident fund contributions to the trust, leading to the levy of interest for the periods of delay. However, the corresponding interest liability amounting to Rs. 48.43 lakhs has not been accounted for in the Books of Account. This has resulted in understatement of liabilities and overstatement of profit for the year / reserves & surplus.
- 16) The party-wise reconciliation of TDS receivable for the current year, as recorded in the Books of Account is not reconciled with Form 26AS. As a result, there is a short booking of TDS amounting to Rs. 4.60 lakhs and an excess booking of TDS amounting to Rs. 9.13 lakhs in the books. This has resulted in overstatement of TDS receivable & understatement of Debtors balance by Rs. 4.53 lakhs. An accounting entry of Rs. 5.30 lakhs was passed in the books under the head “WR/NR — TDS”

to account for TDS adjustments; however, this entry does not rectify the underlying party-wise balances. Consequently, the accuracy and reliability of TDS receivable and debtor balances in the financial statements remain impacted.

- 17) **Professional Tax** — Opening Debit balance w.r.t Professional tax is appearing in the books of accounts of Northern region amounting to Rs. 1.32 lakhs. No detail in regards to the same is available. In absence of same we cannot comment on the correctness / recoverability of the said balance.
- 18) **Provident Fund Not Deducted** - It was observed that for some of the employees who left the organization, their F&F settlement amount is directly paid through bank without routing it through salary payable account due to which the management failed to deduct Provident fund for the employees who left the organization. The resignee list was provided by the management at the time of finalization of audit only and thus the same could not be verified. In view of same amount of PF not deducted cannot be quantified.
- 19) An amount of Rs. 6.45 lakhs is standing in the books of accounts of northern region in regards of amount payable to the employees who had left the organization. However, we have not been provided with the details of the amount outstanding. In absence of same, the authenticity or correctness of the amount cannot be commented upon.
- 20) An amount of Rs. 4.66 lakhs is standing as receivable from NTPC for which no details have been provided. As per the information provided by the management, all the contracts in relation to NTPC has been closed as of now and all payments/ receivables has been settled still the balance is outstanding in the books of accounts for which no justification has been provided which has resulted into overstatement of assets and overstatement of income for the year/ reserve & surplus by Rs. 4.66 lakhs.
- 21) Revenue reconciliation has not been prepared in respect of RCS ticket sale by the management at Northern region. As per our verification and as per information and explanation provided to us, excess revenue has been booked amounting to Rs. 3.08 lakhs. This has resulted in overstatement of revenue & profit/reserve & surplus for the year and overstatement of Bank balance by that amount.
- 22) The company for calculating lease liabilities and Right of Use Asset has not considered incremental borrowing rate. This accounting practice followed by the company is neither in accordance with the accounting policy nor in adherence to Ind AS 116 'leases'. Due to non-availability of information, we are unable to quantify the impact and further Northern Region has not accounted for the impact of the lease liability correctly, which has led to an understatement of the Right-of-Use (ROU) assets by Rs. 0.66 lakhs, overstatement of lease liabilities by Rs. 1.22 lakhs and provision for depreciation by Rs. 0.77 lakhs cumulatively amounting to Rs. 2.64 lakhs.
- 23) In financial statements, we noted an "Opening SOCE Adjustment" amounting to Rs. 1.05 lakhs in the previous financial year. However, no supporting documentation for this adjustment provided by the management. In the absence of an adequate explanation or basis for this adjustment, we are unable to assess the appropriateness and accuracy of the adjustment recorded.
- 24) There has been non-compliance with Ind AS 37 — Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets in the

western region, as no provision has been recognized for onerous contracts, despite indications that the cost of fulfilling contractual obligations exceeds the expected economic benefits during the term of the contract. Additionally, the Region lacks a defined system of cost centers and does not perform comparative analysis of actual versus budgeted revenue at the level of individual customer contracts. In the absence of such systems and assessments, the potential impact of onerous contracts and the related provision on the Ind AS financial statements cannot be quantified.

- 25) During our review of the financial statements, we have noted certain discrepancies under the following heads of the Balance Sheet (figures shown incorrectly).

In the financial year 2023-24

(Rs. In Lakhs)

Heading	Sub Heading	Sub-Sub Heading	Correct figures	Disclosed figures
Non-Current Asset	Loan	Unsecured, considered good-NC SD	Gross Amount - 14.33 provision-14	Gross Amount-45.93 provision-42.66
Current Asset	Cash and Cash Equivalents	Cash on hand	633.65	633.73
Current Liabilities	Trade payables	Outstanding dues of micro & medium enterprises	23.51	235.18
Current Assets	Trade receivables	Allowance for Doubtful Debt / Expected Credit Losses.	7261.6	7242.21
Non-Current Liabilities	Other financial liabilities	Lease Liabilities	8730.26	8753.63
Current Liabilities	Other financial liabilities	Lease Liabilities	2814.9	2791.53

In the Financial year 2021-22

Heading	Sub Heading	Sub-Sub Heading	Correct figures	Disclosed figures
Non-Current Assets	Capital work-in-progress	-	928.92	891.67
Current Liabilities	Provisions	Provision for Corporate Social Responsibility	202.4	193.37

- The bifurcation of Current & Non-Current balances under EMD & Security deposit has not been provided by the management.

26) The following are the discrepancies related to documents, which are essential for the review and verification of the Notes to Accounts forming part of the financial statements, which were not provided to us as of the date of review and certain misstatement of figures were noticed as mentioned herein below:

- In respect of note 32(ii) (d), Adequate supporting for Amount of Rs 233.81 lakhs shown under Litigations is not provided to us to verify whether the same is correct.
- In respect of note 32(XIII), the details regarding business loss and unabsorbed depreciation transferred to Rohini Heliport Limited as per approved scheme of demerger has not been given.
- In respect of note 32(XVI), details regarding obligation towards operating lease has not been provided to us.
- In respect of note 32(XVII)(D), No explanation regarding the cash flow of Rs. 2658.38 lakhs for Lease Liabilities of Current Year are not provided to us.
- In respect of note 32(XXI)(A) and (B), Details regarding Movement of Contract Assets and Liabilities is inconsistent with the information provided by the management; hence we are unable to comment upon the same.
- In respect of note 32(XXV)(b), details of independent directors, to whom director sitting fees have been awarded, have not been disclosed.
- In respect of note 32(XXV)(d), bifurcation of director sitting fees of Rs 2.7 Lakhs have not been

shown separately from short term employment benefits.

- In respect of note 32(XXVIII), The dues to MSME for financial year 2022-23 of Rs. 316.33 Lakhs is not correct as in the northern region, the restatement of FY 2022-23 has been routed through Dues to MSME, without any explanation of the same.
- In respect of Note 32(XXXIII)(C)(ii), the details of Fair Value measurement using unobservable inputs has been mentioned by the Branch Auditor, however no disclosure is provided in the consolidated Financial Statements. Consequently, such shall be read as Rs. 947.19 Lakhs instead of Nil.
- In respect of note 32(XXXIII)(iii), we have not provided with the details of foreign currency assets and liabilities, consequently we are also unable to comment on the sensitivity analysis.

27) Quantification of above qualification

The effect of Cumulative impact of our observations mentioned in paragraphs 3,4,6(b),6(d),7(a),7(b),7(d),7(g),7(i),10,12,13,15,19,20,21,22 are: Profit of company for the year/ reserves & surplus is overstated by Rs. 2,317.93 lakhs, Assets are overstated by an amount of Rs. 2,453.86 lakhs and Liabilities are overstated by an amount of Rs. 135.93 lakhs. Possible effect of matter described in other Paras are not ascertained by the management.

Emphasis of Matter

1. We draw to attention to Note No. 2(vi) of the Ind AS financial statements, wherein estimated useful life of the Helicopters was increased from 20 years as stated

in Schedule II of the Companies Act, 2013 to 40 years for Dauphin fleet at Western Region, as suggested by internal technical committee leading to lower depreciation charge for the year with consequential impact on the loss for the year in the Ind AS financial statements, We have observed that in the past few years, Aircraft on ground (AOG) days, Levy of Liquidated damages by clients has increased, revenue flying hours has decreased, and non-availability of few avionics spares of Dauphin AS365N from the manufacturers/OEMs due to obsolescence, leading to long grounding of helicopters. Since it is a technical matter, we have relied on the assessment of the technical committee.

2. A) The company had entered into a contract with Oil and Natural Gas Corporation (ONGC) on 19th July, 2022 to provide charter hire of 3 Nos Dauphin 365N3 Production Task Helicopters and also entered into an agreement on 15th February, 2022 to provide charter hire of 2 Nos. of Sikorsky S76D crew change helicopters for offshore operation for carrying out ONGC's Operations in conformation to specifications as mentioned in the agreement at Western region. Further the Production Task Helicopters contract was renewed vide Contract No. MUM/OFFLOGISTICS/MM/2022/PTHHLGRPA/1067720/P76AL2204/90100357-5 dated for hiring of 2 Nos Production Task Helicopters and crew change helicopters contract was changed to Production Task Helicopters vide **Contract** No MUM/ OFF-LOGISTICS /MW2022 /PRODUCN /1027876/P76AL22004/ for hiring of 3 Nos Production Task for offshore operations. The Region in consideration for the above services receives Fixed

Monthly Charges and Flying Monthly Charges. In case the Region is not able to provide the helicopter to ONGC, fixed monthly charge shall not be payable to region for the period helicopter was not available. In addition, Liquidation Damages are required to be paid for full day of grounding at an amount equivalent to 5 % of fixed monthly charge and for half day of grounding at an amount equivalent to 2.5% (i.e., 50% of 5%) of fixed monthly charge. Amount of Rs. 844.84 lakhs (Previous year Rs. 113.36 lakhs) had been deducted during the year due to 200 non-operational days and has resulted into loss of Fixed Monthly Charges as well as Liquidation Damages which are deducted from the payments due. As cost of meeting obligations estimated under the contract exceeds its economic benefits expected to be received during the period of the contract, the contract is an onerous contract. (Refer Note No. 24 Helicopter Operational and Maintenance Expense)

- B) The company has not complied with the terms of the Agreement with respect to issue of invoices of Fixed Monthly Charges (FMC) and Flying Hourly Charges (FMC) and other admissible charges by 7th of every month with respect to the flying done during the preceding month. For Fixed Monthly Charges (FMC) and Flying Hourly Charges (FHC), the payment for the same shall be received within 21 Working Days from the receipt of Invoice which may impact company's cash flows.

3. We draw attention to Note no. 32(XXV) (e) forming part of the Ind AS financial statements, the company is of the opinion that there are no dues as on March 31, 2024 to Micro, Small and Medium enterprises registered under the Micro, Small and

Medium Enterprises Development Act, 2006 for more than 45 days on the Balance Sheet Date. Confirmations were sought from the suppliers regarding applicability of provisions of ‘The Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006’ to them, but no response was received. The information w.r.t MSME dues has been provided based on the information available with the company.

4. As stated in Note No.32 (XIX) (a) forming part of Ind AS financial statements, based on Inter Office Memorandum from Vigilance Department Rf. No. PHL/CO/VIG/219 dated 12th August, 2014, the said (IOM) CVO (Chief Vigilance Officer) conducted enquiry and submitted the report to the management regarding financial irregularities at Lakshadweep amounting to Rs.129.20 lakhs. The management identified supporting/invoices/bills/credits payable to employees amounting to Rs. 40.09 lakhs & only the balance of Rs. 89.12 lakhs in view of the management is considered as loss & had been provided for in the financial statements of 2014-15. During the current financial year travelling bills received from the Lakshadweep Administration for the period April 2008 to March 2011. As informed by HR Dept. investigation has been conducted and action suggested has been acceded by the competent authority. The matter is further being dealt with by the company.
5. As stated in Note No.32 (II)(d) forming part of Ind AS financial statements the Western region has filed writ petition against the order dated 27th June, 2022 passed by RLCRLC (c) u/s 33C(l) of the ID Act issuing recovery certificate (RC) of an amount of Rs 580.75 lakhs with

an interest of 10% p.a, and consequent attachment order dated 12th October, 2022 issued by collector, Mumbai suburban Dist. attaching the bank account of the region to the extent of amount mentioned above. The Hon’ble Bombay High court vide its order dated 15th November, 2022 has directed that instead of freezing the bank account in its entirety, the Bank of Baroda could be directed to permit the petitioner (PHL) to operate the bank account by retaining an amount of Rs. 650.00 lakhs. This has resulted in material impact on company’s liquidity position.

6. Reference is invited to Annexure B as well as paras relating to Basis of Adverse Opinion indicating various gaps in internal controls were noticed resulting in errors & omission across various functions / departments. Hence, internal audit needs to be strengthened and the scope should be enhanced to ensure in-depth verification of all functional departments specifically Fixed Assets Management, Inventory Management, Procurement Process, Cash & Bank Management, Accounting and Recoverability of Revenue, Statutory Compliances, Human Resources Management and Information Technology General Controls to make it commensurate with the size and nature of operations of the company.
7. No provision of impairment has been made during the year as Western region management is of the opinion that there is no concrete hint for impairment of assets. However, as explained and as informed by the management in subsequent year i.e. FY 2024-2025 management will take independent report for impairment of assets.
8. Loans and Advances received (Liabilities) amounting to Rs. Nil (5.61 lakhs) which has resulted into overstatement of Liabilities

and understatement of profit to the extent of Rs Nil (Rs. 5.61 lakhs) and Trade payable amounting to Rs. 41.61 lakhs (Rs. 25.15 lakhs) in the western region are outstanding for more than 3 years. Payments have not been made to the parties and no confirmations have been received,

9. The Trade receivables amounting to Rs. 3987.65 lakhs is outstanding for more than 3 years, out of this, provision for Rs. 3237.96 lakhs have been made at western region and details regarding provision made for debtors outstanding for more than 3 years is not available at Northern region. The balances have been carry forwarded since many years.

Our opinion is not modified in respect of these matters.

Other Matters

We did not audit the financial statements of Western Region included in the financial statements of the company whose financial statements reflect total assets of Rs. 1, 13,918.81 lakhs as at 31st March 2024 and total revenue of Rs. 28,225.61 lakhs for the year ended on that date, as considered in the Ind AS financial statements. The financial statements of the western region have been audited by the branch auditor appointed by the Comptroller & Auditor General of India, whose report has been furnished to us. Our opinion in so far as it relates to the amounts and disclosures included in respect of western region, is based solely on the report of the branch auditor.

Information Other than the Financial Statements and Auditor's Report Thereon

The Company's Board of Directors is responsible for the other information. The

other information comprises the directors report, but does not include the financial statements and our auditor's report thereon.

Our opinion on the financial statements does not cover the other information and we do not express any form of assurance conclusion thereon. In connection with our audit of the financial statements, our responsibility is to read the other information and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the financial statements or our knowledge obtained in the audit, or

otherwise appears to be materially misstated. If, based on the work we have performed on the other information obtained prior to the date of this auditor's report, we conclude that there is a material misstatement of this other information, we are required to report that fact. We have nothing to report in this regard.

Management's Responsibility for the Financial Statements

The Company's Board of Directors is responsible for the matters stated in section 134(5) of the Companies Act, 2013 ("The Act"), with respect to the preparation of these financial statements that give a true and fair view of the financial position, financial performance, and cash flows of the Company in accordance with the accounting principles generally accepted in India, including the Accounting Standards specified under section 133 of the Companies Act, 2013 ("the Act"). This responsibility includes maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Act for safeguarding of the assets of the Company and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate

accounting policies; making judgments and estimates that are reasonable and prudent; and design, implementation and maintenance of adequate internal control, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the financial statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the financial statements, management is responsible for assessing the Company's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Company or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so. Those Board of Directors are also responsible for overseeing the Company's financial reporting process.

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with SAS will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.

As part of an audit in accordance with SAS, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, Or the override of internal control.
- Obtain an understanding of internal financial controls relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances.
- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.
- Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Company's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are

based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Company to cease to continue as a going concern.

- Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

Report on Other Legal and Regulatory Requirements

1. As required by the Companies (Auditor's Report) Order, 2016 ("the order"), issued by the Central Government of India in terms of sub section (11) of section 143 of the Companies Act, 2013, we give in the **Annexure-A** a statement on the matters specified in paragraphs 3 & 4 of the order, to the extent applicable.
2. As required by section 143 (3) of the Act, we report that:

- a) We have not been able to obtain all the information and explanations, which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purposes of our audit;
- b) **In view of the effect of matters described in the Basis of Adverse Opinion paragraph and paragraph 2(h) (vi) below on reporting under Rule 11(g) of the Companies (audit and Auditors) Rules 2014 (as amended) ("the Rules"), in our opinion proper books of account as required by law have not been kept by the Company so far as appears from our examination of those books.**
- c) The Balance Sheet, the Statement Profit and Loss, and the Cash Flow Statement Account dealt with by this report are in agreement with the books of account;
- d) **In our opinion, the Balance Sheet, Statement of Profit and Loss and Cash Flow Statement do not comply with Indian Accounting Standards ("Ind AS") as per the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 notified under Section 133 of the Companies Act, 2013.**
- e) **In our opinion the matter described in the "Basis for Adverse Opinion Paragraph" above may have an adverse effect on the functioning of the Company.**
- f) Requirement relating to declaration from directors under section 164 (2) is not applicable to the company in terms of exemption vide notification no. 1/2/2014-CL—V dt. 05th June 2015.
- g) With respect to the other matters to be included in the Auditor's Report in accordance with the requirements of section 197(16) of the Act, as amended are not applicable to government companies.

As per notification no. GSR 463(E) date 5th June, 2015 issued by the Ministry of Corporate Affairs, Government of India, Section 197 is not applicable to the Government Companies.

- h) With respect to the adequacy of the internal financial controls over financial reporting of the

Company and the operating effectiveness of such controls, refer to our separate report in “Annexure-B”; and

- i) With respect to the other matters to be included in the Auditor’s Report in accordance with Rule -11 of the Companies (Audit & Auditor’s) Rules, 2014, In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us:
- i. The Company has adequately disclosed the impact of its pending litigations in Note no.32(XLII) to the financial statements.
 - ii. The Company did not have any long-term contracts including derivative contracts for which there were any material foreseeable losses.
 - iii. There were no amounts which were required to be transferred to the Investor Education and Protection Fund by the Company.
 - iv. a) The Management has represented that, to the best of its knowledge and belief, as disclosed in note 32(XLII), no funds have been advanced or loaned or invested (either from borrowed funds or share premium or any other sources or kind of funds) by the Company to or in any other person or entity, including foreign entity (“Intermediaries”), with the understanding, whether recorded in writing or otherwise, that the Intermediary

shall, whether, directly or indirectly lend or invest in other persons or entities identified in any manner whatsoever by or on behalf of the Company (“Ultimate Beneficiaries”) or provide any guarantee, security or the like on behalf of the Ultimate Beneficiaries;

- (b) The Management has represented, that, to the best of its knowledge and belief, as disclosed in note 32 (XLII), no funds have been received by the Company from any person or entity, including foreign entity (“Funding Parties”), with the understanding, whether recorded in writing or otherwise, that the Company shall, whether, directly or indirectly, lend or invest in other persons or entities identified in any manner whatsoever by or on behalf of the Funding Party (“Ultimate Beneficiaries”) or provide any guarantee, security or the like on behalf of the Ultimate Beneficiaries).
- (c) Based on the audit procedures that have been considered reasonable and appropriate in the circumstances, nothing has come to our notice that has caused us to believe that the representations under sub-clause (a) and (b) contain any material misstatement.
- v. The Company has not declared or paid dividend during the year.
- vi. Based on our examination, which included test checks, the company had used accounting software i.e. IISP (TCS software) and D-Base 3 for maintaining its books of accounts and calculating depreciation respectively for the financial year ended March 31,2024. IISP Software has a feature of recording audit trail (edit log) facility and the same had operated throughout the year for all relevant transactions recorded in the software

except that (a) Time stamps are not getting captured at the functional interface of Integrated Information System package (119) (b): No evidence was provided to verify audit trail for D-Base 3. Accordingly, we cannot comment on the integrity of data processed through this software. Further, during the course of audit, we did not come across any instance of audit trail feature being tampered with for IISP (TCS Software) for the period for which audit trail was enabled.

- vii. As proviso to rule 3(1) of the Companies (Accounts) Rules, 2014 is applicable for the company with effect from April 1, 2023, reporting under Rule 11 (g) of Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014 on preservation of audit trail as per statutory requirements for record retention is not applicable for the financial year ended March 31, 2024.

- j) As required under section 143(5) of the Companies Act' 2013 on directions and sub directions issued by CAG, we give our report on the matters specified in "Annexure III" enclosed.

For **Luthra & Luthra LLP**
Chartered Accountants
F.R No 002081N/N500092

Sd/-
Nilesh Mehta
Partner
M. No. 093847

Place: New Delhi
Date: 19.05.2025
UDIN: 25093847BMMHWU99101

ANNEXURE- A TO THE INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

The Annexure referred to in Independent Auditors' Report to the members of the Company on the Financial Statements for the year ended 31 March 2024

1. In respect of the Company's Property, Plant and Equipment and Intangible Assets:
 - a. (A) The company has not maintained proper records showing full particulars including quantitative details and situation of Property, Plant & Equipment except for the corporate office (records not proper for northern & western region).
 - b. (B) According to the information and explanations given to us, the corporate office of the Company has maintained proper records showing full particulars of intangible assets. However, in respect of the Northern Region, the Company has not maintained proper records showing full particulars of intangible assets. In respect of the Western Region, the Company does not have any intangible assets, and accordingly, the provisions of this sub-clause are not applicable to that region.
 - c. As per the information and explanations given to us, the Company has a regular programme of physical verification of its Property, Plant and Equipment by which all Property, Plant and Equipment are verified in a phased manner over a period of 3 Years, which in our opinion is not reasonable, having regard to the size of the company and the nature of its business. In the absence of the relevant information, we are unable to comment on the material discrepancies, if any during the year. All the Property, Plant and Equipment of the Western Region of the company were not physically verified by the Management in the previous year in accordance with its planned programme.
- Further, Rotables and repairable of Gross value of Rs. 13,181.37 lakhs were sent for repairs and were lying with foreign OEMs as at the year end. The company was unable to obtain confirmation from the respective OEM for holding rotatables on behalf of the company. The Physical verification conducted at Northern Region in the Financial Year 23-24 indicates difference of 586 items between Physical Verification of Property, Plant and Equipment and Books of accounts and the value for such difference cannot be quantified and thus the discrepancies have not been adequately adjusted in the books of accounts. In respect of the Corporate Office, physical verification has not been conducted during the previous year, with the last verification conducted in August 2020.
- d. The title deeds of Immovable properties, as disclosed in Note no.32(III)(b) on Property, Plant and Equipment in the Ind AS financial statements are held in the name of the company except for Building Residential (JHC) in Western Region whose title deeds are not held in the region's name as land is registered in the name of Airport Authority of India (AAI) and region had constructed 242 flats out of which 50 flats were given to AAI in lieu of lease rentals for the said land which are partially taken on lease for a period of 25 years. Further in respect of 6 MHADA flats as disclosed in Note no. 32(III) (b) of Property, Plant and Equipment the possession of the flats is lying with company but title deed of such flats is not registered in the name of company. Below are the details for such flats:

Description of the Property	Gross Carrying Value	Held in the name of	Whether Promoter, Director or their Relative or Promoter	Period held (indicate Range)	Reason being not held in the name of company
Residential Flats		MHADA	Not Applicable	1998 till date	Due to nonpayment of Stamp Duty

Further few residential flats whose share certificates are not held by the Western region are as under:

Flat no	Located	Remark
Vrindavan Soc.	2-B-105, Kandiwali	No share certificate
Oshiwara Soc.	13-107, Malad	No share certificate
Oshiwara Soc.	13-702, Malad	No documents were provided
Oshiwara Soc.	23-401, Malad	No documents were provided

The Company has not revalued any of its Property, Plant and Equipment and intangible assets during the year.

- f. As per information and explanations provided and based on our verifications of records no proceedings have been initiated during the year or are pending against the Company as at March 31, 2024 for holding any Benami property under the Benami Transactions (Prohibition) Act, 1988 (as amended in 2016) and rules made thereunder.
2. a. According to the information and explanations given to us, in the Western and Northern regions, inventory has been physically verified by the management at reasonable intervals, excluding inventory lying with third parties and material in transit. However, in the Northern region, 12 excess inventory items amounting to Rs. 2.33 lakhs were identified during the physical verification as compared to the books of account. These discrepancies have not been appropriately dealt with in the books of account. In case of stock or stores and spares at the detachments, the Issuance are made from Mumbai and at the year and the closing stock of stores and spares at western region is recorded based on physical verification reports submitted by respective detachment. Also, proper internal control should be placed in inventory movement to eliminate any deviations between book quantity and actual quantity.
- b. The Company has not been sanctioned working capital limits in excess of INR 5 crore, in aggregate, at any points of time during the year, from banks or financial institutions on the basis of security of current assets and hence reporting under clause 3(ii)(b) of the Order is not applicable.
3. In our opinion and according to the information and explanation given to us, the Company has not made investment in, provided any guarantee or security or granted any loans or advances in the nature of loans, secured or unsecured, to companies, firms, Limited Liability Partnerships or any other parties. Hence reporting under clause 3 (iii) of the Order is not applicable.
4. In our opinion and according to the information and explanations given to us, the Company has not given/made any loan, investment, guarantee and security and accordingly provisions of section 185 and 186 of the Act are not applicable.
5. According to the information and explanations given to us the company has not accepted

deposits or amounts which are deemed to be deposits. Hence, reporting under clause 3(v) of the Order is not applicable.

6. According to the information and explanations given to us, the Central Government has not prescribed the maintenance of cost records under Section 148(1) of the Companies Act, 2013 for the products manufactured by it (and/or services provided by it). Accordingly, clause 3(vi) of the Order is not applicable.
7. a). According to the information and explanations given to us, the company is generally regular in depositing undisputed statutory dues including Goods and Services Tax, provident fund, income tax, sales-tax, service tax, duty of customs, duty of excise, value added tax, cess and other material statutory dues applicable to it with the appropriate authorities though delay in some cases in deposit of TDS, Professional Tax, and Goods and Service Tax (most states in northern region) were noticed. During the year there were dues of Professional tax, Provident Fund, TDS and TDS on GST amounting to Rs. 0.29 (in lakhs), Rs. 48.43 (in lakhs), 0.30 (in lakhs) and 0.023 (in lakhs) respectively and in respect of TDS in arrears appearing on the income tax portal (Traces) Rs. 65.02 lakhs which is outstanding as on the last day of the financial year concerned for a period of more than six months from the date they became payable.
- b). According to the information and explanations given to us, there are no dues of income tax, provident fund, employee's state insurance, sales tax, service tax, goods & services tax, value added tax, duty of customs, duty of excise and cess which have not been deposited by the company with the appropriate on account of any dispute as at march 31, 2024, other than those mentioned below:

S. No.	Name of the Statute	Name of the dues	Amount (Rs. In Lakhs) *	Period to which the amount relates	Forum where dispute is pending
1	Finance Act, 1994	Service Tax	532.31 (71.21)	FY 2009-10	Appellate Tribunal, Mumbai
2	Finance Act, 1994	Service Tax	447.43	FY 2010-11	Appellate Tribunal, Mumbai
3	Finance Act, 1994	Service Tax	551.39	FY 2011-12	Appellate Tribunal Mumbai
4	Finance Act, 1994	Service Tax	274.07 (50.51)	FY 2012-13	Appellate Tribunal, Mumbai
5	Finance Act, 1994	Service Tax	482.40 (43.00)	FY 2014-15	Appellate Tribunal, Mumbai
6	Finance Act, 1994	Service Tax	223.50 (20.07)	FY 2015-16	Appellate Tribunal, Mumbai
7	Finance Act, 1994	Service Tax	354.08 (33.29)	FY 2016-17	Appellate Tribunal, Mumbai
8	Finance Act, 1994	Service Tax	31.84 (2.69)	FY 2017-18	Appellate Tribunal, Mumbai

9	Finance Act, 1994	Penalty	182.20 (13.66)	FY 2009-13	Appellate Tribunal, Mumbai
10	Income Tax Act, 1961	Disallowance of expenses and Interest	4742 (5046.84)	FY 1999-00	ITAT, Delhi
11	Income Tax Act, 1961	Disallowance of expenses and Interest	2556 (3277.93)	FY 2000-01	ITAT, Delhi
12	Income Tax Act, 1961	Disallowance of expenses and Interest	131.37	FY 2019-20	CIT (Appeals), Delhi
13	Income Tax Act, 1961	Disallowance of expenses and Interest	628.71 (1254.09)	FY 2020-21	CIT (Appeals), Delhi
13	Central Goods and Services Tax Act, 2017	Interest and Penalty u/s 73(9)	12.10	FY 2017-18	State Tax Department, Noida, Uttar Pradesh

As per the information and explanation given to us and based on our examination of the records of the Company, there were no transactions relating to previously unrecorded income that have been surrendered or disclosed as income during the year in the tax assessments under the Income Tax Act, 1961.

9.
 - a. As per the information and explanation given to us and based on our examination of the records of the Company, the Company has not defaulted in repayment of loans or borrowing or payment of interest thereon to any lender during the year.
 - b. As per the information and explanation given to us, the Company has not been declared wilful defaulter by any bank or financial institution or government or any government authority.
 - c. As per the information and explanation given to us, the Company has not taken any term loan so reporting on clause 3(ix)(c) of the Order is not applicable.
 - d. On an overall examination of the financial statements of the Company, funds raised on short term basis have, prima facie, not been used during the year for long-term purposes by the Company.
 - e. On an overall examination of the financial statements of the Company, the Company has not taken any funds from any entity or person on account of or to meet the obligations of its associates. The Company does not have any subsidiary and joint venture.
 - f. According to information and explanation given to us, The Company has not raised any loans during the year on the pledge of securities held in its security held in its securities, Joint ventures or associate companies and hence reporting on clause 3(ix)(f) of the Order is not applicable.
10.
 - a. The Company did not raise any money by way of initial public offer or further public offer (including debt instruments) during the year. Hence reporting under clause 3(x) (a) of the order is not applicable.

- b. According to the information and explanations given to us and on the basis of our examination of the records of the Company the Company has not made any preferential allotment or private placement of shares or fully or partly convertible debentures during the year. Accordingly, clause 3(x)(b) of the Order is not applicable.
11.
 - a. According to the information and explanations given to us and based on our examination of the records of the Company, no fraud by the Company or on the Company has been noticed or reported during the course of our audit.
 - b. According to the information and explanations given to us, no report under sub-section (12) of section 143 of the Companies Act has been filed in Form ADT-4 as prescribed under rule 13 of Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014 with the Central Government, during the year and upto the date of this report.
 - c. As represented to us by the management, there are no whistle blower complaints received by the company during the year.
12. In our opinion and according to the information and explanations given to us, the Company is not a Nidhi company. Hence reporting under clause (xii) of the Order is not applicable.
13. According to the information and explanations given to us and based on our examination of the records of the Company, the Company is in compliance with Section 177 and 188 of the Companies Act, 2013 with respect to applicable transactions with the related parties and the details of related party transactions have been disclosed in the financial statements as required by the applicable Indian accounting standards.
14.
 - a) In our opinion the Company has an internal audit system however the coverage and effectiveness of audit needs improvement.
 - b. We have considered, the internal audit reports for the year under audit, issued to the Company during the year and till date, in determining the nature, timing and extent of our audit procedures.
15. According to the information and explanations given to us and based on our examination of the records of the Company, the Company has not entered into non-cash transactions with directors or persons connected with him. Hence reporting under clause (w) of the Order is not applicable.
16.
 - a. In our opinion, the Company is not required to be registered under section 45-IA of the Reserve Bank of India Act, 1934. Hence, reporting under clause 3(xvi)(a), (b) and (c) of the Order is not applicable.
 - b. In our opinion, there is no core investment company within the Group (as defined in the Core Investment Companies (Reserve Bank) Directions, 2016) and accordingly reporting under clause 3(xvi)(d) of the Order is not applicable.
17. The Company has not incurred cash losses during the financial year covered by our audit and the immediately preceding financial year.
18. There has been no resignation of the statutory auditors of the Company during the year.
19. On the basis of the financial ratios, ageing and expected dates of realisation of financial assets and payment of financial liabilities, other information accompanying the financial statements and our knowledge of the Board of Directors

and Management plans and based on our examination of the evidence supporting the assumptions, nothing has come to our attention, which causes us to believe that any material uncertainty exists as on the date of the audit report indicating that Company is not capable of meeting its liabilities existing at the date of balance sheet as and when they fall due within a period of one year from the balance sheet date. We, however, state that this is not an assurance as to the future viability of the Company. We further state that our reporting is based on the facts up to the date of the audit report and we neither give any guarantee nor any assurance that all liabilities falling due within a period of one year from the balance sheet date, will get discharged by the Company as and when they fall due.

20. According to information and explanations given to us and based on our examination of the records of the Company, the provisions of Corporate Social Responsibility contained in Section 135 of Companies Act, 2013 are not applicable on the company subject to Note No. 32(XV) of the Ind AS Financial Statements.

21. In our opinion and according to the information and explanations given to us, there are no separate qualifications or adverse remarks by the Western Region branch auditor in the Companies (Auditor's Report) Order, 2020 included in these Financial Statements. Qualification or Adverse Remark by the respective Auditor of Western Region in CARO Report has been incorporated/merged point wise in the main CARO Report along with Corporate Region and Northern region reporting respectively.

For Luthra & Luthra LLP
Chartered Accountants
F.R No 002081N/N500092

Sd/-
Nilesh Mehta
Partner
M. No. 093847

Place: New Delhi
Date: 19.05.2025
UDIN : 25093847BMMHW99101



ANNEXURE- B TO THE INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

Report on the Internal Financial Controls under Clause (i) of Sub-section 3 of Section 143 of the Companies Act, 2013 ("the Act")

We were engaged to audit the internal financial controls over financial reporting of **Pawan Hans Limited** as of March 31, 2024 in conjunction with our audit of the financial statements of the Company for the year ended on that date.

Management's Responsibility for Internal Financial Controls

The Board of Directors of the of the Company is responsible for establishing and maintaining internal financial controls based on the internal control over financial reporting criteria established by the Company considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI). These responsibilities include the design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls that were operating effectively for ensuring the orderly and efficient conduct of its business, including adherence to company's policies, the safeguarding of its assets, the prevention and detection of frauds and errors, the accuracy and completeness of the accounting records, and the timely preparation of reliable financial information, as required under the Companies Act, 2013.

Auditors' Responsibility

Our responsibility is to express an opinion on the Company's internal financial controls over financial reporting based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting (the "Guidance Note") and the Standards

on Auditing, issued by ICAI and deemed to be prescribed under section 143(10) of the Companies Act, 2013, to the extent applicable to an audit of internal financial controls, both applicable to an audit of Internal Financial Controls and, both issued by the Institute of Chartered Accountants of India.

Because of the matter described in Disclaimer of Opinion Paragraph below We were not able to obtain sufficient appropriate audit evidence to provide a basis for our audit opinion on the Company's internal financial controls system over financial reporting.

Meaning of Internal Financial Controls over Final Reporting:

A company's internal financial control over financial reporting is a process designed to provide reasonable assurance regarding the reliability of financial reporting and the preparation of financial statements for external purposes in accordance with generally accepted accounting principles. A company's internal financial control over financial reporting includes those policies and procedures that (1) pertain to the maintenance of records that, in reasonable detail, accurately and fairly reflect the transactions and dispositions of the assets of the company; (2) provide reasonable assurance that transactions are recorded as necessary to permit preparation of financial statements in accordance with generally accepted accounting principles, and that receipts and expenditures of the company are being made only in accordance with authorizations of management and directors of the company; and (3) provide reasonable assurance regarding prevention or timely detection of unauthorized acquisition, use, or disposition of the company's assets that could have a material effect on the financial statements.

Disclaimer of Opinion

The system of Internal Financial Controls over Financial Reporting with regard to the company were not made available to us to enable us to determine if the Company has established adequate internal financial control over financial reporting and whether such internal financial controls were operating effectively as on 31.3.24. Therefore, we are unable to obtain sufficient appropriate audit evidence to provide a basis for our opinion whether the company had adequate internal financial controls over financial reporting and whether such controls were operating effectively as at 31st March 2024.

We have considered the disclaimer reported above in determining the nature, timing, and extent of audit tests applied in our audit of the financial statements of the Company, and the disclaimer has affected our opinion on the financial statements of the Company and we have issued a adverse opinion on the financial statements.

For Luthra & Luthra LLP
Chartered Accountants
F.R No 002081N/N500092

Sd/-
Nilesh Mehta
Partner
M. No. 093847

Place: New Delhi
Date: 19.05.2025
UDIN : 25093847BMMHW99101



“ANNEXURE III” TO THE INDEPENDENT AUDITOR’S REPORT – 31st MARCH, 2024

(Referred to in our report of even date)

“Annexure III” referred to in paragraph (3) under the heading ‘Report on Other Legal & Regulatory Requirement’ of our report of even date on the financial statements of Pawan Hans Limited for the year ended 31st March, 2024:

1.	Whether the company has system in place to process all the accounting transactions through IT system? If yes, the implications of processing of accounting transactions outside IT system on the integrity of the accounts along with the financial implications, if any, may be stated.	All the accounting transactions of the company are processed region-wise through centralized integrated IT systems. However, company has to merge financial data and Books of Account region wise manually for Preparation of Standalone/ Consolidated Balance sheet and reporting purposes, which may give the scope of human error, omission and commission during the consolidation of the Financial Statements. Trial Balance, GST, TDS and Ledger accounts of all regions are separately generated. Keeping in view the same there is no as such reporting, reconciliation, data analysis IT system in place though which financial reports can be generated on IT system. Manual working has been relied upon for consolidation/ reporting and analysis for the purpose of Audit. However, we have relied upon the available IT and Manual System for conclusion of our audit observations. Financial Statements prepared in excel are not linked with the trial balance, figures in some columns are manually punched/entered in the excel sheets linking.
2.	Whether there is any restructuring of an existing loan or cases of waiver/write off of debts /loans/interest etc. made by a lender to the company due to the company’s inability to repay the loan? If yes, the financial impact may be stated. Whether such cases are properly accounted for? (In case, lender is a Government Company, then this direction is also applicable for Statutory auditor of lender company).	As per the information and explanations given to us by the management, there are no cases of waiver/ write off of debts/loans/interest made by a lender to the company due to its inability to repay the loan etc., hence this clause is not applicable.

3.	Whether funds (grants/subsidy etc.) received for specific schemes from central/ state Government or its agencies were properly accounted for/ utilized as per its term and conditions? List the cases of deviation	As per information and explanation given to us there are no funds received/receivable for specific schemes from Central/state agencies, hence this clause is not applicable.

For Luthra & Luthra LLP
Chartered Accountants
F.R No 002081N/N500092

Place: New Delhi
Date: 19.05.2025

Sd/-
Nilesh Mehta
Partner
Membership No. 093847
UDIN : 25093847BMMHW99101



ACCOUNTS

PAWAN HANS LIMITED Balance Sheet as at 31 March, 2024

(Rupees in Lakhs)				
Particulars	Note No.	As at March 31, 2024	As at March 31, 2023	As at April 1, 2022
ASSETS				
(1) Non-current assets				
(a) Property, plant and equipment	3.1	83,977.75	86,694.91	94,527.04
(b) Capital work-in-progress	3.1	461.61	73.21	891.67
(c) Intangible assets	4	-	-	-
(d) Financial assets				
(i) Investments	5	-	-	-
(ii) Loans	6	38.49	77.13	93.08
(iii) Other financial assets	7	393.88	475.70	514.81
(e) Other non-current assets	8	4,963.83	7,356.24	7,076.54
Total Non current assets		89,835.55	94,677.19	103,103.14
(2) Current assets				
(a) Inventories	9	5,348.96	5,497.64	6,231.50
(b) Financial assets				
(i) Trade receivables	10	18,644.79	16,225.71	19,225.11
(ii) Cash and cash equivalents	11.1	3,627.05	3,956.17	2,655.73
(iii) Other bank balances	11.2	6,176.05	6,213.03	5,200.83
(iv) Loans	12	247.09	313.18	330.98
(v) Other financial assets	7	3,692.48	2,558.14	1,842.81
(c) Current tax assets (Net)	13	2,493.48	2,073.97	1,340.27
(d) Other Current Assets	8	5,835.74	6,271.42	4,503.57
(e) Assets classified as held for disposal/distribution	32(XV)	-	1.65	5,528.27
Total Current assets		46,065.64	43,110.92	46,859.07
Total Assets		135,901.19	137,788.11	149,962.21
EQUITY AND LIABILITIES				
(1) Equity				
(a) Equity share capital	14.1	55,748.20	55,748.20	55,748.20
(b) Other Equity	14.2	32,753.84	33,883.72	41,264.40
Total Equity		88,502.04	89,631.92	97,012.60
Liabilities				
(2) Non-current liabilities				
(a) Financial liabilities				
(i) Borrowings	15	-	-	-
(ii) Other financial liabilities	18	8,749.91	11,105.54	18,164.21
(b) Other non current liabilities	20	-	-	-
(c) Provisions	16	4,971.11	4,626.18	4,391.56
(d) Deferred tax liabilities (Net)	17	10,257.59	10,699.59	8,933.97
Total Non Current Liabilities		23,978.61	26,431.32	31,489.74
(3) Current liabilities				
(a) Financial liabilities				
(i) Trade payables	19	6,788.33	6,940.08	6,186.60
(ii) Other financial liabilities	18	9,743.64	7,730.19	6,163.84
(b) Other current liabilities	20	4,655.95	4,653.63	4,177.68
(c) Provisions	21	2,232.61	2,400.98	4,315.50
(d) Current tax liabilities (Net)	13	-	-	-
Total Current Liabilities		23,420.54	21,724.87	20,843.62
(4) Liabilities directly associated with assets classified as held for sale	32(XV)	-	-	616.25
Total Equity and Liabilities		135,901.19	137,788.11	149,962.21

Notes 1 to 32 form an integral part of the Financial Statements
This is the Balance Sheet referred to in our report of even date

For & on behalf of Board of Directors

For Luthra & Luthra Chartered Accountant LLP
Chartered Accountants
Firm Regd.No.002081N/N500092

Sd/-
(Sanjeev Razdan)
Chairman-Cum-Managing Director
DIN 08711596

Sd/-
(Nilesh Mehta)
Partner
Membership No.093847
Place : New Delhi
Date : 19.05.2025
UDIN: 25093847BMMHW99101

Sd/-
(Ranjit Singh Chauhan)
Company Secretary
Membership No.F8785
Place : Noida
Date : 22/04/2025

Sd/-
(Ajay Gupta)
Chief Financial Officer
Membership No.079580



PAWAN HANS LIMITED
Statement of Profit and Loss for the year ended 31 March, 2024

(Rupees in Lakhs)

Particulars	Note No.	For the year ended March 31, 2024	For the year ended March 31, 2023
I Revenue From Operations	22	38,812.40	41,515.96
II Other Income	23	5,485.51	2,713.59
Total Income (III)		44,297.91	44,229.55
IV Expenses			
Helicopter Operational & Maintenance Expense	24	12,944.08	15,149.36
Employee benefits expense	25	15,732.70	15,758.19
Finance costs	26	836.83	815.62
Depreciation and amortization expense	27	10,373.91	9,896.57
Other expenses	28	5,797.50	3,493.63
Total expenses (IV)		45,685.02	45,113.38
V Profit/(Loss) before exceptional items and tax (III-IV)		(1,387.11)	(883.84)
VI Exceptional Items	29	-	-
VII Profit/(Loss) before tax (V-VI)		(1,387.11)	(883.84)
VIII Tax Expense :			
(1) Provision for Taxation		300.00	-
(2) Provision for Income Tax for Earlier Years		67.17	-
(3) Deferred Tax		(498.59)	1,709.22
		(131.42)	1,709.22
IX Profit/(Loss) of Continued Operations for the period (VII-VIII)		(1,255.68)	(2,593.05)
X Discontinued operations			
Profit /(Loss) from discontinued operation before tax		-	-
Tax expense of discontinued operations		-	-
XI Other Comprehensive Income			
(A) Other comprehensive income to be reclassified to profit or loss in subsequent periods:			
(i) Net gain/(loss) on above		-	-
(ii) Tax effect on above		-	-
(B) Other comprehensive income not to be reclassified to profit or loss in subsequent periods:			
(i) Net gain/(loss) on above	30	181.37	180.78
(ii) Tax effect on above		(56.59)	(56.40)
		124.78	124.38
XII Total Comprehensive Income for the period (IX+ X+XI) (Comprising Profit/(loss) and Other Comprehensive Income for the period)		(1,130.90)	(2,468.68)
XIII Earnings per equity share	31		
-Continued Operations			
(1) Basic		(203)	(443)
(2) Diluted		(203)	(443)
-Discontinued Operations			
(1) Basic		-	-
(2) Diluted		-	-

Notes 1 to 32 form an integral part of the Financial Statements
This is the Balance Sheet referred to in our report of even date

For & on behalf of Board of Directors

For Luthra & Luthra Chartered Accountant LLP
Chartered Accountants
Firm Regd.No.002081N/N500092

Sd/-
(Sanjeev Razdan)
Chairman-Cum-Managing Director
DIN 08711596

Sd/-
(Nilesh Mehta)
Partner
Membership No.093847
Place : New Delhi
Date : 19.05.2025
UDIN: 25093847BMMHW99101

Sd/-
(Ranjit Singh Chauhan)
Company Secretary
Membership No.F8785
Place : Noida
Date : 22/04/2025

Sd/-
(Ajay Gupta)
Chief Financial Officer
Membership No.079580

PAWAN HANS LIMITED Statement of Changes in Equity for the year ended 31 March, 2024

(Rupees in Lakhs)

Particulars	Equity share Capital	Share Application Money Pending Allotment	Reserve and Surplus		Items of OCI		Total Other Equity
			General Reserve	Retained Earnings	Equity instruments through Other Comprehensive Income	Other Items of Other Comprehensive Income	
As at April 1, 2022	55,748.20	-	2,050.00	40,489.80	(95.65)	(792.95)	41,651.20
Changes in accounting policy	-	-	-	-	-	-	-
Prior period errors	-	-	-	(386.80)	-	-	(386.80)
Restated balance at the beginning of the reporting period	55,748.20	-	2,050.00	40,103.00	(95.65)	(792.95)	41,264.40
Profit/(Loss) for the year from Continued Operations	-	-	-	(2,593.05)	-	-	(2,593.05)
Other comprehensive income	-	-	-	-	-	124.38	124.38
Total comprehensive income for the year	55,748.20	-	-	(2,593.05)	-	124.38	(2,468.68)
Dividend	-	-	-	-	-	-	-
Payment of dividend distribution tax	-	-	-	-	-	-	-
Transfer of Assets (Net of Liabilities) to RHL on Demerger	-	-	-	(4,912.02)	-	-	(4,912.02)
Transfer to retained earnings	-	-	-	-	-	-	-
Any other change	-	-	-	-	-	-	-
As at March 31, 2023	55,748.20	-	2,050.00	32,597.93	(95.65)	(668.57)	33,883.72
Changes in accounting policy	-	-	-	-	-	-	-
Restated balance at the beginning of the reporting period	-	-	-	-	-	-	-
Profit/(Loss) for the year from Continued Operations	-	-	-	(1,255.68)	-	-	(1,255.68)
Other comprehensive income	-	-	-	-	-	124.78	124.78
Total comprehensive income for the year	55,748.20	-	2,050.00	31,342.24	(95.65)	(543.79)	32,752.81
Dividend	-	-	-	-	-	-	-
Payment of dividend distribution tax	-	-	-	-	-	-	-
Transfer to retained earnings	-	-	-	-	-	-	-
Any other change	-	-	-	1.04	-	-	1.04
As at March 31, 2024	55,748.20	-	2,050.00	31,343.28	(95.65)	(543.79)	32,753.85

Notes 1 to 32 form an integral part of the Financial Statements
This is the Balance Sheet referred to in our report of even date

For Luthra & Luthra Chartered Accountant LLP
Chartered Accountants
Firm Regd.No.002081N/N500092

Sd/-
(Nilesh Mehta)
Partner
Membership No.093847
UDIN: 25093847BMMHW99101
Place : New Delhi
Date : 19.05.2025

For & on behalf of Board of Directors

Sd/-
(Sanjeev Razdan)
Chairman-Cum-Managing Director
DIN 08711596

Sd/-
(Ranjit Singh Chauhan)
Company Secretary
Membership No.F878
Place : Noida
Date : 22/04/2025

Sd/-
(Ajay Gupta)
Chief Financial Officer
Membership No.079580



PAWAN HANS LIMITED
Statement of Cash Flow for the year ended 31 March, 2024

		(Rupees in Lakhs)	
Particulars	For the year ended March 31, 2024	For the year ended March 31, 2023	
A. Cash Flow from Operating Activities			
Net Profit before tax from Continuing Operations	(1,205.74)	(703.06)	
Net Profit before tax from Discontinuing Operations	-	-	
Adjustment for:			
Depreciation and Amortization expenses (Net) Continued Operation	10,373.91	9,896.57	
Depreciation and Amortization expenses (Net) DisContinued Operation	-	-	
Interest Income on Bank Deposits	(365.47)	(340.40)	
Profit on Sale of Fixed Assets	(2.29)	(6.67)	
Interest Cost	836.83	815.62	
Fixed Assets written off	56.17	343.28	
Provision for doubtful debts & advances/Expected Credit Losses	2,185.73	476.57	
Provision for non-moving inventory/life expired items	364.63	212.82	
Unrealised Foreign Exchange Fluctuations	-	-	
Loss on Sale of Fixed Assets	-	2.01	
Excess Provision Written Back (Others)	(956.98)	(2,221.64)	
Provision for Inventory Shortage /excess	16.56	4.68	
Loss on modification of Lease	-	-	
Provision on impairment of assets	-	-	
Provision for Loss at Detachments	(0.01)	0.83	
	12,509.08	9,183.68	
Operating Profit Before Working Capital Changes	11,303.35	8,480.62	
Changes in Assets and Liabilities			
Trade Recievables	(4,351.59)	3,075.66	
Loans & Advances and other assets	1,627.27	(1,113.33)	
Inventories	(640.29)	516.40	
Trade Payables, Other Liabilities and Provisions	(315.04)	(6,491.43)	
Cash generated from operations	(3,679.66)	(4,012.70)	
Income Tax (Paid)/Received	2,210.86	(1,175.42)	
Net cash generated by operating activities	9,834.55	3,292.50	
B. Cash Flow from Investing Activities			
Purchases of Fixed Assets	(9,278.03)	(4,498.95)	
Sales / Insurance Claim / Adjustment of Fixed Assets	10.30	7.54	
Capital Work-in Progress	(461.61)	(71.43)	
Fixed Assets Transferred to RHL on Demerger	-	4,070.56	
Interest received	365.47	340.40	
Net Cash used in investing activities	(9,363.87)	(151.88)	
C. Cash Flow from Financing Activities			
Interest Cost	(836.83)	(815.62)	
Repayment of Long Term Borrowings	-	(67.60)	
Net Cash generated by/ (used in) financing activities	(836.83)	(883.23)	
Net Increase In Utilisation of Cash and Cash Equivalents	(366.14)	2,257.39	
Cash and cash equivalents at the beginning of the period	10,169.04	7,911.65	
Cash and cash equivalents at the end of the period	9,802.90	10,169.04	
Notes:			
1.Cash & Cash Equivalents includes:			
Cash & Cash Equivalents related to continuing Operations	3,627.05	3,956.17	
Less:Balance of Dividend Account With Bank	0.20	0.16	
Net Cash & Cash Equivalents related to continuing Operations (A)	3,626.85	3,956.01	
Cash & Cash Equivalents related to discontinuing Operations (B)	-	-	
Cash and Cash Equivalents (A+B)	3,626.85	3,956.01	
Other bank Balances (C)	6,176.05	6,213.03	
Total Cash and Cash Equivalents (A+B+C)	9,802.90	10,169.04	

Notes 1 to 32 form an integral part of the Financial Statements

Notes :

- Figures in Brackets indicates Cash outflows.
- The above Cash Flow Statement has been prepared under the indirect method set out in IND -AS -7 Cash Flow Statement.
- Total Cash and Cash Equivalents Includes Margin Money of Rs. 4385.86 Lakhs (P.Y. Rs.3566.39 lakhs)

This is the Cash Flow Statement referred to in our report of even date

For & on behalf of Board of Directors

Sd/-

(Sanjeev Razdan)

Chairman-Cum-Managing Director
DIN 08711596

For Luthra & Luthra Chartered Accountant LLP

Chartered Accountants
Firm Regd.No.002081N/N500092

Sd/-

(Nilesh Mehta)

Partner
Membership No.093847
Place : New Delhi
Date : 19.05.2025
UDIN: 25093847BMMHW99101

Sd/-

(Ranjit Singh Chauhan)

Company Secretary
Membership No.F8785
Place : Noida
Date : 22/04/2025

Sd/-

(Ajay Gupta)

Chief Financial Officer
Membership No.079580

SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

1. Corporate Information

Pawan Hans Limited (“the Company”) (CIN. U62200UP1985GOI129953) is a public limited company incorporated on October 15, 1985 under the Companies Act, 1956 and domiciled in India having its registered office at C-14, Sector-1, Noida, Distt. Gautam Budh Nagar – 201301. The company is a public sector undertaking and registered with the Registrar of Companies, Uttar Pradesh.

The Company has emerged as a pioneering leader in India’s aviation sector and is engaged in the business of providing helicopter services for a diverse range of activities with building the infrastructure, developing the human resource and enhancing the safety levels of helicopter operations for the entire nation. The Company is providing helicopter services to several State Governments namely, Meghalaya, Mizoram, Tripura, Sikkim, Himachal Pradesh, Jammu & Kashmir, Ministry of Home Affairs, Lakshadweep Administration, Andaman & Nicobar Administration, Kedarnath and also to ONGC, NTPC, Maharashtra Police etc.

2. A Basis of preparation

(i) Statement of compliance

The financial statements are prepared and presented in accordance with Generally Accepted Accounting Principles in India (GAAP) to comply with the mandatory Indian Accounting Standards (“Ind AS”) as prescribed under section 133 of the Companies Act, 2013 (the “Act”), read together with Rule 3 of the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015, relevant provisions of the Act and other accounting principles generally accepted in India. The Company had adopted Ind AS with effect from 1 April 2016, with transition date of 1 April 2015,

pursuant to notification issued by Ministry of Corporate Affairs dated 16 February 2015, notifying the Companies (Indian Accounting Standard) Rules, 2015.

The financial statements were authorized for issue by the Board of Directors of the Company on 22nd April, 2025.

(ii) Basis of measurement

The financial statements have been prepared on the historical cost basis, except certain financial instruments that are measured at fair value or amortized cost.

(iii) Critical accounting estimates and judgments

In preparing these financial statements, management has made judgments, estimates and assumptions that affect the application of accounting policies and the reported amounts of assets, liabilities, income and expenses, disclosure of contingent liabilities as at the date of financial statements. Actual results may differ from these estimates.

Estimates and underlying assumptions are reviewed on an ongoing basis. Revisions to accounting estimates are recognized prospectively.

Information about significant areas of estimation/uncertainty and judgments in applying accounting policies that have the most significant effect on the financial statements are as follows:

Point No. 2 (xi) below - measurement of defined benefit obligations: key actuarial assumptions.

Note 2 (vi) below- measurement of useful life and residual values of property, plant and equipment.

Point No.2 (iii) below - fair value measurement of financial instruments.

There are no assumptions and estimation uncertainties that have a significant risk of resulting in a material adjustment within the next financial year.

B. Significant Accounting Policies

The Accounting policies set out below have been applied consequently to the periods presented in these financial statements.

(i) Current Vs Non-Current Classification

All assets and liabilities are classified into current and non-current.

Assets

An asset is classified as current when it satisfies any of the following criteria:

- It is expected to be realized in, or is intended for sale or consumption in, the Company's normal operating cycle;
- It is held primarily for the purpose of being traded;
- It is expected to be realized within 12 months after the reporting period; or
- It is cash or cash equivalent unless it is restricted from being exchanged or used to settle a liability for at least 12 months after the reporting period.

Current assets include the current portion of non-current financial assets. All other assets are classified as non-current.

Liabilities

A liability is classified as current when it satisfies any of the following criteria:

- It is expected to be settled in the Company's normal operating cycle;
- It is held primarily for the purpose of being traded;

- It is due to be settled within 12 months after the reporting period; or
- The Company does not have an unconditional right to defer settlement of the liability for at least 12 months after the reporting period. Terms of a liability that could, at the option of the counterparty, result in its settlement by the issue of equity instruments do not affect its classification.

Current liabilities include the current portion of non-current financial liabilities. All other liabilities are classified as non-current.

Deferred tax assets and liabilities are classified as non-current assets and liabilities.

The operating cycle is the time between the acquisition of assets for processing and their realization in cash and cash equivalents. Based on the nature of operations and the time between the acquisition of assets for processing and their realization in cash and cash equivalents, the Company has ascertained its operating cycle being a period of twelve months for the purpose of classification of assets and liabilities as current and non-current.

(ii) Foreign currency transactions and translations

Functional and presentation currency

The management has determined the currency of the primary economic environment in which the Company operates i.e., functional currency, to be Indian Rupees (Rs.). The financial statements are presented in Indian Rupees, which is the Company's functional and presentation currency. All amounts have been rounded to the nearest Lakhs upto two decimal places, unless otherwise stated.

Transactions and Balances

Monetary and non-monetary transactions in foreign currencies are initially recorded in the functional currency of the Company at the exchange rates at the date of the transactions.

Monetary foreign currency assets and liabilities remaining unsettled on reporting date are translated at the rates of exchange prevailing on reporting date. Gains/ (losses) arising on account of realization/settlement of foreign exchange transactions and on translation of monetary foreign currency assets and liabilities are recognized in the Statement of Profit and Loss, except for gains / (losses) arising on translation of long-term foreign currency monetary loans taken before 31 March 2016 and used for acquisition of depreciable property, plant and equipment, are adjusted in the cost of property, plant and equipment. The above treatment will continue till the repayment of the foreign currency monetary loans.

Foreign exchange gains / (losses) arising on translation of foreign currency monetary loans are presented in the Statement of Profit and Loss on net basis. However, foreign exchange differences arising from foreign currency monetary loans to the extent regarded as an adjustment to borrowing costs are presented in the Statement of Profit and Loss, within finance costs.

(iii) Fair value measurement

Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date. The fair value measurement is based on the presumption that the transaction to Sell the asset or transfer the liability takes place either:

- In the principal market for the asset or liability, or
- In the absence of a principal market, in the most advantageous market for the asset or liability

The principal or the most advantageous market must be accessible to/ by the Company.

All assets and liabilities for which fair value is measured or disclosed in the financial statements are categorized within the fair value hierarchy, described as follows, based on the lowest level input that is significant to the fair value measurement as a whole:

- Level 1 — Quoted (unadjusted) prices in active markets for identical assets or liabilities
- Level 2 — Valuation techniques for which the lowest level input that is significant to the fair value measurement is directly or indirectly observable
- Level 3 — Valuation techniques for which the lowest level input that is significant to the fair value measurement is unobservable

For assets and liabilities that are recognized in the financial statements on a recurring basis, the Company determines whether transfers have occurred between levels in the hierarchy by reassessing categorization (based on the lowest level input that is Significant to the fair value measurement as a whole) at the end of each reporting period.

For the purpose of fair value disclosures, the Company has determined classes of assets and liabilities on the basis of the nature, characteristics and risks of the asset or liability and the level of the fair value hierarchy as explained above.

The Company measures financial instruments, such as, investments (other than investment in subsidiaries), at fair value at each reporting date. Also, fair value of financial instruments measured at amortized cost.

(iv) Financial Instruments

A financial instrument is any contract that gives rise to a financial asset of one entity and a financial liability or equity instrument of another entity.

(A) Financial Assets

Recognition and initial measurement

At initial recognition, financial assets are initially measured and recognized at fair value except where the company has availed the exemption provided in Para D20 of Ind AS 101 for first time adoption of Ind AS to apply the fair value measurement prospectively on the transactions undertaken after the transition date. In case of financial asset not recorded at fair value through Profit or loss, transaction costs that are directly attributable to the acquisition of the financial asset.

Classification and subsequent measurement

Classification

The Company classifies its financial assets in the following subsequent measurement categories:

- Debt instruments measured at amortized cost,
- Debt instruments measured at fair value through other comprehensive income (FVTOCI),
- Debt instruments, derivatives and equity instruments measured at fair value through profit or loss (FVTPL),

- Equity instruments measured at fair value through other comprehensive income (FVTOCI).

The classification depends on the Company's business model for managing the financial assets and the contractual terms of the cash flows. For assets measured at fair value, gains and losses will either be recorded in Statement of Profit and Loss or other comprehensive income. For investments in debt instruments, this will depend on the business model in which the investment is held. For investments in equity instruments, this will depend on whether the Company has made an irrevocable election at the time of initial recognition to account for the equity investment at fair value through other comprehensive income.

Initial Recognition and Measurement

Subsequent Measurement

Financial Assets measured at amortized cost

A financial asset is measured at amortized cost if it is held within a business model whose objective is to hold the asset in order to collect contractual cash flows and the contractual terms of the financial asset give rise on specified dates to cash flows that are solely payments of principal and interest on the principal amount outstanding.

This category is the most relevant to the Company. After initial measurement, such financial assets are subsequently measured at amortized cost using the effective interest rate (EIR) method. The EIR amortization is included in finance income in the statement of profit and loss. The losses arising from impairment are recognized in the statement of profit and loss (if any). This category generally applies to loans to employees, trade receivables, security deposits & other receivables.

Financial Assets measured at Fair Value through Other Comprehensive Income (FVTOCI)

A financial asset is measured at FVTOCI if it is held within a business model whose objective is achieved by both collecting contractual cash flows and selling financial assets and the contractual terms of the financial asset give rise on specified dates to cash flows that are solely payments of principal and interest on the principal amount outstanding.

Financial Assets measured at Fair Value through Profit or Loss (FVTPL)

A financial asset which is not classified in any of the above categories are measured at FVTPL

(B) Impairment of financial assets (other than at fair value)

The Company recognizes loss allowances using the Expected Credit Loss (ECL) model for the financial assets that are not fair valued through profit or loss. Loss allowance for trade receivables with no significant financing component is measured at an amount equal to lifetime ECL. For all other financial assets, expected credit losses are measured at an amount equal to the 12-month ECL, unless there has been a significant increase in credit risk from initial recognition, in which case those financial assets are measured at lifetime ECL. The changes (incremental or reversal) in loss allowance computed using ECL model, are recognized as an impairment gain or loss in the Statement of Profit and Loss.

(C) Write-off

The gross carrying amount of a financial asset is written off (either partially or in full) to the extent that there is no realistic prospect of recovery.

(D) Financial liabilities

Initial recognition and measurement

Financial liabilities at initial recognition can be classified as under:

- financial liabilities at fair value through profit or loss,
- financial liabilities measured at amortized cost,
- loans and borrowings and payables,

All financial liabilities are recognized initially at fair value and, in the case of loans and borrowings and payables, net of directly attributable transaction costs.

The financial liabilities of the company include security deposits, trade and other payables.

Subsequent measurement

Financial liability measured at amortized cost (the only category relevant to the company) is subsequently measured at amortized cost using the effective interest rate. Interest expense and foreign exchange gain and losses are recognized in Statement of Profit and Loss.

(E) De-recognition of financial instruments

The Company derecognizes a financial asset when the contractual rights to the cash flows from the financial asset expire or it transfers the financial asset and the transfer qualifies for derecognition under Ind AS 109.

A financial liability (or a part of a financial liability) is derecognized from the Company's Balance Sheet when the obligation specified in the contract is discharged or cancelled or expires.

(F) Offsetting of financial instruments

Financial assets and financial liabilities are offset and the net amount is



reported in the balance sheet if there is a currently enforceable legal right to offset the recognized amounts and there is an intention to settle on a net basis, to realize the assets and settle the liabilities simultaneously.

(v) Cash and cash equivalents

Cash and cash equivalents comprises of cash at banks and on hand, cheques on hand and short-term deposits with an original maturity of three months or less that are readily convertible to known amounts of cash, which are subject to an insignificant risk of changes in value.

(vi) Property, Plant and Equipment

Recognition and Measurement

Property, plant and equipment are measured at cost less accumulated depreciation and accumulated impairment losses, if any. Costs directly attributable for acquisition are capitalized until the property, plant and equipment is ready for use, as intended by the management.

The company depreciates property, plant and equipment over its estimated useful lives using the straight-line method. 5% of original cost of property, plant and Equipment is considered as Residual value.

During the year 2015-16, a Technical committee of the company after intensive technical evaluation re-assessed the estimated useful life of Helicopter fleet. During the year 2022-23, the company re-assessed the Estimated useful life of Dauphin SA365N and after deliberation and detailed discussion with the OEM revised the Estimated useful life of the helicopter from 35 years to 40 years. Further, the Estimated useful life of the leased Sikorsky S76D helicopter is considered as 7 years from the date of delivery under Right to use Assets. Hence, the Estimated useful lives for these assets are different from the useful lives as prescribed under Part C of Schedule II of the Companies Act 2013. The useful life, as determined for different type of Helicopters fleet are as under:-

Type of Helicopter	Estimated Useful life in years	Estimated useful life in flight hours
Dauphin SA 365 N	40 Years	1,00,000 Flight Hours
Dauphin AS 365 N3	35 Years	1,00,000 Flight Hours
Ecureuil AS 350 B3	35 Years	1,00,000 Flight Hours
Bell 206 L4	35 Years	35,000 Flight Hours
Bell 407	35 Years	35,000 Flight Hours
Mi-172	30 Years	18,000 Flight Hours
Sikorsky S76D (Leased)	7 Years	

The company follows component accounting for property, plant and equipment in accordance with the Ind AS-16 by identifying and depreciating separately the major components of an item of property, plant and equipment that have cost which is significant in relation to the total cost of the item and that has different useful life. The Company has considered component

having cost of 8% or more as compared to total cost of Helicopter as a significant component, however Major Overhaul Cost of Helicopter represented as Embedded Maintenance has been recognized separately and in case of other assets, no significant component has been identified for the purpose of component accounting.

Significant components identified in helicopter which have different useful are as under:-

Fleet Type	Component Identified	Useful Life of Component
Dauphin N	Engine	3000 Hours / 5 Years**
	MGB	3000 Hours / 5 Years**
	Overhaul Cost of Helicopter	5400 Hours / 9 Years**
Dauphin N3	Engine	3500 Hours / 6 Years**
	MGB	3000 Hours / 5 Years**
	Overhaul Cost of Helicopter	5400 Hours / 9 Years**
Ecureuil AS 350B3	Engine	3500 Hours / 6 Years**
	MGB	3000 Hours / 5 Years**
	Overhaul Cost of Helicopter	Major Inspection – 12 Years**
Bell 407	Engine	2000 Hours / 3 Years**
	Transmission Assembly	5000 Hours / 8 Years**
	Hub Assembly	2500 Hours / 4 Years**
	Overhaul Cost Helicopter	No Major Overhaul
Mi-172	Engine	1500 Hours / 5 Years**
	Overhaul Cost Helicopter	4500 Hours / 15 Years**

** Years are based on 600 Hours average flying for N, N3, B3 & Bell 407 and 300 Hours of Average flying for Mi-172.

Where a major part of an asset is replaced or restored, the carrying amount of the old part is de-recognized and the new part is added to the asset. Where the carrying value of the de-recognized/replaced component is not known, best estimate is determined by reference to the current cost.

Subsequent costs

Subsequent costs are capitalized only when it increases the future economic benefits embodied in the specific asset to which it relates. All other repairs and maintenance expenditure on other tangible assets is recognized in the Statement of Profit and Loss, at the time of incurrence

Depreciation

Depreciation on Airframe and Aero-engine equipment-Rotables and cost of mid-life up gradation programme (including type certification costs) /major retrofit of the Helicopters is computed on straight-line basis in a manner so as to write-off 95% of the amount thereof over the remaining useful life of the principal asset (type of helicopters) to which they pertain. For this purpose, the

remaining useful life of the last batch of helicopters (in case of Dauphin N since these constitute significant strength of the fleet) or latest helicopter (in the case of other fleet) is considered.

Cost of leasehold land is amortized over the period of lease. Similarly, the cost of residential flats constructed under joint development agreement with Airport Authority of India is amortized over the period of right to possess the property as per the terms of such agreement.

Depreciation in respect of additions or deletions of helicopters / spare aero engines is made on a pro-rata basis on number of days, effective from / to the date of acquisition (being the date of Signing of Certificate of Airworthiness by Airworthiness Officer of the region in India for helicopters) / disposal. Depreciation in respect of all other property, plant & equipment is reckoned on pro-rata basis on number of days. The effective date of addition for the purpose of such other assets is taken as the first day of the month following the month of purchase of the asset. Likewise, in respect of deletions,

last day of the preceding month of the deletion of such an asset is considered for providing pro-rata depreciation. Assets of material value retired from active use and held for disposal are stated at the lower of their net book value or net realizable value (wherever available) and disclosed separately in the account. No Depreciation is provided on such assets (including westland helicopters and related item w.e.f. F.Y.1995-96. Gains and Losses arising from retirement or disposal of assets are credited / charged to the Statement of Profit and Loss.

The estimated useful life of Mobile handsets has been considered to be three years. Depreciation methods, useful lives and residual values are reviewed periodically, including at the end of each financial year.

Capital work-in-progress

Cost of property, plant and equipment not ready for use as at the reporting date are disclosed as capital work-in-progress.

(vii) Intangible Assets

Recognition and measurement

Intangible assets acquired separately are measured on initial recognition at cost and subsequently are carried at cost less accumulated amortization and accumulated impairment losses, if any.

An intangible asset is derecognized on disposal, or when no future economic benefits are expected from use or disposal. Gains or losses on de-recognition are determined by comparing proceeds with carrying amount and are included in the Statement of Profit and Loss.

Subsequent costs

Subsequent costs are capitalized only when it increases the future economic benefits embodied in the specific asset to

which it relates. All other expenditure on other intangible assets is recognized in the Statement of Profit and Loss, as incurred.

Amortization

The company amortizes intangible assets with a finite useful life using the straight line method over the lives of the intangible assets. The amortization expenses on intangible assets are recognized in the Statement of Profit and Loss. The estimated useful lives are reviewed annually by the management and adjusted prospectively.

Cost of software purchased/developed in-house exceeding Rs. 5 lakhs each is amortized over a period of 60 months on straight line basis from the date of successful commissioning of the software, subject to review at each financial year end. Software costing up-to Rs. 5 lakhs each are charged off to Revenue in the year of purchase.

Non-current assets held for sale

Non-current assets and disposal groups are classified as held for sale if their carrying amount will be recovered principally through a sale transaction rather than through continuing use. This condition is regarded as met only when the asset (or disposal group) is available for immediate sale in its present condition subject only to terms that are usual and customary for sales of such asset (or disposal group) and its sale is highly probable. Management is committed to the sale, which should be expected to qualify for recognition as a completed sale within one year from the date of classification.

Non-current assets (and disposal groups) classified as held for sale are measured at the lower of their carrying amount and fair value less costs to sell.

(viii) Inventories

Inventories (except the items described below separately) are valued at lower of cost (on moving weighted average basis) or net realizable value after providing for obsolescence and other losses, where considered necessary. Cost includes all charges in bringing the goods to their present location and condition. Items of spares and stores lying on the shop floor at the year-end are also considered as part of closing inventory.

Loose tools/test tools are amortized equally over a period of 3 financial years including the year of purchase and stated accordingly. Items scrapped under these heads are written off on FIFO basis.

Stores and Spares, landed unit value of which, is less than Rs. 1,000 and all items of consumables, oil, greases, and lubricants are expensed in the year of purchase.

Provision is made in the accounts on moving weighted average basis for non-moving items of stores, spares and consumables (other than ground support and test equipments, and maintenance tools) which have not been issued for actual use for three consecutive years from the date of last transaction.

(ix) Impairment

a) Financial assets

In accordance with Ind-AS 109, the Company applies Expected Credit Loss (ECL) model for measurement and recognition of impairment loss on the following financial assets with credit risk exposure:

- i. Financial assets that are debt instruments and are measured at amortized cost e.g. loans, deposits etc.

- ii. **Trade receivables** – The company measures trade receivables at their transaction price unless the transaction contains a significant financing component and for the purpose of recognition of impairment loss allowance, the company applies the simplified approach prescribed by Ind AS-109 Financial Instrument for trade receivable. The application of simplified approach does not require the Company to track changes in credit risk. Rather, it recognizes impairment loss allowance based on lifetime ECLs at each reporting date, right from its initial recognition.

The company measures expected credit losses only in case where reasonable and supportable information is available without undue cost or efforts at the reporting date about past events, current conditions & forecast of future economic conditions.

In the absence of availability of any specific reliable information, the company usually considers debts recoverable from Central Government/State Government/Union Territories for more than seven years as doubtful and is provided for unless specifically known to be doubtful prior to this period. Debts recoverable from outside parties other than Central Government/State Government/Union Territories for more than three years are considered doubtful and provided for unless specifically known to be doubtful prior to this period.

- iii. **Trade payables** – Unclaimed credit balances relating to outside parties and outstanding for more than three years are written back and treated as income.

- iv. Time barred dues from the government / government departments / government companies are generally not considered as increase in credit risk of such financial asset.
- v. Where dues are disputed in legal proceedings, provision is made if any decision is given against the Company even if the same is taken up on appeal to higher authorities / courts.
- vi. Dues outstanding for significant period of time are reviewed and provision is made on a case to case basis.
- vii. Impairment loss allowance (or reversal) is recognised as expense / income in the statement of profit and loss.

b) Non-financial assets

Property, plant and equipment and intangible assets with finite life are evaluated for recoverability whenever there is any indication that their carrying amounts may not be recoverable. An impairment loss is recognized in the Statement of Profit & Loss for the amount by which the carrying amount of the asset exceeds its recoverable amount. The recoverable amount (higher of the fair value less cost to sell and the value-in-use) is determined on an individual asset basis unless the asset does not generate cash flows that are largely independent of those from other assets. In such cases, the recoverable amount is determined for the cash generating unit (CGU) to which the asset belongs.

(x) Employee Benefits

a) Short term employee benefits

Employee benefit liabilities such as salaries, wages and bonus etc. that are expected to be settled wholly within twelve months after the end of the reporting period in which the employees render the

related services are recognized in respect of employees services up to the end of the reporting period and are measured at an undiscounted amount expected to be paid when the liabilities are settled.

b) Post-employment benefit plans

Employee benefits consist of contribution to provident fund, pension, post-retirement medical benefits, gratuity fund, compensated absences and baggage allowance on retirement etc.

Defined Contribution plans

Payments to defined contribution retirement benefit scheme for eligible employees in the form of superannuation benefits are charged as an expense as they fall due. Such benefits are classified as Defined Contribution Schemes as the Company does not carry any further obligations, apart from the contributions made.

Provident Fund

The Company makes contribution towards provident fund, in substance a defined contribution retirement benefit plan for eligible employees. Under the scheme, the company is required to contribute a specified percentage of basic salary to fund the benefits. The contributions as specified under the law are paid to the Provident Fund Trust set up by the Company. The company is liable for monthly contributions and any shortfall in the fund assets based upon GOI specified minimum rates. Such contributions and shortfall, if any, are expensed in the year of payment.

Pension Fund

The Pension scheme of the Company is defined contribution scheme where the Company's liability is restricted to the contributions made for each month equivalent to 11% of salary on which

provident fund contribution is made. The company has finalized the pension scheme with Life Insurance Corporation of India after approval from MoCA.

Defined benefit plans

The company provides the following major defined benefit plans:

Gratuity

The Company has a defined benefit gratuity plan. Every employee who has rendered continuous service of five years or more is entitled to get gratuity subject to a maximum of Rs. 20.00 Lakhs on superannuation, resignation, termination, disablement or on death. The gratuity scheme is funded by the company and is managed by a separate trust.

Post-Retirement Medical Benefit Scheme (PRMBS)

The Company has Post-Retirement Medical Benefit Scheme under which a retired employee and his/ her spouse are provided medical facilities in the empanelled hospitals subject to a ceiling fixed by the Company.

Baggage Allowance on retirement

The Baggage Allowance represents post retirement reimbursement towards travel for the employee/ family members and shifting of baggage to any place in India where the employee intends to settle after retirement.

The liability or asset recognized in the balance sheet in respect of the defined benefit plans of the company is the present value of the defined benefit obligation at the end of the reporting period less the fair value of plan assets. The defined benefit obligation is calculated annually by actuaries using the projected unit credit method.

The present value of the said obligation is determined by discounting the estimated future cash outflows, using market yields of government bonds that have tenure approximating the tenures of the related liability.

The interest income / (expense) are calculated by applying the discount rate to the net defined benefit liability or asset. The net interest income / (expense) on the net defined benefit liability or asset is recognized in the Statement of Profit and Loss.

Re-measurement gains and losses arising from experience adjustments and changes in actuarial assumptions are recognized in the year in which they occur, directly in other comprehensive income. They are included in retained earnings in the Statement of Changes in Equity and in the Balance Sheet.

Changes in the present value of the defined benefit obligation resulting from plan amendments or curtailments are recognized immediately in Statement of Profit and Loss as past service cost.

Leave (Earned Leave/ Half Pay Leave)

The Company provides for earned leave benefit (including compensated absence) and half-pay leave to the employee of the Company, which accrues annually at 30 days and 20 days respectively. 75% of the earned leave is en-cashable while in service. Half-pay leave is en-cashable only on separation beyond the age of 50 years upto the maximum of 480 days and no commutation of Half Pay Leave is permissible. As per DPE guidelines, EL & HPL can be en-cashed upto maximum of 300 days together on superannuation. The liability for the same is recognized on the basis of actuarial valuation.

(xi) Provisions

Provisions are recognized when the Company has a present obligation (legal or constructive) as a result of a past event, where it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation and a reliable estimate can be made of the amount of the obligation. No provision for accrued expenses/ liabilities is made in the accounts where the individual transaction is less than Rs. 5,000.

Provision is made in the accounts for all known liabilities existing on the date of balance-sheet. Liabilities not known or liabilities whose amount cannot be determined with any reasonable degree of accuracy are not provided for. Further, liability for goods or repairs/overhaul charges is made in the accounts for goods dispatched by the suppliers by 31st March of each year but not received by the Company as at the year end, based on manufactures advice/engineering estimates.

A provision for onerous contracts is recognized when expected benefits to be derived by the Company from a contract are lower than unavoidable cost of meeting its obligations under the contract. The provision is measured at the present value of lower of expected cost of terminating the contract and expected net cost of continuing with the contract. Before a provision is established, the Company recognizes any impairment loss on the assets associated with that contract

The expense relating to any provision is presented in the Statement of Profit and Loss, net of any reimbursement. If the effect of the time value of money is material, provisions are discounted using a current pre-tax rate that reflects, where appropriate, the risks specific to

the liability. Where discounting is used, the increase in the provision due to the passage of time is recognized as part of finance costs.

(xii) Contingent liabilities / contingent assets

A contingent liability is a possible obligation that arises from past events whose existence will be confirmed by the occurrence or non-occurrence of one or more uncertain future events beyond the control of the Company or a present obligation that is not recognized because it is not probable that an outflow of resources will be required to settle the obligation. The Company does not recognize a contingent liability but discloses its existence in notes to the financial statements. Where there is a possible obligation or a present obligation in respect of which likelihood of outflow of resources is remote, no disclosure is made.

Contingent assets are possible assets that arises from past events and whose existence will be confirmed only by the occurrence or non-occurrence of one or more uncertain future events not wholly within the control of the company.

(xiii) Revenue Recognition

Revenue from Contract with Customers

- i. Revenue is recognized when (or as) the company satisfies a performance obligation by transferring the promised goods or services (i.e., an Asset) to a Customer.
- ii. **Satisfaction of performance obligation over time**
 - a. Revenue is recognised over time where the transfer of control of goods or services take places over time by measuring the progress towards complete satisfaction of that

performance obligation, if one of the following criteria is met:

- the company's performance entitles the customer to receive and consume the benefits simultaneously as the company performs
- the company's performance creates or enhances an asset that the customer controls as the asset is created or enhanced
- the company's performance does not create an asset with an alternative use to the company and the company has an enforceable right to payment for performance completed to date.

- b. Progress made towards satisfying a performance obligation is assessed based on the ratio of actual costs incurred on the contract up to the reporting date to the estimated total costs expected to complete the contract. If the outcome of the performance obligation cannot be estimated reliably and where it is probable that the costs will be recovered, revenue is recognised to the extent of costs incurred.
- c. In case of AMC contracts, where passage of time is the criteria for satisfaction of performance obligation, revenue is recognised using the output method.

iii. Satisfaction of performance obligation at a point in time

- a. In respect of cases where the transfer of control does not take place over time, the company recognises the revenue at a point in time when it satisfies the performance obligations.
- b. The performance obligation is satisfied when the customer obtains control of

the asset. The indicators for transfer of control include the following:

- the company has transferred physical possession of the asset
- the customer has legal title to the asset
- the customer has accepted the asset
- when the company has a present right to payment for the asset
- the customer has the significant risks and rewards of ownership of the asset. The transfer of significant risks and rewards ownership is assessed based on the Inco- terms of the contracts.

iv. Measurement

1. Revenue is recognized at the amount of the transaction price that is allocated to the performance obligation.
2. The transaction price is the amount of consideration to which the Company expects to be entitled in exchange for transferring promised goods or services to a customer, excluding amount collected on behalf of third parties.
3. In case of price escalation, where additional consideration is to be determined and approved by the customers, such additional revenue is recognised on receipt of confirmation from the customer(s).
4. Revenue is measured at fair value of the consideration received or receivable. The specific recognition criteria decided below must also be met before revenue is recognized.

- a) Revenue from helicopter operations is recognized on accrual basis as per the terms of the contract.
- b) Revenue relating to engineering and other services is recognized by reference to the stage of completion of the transaction at the end of the reporting period when the outcome of a transaction involving rendering of services can be estimated reliably.
- c) Revenue from Sale of scrapped Assets/Stores is recognized on actual realization.
- d) Interest income from financial assets is recognized when it is probable that economic benefits will flow to the Company and the amount of income can be measured reliably. Interest income is accrued on a time proportion basis, by reference to the principal outstanding and at the effective interest rate applicable, which is the rate that exactly discounts estimated future cash receipts through the expected life of the financial assets to that asset's net carrying amount on initial recognition.
- v. If the stand-alone selling price is not available the company estimates the stand alone selling price.

vi. Penalties

Penalties (including levy of liquidated damages for delay in delivery) specified in a contract are not treated as an inherent part of Transaction Price if the levy of same is subject to review by the customer.

(xiv) Dividend to equity shareholder

Dividend to equity shareholder is recognized as liability and deducted from shareholder equity in the period

in which dividends are approved by the equity shareholder in the general meeting. Interim dividends, if any, are recorded as a liability on the date of declaration by the Company's Board of Directors.

(xv) Prepaid Expenses

Prepaid expenses which are individually less than Rs. 5,000 are not accounted for.

(xvi) Borrowing Costs

Borrowing cost that are directly attributable to the acquisition or construction of asset that necessarily takes a substantial period of time to get ready for its intended use or sale are capitalized as part of the cost of the asset. General borrowing costs are capitalized to qualifying assets by applying a capitalization rate to the expenditure on that asset. The capitalization rate is the weighted average of the borrowing costs applicable to general borrowings outstanding, other than specific borrowings. All other borrowing costs are expensed in the period in which they occur. Borrowing costs consist of interest and other costs that an entity incurs in connection with the borrowing of funds. Borrowing cost also includes exchange differences to the extent regarded as an adjustment to the borrowing costs. Other borrowing costs are recognized as an expense in the year in which they are incurred.

(xvii) Commission

The commission paid / payable on sales is recognized on sale of ticket and in accordance with the terms of contracts with agents (customers). As the Company acts as a principal, the commission is recognized as an expense in the Statement of Profit and Loss.

(xviii) Expenditure

Expenses are accounted for on the accrual basis and provisions are made for all known losses and liabilities.

(xix) Helicopter repair and maintenance cost

The Company recognizes helicopter repair and maintenance cost in the Statement of Profit and Loss (except cost of major overhaul) on incurred basis.

(xx) Helicopter fuel expense

Helicopter fuel expenses are recognized in the statement of profit and loss as uplifted and consumed, net off any discounts.

(xxi) Income Taxes

Income tax expense comprises current and deferred income tax. Income tax expense is recognized in the Statement of Profit and Loss except to the extent that it relates to items recognized directly in equity, in which case it is recognized in other comprehensive income.

Current Tax

Current income tax for current and prior periods is recognized at the amount expected to be paid to or recovered from the tax authorities, using the tax rates and tax laws that have been enacted or substantively enacted by the balance sheet date. Current tax relating to items recognized directly in equity, is recognised in Other Comprehensive Income and not in the statement of profit & loss.

Additional demands of Income Tax raised in the Assessment are provided in the year of finality of Assessments. Accordingly, the interest on Income Tax refunds is accounted for in the year of finality of assessments or actual receipt, whichever is later.

The company offsets current tax assets and current tax liabilities, where it has a legally enforceable right to set-off the recognized amounts and where it intends either to settle on a net basis, or to realize the asset and settle the liability simultaneously. The income tax provision

for the year is made based on the best estimate of the annual tax rate expected to be applicable for the financial year.

(xxii) Deferred Tax

Deferred income tax assets and liabilities are recognized for all temporary differences arising between the tax bases of assets and liabilities and their carrying amounts in the financial statements. The carrying amount of the Deferred tax assets are reviewed at end of each reporting date and are reduced to the extent that it is no longer probable that sufficient taxable profit will be available to allow all or part of the deferred income tax asset to be utilized.

Deferred income tax assets and liabilities are measured using tax rates and tax laws that have been enacted or substantively enacted by the balance sheet date and are expected to apply to taxable income in the years in which these temporary differences are expected to be recovered or settled. The effect of changes in tax rates on deferred income tax assets and liabilities is recognized as income or expense in the year that includes the enactment or the substantive enactment date. A deferred income tax asset is recognized to the extent that it is probable that future taxable profits will be available against which the deductible temporary differences and tax losses can be utilized.

Unrecognized deferred tax are reassessed at each reporting date and recognized to the extent that it has become probable that the future taxable profits will be available against which it can be used.

Deferred tax assets and liabilities are offset only if the company has legally enforceable right to set off current tax assets against current tax liabilities and the deferred tax assets and the deferred tax liabilities relate to income taxes levied by the same taxation authority on the same taxable entity.

Deferred tax relating to the items recognized outside profit or loss is recognized outside profit or loss (either in other comprehensive income or in equity).

MAT under the provisions of the Income Tax Act, 1961 is recognized in the statement of profit and loss. The credit availed under the Act in respect of MAT paid is recognized as an asset only when and to the extent there is convincing evidence that the Company will pay normal income tax during the period for which the MAT credit can be carried forward for set off against normal tax liability. MAT Credit recognized as an asset is reviewed at each reporting date and written down to the extent aforesaid convincing evidence no longer exists.

(xxiii) Earnings per equity share

The company presents basic and diluted earnings per share data of its ordinary shares. Basic EPS is computed by dividing the profit or loss attributable to the equity shareholders of the Company by the weighted average number of ordinary shares outstanding during the year. Diluted EPS is computed by adjusting the profit or loss attributable to the ordinary equity shareholders and the weighted average number of ordinary equity shares, for the effects of all dilutive potential ordinary shares.

(xxiv) Segment reporting

Operating segments are reported in a manner consistent with the internal reporting provided to the chief operating decision maker. The chief operating decision maker is considered to be the Board of Directors who makes strategic decisions and is responsible for allocating resources and assessing performance of the operating segments

(xxv) Insurance / Insurance Claim

(a) Insurance Claims other than those relating to the helicopters and inventory are accounted for on cash

basis and recognized as income except where payable to any third party.

(b) All helicopter and inventory related claim recoveries other than the total loss are accounted for in the year of lodging the final claim upon establishing the virtual certainty of admittance of claim by the insurance surveyor/insurance company at the estimated/ finally assessed value which is known before the close of Books of Accounts of such financial year, otherwise in the year of admittance of claim. Actual expenditure on repairs and Insurance claim realized are accounted for in Statement of Profit and Loss and the assets are carried forward at their book values.

(c) In case of total loss of helicopter, adjustment is made in the year of event taking place by reducing the written down value of the helicopter from the Property, Plant & Equipment and reflecting the same as “Insurance Claim Receivable Account” and appropriate adjustment is made to the “Profit / Loss on Insurance Claim on destruction of Assets”, when the value of claim is admitted / settled by the insurance company.

(xxvi) Events after the Reporting Period

Adjusting events are events that provide further evidence of conditions that existed at the end of the reporting period. The financial statements are adjusted for such events before authorisation for issue.

Non-adjusting events are events that are indicative of conditions that arose after the end of the reporting period. Non-adjusting events after the reporting date are not accounted, but disclosed.

(xxvii) Leases

Company as a Lessee:-

Contracts with third party, which give the company the right of use in respect of an Asset, are accounted in line with the provisions of Ind AS 116 – Leases, if the recognition criteria as specified in the Accounting standard are met.

Lease payments associated with Short terms leases and Leases in respect of Low value assets are charged off as expenses on straight line basis over lease term or other systematic basis, as applicable.

At commencement date, the value of “right of use” is capitalized at the present value of outstanding lease payments plus any initial direct cost and estimated cost, if any, of dismantling and removing the underlying asset and presented as part of Plant, property and equipment.

Liability for lease is created for an amount equivalent to the present value of outstanding lease payments and presented as Borrowing. Subsequent measurement, if any, is made using cost model.

Each lease payment is allocated between the liability created and finance cost. The finance cost is charged to the Statement of Profit and loss over the lease period so as to produce a constant periodic rate of interest on the remaining balance of the liability for each period.

The right-of-use asset is depreciated over the shorter of the asset’s useful life and the lease term on a straight-line basis.

The lease payments are discounted using the interest rate implicit in the lease, if that rate can be determined, or the company’s incremental borrowing rate.

Lease modifications, if any, are accounted as a separate lease if the recognition criteria specified in the standard are met.

Company as a Lessor:

Leases are classified as operating lease or a finance lease based on the recognition criteria specified in Ind AS 116 – Leases.

a) Finance Lease :

At commencement date, amount equivalent to the “net investment in the lease” is presented as a Receivable. The implicit interest rate is used to measure the value of the “net investment in Lease”.

Each lease payment is allocated between the Receivable created and finance income. The finance income is recognized in the Statement of Profit and loss over the lease period so as to reflect a constant periodic rate of return on the net investment in Lease.

The asset is tested for de-recognition and impairment requirements as per Ind AS 109 – Financial Instruments.

Lease modifications, if any, are accounted as a separate lease if the recognition criteria specified in the standard are met.

b) Operating lease:

The company recognizes lease payments from operating leases as income on either a straight-line basis or another systematic basis, if required.

Lease modifications, if any, are accounted as a separate lease if the recognition criteria specified in the standard are met.



PAWAN HANS LIMITED
Notes to Financial Statements for the year ended 31 March, 2024
3 Property, Plant and Equipment
3.1 Assets under active use

Particulars	Right to Use Assets Helicopter S76D	Helicopter/ Aero Engine & Other Related Component	Building	Plant & Equipment	Furniture & Fixture	Vehicle	Office Equipment	Computer & other related equipments	Right to Use Assets	Total	Capital work in progress
Gross carrying value as at April 1, 2022	19,892.78	111,102.78	2,486.75	3,080.52	322.15	80.70	197.53	241.48	2,868.80	140,273.47	956.25
Additions	-	5,093.63	-	246.54	0.74	-	19.80	28.13	69.49	5,458.33	71.43
Disposals/Adjustments	(3,046.14)	(2,566.83)	-	(14.06)	(0.16)	(10.27)	(0.58)	(13.53)	-	(5,651.57)	(889.89)
Impairment	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferred to Discontinued Operations	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gross carrying value as at 31 March, 2023	16,846.64	113,629.59	2,486.75	3,312.99	322.73	70.43	216.75	256.07	2,938.29	140,080.23	137.79
Additions	-	7,689.80	4.36	234.55	8.20	23.91	16.85	4.59	1,368.99	9,351.24	461.61
Disposals/Adjustments	(1,636.52)	(689.75)	-	(0.55)	(1.07)	(6.92)	(2.69)	8.70	-	(2,328.80)	(73.21)
Impairment	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gross carrying value as at 31 March, 2024	15,210.12	120,629.64	2,491.11	3,546.99	329.86	87.42	230.91	269.36	4,307.28	147,102.68	526.19
Depreciation & Impairment											
Accumulated depreciation as at April 1, 2022	1,665.26	38,794.01	862.55	1,630.46	271.03	68.28	129.99	193.74	2,131.11	45,746.43	-
Depreciation charge for the year- Continued Operations	2,225.14	6,671.43	113.91	217.70	5.15	2.08	10.41	8.24	642.52	9,896.57	-
Depreciation charge for the year- Discontinued Operations	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferred to Discontinued Operations	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impairment	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amount adjusted from Retained earnings	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Disposals/Adjustments	-	(2,230.55)	-	(7.25)	(0.12)	(8.63)	(0.47)	(10.65)	-	(2,257.68)	-
Accumulated depreciation as at 31 March, 2023	3,890.40	43,234.89	976.46	1,840.91	276.06	61.73	139.93	191.33	2,773.63	53,385.33	-
Depreciation charge for the year- Continued Operations	2,006.97	7,290.21	114.22	210.87	4.92	1.61	13.31	15.55	716.24	10,373.91	-
Impairment	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amount adjusted from Retained earnings	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Disposals/Adjustments	-	(633.59)	-	(0.46)	(0.97)	-5.92	(2.34)	8.97	-	(634.31)	-
Accumulated depreciation as at 31 March, 2024	5,897.37	49,891.51	1,090.68	2,051.32	280.00	57.42	150.91	215.85	3,489.87	63,124.93	-

Particulars	(Rupees in Lakhs)									
	Right to Use Assets Helicopter S76D	Helicopter/ Aero Engine & Other Related Component	Building	Plant & Equipment	Furniture & Fixture	Vehicle	Office Equipment	Computer & other related equipments	Right to Use Assets	Capital work in progress
Net book value										
At 31 March 2024	9,312.75	70,738.13	1,400.42	1,495.67	49.85	30.01	80.00	53.51	817.41	526.19
At 31 March 2023	12,956.24	70,394.70	1,510.28	1,472.09	46.67	8.71	76.82	64.75	164.66	137.79
At 1 April 2022	18,227.52	72,308.77	1,624.20	1,450.06	51.12	12.42	67.54	47.74	737.69	956.25
				At 31 March 2024	At 31 March 2023	As at April 2022				
Property, Plant & Equipment				83,977.75	86,694.91	94,527.04				
Less : Provision for assets not in use				-	-	-				
Capital work in progress				83,977.75	86,694.91	94,527.04				
Less : Provision against Capital work in progress				526.19	137.79	956.25				
				(64.58)	(64.58)	(64.58)				
				461.61	73.21	891.67				



NOTE 4 INTANGIBLE ASSETS

(Rupees in Lakhs)

Particulars	Computer Software	Total
Gross carrying value as at April 1, 2022	207.30	207.30
Additions / (Deletion / Adjustment)	-	-
Gross carrying value as at 31 March, 2023	207.30	207.30
Additions / (Deletion / Adjustment)	-	-
Gross carrying value as at 31 March, 2024	207.30	207.30
Amortisation & Impairment		
Accumulated depreciation as at April 1, 2022	207.30	207.30
Amortisation	-	-
Impairment	-	-
Accumulated depreciation as at 31 March, 2023	207.30	207.30
Amortisation	-	-
Impairment	-	-
Accumulated depreciation as at 31 March, 2024	207.30	207.30
Net book value		
At 31 March 2024	-	-
At 31 March 2023	-	-
At 1 April 2022	-	-

NOTE 5 INVESTMENTS

(Rupees in Lakhs)

Particulars	As at		
	March 31, 2024	March 31, 2023	April,1 2022
Non-current			
Unquoted equity instruments			
Investments at fair value through OCI (Fully paid up)			
National Flying Training Institute Pvt Ltd	289.34	289.34	289.34
28,93,353 (P.Y. 28,93,353) Equity shares of Rs.10/- each fully paid up)			
Less: Provision for Diminution in value of investments	(289.34)	(289.34)	(289.34)
Total	-	-	-
Aggregate carrying value of unquoted investments	289.34	289.34	289.34
Aggregate market value of unquoted investments			
Aggregate amount of impairment in value of investments	289.34	289.34	289.34

**NOTE 6
LOANS***

(Rupees in Lakhs)

Particulars	As at		
	March 31, 2024	March 31, 2023	April,1 2022
Non-Current			
Loans to related party			-
Other loans			
(i) Loans to employees			
Secured, considered good	11.42	51.44	87.47
Unsecured, considered good	27.07	25.63	3.95
Unsecured, considered doubtful	69.98	22.55	21.75
	108.47	99.62	113.17
Less: Provision for doubtful loans	(69.98)	(22.55)	(21.75)
	38.49	77.07	91.42
(ii) Prepaid Expenses - Secured considered Good	-	0.06	1.66
(iii) Loan to Public Sector Undertaking, Considered Doubtful	725.00	725.00	725.00
Less: Provision for doubtful loan	(725.00)	(725.00)	(725.00)
	-	-	-
Total	38.49	77.13	93.08

*There is no amount due from director, other officer of the Company or firms in which any director is a partner or private companies in which any director is a director or member at any time during the reporting period.



NOTE 7
OTHER FINANCIAL ASSETS

(Rupees in Lakhs)

Particulars	As at		
	March 31, 2024	March 31, 2023	April,1 2022
(Unsecured, considered good unless otherwise stated)			
Non-Current			
Security deposits			
Unsecured, considered good	356.07	423.53	429.93
Unsecured, considered doubtful	13.73	13.72	13.72
	369.80	437.25	443.65
Less: Provision for doubtful deposits	(13.73)	(13.72)	(13.72)
	356.07	423.53	429.93
Interest accrued			
-Employee loans	-	-	-
Secured, considered good	37.81	52.17	84.88
Unsecured, considered good	-	-	-
Unsecured,considered Doubtful	22.78	22.78	22.78
	60.59	74.95	107.66
Less: Provision for doubtful interest accrued on employee loans	(22.78)	(22.78)	(22.78)
	37.81	52.17	84.88
Interest Accrued from Related Party			
	393.88	475.70	514.81
Current			
Interest accrued on:			
- Fixed deposit	123.52	136.31	108.35
- Employees' Loans			
Secured, considered good	20.31	28.24	17.94
Unsecured, considered good	-	-	-
	20.31	28.24	17.94
Interest Accrued from Related Party			-
Insurance claim receivable	2,628.92	2,078.19	1,348.81
Less: Provision for Doubtful Advance	(52.75)	(52.75)	(52.75)
	2,576.17	2,025.44	1,296.06
Fixed deposit accounts / Current accounts with Banks	75.24	71.11	68.09
(Against amount received from DGCA for Project, including Interest accrued)			
Contract Assets	1,699.55	1,057.09	1,079.24
Less : Provision for Expect Credit Losses	(947.50)	(947.50)	(947.50)
	752.05	109.59	131.74
Others	155.16	197.41	230.60
Less : Provision for Doubtful from Others	(9.97)	(9.97)	(9.97)
	145.19	187.44	220.63
	3,692.48	2,558.14	1,842.81
	4,086.36	3,033.84	2,357.62

**NOTE 8
OTHER ASSETS***

(Rupees in Lakhs)

Particulars	As at		
	March 31, 2024	March 31, 2023	April,1 2022
Non-Current			
Capital Advances		-	-
Advances to others			
Unsecured, considered good	806.80	27.41	221.39
Unsecured, considered doubtful	65.18	65.18	65.18
	871.98	92.59	286.57
Less: Provision for doubtful advances	(65.18)	(65.18)	(65.18)
	806.80	27.41	221.39
Advances Income tax (Net of provisions)	4,235.15	7,232.67	6,809.45
Less :Provision for doubtful Advances	(129.55)	(95.53)	(95.53)
	4,105.60	7,137.14	6,713.92
Prepaid expense	-	-	-
Other receivables	54.35	194.61	144.15
Less: Provision for doubtful receivables	(2.92)	(2.92)	(2.92)
	51.43	191.69	141.23
Total	4,963.83	7,356.24	7,076.54
Current			
Advances to others			
Unsecured, considered good	592.53	1,363.77	1,754.38
Unsecured, considered doubtful	231.77	127.83	127.83
	824.30	1,491.60	1,882.21
Less: Provision for doubtful advances	(231.77)	(127.83)	(127.83)
	592.53	1,363.77	1,754.38
Unsecured, considered good			
‘Balance with statutory authorities	4,521.71	3,937.97	2,219.55
Less: Provision for doubtful advances	(117.63)	(49.99)	(49.99)
	4,404.08	3,887.98	2,169.56
MAT Credit entitled			-
Less: MAT Credit Availed	-	-	-
‘Prepaid expense	509.17	660.97	578.15
Rohini Heliport Limited	327.92	356.68	-
Others	2.03	2.03	1.48
Total	5,835.74	6,271.42	4,503.57

*There is no amount due from director, other officer of the Company or firms in which any director is a partner or private companies in which any director is a director or member at any time during the reporting period.



NOTE 9 INVENTORIES

(Rupees in Lakhs)

Particulars	As at		
	March 31, 2024	March 31, 2023	April,1 2022
(Certified and valued by the management)			
Stores & Spares	10,174.11	9,842.50	9,499.68
Goods under inspection	72.75	124.38	1,008.04
Less: (i) Provision for Non moving stores & spares	(4,201.70)	(4,018.55)	(3,805.74)
(ii) Provision for shortage of inventory	(371.74)	(173.69)	(169.01)
(iii) Provision for Impairment in value	(453.13)	(453.14)	(453.14)
	<u>5,220.29</u>	<u>5,321.50</u>	<u>6,079.83</u>
Repairable & Rotables Spares	1,575.57	1,575.57	1,575.57
Less: (i) Obsolescence Reserve	(1,436.26)	(1,436.26)	(1,436.26)
(ii) Provision for impairment in value	(139.31)	(139.31)	(139.31)
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
Test tools equipment (at Cost)	116.26	147.81	125.49
Less: Write Off	(4.14)	(2.38)	(0.96)
	<u>112.12</u>	<u>145.43</u>	<u>124.53</u>
Gem Modules	501.37	501.37	501.37
Less: (i) Obsolescence Reserve	(447.21)	(447.21)	(447.21)
(ii) Provision for impairment in value	(54.16)	(54.16)	(54.16)
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
Goods in transit (at cost)	-	4.52	4.35
Aviation Turbines Fuel (at cost)	16.55	26.19	22.79
Total	<u>5,348.96</u>	<u>5,497.64</u>	<u>6,231.50</u>

NOTE 10
TRADE RECEIVABLES

(Rupees in Lakhs)

Particulars	As at		
	March 31, 2024	March 31, 2023	April,1 2022
Unsecured, considered good	18,644.79	16,225.71	19,225.11
Doubtful	11,740.69	9,808.18	9,369.92
	30,385.48	26,033.89	28,595.03
Less: Allowance for Doubtful Debt / Expected Credit Losses	(11,740.69)	(9,808.18)	(9,369.92)
Total	18,644.79	16,225.71	19,225.11

- (i) Trade receivables are generally non-interest bearing and are generally on terms of 30 to 90 days.
- (ii) No trade or other receivables are due from directors or other officers of the company either severally or jointly with any other person. Nor any trade or other receivables are due from firms or private companies respectively in which any director and his/her relatives are director, partner or a member.
- (iii) Before accepting any new customer, the Company assesses the potential customer's credit quality and defines credit limits by customer. Limits attributed to customers are reviewed annually.
- (iv) Of the trade receivable balance as at March 31, 2024 Rs.17357.20 Lakhs is due from five customers (as at March 31, 2023 Rs. 16291.02 Lakhs were due from Seven customers, as at April 2022 Rs.17297.49 lakhs were due from six customers). There are no other customer who represent more than 5% of the total balance of trade receivable.

NOTE 11
CASH AND CASH EQUIVALENTS

(Rupees in Lakhs)

Particulars	As at		
	March 31, 2024	March 31, 2023	April,1 2022
11.1 Balances with banks:			
- On current account	2,589.99	1,045.28	608.34
- Export earning foreign currency account	-	3.05	438.18
- Flexi deposit accounts	1,030.45	2,903.14	2,016.41
- Fixed deposit with original maturity of less than 3 months	-	-	-
Less: Temporary Bank Overdraft	-	-	(413.11)
Cash on hand	6.60	4.69	5.91
Total	3,627.05	3,956.17	2,655.73
11.2 Other bank balances			
- Fixed deposit accounts	1,790.19	2,646.64	989.97
(Original maturity more than 3 months)			
- Current Account *	650.00	650.00	-
- Margin money with banks	3,735.86	2,916.39	4,210.86
Total Other bank balances	6,176.05	6,213.03	5,200.83
Total	9,803.10	10,169.20	7,856.56

* Refer to Note No.32II(d)



NOTE 12 LOANS

(Rupees in Lakhs)

Particulars	As at		
	March 31, 2024	March 31, 2023	April, 1 2022
Current			
Loans to related parties	0.64	1.17	-
Others			
- Loans & Advances to employees			
Secured, considered good	129.16	144.81	76.17
Unsecured, considered good	117.29	167.20	254.81
Unsecured, considered doubtful	14.46	14.46	14.46
	260.91	326.47	345.43
Less: Provision for doubtful loans & advances	(14.46)	(14.46)	(14.46)
	246.45	312.01	330.98
Total	247.09	313.18	330.98

*There is no amount due from director, other officer of the Company or firms in which any director is a partner or private companies in which any director is a director or member at any time during the reporting period except Rs. 0.64 (P.Y. Rs.1.17 Lakhs) receivable from Key Managerial Personnel. of the company.

NOTE 13 CURRENT TAX ASSETS & LIABILITIES

(Rupees in Lakhs)

Particulars	As at		
	March 31, 2024	March 31, 2023	April,1 2022
Current tax assets (Net)	2793.48	2073.97	1,340.27
Current tax liabilities (Net)	(300.00)	-	-
Total	2,493.48	2,073.97	1,340.27

(a) 'The major components of income tax expenses for the years ended March 31, 2024 , March 31, 2023, April 1 2022 are:

Profit or loss section:

(Rupees in Lakhs)

Particulars	As at		
	March 31, 2024	March 31, 2023	April,1 2022
Current income tax:			
Current income tax charge	-	-	-
Adjustments in respect of current income tax of previous year	-	-	-
Deferred tax:			
Relating to origination and reversal of temporary differences	(498.59)	1,709.22	885.13
	(498.59)	1,709.22	885.13

OCI section:

(Rupees in Lakhs)

Particulars	As at		
	March 31, 2024	March 31, 2023	April,1 2022
Unrealised gain / (loss) on FVTOCI equity securities	-	-	-
Net loss / (gain) on Diminution in value of Investment	-	-	-
Net loss / (gain) on remeasurements of defined benefit plans	56.59	56.40	(25.00)
Income tax charged to OCI	56.59	56.40	(25.00)

(b) Reconciliation of tax expenses and the accounting profit multiplied by India's domestic tax rate for March 31, 2024, March 31, 2023, April 1 2022 :-

(Rupees in Lakhs)

Particulars	As at		
	March 31, 2024	March 31, 2023	April,1 2022
Accounting profit before tax	(1,387.11)	(883.84)	(389.28)
Income tax on above (March 31, 2024:@33.384 %)		-	-
Add: Tax Effect of Expenses that are not deductible in determining Book profit		-	-
Non-deductible expenses for tax purposes:			
- Provision for Doubtful/Debts & Advance		-	-
- Provision for Non Moving /Shortage of Inventory		-	-
- Remeasurement of the defined benefit Obligation shown in OCI		-	-
- Expenses / Provision not allowed under the Provisions Income Tax		-	-
- Change in Profit before tax for the F Y 2015-16 due to Ind-AS effect and component Accounting		-	-
- Tax effect of prior period items Charged to retained earning		-	-
- Interest on Income Tax U/S 234(B)& 234 (C) under Income Tax Act 1961		-	-
Income tax expenses reported in the statement of profit and loss		-	-



NOTE 14.1
EQUITY SHARE CAPITAL

(Rupees in Lakhs, except as otherwise stated)

Particulars	As at		
	March 31, 2024	March 31, 2023	April,1 2022
Share capital			
(A) Authorised, Issued, Subscribed and paid-up share capital and par value per share			
Authorised Capital			
5,60,000 (PY 5,60,000) Equity Shares of RS.10,000/- each	56,000.00	56,000.00	56,000.00
Issued Capital, Subscribed & Fully paid up			
5,57,482 (PY 5,57,482) Equity shares of Rs.10,000/- each	55,748.20	55,748.20	55,748.20
Paid up capital			
5,57,482 (PY 5,57,482) Equity shares of Rs.10,000/- each	55,748.20	55,748.20	55,748.20
	55,748.20	55,748.20	55,748.20

(B) Reconciliation of numbers of Equity Shares outstanding at the beginning and at the end of the year

(Rupees in Lakhs, except as otherwise stated)

Particulars	As at March 31, 2024		As at March 31, 2023		As at April 1, 2022	
	No. of shares	Amount	No. of shares	Amount	No. of shares	Amount
Number of shares outstanding at the beginning of the period	5,57,482	55,748.20	5,57,482	55,748.20	5,57,482	55,748.20
Number of shares outstanding at the end of the period	5,57,482	55,748.20	5,57,482	55,748.20	5,57,482	55,748.20
Changes during the year	-	-	-	-	-	-

(C) Rights, preferences and restrictions attaching to various classes of shares

Class of shares	Terms, rights attached to equity shares
Equity	The rights, preferences and restrictions attaching to each Ordinary shares of the company have a par value of Rs. 10,000 per share and rank class of shares including restrictions on the distribution of pari passu in all respects including voting rights and entitlement to dividend and the repayment of capital.

(D) Details of shareholder, holding more than 5% shares

Particulars	As at March 31, 2024		As at March 31, 2023		As at April 1, 2022	
	No. of shares	% held	No. of shares	% held	No. of shares	% held
President of India	2,84,316	51%	2,84,316	51%	2,84,316	51%
ONGC Ltd	2,73,166	49%	2,73,166	49%	2,73,166	49%

**NOTE 14.2
OTHER EQUITY**

(Rupees in Lakhs)

Particulars	As at		
	March 31, 2024	March 31, 2023	April,1 2022
General reserve	2,050.00	2,050.00	2,050.00
Retained earnings	31,343.28	32,597.93	40,103.00
Reserve for equity instruments through other comprehensive income	(95.65)	(95.65)	(95.65)
Reserve for debt instruments through other comprehensive income	-	-	-
Share Application Money Received Pending Allotment	-	-	-
Other Reserves	(543.79)	(668.57)	(792.95)
Total	32,753.84	33,883.70	41,264.40

**NOTE 15
BORROWINGS**

(Rupees in Lakhs)

Particulars	Maturity	As at		
		March 31, 2024	March 31, 2023	April 1, 2022
Non-current borrowings				
Secured Term loans				
- NTPC Ltd.	April,2022	-	-	-
Total		-	-	-
The maturity of borrowings is summarized as under:				
-Not later than one year		-	-	67.60
		-	-	67.60
Current maturities of Long term Debt				
-Later than one year and not later than five years		-	-	-
-Later than five years		-	-	-

**NOTE 16
PROVISIONS**

(Rupees in Lakhs)

Particulars	As at		
	March 31, 2024	March 31, 2023	April 1, 2022
Non Current			
Provision for employee benefits			
- Post retirement medical benefit scheme	3,157.13	2,755.88	2,476.58
- Earned leave	1,120.29	1,056.82	1,125.10
- Half Pay leave	680.41	797.75	773.04
- Others	13.28	15.73	16.84
Total	4,971.11	4,626.18	4,391.56



NOTE 17
DEFERRED TAX LIABILITIES

(Rupees in Lakhs)

Particulars	As at		
	March 31, 2024	March 31, 2023	April 1, 2022
Deferred taxes liabilities (Net)	10,257.59	10,699.59	8,933.97
	10,257.59	10,699.59	8,933.97

(a) The tax effect of significant temporary differences that resulted in deferred income tax assets and liabilities are as follows:

(Rupees in Lakhs)

Particulars	As at		
	March 31, 2024	March 31, 2023	April 1, 2022
Deferred income tax liabilities:			
- Accelerated depreciation for tax purposes	23,524.20	23,623.81	24,897.00
			-
Total deferred income tax liabilities	23,524.20	23,623.81	24,897.00
Deferred income tax assets:			
- Employee benefits	2,438.79	2,367.76	2,890.96
- Non-moving inventory	2,372.82	2,097.36	2,029.81
- Provision for diminution in value of investment	96.59	90.27	90.27
- Carried forward unabsorbed depreciation	-	544.10	1,699.98
- Doubtful debt/advances	4,479.77	3,504.81	3,367.82
- Prior Period Adjustment identified in the year of Transition		-	-
- Lease Liability	3,848.23	4,291.48	5,856.02
- Provision for Loss at Lakshadweep & Others	30.42	28.43	28.17
Total deferred income tax assets	13,266.61	12,924.21	15,963.03
Deferred income tax assets after set off	-	-	-
Deferred income tax liabilities after set off	10,257.59	10,699.59	8,933.97

(b) Reconciliation of deferred income tax liabilities (Net)

(Rupees in Lakhs)

Particulars	As at		
	March 31, 2024	March 31, 2023	April 1, 2022
Opening balance as on 1 April			
Tax (income)/expenses during the period recognized in profit or loss	(498.59)	1,709.22	885.13
Tax (income)/expenses during the period recognized in OCI	56.59	56.40	(25.00)
Closing balance as on 31 March	(442.00)	1,765.62	860.13

**NOTE 18
OTHER FINANCIAL LIABILITIES**

(Rupees in Lakhs)

Particulars	As at		
	March 31, 2024	March 31, 2023	April 1, 2022
Non-Current			
Security deposits / Earnest Money Deposit	14.28	102.65	45.51
Lease Liabilities	8,735.63	11,002.90	18,118.70
	8,749.91	11,105.54	18,164.21
Current			
Current Maturities of Long Term Debt		-	67.60
Payable on purchase of Fixed Assets	3,163.34	866.79	1,002.10
Payables for Capital Expenses	19.05	19.05	19.05
Payable to Employees*	2,823.87	3,019.19	3,407.90
Gratuity Payable	762.55	859.94	842.49
Security/ Earnest money deposit	106.89	103.89	105.68
Lease Liabilities	2,791.53	2,789.51	650.59
Advance from DGCA Against Project (including interest)	1,237.18	1,232.60	1,229.20
Less: Amount spent on project	(1,160.77)	(1,160.77)	(1,160.77)
	76.41	71.82	68.43
	9,743.64	7,730.19	6,163.84
Total	18,493.55	18,835.73	24,328.05

* Payable to Employees includes Rs. 9.13 Lakhs (P.Y. Rs.7.15 Lakhs) payable to Key Managerial Personnel of the company.

**NOTE 19
TRADE PAYABLES***

(Rupees in Lakhs)

Particulars	As at		
	March 31, 2024	March 31, 2023	April 1, 2022
Current			
Outstanding dues of micro & small enterprises	168.85	316.33	91.86
Outstanding dues of trade payables other than micro & small enterprises	6,619.48	6,623.75	6,094.74
Total	6,788.33	6,940.08	6,186.60

*Trade payables are non-interest bearing and are normally settled within 120 days.



NOTE 20 OTHER LIABILITIES

(Rupees in Lakhs)

Particulars	As at		
	March 31, 2024	March 31, 2023	April 1, 2022
Non Current			
	-	-	-
	-	-	-
Current			
Security/ Earnest money deposit	88.87	115.20	129.96
Contract Liability	988.39	137.66	63.89
Statutory Liabilities	2,467.17	3,058.96	1,359.77
Other Payables	1,111.52	1,341.81	2,624.06
	4,655.95	4,653.63	4,177.68
Total	4,655.95	4,653.63	4,177.68

NOTE 21 PROVISIONS

(Rupees in Lakhs)

Particulars	As at		
	March 31, 2024	March 31, 2023	April 1, 2022
Current			
Employee benefits:			
- Post retirement medical benefit scheme	9.82	6.08	6.97
- Earned leave	350.16	299.44	263.79
- Half Pay leave	225.79	95.57	149.35
- Others	1,353.34	1,706.38	3,611.74
	1,939.11	2,107.46	4,031.85
Provision for Loss at Lakshadweep	89.12	89.12	89.12
Provision for Corporate Social Responsibility	202.40	202.40	193.37
Provision for Loss at Detachments	1.98	1.99	1.16
Total	2,232.61	2,400.98	4,315.50

NOTE 22
REVENUE FROM OPERATION

(Rupees in Lakhs)

Particulars	For the year ended	
	March 31, 2024	March 31, 2023
Rendering of services		
Helicopter Hire Charges	39,161.21	40,966.21
Less: Deduction for Non-Provision of Helicopters (AOG)	(1,684.65)	(886.18)
	37,476.56	40,080.03
Other operating revenues		
Income from operations & maintenance contracts	16.14	7.15
Revenue from Rohini Heliport operations		-
Training fee & other recoveries	14.61	110.69
Heliport Development Consultancy	1,305.09	1,318.09
	1,335.84	1,435.93
Total	38,812.40	41,515.96

NOTE 23
OTHER INCOME

(Rupees in Lakhs)

Particulars	For the year ended	
	March 31, 2024	March 31, 2023
Interest income:		
-Deposits with Banks	365.47	340.40
-Loans to Employees	7.11	10.38
-Other	3,162.68	-
	3,535.26	350.78
-Provisions no longer required- written back	956.98	2,221.64
-Surplus on settlement of Insurance Claims	54.94	-
-Liquidated damages (Purchase)	0.03	17.14
-Profit on sales of Fixed Assets	2.29	6.67
-Exchange fluctuations (Net)	814.12	-
-Miscellaneous Income	121.89	117.35
Total	5,485.51	2,713.59



NOTE 24

HELICOPTER OPERATIONAL & MAINTENANCE EXPENSE

(Rupees in Lakhs)

Particulars	For the year ended	
	March 31, 2024	March 31, 2023
Helicopter Maintenance expenses	5,494.84	6,282.86
Fuel expenses	2,021.64	2,760.56
Insurance expenses	2,714.28	2,913.34
Landing, Parking and other expenses	387.75	180.63
Helicopter Lease charges	483.71	611.56
Liquidated damages	844.84	118.51
Royalty /Commission to Shrine Board	7.40	8.32
Provision for Non-Moving Inventory/ Life Expired Items	364.63	212.82
Exchange fluctuations (Net)	-	561.07
Heliport Development Expenses- (RCS)	354.68	873.53
Fixed Assets written off	56.17	343.28
Storage, Handling & Demurrage Charges	82.29	115.26
Freight, Transportation & Cartage	63.70	88.94
Provision for Inventory Shortage /excess	16.56	4.68
Other operating expenses	51.59	74.00
Total	12,944.08	15,149.36

NOTE 25

EMPLOYEE BENEFITS EXPENSE

(Rupees in Lakhs)

Particulars	For the year ended	
	March 31, 2024	March 31, 2023
Salaries, Wages & other benefits	14,135.13	14,171.28
Contribution to Provident, Pension & Gratuity fund	1,326.95	1,411.07
Staff welfare	46.06	36.27
Other Staff expenses	224.56	139.57
Total	15,732.70	15,758.19

NOTE 26

FINANCE COST

(Rupees in Lakhs)

Particulars	For the year ended	
	March 31, 2024	March 31, 2023
Interest	238.44	157.64
Interest on Lease Liabilities	598.38	657.98
Total	836.83	815.62

NOTE 27
DEPRECIATION & AMORTIZATION EXPENSE

(Rupees in Lakhs)

Particulars	For the year ended	
	March 31, 2024	March 31, 2023
Depreciation on Tangible Assets	7,650.70	7,028.91
Amortisation of Intangible Assets	-	-
Amortisation of ROU Assets	2,723.21	2,867.66
Total	10,373.91	9,896.57

NOTE 28
OTHER EXPENSES

(Rupees in Lakhs)

Particulars	For the year ended	
	March 31, 2024	March 31, 2023
Repairs & Maintenance		
-Building	80.00	51.66
-Equipment	60.81	50.39
-Others	73.59	79.07
	214.40	181.12
Rent	24.93	132.23
Loss on modification of Lease	-	-
Travelling & Conveyance	1,448.53	1,262.05
Crew & Staff Training	573.24	397.84
Bank charges	39.98	37.84
Electricity & Water expenses	154.29	195.15
Telephone, Fax & Postage	107.84	89.64
Advertisement & Publicity	15.78	15.95
Printing & Stationery	42.58	45.38
Vehicle Running & Maintenance	14.78	23.44
Training Institute Expenses	0.54	0.47
Auditors Remuneration		
-Statutory Audit Fees	8.50	7.49
-For other matters	-	-
-Reimbursement of expenses	0.73	0.54
	9.23	8.03
Rates, Fees & Taxes	333.45	255.66
Impairment of Debtors & Advances	253.23	0.59
Provision for Expected Credit Loss	1,932.50	475.98
Provision for Loss at Detachment	-0.01	0.83
Loss on Sale of Assets	-	2.01
Insurance Expenses	51.89	59.79
Other expenses	580.32	309.64
Total	5,797.50	3,493.63



NOTE 29
EXCEPTIONAL ITEMS

(Rupees in Lakhs)

Particulars	For the year ended	
	March 31, 2024	March 31, 2023
	-	-
Total	-	-

NOTE 30
OTHER COMPREHENSIVE INCOME

(Rupees in Lakhs)

Particulars	For the year ended	
	March 31, 2024	March 31, 2023
Employees Benefits Expenses	181.37	180.78
Provision for Diminution in Value of Investments	-	-
Total	181.37	180.78

NOTE 31
EARNINGS PER SHARE (EPS)

(Rupees in Lakhs)

Particulars	For the year ended	
	March 31, 2024	March 31, 2023
Profit/(Loss) attributable to equity holders on Continued Operations	(1,130.90)	(2,468.68)
Basic EPS (Rs.)	(203)	(443)
Diluted EPS (Rs.)	(203)	(443)
Profit/(Loss) attributable to equity holders on Discontinued Operations	-	-
Basic EPS (Rs.)	-	-
Diluted EPS (Rs.)	-	-

32. ADDITIONAL NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

(Annexed to and forming part of Annual Accounts for the year ended 31 March, 2024)

I. Capital and Other Commitments

Estimated amount of number of contracts remaining to be executed on capital account / investments (net of advances paid) and not provided for: -

(Rupees in Lakhs)

Particulars	31 March, 2024	31 March, 2023
Capital commitments	657.92	445.07

II. Contingent Liabilities

a) Guarantees given

(Rupees in Lakhs)

Particulars	31 March, 2024	31 March, 2023
Counter guarantees given to Banks	2834.06	1371.41

b) Letters of Credit -

(Rupees in Lakhs)

Particulars	31 March, 2024	31 March, 2023
Letters of Credit	901.80	1544.98

c) Tax Contingencies –

Amounts in respect of demands assessed by revenue authorities on the company, in respect of income tax, which are in dispute, have been tabulated below:

i. Income Tax

(Rupees in Lakhs)

Particulars	31 March, 2024	31 March, 2023
Income Tax demands contested by the Company at ITAT/CIT(Appeals)	4067.26	4003.06

The income tax department has withheld aforesaid amounts from amount deposited against demands/ refunds due to the Company for various years. In many cases, Income tax demands at the time of initial assessment by the assessing officer have been waived off by the Appellate authorities. Most of the tax demands relate to interest payable on Government of India loan which are pending before ITAT. In this connection reference is invited to Note no. III. During the financial year 2022-23 the CPC income tax department had issued an order for the AY 2021-22 under section 143(1)/154 dated 28.12.2022 & 24.02.2023 and raised a demand of Rs.628.71 lakhs against certain disallowances made for the financial year 2020-21 for which the Company is in appeal with CIT (Appeal). In financial year 2023-24, the department had adjusted their demand from the refund of AY2023-24, vide challan no.05628 dated 20.01.2024. The income tax department had also issued a demand of Rs.131.37 lakhs for the AY 2020-21 u/s 154 dt.20.03.2024 & 20.09.2024.

ii. Value Added Tax -

(Rupees in Lakhs)

Particulars	31 March, 2024	31 March, 2023
Demand Notice for payment of VAT for the period 2006-07 to 2009-10 including penalty & interest	Nil	43254.92



The demand relates to financial years 2006-07 to 2009-10 for transfer of right to use helicopters by some of the customers raised by Sales Tax Department of Delhi.

The Company had replied that since it is paying earlier tax on such transactions, demand for payment of VAT does not arise. On appeal filed by PHL against the judgment of the VAT Tribunal, Hon'ble Delhi High Court has stayed the impugned order and directed the respondents not to take any coercive steps for recovery of the demand. On 19/12/2024 Delhi High Court overturned VAT Demand and ruled out that the agreements with various governments and entities for helicopter use did not constitute a "transfer of right to use" under tax laws as Pawan Hans retained possession control and maintenance responsibilities.

iii. Service Tax / Goods & Services Tax -

(Rupees in Lakhs)

Particulars	31 March, 2024	31 March, 2023
Show Cause Notice from Service Tax Department for the period April, 2009 to June, 2017	7435.07	7435.07
Show Cause Notice from Goods & Service Tax Tax Department for the period July, 2017 to March 2022	4021.13	4021.13

Show Cause Notice relates to the period April, 2009 to June, 2017 from the service tax department. Company is contesting against the show cause notice issued by the Service tax department with Commissioner of Service Tax for Demand Notice of Rs.18.59 Lakhs, at Tribunal for Demand Notice of Rs.2431.09 Lakhs, at Commissioner of CGST & CX(Appeals) for Demand Notice of Rs.364.40 Lakhs and for Demand Notice of Rs.265.15 Lakhs adjudication is awaited, Original-in-Order dated 06.07.2021 has been received for payment of service tax of about Rs.4355.84 Lakhs including Penalty and Interest against Helicopter provided on lease to North Eastern States for the period 2014-15 to 2016-17. Further, a demand notice of Rs 4021.13 Lakhs including interest and penal interest has been received from Additional commissioner, CGST on 07th June 2023 in the form of Show cause notice cum demand for non-payment of GST against Helicopter provided to North East States for the period from July'2017 to March'2022. However, the company expects that there will be no significant impact on the results of operations or cash flows, based on opinion received from a consultant.

Further, the management is of the opinion that Mega Exemption Notification No 12/2017, under CGST Act is applicable to the company, hence, no GST is being charged by the company for its operations in North Eastern States except in contracts with State Government of Assam, Oil India etc.

d) Litigations -

(Rupees in Lakhs)

Particulars	31 March, 2024	31 March, 2023
i) Court cases / cases under Arbitration	2338.59	2425.93
ii) Others Matters	84.24	114.99

The above amount includes Rs.650.00 Lakhs on account of the Writ petition Pawan Hans limited Vs Aviation Karamchari sanghatana Writ petition (L) No.34184 of 2022 Bombay High Court has been filed by PHL against the order dated 27.6.2022 passed by RLC (c) u/s 33C(1) of the ID Act issuing recovery certificate (RC) of an amount of Rs 580.76 Lakhs with an interest of 10% p.a. and consequent attachment order dated 12.10.2022 issued by collector ,Mumbai suburban Distt. Attaching the bank account of PHL to the extent of amount mentioned above. The RC

has been issued towards claim for parity in wages and allowance of contractual employees with regular employees. The Hon'ble Bombay High court vide its order dated 15.11.2022 has directed that instead of freezing the bank account in its entirety, the Bank could be directed to permit the petitioner (PHL) to operate the bank account by retaining an amount of Rs.650.00 Lakhs. On 09.11.2023, the Hon'ble High Court directed that petitioner (PHL) shall now secure the differential amount of Rs.220.00 Lakhs on or before 27.11.2023 by either filing a bank guarantee for the same of deposit the amount in this court and any action in furtherance of the Recovery Certificate stands stayed upto 28.11.2023. The bank guarantee has been deposited (Considered above at Note No.II(a)) in the Hon'ble Bombay High Court. PHL has filed an amendment to the petition which has been allowed by the Hon'ble High Court. The next date of hearing is 15.01.2025.

- e) The Company's pending litigations comprise of claims against the company and proceedings pending with tax/statutory/Government authorities. The company has reviewed all its pending litigations and proceedings and has made adequate provisions, wherever required and disclosed contingent liabilities, wherever applicable, in its financial statements. The company does not expect outcome of these proceedings to have a material impact on its financial position. Future cash outflows in respect of the above are determinable only on receipt of judgments/decisions from various forums/authorities.

III. Residential Flats/Quarters

- a) The Company had constructed and capitalized 242 flats during 2002-2003 at a cost of Rs. 2270.68 Lakhs on land measuring 35,490 Square meters at Juhu Airport given by Airport Authority of India (AAI) for a period of 25 years. The

company has allotted 50 flats out of 242 flats to AAI as per joint development agreement in lieu of lease rentals for the said land and the cost of construction of such flats as estimated by the project architect amounts to Rs. 595.00 Lakhs.

- b) The Company had purchased 6 residential flats in May 1998 for the employees from MHADA, Mumbai. Though the possession was taken based on the letter of allotment, the Company has on provisional basis, provided stamp duty and registration and is subject to final payment on the execution of the appropriate conveyance deed in favor of the society as such these flats are not registered in the name of PHL. Some of the societies have gone in litigation against MHADA in Mumbai High Court on the issue of differential pricing. However, in line with the requirement of Ind AS 37, the company has not provided for the stamp duty in their books at present value as on 31 March 2024. The company has sent letters to the Chief Collector, MHADA office for the current value of the stamp duty. However, we are yet to receive any response from the Chief Collector. If, and when, there is any need to increase the amount in the books of accounts post receipt of their reply, the same shall be done in the respective year.

IV. Property, Plant & Equipment

- a) Rotables and Repairable with gross cost of Rs. 17068.38 Lakhs (March 31, 2023 Rs. 7982.72 Lakhs) are lying with foreign equipment suppliers for repairs as at 31.03.2024. Out of these, Rotables with gross cost of Rs. 3887.01 Lakhs (March 31, 2023 Rs. 2014.60 Lakhs) have been received back after 31 March, 2024. Confirmation from concerned parties for remaining Rotables which are still lying with them has been obtained. Efforts are being made to receive the items duly repaired / overhauled by the Original Equipment's Manufacturers (OEM).

- b) The company is conducting physical verification of Fixed Assets in phased manner to cover all items over a period of three years. Physical verification of Fixed Assets was conducted in during the financial year under review by independent Agency and its reconciliation with fixed assets register is in progress.
- c) The Company is of the opinion that since helicopters owned by the company are certified for airworthiness by DGCA on periodic/ annual basis and have earned revenue during the year under review, there is no impairment of Helicopter.
- d) The management is of the view that impairment testing of assets is not required, as the carrying value of its assets does not exceed their respective recoverable value.

V. Inventories

- 1) On physical verification of inventories during the year following shortages/ excess were noticed.

(Rupees in Lakhs)

2023-24		2022-23	
Shortage	Excess	Shortage	Excess
198.05	Nil	4.68	Nil

Appropriate adjustments have been made in the financial statements for the above amounts. However, reconciliations of physical balance and book records are in progress.

- 2) On review of inventory of Non-Moving stores, spares and consumables provision of Rs. 183.14 Lakhs (March 31, 2023 Rs. 212.82 Lakhs) has been made during the year under review as per the approved accounting policy.
- 3) The price trend in the Aviation Sector is different as compared to price trend in other industry, besides the sale/purchase price for pre-owned helicopter stores/spares/consumables is not directly available in the open market. Further, the aviation sector is growing rapidly while vendors in the market are very limited. Hence, the value of inventory has been accounted for on cost at moving weighted average price.

VI. Secured Loans

(Rupees in Lakhs)

S. No.	Loan From	Limit Sanctioned / Date	Drawdown upto 31.3.2024	Repayment upto 31.3.2024	Interest rate (Monthly rest)	Payment Schedule	Secured by
1	NTPC Ltd.	5430.00 29/04/2010	5283.63	5283.63	6% per annum up to 18/06/2019 & and 12.20% per annum from 19/06/2019 to 27/11/2019 and 6% per annum from 01/12/2019 onwards.	Amount Fully repaid upto April, 2022	De-Hypothecated Dauphin N3 helicopter

- VII. Confirmations for balances as at 31st March 2024 from Trade Receivables, Trade Payables and Loans & Advances/ Deposits were circulated, but no response received.

- VIII. The management is in the process of reconciling figures of services / Sales and Services Aailed/ Purchases reported in GST returns with those appearing in the books of accounts and GSTR-2A.

IX. Employees Remuneration and other benefits.

- a) The Board of Directors in its 154th Board meeting had approved the license related allowances w.e.f. 01.04.2016 to Pilots and AMEs, the provision of Rs. 1147.39 Lakhs was made in FY 2016-17. During the F.Y. 2017-18, the cabinet note for approval for revising the additional license related allowance to Pilots and AMEs w.e.f. 01/01/2017 was put up to MoCA with time frequency of Pay revision as per DPE. The provision for License related allowance was Rs. 1699.00 Lakhs upto FY 2022-23. The management reviewed this provision during FY 2023-24 and revised the provision based on the actual number of regular Pilots /AMEs in each respective year who are still on regular payroll of company as on 31/03/2024. Accordingly, the excess provision of Rs 539.00 lakhs has been reversed in FY 2023-24 and provision of Rs 185.50 Lakhs for FY 2023-24 has been created in books of account. The total Provision created for license related additional allowances to Pilots and AMEs upto 31st March 2024 is Rs. 1345.50 Lakhs.

b) Retirement Benefit Plans

- 1) The following table sets out status of retirement benefit plans recognized in the financial statements:-

(Rupees in Lakhs)

	2023-24			2022-23		
Particulars	Opening Liability	Created/ Adjusted during the Year	Closing Liability	Opening Liability	Created/ Adjusted during the Year	Closing Liability
Earned Leave	1356.25	114.20	1470.45	1388.88	(32.63)	1356.25
Half Pay Leave	893.32	12.88	906.20	922.39	(29.07)	893.32
Post Retirement Medical Benefit Scheme.	2761.96	404.98	3166.94	2483.55	278.41	2761.96
Baggage Allowance upon Retirement	18.50	(1.08)	17.42	19.99	(1.49)	18.50
Gratuity	859.94	(97.39)	762.55	842.50	17.44	859.94
Total	5889.97	433.59	6323.56	5657.31	232.66	5889.97

2) Gratuity

i. Changes in Benefit obligation are as follows:

(Rupees in Lakhs)

Particulars	31 March, 2024	31 March, 2023
Present value of obligation as at the beginning of the Period	4757.51	5137.39
Acquisition adjustment IN	(19.46)	-
Current service cost	242.52	241.33
Interest cost	347.77	367.84
Past Service Cost including curtailment Gains / Losses	-	-
Benefit paid	(659.31)	(692.06)
Total Actuarial (Gain)/loss on Obligation	(382.02)	(296.99)
Present value of obligation as at the end of the Period	4287.01	4757.51



ii. **Changes in plan assets are as follows:**

(Rupees in Lakhs)

Particulars	31 March, 2024	31 March, 2023
Fair value of plan assets at the beginning of the Period	3899.16	4295.36
Actual return on plan assets	285.07	293.45
Employer Contribution	-	2.41
Benefit paid	(659.31)	(692.06)
Fair value of plan assets at the end of the Period	3524.92	3899.16

iii. **The major categories of plan assets (as a percentage of total plan assets) are as follows:**

Particulars	31 March, 2024 (%)	31 March, 2023 (%)
Govt. of India Securities	-	-
State Government Securities	-	-
High quality Corporate Bonds	-	-
Equity Share of Listed Companies	-	-
Funds Managed by Insurer	100%	100%
Bank Balance	-	-

iv. **Balance sheet and Related Analysis :-**

(Rupees in Lakhs)

Particulars	31 March, 2024	31 March, 2023
Present value of defined benefit obligation	4287.01	4757.51
Fair value of plan assets	3524.92	3899.16
Unfunded Liability/provision in balance sheet	(762.09)	(858.34)

v. **The Amount recognized in the Income Statement :**

(Rupees in Lakhs)

Particulars	31 March, 2024	31 March, 2023
Current service cost	242.52	241.33
Interest cost on benefit obligation	62.74	60.29
Net expense for the period	305.27	301.62

vi. **Other Comprehensive Income (OCI):**

(Rupees in Lakhs)

Particulars	31 March, 2024	31 March, 2023
Actuarial Gain /(losses) on Obligation for the period	382.02	296.99
Actuarial gain/(loss) on Plan Assets	0.04	(14.10)
Unrecognized actuarial gain/(loss) for the year	382.06	282.89

vii. The principal assumptions used in determining employee benefits are given below:-

Particulars	31 March, 2024	31 March, 2023
Discount Rate	7.05%	7.31%
Future cost increase /Salary escalation rate	6.00%	6.00%
Retirement age	60	60
Attrition rate:		
Age (years)		
Upto 30 years	3.00%	3.00%
From 31 to 44 years	2.00%	2.00%
Above 44 years	1.00%	1.00%

The above information is certified by the actuary and relied upon by the auditors.

The estimated future salary increases, considered in actuarial valuation, takes into account the effect of inflation, seniority, promotion and other relevant factors such as supply and demand in the employment market. The overall expected rate of return on plan assets is determined based on the market prices prevailing as on balance sheet date, applicable to the period over which the obligation is to be settled.

viii. Sensitivity Analysis

(Rupees in Lakhs)

Particulars	31 March, 2024	31 March, 2023
Projected Benefit Obligation on Current Assumptions		
Delta Effect of +0.50% Change in Rate of Discounting	(150.11)	(166.92)
Delta Effect of -0.50% Change in Rate of Discounting	189.69	176.56
Delta Effect of +0.50% Change in Rate of Salary increase	189.25	175.80
Delta Effect of -0.50% Change in Rate of Salary Decrease	(151.23)	(168.47)

ix. Maturity Analysis of Defined Benefit obligation

(Rupees in Lakhs)

Particulars	31 March, 2024	31 March, 2023
Projected Benefits Payable in Future Years From the Date of Reporting		
1 st following year	1046.39	810.20
2 nd following year	925.65	891.76
3 rd following year	489.95	842.67
4 th following year	341.03	481.16
5 th following year	360.55	317.49
6 th following year	230.89	348.94
Beyond 6 years	892.54	891.18



3) Post Retirement Medical Benefit Plan

i. Changes in the present benefit obligation are as follows:

(Rupees in Lakhs)

Particulars	31 March, 2024	31 March, 2023
Present Value of obligation at the beginning of the year	2761.96	2483.55
Current service cost	50.81	48.74
Interest cost	201.90	177.82
Actuarial gain/(loss)	203.78	105.36
Past service cost	-	-
Benefit paid	(51.51)	(53.51)
Present value of obligation at the end of the year	3166.94	2761.96

ii. Balance sheet and related analysis: -

(Rupees in Lakhs)

Particulars	31 March, 2024	31 March, 2023
Present Value of the Obligation at end	3166.94	2761.96
Fair Value of Plan Assets	-	-
Unfunded Liability /provision in Balance sheet	(3166.94)	(2761.96)
Unfunded liability recognized in Balance sheet	(3166.94)	(2761.96)

iii. Expenses recognized in the statement of profit and loss:

(Rupees in Lakhs)

Particulars	31 March, 2024	31 March, 2023
Current service cost	50.81	48.74
Interest cost on benefit obligation	201.90	177.82
Net expense for the period	252.71	226.56

iv. Expenses recognized in the Other Comprehensive Income (OCI):

(Rupees in Lakhs)

Particulars	31 March, 2024	31 March, 2023
Actuarial losses on Obligation for the period	(203.78)	(105.36)
Net cumulative unrecognized actuarial gain/(loss) opening	-	-
Actuarial gain/(loss) for the period on assets	-	-
Net expense for the period unrecognized in OCI	(203.78)	(105.36)

v. The principal assumptions used in determining employee benefits are given below:-

Particulars	31 March, 2024	31 March, 2023
Discount Rate	7.05%	7.31%
Future cost increase /Salary escalation rate	6.00%	6.00%
Retirement age	60	60
Attrition rate :		
Age (years)		
Upto 30 years	3.00	3.00
From 31 to 44 years	2.00	2.00
Above 44 years	1.00	1.00

The above information is certified by the actuary and relied upon by the auditors.

The estimated future salary increase, considered in actuarial valuation, takes into account the effect of inflation, seniority, promotion and other relevant factors such as supply and demand in the employment market.

vi. Sensitivity Analysis

(Rupees in Lakhs)

Particulars	31 March, 2024	31 March, 2023
Projected Benefit Obligation on Current Assumptions		
Delta Effect of +0.50% Change in Rate of Discounting	92.41	(86.53)
Delta Effect of -0.50% Change in Rate of Discounting	(91.56)	86.41

4) Earned Leave Liability-

i. Changes in the benefit obligation are as follows:

(Rupees in Lakhs)

Particulars	31 March, 2024	31 March, 2023
Present Value of obligation at the beginning of the year	1356.25	1388.88
Acquisition Adjustment	(4.34)	3.17
Current service cost	152.93	107.58
Interest cost	99.14	99.44
Actuarial gain/(loss)	198.11	453.75
Benefit paid	(331.64)	(696.58)
Present value of obligation at the end of the year	1470.45	1356.25

ii. Balance sheet and related analysis:-

(Rupees in Lakhs)

Particulars	31 March, 2024	31 March, 2023
Present Value of the Obligation at end	1470.45	1356.27
Fair Value of Plan Assets	-	-
Unfunded Liability /provision in Balance sheet	(1470.45)	(1356.27)



iii. Expenses recognized in the statement of profit and loss:

(Rupees in Lakhs)

Particulars	31 March, 2024	31 March, 2023
Current service cost	152.92	107.58
Interest cost on benefit obligation	99.14	99.44
Net actuarial (gain)/ loss recognized in the period	198.11	453.75
Net expense for the period	450.17	660.78

iv. The principal assumptions used in determining employee benefits are given below:-

Particulars	31 March, 2024	31 March, 2023
Discount Rate	7.05%	7.31%
Future cost increase /Salary escalation rate	6.00%	6.00%
Retirement age	60	60
Attrition rate :		
Age (years)		
Upto 30 years	3.00	3.00
From 31 to 44 years	2.00	2.00
Above 44 years	1.00	1.00

The above information is certified by the actuary and relied upon by the auditors.

The estimated future salary increase, considered in actuarial valuation, takes into account the effect of inflation, seniority, promotion and other relevant factors such as supply and demand in the employment market.

v. Sensitivity Analysis

(Rupees in Lakhs)

Particulars	31 March, 2024	31 March, 2023
Projected Benefit Obligation on Current Assumptions		
Delta Effect of +0.50% Change in Rate of Discounting	(88.53)	(81.29)
Delta Effect of -0.50% Change in Rate of Discounting	87.51	84.28
Delta Effect of +0.50% Change in the Salary Increase	87.34	84.05
Delta Effect of -0.50% Change in the Salary Decrease	(88.95)	(81.76)

vi. Maturity Analysis of projected benefit obligation: From the Employer

(Rupees in Lakhs)

Particulars	31 March, 2024	31 March, 2023
1 st following year	350.31	299.44
2 nd following year	319.84	212.97
3 rd following year	166.37	231.52
4 th following year	105.36	128.01
5 th following year	116.47	78.78
6 th following year	84.13	85.91
Beyond 6 years	328.11	206.09

5) **Baggage Allowance**

i. **Changes in the present benefit obligation are as follows:**

(Rupees in Lakhs)

Particulars	31 March, 2024	31 March, 2023
Present Value of obligation at the beginning of the year	18.51	199.99
Current service cost	0.66	0.68
Interest cost	1.35	1.43
Actuarial gain/(loss)	(3.10)	(3.25)
Benefit paid	0.00	(0.35)
Present value of obligation at the end of the year	17.42	18.51

ii. **Balance sheet and related analysis :-**

(Rupees in Lakhs)

Particulars	31 March, 2024	31 March, 2023
Present Value of the Obligation at end	17.42	18.51
Fair Value of Plan Assets	-	-
Unfunded Liability /provision in Balance sheet	(17.42)	(18.51)
Unfunded liability recognized in Balance sheet	(17.42)	(18.51)

iii. **Expenses recognized in the statement of profit and loss:**

(Rupees in Lakhs)

Particulars	31 March, 2024	31 March, 2023
Current service cost	0.66	0.68
Interest cost on benefit obligation	1.35	1.43
Net expense for the period	2.01	2.11

iv. **Expenses recognized in the Other Comprehensive Income (OCI):**

(Rupees in Lakhs)

Particulars	31 March, 2024	31 March, 2023
Actuarial gain /(losses) on Obligation for the period	3.10	3.25
Net cumulative unrecognized actuarial gain/(loss) opening	-	-
Actuarial gain/(loss) for the period on assets	-	-
Net expense for the period recognized in OCI	(3.10)	(3.25)

v. **The principal assumptions used in determining employee benefits are given below:-**

Particulars	31 March, 2024	31 March, 2023
Discount Rate	7.05%	7.31%
Future cost increase /Salary escalation rate	6.00%	6.00%
Retirement age	60	60
Attrition rate :		

Particulars	31 March, 2024	31 March, 2023
Age (years)		
Upto 30 years	3.00	3.00
From 31 to 44 years	2.00	2.00
Above 44 years	1.00	1.00

The above information is certified by the actuary and relied upon by the auditors.

The estimated future salary increase, considered in actuarial valuation, takes into account the effect of inflation, seniority, promotion and other relevant factors such as supply and demand in the employment market.

vi. Sensitivity Analysis

(Rupees in Lakhs)

Particulars	31 March, 2024	31 March, 2023
Projected Benefit Obligation on Current Assumptions		
Delta Effect of +0.50% Change in Rate of Discounting	(0.66)	(0.71)
Delta Effect of -0.50% Change in Rate of Discounting	0.64	0.71

6) Half Pay leave Liability

i. Changes in the present value of benefit obligation are as follows:

(Rupees in Lakhs)

Particulars	31 March, 2024	31 March, 2023
Present Value of obligation at the beginning of the year	893.32	922.39
Acquisition Adjustment	(4.82)	-
Current service cost	53.27	45.69
Interest cost	65.30	66.04
Actuarial gain/(loss)	(29.84)	(33.79)
Benefit paid	(71.04)	(107.01)
Present value of obligation at the end of the year	906.20	893.32

ii. Balance sheet and related analysis:-

(Rupees in Lakhs)

Particulars	31 March, 2024	31 March, 2023
Present Value of the Obligation at end	906.20	893.32
Fair Value of Plan Assets	-	-
Unfunded Liability /provision in Balance sheet	(906.20)	(893.32)

iii. Expenses recognized in the statement of profit and loss:

(Rupees in Lakhs)

Particulars	31 March, 2024	31 March, 2023
Current service cost	53.27	45.69
Interest cost on benefit obligation	65.30	66.04
Net actuarial (gain)/ loss recognized in the period	(29.84)	(33.79)
Net expense for the period	88.73	77.95

iv. The principal assumptions used in determining employee benefits are given below:-

Particulars	31 March, 2024	31 March, 2023
Discount Rate	7.05%	7.31%
Future cost increase /Salary escalation rate	6.00%	6.00%
Retirement age	60	60
Attrition rate :		
Age (years)		
Upto 30 years	3.00	3.00
From 31 to 44 years	2.00	2.00
Above 44 years	1.00	1.00

The above information is certified by the actuary and relied upon by the auditors.

The estimated future salary increase, considered in actuarial valuation, takes into account the effect of inflation, seniority, promotion and other relevant factors such as supply and demand in the employment market.

v. Sensitivity Analysis

(Rupees in Lakhs)

Particulars	31 March, 2024	31 March, 2023
Projected Benefit Obligation on Current Assumptions		
Delta Effect of +0.50% Change in Rate of Discounting	(23.01)	(22.62)
Delta Effect of -0.50% Change in Rate of Discounting	6.28	19.75
Delta Effect of +0.50% Change in the Salary Increase	6.36	19.88
Delta Effect of -0.50% Change in the Salary Decrease	(23.21)	(22.89)

vi. Maturity Analysis of projected benefit obligation: From the Employer

(Rupees in Lakhs)

Particulars	31 March, 2024	31 March, 2023
1 st following year	225.79	95.56
2 nd following year	248.32	71.70
3 rd following year	82.77	53.78
4 th following year	63.17	79.69
5 th following year	82.38	165.58
6 th following year	60.29	206.17
Beyond 6 years	143.48	214.11



X. Investment in Equity Share (unlisted) at cost - (Level 3 Investment)

The Company has invested Rs. 289.34 Lakhs during F.Y. 2009-10 towards equity contribution (unlisted) in National Flying Training Institute Pvt. Ltd. (NFTI), Gondia, Maharashtra. The investee company has accumulated losses of Rs. 9148.13 Lakhs against paid up share capital of Rs. 8368.40 Lakhs as on 31.03.2024 (audited Accounts). Considering huge accumulated Loss which is about 109.32% (March 31, 2023 – 105.83%) of Paid up share capital of the NFTI, the Company has made total provision for diminution in value of investment of Rs. 289.34 Lakhs till 31.03.2024 (March 31, 2023 Rs. 289.34 Lakhs).

XI. Insurance Claims

- a) On 28th June 2013 N3 helicopter Regn No VT-PHZ met with an accident, when the helicopter was on rescue mission in Uttarakhand from Mateli to Harshil. The financial claim amounting to Rs.1086.76 Lakhs upon completion of repairs to the helicopter has been submitted to M/s. New India Assurance Co. Ltd. for their assessment and further action. Subsequently as per the E-mail dt.10th Sept, 2015 the surveyor had assessed the claim for Rs.733.45 Lakhs which is subject to settlement by the insurance company. The Insurance Company has rejected our claim based on a DGCA report of the incident. The company has explained vide letter dated 13 August 2018 in detail probable reasons for the accident and has again requested the Insurance company to reconsider the issue and settle the claim. PHL has filed suit against M/s. New India Assurance Co. Ltd. before Hon'ble Delhi High Court with a prayer for directing Insurance company to pay Rs.812.74 Lakhs. The last hearing in the matter had held on 21.03.2025. The next date of hearing on the matter is on 13/05/2025 for completion of pleadings.
- b) On 03/10/2018, Bell 206L4 Helicopter VT-PHD (Sum Insured Value of Rs.875.00 Lakhs) took off from Padaum and had emergency landing at Kargiak in Zaskar beyond Leh. The claim of the same had been assessed as constructive total loss and the company had received Rs. 780.00 Lakhs (net of salvage value) out of total receivable Rs. 835.00 Lakhs (net of deductible-Rs. 40 lakhs) on 19.01.2021 (F.Y. 2020-21). The Balance payment (Salvage value) of Rs. 55 lakhs which was pending on account of disposal of salvage has been received on 20.07.2023 from Insurer.
- c) The company has leased one of the Sikorsky helicopter VT-PWI (MSN 761060) having sum assured value of \$ 12,700,000 met with an accident on 28/06/2022 on Mumbai high offshore field, which was flying for M/s. Oil and Natural Gas Corporation (ONGC). The accident was informed to the insurance company by the PHL. The Aircraft has been declared as "total loss". Accordingly, The Insurance Company has settled the claim for net amount of USD 12,600,000 (net of deductible- \$ 100,000) and payment has been released directly to Lessor in the month of January, 2023. Deductible amount of \$ 100,000 has been paid by PHL to Lessor as per Lease Agreement. Passenger Liability claims are under assessment by Surveyor for voluntarily settlement with family members of Deceased / ONGC Ltd.
- d) During the FY 23-24, It was noted that some spare parts from Material Dept. at Rohini Heliport were missing. Further, during Annual Physical Verification of Inventory, some more items belonging to Bell 206 L4, AS 350 B3 Helicopters were found missing. In this context, FIR dated 09/11/2023 & 11/12/2023 were lodged and the matter is under investigation. The company has lodged the claim with Insurance Company i.e M/s The Oriental Insurance Company Ltd. The Insurance Company has appointed Surveyor in this regard. The claim is under assessment with Surveyor. The estimated cost/WDV of missing items is Rs. 121.48 Lakhs.

XII. Taxation

- a) In view of taxable losses for the financial years ended 31.03.2007 to 31.03.2017, the Company had paid Minimum Alternate Tax (MAT) under section 115JB of the Income Tax Act, 1961 amounting to Rs. 13,343.44 Lakhs (March 31, 2023 Rs. 13,343.44 Lakhs) including MAT of Rs.4669.73 Lakhs for the FY 2016-17 (tax under normal provision was calculated at Rs.3743.12 lakhs & total tax paid under MAT was Rs.8412.85 lakhs balance amount of Rs.4669.73 lakhs were available MAT credit for the AY 2017-18).

For the AY2017-18, the AO vide its order no. ITBA/AST/S/143(3)/2019-20/1021788059(1) dated 06/12/2019 made certain disallowances under normal provision of the income tax & the total tax computed by the AO was Rs.12657.82 lakhs plus interest obligation of Rs.2037.95 lakhs aggregating tax raised to Rs.14695.77 lakhs and after adjusting the tax deposited by the Company amounting to Rs.8943.11 lakhs which includes TDS, advance tax & self-assessment tax, the income tax department had raised the additional demand of Rs.5752.66 lakhs.

Thereafter, the AO vide rectification order no. ITBA/REC/S/154_1/2020-21/1030290334 (1) dated 02/02/2021 recalculated the tax liability under 154/143(3) after giving effect of MAT credit of Rs.4144.08 lakhs out of available MAT credit of Rs.8673.72 lakhs upto AY-2016-17, leaving a balance of Rs.4529.64 lakhs upto AY2017-18. The total tax calculated by AO was Rs.12657.82 lakhs less MAT credit of Rs.4144.08 lakhs, balance tax payable after MAT adjustment was Rs.8513.74 lakhs plus interest obligation of Rs.559.09 lakhs aggregating net tax liability of Rs.9072.83 lakhs and after adjusting the total tax paid amounting to Rs.9827.21 lakhs by the Company the department had refunded the tax of Rs.754.38 lakhs. Further, stated that the Company is already in CIT(Appeal) for the disallowances made by the than AO.

Further, for the AY 2018-19 vide assessment order no. ITBA/REC/S/186/2022-23/1042878977(1) dated 27/04/2022 the Income Tax department has calculated the tax liability of Rs.4866.78 lakhs and adjusted MAT credit of Rs.4028.06 lakhs from available MAT credit of Rs.4529.64 lakhs and net tax payable was Rs.838.72 lakhs plus interest obligation of Rs.17.93 lakhs hence, the total tax liability was Rs.856.65 and after adjustment of taxes paid by the Company amounting to Rs.912.74 lakhs, the department had issued the refund order of Rs.56.09 lakhs. Further, stated that the Company is already in CIT(Appeal) for the disallowances made by the than AO for the FY 2018-19. As on date the Company has balance available MAT credit of Rs. 501.58 lakhs which is adjustable in future against tax under normal provisions. However, MAT has not been accounted for on prudent basis, as the management is not certain of generating future taxable profit to adjust available MAT credit.

- b) Breakup of advance tax net of provision of Rs. 6,728.64 Lakhs (P.Y. Rs. 9,306.65 Lakhs) has been shown under Non-Current Advance Tax Rs.4,235.16 Lakhs (PY Rs. 7,232.68 Lakhs) including provision of Rs. 129.55 Lakhs (PY Rs.95.53 Lakhs) made for invalid TDS certificates pertaining to assessment years 2004-05, 2005-06, 2006-07, 2009-10 and 2010-11 under Current Tax Rs. 2,493.48 Lakhs (P.Y. Rs. 2,073.97 Lakhs) and under Current Liabilities Rs. NIL (P.Y. Rs. NIL Lakhs) which are as under: -

(Rupees in Lakhs)

Particulars	31 March, 2024	31 March, 2023
Advance Tax including tax deducted at source	41,618.32	43,731.14
Provision for Income Tax	34,889.68	34,424.49
Net Amount of advance income tax paid	6,728.64	9,306.65



- c) The amount of advance tax includes Rs. 5,973.77 Lakhs (March 31, 2023 Rs. 7,478.78 Lakhs) relating to completed assessments upto the assessment year 2022-23 and Rs.21.79 Lakhs pertains to A.Y. 2023-24 in respect of which assessment is yet to be completed and balance advance tax of Rs.1,033.06 Lakhs pertains to current financial year.

The refundable amount of aforesaid advance tax as on 31 March, 2024 amounting to Rs. 5,973.77 Lakhs upto the assessment year 2022-23 (March 31, 2023 Rs. 7478.78 Lakhs), is not quantifiable at this stage as these cases are pending with CIT/ITAT. Hence, net amount recoverable /adjustable towards refund from the Income Tax Department has been shown under “Non-Current Assets” amounting to Rs.4,235.15 Lakhs (March 31, 2023 Rs. 7,232.68 Lakhs) and balance amount of Rs. 2,793.48 Lakhs (March 31, 2023 Rs. 2,073.97 Lakhs) has been shown under “Current Tax Assets”.

The Company has filed appeals with the Income Tax Appellate Tribunal against disallowances made by the assessing officer and confirmed by the CIT (Appeals). These appeals mainly relate to Company’s claim of interest payable to the Central Government/ interest on tax free bonds for the financial years 1996-97 to 2001-02.

XIII. Heliport Project

The Government had approved building a Heliport at Rohini, New Delhi by the Company at an estimated cost of Rs. 6400.00 Lakhs (including cost of Land of Rs.1907.00 Lakhs which is in the name of MOCA) which was revised to Rs 9925.00 Lakhs on 07/06/2016 by MOCA due to additional items and contingencies for essential security, safety and operational infrastructure cost. The project is to be funded as under:-

- Government equity towards 80% of the cost of infrastructure development aggregating to Rs. 6414.00 Lakhs.
- Company contribution of Rs.1604.00 Lakhs being 20% of the project cost.

The Company had received Rs. 6414.00 Lakhs upto March, 2017 as equity contribution from GoI towards cost of the Heliport Project (Including Rs. 2814.00 Lakhs received from GoI (MOCA) in March 2017 as equity share capital).

Expenses incurred on the project till 31.3.2022 is summarized below:-

(Rupees in Lakhs)

Particulars	31 March, 2022	31 March, 2021
Cost of land –Not Funded by GoI	7.01	7.01
Payment to consultants for designing and project planning	178.68	178.68
Expenses on boundary wall and R/A Bills payment to Contractor, Electricity Load Sanction fees etc.	5948.26	5948.26
Total	6133.95	6133.95

During the financial year 2016-17, Rohini Heliport started its operation w.e.f. 28.02.2017 Therefore, Rs. 6133.95 Lakhs was provisionally capitalized on 28.02.2017 under different identifiable components following Component Approach. Further, as there is no lease agreement between the company and MOCA for Rohini Heliport Land, useful life as stated under Companies Act has been considered for respective identified components.

Due to start of disinvestment process of Company, PHL's Board of Directors, had approved to hive off Rohini Heliport in the board meeting held on 31st October, 2019. The demerger was approved by Ministry of Corporate Affairs vide order no 24/2/2020-CL-III dated 29/08/2022 w.e.f. 1st April, 2022. Accordingly, as per approved scheme of demerger, Assets and Liabilities pertaining to Rohini Heliport as on 01/04/2022 has been transferred to Rohini Heliport Ltd.(RHL). Assets and Liabilities as on 01/04/2022 of Rohini Heliport transferred to RHL are as under :-

(Rs. in Lakhs)

Particulars	01/04/2022
Assets	
Property, Plant and Equipment's	4070.56
Trade Receivable	38.54
Cash & Cash Equivalent	55.24
Other Current Assets	1363.93
TOTAL	5528.27
Liabilities	
Other Non Current Financial Liabilities	0.06
Trade Payable	13.98
Other Current Liabilities	602.21
TOTAL	616.25
Difference amount transferred/Adjusted against Retained Earnings	4912.02

XIV. Helicopter Training Academy cum Heliport at Hadapsar, Pune -

The Company had been assigned responsibility of setting up a Helicopter Training Academy cum Heliport at the existing Gliding Centre at Hadapsar, Pune owned and controlled by the DGCA. Detailed project report was approved by MOCA. DGCA had released an amount of Rs. 1000.00 Lakhs for this purpose in April 2010. Expenses incurred upto 31.03.2024 out of the said advance is stated below:

(Rupees in Lakhs)

	Particulars	31 March, 2024	31 March, 2023
A	-Advance received from DGCA in April, 2010	1000.00	1000.00
	-Total interest accrued & earned	237.18	232.60
	Total fund	1237.18	1232.60
B	- Amount disbursed to NBCC	1134.09	1134.09
	- Amount incurred by the company towards project cost	26.68	26.68
	Total Disbursement/ expenditure	1160.77	1160.77
C	Balance available with bank		
	- In Current account	4.92	4.92
	- In Fixed Deposits	69.62	65.55
	- Interest accrued & other	0.69	0.64
	Total	75.24	71.11



XV. Corporate Social Responsibility and Sustainable Development Fund

As per section 135 of the Companies Act, 2013 effective from 1st April, 2014, the company is required to spend, in every financial year, at least 2% of the average net profits of the Company earned for the three immediately preceding financial years in accordance with its CSR policy. Based on above, in F.Y. 2023-24 company is required to spend Rs. Nil (March 31, 2023 Rs. Nil Lakhs). In addition to above, provision amounting to Rs. 200.92 Lakhs (March 31, 2023 Rs. 200.92 Lakhs) has been carried forward from earlier years. During the current year, company has spent/committed Rs. Nil (March 31, 2023 Rs. Nil) on CSR activities under the following heads:

(Rupees in Lakhs)

Particulars	31 March, 2024	31 March, 2023
Swachh Bharat Abhiyan	Nil	Nil
Promotion of Education**	Nil	Nil
Healthcare	Nil	Nil
Conservation of natural resources	Nil	Nil
Training and skill development	Nil	Nil
Total	Nil	Nil

A contract for promotion of education has been awarded to M/s Kalinga Institute of Social Science for the total value of Rs.6.75 lakhs and Rs.5.06 lakhs has been spent upto 31.03.2019 and for the balance amount it has been intimated by the supplier that the amount has been utilized, however, pending submission of fund utilization Cerf., project completion report and the audited expenditure Cerf. From Chartered Accountants as per terms of the agreement provision of Rs.1.69 lakhs has been carried in books of accounts as committed liability under CSR.

Out of Balance unspent amount of Rs. 202.40 Lakhs for the period upto 31.03.2024 will be spent in due course as per guidelines issued by the DPE dated 23.09.2011 and such further modifications issued from time to time.

XVI. Obligation towards operating leases:-

Rental expenses & Helicopter Lease Charges of Rs. 1262.03 Lakhs (March 31, 2023 Rs. 1511.14 Lakhs) in respect of cancellable operating leases have been charged to the Statement of Profit and Loss. The Company has entered into non-cancellable operating lease with Vertical Aviation No 1 Limited for S76D helicopter for seven years and during the financial year under review paid Rs.2034.62 lakhs (March 31, 2023 Rs. 2816.60 Lakhs) as Helicopter Lease charges.

Disclosure of Operating Lease with HAL*:-

(Rupees in Lakhs)

Particulars	Not Later than One year	Later than one year but not later than five years	Later than five years
Dhruv Helicopter on Dry Lease from HAL (VT-HAQ/ VT-HAR)	Nil	Nil	Nil

* During the F Y 2023-24 Rs.473.47 Lakhs (P Y –Rs. 698.52 Lakhs) have been charged to the Statement of Profit and Loss.

XVII. Leases :-

A. Carrying value of right of use assets at the end of the reporting period by class:

Particulars	2023-24	2022-23
At the beginning of the year	13120.90	18965.21
Addition during the period	1368.99	69.49
Deletion during the period*	(1636.52)	(3046.14)
Depreciation	(2723.21)	(2867.66)
Closing Balance	10130.16	13120.90

B. Maturity analysis of lease liabilities:

Maturity analysis – contractual undiscounted cash flows	As on 31st March 2024	As on 31st March 2023
Less than one year	2908.80	3483.83
One to five years	9672.59	15317.01
Above five years	545.66	550.84
Total undiscounted lease liabilities	13127.05	19352.69
Lease liabilities included in the statement of financial position	11527.16	13792.41
Current	2791.53	2789.51
Non-Current	8735.63	11002.90

C. Amounts recognized in the profit or loss:

Particulars	As on 31st March 2024	As on 31st March 2023
Interest on lease liabilities	598.38	657.98
Amortization on ROU	2723.21	2867.66

D. Amounts recognized in the Statement of Cash Flow:

Particulars	As on 31st March 2024	As on 31st March 2023
Total Cash Outflow for Lease	2658.38	3311.16

XVIII. Component Accounting –

From the financial year 2016-17, component accounting for helicopter parts was adopted and the following parts were considered for component accounting:

- a. Engine
- b. Main Gear Box
- c. Hub Assy.
- d. Transmission Assy.
- e. Embedded Cost
- f. Hull

Total Depreciation for helicopters & components for the F Y 2023-24 amounts Rs. 7,290.21 Lakhs (March 31, 2023 Rs. 6,671.43 Lakhs). Overhaul charges / G inspection expenses of Rs. 6695.88 Lakhs (March 31, 2023 Rs. 3995.28 Lakhs) has been capitalized in the F. Y. 2023-24.

- XIX. a)** A financial irregularity was reported at Lakshadweep detachment in the financial year 2014-2015. The Vigilance Department has conducted enquiry and submitted report to the management. Out of the estimated financial loss as reported by the Vigilance Department of Rs. 129.21 Lakhs, provision of Rs. 89.12 Lakhs was created in the financial year 2014-2015. The figure of Rs. 89.12 Lakhs was arrived at by estimating total amount of Rs. 129.21 Lakhs out of which travelling bills/credit payables to employees/supporting/invoice etc amounting to Rs. 40.09 Lakhs were traced. During the previous financial years, Rs. 59.29 Lakhs was received from the Lakshadweep Administration towards travelling bills for the period April 2008 to March 2011. As informed by HR Deptt. , Investigation has been completed and action suggested has been acceded by the competent authority.
- b)** During the financial year 2018-19, misappropriation of Rs. 3.56 Lakhs (approx) by the then Base Assistant of Daman detachment, being collection on behalf of Daman & Diu Administration for tickets issued, was noticed. Corrective Action has been initiated to recover the amount and currently Rs. 2.40 Lakhs has been recovered from him and in respect of the balance amount of Rs. 1.16 Lakhs necessary steps are being taken to recover the amount along with initiating other actions as deemed fit. The amount has been provided for during the financial year 2018-19.
- c)** During the FY-22-23, a misappropriation of Rs. 0.83 Lakhs (approx.) was observed in the Closing balance of Cash in Hand and Cash balance as per Books at Portblair detachment. An inquiry has been initiated into the matter while the detailed report in this regard is awaited. On the basis of the report necessary action will be initiated as per the rules of the company. Necessary provision has been created in books of accounts.

XX. Provisions –

Various provisions carried in the books as on 31.03.2024 are detailed below.

(Rupees in Lakhs)

Particulars	As on 31 March, 2022	Created / Utilized/ other adjust-ments during the year	As on 31 March, 2023	Created / Utilized/ other adjustments during the year	As on 31 March, 2024
Provision for Impairment of Assets	2006.31	-	2006.31	-	2006.31
Provision on account of License related allowance to Pilots & Engineers	3602.00	(1903.00)	1699.00	(353.50)	1345.50
Doubtful Debts/Advances/ Expected Credit Loss	10794.29	439.08	11233.37	2185.54	13418.91
Provision for Non-moving inventories/ Life expired items, etc.	3974.76	217.49	4192.24	381.20	4573.44
Provision for Loss at Detachments	90.28	0.83	91.11	-	91.11
Provision for Diminution in Value of Investment	289.34	-	289.34	-	289.34

XXI. (A) Movement of Contract Asset and Contract Liability

(Rupees in Lakhs)

Particulars	2023-24		2022-23	
	Contract Assets	Contract Liability	Contract Assets	Contract Liability
Opening Balance (A)	109.59	137.66	131.74	63.90
Additions				
Against Sale recognized during the year	752.05		109.59	
Receipt of Advance from customers during the year		1179.25		202.03
Change in Transaction Price recognized during the year				
Others (if any)		0.41		12.43
Total-B	752.05	1179.66	109.59	214.46
Deductions				
Contract Liability adjusted against Revenue Recognized during the year -opening		65.29	-	18.76
Contract Liability adjusted against Revenue Recognized during the year -current		226.44	-	121.94
Conversion of Contract Asset to Trade Receivable	109.59		131.74	-
Impairment of Contract(if any)			-	-
Write back of Contract Liability			-	-
Change in Transaction Price			-	-
others (if any)		37.21	-	-
Total-C	109.59	328.94	131.74	140.70
Grand Total (CLOSING BALANCE)-D (A+B+C)	752.05	988.39	109.59	137.66

(B) Movement of Trade Receivables

(Rupees in Lakhs)

Particulars	2023-24	2022-23
Opening Balance of Trade Receivables(Net) (A)	16225.70	19204.94
Additions		
Against Sales Recognized during the year	39079.42	42310.70
Conversion of Contract Assets into Trade Receivables	109.59	131.74
Change in transaction price recognized during previous year	-	-
Others (if any)	6132.58	6345.55
Sub Total (B)	45321.59	48787.99
Deductions		
Collections made during the year	40231.06	50614.83
Advance adjusted during the year out of revenue recognized	226.61	113.33
Impairment of Debtors- Provision for doubtful debts	1932.50	475.98
Change in transaction price recognized during previous year		
Others (if any)	512.33	563.08
Sub Total (c)	42902.50	51767.22
Grand Total (Closing Balance) D= A+B-C	18644.79	16225.71

XXII. A) The Ministry of Civil Aviation vide letter No. AV.30020/365/2015-GA dt. 15.06.2017 conveyed in-principle approval, subject to the approval of shareholders in general meeting, for increase in authorized share capital of company from Rs. 25,000 Lakhs to Rs. 56,000 Lakhs i.e. by Rs. 31,000 Lakhs. Thereafter, approval of shareholders of company has been obtained in the extraordinary general meeting held on 22.6.2017 for increase in authorized capital from Rs. 25,000 Lakhs to Rs. 56,000 Lakhs for rights issue of shares to the President of India (GoI) thru Ministry of Civil Aviation Rs. 15,905 Lakhs (received Rs. 13,091 Lakhs on 20/01/2017 and Rs. 2,814 Lakhs on 31/03/2017) and to ONGC Ltd. Rs. 15,281.60 Lakhs (received on 06/07/2017). The Board at its 159th meeting held on 10/07/2017 has approved rights issue and allotment of 1,59,050 number of equity shares in favour of the President of India (GoI) and 1,52,816 number of equity shares to ONGC Ltd. having face value of Rs. 10,000 each. Accordingly, Equity Structure of the company as on 10.7.2017 is as follows:

(Rupees in Lakhs)

Equity Shareholder of Pawan Hans Limited	Shareholding before 10.7.2017	Rights Issue of Equity Shares allotted on 10.7.2017	Total Shareholding (authorized capital Rs. 56,000 Lakhs) as on 31.03.2024	% Share holding
President of India (GoI) through MoCA	12,526.60	15,905.00	28,431.60	51%
ONGC Ltd.	12,035.00	15,281.60	27,316.60	49%
Total paid-up Capital	24,561.60	31,186.60	55,748.20	100%

XXIII. The strategic disinvestment of GOI's stake (51%) in PHL is currently in process for which PIM/Request for Expression of Interest (EoI) was issued on December 08, 2020. Basis the evaluation of EoIs received till Due Date (March 05, 2021) and as per IMG directions. Bidders shortlisted pursuant to evaluation of EoIs were provided access to VDR, SIM, RFP and draft Share Purchase Agreement. The shortlisted bidders undertook various due diligence activities and submitted their bids which were technically evaluated. The financial bids were opened on April 23, 2022. A Consortium of 3 members (namely Star9 Mobility Pvt. Ltd.) was declared as highest bidder on April 29, 2022. The Govt. has decided that successful bidding consortium M/s. Star9 Mobility Pvt. Ltd. Is disqualified from the process of strategic disinvestment of Pawan Hans Limited in terms of provisions of PIM and RFP. Further, the current EoI process for strategic disinvestment stands annulled on 3rd July 2023.

XXIV. Prior Period Errors

The company is required to make following disclosure in respect of prior period errors rectified by it while preparing the financial statements:

- (a) Nature of prior period error.
- (b) for each prior period presented, to the extent practicable, the amount of correction:
 - for each financial statement line item affected; and
 - for basic and diluted earnings per share;
- (c) the amount of correction at the beginning of the earliest prior period presented;

Following prior period adjustments were made in the financial year 2023-24:-

(Rupees in Lakhs)

Particulars	Amount
Prior Period identified during FY 2023-24, pertaining to FY 2021-22 and earlier years has been adjusted from Opening Reserves & Surplus	(386.80)
Debit	
Helicopter Operational & maintenance expenses	364.31
Depreciation & Amortization Expenses	Nil
Other Expenses	40.91
Revenue from Operation	Nil
Fixed Assets Written Off	Nil
Other Income	1.21
Total	406.43
Credit	
Revenue From Operations	0.82
Other Income	Nil
Helicopter Operational & maintenance expenses	5.94
Other Expenses	12.87
Depreciation & Amortization Expenses	Nil
Total	19.63
Prior Period identified during FY 2023-24, pertaining to FY 2021-22, adjusted under respective line items in FY 2022-23	(236.66)
Debit	
Helicopter Operational & maintenance expenses	174.28
Depreciation & Amortization Expenses	96.11
Other Expenses	96.22
Interest on Lease Liabilities	12.47
Other Income	0.20
Total	379.28
Credit	
Staff Cost	
Helicopter Operational & maintenance expenses	112.27
Depreciation & Amortization Expenses	4.71
Revenue From Operations	0.65
Other Income	24.92
Other Expenses	0.07
Total	142.62



XXV. Related Party Disclosure

Related party disclosures, as required by Indian Accounting Standard-24 are given below:-

a) Person having controlling interest

President of India, Government of India	-	51% Shareholding
Oil and Natural Gas Corporation Limited	-	49% Shareholding

b) Key Managerial Personnel

- i. Shri. Sanjeev Razdan, Chairman & Managing Director
- ii. Shri Ajay Gupta, Chief Financial Officer
- iii. Shri Ranjit Singh Chauhan , Company Secretary

c) Details of Transactions: - (Key Managerial Personnel) -

(Rupees in Lakhs)

Particulars	2023-24	2022-23
Short term employee benefits	99.48	92.67
Contribution to defined Superannuation Benefits	7.89	7.22
Post-Employment Benefits	8.61	7.88
Other Long Term Benefits	Nil	Nil
Termination Benefits	Mediclaime Insurance of Rs. 5.00 Lakhs	Mediclaime Insurance of Rs. 5.00 Lakhs
Share based Payment	Nil	Nil
Directors Sitting fees	2.70	3.90
Amount Receivable	0.64	1.17
Amount Payable	9.13	7.15

d) Remuneration paid to Directors including Chairman & Managing Director -

(Rupees in Lakhs)

Particulars	2023-24	2022-23
Short Term Employment Benefits	49.07	43.64
Contribution to defined Superannuation Benefits	3.77	3.34
Post-Employment Benefits	4.11	3.65
Other Long Term Benefits	Nil	Nil
Termination Benefits	Mediclaime Insurance of Rs. 5.00 Lakhs	Mediclaime Insurance of Rs. 5.00 Lakhs
Share based Payment	Nil	Nil

e) Enterprise having significant influence –

Oil and Natural Gas Corporation Ltd – Equity Shareholder - 49% amounting to Rs. 27316.60 Lakhs

(Rupees in Lakhs)

Transaction:-	2023-24	2022-23
Helicopter Hire charges (net of AOG/Liquidated Damages)	10065.80	11696.52
Trade receivables as at year end (debit)	3445.61	1644.99
Performance Bank Guarantee Invoked	Nil	92.42

f) Trusts in which company has significant influence: -

(Rupees in Lakhs)

Name of the Trust	2023-24			2022-23		
	Paid	Payable	Receivable	Paid	Payable	Receivable
Pawan Hans Employees Provident Fund Trust	1949.56	162.00	Nil	2202.12	162.95	Nil
Pawan Hans Helicopters Ltd. Employee's Gratuity Trust	Nil	762.55	Nil	Nil	859.94	Nil
PHL Employees Defined Contribution Superannuation Trust	458.06	37.69	Nil	462.50	39.72	Nil

XXVI. Reconciliation between Basic and diluted number of shares are as under:

Particulars	No of Shares	
	2023-24	2022-23
No. of shares at the beginning of the year	5,57,482	5,57,482
Add : During the Year	Nil	Nil
Total no. of Diluted Shares at the end of the year	5,57,482	5,57,482

XXVII. Financial Ratios.

Ratios	2023-24	2022-23	Variance	Reason for Variance
Current Ratio (In times)	1.97	1.98	0.88%	-
Debt Equity Ratio (in Times)	N.A.	N.A.	-	-
Debt Service Coverage Ratio(In Times)	N.A.	N.A.	-	-
Return on Equity (In %)	(1.28%)	(2.75%)	(53.61%)	Deduction in Losses due to receipt of Interest on Income Tax Refund
Inventory Turnover Ratio (In times)	7.16	7.08	1.09%	-

Trade Receivable Turnover Ratio	1.38	1.52	(9.48%)	-
Trade Payable Turnover Ratio(In Times)	0.82	1.07	(23.10%)	-
Net Capital Turnover Ratio(In Times)	1.71	1.94	(11.71%)	-
Net Profit Ratio (In %)	(2.55%)	(5.58%)	(54.26%)	Deduction in Losses due to receipt of Interest on Income Tax Refund
Return on Capital Employed (In %)	(0.33%)	0.10%	(438.16%)	Due to reduction in Losses ,repayment of Term Loan

XXVIII. The Company had no dues to Micro & Small Enterprises outstanding for more than 45 days on the Balance Sheet date. Interest and Principal amount breakup of MSME Trade payables is as follows:-

Particulars	As at 31 March 2024	As at 31 March 2023
Dues to micro and small enterprises		
- Principal	168.85	316.33
- Interest	Nil	Nil
The amount of interest paid by the buyer as per the Micro Small and Medium Enterprises Development Act, 2006 (MSMED Act, 2006)	Nil	Nil
The amounts of the payments made to micro and small suppliers beyond the appointed day during each accounting year	Nil	Nil
The amount of interest due and payable for the period of delay in making payment (which have been paid but beyond the appointed day during the year) but without adding the interest specified under MSMED Act, 2006	Nil	Nil
The amount of interest accrued and remaining unpaid at the end of each accounting year	Nil	Nil
The amount of further interest remaining due and payable even in the succeeding years, until such date when the interest dues as above are actually paid to the small enterprise for the purpose of disallowance as a deductible expenditure under the MSMED Act, 2006	Nil	Nil

The information has been given in respect of such service provider to the extent they could be identified as micro and small enterprises on the basis of information available with the company and have been relied upon by the auditors.

XXIX. The operating cycle of the company has been assumed to have duration of 12 months and classification of assets and liabilities into long term and short term has been done accordingly for the purpose of Schedule III of the Companies Act, 2013.

XXX. Segment Reporting

The Company is primarily engaged in the business of providing Helicopter services in India, which as per Indian Accounting Standard – 108 on ‘Operating Segments’ is considered to be the only reportable business segment in a manner consistent with the internal reporting provided to the Chief Operating Decision Maker (“CODM”). The CODM is considered to be the Board, as it makes strategic decisions and is responsible for allocating resources and assessing performance of the operating segment. The Company operates in India, which has been considered as a single geographical segment, as the risks are similar.

a. Major Customers

Following are the major customers of the company:-

- i. Oil and Natural Gas Company Limited.
- ii. Andaman & Nicobar Administration
- iii. Lakshadweep Administration
- iv. Daman & Diu Administration
- v. Government of Tripura
- vi. Government of Mizoram
- vii. Maharashtra Police

XXXI. The Company and Oil and Natural Gas Corporation (ONGC) had entered into contract on 19th July, 2022 to provide charter hire of 3 Nos Dauphin 365N3 Production Task Helicopters and also entered into an agreement on 15th February, 2022 to provide charter hire of 2 Nos. of Sikorsky S76D crew change helicopters for offshore operation for carrying out ONGC’s Operations in conforming to specifications as mentioned in the agreement. Further the Production Task Helicopters contract was renewed vide Contract No. MUM/OFF-LOGISTICS/MM/2022/PHTHLGRPA/1067720/P76AL2204/90100357-5 dated 13th October, 2023 for hiring of 2 Nos Production Task Helicopters and crew change helicopters contract was changed to Production Task Helicopters vide Contract No MUM/OFF-LOGISTICS/MM/2022/PRODUCN /1027876/P76AL22004/9010035403 dated 13th October, 2022 for hiring of 3 Nos Production Task for off shore operations. The company in consideration for the above services receives Fixed Monthly Charges and Flying Monthly Charges. In case the company is not able to provide the helicopter to ONGC, fixed monthly charge shall not be payable to company for the period helicopter is not available. In addition, Liquidation Damages are required to be paid for full day of grounding an amount equivalent to 5 % of fixed monthly charge and for half day of grounding an amount equivalent 2.5% (i.e., 50% of 5%) of fixed monthly charge for an amount of Rs. 844.84 Lakhs (Previous year Rs. 113.36 Lakhs) has been deducted during the year. This has resulted due to 200 non-operational day results into loss of Fixed Monthly Charges as well as Liquidation Damages which are deducted from the payments due.

XXXII. ATF is being billed and accounted for according to the agreements entered with the customers.



XXXIII. Financial Instruments

i. Valuation

All financial instruments are initially recognized and subsequently re-measured at fair value except in cases where exemption provided under para D20 of Ind AS 101 was availed during transition to Ind AS as described below:

a) Fair valuation of loans to employees

Under the previous GAAP, loans to employees at concessional rate (that are recoverable in cash as per the loan terms) are recorded at their transaction value. Under Ind AS, all financial assets are required to be recognized at fair value. Accordingly, the Company has fair valued these loans to employees under Ind AS except the loans existing on the date of transition. Difference between the fair value and transaction value of the loans has been recognized as expenses in the Statement of Profit and Loss for the year. Consequent to this no change in 2023 24.

b) Security deposits

Under Ind AS, all financial assets are required to be recognized at fair value. Accordingly, the company has fair valued these security deposits under Ind AS. Difference between the fair value and transaction value of the security deposit is to be recognized as deferred rent. However, the company is not recognizing the security deposit at fair value because the amount of security deposit is not material.

c) The fair value of the financial instruments is determined using discounted cash flow analysis wherever applicable.

i. Categories of financial instruments

(Rupees in Lakhs)

Particulars	As at 31 March, 2024	As at 31 March, 2023
Financial Assets		
Measured at Amortized Cost		
Non Current Assets		
a) Loans	38.49	77.13
b) Other Financial Assets	393.88	475.70
Current Assets		
a) Trade Receivables	18644.79	16225.71
b) Cash and Cash equivalents	3627.05	3956.17
c) Other Bank Balances	6176.05	6213.03
d) Loans	247.09	313.18
e) Other Financial Assets	3692.48	2558.14
Measured at Fair Value through OCI		
a) Investment in equity instruments	-	-

Particulars	As at 31 March, 2024	As at 31 March, 2023
Measured at Fair Value through P&L		-
Financial Liabilities		
Measured at Amortized Cost		
Non Current Liabilities		
a) Borrowings	-	-
b) Other financial liabilities	8749.91	11105.54
Current Liabilities		
a) Borrowings	-	-
b) Trade Payables	6788.33	6940.08
c) Other Financial Liabilities	9743.64	7730.19

ii. Fair Value Hierarchy

The following table provides the fair value measurement hierarchy of the company's financial assets & liabilities that are measured at fair value or where fair value disclosure is required as at 31 March, 2024:

Particulars	Total	Fair value measurement using		
		Quoted price in active market (Level 1)	Significant observable inputs (Level 2)	Significant unobservable inputs (Level 3)
FVTOCI financial assets/ liabilities	Nil	Nil	Nil	Nil
FVTPL financial assets/liabilities	Nil	Nil	Nil	Nil
Amortized cost financial assets/ liabilities	Nil	Nil	Nil	Nil

The following table provides the fair value measurement hierarchy of the company's financial assets & liabilities that are measured at fair value or where fair value disclosure is required as at 31 March, 2023

Particulars	Total	Fair value measurement using		
		Quoted price in active market (Level 1)	Significant observable inputs (Level 2)	Significant unobservable inputs (Level 3)
FVTOCI financial assets/ liabilities	Nil	Nil	Nil	Nil
FVTPL financial assets/liabilities	Nil	Nil	Nil	Nil
Amortized cost financial assets/ liabilities	Nil	Nil	Nil	Nil



iii. Foreign Currency Risk Management:-

The company undertakes transactions denominated in foreign currencies; consequently, exposures to exchange rate fluctuations arise.

The carrying amounts of the company's foreign currency dominated monetary assets and monetary liabilities as of March 31, 2024 are as follows:

(Rupees in Lakhs)

Particulars	USD		Euro		Other currencies	
	Foreign Currency	INR	Foreign Currency	INR	Foreign Currency	INR
Cash & Cash equivalents	-	-	-	-	-	-
Trade Receivables	-	-	-	-	-	-
Other financial assets	1.24	103.43	3.10	283.20	0.44	47.14
Trade Payables	4.91	359.18	55.24	5034.83	-	-
Other financial liabilities	0.09	7.52	-	-	-	-
Contingent Liabilities	-	-	-	-	-	-

The carrying amounts of the company's foreign currency dominated monetary assets and monetary liabilities as of March 31, 2023 are as follows:

(Rupees in Lakhs)

Particulars	USD		Euro		Other currencies	
	Foreign Currency	INR	Foreign Currency	INR	Foreign Currency	INR
Cash & Cash equivalents	0.04	3.05	-	-	-	-
Trade Receivables	-	-	-	-	-	-
Other financial assets	0.01	0.50	-	-	0.05	5.30
Trade Payables	3.85	318.52	2.97	269.27	0.04	4.51
Other financial liabilities	0.09	6.84	24.92	2256.72	-	-
Contingent liabilities	0.29	23.78	-	-	-	-

iv. Foreign Currency Sensitivity Analysis:

The company is mainly exposed to the currency: USD and EUR;

The following table details the Company's sensitivity to a 5% increase and decrease in the Rupee against the relevant foreign currencies. 5% is the sensitivity rate used when reporting foreign currency risk internally to key management personnel and represents management's assessment of the reasonably possible change in foreign exchange rates. This is mainly attributable to the exposure outstanding on receivables and payables in the Group at the end of the reporting period. The sensitivity analysis includes only outstanding foreign currency denominated monetary items and adjusts their translation at the period end for a 5% charge in foreign currency rate. A positive number below indicates an increase in the profit or equity where the ` strengthens 5% against the relevant currency. For a 5% weakening of the Rupee against the relevant currency, there would be a comparable impact on the profit or equity, and the balances below would be negative.

(Rupees in Lakhs)

Particulars	USD Impact	
	As at 31 March, 2024	As at 31 March,2023
Increase in exchange rate by 5%	(13.16)	(14.90)
Decrease in exchange rate by 5%	13.16	14.90
Particulars	EURO Impact	
	As at 31 March, 2024	As at 31 March,2023
Increase in exchange rate by 5%	(204.89)	(97.78)
Decrease in exchange rate by 5%	204.89	97.78

Particulars	Other currencies Impact	
	As at 31 March, 2024	As at 31 March, 2023
Increase in exchange rate by 5%	2.36	(0.04)
Decrease in exchange rate by 5%	(2.36)	0.04

v. Interest risk

There is no interest risk relating to the company's financial liability.

vi. Credit Risk

Credit risk refers to a risk that the counterparty will default on its contractual obligations resulting in financial loss to the company. Credit risk arises on liquid assets, non-current financial assets, derivative assets, trade and other receivables. The company does not have any derivative assets and in respect of cash and cash equivalents, the said amount is in current account with Scheduled Bank where chances of default are minimum. The maximum exposure to the credit risk is equal to the carrying amount of the company's other financial Assets.

vii. Credit Risk management :

A. Trade Receivables

The credit risk has always been managed by the group through an assessment of the companies financials, market intelligence and customers credibility. The company makes provisions for Debtors based on a critical assessment of the amount in relation to the ageing combined with the historical trend observed in the respective geography, the past history of the client and comparison with similar projects to determine the recoverability of the receivables

B. Other Financial Assets

The company considers the probability of default upon initial recognition of asset and whether there has been a significant increase in credit risk on an ongoing basis throughout each reporting period. To assess whether there is a significant increase in credit risk the company compares the risk of a default occurring on the asset as at the reporting date with the risk of default as at the date of initial recognition. It considers available reasonable and supportive forwarding looking information.



viii. Credit Risk Exposure :

A. Trade Receivables

As certified by the consultants, lifetime expected credit loss allowance has been computed based on a matrix which takes into account historical credit loss experience and has been adjusted for forward- looking information.

The carrying amount of trade receivables represents the maximum credit exposure from customers. The maximum exposure to the credit risk at the reporting date is primarily from trade receivables amounting to Rs. 30385.48 Lakhs (P.Y. Rs. 26033.89 Lakhs).

Reconciliation of Loss allowance provision – Trade receivables:

(Rs. in Lakhs)

Particulars	2023-24	2022-23
Balance at the beginning of the Year	9808.18	9369.92
Impairment Loss recognized / Reversed	1932.51	475.96
Amount Written Off	Nil	(37.70)
Balance at the end of the Year	11740.69	9808.18

B. Other Financial Assets

The carrying amount of other financial assets represents interest accrued on employee Loans, Insurance claims receivables, outstanding Income including unbilled revenue etc. The maximum exposure to credit risk is Rs. 5133.09 Lakhs (P.Y. Rs. 4080.56 Lakhs). The 12 months expected credit loss / lifetime expected credit loss on these financial assets for the financial year under review is Rs. 1046.72 Lakhs (P Y Rs.1046.72 Lakhs).

Reconciliation of Loss allowance provision – Other Financial Assets:

(Rs. in Lakhs)

Particulars	2023-24		2022-23	
	12 Months expected losses	life time expected losses	12 Months expected losses	life time expected losses
Balance at the beginning of the Year	Nil	1046.72	Nil	1046.72
Add/(Less): changes in loss allowances due to changes in risk parameters	Nil	Nil	Nil	Nil
Balance at the end of the Year	Nil	1046.72	Nil	1046.72

ix. Liquidity Risk -

Liquidity risk is the risk that the company may encounter difficulties in meeting its obligation associated with financial liabilities that are settled with delivering cash or other financial assets. The Company believes that its working capital is sufficient to meet its current requirements. Accordingly, no liquidity risk is perceived.

The details regarding the contractual maturities of significant financial liabilities as on 31 March, 2024 are as follows:

(Rupees in Lakhs)

Particulars	Less than 1 year	1-5 years	5+ years	Total	Carrying amount
Borrowings	-	-	-	-	-
Trade Payables	4143.96	2644.37	-	6788.33	6788.33
Other financial liabilities (Excluding Lease Liab.)	6952.11	14.28	-	6966.39	6966.39

The details regarding the contractual maturities of significant financial liabilities as on 31 March, 2023 are as follows:

(Rupees in Lakhs)

Particulars	Less than 1 year	1-5 years	5+ years	Total	Carrying amount
Borrowings	-	-	-	-	-
Trade Payables	3841.54	3098.54	-	6940.08	6940.08
Other financial liabilities (Excluding Lease Liab.)	4940.68	102.65	-	5043.33	5043.33

XXXIV. Capital Management

The Company manages its capital to ensure that the Company will be able to continue as going concern while maximizing the return to stakeholders through optimization of debt and equity balance.

The capital structure of the Company consists of net debt and total equity of the Company.

The Company is not subject to any externally imposed capital requirements.

(Rupees in Lakhs)

Particulars	As at 31 March, 2024	As at 31 March, 2023
Borrowings		-
Trade Payables	6788.33	6940.08
Other Financial Liabilities	6966.39	5043.33
Net Debt	13754.72	11983.41
Equity Share Capital	55748.20	55748.20
Other Equity	32753.85	33883.72
Total Capital	88502.05	89631.92
Capital & Debt	102256.77	101615.33
Gearing Ratio	0.16	0.13



XXXV. Ageing Analysis:

(A) Trade Receivable

(a) Trade Receivables ageing schedule: As at 31st March, 2024

Particulars	Outstanding for following periods from due date of payment					
	Less than 6 months	6 months - 1 year	1 to 2 years	2 to 3 Years	More than 3 years	Total
(i) Undisputed Trade receivables –considered good	11745.84	1445.81	806.06	659.43	3987.65	18644.79
(ii) Undisputed Trade Receivables – which have significant increase in credit risk	2742.66	1044.97	594.89	802.33	6555.84	11740.69
(iii) Undisputed Trade Receivables – credit impaired	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
(iv) Disputed Trade Receivables–considered good	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
(v) Disputed Trade Receivables – which have significant increase in credit risk	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
(vi) Disputed Trade Receivables – credit impaired	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil

(b) Trade Receivables ageing schedule: As at 31st March, 2023

Particulars	Outstanding for following periods from due date of payment					
	Less than 6 months	6 months - 1 year	1 to 2 years	2 to 3 Years	More than 3 years	Total
(i) Undisputed Trade receivables –considered good	7745.72	1201.74	1999.99	650.80	4627.46	16225.71
(ii) Undisputed Trade Receivables – which have significant increase in credit risk	2409.94	836.86	553.37	481.71	5526.30	9808.18
(iii) Undisputed Trade Receivables – credit impaired	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
(iv) Disputed Trade Receivables–considered good	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
(v) Disputed Trade Receivables – which have significant increase in credit risk	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
(vi) Disputed Trade Receivables – credit impaired	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil

(B) Trade Payable

(a) Trade Payables ageing schedule: As at 31st March, 2024

Particulars	Outstanding for following periods from due date of payment				
	Less than 1 year	1-2 years	2-3 Years	More than 3 years	Total
(i) MSME	167.27	1.58	Nil	Nil	168.85
(ii) Others	3976.69	1943.00	658.19	41.60	6619.48
((iii) Disputed dues – MSME	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
(iv) Disputed dues - Others	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil

(b) Trade Payables ageing schedule: As at 31st March, 2023

Particulars	Outstanding for following periods from due date of payment				
	Less than 1 year	1-2 years	2-3 Years	More than 3 years	Total
(i) MSME	316.33	Nil	Nil	Nil	316.33
(ii) Others	3525.21	2272.37	123.81	702.35	6623.75
((iii) Disputed dues – MSME	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
(iv) Disputed dues - Others	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil

(C) Capital Work In Progress

Capital Work In Progress ageing schedule: As at 31st March, 2024 (Rs. In Lakhs)

Capital Work In Progress	Amount in CWIP for a period of				
	Less than 1 year	1-2 years	2-3 Years	More than 3 years	Total
Project in progress	461.61	Nil	Nil	Nil	461.61
Projects temporarily suspended	Nil	Nil	Nil	64.58	64.58

Capital Work In Progress ageing schedule: As at 31st March, 20 23 (Rs. In Lakhs)

Capital Work In Progress	Amount in CWIP for a period of				
	Less than 1 year	1-2 years	2-3 Years	More than 3 years	Total
Project in progress	73.21	Nil	Nil	Nil	73.21
Projects temporarily suspended	Nil	Nil	Nil	64.58	64.58



XXXVI. Previous year figures have been regrouped wherever considered necessary to correspond with current year figure.

XXXVII. During the year, company has identified material prior period adjustments for years prior to financial year 2022-23, due to which 3rd column of the balance sheet i.e. figures as on 01st April, 2022 has been stated.

XXXVIII. Relationship with Struck off Companies

The Company does not have any transaction with companies struck off under Section 248 of the Companies Act, 2013 or Section 560 of Companies Act, 1956, during the current year and in the previous year.

XXXIX. Details of Benami Property Held

The Company does not have any Benami property, where any proceeding has been initiated or pending against the Company for holding any Benami property.

XL. Undisclosed Income

The Company has not entered into any transaction which is not recorded in the books of accounts that has been surrendered or disclosed as income during the year in the tax assessments under the Income Tax Act, 1961 (such as, search or survey or any other relevant Provisions of the Income Tax Act, 1961).

XLI. Details of Crypto Currency or Virtual Currency

The Company has neither invested nor traded in Crypto currency or Virtual Currency during the current year and in the previous year.

XLII. No funds have been advanced or loaned or invested (either from borrowed funds or share premium or any other sources or kind of funds) by the Company to or in any other person(s) or entity(ies), including foreign entities (“Intermediaries”) with the understanding, whether recorded in writing or otherwise, that the Intermediary shall lend or invest in party identified by or on behalf of the Company (Ultimate Beneficiaries). The Company has not received any fund from any party(s) (Funding Party) with the understanding that the Company shall whether, directly or indirectly lend or invest in other persons or entities identified by or on behalf of the Company (“Ultimate Beneficiaries”) or provide any guarantee, security or the like on behalf of the Ultimate Beneficiaries.”

XLIII. Ministry of Corporate Affairs (“MCA”) notifies new standards or amendments to the existing standards under Companies (Indian Accounting Standards) Rules as issued from time to time. For the year ended March 31, 2024, MCA has not notified any new standards or amendments to the existing standards applicable to the Company.

Notes 1 to 32 form an integral part of the financial Statements.

This is the Notes to Accounts referred to in our report of even date.

For Luthra & Luthra LLP.

Chartered Accountants

Firm Registration No. 002081N/N500092

Sd/-

Nilesh Mehta

Partner

Membership No.093847

UDIN: 25093847BMMHW99101

Date: 19.05.2025

For & on Behalf of Board of Directors

Sd/-

Sanjeev Razdan

Chairman-Cum-Managing Director

DIN 08711596

Sd/-

Ranjit Singh Chauhan

Company Secretary

Membership No.F8785

Sd/-

Ajay Gupta

Chief Financial Officer

Membership No.079580

Place: New Delhi

Place: Noida

Date: 22/04/2025



**COMMENTS OF THE COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA
UNDER SECTION 143(6)(b) OF THE COMPANIES ACT, 2013 ON THE FINANCIAL
STATEMENTS OF PAWAN HANS LIMITED FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 2024.**

The preparation of financial statements of PAWAN HANS LIMITED for the year ended 31 March 2024 in accordance with the financial reporting framework prescribed under the Companies Act, 2013 (Act) is the responsibility of the management of the company. The statutory auditor appointed by the Comptroller and Auditor General of India under section 139(5) of the Act is responsible for expressing opinion on the financial statements under section 143 of the Act based on independent audit in accordance with the standards on auditing prescribed under section 143(10) of the Act. This is stated to have been done by them vide their Revised Audit Report dated 23 June 2025 which supersedes their earlier Audit Report dated 19 May 2025.

I, on behalf of the Comptroller and Auditor General of India, have conducted a supplementary audit of the financial statements of PAWAN HANS LIMITED for the year ended 31 March 2024 under section 143(6)(a) of the Act. This supplementary audit has been carried out independently without access to the working papers of the statutory auditors and is limited primarily to inquiries of the statutory auditors and company personnel and a selective examination of some of the accounting records. The Audit Report has been revised by the statutory auditor to give effect to some of my audit observation raised during supplementary audit.

In addition, I would like to highlight the following significant matters under section 143(6)(b) of the Act, which have come to my attention and which in my view are necessary for enabling a better understanding of the financial statements and the related audit report:

C&AG Comments

A. Comments On Independent Auditors Report

Basis for Adverse Opinion

(i) Para 6 Inventory

Para 21 of SA 720 states that if there is a material misstatement of the financial statements that relates to specific amounts in the financial statements (including quantitative disclosures in the notes to the financial statements), the auditor shall include in the Basis for Opinion section a description and quantification of the financial effects of the misstatement, unless impracticable.

In this regard, Statutory auditor in the Basis for Adverse Opinion vide para 6 (b), Inventory, has stated that *“The company has provided us the stock ledger report which is generated from the software used for accounting purpose. However, during the scrutiny of the closing balance, it was observed that the closing balance as per the system generated ledger deviates from the closing balance reported in the financials statement (Excess in financial statement) at Northern Region. On verification the differences arising from opening balance amounting to Rs. 2028.70 Lakhs and current year inventory differences amount to Rs. 34.81 Lakhs, aggregating to a difference of Rs. 2063.51 Lakhs. As per information and explanation provided by the management Rs. 34.81 Lakhs is still under reconciliation for which no details have been provided and further the management was unable to furnish the traceability & stock ledger for the westland inventory which is the core reason for difference in inventory amounting to Rs.2028.70 Lakhs. This has resulted in overstatement of asset & profit/reserve & surplus to the extent of Rs. 2063.51 lakhs.”*

The above, basis for adverse opinion may be seen in light of the following:

- a) The issue with respect to westland inventory is a legacy issue and the same has been disclosed in detail in the financial statements of northern region which was provided by the management to the statutory auditor. From the said note it could be ascertained that the issue pertains to the year 1993, when Gol conveyed (18th January 1993) its decision regarding sale of the entire Westland fleet together with the related inventory through global tender. The note further states that the book value of Rs. 647 lakh of wetland inventory has been completely provided for.
- b) Further, from the examination of the financial statements of Northern Region of PHL, it could be ascertained that management had created provision on account of impairment of value with respect to Westland inventories which were in the nature of rotatable / repairable, stores and spares and the net value of the westland inventories stood at Rs. 647 lakh as on March 2024.

Hence, in view of the above disclosure in the Notes to accounts of Northern Region of PHL and the fact that provision for the westland inventory has been made in the financial statements, the impact given by the statutory auditor that the assets and profit/ reserve and surplus are overstated to the extent of Rs. 2063.51 lakh in the basis for adverse opinion para 6 (b), is deficient.

(ii) Annexure III to the Independent

Auditor's Report

As per direction issued by the C&AG under section 143 (5), the statutory auditor is required to report in its independent auditor's report on "*Whether funds (grants/subsidy etc.) received/ receivable for specific schemes from Central/State Government or its agencies were properly accounted for/utilized as per its term and conditions? List the cases of deviation.*" The Statutory auditor while complying with the said direction reported that "*As per information and explanation given to us there are no funds received/ receivable for specific schemes form Central/ state agencies hence this clause is not applicable.*"

However, during scrutiny of financial statement it was observed that the company has claimed VGF amounting under RCS-UDAN scheme of the Ministry of Civil aviation, Government of India during the year 2023-24. Thus, reporting of statutory auditor's that there is no funds received/receivable for specific schemes from central/state agencies and this clause is not applicable is not correct and is deficient to that extant.

B. Other Comment
Equity and Liabilities
Current Liabilities

Trade Payables - 6,788.33 Lakhs (Note no. 19)

Trade payables Rs. 168.85 lakh in respect of Micro, Small and Medium Enterprises has not been depicted separately in the Balance Sheet which is not in compliance with amended format Schedule III of the Companies Act, 2013 notified by the Ministry of Corporate Affairs.

A similar comment was also raised during the year 2022-23, however no corrective action has been taken by the management.

**For and on behalf of the
Comptroller and Auditor General of India**

Sd/-
(Pramod Kumar)
Addl. Dy. CAG (Infrastructure)

Place: New Delhi
Date: 21 Aug 2025





पवन हंस लिमिटेड



Pawan Hans Limited

REGISTERED & CORPORATE OFFICE

Pawan Hans Tower, C-14,
Sector-1, Noida-201301,
Distt. Gautam Budh Napor, (U.P.)
Tel: 0120-2476700
E-mail: corp.affairs@pawanhans.co.in

NORTHERN REGION

Rohini Heliport,
Sector-36, Rohini,
New Delhi-110085
Email: gm_nr@pawanhans.co.in

WESTERN REGION

Juhu Aerodrome, S.V. Road,
Vile Parle (West), Mumbai-400056
Tel: 022-26142614, 26146211
Email: gm_wr@pawanhans.co.in



Pawanhansltd



PawanHansLtd

www.pawanhans.co.in

वार्षिक रिपोर्ट 2023-24



पवन हंस लिमिटेड



एक कदम स्वच्छता की ओर

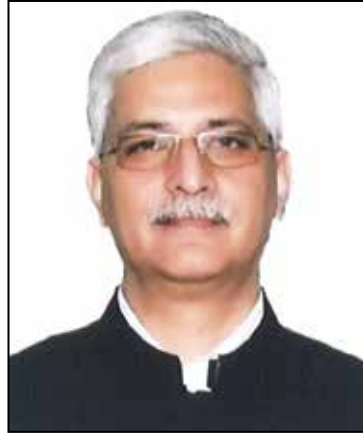
हमारा लक्ष्य

हेलीकॉप्टर और सी-प्लेन सेवाओं में मार्केट लीडर बनना, छोटे फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट परिचालनों द्वारा श्रेत्रीय संपर्कता उपलब्ध कराना तथा अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार हेलीकॉप्टर की मरम्मत/ओवरहॉल संबंधी सुविधाएं प्रदान करना।

तालिका

● निदेशक मंडल	4
● प्रबंध समूह	5
● सूचना	6
● सदस्यों को अध्यक्ष का संदेश	8
● निदेशक मंडल की रिपोर्ट	11
● निदेशक मंडल की रिपोर्ट का अनुबंध	30
● कॉर्पोरेट शासन पर कम्पनी की रिपोर्ट	31
● आचार संहिता के अनुपालन संबंधी घोषणा	35
● कंपनी के मुख्य कार्यपालक व मुख्य वित्तीय अधिकारी/ विभागाध्यक्ष (वित्त एवं लेखा) द्वारा वित्तीय विवरणियों का सत्यापन/घोषणा	36
● कॉर्पोरेट गवर्नेंस के मानदंडों के अनुपालन का प्रमाणपत्र	37
● प्रबंधन परिचर्चा विश्लेषण रिपोर्ट	38
● वित्तीय अंश	98
● संक्षिप्त लेखे	100
● लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट	127
● वित्तीय विवरणी	150
● भारत के नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट	232

निदेशक मंडल



संजीव राजदान
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक



असंगबा चुबा आओ
संयुक्त सचिव
नागर विमानन मंत्रालय



पदम लाल नेगी
संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार
नागर विमानन मंत्रालय



एवीएम तेजबीर सिंह
एसीएएस (ऑपरेशन टी एवं एच)
भारतीय वायु सेना



अजय रतन
का. नि., प्रमुख उत्पादन
जेवी एस्सेट एवं बीडी
ओएनजीसी लिमिटेड



नवीन कुमार सोनी
स्वतंत्र निदेशक



अमीबेन मनीषभाई पारिख
स्वतंत्र निदेशक

प्रबंध समूह

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	श्री संजीव राजदान
मुख्य सतर्कता अधिकारी	डॉ. निखिल कुमार कनोडिया
मुख्य वित्तीय अधिकारी एवं विभागाध्यक्ष (वित्त एवं लेखा)	श्री अजय गुप्ता
कंपनी सचिव एवं संयुक्त महाप्रबंधक (विधि)	श्री रंजीत सिंह चौहान
महाप्रबंधक (सीपीएमएस)	श्री वनराजसिंह डोडिया
महाप्रबंधक (विपणन)	श्री मनीष रमेश रोकड़े
महाप्रबंधक (एएमई)	श्री जितेन्द्र सिंह नेगी
महाप्रबंधक (परिचालन)	ग्रुप कैप्टन वी.डी. बादोनी - वीएसएम (सेवानिवृत्त)
महाप्रबंधक (उड़ान संरक्षा)	ग्रुप कैप्टन अरविन्द कुमार (सेवानिवृत्त)
विभागाध्यक्ष (सामग्री)	श्री एन.वी. पवार
विभागाध्यक्ष (आईएस)	श्रीमती जयश्री नायर
विभागाध्यक्ष (मास एवं प्रशासन)	श्रीमती सारिका शारदा
विभागाध्यक्ष (ऑंतरिक लेखापरीक्षा)	सुश्री शिल्पा प्रेमराज मेश्राम
स्थानापन्न महाप्रबंधक (पश्चिमी क्षेत्र)	श्री चेतन बहल
महाप्रबंधक (उत्तरी क्षेत्र)	श्री सरबजीत सिंह

पंजीकृत कार्यालय :

सी-14, सेक्टर-1
नोएडा, उ.प्र.-201301

प्रधान कार्यालय :

सी-14, सेक्टर-1
नोएडा, उ.प्र.-201301

क्षेत्रीय कार्यालय :

पश्चिमी क्षेत्र

जुहू एरोड्रोम, एस.वी. रोड,
विले पार्ले (पश्चिम) मुम्बई-400 056

उत्तरी क्षेत्र :

रोहिणी हेलीपोर्ट
सेक्टर-36, रोहिणी, दिल्ली-110 085

लेखापरीक्षक

मैसर्स लूथरा एंड लूथरा एलएलपी
सनदी लेखाकार,
प्रधान कार्यालय: A16/9, वसंत विहार,
नई दिल्ली - 110057

शाखा लेखापरीक्षक

मैसर्स ओमप्रकाश एस चप्लाट एंड कंपनी
सनदी लेखाकार,
बी-48, तीसरी मंजिल,
भगनारी सी.एच.एस. लिमिटेड,
एन.एस. मानकीकर मार्ग, वृन्दावन
चौक, चूनाभट्टी बस डिपो के पास,
सायन -चूनाभट्टी (पश्चिम),
मुंबई - 400022

बैंकर्स

बैंक ऑफ बड़ौदा
पंजाब नेशनल बैंक
केनारा बैंक



पवन हंस लिमिटेड (भारत सरकार का उपक्रम)

पंजीकृत कार्यालय : सी-14, सेक्टर-1, नोएडा-201301 (उ.प्र.)

सीआईएन : यू62200यूपी1985जीओआई129953

सूचना

एतद्वारा यह सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित व्यावसायिक संव्यवहार के लिए कम्पनी के सदस्यों की 39वीं वार्षिक आम सभा (स्थगित) का आयोजन मंगलवार, दिनांक 2 सितम्बर, 2025 को दोपहर 12.30 बजे पवन हंस लिमिटेड के पंजीकृत एवं प्रधान कार्यालय, सी-14, सेक्टर-1, नोएडा-201301 में 8वें तल पर स्थित बोर्ड रूम में हाइब्रिड स्वरूप में अर्थात् वैयक्तिक उपस्थिति अथवा वीडियो कांफ्रेंसिंग / अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों से किया जाएगा:-

सामान्य व्यवसाय

मद संख्या 1

लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों एवं संबंधित प्रपत्रों पर विचार करना तथा इन्हें अंगीकार करते हुए निम्नलिखित संकल्प को साधारण संकल्प के रूप में पारित करना :-

“इस संकल्प के साथ 31.3.2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष से संबंधित कम्पनी के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों को निदेशक मंडल की रिपोर्ट एवं उससे संबंधित लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों को एतद्वारा प्राप्ति करते हुए, विचार करते हुए अंगीकार किया गया है।”

मद संख्या 2

नीचे प्रस्तुत संकल्प को साधारण संकल्प के रूप में पारित करते हुए निदेशक मंडल को वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 142(1) के प्रावधानों के अनुसरण में लेखापरीक्षकों के लिए पारिश्रमिक का निर्धारण करने का प्राधिकार प्रदान करना:-

“इस संकल्प के साथ कम्पनी अधिनियम, 2013 के लागू प्रावधानों के अनुसरण में कम्पनी के निदेशक मंडल को एतद्वारा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त लेखापरीक्षकों को वित्तीय वर्ष 2024-25 के संबंध में भुगतान किए जाने वाले पारिश्रमिक का निर्धारण करने एवं निर्णय लेने का प्राधिकार प्रदान किया जाता है।

39वीं (स्थगित) वार्षिक आम सभा में उपस्थिति का लिंक नीचे प्रस्तुत किया गया है:-

वीडियो कॉल लिंक - <https://meet.google.com/htz-exty-xjn>

कम्पनी के निदेशक मंडल के आदेशानुसार जारी

ह/-

(आर.एस. चौहान)

कम्पनी सचिव

एफ.सी.एस. संख्या 8785

दिनांक : 1 सितम्बर, 2025

स्थल : नोएडा

सेवा में,

1. कंपनी के सभी सदस्य
2. निदेशक
3. सांविधिक लेखा परीक्षक
4. सचिवीय लेखा परीक्षक

नोट:

- 1) कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ("एमसीए") द्वारा दिनांक 19.09.2024 को जारी परिपत्र संख्या 09/2024 के माध्यम से वार्षिक आम सभा ("एजीएम") का आयोजन किसी एक स्थान पर सदस्यों की स्वयं उपस्थिति के बिना वीडियो कांफ्रेंस (वीसी) /अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों (ओएवीएम) के माध्यम से करने की अनुमति प्रदान की गई है। तदनुसार, कम्पनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") के अन्य लागू प्रावधानों का अनुपालन करने की शर्त पर कम्पनी की वित्तीय वर्ष 2023-24 की वार्षिक आम सभा का आयोजन हाइब्रिड स्वरूप यथा वैयक्तिक उपस्थित अथवा वीडियो कांफ्रेंस / अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों से किया जा रहा है।
- 2) कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के परिपत्रों के अनुसरण में इस वार्षिक आम सभा का आयोजन चूंकि वीडियो कांफ्रेंस / अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों से किया जा रहा है अतः इसमें सदस्यों की स्वयं उपस्थिति की अपेक्षा नहीं है। तदनुसार, वार्षिक आम सभा के लिए प्राक्सियों की नियुक्ति की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी तथा इस प्रकार प्रॉक्सी फार्म, मार्ग रूट मैप एवं उपस्थिति स्लिप इस नोटिस के साथ संलग्न नहीं है।
- 3) वीडियो कांफ्रेंस/अन्य ऑडियो/विजुअल माध्यम से वार्षिक आम सभा में भाग लेने वाले सदस्यों की गणना, अधिनियम की धारा 103 के उद्देश्य से, कोरम की आवश्यकता पूर्ति के लिए की जाएगी।
- 4) ऊपर उल्लिखित मदों के संबंध में कम्पनी के किसी भी निदेशक का कोई हित सम्बद्ध नहीं है।
- 5) यह बैठक अल्प सूचना देकर आमंत्रित की गई है।
- 6) कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 170 के अनुसरण में अनुरक्षित निदेशकों तथा मुख्य प्रबंधन कार्मिकों एवं उनकी शेयरधारिता का रजिस्टर, निदेशकों के हित से सम्बद्ध अनुबंधों एवं व्यवस्थाओं का रजिस्टर, जो कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 189 के अंतर्गत अनुरक्षित किया गया है, तथा नोटिस में उल्लिखित अन्य सभी दस्तावेज सदस्यों द्वारा जांच के लिए, कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय में प्रत्येक कार्य दिवस में व्यवसाय घंटों के दौरान तथा कम्पनी की वार्षिक आम सभा के दौरान आयोजन स्थल पर, उपलब्ध होंगे।

वीडियो कांफ्रेंस (वीसी) अथवा अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों (ओएवीएम) के माध्यम से वार्षिक आम सभा में उपस्थित होने वाले सदस्यों के लिए अनुदेश।

1. वीडियो कांफ्रेंस/अन्य ऑडियो/विजुअल माध्यम से वार्षिक आम सभा में भाग लेने के लिए वीडियो कांफ्रेंस/अन्य ऑडियो/विजुअल माध्यम का लिंक सदस्यों को कम्पनी के पास उपलब्ध ईमेल पते पर भेजा जाएगा।
2. वीडियो कांफ्रेंस/अन्य ऑडियो/विजुअल माध्यम से वार्षिक आम सभा में भाग लेने की सुविधा वार्षिक आम सभा के अनुसूचित समय से 15 मिनट पूर्व ओपन की जाएगी।
3. सदस्यों की जानकारी के लिए बैठक में प्रतिभागिता का बेहतर अनुभव प्राप्त करने के उद्देश्य से लैपटॉप / आईपैड का उपयोग एक अच्छा विकल्प हो सकता है।
4. बैठक की कार्रवाई के दौरान सदस्यों से वीडियो सुविधा को स्विच ऑन रखने तथा किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न होने के लिए अच्छी गति वाले इंटरनेट कनेक्शन का उपयोग करने की अपेक्षा की गई है।
5. कृपया यह नोट करें कि मोबाइल हाटस्पॉट के माध्यम से मोबाइल उपकरण अथवा टेबलेट अथवा लेपटॉप के उपयोग से सम्पर्क साधन करने वाले प्रतिभागियों के सम्मुख उनके संबंधित नेटवर्कों में उतार चढ़ाव के कारण खराब ऑडियो/ वीडियो प्रस्तुत हो सकते हैं। तदनुसार, इस प्रकार की अड़चनों को न्यूनतम / समाप्त करने लिए स्टेबल (सुव्यवस्थित) वाई-फाई अथवा लेन (LAN) कनेक्शन का उपयोग किया जाना बेहतर है।



अध्यक्ष महोदय द्वारा सदस्यों को संबोधन

प्रिय सदस्यो,

मुझे आपकी कम्पनी की 39वीं (स्थगित) वार्षिक आम सभा में आप सभी का स्वागत करते हुए अपार हर्ष हो रहा है। वित्तीय वर्ष 2023-24 की वार्षिक रिपोर्ट वितरित की जा चुकी है तथा मैं यह मानकर अब आगे बढ़ रहा हूँ कि आप सभी ने इसका पठन कर लिया है।

वस्तुतः 39वीं वार्षिक आम सभा का आयोजन 27.12.2023 को होना था, यह सभा वित्तीय विवरणों को अंतिम रूप न दिए जाने, लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट एवं भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां उपलब्ध न होने के कारण से स्थगित कर दी गई थी। वित्तीय वर्ष 2023-24 की स्थगित वार्षिक आम सभा में देरी काफी अधिक हुई है। इसका प्रमुख कारण सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षा की प्रक्रिया में काफी अधिक समय (9 माह से अधिक) लिया गया तथा इसके पश्चात भी भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षकों द्वारा प्रेक्षण की गई टाइपोग्राफिकल चूकों में सुधार करने तथा दिनांक 21.8.2025 को प्राप्त उनकी टिप्पणियों के प्रति स्पष्टीकरण देने एवं सूचना प्रस्तुत करने और संशोधित लेखापरीक्षा रिपोर्ट तैयार करने में काफी समय लगा।

लेखापरीक्षकों द्वारा प्रतिकूल मत की अभिव्यक्ति की गई है जिसमें अन्यो के साथ साथ यह भी उल्लेख किया गया है कि कम्पनी के वित्तीय वर्ष 2023-24 के वित्तीय विवरण भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप सत्य एवं स्वच्छ छवि की प्रस्तुति नहीं करते हैं। यहां यह उल्लेखनीय है कि सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा प्रस्तुत प्रतिकूल मत के प्रति **भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का मत सांविधिक लेखापरीक्षकों से भिन्न है तथा उन्होंने प्रतिकूल मत के आधार के पैरा 6(ख) को सही नहीं माना है।**

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान आपकी कंपनी द्वारा अर्जित कुल परिचालन आय पिछले वर्ष अर्जित 41515.96 लाख रुपए की तुलना में 38812.40 लाख रुपए है। पिछले वर्ष (2022-23) में 7114.78 लाख रुपए की तुलना में परिचालन

लाभ 4338.12 लाख रुपए है तथापि, कम्पनी कर पश्चात निरंतर घाटा उठा रही है। कुल 42 हेलीकॉप्टरों के विमान बेड़ा आकार में 31.03.2024 को समाप्त वर्ष के दौरान हेलीकॉप्टरों का औसत मासिक नियोजन 25 हेलीकॉप्टर रहा है। पिछले वर्ष के 18850 घंटों की तुलना में वर्ष 2023-24 के दौरान कुल राजस्व उड़ान घंटे 17364.17 घंटे थे।

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान हुए घाटों को विचार में लेकर निदेशक मंडल द्वारा विचाराधीन वर्ष के लिए किसी लाभान्श की अनुशंसा नहीं की गई है।

आपकी कम्पनी, सम्पूर्ण भारत में अपनी पहुंच के साथ, अपने स्वामित्व वाले पूर्णतः संतुलित 46 हेलीकॉप्टरों (परिशोधन हानि वाले 4 हेलीकॉप्टरों सहित) के परिचालनात्मक विमान बेड़े के साथ एशिया की विशालतम हेलीकॉप्टर परिचालन कम्पनी बनी हुई है। आपकी कम्पनी की बढ़ती हुई अपेक्षाओं की पूर्ति के लिए भारत सरकार, नागर विमानन मंत्रालय द्वारा 23 हेलीकॉप्टरों का अधिग्रहण करने का अनुमोदन दिया गया है।

वर्ष के दौरान निम्नलिखित महत्वपूर्ण घटनाएं / विकास हुए हैं :-

आपकी कम्पनी का ओएनजीसी के साथ, उनके अपतटीय कार्यों के लिए, 5 डॉफिन एन3 हेलीकॉप्टरों का अनुबंध है। जुलाई, 2024 में यह अनुबंध समाप्त हो गया है। इसके अलावा, ओएनजीसी ने 10 वर्ष की अवधि के लिए 04 ध्रुव एएलएच (एनजी) (फैक्टरी न्यू) हेलीकॉप्टर बम्बई हाई में उनके अपतटीय परिचालनों के संबंध में आपकी कम्पनी को दिनांक 14.12.2024 की अवार्ड अधिसूचना जारी की है। आपकी कम्पनी ने भी 04 (फैक्टरी न्यू) ध्रुव एएलएच (एनजी) हेलीकॉप्टरों के क्रय का आशय पत्र हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड को जारी कर दिया है। उपर्युक्त के अलावा, ओएनजीसी अनुबंध में सहायता के लिए हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा आपकी 02 हेलीकॉप्टर स्टैंडबाई के रूप में अपनी लागत पर उपलब्ध करवाए जाएंगे।

आरसीएस उड़ान योजना के अंतर्गत परिचालन

आपकी कम्पनी भारत की प्रथम हेलीकॉप्टर कम्पनी है जिसे अनुसूचित यात्री परिचालक (एससीओ) परमिट प्राप्त हुआ है। कम्पनी को आरसीएस उड़ान टेंडर 2.0 के अंतर्गत 4 राज्यों में 11 नेटवर्क, 4.0 के अंतर्गत 2 नेटवर्क, आरसीएस उड़ान 4.1 के अंतर्गत 6 नेटवर्क तथा आरसीएस उड़ान 4.2 के अंतर्गत 8 नेटवर्क और उड़ान 5.1 के अंतर्गत 15 नेटवर्क आबंटित किए गए हैं।

आपकी कम्पनी ने हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखंड के लिए क्रमशः 2019 एवं 2020 में हेलीकॉप्टर सेवाओं का शुभारम्भ कर दिया है तथा इसके पश्चात वर्ष 2021 एवं 2022 में नए मार्ग जोड़े गए हैं।

आपकी कंपनी ने क्षेत्रीय संपर्क योजना (आरसीएस) उड़ान सेवाओं का विस्तार उत्तर-पूर्वी क्षेत्र, विशेष रूप से असम तक बढ़ाकर एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। यह संचालन 8 फरवरी 2023 को आधिकारिक रूप से प्रारम्भ किया गया, जो डिब्रूगढ़, जोरहाट, तेजपुर और गुवाहाटी प्रमुख स्थानों को जोड़ता है।

हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, कर्नाटक और तमिलनाडु की राज्य सरकारों ने अपने-अपने राज्यों में बन रहे हेलीपोर्ट्स के विकास तथा लाइसेंसिंग/संचालन प्राधिकरण हेतु परियोजना प्रबंधन परामर्श सेवाएं प्रदान करने के लिए पीएचएल की सेवाएं ली हैं।

इसके अलावा, नागर विमानन मंत्रालय ने आरसीएस उड़ान-11 के तहत हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर, असम और अरुणाचल प्रदेश के पांच राज्यों में बन रहे सभी 31 हेलीपोर्ट्स के लिए संचार, सुरक्षा, विजुअल एड्स और अग्निशमन सहित सभी उपकरणों की केंद्रीकृत खरीद के लिए पीएचएल को नोडल एजेंसी बनाया है। अधिकांश उपकरण संबंधित राज्य सरकारों को आपूर्ति किए जा चुके हैं।

मैं इस अवसर पर भारत सरकार के अलग-अलग मंत्रालयों, विशेषकर नागर विमानन मंत्रालय और महानिदेशक नागर विमानन से मिले लगातार सहयोग, मार्गदर्शन और समर्थन के लिए आप सभी को धन्यवाद देता हूँ। मैं ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ऑयल इंडिया लिमिटेड, विभिन्न राज्य सरकारों, अन्य ग्राहकों तथा सभी अन्य हितधारकों द्वारा कंपनी के संचालन में व्यक्त किए गए विश्वास की गहराई से सराहना करता हूँ। साथ ही, कंपनी की प्रगति के लिए सभी स्तरों पर कर्मचारियों द्वारा प्रदान की गई ईमानदार और समर्पित सेवाओं के लिए भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ।

ह/-

(संजीव राजदान)

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

दिनांक : 2 सितम्बर, 2025



निदेशक मंडल की रिपोर्ट

प्रिय सदस्यगण,

आपका निदेशक मंडल आपके सम्मुख पवन हंस लिमिटेड की 39वीं वार्षिक रिपोर्ट तथा 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण, लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट और वित्तीय विवरणों के संबंध में भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा की गई टिप्पणियां तथा उनके संबंध में निदेशक मंडल द्वारा दिए गए उत्तरों की सहर्ष प्रस्तुति कर रहा है।

I. प्रचालन

क) प्रचालन परिणाम

पिछले वर्ष की तुलना में 41515.96 लाख रुपए की कुल परिचालनात्मक आय की तुलना में कम्पनी द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 में 38812.40 लाख रुपए अर्जित किए गए हैं। 31.3.2024 को समाप्त वर्ष में कुल 42 बेड़ा आकार के हेलीकॉप्टरों का औसत मासिक नियोजन 25 हेलीकॉप्टर रहा है। वर्ष 2023-24 के दौरान कुल राजस्व उड़ान घंटे 17364.17 रहे हैं जो कि पिछले वर्ष के दौरान 18850 घंटे थे।

ख) बेड़ा प्रोफाइल

सम्पूर्ण भारत में पवन हंस ने अपने पूर्णतः संतुलित 46 हेलीकॉप्टरों के प्रचालन बेड़े के साथ एशिया के विशालतम हेलीकॉप्टर प्रचालकों में से एक होने की अपनी स्थिति को बरकरार रखा है।

कम्पनी के विद्यमान परिचालनात्मक बेड़े का स्वरूप निम्नानुसार है:-

हेलीकॉप्टर प्रकार	हेलीकॉप्टरों की संख्या	औसत आयु (वर्ष)
डॉफिन एसए 365एन	17	37
डॉफिन एसए 365 एन3	14	15
बेल -407	3	21
बेल 206एल4	2	29
एस 350 बी3	2	14
एमआई-172	3	17
ध्रुव (पट्टे पर)	1	18
सिकोरस्काई एस 76डी (पट्टे पर)	4	10
योग	46	



पवन हंस लिमिटेड द्वारा आईसीएटीटी के साथ सहकार्यता से मध्य प्रदेश राज्य में "प्रधानमंत्री एयर एम्बुलेंस सेवा" का शुभारम्भ।

* निदेशक मंडल द्वारा चार डॉफिन एसए365एन हेलीकॉप्टरों, जो 33 वर्ष से भी अधिक पुराने हैं तथा अप्रचलन के कारण काफी समय से ग्राउंड किए गए हैं, के संबंध में क्षमता हानि अनुमोदन प्रदान किया गया है।

तदनुसार, प्रभावी प्रचालनात्मक विमान बेड़े का आकार केवल 42 हेलीकॉप्टर है।

ग) बेड़ा परिनियोजन

विचाराधीन वर्ष के दौरान कम्पनी का उड़ान बेड़ा परिनियोजन निम्नानुसार है :

1. आपकी कम्पनी द्वारा तेल एवं प्राकृतिक गैस कम्पनी लिमिटेड के अपतटीय प्रचालनों हेतु बम्बई अपतटीय प्लेटफार्म पर स्थित ड्रिलिंग रिग्स तक उनके व्यक्तियों एवं महत्वपूर्ण आपूर्तियों के वहन के लिए राउंड द क्लॉक पांच एन-3 हेलीकॉप्टर सेवाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं तथा मुम्बई के भू-भाग से 130 नॉटिकल मील के दायरे में स्थित तेल एवं प्राकृतिक गैस कम्पनी लिमिटेड की रिग्स (मदर प्लेटफार्म एवं ड्रिलिंग रिग्स) तथा उत्पादन प्लेटफार्म (रिग्स) के लिए परिचालन किए जाते हैं।
2. अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह प्रशासन को चार डॉफिन एन3 हेलीकॉप्टर उपलब्ध करवाए गए थे।
3. लक्षद्वीप प्रशासन को 03 डॉफिन एन हेलीकॉप्टर तथा दमन एवं दीव संघ शासित प्रदेश को एक डॉफिन एन / एन3 हेलीकॉप्टर प्रदान किए गए थे।
4. पूर्वोत्तर क्षेत्र में मिजोरम तथा त्रिपुरा राज्य सरकारों को एक डॉफिन हेलीकॉप्टर, प्रत्येक, उपलब्ध करवाया गया था।
5. गंगटोक, सिक्किम में 26.12.2023 तक एक बेल्ल 206/407 हेलीकॉप्टर से परिचालन किए गए थे।
6. कम्पनी ने महाराष्ट्र पुलिस के साथ हेलीकॉप्टर सेवा अनुबंध का नवीकरण भी किया था।

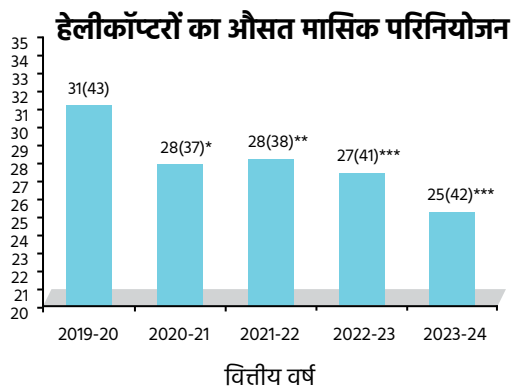
7. हिन्दुस्तान ऑयल एक्सप्लोरेशन कम्पनी लिमिटेड को मुम्बई में हेलीकॉप्टर सेवाएं प्रदान की गई थीं।
8. जम्मू एवं कश्मीर पुलिस को एक बेल्ल 407 हेलीकॉप्टर सेवा प्रदान की गई थी।
9. फाटा से पवित्र केदारनाथ धाम के लिए वर्ष के यात्रा सीजन अर्थात मई-जून एवं सितम्बर-अक्टूबर के दौरान प्रत्येक वर्ष के अनुसार हेलीकॉप्टर सेवाएं प्रदान की गई थी। वर्ष 2023 से 2025 के लिए अनुबंध प्राप्त हुआ था।
10. उत्तराखंड राज्य में गोविन्द घाट – गंगारिया सेक्टरों में स्थित हेमकुंड साहिब सेक्टर के लिए शटल सेवाएं प्रदान करने के अनुबंध भी यूसीएडीए द्वारा विस्तारित किया गया है।
11. नवम्बर 2023 तक आरसीएस-चंडीगढ़ के लिए एक डॉफिन एन हेलीकॉप्टर तैनात किया गया था तथा आरसीएस-उत्तराखंड के लिए एक डॉफिन एन से परिचालन किए जा रहे हैं। असम तथा मणिपुर राज्यों में भी एक डॉफिन हेलीकॉप्टर से सेवाएं प्रदान की जा रही हैं।

वर्ष 2024 के दौरान प्राप्त प्रमुख अनुबंध

1. ओएनजीसी द्वारा वर्ष 2024 में बम्बई अपतटीय परिचालनों के लिए 04 ध्रुव हेलीकॉप्टर के संबंध में आपकी कम्पनी को अवार्ड अधिसूचना (एनओए) जारी की गई है। इसी के क्रम में आपकी कम्पनी ने दिनांक 01.01.2025 को हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) को प्रारम्भ में 04 ध्रुव एएलएच (एनजी) (फैक्टरी न्यू) हेलीकॉप्टर के क्रय का आशय पत्र जारी किया है। आशय पत्र की तिथि को 14.12.2024 माना जाएगा जो कि ओएनजीसी द्वारा पवन हंस लिमिटेड को जारी अवार्ड अधिसूचना (एनओए) की तिथि है।

- आपकी कम्पनी द्वारा तेल एवं प्राकृतिक गैस कम्पनी लिमिटेड के अपतटीय प्रचालनों में सहायता के लिए अंडमान एवं निकोबार में स्थित ड्रिलिंग रिंग्स तक उनके व्यक्तियों एवं महत्वपूर्ण आपूर्तियों का वहन पोर्टब्लेयर से ब्लैक फोर्ड डॉल्फिन तथा ब्लैक फोर्ड से पोर्टब्लेयर के लिए रोटार ऑफ के बिना अपतटीय प्लेटफार्म के लिए राउंड द क्लॉक सेवाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं।
- उत्तराखंड 2024 में उत्तराखंड एयर क्रेक्टिविटी योजना (यूएसीएस) परिचालनों के लिए एक बेल्ल 407 सिंगल इंजन हेलीकॉप्टर भी तैनात किया गया है।

विचाराधीन वर्ष के दौरान हेलीकॉप्टरों का औसत मासिक परिनियोजन कुल 42 में से 25 हेलीकॉप्टर था। चालू वित्तीय वर्ष सहित पिछले वित्तीय वर्षों की तुलना में हेलीकॉप्टरों के औसत मासिक परिनियोजन का तुलनात्मक विवरण नीचे दिया गया है:-



* हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड से पट्टे पर प्राप्त एक ध्रुव हेलीकॉप्टर सहित तथा 4 अप्रयोज्य हेलीकॉप्टरों के अलावा

** हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड से पट्टे पर प्राप्त एक ध्रुव हेलीकॉप्टर सहित तथा 5 अप्रयोज्य हेलीकॉप्टरों के अलावा

*** हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड से पट्टे पर प्राप्त एक ध्रुव हेलीकॉप्टर सहित तथा 4 अप्रयोज्य हेलीकॉप्टरों के अलावा

घ) बेड़ा विस्तार

- आपकी कम्पनी की बढ़ती हुई आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भारत सरकार, नागर विमानन मंत्रालय द्वारा 23 हेलीकॉप्टरों के अधिग्रहण का अनुमोदन दिया गया है। इस अधिग्रहण के वित्तपोषण का प्रस्ताव नागर विमानन मंत्रालय, भारत सरकार के सम्मुख सक्रिय रूप से विचाराधीन है।
- आपकी कम्पनी द्वारा हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) को प्रारंभिक 04 ध्रुव एएलएच (एनजी) हेलीकॉप्टर (फैक्टरी न्यू) के क्रय का कार्य आदेश जारी किया गया है।
- आपकी कम्पनी ने 03 सिंगल इंजन हेलीकॉप्टरों के क्रय के लिए निविदा जारी की गई है।
- आपकी कम्पनी द्वारा 02 द्विन इंजन एम्फीबियोस सीप्लेन की प्राप्ति सकार्मिक पट्टे (वैट लीज) पर करने की निविदा पुनः जारी की गई है।

ङ) रोहिणी हेलीपोर्ट के डीमर्ज

रोहिणी हेलीपोर्ट पर 150 यात्रियों की क्षमता (किसी भी समय बिंदु पर) से युक्त एक टर्मिनल भवन, 16 हेलीकॉप्टरों की पार्किंग क्षमता वाले 4 हेंगर तथा 9 पार्किंग बे स्थापित हैं। इसका निर्माण हेलीकॉप्टर प्रचालनों, अन्य प्रचालकों को लैंडिंग एवं पार्किंग सुविधा, मरम्मत, अनुरक्षण एवं ओवरहॉल सेवाएं (एमआरओ) तथा प्रशिक्षण सेवाएं प्रदान करने के साथ साथ हेलीकॉप्टर व्यवसाय को एकल समाधान उपलब्ध करवाने के लिए किया गया है।

रोहिणी हेलीपोर्ट के लिए भूमि का आबंटन दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा नागर विमानन मंत्रालय के नाम से दीर्घकालिक पट्टे पर किया जाना रोहिणी हेलीपोर्ट रणनीतिक बिक्री / विनिवेश के संव्यवहार के अंतर्गत नहीं आता है। तदनुसार, नागर विमानन मंत्रालय द्वारा रोहिणी हेलीपोर्ट की परिसम्पत्तियों

को पवन हंस लिमिटेड की बहियों में शामिल किए जाने के स्थान पर रणनीतिक प्रक्रिया से पूर्व से इसे विशेष उद्देश्य वाहक (एसपीवी) को सौंपने का निर्णय लिया गया है। इस उद्देश्य से अलग से नागर विमानन मंत्रालय तथा तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम की एक प्रतिरूप कम्पनी रोहिणी हेलीपोर्ट लिमिटेड के नाम से गठित की गई है।

संयुक्त सचिव, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी दिनांक 29.8.2022 के आदेश के माध्यम से डीमर्जर की योजना अनुमोदित की गई है जिसके अनुसार रोहिणी हेलीपोर्ट का पवन हंस लिमिटेड के साथ विलय समाप्त करके गोइंग कंसर्न आधार पर रोहिणी हेलीपोर्ट लिमिटेड के रूप में किया गया है। डीमर्जर की नियत तिथि 1.4.2019 की प्रस्तावित नियत तिथि के स्थान पर संशोधित करके 1.4.2022 निर्धारित की गई है। नियत तिथि में परिवर्तन के परिणामस्वरूप दोनों कंपनियों के लिए पिछले तीन वित्तीय वर्षों के अपने वित्तीय विवरणों, आयकर विवरणों आदि में संशोधन किए जाने की आवश्यकता समाप्त हो गई है। डीमर्जर की योजना दिनांक 26.09.2022 (कंपनी रजिस्ट्रार के सम्मुख आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने की तिथि) से प्रभावी है। नियत तिथि (1.4.2022) से, रोहिणी हेलीपोर्ट के व्यवसाय आपकी कंपनी द्वारा रोहिणी हेलीपोर्ट लिमिटेड की ओर से किए जा रहे हैं।

च) वित्तीय वर्ष 2023-24 की समाप्ति के पश्चात घटित महत्वपूर्ण घटनाएं / विकास क्रम

ओएनजीसी के साथ उनके अपतटीय कार्यों के लिए 5 डॉफिन एन3 हेलीकॉप्टरों का अनुबंध कम्पनी के पास है। इसके अलावा, ओएनजीसी द्वारा दिनांक 14.12.2024 को आपकी कम्पनी के लिए 04 ध्रुव एएलएच (एनजी) (फैक्टरी न्यू) हेलीकॉप्टर के संबंध में अवार्ड अधिसूचना (एनओए) जारी की गई

है। आपकी कम्पनी ने भी हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) को प्रारम्भ में 04 ध्रुव एएलएच (एनजी) (फैक्टरी न्यू) हेलीकॉप्टर के क्रय का आशय पत्र जारी किया है। इसके अलावा, अपनी स्वयं की लागत पर ओएनजीसी अनुबंध की सहायता के लिए स्टैंडबाई हेलीकॉप्टरों के रूप में 02 हेलीकॉप्टर भी उपलब्ध करवाए जाएंगे।

II. विज्ञान एवं मिशन

विज्ञान :

यात्रियों को विश्व श्रेणी की संरक्षित, सुरक्षित, सवहनीय, वहनीय विमान सेवाओं की सुविधा प्रदान करना।

मिशन:

छोटे फिक्स्ड विंग वाले विमानों के प्रचालनों के माध्यम से क्षेत्रीय विमान सम्पर्कता प्रदान करने तथा अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप मरम्मत एवं ओवरहॉल सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से हेलीकॉप्टरों एवं सी प्लेन सेवाओं के क्षेत्र में बाजार का नेतृत्व करना।

III. वित्त एवं लेखा

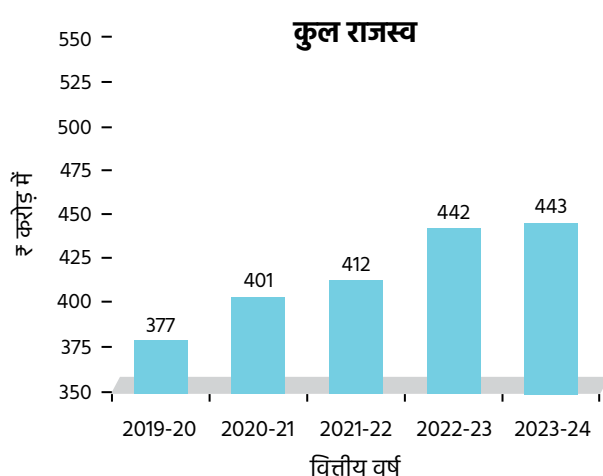
आपकी कम्पनी द्वारा 31.3.2024 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र से युक्त वित्तीय विवरण, 31.3.2024 को समाप्त वर्ष के लाभ एवं हानि विवरण, रोकड़ प्रवाह विवरण, इक्विटी परिवर्तन विवरण तथा महत्वपूर्ण लेखांकन नीति के संक्षेप सहित वित्तीय विवरणों के अतिरिक्त नोट तथा वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए इंड एस के अनुरूप अन्य व्याख्यात्मक सूचना तैयार की गई है।

क) वित्तीय परिणाम

वर्ष 2022-23 तथा 2023-24 के दौरान आपकी कम्पनी का वित्तीय निष्पादन निम्नानुसार है:-

(रुपए लाख में)

विवरण	2023-24 राशि	2022-2023 राशि
क) प्रचालनों से राजस्व	37476.56	40080.03
ख) अन्य प्रचालन आय	1335.84	1435.93
ग) योग प्रचालन आय [क+ख]	38812.40	41515.96
घ) प्रचालन व्यय		
i) हेलीकॉप्टर प्रचालन एवं अनुरक्षण व्यय	12944.08	15149.36
ii) कर्मचारी हितलाभ व्यय	15732.70	15758.19
iii) अन्य व्यय	5797.50	3493.63
योग परिचालन व्यय	34474.28	34401.18
ङ) प्रचालनात्मक लाभ/(हानि) [ग - घ]	4338.12	7114.78
च) अन्य गैर-प्रचालन आय /(व्यय)		
i) अन्य आय	5485.51	2713.59
ii) वित्त लागत	(836.83)	(815.62)
iii) मूल्यहास एवं परिशोधन	(10373.91)	(9896.57)
योग अन्य परिचालन आय (व्यय)	(5725.23)	(7998.60)
छ) कर पूर्व निवल लाभ / (हानि) [ङ-च]	(1387.11)	(883.82)
ज) (i) आस्थगित कर परिसम्पत्तियां (देयताएं)	498.59	(1709.22)
(ii) कर के लिए प्रावधान	(367.17)	---
आस्थगित तथा कर प्रावधान का योग	131.42	(1709.22)
झ) अन्य व्यापक आय / हानि	124.78	124.38
ण) कर पश्चात निवल लाभ / (हानि) [छ+ज+झ]	(1130.90)	(2468.68)
ट) निवल सम्पत्ति	88502.04	89631.92



ख) लाभांश

वर्ष 2023-24 के दौरान हुई हानियों के कारण आपके निदेशक विचाराधीन वर्ष के लिए किसी भी लाभांश की अनुशंसा किए जाने के प्रति अपनी असमर्थता व्यक्त करते हैं।

ग) नागर विमानन मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन

लोक उद्यम विभाग की परक्रामण बैठक के पश्चात आपकी कम्पनी द्वारा नागर विमानन मंत्रालय के साथ प्रत्येक वर्ष एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए

जाते थे। वर्ष 2016-17 के लिए आपकी कम्पनी द्वारा प्रस्तुत की गई निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट के संबंध समझौता ज्ञापन रेटिंग 'बहुत अच्छी' तथा वर्ष 2017-18 की रिपोर्ट 'अच्छी' आंकी गई थी। आपकी कम्पनी द्वारा नागर विमानन मंत्रालय के माध्यम से लोक उद्यम विभाग (डीपीई) से जारी विनिवेश प्रक्रिया के कारण वर्ष 2018-19 के पश्चात से समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाने के प्रति छूट मांगी गई है।

घ) इक्विटी पूंजी

कम्पनी की कुल इक्विटी शेयर पूंजी 557,48,20,000/- रुपये है जिसमें 10,000/- रुपये मूल्य प्रत्येक के 5,57,482 इक्विटी शेयर हैं।

आपकी कंपनी के इक्विटी शेयर नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) के डिपॉजिटरी सिस्टम में शामिल हो गए हैं, जिससे कंपनी के शेयरधारक अपने शेयर डीमेट करवा सकते हैं। पवन हंस लिमिटेड, एनएसडीएल और एनएसडीएल डेटा बेस मैनेजमेंट लिमिटेड (रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट) के बीच त्रिपक्षीय अनुबंध किया गया है। भारत के राष्ट्रपति के पास धारित 10,000/- रुपये मूल्य प्रत्येक के समग्र 2,84,309 इक्विटी शेयर डीमेट किए गए हैं।

IV. इंजीनियरिंग / अनुरक्षण क्रियाकलाप

अपने हेलीकॉप्टरों के बेड़े के अनुरक्षण के लिए कम्पनी द्वारा नागर विमानन महानिदेशालय से अनुमोदन प्राप्त करके मुम्बई, नई दिल्ली, गुवाहाटी (असम) तथा पोर्टब्लेयर (अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह) में उत्कृष्ट अनुरक्षण सुविधाओं की स्थापना की गई है। यहां हेलीकॉप्टरों की अनुरक्षण जांच की जाती है तथा इसके बैंक अप में आंतरिक सुविधाओं से युक्त कार्यशालाएं स्थापित हैं। आपकी कम्पनी की अनुरक्षण क्षमता बिना किसी विदेशी सहायता के पूर्ण रूप से आंतरिक तौर डॉफिन हेलीकॉप्टरों की 'जी' जांच (5400 घंटे/10 वर्ष जांच) तथा एस76डी

हेलीकॉप्टरों के लिए (100 घंटे एवं 36 माह तक) कर सकने की है तथा इसके परिणामस्वरूप मरम्मत/परीक्षण पर होने वाली कम लागत से विदेशी मुद्रा की बचत संभव हो पाई है।

इसके अलावा, कम्पनी के गुवाहाटी (असम) बेस को निम्नलिखित अनुरक्षण क्रियाकलापों के लिए अनुमोदित किया गया है:-

1. 3000 घंटों/6 वर्ष जांच तक डॉफिन एसए 365एन हेलीकॉप्टरों का अनुरक्षण
2. 3000 घंटों/6 वर्ष जांच तक डॉफिन एस 365एन3 हेलीकॉप्टरों का अनुरक्षण.
3. 1200 घंटों/48 माह जांच तक एक्स्युरियल एस 350 बी3 हेलीकॉप्टर का अनुरक्षण
4. 100 घंटों/90 दिन तक बेल्ल 206 एल4 हेलीकॉप्टर का अनुरक्षण
5. 100 घंटों/90 दिन तक बेल्ल 407 हेलीकॉप्टर का अनुरक्षण

पवन हंस लिमिटेड के पोर्टब्लेयर (अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह बेस को निम्नलिखित अनुरक्षण क्रियाकलापों के लिए अनुमोदित किया गया है:-

1. 3000 घंटों/6 वर्ष जांच तक डॉफिन एसए 365एन हेलीकॉप्टरों का अनुरक्षण
2. 1200 घंटों/48 माह जांच तक डॉफिन एस 365एन3 हेलीकॉप्टरों का अनुरक्षण

विचाराधीन वित्तीय वर्ष के दौरान कम्पनी द्वारा अपने संसाधनों से हेलीकॉप्टरों के डॉफिन विमान बेड़े की जांच के लिए टी/2टी/5टी/जी (600 घंटे/1200 घंटे/3000 घंटे/ 5400 घंटे) के कुल 20 जांच कार्य किए गए थे।

इसके अलावा, रोहिणी हेलीपोर्ट (दिल्ली) के संबंध में नागर विमानन महानिदेशालय द्वारा अनुमोदित निम्नलिखित अनुरक्षण कार्य अनुमोदन दिए गए हैं:-

1. 1500 घंटों की जांच तक बेल्ल 206 एल4 का अनुरक्षण
2. 1200 घंटों/24 माह की जांच तक बेल्ल 407 एल4 का अनुरक्षण
3. 1200 घंटों/48 माह की जांच, प्रमुख बदलाव/मरम्मत के अलावा, तक एक्युरियल एस350 बी 3 हेलीकॉप्टर का अनुरक्षण
4. 1200 घंटों/4 वर्ष की जांच तक डॉफिन एसए 365एन हेलीकॉप्टरों का अनुरक्षण
5. 1200 घंटों/4 वर्ष जांच तक डॉफिन एसए 365एन3 हेलीकॉप्टरों का अनुरक्षण
6. एमआई-172 हेलीकॉप्टर के अनुरक्षण के साथ 500 घंटों तथा 1000 घंटों की जांच

कम्पनी की अनुरक्षण व्यवस्था में संवर्धन करने तथा बाह्य व्यवसाय प्राप्त करने के उद्देश्य से अलग अनुरक्षण, मरम्मत एवं ओवरहॉल (एमआरओ) इकाईयों की स्थापना की गई है।

V. सामग्री प्रबंधन

आपकी कम्पनी निम्नलिखित हेलीकॉप्टर बेड़े का परिचालन कर रही है तथा इंजीनियरिंग विभाग को उनके द्वारा हेलीकॉप्टरों के अनुरक्षण एवं सर्विसिंग में सहायता प्रदान करने के लिए पश्चिम एवं उत्तरी क्षेत्र की ओर से स्पेयर्स सहायता प्रबंधित की जाती है:-

	पश्चिम क्षेत्र		उत्तरी क्षेत्र
1.	डॉफिन एन	1.	बेल्ल 206 -एल4
2.	डॉफिन एन3	2.	बेल्ल 407
3.	सिकोरस्की एस76डी (पट्टे पर)	3.	एमआई 172
		4.	एस350 इक्युरियल

ई-प्रणाली का उपयोग प्रत्येक मदों के प्रापण के लिए किया जाता है जो एक पारदर्शी एवं सक्षम प्रणाली है। सामग्री विभाग द्वारा क्रय मैनुअल में दिए गए दिशानिर्देशों तथा व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किए जाने वाले नए दिशानिर्देशों का भी अनुसरण किया जा रहा है।



एलायंस एयर तथा पवन हंस लिमिटेड के मध्य कोड साझा करने के लिए समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर।

सभी फास्ट मूविंग उपभोग्य वस्तुओं तथा स्पेयर्स का प्रापण पुनः आर्डर स्तर (आरओएल) तथा स्टॉक मॉनीटरिंग प्रणाली की समीक्षा करके नियंत्रित किया जाता है। प्रापण के दौरान, आरओएल की समीक्षा की जाती है तथा पिछले 5 वर्षों में खपत की निर्भरता के नए स्तर निर्धारित किए जाते हैं जिससे कि आवश्यकता के अनुसार प्रापण किया जाए तथा ओवर स्टॉकिंग में कमी लाई जा सके और निधियों की अनावश्यक ब्लॉकिंग से बचा जा सके। उच्च मूल्य वाली एसएलएल मदों का प्रापण 1-2 वर्ष की भावी अपेक्षाओं के अनुसार किया जाता है जिसके लिए मूल उपकरण निर्माता (ओईएम)/हेलीकॉप्टर निर्माता को वरीयता दी जाती है।

सभी मरम्मत योग्य एवं रोटेबल मूल उपकरण निर्माता (ओईएम) / हेलीकॉप्टर निर्माता को मरम्मत / ओवरहॉल एवं मूल उपकरण निर्माता प्राधिकृत मरम्मत के लिए भेजे जाते हैं।

सामग्री विभाग की सभी गतिविधियाँ एकीकृत कम्प्यूटरीकरण के माध्यम से ऑनलाइन हैं। इस प्रणाली से विभाग प्रापण के प्रत्येक चरण की मॉनीटरिंग कर पाते हैं तथा मुख्य भंडार अथवा विभिन्न डिस्ट्रिब्यूट और साथ ही साथ ट्रांजिट में मालसूची की मॉनीटरिंग संभव हो पाती है। मांग और आपूर्ति का प्रसंस्करण कुशल हो गया है। प्रत्येक डेटा सभी क्षेत्रों और बेसों पर नेटवर्क के उपयोगकर्ताओं के लिए उपलब्ध है।

VI. सूचना व्यवस्था एवं प्रौद्योगिकी प्रयास

संचार के लिए अद्यतन प्रौद्योगिकी समाधानों का समावेश किए बिना उत्तम संचलन संभव नहीं है। सूचना प्रौद्योगिकी टूल्स को व्यवसाय की आवश्यकताओं के अनुरूप अंगीकार किया गया है।

नवीनतम समाचारों एवं सूचना के प्रसार के उद्देश्य से कम्पनी की अपनी वेबसाइट (www.pawanhans.co.in) स्थापित है। इसके अलावा, सभी कर्मचारियों

को कम्पनी तथा इसके विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित विभिन्न कार्यों से अद्यतन रखने के लिए आंतरिक कर्मचारी पोर्टल (mypawanhans.co.in) का भी विकास किया गया है।

आपकी कम्पनी द्वारा व्यावसायिक उपयोग्यता के लिए क्लाउड सेवाओं एवं उड़ान डेटा शेड्यूलिंग सिस्टम, कम्पोजिट हेल्थ मॉनीटरिंग सिस्टम, सामग्री प्रबंधन प्रणाली, वित्त एवं लेखा प्रणाली, मानव संसाधन प्रणाली एवं बिजनेस डेशबोर्ड के लिए एकीकृत सूचना प्रणाली (आईआईएसपी) का उपयोग किया जा रहा है।

आपकी कम्पनी में कार्यान्वयन किए गए अन्य समाधानों में ई-ऑफिस, ई-टेंडरिंग, ई-आरटीआई, ई-जीईएम, ई-फेस60+, ई-टिकटिंग, आनलाइन बिल ट्रेकिंग सिस्टम, संरक्षा प्रबंधन व्यवस्था, वर्चुअल मीट एवं ई-मेल समाधान शामिल हैं।

आपकी कम्पनी में उपयोग में लाई जा रही प्रौद्योगिकी से कर्मचारियों की पहुंच कार्य प्रयोजन से सम्बद्ध जोखिम सूचना तक कुशल एवं प्रभावी रूप से हो पाती है तथा यह प्रतिस्पर्धी बाजार में प्रतिस्पर्धी स्थिति का लाभ प्राप्त करने के लिए भी आशित है। सूचना संचार एवं प्रौद्योगिकी (आईसीटी) परिवेश से सेवाओं, संगणन संसाधनों, आनलाइन अध्ययन सामग्रियों, प्रशिक्षण मैनुअलों तथा अन्य केन्द्रीकृत उपयोग्यताओं तक सुगम एवं त्वरित पहुंच स्थापित हो पाती है। जो प्रौद्योगिकियां स्थापित की गई हैं उनसे कर्मचारियों को भी अपने कौशल के अनवरत उन्नयन एवं अपने कार्य परिवेश में विविधता सम्पन्न सुधार लाने के अवसर प्राप्त होते हैं।

पवन हंस द्वारा लागतों को संतुलित करने, सेवाओं की बेहदरी एवं अर्थपूर्ण आपूर्ति के लिए नियंत्रण एवं ग्राहक सेवाओं को बेहतर बनाकर 'ईज आफ डूइंग आपरेशंस' के अंतर्गत विभिन्न व्यवसाय प्रक्रियाओं को मानक बनाने के लिए उत्कृष्ट सूचना प्रौद्योगिकी व्यवहारों को अंगीकार किया गया है।

VII. मानव संसाधन प्रबंधन

क) जनशक्ति

31 मार्च, 2023 को 569 जनशक्ति की तुलना में 31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार कम्पनी की कुल 558 जनशक्ति (238 नियमित कर्मचारी तथा 320 अनुबंध कर्मचारी) थी जिनमें 86 पॉयलट, 84 विमान अनुरक्षण इंजीनियर, 01 फ्लाइट इंजीनियर, 67 अधिशासी, 149 तकनीशियन तथा 171 अन्य तकनीकी एवं गैर तकनीकी कर्मचारी हैं।

ख) औद्योगिक संबंध

विचाराधीन अवधि के दौरान औद्योगिक संबंध मैत्रीपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण बने रहे, कर्मचारियों के प्रतिनिधियों के साथ नियमित बैठकें आयोजित हुईं। कर्मचारियों से संबंधित मामलों का निपटान बातचीत एवं विभिन्न बैठकों में विचार विमर्श के माध्यम से कर लिया गया। सभी अधिशासियों, पॉयलटों तथा इंजीनियरों (नियमित एवं संविद्वारत दोनों) के संबंध में तथा यूनियन वर्ग के कर्मचारियों के संबंध में संशोधित

आईडीए वेतनमान एवं भत्तों का कार्यान्वयन किया गया है।

ग) कर्मचारी कल्याण

कम्पनी द्वारा अपने कर्मचारियों एवं उनके आश्रितों को वृहद चिकित्सा सुविधा, आवास ऋण, सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा सुविधा एवं सामाजिक सुरक्षा के माध्यम से कल्याण लाभ प्रदान किए जाते रहे हैं। पवन हंस लिमिटेड ने एक कल्याण उपाय के तौर पर सेवानिवृत्ति पश्चात समूह चिकित्सा सुविधा योजना के अंतर्गत उन कर्मचारियों के पति / पत्नी के लिए भी चिकित्सा सुविधा विस्तारित की है जो अपने कार्यों के निर्वह के दौरान अथवा चिकित्सा कारणों से 1.1.2017 के पश्चात दिवंगत हुए हैं। इसके अलावा, कम्पनी द्वारा अपनी नीतियों का संरेखण आर्थिक एवं व्यावसायिक परिवेश के अनुरूप किया गया है। कम्पनी द्वारा अपने कर्मचारियों के कल्याण के लिए तीन ट्रस्ट यथा कर्मचारी अंशदायी भविष्य निधि ट्रस्ट, कर्मचारी उपदान निधि ट्रस्ट तथा कर्मचारी परिभाषित अंशदायी पेंशन ट्रस्ट स्थापित किए गए हैं।



जनरल (डा.) वी.के. सिंह. सेवा निवृत्त, माननीय नागर विमानन तथा सड़क परिवहन एवं राजमार्ग राज्य मंत्री, नई दिल्ली में वुमेंस इन एविएशन द्वारा नागर विमानन क्षेत्र में महिलाओं के सम्मान के लिए आयोजित पुरस्कार वितरण समारोह के आयोजन अवसर पर, पवन हंस लिमिटेड से सुश्री त्रिवेणी रहाटे, एएमई को सम्मानित करते हुए।

घ) कार्यस्थल पर महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न के संबंध में महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेद्ध एवं प्रतितोष) अधिनियम, 2013 के अंतर्गत प्रकटीकरण।

कार्यस्थल पर महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न के संबंध में महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेद्ध एवं प्रतितोष) अधिनियम, 2013 के प्रावधानों तथा उसके अध्याधीन बने नियमों के अंतर्गत प्रकटीकरण कर दिया गया है। कम्पनी में कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न के निवारण, प्रतिषेद्ध एवं प्रतितोष के लिए एक समिति स्थापित की गई है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान लैंगिक उत्पीड़न का कोई मामला रिपोर्ट नहीं किया गया था।

ङ) दिव्यांग जनों के लिए रोजगार एवं प्राथमिकता प्राप्त वर्ग के लिए सरकारी निदेशों का कार्यान्वयन

कम्पनी द्वारा निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 2016 के सभी विधिक प्रावधानों तथा समय समय पर किए जाने वाले संशोधनों का अनुपालन किया जा रहा है। कम्पनी प्राथमिकता प्राप्त वर्ग यथा अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े वर्ग को भर्ती के लिए छूट दिए जाने से संबंधित सरकारी दिशानिर्देशों का अनुपालन कर रही है। आपकी कम्पनी ने दिव्यांग जनों के लिए शौचालय, रैम्प, लिफ्टें, व्हील चेयर्स जैसी विभिन्न सुविधाओं की स्थापना कॉर्पोरेट कार्यालय, उत्तरी क्षेत्र एवं पश्चिमी क्षेत्र में की है। रोहिणी सेक्टर 36, दिल्ली में स्थित हेलीपोर्ट के विभिन्न भवनों के मध्य आवाजाही के लिए ई-रिक्शा की व्यवस्था भी दिव्यांगजनों के लिए की गई है।

सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों का अनुसरण करते हुए दिव्यांगजनों को 10.6.2020 से अन्य कर्मचारियों की तुलना में दोगुणी दर पर अतिरिक्त यात्रा भत्ते का भुगतान किया जा रहा है। आपकी कम्पनी अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग तथा ईडब्ल्यूएस से के प्राथमिकता प्राप्त वर्गों से संबंधित सरकारी निदेशों का पालन कर रही है।

च) प्रशिक्षण

सभी कर्मचारियों यथा अधिशासियों, पॉयलटों, इंजीनियरों, तकनीशियनों तथा सहायक कर्मचारियों को उच्च प्राथमिकता के आधार पर प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। प्रबंधन दक्षता से संबंधित विभिन्न विषयों पर नियमित रूप से व्याख्यान दिए जाते हैं। कम्पनी अपने कर्मचारियों को विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रमों तथा आंतरिक कार्यक्रमों में प्रशिक्षण प्राप्त किए जाने के लिए भी नामित किया जाता है।

आपकी कम्पनी के विमानन प्रशिक्षण विद्यालय के संसाधनों का उपयोग पायलटों, इंजीनियरों तथा तकनीशियनों को नियमित पुनश्चर्या प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए किया गया है। कम्पनी द्वारा सितम्बर, 2009 में मुम्बई में पवन हंस हेलीकॉप्टर प्रशिक्षण संस्थान (पीएचटीआई) की स्थापना की गई है जो नागर विमानन महानिदेशालय से एएमई लाइसेंस की प्राप्ति के लिए नागर विमानन महानिदेशालय द्वारा अनुमोदित आधारभूत विमान अनुरक्षण इंजीनियरिंग लाइसेंस प्रारंभिक पाठ्यक्रम के साथ साथ मुम्बई विश्वविद्यालय के माध्यम से बीएससी (वैमानिकी) के पाठ्यक्रम के आयोजन भी कर रहा है।

संरक्षा एवं कौशल में संवर्धन के उद्देश्य से आपकी कम्पनी द्वारा संरक्षा प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन (आयटा - आईएटीए) के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं जोकि इंडियोरेंस बर्सरी प्रोविजन के अंतर्गत कवर होगा। आपकी कम्पनी द्वारा विमान कर्मियों के प्रशिक्षण तथा पॉयलटों को आपात स्थितियों का सामना करने में सक्षम बनाने के लिए पवन हंस लिमिटेड विमान कर्मियों के प्रशिक्षण एवं प्रशिक्षण पद्धति पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। उड़ान के दौरान जोखिमकारी परिस्थितियों का सामना करने में समर्थ बनाने के लिए सभी कर्मियों के लिए सिम्युलेटर प्रशिक्षण के माध्यम से ऐसे प्रशिक्षण प्रदान करने का भी सुनिश्चय किया जाता है।

VIII. संरक्षा प्रबंधन व्यवस्था तथा एफओक्यूए व्यवस्था

हमारे लिए संरक्षा सर्वाधिक महत्वपूर्ण है तथा आपकी कम्पनी अपने प्रचालनों एवं अनुरक्षण क्रियाकलापों के लिए अनवरत आधार पर संरक्षा को पर्याप्त महत्व प्रदान कर रही है। वैश्विक डोमेन विशेषज्ञों के माध्यम से अपेक्षानुसार तृतीय पक्ष संरक्षा प्रबंधन प्रणाली (एसएमएस) ऑडिट वैश्विक विषय विशेषज्ञों से करवाए जाते हैं।

उड़ान डेटा विश्लेषण में सुधार लाने की विनियामक अपेक्षाओं का पालन करते हुए दैनिक आधार उड़ान डेटा विश्लेषण के उद्देश्य से उत्तरी क्षेत्र एवं पश्चिमी क्षेत्र में उड़ान डेटा विश्लेषण कक्ष (एफडीएपी) स्थापित किए गए हैं। हेलीकॉप्टर ट्रेकिंग व्यवस्था उनतीस हेलीकॉप्टरों में स्थापित कर दी गई है तथा कम्पनी के सम्पूर्ण बेड़े के लिए इसे शेष हेलीकॉप्टरों में भी स्थापित करने की प्रक्रिया की जा रही है।

संरक्षा को प्रमुख क्रियाकलाप के रूप में शामिल करने के लिए संरक्षा नीति को संशोधित किया गया है। आपकी कम्पनी द्वारा अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन (आईसीएओ) / नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) के दिशानिर्देशों के अनुसार अपने प्रचालनों एवं अनुरक्षण क्रियाकलापों के लिए कम्पनी द्वारा संरक्षा प्रबंध व्यवस्था (एसएमएस) आधारित साफ्टवेयर ("एवियेटर एसएमएस") का कार्यान्वयन भी किया गया है।

कॉर्पोरेट कार्यालय, नोएडा में स्थित कम्पनी का राष्ट्रीय विमानन संरक्षा एवं सेवा संस्थान भी कर्मचारियों को क्लासरूम एवं वीडियो आधारित आनलाइन कक्षाओं के उपयोग से सीआरएम, एसएमएस, एसजीटी एवं मानक कारक प्रशिक्षण जैसे विभिन्न पाठ्यक्रमों का आयोजन कक्षाओं तथा ऑनलाइन सत्रों के आधार पर किया जा रहा है। इसके अलावा, आपकी कम्पनी के कार्मिक संरक्षा संवर्धन के लिए आईएटीए के माध्यम से प्राप्त कर रहे हैं।

IX. निदेशक मंडल

वित्तीय वर्ष 2023-24 में निदेशक मंडल की चार बैठकें आयोजित की गई हैं। वित्तीय वर्ष के दौरान प्रत्येक निदेशक द्वारा बैठकों में प्रतिभागिता का विवरण नीचे दिया गया है:-

क्र. सं.	निदेशक का नाम	पदनाम	डीआईएन	निदेशक मंडल की बैठकें में प्रतिभागिता का पात्रता	निदेशक मंडल की बैठकों में प्रतिभागिता
1	श्री संजीव राजदान	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	08711596	4	4
2	श्री असंगबा चुबा आओ	सरकार द्वारा नामित निदेशक	08086220	4	1
3	श्री पदम लाल नेगी	सरकार द्वारा नामित निदेशक	10041387	4	4
4	एवीएम तेजबीर सिंह (17.08.2023 से नियुक्त)	सरकार द्वारा नामित निदेशक – भारतीय वायु सेना के प्रतिनिधि	10280997	3	0

क्र. सं.	निदेशक का नाम	पदनाम	डीआईएन	निदेशक मंडल की बैठकें में प्रतिभागिता का पात्रता	निदेशक मंडल की बैठकें में प्रतिभागिता
5	एवीएम एस श्रीनिवासन (16.06.2023 से निदेशक नहीं हैं)	सरकार द्वारा नामित निदेशक – भारतीय वायु सेना के प्रतिनिधि	07493794	1	0
6	श्री अजय रतन (01.09.2023 से नियुक्त)	नामित निदेशक – ओएनजीसी लिमिटेड से प्रतिनिधित्व	10303789	3	2
7	श्री पंकज कुमार (01.09.2023 से निदेशक नहीं)	नामित निदेशक – ओएनजीसी लिमिटेड से प्रतिनिधित्व	09252235	1	0
8	श्री नवीन कुमार सोनी	स्वतंत्र निदेशक	07134716	4	4
9	श्रीमती अमि मनिष पारिख	स्वतंत्र निदेशक	09487463	4	4

विचाराधीन वर्ष के दौरान एवीएम एस श्रीनिवासन तथा श्री पंकज कुमार क्रमशः दिनांक 16.06.2023 तथा 01.09.2023 से नामांकन प्राधिकारी से अपना नामांकन वापिस लेने के परिणामस्वरूप कम्पनी के निदेशक नहीं हैं।

आपका निदेशक मंडल, इन आउटगोइंग निदेशकों द्वारा कम्पनी को अपने कार्यकाल के दौरान प्रदत्त अपनी मूल्यवान सेवाओं के प्रति आभार व्यक्त करता है।

प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों से संबंधित विवरण

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 203(1) तथा कम्पनी (लेखा) नियमावली, 2014 के नियम संख्या 8(5)(iii) के अनुसरण में कम्पनी में निम्नलिखित पूर्ण कालिक प्रमुख प्रबंधन कार्मिक हैं:-

- संजीव राजदान, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
- श्री रंजीत सिंह चौहान, कम्पनी सचिव
- श्री अजय गुप्ता, मुख्य वित्त अधिकारी

नागर विमानन निदेशालय की नियमावली के अंतर्गत उत्तरदेयी प्रबंधक

श्री एम.एस. बूरा, स्थापन कार्यपालक निदेशक (तकनीकी) दिनांक 03.01.2023 से 28.12.2023 की अवधि में उत्तरदेयी प्रबंधक थे। दिनांक 06.03.2023 से श्री संजय कुमार, स्थानापन्न कार्यपालक निदेशक (बीडी एवं विपणन) उत्तरदेयी प्रबंधक नियुक्त किए गए थे। तथापि, दिनांक 01.01.2025 को श्री संजय कुमार की अधिवार्षिता की अवधि पूरी होने के परिणामस्वरूप श्री जितेन्द्र सिंह नेगी, महाप्रबंधक (एएमई एवं एमआरओ) को दिनांक 31.01.2025 से उत्तरदेयी प्रबंधक नियुक्त किया गया था।

उपर्युक्त के अलावा, कप्तान राजीव शर्मा उड़ान संरक्षा प्रमुख हैं।

X. निदेशकों का उत्तरदेयता विवरण

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(5) के प्रावधानों के अनुसरण में 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के वार्षिक लेखों के संबंध में निदेशकों द्वारा:-

1. वार्षिक लेखों के निर्माण के लिए लेखांकन मानकों का अनुसरण किया गया है तथा सामग्री विचलन से संबंधित उचित स्पष्टीकरण, यदि कोई हों, का समावेश किया गया है।
2. वित्तीय वर्ष के अंत में कम्पनी के क्रियाकलापों की सत्य एवं स्पष्ट रूपरेखा तथा इस अवधि के दौरान कम्पनी की लाभदेयता को प्रस्तुत करने के उद्देश्य से ऐसी लेखांकन नीतियों का चयन किया गया है तथा उनका सुसंगत प्रयोग किया गया है जो निर्धारण एवं अनुमानों के लिए औचित्यपरक एवं विवेकसम्मत हैं।
3. कम्पनी की परिसम्पत्तियों के संरक्षण तथा जालसाजी एवं अन्य अनियमितताओं से बचाव एवं उनके अन्वेषण के लिए कम्पनी अधिनियम, 1913 के प्रावधानों के अंतर्गत लेखांकन के उपयुक्त रिकार्ड का अनुरक्षण उचित एवं पर्याप्त सावधानी के साथ किया है।
4. वार्षिक लेखों का निर्माण गोडंग कंसर्न आधार पर किया है; तथा
5. सभी लागू विधानों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उस उचित प्रक्रिया को अपनाया गया है जो प्रक्रिया यथोचित एवं कार्यकुशल स्वरूप में कार्य कर रही थी।

XI. स्वतंत्र निदेशकों द्वारा घोषणा

स्वतंत्र निदेशकों द्वारा कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(7) के अंतर्गत यह घोषणा की गई है कि वे कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(6) के प्रावधानों के अनुसार स्वतंत्रता के मापदंडों को पूरा करते हैं।

XII. कॉर्पोरेट शासन

कॉर्पोरेट संचलन की रिपोर्ट सहित प्रेक्टिसिंग कम्पनी सचिव से कॉर्पोरेट संचलन दिशानिर्देशों के अनुपालन

के संबंध में प्राप्त प्रमाण पत्र अनुलग्नक - क में दिया गया है। प्रबंधन चर्चा तथा विश्लेषण रिपोर्ट अनुलग्नक-ख में प्रस्तुत की गई है।

XIII. सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 के अंतर्गत मैसर्स लूथरा एंड लूथरा एलएलपी, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स की नियुक्ति सांविधिक लेखापरीक्षक के रूप में की गई है। सांविधिक लेखापरीक्षक द्वारा अपनी रिपोर्ट दिनांक 23.06.2025 को प्रस्तुत की गई थी जो उनकी दिनांक 19.05.2025 की पूर्व लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अतिक्रमण में प्रस्तुत की गई है। सांविधिक लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में प्रतिकूल मत व्यक्त किया गया है। प्रत्येक अर्हता, रिजर्वेशन अथवा प्रतिकूल टिप्पणी के संबंध में निदेशक मंडल द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण अनुलग्नक-ग में प्रस्तुत किया गया है।

XIV. भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा की गई टिप्पणियां

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(क) के अनुसरण में भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा टिप्पणियां अभी प्राप्त नहीं हुई हैं तथा उनके संबंध में, यदि कोई हो, अलग से निदेशक मंडल की रिपोर्ट में परिशिष्ट के माध्यम से कार्रवाई की जाएगी।

XV. साचिविक लेखापरीक्षा रिपोर्ट

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 204(1) के अनुसरण में कम्पनी द्वारा 31.03.2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए साचिविक अनुपालन ऑडिट किए जाने हेतु मैसर्स वीएपी एंड एसोसिएट्स, कम्पनी सचिव की सेवाएं साचिविक ऑडिटर के रूप में पूर्णकालिक प्रक्रिया के लिए प्राप्त की गई हैं। साचिविक ऑडिट रिपोर्ट तथा उसमें साचिविक लेखापरीक्षकों द्वारा किए प्रेक्षण के संबंध में निदेशक मंडल के उत्तर अनुलग्नक-घ में प्रस्तुत किए गए हैं।

XVI. संबद्ध पार्टी संव्यवहार

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 (1) के अंतर्गत वर्ष के दौरान संबद्ध पार्टी कार्य व्यवहार के संबंध में किए गए अनुबंध अथवा व्यवस्थाओं का विवरण अनुलग्नक ड में प्रस्तुत किया गया है।

XVII. कर्मचारियों से संबंधित विवरण

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय की दिनांक 05.06.2015 की राजपत्र अधिसूचना के परिप्रेक्ष्य में कम्पनी अधिनियम की धारा 197 के प्रावधान एवं अध्याय XIII के सम्बद्ध नियमों से सरकारी कम्पनियों को छूट प्रदान की गई है। आपकी कम्पनी चूंकि कम्पनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अंतर्गत एक सरकारी कम्पनी है, अतः इस सूचना को निदेशक मंडल की रिपोर्ट के भाग के रूप में शामिल नहीं किया गया है। पूर्णकालिक कार्यात्मक निदेशकों की नियुक्ति की शर्तें एवं निबंधनों का निर्णय भारत सरकार द्वारा लिया जाता है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं कम्पनी सचिव के वेतन तथा नियुक्ति की शर्तें एवं निबंधनों का निर्धारण प्रमुख प्रबंधन कार्मिक होने के कारण लोक उपक्रम विभाग द्वारा निर्धारित मानदंडों का अनुपालन करके किया जाता है।

XVIII. कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व समिति

विचाराधीन अवधि के दौरान आपकी कम्पनी की कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व समिति में श्रीमती अमी पारिख, अध्यक्ष, श्री नवीन कुमार सोनी तथा श्री पदम लाल नेगी, सदस्य हैं। कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व के क्रियाकलापों की वार्षिक रिपोर्ट अनुलग्नक - च में प्रस्तुत की गई है।

XIX. चौकसी तंत्र व्यवस्था

चौकसी तंत्र व्यवस्था को अभिन्न भाग के रूप में अपनाकर सरकारी दिशानिर्देशों का अनुसरण करते

हुए कम्पनी द्वारा कर्मचारियों एवं जनता को उनकी शिकायतों की सुनवाई के लिए सुगम तंत्र व्यवस्था स्थापित की गई है। सरकारी लोक शिकायत पोर्टल पर लोक शिकायतों की नियमित मॉनीटरिंग एक समर्पित अधिकारी द्वारा की जाती है।

XX. सूचना अधिकार अधिनियम

कम्पनी द्वारा सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 के अध्याधीन कॉर्पोरेट कार्यालय में केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी तथा पश्चिमी क्षेत्र एवं उत्तरी क्षेत्र में सहायक लोक सूचना अधिकारी के समक्ष प्राप्त होने वाले अनुरोधों पर कार्रवाई के लिए अपने समग्र संगठन में व्यवस्था स्थापित की गई है। इसके अलावा, कॉर्पोरेट कार्यालय, पश्चिमी क्षेत्र तथा उत्तरी क्षेत्र में अलग अलग केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी नामित किए गए हैं। कॉर्पोरेट कार्यालय प्रथम अपीलिय अधिकारी नामित किया गया है।

XXI. नागरिक चार्टर

आपकी कम्पनी द्वारा अपनी वेबसाइट पर नागर विमानन मंत्रालय द्वारा निर्धारित फॉर्मेट के अनुरूप नागरिक चार्टर दर्शाया गया है।

XXII. सत्यनिष्ठा संधि

कम्पनी द्वारा अपने विक्रेताओं के साथ निविदा पूर्व स्तर पर सत्यनिष्ठा संधि पर हस्ताक्षर किए जाते हैं। सत्यनिष्ठा संधि के अंतर्गत विक्रेता द्वारा हस्ताक्षर की जाने वाली एक करोड़ तथा अधिक मूल्य की प्रमुख निविदाएं आती हैं।

XXIII. सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के लिए सार्वजनिक अधिप्राप्ति नीति से सम्बद्ध अनुपालन

आपकी कम्पनी के कॉर्पोरेट एवं क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा एमएसएमई आदेश, 2012 के अनुसरण में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों से क्रय किए गए वस्तु एवं

सेवाओं से संबंधित विवरण नीचे प्रस्तुत किया गया है :-

शीर्ष	वित्तीय वर्ष (आंकड़े लाख में)	
	2023-24	2022-23
कुल वार्षिक अधिप्राप्ति मूल्य	13321.62	11427.47
एमएसई से अधिप्राप्त माल एवं सेवाओं का कुल मूल्य (अ.जा./अ.जजा. उद्यमियों के स्वामित्व वाले एमएसएमई सहित)	966.06	249.89

आपकी कम्पनी द्वारा माल एवं सेवाओं की 90% अधिप्राप्ति हेलीकॉप्टरों से सम्बद्ध मदों के लिए की जाती है तथा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम मंत्रालय द्वारा उपलब्ध करवाई गई मदों की सूची गैर-वैमानिक मानकों के अनुसार है तथा ऐसी अधिप्राप्ति आयात के माध्यम से की जाती हैं। शेष अधिप्राप्तियों के संबंध में एमएसएमई आदेश, 2012 के प्रावधानों का अनुपालन किया जा रहा है।

XXIV. ऊर्जा संरक्षण एवं प्रौद्योगिकी आमेलन

कम्पनी के क्रियाकलापों को दृष्टिगत रखते हुए ऊर्जा संरक्षण एवं प्रौद्योगिकी आमेलन का प्रभाव अत्यंत सीमित हैं। जहां कहीं आवश्यकता होती है कम्पनी द्वारा ऊर्जा संरक्षण के संबंध में कार्यालयीन कार्यों / दौरों के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग कम्पनी के आंतरिक अनुसंधान के लिए प्रौद्योगिकी आमेलन, आयात प्रतिस्थापन, उत्पादन सुधार एवं लागत कटौति जैसे प्रयास किए जाते हैं।

XXV. विदेशी मुद्रा आय एवं बहिर्प्रवाह

विचाराधीन वित्तीय वर्ष के दौरान कम्पनी ने शून्य (पिछले वर्ष शून्य) विदेशी मुद्रा अर्जित की है। सामान्यतः विदेशी मुद्रा में कम्पनी के अनुबंध ओएनजीसी के साथ हैं। अनुबंधों के विस्तार के दौरान इनमें यह संशोधन किया गया था कि विस्तारित अनुबंधों के लिए पवन हंस लिमिटेड को भारतीय मुद्रा में भुगतान किया जाएगा। इस कारण से विदेशी मुद्रा आय शून्य है। विचाराधीन वर्ष के दौरान विदेशी मुद्रा आउटगो 11,269.16 लाख रुपये (पिछले वर्ष 9525.29 लाख रुपये) रुपये है।

XXVI. वार्षिक विवरण

कम्पनी अधिनियम की धारा 134(3) के साथ पठित धारा 92(3) की अपेक्षाओं के अनुसार फार्म एमजीटी-9 में निर्मित वार्षिक विवरण का संक्षेप सार वार्षिक रिपोर्ट की प्रस्तुति के पश्चात कम्पनी की वेबसाइट पर प्रस्तुत किया जाएगा तथा इसे कम्पनी की वेबसाइट पर नीचे दिए गए लिंक्स को क्लिक करके देखा जा सकेगा:

https://www.pawanhans.co.in/inner.aspx?status=2&menu_id=194

https://www.pawanhans.co.in/english/inner.aspx?status=2&menu_id=10185

XXVII. निदेशक की नियुक्ति से संबंधित नीति

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी दिनांक 5.6.2015 की गजट अधिसूचना को ध्यान में रखते हुए एक सरकारी कम्पनी होने के नाते कम्पनी अधिनियम की धारा 134(3)(ई) के प्रावधान पवन हंस के लिए लागू नहीं हैं।



सचिव, नागर विमानन की उपस्थिति में दिनांक 20.03.2024 को आयोजित तिमाही राजभाषा बैठक में पवन हंस लिमिटेड की गृह पत्रिका हंसध्वनि को वर्ष 2023 के लिए तृतीय पुरस्कार प्रदान किया गया।

XXVIII. निष्पादन मूल्यांकन

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी दिनांक 05.06.2015 की गजट अधिसूचना को ध्यान में रखते हुए एक सरकारी कम्पनी होने के नाते कम्पनी अधिनियम की धारा 134(3)(पी) के प्रावधान पवन हंस के लिए लागू नहीं हैं।

XXIX. सांविधिक प्रकटीकरण

1. वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान कम्पनी के व्यवसाय की प्रकृति में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ है।
2. वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान कम्पनी द्वारा जनता से कोई जमाराशियां नहीं ली गई हैं।
3. विनियमकों अथवा न्यायालयों अथवा ट्रिब्यूनलों द्वारा कम्पनी की प्रतिष्ठा तथा प्रचालनों पर भविष्य में किसी प्रकार के प्रभाव डालने से संबंधित कोई महत्वपूर्ण अथवा तात्त्विक आदेश जारी नहीं किए गए हैं।
4. कम्पनी द्वारा उचित मॉनीटरिंग प्रक्रियाओं सहित आंतरिक नियंत्रण के लिए पर्याप्त व्यवस्था की गई है जिसके द्वारा विभिन्न व्यवसाय व्यवहारों, प्रचालनों

के कार्यकौशल तथा सांविधिक विधानों, विनियमों एवं कम्पनी नीतियों के अनुसरण का सुनिश्चय किया जाता है।

5. वित्तीय वर्ष की समाप्ति यथा 31.03.2024 तक तथा इस रिपोर्ट की तिथि तक कम्पनी की वित्तीय स्थिति पर प्रभाव डालने से संबंधित किसी प्रकार का वस्तुगत परिवर्तन एवं प्रतिबद्धता नहीं है।

XXX. राजभाषा नीति

विचाराधीन वर्ष के दौरान कम्पनी द्वारा सरकार की राजभाषा नीति के अनुपालन की दिशा में हिन्दी दिवस / पखवाड़ा का आयोजन, हिन्दी कार्यशालाओं का आयोजन, हिन्दी पखवाड़े के आयोजन (14-28 सितम्बर, 2023) के दौरान आयोजित प्रतियोगिताओं के विजेताओं को नकद प्रोत्साहन प्रदान किए जाने तथा द्विभाषिक विज्ञापन जारी करने एवं राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) एवं राजभाषा नियम, 1976 का अनुपालन किए जाने जैसे महत्वपूर्ण कार्यान्वयन किए गए हैं। नागर विमानन मंत्रालय द्वारा वर्ष 2023 के दौरान आयोजित अंतर्मंत्रालयीन

विभागीय प्रतियोगिता में कम्पनी की गृह पत्रिका 'हंसध्वनि' को तृतीय पुरस्कार प्रदान किया गया है।

XXXI. सतर्कता

कम्पनी में मुख्य सतर्कता अधिकारी की देखरेख में एक सतर्कता विभाग है तथा इसके द्वारा निगरानी एवं संसूचन गतिविधियों के अंतर्गत अपनी भूमिका के निर्वाह के साथ साथ रोकथाम, दंडात्मक एवं प्रतिभागी सतर्कता में अपनी भूमिका का निर्वाह सक्रिय रूप में किया जा रहा है।

केन्द्रीय सतर्कता आयोग के निदेशों के अनुसार प्रापण के प्रति पारदर्शिता के सुनिश्चय के लिए केन्द्रीय सतर्कता आयोग के दिशानिर्देशों के अनुसार सत्यनिष्ठा संधि को अंगीकार किया गया है। प्रौद्योगिकी उत्तोलन के लिए ई-निविदा, ई-टिकटिंग, ई-भुगतान एवं फाइल ट्रेकिंग प्रणाली का कार्यान्वयन किया जा रहा है।

सतर्कता व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए सतर्कता विभाग द्वारा गलत कार्यों में संलिप्त व्यक्तियों में भय स्थापित करने एवं साथ ही साथ सत्यनिष्ठ तथा कर्मठ कर्मचारियों के मनोबल को सुदृढ़ बनाने के लिए वार्षिक सम्पत्ति विवरणों की निरंतर मॉनीटरिंग एवं समीक्षा तथा तहकीकात की जाती है।

अवधि के दौरान सतर्कता विभाग द्वारा मामलों की जांच की गई है तथा पारदर्शिता में संवर्धन तथा कम्पनी में जवाबदेही को बढ़ावा देने से संबंधित कार्यान्वयन के लिए प्रबंधन को सुझाव दिए गए हैं।

सतर्कता विभाग द्वारा कम्पनी के बेस स्थलों/क्षेत्रों में भी निवारक सतर्कता में सुधार लाने तथा विद्यमान प्रक्रियाओं एवं संगठन में व्याप्त व्यवहारों में सुधार लाने तथा सरल बनाने के लिए आवधिक निरीक्षण किए गए हैं। ऐसे निरीक्षणों में देरियों एवं संभावित उपायों के मामलों पर भी उचित प्रक्रियाओं का निर्धारण करके ऐसी देरियों तथा भ्रष्टाचार की संभावनाओं को न्यून करने के विचार से ध्यान दिया गया है।

केन्द्रीय सतर्कता आयोग के निदेशानुसार कर्मचारियों को भ्रष्टाचार के खतरों एवं उत्पन्न होने वाली कठिनाईयों के प्रति संवेदी बनाने के लिए पवन हंस लिमिटेड द्वारा 30 अक्तूबर से 5 नवम्बर, 2023 की अवधि के दौरान "भ्रष्टाचार का विरोध करें; राष्ट्र के प्रति समर्पित रहें" "Say no to corruption' commit to the Nation" थीम के साथ सतर्कता जागरूकता सप्ताह आयोजित किया गया था।

सतर्कता विभाग द्वारा प्रापण, आचार नीति तथा गवर्नेंस (सुशासन), साइबर स्वच्छता एवं सुरक्षा, आईओ / पीओ प्रशिक्षण, प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं संगठन की प्रणालियों एवं प्रक्रियाओं के संबंध में कम्पनी के विभिन्न स्थलों पर सेमीनार आयोजित किए गए थे तथा ऐसे कार्यक्रमों / कार्यशालाओं में काफी अच्छी संख्या में कर्मचारियों ने प्रतिभागिता की थी।

XXXII. नए व्यवसाय :

(1) क्षेत्रीय सम्पर्क योजना (आरसीएस):

आपकी कम्पनी अनुसूचित यात्री प्रचालक (एससीओ) का परमिट प्राप्त करने वाली भारत की प्रथम हेलीकॉप्टर कम्पनी है। इसे क्षेत्रीय सम्पर्क योजना उड़ान के अंतर्गत निविदा 2.0 में भारत के 4 राज्यों में 11 नेटवर्क तथा 4.0 के अंतर्गत 2 नेटवर्क, आरसीएस उड़ान 4.1 के अंतर्गत 6 नेटवर्क तथा आरसीएस उड़ान 4.2 के अंतर्गत 8 नेटवर्क तथा उड़ान 5.1 के अंतर्गत 15 नेटवर्क प्रदान किए गए हैं।

पृष्ठभूमि :

क्षेत्रीय सम्पर्क योजना भारत सरकार की पहल है जो क्षेत्रीय विकास के प्रोत्साहन के उद्देश्य से अल्प सेवित क्षेत्रों में पहुंच स्थापना के लिए तैयार की गई है। हेलीकॉप्टर परिचालनों के संदर्भ में भारत सरकार की क्षेत्रीय सम्पर्क योजना का देश में शुभारम्भ करके ध्वजारोही बनने वाला देश का पहला हेलीकॉप्टर परिचालक पवन हंस लिमिटेड है। आपकी कम्पनी को देश के 7 राज्यों में विस्तारित 128 मार्गों पर कुल

42 नेटवर्कों की कवरिंग के लिए अवार्ड जारी किए गए हैं। नागर विमानन मंत्रालय द्वारा आपकी कम्पनी को इस योजना के अंतर्गत विभिन्न अल्प सेवित एवं असेवित सेक्टरों पर अनुकरणीय सेवाएं प्रदान करने के लिए “उड़ान चैम्पियन” पाए जाने पर प्रशंसा पत्र से भी नवाज़ा गया है।

अवार्ड किए गए मार्गों का विवरण नीचे दिया गया है:

क्षेत्रीय सम्पर्क योजना 2.0 के अंतर्गत प्रदान किए गए मार्ग

1. देहरादून-नई टिहरी- श्रीनगर-गौचर-जोशीमठ-गौचर-श्रीनगर-नई टिहरी- देहरादून
2. देहरादून-मसूरी-देहरादून
3. देहरादून-रामनगर-पंतनगर-नैनीताल-पंतनगर-अल्मोड़ा-पिथौरागढ़-अल्मोड़ा-पंतनगर-रामनगर-देहरादून
4. चंडीगढ़-कसौली/बड्डी-शिमला
5. शिमला-मंडी-कुल्लू-मनाली-मंडी-शिमला
6. शिमला-मंडी- कांगड़ा हवाई अड्डा-मंडी-शिमला
7. शिमला-रामपुर-नाथपा झाकड़ी-रामपुर-शिमला
8. इंफाल-मोरेह-इम्फाल
9. इंफाल-तामंगलॉग-जिरीबाम-तामंगलॉग-इम्फाल
10. इंफाल-थानियो-परबुंग-थानियो-इंफाल
11. गुवाहाटी-तेजपुर- जोरहाट-डिब्रूगढ़- जोरहाट-तेजपुर-गुवाहाटी

आरसीएस 4.0 के अंतर्गत प्रदान किए गए मार्ग

1. गुवाहाटी-तेजपुर-गुवाहाटी
2. गुवाहाटी-मिसा-गेलेकी-जोरहाट-गेलेकी-मिसा-गुवाहाटी

आरसीएस 4.1 के अंतर्गत प्रदान किए गए मार्ग

द्वीन इंजन

1. शिलांग-सोहरा-शिलांग
2. शिलांग-दोवाकी-शिलांग
3. देहरादून-श्रीनगर-देहरादून
4. देहरादून-गौचर-देहरादून

सिंगल इंजन

1. पंतनगर-पिथौरागढ़-पंतनगर
2. हल्द्वानी-हरिद्वार-हल्द्वानी

आरसीएस 4.2 के अंतर्गत प्रदान किए गए मार्ग

1. गुवाहाटी-नागांव-गुवाहाटी
2. नागांव-तेजपुर-नागांव
3. तेजपुर-इटानगर-तेजपुर
4. खलेहरत- शिलांग-खलेहरत
5. शैला-शिलांग-शैला
6. शिलांग-जोवई-शिलांग
7. शिलांग-नौगस्टोयन-शिलांग
8. शिलांग-विलियमनगर-शिलांग

आरसीएस 5.1 के अंतर्गत प्रदान किए गए मार्ग

1. चण्डीगढ़-बड्डी-कुल्लू-बड्डी-चंडीगढ़
2. चण्डीगढ़-संजोली-रामनगर-संजोली-चंडीगढ़
3. देहरादून-अल्मोड़ा-देहरादून
4. देहरादून-लैसडाउन-देहरादून
5. डिब्रूगढ़-मियाओ-विजयनगर-मियाओ-डिब्रूगढ़
6. दीमापुर-कोहिमा-मोकोकचुंग-कोहिमा-दीमापुर
7. दीमापुर-मोकोकचुंग-जोरहाट-मोकोकचुंग-दीमापुर
8. दीमापुर-जुन्हेबोटो-दीमापुर
9. गंगटोक-नामची-बागडोगरा-नामची-गंगटोक
10. इंफाल-जिरिबाम-इम्फाल
11. इंफाल-परबुंग-इम्फाल
12. कोहिमा-फेक-कोहिमा
13. मोकोकचुंग-तुएनसांग-मोकोकचुंग
14. रामपुर-रिकांग पिओ-रामपुर
15. संजोली-मनाली-संजोली

आरसीएस उड़ान मार्गों की प्रचालनात्मकता

आपकी कंपनी ने क्रमशः 2019 और 2020 के दौरान हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में हेलीकॉप्टर सेवाओं का सफलतापूर्वक शुभारंभ किया है। मार्गों का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

1. चंडीगढ़-शिमला-चंडीगढ़ 28-02-2019 से (सप्ताह में छह दिन)
2. शिमला-कुल्लू-शिमला 13.05.2019 से जिसे आगे 10 दिसंबर 2021 (सप्ताह में तीन बार) से शिमला-मंडी-कुल्लू-मंडी-शिमला तक विस्तारित किया गया है।
3. शिमला-धर्मशाला-शिमला 14.05.2019 से जिसे आगे 9 दिसंबर 2021 (सप्ताह में तीन बार) से शिमला-मंडी-धर्मशाला-मंडी-शिमला तक विस्तारित किया गया।
4. देहरादून नई टिहरी-श्रीनगर-गौचर-श्रीनगर-नई टिहरी-देहरादून 29-07-2020 से (सप्ताह में तीन बार)
5. शिमला-रामपुर-शिमला 9 दिसंबर 2021 से (सप्ताह में तीन बार)।
6. देहरादून-गौचर-देहरादून 8 अक्टूबर 2021 से (सप्ताह में छह दिन)
7. देहरादून-श्रीनगर-देहरादून (सप्ताह में तीन बार)
8. देहरादून-हल्द्वानी/पंतनगर-पिथौरागढ़-देहरादून 8 अक्टूबर 2021 से (सप्ताह में छह दिन)।
9. देहरादून-हल्द्वानी/पंतनगर-अल्मोड़ा-पिथौरागढ़-अल्मोड़ा-पंतनगर/हल्द्वानी-देहरादून 26 अगस्त 2022 से
10. डिब्रूगढ़-जोरहाट-तेजपुर-गुवाहाटी तथा वापस 08.02.2023 से
11. इम्फाल-तामंगलॉग-जिरीबाम-तामंगलॉग-इम्फाल - 13.03.2024 से
12. इम्फाल-जिरीबाम-इम्फाल 13.03.2024 से

आपकी कंपनी को अवार्ड किए गए अन्य सेक्टरों के लिए चरणबद्ध स्वरूप में, अवसंरचना एवं अन्य सुविधाएं उपलब्ध होने की स्थिति में, सेवाएं प्रारम्भ की जाएगी। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, कर्नाटक तथा तमिलनाडु सरकारों द्वारा अपने संबंधित राज्यों में विकासाधीन आरसीएस हेलीपॉर्टों के विकास एवं लाइसेंसिंग / परिचालन प्राधिकार के उद्देश्य से कम्पनी परियोजना प्रबंधन परामर्श प्रदान करने की सेवाओं के लिए नियुक्त किया गया है।

इसके अलावा, नागर विमानन मंत्रालय द्वारा आपकी कम्पनी को क्षेत्रीय सम्पर्क योजना उड़ान - 2 के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर, असम एवं अरुणाचल प्रदेश में विकासाधीन सभी 31 हेलीपॉर्टों के संबंध में संचार, सुरक्षा, विजुअल सहायक यंत्रों एवं अग्नि शमन सहित प्रत्येक उपकरण के केन्द्रीकृत प्रापण की नोडल एजेंसी के रूप में पदनामित किया गया है।

XXXIII. आभारोक्ति

निदेशक मंडल, भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, विशेषकर नागर विमानन मंत्रालय तथा नागर विमानन महानिदेशालय द्वारा अनवरत प्रदत्त सहयोग, दिशानिर्देशन एवं सहायता के लिए हार्दिक आभारी है।

निदेशक मंडल, तेल एवं प्राकृतिक गैस कम्पनी लिमिटेड, विभिन्न राज्य सरकारों तथा अन्य ग्राहकों एवं देश में प्रचालन कर रहे अन्य सभी स्टेकधारकों द्वारा प्रदत्त विश्वास के प्रति अपना आभार व्यक्त करता है।

निदेशक मंडल कम्पनी की प्रगति के लिए कार्यरत सभी वर्ग के अपने कर्मचारियों द्वारा प्रदान की गई सत्यनिष्ठ एवं समर्पित सेवाओं के लिए भी आभारी है।

कृते तथा पवन हंस लिमिटेड के निदेशक मंडल की ओर से

ह/-

(संजीव राजदान)

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

डीआईएन : 08711596

दिनांक: 21.08.2025

स्थान: नोएडा

निदेशकों की रिपोर्ट का अनुबंध

पेशेवर कंपनी सचिव से प्रमाणपत्र सहित निगमित शासन पर रिपोर्ट	अनुलग्नक-क
प्रबंधन परिचर्चा तथा विश्लेषण रिपोर्ट	अनुलग्नक-ख
लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट में अर्हताओं पर निदेशक मंडल का स्पष्टीकरण	अनुलग्नक-ग
सचिवीय लेखापरीक्षकों द्वारा किए प्रेक्षणों पर निदेशक मंडल के उत्तर सहित सचिवीय लेखा परीक्षक रिपोर्ट	अनुलग्नक-घ
एओसी -2 (संबंधित पार्टि प्रकटीकरण)	अनुलग्नक-ङ
निगमित सामाजिक दायित्वों के क्रियाकलापों की वार्षिक रिपोर्ट	अनुलग्नक-च
बोर्ड की रिपोर्ट का परिशिष्ट - भारत के नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक की टप्पणी और उस पर प्रबंधन का उत्तर	



माननीय नागर विमानन मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा जनरल (डा.) वी.के. सिंह., माननीय नागर विमानन राज्य मंत्री की उपस्थिति में विंग्स इंडिया 2024 के आयोजन के अवसर पर पवन हंस को सर्वश्रेष्ठ “एनएसओपी – हेलीकॉप्टर आपरेटर” अवार्ड की प्रस्तुति

कॉर्पोरेट शासन पर कम्पनी की रिपोर्ट

क. कॉर्पोरेट शासन

कॉर्पोरेट शासन के संदर्भ में कम्पनी के तत्त्व विचार से कम्पनी का व्यवसाय व्यवहार प्रदर्शित होने के साथ साथ अपने प्रचालनों में नीतिपरक व्यावसायिक सिद्धांतों के प्रति अनवरत प्रतिबद्धता की प्रस्तुति होती है। आपकी कम्पनी के लिए कॉर्पोरेट शासन प्रक्रियाओं का निर्धारण करने और उनका अनुपालन करने से भी अधिक महत्वपूर्ण है। पवन हंस लिमिटेड में विधिवत परिभाषित ऐसी कॉर्पोरेट संरचना स्थापित है जिससे जांच एवं संतुलन तथा संगठन में यथोचित स्तरों पर निर्णय निर्धारण की शक्ति का प्रत्यायोजन स्थापित होता है तथा निदेशक मंडल के माध्यम से संगठन में उचित स्तर निर्धारण करके कम्पनी के क्रियाकलापों का प्रभावी नियंत्रण होता है। कम्पनी उन उत्तम व्यवहारों का अनुसरण एवं प्रक्रियाओं का अंगीकरण करती है जो भारत सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के असूचीबद्ध उपक्रमों के लिए कॉर्पोरेट शासन मापदंडों के अनुसार दिशानिर्देशों के कार्यान्वयन के लिए हैं।

आपकी कम्पनी की कॉर्पोरेट संरचना बहु-स्तरीय है जिसमें शीर्ष स्तर पर निदेशक मंडल तथा इसकी विभिन्न समितियां हैं जो सामूहिक रूप से कॉर्पोरेट शासन के उच्चतर मानकों तथा कम्पनी के क्रियाकलापों में पारदर्शिता का सुनिश्चय करते हैं। कम्पनी की कार्यनीतियों के सफल निष्पादन के उद्देश्य से कॉर्पोरेट शासन के लिए सुदृढ़ एवं प्रभावी कॉर्पोरेट शासन व्यवस्था का सुनिश्चय करने के लिए निदेशक मंडल प्रतिबद्ध है। निदेशक मंडल को कम्पनी की प्रत्येक संगत सूचना का एस्सेस प्राप्त है तथा इसके

द्वारा स्वतंत्र निर्णय लेकर प्रबंधकीय निष्पादन की निगरानी की जाती है तथा कम्पनी की देखरेख एवं प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जाती है। आपकी कम्पनी के निदेशक मंडल में निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार स्वतंत्र निदेशक तथा भारत सरकार द्वारा नामित निदेशक, हैं। निदेशक मंडल स्तरीय सभी समितियों के अध्यक्ष स्वतंत्र निदेशक हैं।

आपकी कम्पनी के निदेशक मंडल तथा वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों के लिए विधिवत परिभाषित आचार संहिता निर्धारित की गई है जो कम्पनी की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। निदेशक मंडल के सभी सदस्यों तथा वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों द्वारा आचार संहिता का अनुपालन करने की पुष्टि की गई है। आचार संहिता का अनुपालन करने के प्रति अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक की ओर से कम्पनी के निदेशक मंडल एवं वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों के संबंध में की गई एक घोषणा संलग्न है तथा यह इस रिपोर्ट का भाग है।

ख. निदेशक मंडल

वर्ष 2023-24 के दौरान निदेशक मंडल की चार बैठकें दिनांक 17.05.2023, 27.09.2023, 07.11.2023 एवं 06.03.2024 को आयोजित की गई थी। निदेशक मंडल की बैठकों का आयोजन हाइब्रिड स्वरूप में किया गया था।

निदेशक मंडल की बैठक में निदेशकों की उपस्थिति तथा दिनांक 23.07.2024 को आयोजित अंतिम वार्षिक महा सभा से संबंधित विवरण एवं अन्य निदेशकों तथा समिति सदस्यों, अध्यक्षों का विवरण नीचे प्रस्तुत है:-

निदेशकों के नाम	पद	वर्ष 2023-24 के दौरान बैठकों में प्रतिभागिता	पिछली वार्षिक आम सभा में उपस्थिति	अन्य कम्पनियों में निदेशक पदधारिता	विभिन्न अन्य कम्पनियों में प्रत्येक निदेशक की सदस्यता / समिति अध्यक्ष पदधारिता* की संख्या	
					सदस्य	अध्यक्ष
श्री संजीव राजदान	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	4	हां	1	शून्य	शून्य
श्री असंगबा चुबा आओ	सरकार द्वारा नामित निदेशक	1	हां	6	5	शून्य
श्री पदम लाल नेगी	सरकार द्वारा नामित निदेशक	4	हां	5	3	4
एवीएम तेजवीर सिंह (17.08.2023 से नियुक्त)	सरकार द्वारा नामित निदेशक – भारतीय वायु सेना के प्रतिनिधि	0	लागू नहीं	शून्य	शून्य	शून्य
एवीएम एस श्रीनिवासन (16.06.2023 से निदेशक नहीं हैं)	सरकार द्वारा नामित निदेशक – भारतीय वायु सेना के प्रतिनिधि	0	लागू नहीं	शून्य	शून्य	शून्य
श्री अजय रतन (01.09.2023 से नियुक्त)	नामित निदेशक – ओएनजीसी से प्रतिनिधित्व	2	हां	शून्य	शून्य	शून्य
श्री पंकज कुमार (01.09.2023 से निदेशक नहीं)	नामित निदेशक – ओएनजीसी से प्रतिनिधित्व	0	लागू नहीं	5	2	शून्य
श्री नवीन कुमार सोनी	स्वतंत्र निदेशक	4	हां	1	3	2
श्रीमती अमी मनीष पारिख	स्वतंत्र निदेशक	4	नहीं	शून्य	2	1

नोट:

* लेखापरीक्षा समिति तथा स्टेकधारक संबंध समिति में सदस्यता / अध्यक्ष पदधारिता के संबंध में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए लोक उद्यम विभाग द्वारा जारी कॉर्पोरेट गवर्नेंस दिशानिर्देशों, 2010 के उपबंधों को विचार में लिया गया है।

विचाराधीन अवधि के दौरान कोई भी निदेशक सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए लोक उद्यम विभाग द्वारा जारी कॉर्पोरेट गवर्नेंस दिशानिर्देशों, 2010 के उपबंधों के अनुसरण में, उन सभी कम्पनियों में जिनमें वे निदेशक हैं, 10 से अधिक समितियों में सदस्य नहीं था तथा 5 से अधिक कम्पनियों में सदस्य नहीं था।

ग. लेखा परीक्षा समिति

आपकी कम्पनी में कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 तथा लोक उद्यम विभाग के दिशानिर्देशों के अनुसरण में लेखा परीक्षा समिति का गठन किया गया है। लेखा परीक्षा समिति द्वारा अन्य कार्यों के साथ साथ वित्तीय विवरणों, आंतरिक नियंत्रण व्यवस्था, आंतरिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट, सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट, नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों से संबंधित कार्य तथा वित्तीय विवरणों के सही, पर्याप्त एवं स्वीकार्य होने के सुनिश्चय के लिए वित्तीय विवरणों से संबंधित प्रकटीकरण भी किए जाते हैं। आंतरिक लेखा परीक्षण क्रियाकलापों की पर्याप्तता की समीक्षा भी लेखापरीक्षा समिति द्वारा की जाती है। लेखापरीक्षा समिति के कार्य क्रियाकलाप कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 के प्रावधानों एवं लोक उद्यम विभाग के दिशानिर्देशों से संगत हैं।

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान दिनांक 17.05.2023, 12.06.2023, 27.09.2023, 07.11.2023 तथा 11.12.2023 को लेखापरीक्षा समिति की पांच बैठकें हाइब्रिड स्वरूप में आयोजित की गई थीं।

31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार लेखापरीक्षा की संरचना तथा वर्ष 2023-24 के दौरान आयोजित लेखापरीक्षा समिति की बैठकों में उपस्थिति का विवरण नीचे दिया गया है:-

क्र.सं.	निदेशक का नाम	पदनाम	वर्ग	बैठकों में उपस्थिति की संख्या
1	श्री नवीन कुमार सोनी	अध्यक्ष	स्वतंत्र निदेशक	5
2	श्री पदम लाल नेगी	सदस्य	सरकार द्वारा नामित निदेशक	4
3	श्रीमती अमी पारिख	सदस्य	स्वतंत्र निदेशक	5

घ. नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति

आपकी कम्पनी में कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 178 के उपबंधों तथा लोक उद्यम विभाग के दिशानिर्देशों के अनुसार विधिवत रूप से नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति का गठन किया गया है। सरकारी कम्पनियों के छूट प्राप्त क्रियाकलापों के अलावा नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति के क्रियाकलाप ऊपर उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार निर्दिष्ट किए गए हैं।

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान पारिश्रमिक समिति की एक बैठक दिनांक 07.11.2023 को आयोजित की गई थी।

31.03.2024 की स्थिति के अनुसार नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति के गठन तथा वर्ष 2023-24 में नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति की बैठकों में उपस्थिति से संबंधित विवरण नीचे दिया गया है: -

क्र.सं.	निदेशक का नाम	पदनाम	वर्ग	बैठकों में उपस्थिति की संख्या
1	श्री नवीन कुमार सोनी	अध्यक्ष	स्वतंत्र निदेशक	1
2	श्री असंगबा चुबा एओ	सदस्य	सरकार द्वारा नामित निदेशक	-
3	श्रीमती अमी पारिख	सदस्य	स्वतंत्र निदेशक	1

ङ. वार्षिक आम सभा

पिछली तीन (3) वार्षिक आम बैठकों का विवरण नीचे दिया गया है:-

वार्षिक आम सभा संख्या	वित्तीय वर्ष	तिथि	समय	स्थल	विशेष संकल्प
36 वीं	2020-21	23.11.2021	3.00 बजे दोपहर	सी-14, सेक्टर -1, नोएडा 201301 में स्थित कम्पनी का पंजीकृत कार्यालय (वीडियो कांफ्रेंस / अन्य आडियो विजुअल के माध्यम से)	शून्य
37 वीं	2021-22	30.12.2022 तथा 19.01.2023 (स्थगित वार्षिक आम सभा)	10.00 बजे प्रातः 11.30 बजे प्रातः		शून्य
38वीं	2022-23	29.12.2023 तथा 23.7.2024 (स्थगित वार्षिक आम सभा)	10.30 बजे प्रातः 12.30 बजे प्रातः		शून्य

च. प्रकटीकरण

1. सामग्रीगत रूप से महत्वपूर्ण सम्बद्ध पार्टी संव्यवहार के संबंध में प्रकटीकरण

भारतीय लेखांकन मानक-24 के अनुसार सम्बद्ध पार्टी संव्यवहार के विवरण लेखांकन नोट के भाग हैं। इसके अलावा फार्म एओसी-2 में दिए गए सम्बद्ध पार्टी संव्यवहार निदेशक मंडल की रिपोर्ट के **अनुलग्नक - च** में संलग्न किए गए हैं।

2. कम्पनी द्वारा किए गए गैर-अनुपालन से संबंधित प्रकटीकरण

कंपनी द्वारा कोई महत्वपूर्ण गैर-अनुपालन नहीं किया गया है और पिछले तीन सालों में सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों से जुड़े किसी मामले में किसी भी सांविधिक प्राधिकरण ने कम्पनी पर कोई जुर्माना या सख्ती नहीं लगाई है।

3. सचेतक नीति

सचेतक नीति का कार्यान्वयन किया गया है। इस नीति से किसी विशुद्ध सचेतक को शिकायत जांच अधिकारी तथा ऑडिट समिति तक पहुंच उपलब्ध करवाए जाने सहित किसी भी प्रकार के अत्याचार से सुरक्षा प्रदान की जाती है। यह नीति कम्पनी के सभी कर्मचारियों के लिए उपलब्ध है तथा इसे कम्पनी के इंटरनेट पर अपलोड किया गया है। यहां यह उल्लेखनीय है कि किसी भी कार्मिक को लेखापरीक्षा समिति तक पहुंच के लिए मना नहीं किया गया है।

4. कॉर्पोरेट शासन दिशानिर्देशों के अनुपालन के संबंध में प्रेक्टिसिंग कम्पनी सचिव से प्राप्त प्रमाण पत्र

कॉर्पोरेट शासन दिशानिर्देशों के अनुपालन के संबंध में प्रेक्टिसिंग कम्पनी सचिव से प्राप्त प्रमाण पत्र प्राप्त हो गया है तथा इसे निदेशक मंडल की रिपोर्ट के **अनुलग्नक - क** में शामिल किया गया है।

5. राष्ट्रपति के दिशानिर्देश

पिछले तीन वर्षों के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा राष्ट्रपति के दिशानिर्देश जारी नहीं किए गए हैं।

छ. आंतरिक लेखापरीक्षा / आंतरिक नियंत्रण व्यवस्था / शक्तियों का प्रत्यायोजन

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान कम्पनी के आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग द्वारा आंतरिक लेखापरीक्षा की गई है। आंतरिक लेखापरीक्षा के प्रेक्षण पर निदेशक मंडल की आंतरिक लेखापरीक्षा समिति द्वारा आवधिक समीक्षा की जाती है तथा आवश्यकतानुसार आवश्यक निर्देश जारी किए जाते हैं। कम्पनी में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण व्यवस्था एवं प्रक्रियाएं स्थापित की गई हैं। कम्पनी में अपने विभिन्न कार्यपालकों के लिए शक्तियों के प्रत्यायोजन मैनुअल के माध्यम से वित्तीय शक्तियों के परिभाषित प्रत्यायोजन की व्यवस्था स्थापित है।

ज. निदेशक मंडल के सदस्यों को प्रशिक्षण

नए निदेशकों के लिए आचार नीति, वित्तीय मामलों, व्यावसायिक प्रचालनों, जोखिम मामलों के साथ साथ कम्पनी की अभिमुखता, बुनियादी मूल्यों के संबंध में अनुकूलन एवं समावेशन की प्रक्रिया की जाती है। सामान्य व्यवहार के अनुसार पुस्तिकाएं, ब्राउशर, वार्षिक रिपोर्ट, कम्पनी का संगम अनुच्छेद एवं संगम ज्ञापन, कॉर्पोरेट शासन से संबंधित दिशानिर्देश इत्यादि की प्रतियां दी जाती हैं।

उपर्युक्त के अलावा निदेशकों को कॉर्पोरेट शासन एवं लोक उद्यम विभाग, आईआईसीए तथा संस्थानों द्वारा आयोजित किए जाने वाले अन्य प्रशिक्षणों के लिए भी नामित किया जाता है। विचाराधीन वर्ष के दौरान श्री संजीव राजदान, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा 27-28 नवम्बर, 2023 को गोवा में कम्पनी (स्वतंत्र निदेशकों के डेटाबैंक का निर्माण तथा अनुरक्षण), द्वितीय संशोधन नियमावली, 2021 के अनुसरण में आयोजित दो दिवसीय अनुकूलन कार्यक्रम में तथा श्री नवीन कुमार सोनी ने दिनांक 19 जनवरी, 2024 को इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट (आईआईएम) बेंगलूरु में आईआईसीए द्वारा 'निदेशकों के लिए क्षमता निर्माण - उद्यम जोखिम प्रबंधन' कार्यक्रम में भाग लिया गया था।

झ. सम्प्रेषण के माध्यम

शेयरधारकों को वार्षिक परिणाम वार्षिक रिपोर्ट के माध्यम से भेजे जाते हैं तथा इसकी प्रस्तुति सार्वजनिक पहुंच के लिए कम्पनी की वेबसाइट www.pawanhans.co.in पर भी की जाती है। निविदाएं तथा व्यावसायिक अवसर की प्रस्तुति भी वेबसाइट पर की जाती है।

कृते तथा पवन हंस लिमिटेड के निदेशक मंडल की ओर से

ह/-

(संजीव राजदान)

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन संख्या 08711596

दिनांक: 21.08.2025

स्थान : नोएडा

निदेशक मंडल की रिपोर्ट के अनुलग्नक - क का अनुलग्नक - I आचार संहिता के अनुपालन से संबंधित घोषणा

मैं, एतद्वारा यह घोषणा करता हूँ कि कम्पनी को 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के वित्तीय विवरणों के लिए अपने निदेशक मंडल के सदस्यों एवं वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों से कम्पनी के निदेशकों तथा वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिक से संबंधित व्यवसाय आचार संहिता के अनुपालन की पुष्टि प्राप्त हो गई है।

कृते तथा पवन हंस लिमिटेड के निदेशक मंडल की ओर से

ह/-

(संजीव राजदान)

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

डीआईएन संख्या 08711596

दिनांक: 22.04.2025

स्थान : नोएडा



श्री किंजरापु राममोहन नायडू, माननीय नागर विमानन मंत्री द्वारा राजीव गांधी भवन में पवन हंस लिमिटेड की संगठनात्मक समीक्षा बैठक



कम्पनी के मुख्य कार्यपालक तथा मुख्य वित्त अधिकारी द्वारा वित्तीय विवरणों के संबंध में प्रमाणन / घोषणा

हम, संजीव राजदान, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा अजय गुप्ता, मुख्य वित्त अधिकारी, पवन हंस लिमिटेड, 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के संबंध में यह प्रमाणित करते हैं कि :

- (1) हमने अपनी सर्वश्रेष्ठ जानकारी एवं विश्वास के अनुसार वर्ष से संबंधित वित्तीय विवरणों तथा नकदी प्रवाह विवरण की समीक्षा की है:
 - (i) इन विवरणों में कोई भी सामग्रीगत मिथ्या कथन नहीं है अथवा किसी सामग्रीगत मिथ्या कथन को हटाया नहीं गया है अथवा इसमें कोई विवरण नहीं है जो भ्रामक हो सकता हो; तथा
 - (ii) इन विवरणों की एक साथ प्रस्तुति से कम्पनी के कार्यों की सत्य एवं स्वच्छ छवि की प्रस्तुति होती है तथा ये विद्यमान लेखांकन मानकों, लागू विधि एवं विनियमों के अनुसार तैयार किए गए हैं।
- (2) हमारी सर्वश्रेष्ठ जानकारी एवं विश्वास के अनुसार, वर्ष के दौरान कम्पनी द्वारा ऐसे कोई संव्यवहार नहीं किए गए हैं जो जालसाजी युक्त हों, गैर-कानूनी हों अथवा कम्पनी की आचार संहिता के उल्लंघन में किए गए हों।
- (3) हम वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए आंतरिक नियंत्रणों की स्थापना एवं अनुरक्षण के दायित्व को स्वीकार करते हैं तथा हमने वित्तीय रिपोर्टिंग के संबंध में कम्पनी की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की प्रभाव्यता के मूल्यांकन किए हैं तथा हमने, हमें ज्ञात, आंतरिक नियंत्रणों के अभिकल्प अथवा आंतरिक नियंत्रणों के परिचालन में पाई गई विसंगतियों, यदि कोई हों, तथा की जाने वाली अथवा प्रस्तावित सुधार कार्यवाइयों का प्रकटीकरण लेखापरीक्षकों तथा लेखापरीक्षा समिति को किया है।
- (4) जहां कहीं लागू है, हमने, लेखापरीक्षकों तथा लेखापरीक्षा समिति को निम्नलिखित के बारे में सूचित किया है:
 - क. वर्ष के दौरान वित्तीय रिपोर्टिंग के आंतरिक नियंत्रणों में हुए महत्वपूर्ण परिवर्तनों, यदि कोई हों, के बारे में;
 - ख. वर्ष के दौरान लेखांकन नीतियों में हुए परिवर्तनों, यदि कोई हों, के बारे में तथा इनका प्रकटीकरण वित्तीय विवरणों के नोट्स में भी किया गया है; तथा
 - ग. जालसाजी की प्रमुख घटनाओं, यदि कोई हों, जिनमें प्रबंधन अथवा कम्पनी की वित्तीय रिपोर्टिंग के आंतरिक नियंत्रणों में भूमिका वाले किसी कर्मचारी का जुड़ाव हो।

ह/-

(संजीव राजदान)

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

डीआईएन संख्या 08711596 सदस्यता संख्या : 079580

स्थान : नोएडा

तिथि : 22.04.2025

ह/-

(अजय गुप्ता)

मुख्य वित्त अधिकारी

कॉर्पोरेट गवर्नेंस के मानदंडों के अनुपालन का प्रमाण पत्र
(लोक उद्यम विभाग द्वारा केन्द्र सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए जारी कॉर्पोरेट शासन दिशानिर्देश, 2010 के खंड 8.2.1 के अनुसार)

सेवा में,
सदस्यगण,
पवन हंस लिमिटेड

हमने लोक उद्यम विभाग (डीपीई), भारी उद्योग तथा सार्वजनिक उपक्रम मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा केन्द्र सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के संबंध में जारी दिशानिर्देशों में किए गए निर्धारण के अनुसार 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के संबंध में पवन हंस लिमिटेड **(सीआईएनयू62200यूपी1985जीओआई129953)** (एतद्वारा 'कम्पनी' के नाम से संबोधित) में कॉर्पोरेट शासन से संबंधित सम्बद्ध बहियों, रिकार्ड तथा विवरणों की जांच की है।

निगमित शासन की शर्तों के अनुपालन का दायित्व प्रबंधन का है। हमारे द्वारा की गई जांच दिशानिर्देशों में निर्धारित कॉर्पोरेट शासन की शर्तों के अनुपालन के लिए कम्पनी द्वारा तदनुसार अंगीकार की गई प्रक्रियाओं तथा उनके कार्यान्वयन का सुनिश्चय करने तक ही सीमित है। हमारा प्रमाणन न तो किसी प्रकार की लेखापरीक्षा है तथा न यह कम्पनी के वित्तीय विवरणों पर हमारे किसी मत की अभिव्यक्ति है।

हमारे मतानुसार तथा हमें प्रदान की सूचना एवं हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार हम यह प्रमाणित करते हैं कि कम्पनी द्वारा लोक उद्यम विभाग द्वारा दिशानिर्देशों में निर्धारित मापदंडों के अनुसार निम्नलिखित के अलावा कॉर्पोरेट शासन की शर्तों का अनुपालन किया गया है:-

- सरकार द्वारा नियुक्त किए जाने वाले नामित निदेशकों की संख्या अधिकतम दो होनी चाहिए। निदेशक मंडल का गठन लोक उद्यम विभाग के दिशानिर्देशों के खंड 3.1.4 के अनुसरण में दिनांक 01.04.2023 से 15.06.2023 तथा 17.08.2023 से 31.03.2024 की अवधि में नहीं किया गया है, दिशानिर्देशों के अनुसार निदेशक मंडल में कम से कम एक तिहाई निदेशक स्वतंत्र निदेशक होने चाहिए।
- निदेशक मंडल की किन्हीं दो बैठकों में अंतराल तीन माह से अधिक नहीं होना चाहिए। तथापि, कम्पनी के रिकार्ड की जांच से यह देखने में आया है कि दिनांक 18.01.2023 तथा 17.05.2023, दिनांक 17.05.2023 एवं 27.09.2023 तथा दिनांक 07.11.2023 एवं 06.03.2024 को आयोजित बैठकों के मध्य अंतराल की अवधि तीन माह की निर्धारित सीमा से अधिक है।
- निदेशक मंडल ने लोक उद्यम विभाग के दिशानिर्देशों का अनुसरण करके कम्पनी के संबंध में लागू सभी विधियों की अनुपालन रिपोर्ट की समीक्षा नहीं की है।

हम आगे यह उल्लेख करते हैं कि यह अनुपालन न तो भविष्य में कम्पनी की किसी प्रकार की व्यवहार्यता और न ही ऐसी किसी प्रभाव्यता के प्रति किसी प्रकार का आश्वासन है जो प्रबंधन द्वारा कम्पनी कार्यों के लिए किए गए हैं।

कृते वीएपी एंड एसोसिएट्स
कम्पनी सचिव
एफआरएन: पी2023यूपी098500
पीयर रिव्यू संख्या: 1083/2021

ह/-
पारुल जैन
प्रबंधन साझेदार
एम.संख्या एफ8323
सीपी संख्या 13901

स्थान : गाजियाबाद
दिनांक: 25.07.2025

प्रबंधन परिचर्चा तथा विश्लेषण रिपोर्ट

क. औद्योगिक संरचना एवं विकास

भारत विश्व में तीसरा सबसे विशाल अंतर्देशीय विमानन बाजार बन गया है। विमान यातायात की बढ़ती हुई आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भारत सरकार द्वारा देश के एक सिरे से अंतिम छोर तक विमान सम्पर्कता हेतु अवसंरचना विकास की दिशा में विकास कार्य किए जा रहे हैं। हेलीकॉप्टर एवं सम्बद्ध सेवाएं किसी भी राष्ट्रीय विमान क्षेत्र एवं हवाईअड्डा प्रणाली यथा सामान्य विमानन बाजार का अभिन्न अंग होती हैं। नागर विमान बेड़े में 15% की बढ़ोतरी संभावित है। हेलीकॉप्टरों की वार्षिक वृद्धि विशेषज्ञों द्वारा आंकी गई पूर्व प्रत्याशाओं के अनुरूप नहीं हुई है। भारत में नागर विमानन उद्योग पिछले तीन वर्षों से देश के तीव्रतर विकासशील उद्योग के रूप में उभर कर आया है। हेलीकॉप्टरों की मांग अगले पांच वर्षों के दौरान मुख्य रूप से इनकी व्यापक उपयोग्यता के कारण, विशेष रूप से नागरिक और वाणिज्यिक क्षेत्रों में पर्याप्त वृद्धि होने का अनुमान है। तथापि, वैश्विक महामारी कोविड-19 के परिणामस्वरूप हेलीकॉप्टर बाजार पर प्रत्यक्ष महत्वपूर्ण प्रभाव हुआ है। इसके अलावा, वैश्विक महामारी कोविड-19 ने पर्यटन उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है, जिससे वाणिज्यिक हेलीकॉप्टर प्रचालकों का राजस्व प्रभावित हुआ है।

भारत के नागर हेलीकॉप्टरों का उपयोग मुख्यतः अपतटीय खनन एवं उत्पादन के लिए लॉजिस्टिक विमान सहायता उपलब्ध करवाने, हेलीकॉप्टर से तीर्थ यात्रा, गैर-अनुसूचित यात्री सेवाओं, तक ही मुख्यतः सीमित हैं तथा कुल हेलीकॉप्टर प्रचालनों का काफी कम प्रतिशत उपयोग हॉटलाइन वाशिंग, आपदा निकासी, इलैक्ट्रॉनिक समाचार एकत्रण, अंडर स्लंग लोड प्रचालनों, आकाशीय कानून प्रवर्तन जैसे कार्यों के लिए होता है जबकि विकसित देशों में ऐसे प्रमुख कार्यों के लिए हेलीकॉप्टरों का नियोजन काफी अधिक है।

भारत में 143 करोड़ (अनुमानित) की जनसंख्या के लिए कुल 250 पंजीकृत नागर हेलीकॉप्टर वास्तविक रूप से उपयोग में लाए जा रहे हैं जिसके अनुसार प्रत्येक 57 लाख (लगभग) लोगों के लिए एक हेलीकॉप्टर है। वस्तुतः भारत में नागर हेलीकॉप्टरों की संख्या स्विटजरलैंड से भी कम है। इस सांख्यिकी के बावजूद भी बाजार एवं उद्योग भारतीय नागर हेलीकॉप्टर उद्योग के प्रति आशावान है।

नीचे प्रस्तुत नीतियों के संबंध में नागर विमानन मंत्रालय तथा नागर विमानन महानिदेशालय से विनियामक सहायता प्रदान की जा रही है:-

ii) क्षेत्रीय सम्पर्क योजना (आरसीएस):

भारत के दूरस्थ क्षेत्रों के लिए विमान सम्पर्कता का विकास अवसंरचना की कमी एवं उच्चतर विमान किरायों के कारण रेलवे को उपलब्ध प्राथमिकता दिए जाने से बाधित रहा है।

नागर विमानन मंत्रालय द्वारा 21 अक्टूबर, 2016 को 10 वर्ष की अवधि के लिए क्षेत्रीय सम्पर्क योजना – उड़ान (उड़ें देश का आम नागरिक) प्रारम्भ की गई है तथा दिनांक 24 अगस्त, 2017 को क्षेत्रीय सम्पर्क योजना का संशोधित दस्तावेज 2.0 जारी अनुमोदित किया गया है जिसमें सर्वसाधारण को संवहनीय क्षेत्रीय विमान सम्पर्क उपलब्ध करवाने एवं वित्तीय सहायता एवं अवसंरचना विकास के माध्यम से उत्तम तंत्र व्यवस्था का निर्माण करके प्रोत्साहित किया जाना योजनागत है।

इस योजना में हेलीकॉप्टरों के लिए उड़ान दूरी एवं मुद्रास्फीति के आधार पर अधिकतम विमान किराए की रेंज 2,480/- रुपए से 4,970 रुपए निर्दिष्ट की गई है। अंतर्देशीय प्रस्थान के लिए प्रत्येक प्रस्थान पर करारोपण के माध्यम से एक क्षेत्रीय सम्पर्कता निधि (आरसीएफ) का निर्माण किया गया है। इसके

अलावा, इस योजना में एविएशन टर्बाइन फ्यूल (एटीएफ) में कर कटौती की व्यवस्था है जिसके अनुसार एयर टर्बाइन फ्यूल के उत्पाद शुल्क को 14% से कम करके 3 वर्ष की अवधि के लिए 2% तथा विमान टर्बाइन फ्यूल पर वीएटी को 10 वर्ष की अवधि के लिए 1% अथवा कम किया जाएगा। इसी के साथ साथ हवाईअड्डा प्रचालकों (भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, राज्य सरकारें, निजी परिचालक अथवा रक्षा मंत्रालय) द्वारा दी जाने वाले सहायता के अंतर्गत क्षेत्रीय सम्पर्क योजना की उड़ानों इत्यादि पर लैंडिंग एवं पार्किंग के लिए कोई प्रभार नहीं लिया जाएगा।

इसके अलावा, चयनित एयरलाइन परिचालक द्वारा फिक्स्ड विंग विमान के उपयोग से परिचालन के लिए उड़ान क्षमता की 50% (न्यूनतम 9 तथा अधिकतम 40 की शर्त पर) सीटें आरसीएस के लिए तथा हेलीकॉप्टर के उपयोग से आरसीएस उड़ानों के परिचालन के लिए अधिकतम 13 आरसीएस सीटें उपलब्ध करवाई जाएगी।

कम्पनी को नागर विमानन मंत्रालय द्वारा इस योजना के अंतर्गत विभिन्न अल्पसेवित एवं असेवित सेक्टरों

से सम्पर्कता हेतु अपनी सेवाएं प्रदान करने के लिए "चैम्पियन ऑफ उड़ान" के सम्मान के साथ साथ प्रशंसा पत्र भी प्रदान किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2022-23 में 28.24 करोड़ रुपए के आरसीएस परिचालनों से अर्जित राजस्व की तुलना वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान कम्पनी द्वारा अर्जित राजस्व 26.35 करोड़ रुपए है।

आपकी कम्पनी को क्षेत्रीय सम्पर्क योजना के लिए आयोजित बोलियों में सात राज्यों में विस्तारित 128 मार्गों के 42 नेटवर्क आबंटित किए गए हैं तथा तदनुसार पवन हंस ने निम्नलिखित मार्गों पर अपने प्रचालन प्रारंभ कर दिए हैं :-

हिमाचल प्रदेश :

1. चंडीगढ़-शिमला-चंडीगढ़ 28-02-2019 से (सप्ताह में छह दिन)
2. शिमला-कुल्लू-शिमला 13.05.2019 से जिसे आगे 10 दिसंबर 2021 (सप्ताह में तीन बार) से शिमला-मंडी-कुल्लू-मंडी-शिमला तक विस्तारित किया गया।



उड़ान 5.1 के अंतर्गत दीमापुर, मोकोकचुंग, कोहिमा, जुन्हेबोटो, फेक एवं तुएनसांग की सम्पर्कता जोरहाट हवाईअड्डे से किए जाने के लिए नागालैंड के 14 क्षेत्रीय सम्पर्क योजना मार्गों के शुभारम्भ के संबंध में माननीय मुख्य मंत्री श्री नेफ्यू रियो के साथ पवन हंस टीम की बैठक। #नागालैंड कनेक्टिविटी में संवर्धन की दिशा में बढ़ते कदम।

3. शिमला-धर्मशाला-शिमला 14.05.2019 से जिसे आगे 9 दिसंबर 2021 (सप्ताह में तीन बार) से शिमला-मंडी-धर्मशाला-मंडी-शिमला तक विस्तारित किया गया।
4. देहरादून नई टिहरी-श्रीनगर-गौचर-श्रीनगर-नई टिहरी-देहरादून 29-07-2020 से (सप्ताह में तीन बार)
5. शिमला-रामपुर-शिमला 9 दिसंबर 2021 से (सप्ताह में तीन बार)।

उत्तराखंड

1. देहरादून-गौचर-देहरादून 8 अक्टूबर 2021 से (सप्ताह में छह दिन)
2. देहरादून-श्रीनगर-देहरादून (सप्ताह में तीन बार)
3. देहरादून-हल्द्वानी/पंतनगर-पिथौरागढ़-देहरादून 8 अक्टूबर 2021 से (सप्ताह में छह दिन)।
4. देहरादून-हल्द्वानी/पंतनगर-अल्मोड़ा-पिथौरागढ़-अल्मोड़ा-पंतनगर/हल्द्वानी-देहरादून 26 अगस्त 2022 से
5. देहरादून नई टिहरी-श्रीनगर-गौचर-श्रीनगर-नई टिहरी-देहरादून (सप्ताह में 3 दिन) 29.07.2020 से

असम

1. डिब्रुगढ़ - जोरहाट - तेजपुर - गुवाहाटी तथा वापिस 08.02.2023 से
2. इम्फाल-तामंगलॉग-जिरिबाम-तामंगलॉग-इम्फाल 13.03.2024 से
3. इम्फाल-जिरिबाम-इम्फाल 13.03.2024 से

भविष्य के लिए योजनाएं

आपकी कम्पनी भारत में एक प्रमुख हेलीकॉप्टर सेवा प्रदाता है तथा यह क्षेत्रीय सम्पर्क योजना (आरसीएस) उड़ान के अंतर्गत हेलीकॉप्टर सेवाओं के विस्तार के माध्यम से मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, सिक्किम एवं उत्तराखंड के अन्य क्षेत्रों में अपनी पहुंच स्थापित करने की प्रक्रिया कर रहा है।

सेवाओं में विस्तार चरणबद्ध स्वरूप में भौगोलिक चुनौतियों एवं दूरस्थ क्षेत्रों में विमान सम्पर्कता की रणनीतिक अभिमुखता के साथ किया जाएगा।

ii) हेलीकॉप्टर आपातचिकित्सा सेवाएं (एचईएमएस):

विश्व भर में लगभग 11% नागर हेलीकॉप्टरों का उपयोग आपातचिकित्सा सेवाओं के लिए किया जा रहा है तथा अगले पांच वर्षों में लगभग 13% नए हेलीकॉप्टर प्राप्त किए जाने संभावित हैं जिनका उपयोग आपात चिकित्सा सेवाओं तथा खोज एवं बचाव प्रचालनों के लिए किया जाएगा। तथापि, भारत में 1.4 बिलियन नागरिकों की जनसंख्या के बावजूद हेलीकॉप्टर आपातचिकित्सा सेवाएं लगभग नगण्य हैं। इसकी तुलना में यूएसए में 321 मिलियन लोगों के लिए पहले से ही 1500 आपातचिकित्सा सेवा हेलीकॉप्टर सेवाएं प्रदान की जा रही हैं।

iii) राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन नीति (एनसीएपी) 2016

राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन नीति में भी नगरों के मध्य संचलन, पर्यटन, कानून प्रवर्तन, आपदा सहायता खोज एवं बचाव, आपात चिकित्सा बचाव इत्यादि के लिए हेलीकॉप्टरों के उपयोग को महत्वपूर्ण मानकर निम्नलिखित विधि से प्रोत्साहन दिया जाना लक्ष्यबद्ध किया गया है:-

1. सरकार द्वारा हेलीकॉप्टरों के लिए अलग विनियम निर्धारित किए जाएंगे तथा क्षेत्रीय सम्पर्कता के प्रोत्साहन के लिए देश में कम से कम चार हेली-हब स्थापित करने की सुविधा प्रदान की जाएगी।
2. भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा उचित वाणिज्यिक शर्तों पर हेलीकॉप्टर प्रचालनों के लिए ऐसे हवाईअड्डों पर भूमि को चिह्नित / पट्टा किया जाएगा जहां से हेलीकॉप्टरों का प्रचालन फिक्स विंग यातायात के प्रति बिना किसी अवरोध के किया जा सकता है। इसके अलावा, हेलीकॉप्टर प्रचालनों के लिए हवाईअड्डा प्रभार उचित रूप से संगत किए जाएंगे।

यह नीति केन्द्र सरकार द्वारा 13 जुलाई, 2023 से आगे संशोधित की गई थी जिसमें वर्ष 2016 की नीति में किसी प्रकार का कोई महत्वपूर्ण सुधार न करके केवल मूल नीति से संबंधित समायोजनों एवं स्पष्टीकरणों को विचार में लिया गया है।

iv) हेलीकॉप्टर परिचालन नीति

नागर विमानन मंत्रालय द्वारा अक्टूबर, 2021 में मांग एवं विकास की उत्पत्ति के लिए हेलीकॉप्टर प्रचालनों को प्रोत्साहित करने के लिए हेलीकॉप्टर प्रचालन नीति का निर्माण किया गया था। इस नीति का उद्देश्य हेलीकॉप्टर प्रचालनों के संबंध में व्याप्त कठिनाईयों का समाधान खोजना तथा हेलीकॉप्टर प्रचालनों को व्यवहार्य बनाना है जिससे कि वे देश में निर्बाध एवं कुशल हेलीकॉप्टर सेवाओं का प्रचालन कर सकें। इस नीति को सर्वसाधारण को दूरस्थ स्थलों पर जाने तथा दुर्गम स्थलों एवं पर्यटक स्थलों पर पहुंच स्थापित करने के नए अवसर भी उपलब्ध हो सकेंगे।

ख. एसडब्ल्यूओटी विश्लेषण

शक्तियां

आपकी कम्पनी ने स्वयं को एक विख्यात ब्रांड के रूप में स्थापित किया है तथा यह भारत का सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर परिचालक है। पवन हंस लिमिटेड की शक्तियों में निम्नलिखित शक्तियां शामिल हैं :-

1. उत्तम ब्रांड इक्विटी तथा ट्रैक रिकार्ड
2. समर्पित एवं अनुभवी कार्यबल जो अत्यंत दुर्गम भौगोलिक एवं भू क्षेत्रों में निष्पादन कर सकने में सक्षम है।
3. भारत सरकार से सम्बद्धता एवं समर्थन
4. संस्थागत ग्राहकों के लिए दीर्घकालिक आधार पर हेलीकॉप्टरों का नियोजन (ओएनजीसी, ऑयल इंडिया लिमिटेड, राज्य सरकारें, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम इत्यादि)
5. सर्वोत्कृष्ट अनुरक्षण सुविधाएं
6. ग्राहकों की भिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विभिन्न प्रकार के बेड़े की उपलब्धि के कारण प्रतिस्पर्धात्मक लाभ।
7. हेलीपोर्टों / हेलीकॉप्टर प्रचालन परामर्श के विकास की क्षमता



खजुराहो में दिनांक 25 जुलाई, 2023 को आयोजित 5वें हेलीकॉप्टर एवं स्मॉल एयरक्राफ्ट (एचएसए) सम्मेलन में पवन हंस लिमिटेड तथा फ्लाईओला प्रशिक्षण अकादमी के मध्य समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर।

दुर्बलताएं

1. पुराना हेलीकॉप्टर बेड़ा
2. जनशक्ति पर आयु का प्रभाव
3. कड़ी बाजार प्रतिस्पर्धा जिसके कारण परियोजनाओं को हासिल करने के लिए लाभ कम रखना पड़ता है।

अवसर

1. विकासशील हेली-पर्यटन
2. मरम्मत, अनुरक्षण एवं ओवरहॉल सुविधाएं
3. विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा नए हेलीपोर्टों का विकास किए जाने के क्षेत्र में परामर्शी सेवाएं
4. चिकित्सा बचाव
5. आपदा प्रबंधन
6. सीप्लेन प्रचालन

दुविधाएं

1. बेड़ा पुराना होने के कारण मरम्मत की लागत काफी उच्च होना
2. कुछ ग्राहकों द्वारा विंटेज की शर्त रखे जाने के कारण कम्पनी कुछ निविदाओं में प्रतिभागिता नहीं कर पा रही है।
3. मूल उपकरण निर्माताओं के पास कंपोनेंट्स की मरम्मत एवं ओवरहॉल में देरी
4. यूक्रेन - रूस युद्ध के कारण लॉजिस्टिक्स / अतिरिक्त आपूर्ति में देरी
5. लाइसेंस वर्ग कर्मचारियों को अपने साथ धारित रखने की कठिनाई

ग. घटक-वार निष्पादन

आपकी कम्पनी द्वारा मुख्यतः अंतर्देशीय गैर-अनुसूचित यात्री विमान सेवाओं का संचालन किया जाता है तथा तदनुसार, इसके संबंध में घटक-वार निष्पादन रिपोर्टिंग के प्रावधान लागू नहीं होते हैं।

घ. आउटलुक

आपकी कम्पनी द्वारा छः वर्षीय व्यवसाय योजना 2021-2126 का निर्माण किया गया है जिसमें अन्य व्यवस्थाओं के साथ साथ इस अवधि के दौरान किए जाने वाले निम्नलिखित प्रमुख प्रयास शामिल हैं:

1. हेलीकॉप्टर प्रचालन :-

- विद्यमान बाजारों में प्रतिस्पर्धी स्थिति को सुदृढ़ बनाना
- अपने 85% विमान बेड़े का उपयोग दीर्घकाल के लिए तथा 15% विमान बेड़े का उपयोग अल्प काल के लिए करना।
- 8 पुराने हेलीकॉप्टरों के स्थान पर पर पट्टे के माध्यम से 20 हेलीकॉप्टरों का अधिग्रहण करना
- अपने हेलीकॉप्टरों एवं अन्य के लिए प्रचालन एवं अनुरक्षण अनुबंध

2. अनुरक्षण, मरम्मत एवं ओवरहॉल सेवाएं प्रदान करना
3. हेलीपोर्टों तथा हेली हबों की स्थापना करना
4. सीप्लेन प्रचालन
5. फिक्स्ड विंग प्रचालन
6. ग्राहक संतुष्टि में सुधार लाना

विद्यमान बाजारों में प्रतिस्पर्धी स्थिति को सुदृढ़ करना

1. बाजार लाभ प्राप्ति के लिए विद्यमान करारों का नवीकरण
2. संरक्षा एवं विश्वसनीयता के उच्चतर मानकों का अनुरक्षण
3. अवसर उत्पन्न होने पर अंतर्राष्ट्रीय प्रचालनों के चयन का अनुकरण करना
4. ग्राहक की आवश्यकताओं में सुधार की ओर ध्यान केन्द्रित करके प्रतिस्पर्धी स्थिति को सुदृढ़ बनाना तथा नए हेलीकॉप्टरों का अधिग्रहण करना।
5. ग्राहकों तथा अन्य व्यवसाय सहयोगियों के साथ प्रगाढ़ संबंध स्थापित करना

नए क्षेत्रों में व्यवसाय का अनुकरण करना

1. विभिन्न राज्यों के साथ हेलीपोर्टों के लिए परामर्शी एवं परियोजना प्रबंधन। कम्पनी द्वारा पहले से क्षेत्रीय सम्पर्क योजना के अंतर्गत पांच राज्यों में 31 हेलीपोर्टों के लिए परामर्शी कार्य प्रारम्भ कर दिए गए हैं। कम्पनी द्वारा कर्नाटक एवं तमिलनाडु राज्य सरकारों को हेलीपोर्टों के विकास के लिए परामर्श सेवाएं भी प्रदान की जा रही हैं।
2. चिकित्सा बचाव, कानून प्रवर्तन, समाचार एकत्रण, नगरों के मध्य सम्पर्कता करके प्रमुख नगरों के हवाईअड्डों से नगर केन्द्रों के लिए परिवहन, कॉर्पोरेट यात्रा, तीर्थ यात्रा सेवाएं इत्यादि।
3. देश में पर्यटन / तीर्थ यात्रा के क्षेत्र में अपार संभावनाएं उपलब्ध हैं जिनको लक्ष्यबद्ध करके अवसर प्राप्त किए जा सकते हैं। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात, दक्षिण भारत, गोवा तथा पूर्वोत्तर राज्य ऐसे हैं जहां नए क्षेत्रों में इस उद्देश्य से अवसर प्राप्त हो सकते हैं।

विचाराधीन वर्ष के दौरान आपकी कम्पनी ने मैसर्स आईआईएफसीएल प्रोजेक्ट्स लिमिटेड (आईपीएल) (भारत सरकार का उद्यम) द्वारा नागर विमानन मंत्रालय के लिए हेली-सेवाओं के प्रोत्साहन की रणनीतिक रूपरेखा के संबंध में दी गई एक प्रस्तुति में भाग लिया था। इस प्रस्तुति में प्रतिभागिता करने के पश्चात आईपीएल की सेवाएं हेली सेवाओं के प्रोत्साहन से संबंधित कम्पनी की व्यवसाय योजना के विकास नए हेलीकॉप्टरों के प्रापण एवं पुराने हेलीकॉप्टरों की बिक्री के लिए आईपीएल की परामर्शी सेवाएं प्राप्त करने का निर्णय लिया गया था। तदनुसार, मैसर्स आईआईएफसीएल को हेलीकॉप्टर सेवाओं के प्रोत्साहन की रणनीतिक रिपोर्ट के विकास तथा व्यवसाय योजना की समीक्षा के लिए दिनांक 25.06.2024 को अवार्ड पत्र जारी किया गया था। मैसर्स आईपीएल द्वारा दिनांक 15.12.2024 को प्रथम मसौदा प्रस्तुत कर दिया गया है। आईआईएफसीएल द्वारा वर्तमान में व्यवसाय योजना की अंतिम रिपोर्ट तैयार की जा रही है।

आपदा प्रबंधन – समर्पित आपातचिकित्सा सेवाएं / एसएआर प्रचालन

1. देश में सबसे पहले मेडीवैक हेलीकॉप्टर का प्रचालन पवन हंस लिमिटेड द्वारा ओएनजीसी के लिए किया गया था।
2. आपकी कम्पनी द्वारा एनडीएमए के सहयोग से मेडीवैक / एसएआर सेक्टर में उद्यम के नए अवसरों का अन्वेषण किया जाएगा।

नए हेलीकॉप्टरों का अधिग्रहण

विचाराधीन वर्ष के दौरान भावी अपेक्षाओं की पूर्ति के लिए आपकी कम्पनी ने 23 नए हेलीकॉप्टरों (मैसर्स एचएएल से नामांकन आधार पर 10 मध्यम द्वीन इंजन तथा शेष 13 हेलीकॉप्टर वैश्विक निविदा के माध्यम से) का अधिग्रहण करने का निर्णय लिया गया है जिनका उपयोग पुराने हेलीकॉप्टरों के स्थान पर किया जाएगा। नागर विमानन मंत्रालय द्वारा भी कम्पनी के इस प्रस्तावित अधिग्रहण के प्रति दिनांक 20.02.2024 को सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान कर दिया गया है।

तेल एवं प्राकृतिक आयोग की अपतटीय अपेक्षाओं की पूर्ति के उद्देश्य से 'आत्मनिर्भर भारत' की पहल के अंतर्गत एक प्रमुख प्रक्रिया के रूप में (जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र के तीन उपक्रम शामिल हैं) तथा देश में विकसित हेलीकॉप्टरों का विकास करने के लिए आपकी कम्पनी ने मैसर्स एचएएल के साथ 10 ध्रुव / एडवान्ड लाइट हेलीकॉप्टर (एएलएच एमके III) (सिविल वेरियंट) तथा 10 लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर (सिविल वेरियंट) की आपूर्ति के लिए सहोदयोग प्रयोजन (इंटेंट ऑफ को-ऑपरेशन – आईओसी) तथा साथ ही समझौता ज्ञापन (एचओयू) किए हैं। इन सहोदयोग प्रयोजन (इंटेंट ऑफ को-ऑपरेशन – आईओसी) के आधार पर आपकी कम्पनी ने क्रू चेंज टॉस्क हेलीकॉप्टर के लिए समूह I के अंतर्गत एएलएच एमके III के 10 हेलीकॉप्टरों के पूल में से 8 हेलीकॉप्टरों के उपयोग के हवाले से ओएनजीसी की निविदा में भी प्रतिभागिता की है। उद्धृत मूल्य पर छूट दिए जाने के संबंध

विस्तृत चर्चा एवं अंतर्मंत्रालयीन बैठकों के पश्चात ओएनजीसी द्वारा वर्ष 2024 के दौरान बम्बई हाई में अपने अपतटीय परिचालनों हेतु आपकी कम्पनी के 04 ध्रुव हेलीकॉप्टरों के लिए अवार्ड अधिसूचना (एनओए) जारी की गई है। इसी के अनुक्रम में आपकी कम्पनी ने भी दिनांक 01.01.2025 को मैसर्स हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) को 04 ध्रुव एएलएच (फैक्टरी न्यू) के क्रय का आशय पत्र (एलओआई) जारी किया है। मैसर्स एचएएल के साथ की गई सैद्धांतिक सहमति के अनुसार इन 04 हेलीकॉप्टरों के अलावा, 02 हेलीकॉप्टर स्टैंडबाई के रूप में मैसर्स ओएनजीसी को मैसर्स एचएएल द्वारा स्वयं अपनी लागत पर उपलब्ध करवाए जाएंगे।

हेलीकॉप्टर अनुरक्षण सेवाएं

आपकी कम्पनी मैसर्स यूरोकॉप्टर, फ्रांस की ओर से डॉफिन श्रृंखला के हेलीकॉप्टरों का प्राधिकृत अनुरक्षण केन्द्र है। आपकी कम्पनी डॉफिन हेलीकॉप्टरों वाले अन्य प्रचालकों को सेवाएं प्रदान करके अपने मरम्मत तथा ओवरहॉल व्यवसाय का विस्तार करना चाहती है। इस उद्देश्य से एक नए उत्कृष्ट अनुरक्षण केन्द्र का निर्माण किए जाने की योजना है। हम रक्षा हेलीकॉप्टरों के लिए मरम्मत, अनुरक्षण एवं ओवरहॉल सुविधाएं स्थापित करने के एक प्रस्ताव पर कार्य कर रहे हैं तथा मैसर्स जेएससी हेलीकॉप्टर्स, रूस तथा भारतीय वायु सेना से एमआई-172 के लिए एवं मैसर्स हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड से ध्रुव हेलीकॉप्टरों के लिए इसके संबंध में विवरण प्राप्त करने की प्रक्रिया की जा रही है।

ग्राहक संतुष्टि में सुधार

कम्पनी द्वारा अपने यात्रियों एवं संगठन ग्राहकों से समय समय पर प्रतिक्रियाएं प्राप्त की जाती हैं तथा इसके द्वारा प्रतिक्रिया प्रोफार्मा के निर्माण के लिए बाह्य एजेंसी की सेवाएं प्राप्त करके प्रतिक्रियाएं प्राप्त की गई हैं।

रणनीतिक विनिवेश

भारत सरकार द्वारा पवन हंस लिमिटेड में प्रबंधन नियंत्रण के अंतरण के साथ भारत सरकार की समग्र 51% शेयरधारिता का विनिवेश किए जाने का निर्णय लिया गया है। इस रणनीतिक विनिवेश के लिए निवेश एवं परिसम्पत्ति प्रबंधन विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा मैसर्स एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड तथा मैसर्स क्रॉफर्ड बेयले एंड कम्पनी की सेवाएं क्रमशः संव्यवहार परामर्शदाता एवं विधि परामर्शदाता के रूप में प्राप्त की गई हैं। मैसर्स आरबीएसए परामर्शदाता की सेवाएं नागर विमानन मंत्रालय द्वारा पवन हंस लिमिटेड की परिसम्पत्तियों का मूल्यांकन करने के लिए प्राप्त की गई हैं। इसके पश्चात, तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग लिमिटेड ("ओएनजीसी") द्वारा अपने दिनांक 2 अगस्त, 2018 के अपने निदेशक मंडल संकल्प के माध्यम से पवन हंस लिमिटेड में अपनी 49% की समग्र शेयरधारिता को भी समाप्त करने का निर्णय लिया गया था।

बोलीदाताओं से अच्छी प्रतिक्रिया प्राप्त न होने के कारण विनिवेश की प्रक्रिया को पहले पूरा नहीं किया जा सका था।

पवन हंस लिमिटेड के लिए वर्तमान में रणनीतिक विनिवेश की प्रक्रिया की जा रही है जिसके लिए पीआईएम/रुचि अभिव्यक्ति के लिए अनुरोध दिनांक 08.12.2020 को जारी किए गए थे। नियत तिथि (5 मार्च, 2021) तक प्राप्त रुचि अभिव्यक्ति के मूल्यांकन एवं आईएमजी के निदेशों के आधार पर शार्टलिस्ट किए गए बोलीदाताओं को वीडिआर, एसआईएम, आरएफपी के लिए एस्सेस एवं शेयर क्रय अनुबंध का मसौदा उपलब्ध करवाया गया था। शार्टलिस्ट किए गए बोलीदाताओं द्वारा विभिन्न एहतियातों के साथ प्रस्तुत की गई बोलियों का तकनीकी मूल्यांकन किया गया था। वित्तीय बोली दिनांक 23 अप्रैल 2022 को खोली गई थी तथा दिनांक 29 अप्रैल, 2022 को तीन सदस्यों के कंसोर्टियम (नामत: स्टार9 मोबिल्टी

प्राइवेट लिमिटेड) को उच्चतर बोलीदाता घोषित किया गया था। सरकार द्वारा सफल बोलीदाता कंसोर्टियम मैसर्स स्टार 9 मोबिलिटी प्राइवेट लिमिटेड को प्रारंभिक सूचना ज्ञापन (पीआईएम) एवं अर्हता प्रस्ताव अनुरोध (आरएफपी) के प्रावधानों के उपबंधों के अनुसार पवन हंस लिमिटेड के रणनीतिक विनिवेश की प्रक्रिया के प्रति अयोग्य घोषित किए जाने का निर्णय लिया गया है। इसके पश्चात चालू रणनीतिक विनिवेश से संबंधित चालू रुचि अभिव्यक्ति प्रक्रिया दिनांक 3 जुलाई, 2023 को रद्द हो गई थी।

ड. जोखिम एवं प्रयोजन

ओएनजीसी जैसे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा 7 से 10 वर्ष की विन्टेज स्थिति वाले हेलीकॉप्टरों के लिए निविदाएं जारी की गई हैं। पूर्वोत्तर राज्यों में अरुणाचल प्रदेश जैसे राज्य द्वारा भी 5 वर्ष की विन्टेज वाले हैवी हेलीकॉप्टरों के लिए निविदाएं जारी की गई हैं। इस प्रकार, इस रुझान का अनुसरण अन्य ग्राहकों द्वारा भी किए जाने की स्थिति आने पर पुराने हेलीकॉप्टरों के बेड़े के साथ नए व्यवसाय को प्राप्त करने के प्रति जोखिम व्याप्त हैं। ग्राहकों से की जाने वाली देयताओं की वसूली की अवधि, विशेषतः राज्य सरकारों, काफी अधिक होती है जिसके कारण बड़ी संख्या में बकाया शेष रहते हैं। इससे कम्पनी का रोकड़ प्रवाह प्रभावित होता है। तथापि, ग्राहकों के साथ किए गए अधिकांश करारों में विदेशी मुद्रा तथा विमानन टर्बाइन ईंधन की दरों के संदर्भ मुद्रास्फीति के प्रति प्रतिरक्षा के अंतर्निहित प्रावधान किए गए हैं तथा ऐसे प्रावधानों से वे करार प्रभावित होते हैं जिनमें हेलीकॉप्टरों सेवाओं के लिए निश्चित एवं तय की गई चार्टर दरें होती हैं तथा जिससे इनपुट लागत बढ़ जाती है और मुनाफे का मार्जिन कम हो जाता है। विनिवेश की प्रक्रिया जारी होने के कारण कम्पनी के सम्मुख व्याप्त अनिश्चितता भी सरोकार का एक कारण है। विमानन व्यवसाय का वर्गीकरण आकाश एवं स्थल पर संरक्षा के लिए किया गया है। हेलीकॉप्टरों से होने वाली दुर्घटनाओं के परिणामस्वरूप ग्राहक विश्वास प्रभावित हो सकता है जिसका आगे प्रभाव कम्पनी के व्यवसाय पर हो सकता है।

च. आंतरिक नियंत्रण व्यवस्था एवं उनकी पर्याप्तता

प्रत्येक प्रकार के क्रियाकलापों में संस्थागत बेहतर प्रक्रियाओं का प्रयोग किए जाने के लिए मानक प्रक्रियाएं एवं दिशानिर्देशों समय समय पर जारी किए जाते हैं। सभी क्रियाकलापों तथा परिसम्पत्तियों के अनाधिकृत प्रयोग की मॉनीटरिंग तथा प्रत्येक व्यवहार सही प्रकार से प्राधिकृत, रिकार्डबद्ध एवं सूचनाबद्ध होने का सुनिश्चय किए जाने के लिए पवन हंस में पर्याप्त आंतरिक व्यवस्था की गई है। कम्पनी द्वारा सभी आंतरिक नियंत्रण नीतियों तथा प्रक्रियाओं का उनसे जुड़े विनियामक दिशानिर्देशों के अनुसार अनुपालन किए जाने का सुनिश्चय किया जाता है तथा आवश्यकतानुसार सुधार कार्रवाई कर ली जाती है। निदेशक मंडल की ऑडिट समिति द्वारा आंतरिक नियंत्रणों की पर्याप्तता की देख रेख की जाती है। समय समय पर विनियामक प्राधिकरणों द्वारा प्रचालनात्मक एवं संरक्षा की दृष्टि से ऑडिट किए जाते हैं।

वित्त एवं प्रचालनों का विश्लेषण

प्रत्येक तिमाही में भौतिक एवं वित्तीय निष्पादन के औसत का विश्लेषण करके उसका अंतिम स्वरूप निदेशक मंडल के सम्मुख प्रस्तुत किया जाता है। कम्पनी की वेबसाइट पर वार्षिक रिपोर्ट के साथ साथ कार्यालय से संबंधित समाचार नियमित एवं सुलभ स्वरूप में प्रकाशित किए जाते हैं।

वर्ष 2023-24 के दौरान कम्पनी द्वारा प्रचालनों से पिछले वर्ष में अर्जित 40080.03 लाख रुपए की तुलना में 37476.56 लाख रुपए का राजस्व कमाया गया है। वर्ष के दौरान परिचालनों से प्राप्त लाभ पिछले वर्ष 7114.78 लाख रुपए की तुलना में 4338.12 लाख रुपए है। कम्पनी के रिजर्व एवं अतिरिक्त 32753.84 लाख रुपए (पिछले वर्ष 33883.72 लाख रुपए) हैं।

अंशकालिक निदेशकों तथा कम्पनी के मध्य वित्तीय सम्बद्धता अथवा संव्यवहार

वर्ष के दौरान किसी भी अंशकालिक निदेशक के साथ कम्पनी के वित्तीय संबंध नहीं हैं। इसके अलावा,

केवल दो स्वतंत्र निदेशक मंडल को बैठकों तथा निदेशक मंडल की उप समिति की बैठकों में उपस्थिति के लिए सीटिंग फीस का भुगतान किए जाने के अलावा किसी भी अंशकालिक निदेशक को किसी प्रकार का पारिश्रमिक अथवा उपस्थिति प्रभार का भुगतान नहीं किया गया है।

मानव संसाधन, औद्योगिक संबंध तथा प्रतिभा प्रबंधन मामले

31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार 569 (256 नियमित कर्मचारी तथा 313 अनुबंध कर्मचारियों के साथ) की तुलना में 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष में कुल कर्मचारियों की संख्या 558 (238 नियमित कर्मचारी तथा 320 अनुबंध कर्मचारियों के साथ) थी। वर्ष के दौरान औद्योगिक संबंध सौहार्द रहे हैं। कम्पनी द्वारा अपने पॉयलटों तथा अन्य कर्मचारियों को प्रशिक्षण के लिए भेजा जाता है तथा नियमित आधार पर कर्मचारियों के संबंध में आंतरिक प्रशिक्षण विकास भी किए जाते हैं।

पर्यावरण संरक्षण, अक्षय ऊर्जा प्रयोग तथा अनुसंधान एवं विकास मामले

कम्पनी का परम लक्ष्य सदैव से ही पर्यावरण संरक्षण तथा तकनीकों का समावेश करना रहा है तथा विचाराधीन वर्ष के दौरान भी इस लक्ष्य को प्राथमिकता प्रदान की गई है। नवोपाय के तौर कम्पनी

कलपुर्जों के स्वदेशीकरण तथा एचएमयू (डॉफिन एन- हेलीकॉप्टर) की विश्वसनीयता में संवर्धन के लिए अध्ययन किए गए हैं।

सचेतक विवरण

प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण की रिपोर्ट के विवरण में कम्पनी लक्ष्यों, प्रक्षेपण, अनुमानों, आंकड़ों तथा प्रत्याशाओं में लागू कानूनों तथा विनियमों का अनुसरण करते हुए “आगे बढ़ने की आकांक्षा” की प्रस्तुति की गई है। वास्तविक परिणाम ऐसी व्यक्ति संभावनाओं से कुछ भिन्न हो सकते हैं।

कम्पनी, आगे बढ़ने की आकांक्षा के संबंध में यहां उल्लिखित विवरण के प्रति किसी उत्तरदायित्व का दावा नहीं करती है क्योंकि इसमें उत्तरवर्ती विस्तार, सूचना अथवा परिस्थितियों के आधार पर भविष्य में होने वाले परिवर्तन का प्रभाव निहित है।

कृते तथा पवन हंस लिमिटेड के निदेशक मंडल की ओर से

ह/-

(संजीव राजदान)

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन संख्या 08711596

दिनांक: 21.08.2025

स्थान : नोएडा

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों द्वारा अपनी संशोधित रिपोर्ट में की गई अर्हता / प्रेक्षण के संबंध में निदेशक मंडल के उत्तर

लेखापरीक्षकों का प्रेक्षण	निदेशक मंडल के उत्तर
पवन हंस लिमिटेड के सदस्यों को संबोधित इंड एस वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा रिपोर्ट यह संशोधित लेखापरीक्षा रिपोर्ट हमारी दिनांक 23 जनवरी, 2024 की पूर्व लेखापरीक्षा रिपोर्ट का अधिक्रमण करती है। यह संशोधित लेखापरीक्षा रिपोर्ट हमारी दिनांक 19 मई, 2025 की पिछली लेखापरीक्षा रिपोर्ट का अधिक्रमण करती है। यह संशोधित लेखापरीक्षा रिपोर्ट भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षा मानकों (एसए) के संबंध में संज्ञान में आई चूकवश हुई टाइपोग्राफिकल त्रुटियों के बारे में किए गए प्रेक्षण के अनुसार सुधार करने तथा अधिक स्पष्टीकरण एवं सूचना प्रदान करने, विशेषतः लेखापरीक्षा मानक (एसए) 700 के संबंध में एसए 700 के पैरा 28 के अंतर्गत निर्धारित खंड को शामिल करने के लिए जिन्हें अब इस रिपोर्ट में स्पष्ट से शामिल किया गया है, के उद्देश्य से जारी की गई है। प्रतिकूल मत हमने पवन हंस लिमिटेड ("कंपनी") के संलग्न इंड एस वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा की है, जिसमें 31 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र तथा लाभ एवं हानि विवरण, इक्विटी परिवर्तन विवरण एवं समाप्त वर्ष के अनुसार नकदी प्रवाह विवरण सहित महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का संक्षेप एवं अन्य स्पष्टीकरण सूचना (इसका उल्लेख एतद्वारा "इंड एस वित्तीय विवरणों" के रूप में किया जाएगा) शामिल है। हमारे मत तथा हमारे पास उपलब्ध सूचना एवं हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार प्रतिकूल मत के आधार के पैरा में चर्चित मामले के महत्व के कारण से उपर्युक्त वित्तीय विवरण अधिनियम के अंतर्गत अपेक्षित सूचना की प्रस्तुति अपेक्षा के अनुसार नहीं करते हैं तथा ये 31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार कंपनी की वित्तीय स्थिति एवं इसके वित्तीय निष्पादन, तथा वर्ष की उक्त तिथि को समाप्त इसके नकदी प्रवाह के संबंध में भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन मानकों के अनुरूप सत्य एवं स्वच्छ छवि की प्रस्तुति नहीं करते हैं।	

प्रतिकूल मत का आधार 1. हमारे द्वारा लेखापरीक्षा का आयोजन मानक लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं तथा व्यवहारों के अनुसार किया गया था। लेखापरीक्षाएं प्रक्रियाएं औचक आधार पर ऐसे नमूना संव्यवहारों के लिए अंगीकार की गई थी जिनका चयन सामग्रीगत एवं अन्य सम्बद्ध विचारों के आधार पर किया गया था। लेखापरीक्षा के दौरान कुछ घटकों के संबंध में हमें पूर्ण सूचना उपलब्ध नहीं करवाई गई थी तथा न ही प्रबंधन द्वारा उचित सूचना तथा स्पष्टीकरण प्रदान किए गए थे। इनके उपलब्ध न होने के कारण से लेखापरीक्षा का आयोजन हमें उपलब्ध करवाई गई सूचना / दस्तावेजों के आधार पर किया गया था। उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए लेखापरीक्षा के लिए अंतर्निहित सीमाओं के कारण अधिक चूकों / अकरणों की संभावना हो सकती है जिसे पूरी तरह से नकारा नहीं जा सकता है। मदवार विशिष्ट प्रेक्षण नीचे प्रस्तुत पैराग्राफों में दिया गया है।	केवल कुछ काफी पुराने मामलों (20 से 30 वर्ष पुराने) के अलावा, वित्तीय वर्ष 2023-24 की लेखापरीक्षा के लिए सांविधिक लेखा परीक्षक द्वारा अपेक्षित जानकारी उन्हें समर्थित दस्तावेजों, यदि कोई हों, के साथ उपलब्ध करवाई गई थी। तथापि, कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार, कंपनी से केवल पिछले 8 वित्तीय वर्षों के दस्तावेज/रिकॉर्ड रखने की अपेक्षा है। लेखा परीक्षकों द्वारा अपेक्षित अधिकतम जानकारी उपलब्ध करवाई गई है।
2) पूर्व लेखापरीक्षक एस.एस. पेरीवाल एंड कम्पनी द्वारा अपनी सांविधिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट में कम्पनी की लेखा बहियों के बारे में अविश्वास व्यक्त करते हुए 31.03.2023 को समाप्त वर्ष के कम्पनी के वित्तीय विवरणों के संबंध में सम्बद्ध सूचना एवं पर्याप्त लेखापरीक्षा प्रमाण उपलब्ध न होने के कारण से प्रतिकूल मत दिया गया है। कम्पनी द्वारा बिल न किए राजस्व, जीएसटी देयता, लम्बे समय से बकाया अग्रिम एवं व्यापार देय, व्यापार देय के नामे शेष के भुगतान में देरी, बीमा दावे कार्यात्मक मुद्रा में न होने, राजस्व बिलिंग में पाई गई असंगतियों, विदेशी मुद्रा परिवर्तन असंगत होने के संबंध में पूर्व सांविधिक लेखापरीक्षक द्वारा क्रमशः दी गई अर्हता संख्या 5,9,10क,10ख,15ग,16,17क,17ख पर की गई सुधार कार्रवाई की स्थिति प्रदान नहीं की गई है। सूचना एवं पर्याप्त लेखापरीक्षा प्रमाण उपलब्ध न होने के कारण से हम यह टिप्पणी नहीं कर पा रहे हैं कि क्या अथ शेषों में किसी प्रकार का ऐसा कोई मिथ्या विवरण व्याप्त है अथवा व्याप्त नहीं है जिससे चालू अवधि के वित्तीय विवरणों पर सामग्रीगत प्रभाव संभव हो सके।	वित्तीय वर्ष 2022-23 के मुद्रित वार्षिक लेखा सांविधिक लेखा परीक्षक को उपलब्ध करवाए गए हैं तथा ये कम्पनी की वेबसाइट पर भी उपलब्ध हैं, जिसमें मेसर्स एस एस पेरीवाल एंड कंपनी द्वारा की गई लेखापरीक्षा अर्हताओं का पर्याप्त उत्तर दिया गया था तथा लेखापरीक्षा की प्रक्रिया के दौरान लेखापरीक्षा टीम ने भी सिस्टम एवं दस्तावेजों के अनुसार सूचना का सत्यापन किया था।

3) **जीएसटी शेष में अंतर-** उत्तरी क्षेत्र द्वारा लेखापरीक्षा के कार्यक्षेत्र में वित्त वर्ष के दौरान प्रस्तुत विवरण में **375.69 लाख रुपये** की जीएसटी देयता की रिपोर्टिंग कम की है तथा इसी के साथ साथ उत्तरी क्षेत्र द्वारा वित्तीय वर्ष के दौरान प्रस्तुत विवरण में **4.33 लाख रुपये** की अतिरिक्त इनपुट का दावा किया है। इसके अलावा, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर बैलेंस की तुलना में उत्तरी क्षेत्र तथा कॉर्पोरेट कार्यालय में इनपुट के अथ शेषों में क्रमशः **720.33 लाख रुपये** एवं **166.68 लाख रुपये** का अंतर (बहियों में अधिक) है। कंपनी द्वारा कॉर्पोरेट कार्यालय की बहियों में इसके प्रति **67.64 लाख रुपये** के प्रावधान किए हैं। इसके परिणामस्वरूप, बहियों में इनपुट के अंत शेष में **819.36 लाख रुपये** का अतिकथन किया गया है। उपर्युक्त भिन्नताओं में से, कम्पनी द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार **102.51 लाख रुपए** लक्षद्वीप के मामले से संबंधित हैं जबकि पवन हंस लिमिटेड को दिनांक 30.03.2019 को **672 लाख रुपए** का अग्रिम प्राप्त हुआ है। कर का भुगतान दिनांक 16.04.2019 को किया गया था, तथापि बाद में यह अनुबंध समापन के कारण सामग्रीगत नहीं हो पाया था। कम्पनी द्वारा सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 54 के अंतर्गत धनवापसी का दावा किया गया जबकि धनवापसी का दावा देर से दिनांक 28.02.2024 को प्रस्तुत किया गया था तथा यह मामला जीएसटी अपील, नोएडा में विचाराधीन है। इसके अलावा, शेष भिन्नता के संबंध में हमें कोई समाधान / स्पष्टीकरण प्रदान नहीं किए गए हैं। इसी के साथ साथ, ईसीएल में **66.81 लाख रुपए** के स्वैच्छिक भुगतान नामे किए गए हैं तथा इन्हें लेखा बहियों में रिकार्ड नहीं किया गया है। इसके परिणामस्वरूप परिसम्पत्ति के प्रति वर्ष / रिजर्व एवं अधिशेष के संबंध में **886.17 लाख रुपए** का अतिकथन हुआ है तथा व्ययों की न्यूनोक्ति हुई है।

उत्तरी क्षेत्र में, जीएसटी देयता में भिन्नता मुख्य रूप से चालू वर्ष की लेखा बहियों में किए गए इंटर-लेजर सुधार के कारण था। पिछले वर्ष के संव्यवहारों की देयता बही की चालू वर्ष की जीएसटी विवरणियों के अनुसार आउटवर्ड देयता के साथ तुलना करने से भिन्नता उत्पन्न हुई है। आईटीसी के अथ शेष में भिन्नता बकाया देयताओं से संबंधित है तथा इन प्रविष्टियों को सेट ऑफ किए जाने का समाधान किया जा रहा है।

कॉर्पोरेट कार्यालय में, जीएसटी संख्या 09AAACP1561A1ZX के अंतर्गत 102.51 लाख रुपये की अप्रयुक्त आईजीएसटी राशि का भुगतान लक्षद्वीप सरकार से प्राप्त 672.00 लाख रुपये के अग्रिम भुगतान की धनवापसी होने पर आईटीसी के माध्यम से किया गया था। लक्षद्वीप से संबंधित सभी विवरणों पर पहले ही चर्चा की जा चुकी है और संबंधित दस्तावेज़ लेखापरीक्षा के दौरान लेखा परीक्षक को सौंप दिए गए थे।

इस मामले का अतिरिक्त स्पष्टीकरण नीचे दिया गया है:

वर्ष 2017-2018 के दौरान, पार्टियों के मध्य इस निर्णय पर सहमति हुई थी कि पवन हंस लिमिटेड द्वारा 825.00 लाख रुपये के कुल अनुबंध मूल्य पर कावाराती, अगात्ती तथा मिनिर्काय द्वीपों में 'रात्रि लैंडिंग सुविधाएं' प्रदान की जाएंगी। इसके संबंध में, लक्षद्वीप प्रशासन द्वारा दिनांक 10 फरवरी, 2018 स्वीकृति पत्र संख्या एफ.सं.6/16/91-पोर्ट (ओपीआई) पार्ट/1273, 1519 दिनांक 13 मार्च 2018 तथा 1551 दिनांक 16.03.2018 जारी किए गए हैं। लक्षद्वीप सरकार द्वारा दिनांक 27.03.2018 को 200 लाख रुपए का अग्रिम भुगतान किया गया था जो पवन हंस लिमिटेड को लक्षद्वीप प्रशासन, बंदरगाह एवं विमानन विभाग द्वारा प्रदत्त 825.00 लाख रुपए की स्वीकृति संख्या एफ.सं.6/16/1991-पोर्ट (ओपीआई)/1273 दिनांक 10 फरवरी 2018 तथा 1551 दिनांक 16.03.2018 के माध्यम "लक्षद्वीप में हैलीपैडों पर रात्रि लैंडिंग सुविधाएं" के निर्माण के लिए प्राप्त हुआ था। इस अग्रिम भुगतान में 169.49 लाख रुपए के करयोग्य मूल्य सहित 30.51 लाख रुपए की आईजीएसटी राशि शामिल थी तथा इसे जीएसटी विभाग में जमा करवा दिया गया था जो अगस्त 2018 जीएसटीआर-1 तथा दिनांक 19.09.2018 को संख्या AA090818287603 तथा दिनांक 20.09.2018 को फाइल किया जीएसटीआर-3बी विवरण AA0908188847085 क्रमशः फाइल किए गए एआरएन के अंतर्गत प्रस्तुत किए गए थे। इसके पश्चात दिनांक 30.03.2019 को 472.00 लाख रुपए की दूसरी किश्त भी प्राप्त हुई थी

	जिसमें करयोग्य अग्रिम भुगतान 400.00 लाख रुपए तथा आईजीएसटी की राशि 72.00 लाख रुपए थी जिसका भुगतान दिनांक 16.04.2019 की एआरएन संख्या AA090319812970 के अंतर्गत आईटीसी मार्च 2019 जीएसटीआर 3बी विवरणी के माध्यम से किया गया था तथा इस देयता को मई 2019 की जीएसटीआर-1 विवरणी में दर्शाया गया है, जो दिनांक 11.6.2019 की एआरएन संख्या AA090519250981R के माध्यम से फाइल की गई है। यहां यह उल्लेखनीय है कि कोविड-19 के प्रतिबंधों के कारण तथा उपर्युक्त कार्यों के अनेक बार निविदाएं जारी करने के बावजूद भी कम्पनी को ऐसे विक्रेता / पार्टियां प्राप्त नहीं हो पाए थे जो कोविड के वातावरण में कार्य करने के लिए तत्पर हों, तदनुसार पवन हंस लिमिटेड की प्रस्तावित द्वीपसमूहों में रात्रि लैंडिंग की सुविधा का निर्माण करने की प्रतिबद्धता पूरी नहीं हो पाई थी, जिसके लिए लक्षद्वीप प्रशासन द्वारा 672.00 लाख रुपए की राशि का अग्रिम चुकता किया गया था। पवन हंस लिमिटेड द्वारा अनुबंध दायित्व पूरा न कर पाने के कारण से लक्षद्वीप प्रशासन द्वारा 672.00 लाख रुपए की राशि के अग्रिम की वसूली अक्टूबर 2020 से जनवरी 2021 के दौरान पवन हंस लिमिटेड द्वारा प्रदान की गई किराया हेलीकॉप्टर की बिलिंग में से कर ली गई थी। कम्पनी द्वारा दिसम्बर 2021 में 672.00 लाख रुपए की राशि की धनवापसी सूचना जारी की गई थी संदर्भ जीएसटीआर-1 फाइल जो दिनांक 11.01.2022 की एआरएन संख्या AA091221754728Y के माध्यम शीर्ष तालिका संख्या 11बी(1), 11बी(2) 'अग्रिमों का समायोजन के अंतर्गत फाइल की गई थी, तदनुसार 102.51 लाख की राशि जीएसटी विभाग के अप्रयुक्त कर क्रेडिट के रूप में है जिसकी विभाग द्वारा धनवापसी की जानी है। इसके संबंध में दिनांक 27.12.2023 को पावती संख्या AA0912231586460 के माध्यम से कम्पनी संबंधित मूल्यांकन प्राधिकारी से अप्रयुक्त आईजीएसटी की धनवापसी का अनुरोध परिपत्र संख्या 162/18/2021-जीएसटी, अधिनसूचना संख्या 35/2021 दिनांक 25 सितम्बर, 2021 के हवाले से इस उल्लेख के साथ किया था कि आईजीएसटी की 1,02,50,847.00 रुपए की राशि की धनवापसी / समायोजन लक्षद्वीप सरकार द्वारा हमारी बिलिंग में से 672.00 लाख का समायोजन करने तथा कम्पनी द्वारा दिसम्बर 2021 में संदर्भ जीएसटीआर-1 के माध्यमसे धनवापसी सूचना जारी किए जाने के प्रति है। जीएसटी विभाग द्वारा जारी दिनांक 01.02.2024 के त्रुटि ज्ञापन संख्या ZD090224007198H के प्रति कम्पनी द्वारा दिनांक

	28.02.2024 को नया धनवापसी आवेदन एआरएन संख्या AA0902242125410 के माध्यम से प्रस्तुत किया गया था। इसके पश्चात जीएसटी विभाग द्वारा दिनांक 19.03.2024 को फार्म-जीएसटी-आरएफडी-03 में त्रुटि ज्ञापन संख्या ZD090324196904Y जारी किया गया तथा एक बार से सूचित की गई त्रुटियों को दूर करके नया आवेदन प्रस्तुत करने के लिए कहा गया। तदनुसार कम्पनी ने दिनांक 18.07.2024 को अपना आवेदन AA090724088502Y प्रस्तुत किया गया तथा कारण बताओ नोटिस के प्रति उत्तर दिनांक 22.08.2024 को फाइल किया गया जो दिनांक 18.10.2024 को मूल्यांकन अधिकारी द्वारा अस्वीकृत किया गया तथा जिसके प्रति कम्पनी ने दिनांक 26.11.2024 की पावती संख्या AD091124191114A के प्रति अपीलिय प्राधिकारी के सम्मुख अपील दायर की गई है जो विभाग द्वारा स्वीकृत कर ली गई है। सुनवाई के लिए दिनांक 28.01.2025 निर्धारित की गई थी तथा इसमें हमारे जीएसटी परामर्शदाता ने भाग लिया था। कम्पनी को अपीलिय प्राधिकारी से अपने पक्ष में आदेश प्राप्त होने की पूरी आशा है। यह मामला जीएसटी अपीलिय प्राधिकरण के सम्मुख न्यायाधीन है। इसके अलावा, एक जीएसटी इनपुट तथा आईएसडी समाधान 31.03.2024 की स्थिति के अनुसार पूर्व वर्षों की अप्रयुक्त जीएसटी राशि के प्रति किया गया है। कम्पनी द्वारा दिनांक 31.03.2024 के जेवी संख्या सीओ/जेवी/2023-24/0666 के माध्यम से प्रावधान पहले से ही कर लिए गए हैं। तथा शेष 102.51 लाख रुपए की राशि जीएसटी अपीलिय प्राधिकरण के सम्मुख न्यायाधीन है तथा पिछली सुनवाई दिनांक 04.08.2025 को हुई थी। अपीलिय प्राधिकरण का न्याय निर्णय प्रतीक्षित है।
4) जीएसटी नकदी बही शेष में भिन्नता - जीएसटी पोर्टल तथा लेखा बहियों के अनुसार बही नकदी शेष में भिन्नता पाई गई थी, जीएसटी पोर्टल में 8.14 लाख रुपए दर्शाया गया था जबकि लेखा बहियों में दर्शाया गया निवल 88.28 लाख रुपए का था जिसके परिणामस्वरूप 80.14 लाख रुपए की राशि का मेल गलत था। यह असंगति मार्गस्थ चैक के समायोजनों जीएसटी देय बही से उत्पन्न हुई थी जिसके संबंध में पृच्छा पहले ही की जा चुकी है परन्तु कोई समर्थनकारी सूचना उपलब्ध नहीं करवाई गई है। इसके परिणामस्वरूप, गलत मेल की सटीक राशि की प्रमात्रा का निर्धारण नहीं किया जा सका है। इसके परिणामस्वरूप परिसम्पत्तियों की अत्योक्ति तथा वर्ष के दौरान 80.14 लाख रुपए की आय/रिजर्व एवं अधिशेष की अत्योक्ति हुई है।	उत्तरी क्षेत्र में, जीएसटी रोकड़ बही शेष के संदर्भ में जीएसटी रोकड़ बही शेष के प्रति जीएसटी देयता अभी भी है। इसके अलावा, यह प्रथम वर्ष है जब जीएसटी टीडीएस, आरसीएम एवं जीएसटी देयता के लिए अलग से रोकड़ बही तैयार की गई है।

5) वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान कम्पनी को ग्राहकों से 249.31 लाख रुपए की राशि के अग्रिम पश्चिम क्षेत्र में मॉडल सिकोस्की एस76डी, डॉफिन एस 365एन3 तथा डॉफिन एसए 365एन की चार्टर उड़ान सेवाएं प्रदान करने के लिए प्राप्त हुए थे। कम्पनी द्वारा आउटपुट कर देयता (सीजीएसटी तथा एसजीएसटी @9 % प्रत्येक) के रूप में प्राप्त अग्रिम के प्रति 44.88 लाख रुपए का भुगतान नहीं किया गया है जो कि केन्द्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 13 के अंतर्गत चुकता किया जाना अपेक्षित है। इसके परिणामस्वरूप करारोपण अथवा ब्याज अथवा गैर अनुपालन के प्रति अन्य कोई जुर्माना प्रावधान लगाए जा सकते हैं।	बीजक जारी किए जाने के समय आवश्यक जीएसटी चुकता की गई है तथा बीजक का समाधान अग्रिम भुगतान के प्रति होता है।
6) मालसूची क) पूर्व सांविधिक लेखापरीक्षक से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) देर से प्राप्त होने के परिणामस्वरूप सांविधिक लेखापरीक्षा प्रक्रिया देर से प्रारम्भ होने के कारण हम 31 मार्च 2024 तक प्रबंधन द्वारा की मालसूचियों के भौतिक सत्यापन का प्रेक्षण नहीं कर पाए हैं। तदनुसार, 31 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार मालसूचियों के अस्तित्व तथा उनकी स्थिति के संबंध में पर्याप्त उपयुक्त लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त नहीं किए जा सके हैं। इसके परिणामस्वरूप, यह निर्धारण भी नहीं किया जा सका है कि क्या मालसूचियों से संबंधित किसी प्रकार का कोई आवश्यक समायोजन किया जा सकता था अथवा नहीं, यदि किया भी जा सकता था तो ऐसा करने से उक्त वर्ष को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों पर क्या संबंधित प्रभाव होता।	कोई टिप्पणी नहीं
ख) कम्पनी ने हमें भंडार बही रिपोर्ट प्रस्तुत की है जो लेखांकन उद्देश्य के लिए उपयोग किए जाने वाले सॉफ्टवेयर से उत्पन्न की गई है। तथापि, अंत शेष की जांच के दौरान, सिस्टम द्वारा निर्मित बही के अनुसार अंत शेष उत्तरी क्षेत्र के वित्तीय विवरणों (वित्तीय विवरणों में अधिक) में दिए गए अंत शेष से भिन्न पाया गया है। सत्यापन करने पर प्रारम्भ शेष राशि 2028.70 लाख रुपए तथा चालू वर्ष की मालसूची अंतर राशि 34.81 लाख रुपए पाई गई थी जिससे कुल 2063.51 लाख रुपए की भिन्नता पाई गई है। प्रबंधन द्वारा दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार	वेस्टलैंड बेड़े से संबंधित नोट का प्रकटीकरण उत्तरी क्षेत्र के लेखांकन नोटों में पहले से ही किया गया है जिसमें यह उल्लेख है कि वेस्टलैंड मालसूची तथा स्थिर परिसम्पतियों का मामला वर्ष 1993 से विधिक प्रक्रिया में है। इसी दौरान हमने अपने नए लेखांकन का उपयोग प्रारम्भ कर दिया है तथा वेस्टलैंड मालसूची का पार्ट वार विवरण नए उपयोग में लाए जा रहे सॉफ्टवेयर में अपडेट नहीं हुआ है। इसके अलावा, मालसूची तथा स्थिर परिसम्पतियों की वहन राशि के लिए बहियों में 100% प्रावधान किए गए हैं। तदनुसार, इससे चालू वर्ष के लाभ पर शून्य प्रभाव हुआ है तथा पूर्व वर्षों के लिए सकल लागत के प्रावधान 100% किए गए हैं,

34.81 लाख रुपए का मिलान अभी तक नहीं हो पाया है तथा इसके लिए कोई विवरण उपलब्ध नहीं किया गया है तथा इसके अलावा प्रबंधन द्वारा वेस्टलैंड मालसूची की ट्रेसेबिलिटी एवं भंडार प्रस्तुत नहीं की जा सकी है जो कि 2028.70 लाख रुपए की राशि की मालसूची में भिन्नता में प्रमुख कारण है। इसके परिणामस्वरूप परिसम्पतियों एवं लाभ/रिजर्व एवं अधिशेष में 2063.51 लाख रुपए की अत्युक्ति हुई है।	ऐसा करने से परिसम्पतियों एवं देयताओं पर कोई प्रभाव नहीं हुआ है। वेस्टलैंड हेलीकॉप्टरों की मालसूची के अलावा अन्य 34.81 लाख रुपए की मालसूची का समाधान प्रबंधन द्वारा किया जा रहा है।
ग) कम्पनी की लेखांकन नीति के अनुसार, एवियन टर्बाइन ईंधन की मालसूची का मूल्यन लागत पर (मूल्यांकन का आधार - भारित औसत विधि) अथवा एनआरवी पर, जो भी कम हो, किया जाना है। तथापि, कम्पनी द्वारा लेखांकन नीति में की व्यवस्था का उल्लंघन करके 16.64 लाख रुपए की अंत मालसूची का मूल्यन अंत दर के अनुसार किया है। आवश्यक डेटा उपलब्ध न होने के कारण, हम वित्तीय विवरणों पर इसके परिणामी प्रभाव का आकलन नहीं कर पा रहे हैं।	एटीएफ की अंत मालसूची का मूल्यांकन पूर्व व्यवहार के अनुसार एफआईएफओ आधार पर किया जाता है। कुल मालसूची के संदर्भ में एविएशन टर्बाइन फ्यूल की अंत मालसूची का मूल्य सामग्रीगत नहीं है। 31.03.2024 की स्थिति के अनुसार कुल मालसूची का मूल्य 5348.96 लाख रुपए है जबकि एटीएफ मालसूची का मूल्य 16.54 लाख रुपए है। वित्तीय विवरणों पर इससे कोई प्रभाव / नकारात्मक प्रभाव नहीं हुआ है। कम्पनी द्वारा एटीएफ मालसूची का मूल्यांकन करने की नीति की समीक्षा की जाएगी।
घ) उत्तरी क्षेत्र में प्रबंधन द्वारा मार्च 2024 में मालसूचियों का भौतिक सत्यापन किया गया था। भौतिक सत्यापन की रिपोर्ट की समीक्षा से यह देखने में आया है कि विभाग द्वारा 2.33 लाख रुपए मूल्य की 12 ऐसी अतिरिक्त वस्तुओं को संज्ञान में लिया गया है जो वित्तीय विवरणों में दी गई मालसूचियों की मात्रा से भिन्न थीं। तथापि, भौतिक सत्यापन रिपोर्ट में मूल्यों का पता न लगाए जा सकने के कारण इन विसंगतियों के मौद्रिक प्रभाव का लेखांकन उपचार नहीं किया जा सका है। इसके परिणामस्वरूप परिसम्पतियों तथा लाभ/रिजर्व एवं अधिशेष की न्यूनोक्ति हुई है।	भौतिक सत्यापन के दौरान 2.33 लाख रुपए की अतिरिक्त मदें ज्ञात हुई थी तथा प्रबंधन द्वारा इनका पुनः मिलान किया जा रहा है। तथापि, यह समग्र भंडार (उत्तरी क्षेत्र के निवल प्रावधान 668.50 लाख रुपए) की तुलना में महत्वपूर्ण नहीं है, मदों को यथोचित रूप में रिकार्डबद्ध किया गए हैं तथा समायोजन अगले वित्तीय वर्ष 2024-25 में किए गए हैं।
7) स्थिर परिसम्पतियों / मूल्यहास क) कम्पनी ने पूर्व वर्षों में वेस्टलैंड परिसंपत्तियों से संबंधित डब्ल्यूडीवी की स्थिर परिसंपत्तियों के लिए 869.33 लाख रुपए की राशि (6,011.82 लाख रुपए की सकल लागत, संचित मूल्यहास 5,142 लाख रुपए तथा ह्रासित मूल्य 869.33 लाख रुपए) के प्रावधान की स्वीकृति दी है। तथापि, यह राशि कम्पनी के स्थिर परिसम्पति रजिस्टर में ट्रेस नहीं की जा सकी है। इसके अलावा, प्रबंधन द्वारा उक्त राशि के लिए प्रासंगिक डब्ल्यूडीवी विवरण प्रदान नहीं किया जा सका है।	वेस्टलैंड बेड़े से संबंधित नोट का प्रकटीकरण उत्तरी क्षेत्र के लेखांकन नोट में पहले ही किया जा चुका है, जिसमें उल्लेख किया गया है कि वेस्टलैंड मालसूची तथा स्थितर परिसंपत्तियों से संबंधित मामला 1993 से न्यायाधीन है। इससे यह स्पष्ट है कि कंपनी ने 6,011.82 लाख रुपये की सकल लागत वाली परिसम्पतियों तथा 5,142.48 लाख रुपये के संगत मूल्यहास प्रावधान स्वीकृत किए हैं, जिसके परिणामस्वरूप शेष ह्रासित मूल्य (डब्ल्यूडीवी) 869.33 लाख रुपये है,

इसके परिणामस्वरूप, स्थिर परिसम्पतियों के प्रारम्भ शेष की सटीकता और पूर्णता विश्वसनीय नहीं है। इसके अलावा, कम्पनी की मालसूची में 501.37 लाख रुपए मूल्य के जीईएम मॉड्यूल शामिल हैं, जिनके लिए कम्पनी ने पूर्व वर्षों में जीईएम मॉड्यूल के प्रति 501.37 लाख रुपए के प्रावधान किए थे। तथापि, इसका कोई आधार/समर्थनकारी दस्तावेज़/स्पष्टीकरण प्रदान नहीं किया गया है। यह उपलब्ध न होने की स्थिति में, हम मालसूची के मूल्य/इसके प्रति किए गए प्रावधान की पर्याप्तता अथवा अपर्याप्तता पर टिप्पणी नहीं कर पा रहे हैं।	जिसके लिए वेस्टलैंड के लिए जीएल कोड 270520 के अंतर्गत प्रावधान 30 वर्ष से भी अधिक समय पूर्व किया गया था। इस प्रकार लाभ पर कोई प्रभाव नहीं हुआ है और सकल लागत के 100% प्रावधान किए गए हैं, इसलिए परिसम्पतियों एवं देयताओं पर कोई प्रभाव नहीं है।
ख) मूल्यहास प्रदान न किया जाना- कम्पनी ने उत्तरी क्षेत्र में हेलीकॉप्टरों के कुछ ऐसे घटकों पर मूल्यहास प्रभारित नहीं किया था, जिन घटकों का उपयोग काल अभी समाप्त नहीं हुआ था। इसके लिए लेखा बहियों में किसी प्रकार का स्पष्टीकरण/समायोजन नहीं किया गया है। इसके परिणामस्वरूप वर्ष से संबंधित व्यय / रिजर्व एवं अधिशेष की न्यूनोक्ति हुई है तथा परिसम्पतियों के संबंध में 28.44 लाख रुपए की राशि का अतिकथन हुआ है।	28.44 लाख रुपए की राशि का कोई ब्यौरा उपलब्ध नहीं करवाया गया है। तथापि, जैसा कि देखने में आया है कि कंपोनेट्स से संबंधित मूल्यहास की पुनः समीक्षा की जाएगी तथा परिणामी प्रविष्टियां वित्तीय वर्ष 2024-25 की बहियों में प्रभारित की जाएंगी।
ग) उत्तरी क्षेत्र में वित्तीय वर्ष 23-24 के दौरान किए गए स्थिर परिसम्पतियों के भौतिक सत्यापन में 586 मदों के भौतिक शेष तथा लेखा बही शेष के मध्य भिन्न प्रकाश में आई है तथा न्यूनता वाली संबंधित परिसम्पतियों के मूल्य के प्रति किसी की कोई संगत सम्बद्धता की प्रमात्रा नहीं आंकी जा सकी है जिससे लेखा बहियों में समायोजन नहीं किए जा सके हैं। इसके अलावा, कॉर्पोरेट कार्यालय तथा पश्चिम क्षेत्र में वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान भौतिक सत्यापन नहीं किया गया था। कॉर्पोरेट कार्यालय की परिसम्पतियों, संयंत्र एवं उपकरणों का अंतिम भौतिक सत्यापन अगस्त 2020 में किया गया था, जिससे अंतिम सत्यापन तीन वर्ष पूर्व किया गया था। वित्तीय वर्ष 2023-24 में भौतिक सत्यापन नहीं किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप परिसंपत्तियों की उपलब्धता/परिसंपत्तियों का सट्टा मूल्य तथा सत्यापन में उत्पन्न हो सकने वाली किसी भी विसंगति पर टिप्पणी नहीं की जा सकती है।	उत्तरी क्षेत्र में मदों की न्यूनता मुख्यतः एसी, कंप्यूटर, फ़र्नीचर और फ़िक्स्चर की है, जो आवश्यकतानुसार विभिन्न परिचालन बेसों में स्थानांतरित किए जाते हैं। भिन्नताओं की समीक्षा की जा रही है तथा यथोचित अनुमोदन प्रक्रिया से समाधान किए जाएंगे। परिणामी प्रविष्टियां लेखा बहियों में पारित की जाएंगी। इसके अतिरिक्त, वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान कॉर्पोरेट कार्यालय/उत्तरी क्षेत्र/पश्चिमी क्षेत्र की स्थित परिसम्पतियों का भौतिक सत्यापन एक स्वतंत्र एजेंसी द्वारा किया गया है। कंपनी द्वारा नीति का अनुसरण करके भौतिक सत्यापन किया जाएगा।

घ) स्थिर परिसम्पतियों के मूल्यहास में 5.23 लाख रुपए की राशि का मिलान न होने के अनेक मामले प्रकाश में आए हैं जिसके परिणामस्वरूप लेखा बहियों में मूल्यहास अधिक प्रभारित हुआ है। इन भिन्नताओं के संबंध में प्रबंधन ने कोई औचित्य या स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया है तथा न ही लेखा बहियों में इसके लिए किसी प्रकार का कोई समायोजन किया गया है। इसके परिणामस्वरूप संचयी मूल्यहास का अतिकथन हुआ है और साथ ही वर्ष में लाभ/आरक्षित एवं अधिशेष की इसी सीमा तक न्यूनोक्ति हुई है।	उत्तरी क्षेत्र, इंड एस में पारगमन के दौरान इंड एस नियमावली के अनुसार वहन मूल्य में अनुपालन योग्य वित्तीय, समायोजन किए गए थे जिसके कारण से कुछ मदों में भिन्नता उत्पन्न हुई है। मूल्यहास की गणना आटोमेटिड साफ्टवेयर के उपयोग तथा मैनुअल स्वरूप से मूल्यहास की गणना किया जाना संभव नहीं है।
ङ) वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान उत्तरी क्षेत्र में 11.11 लाख रुपए (सकल लागत) मूल्य की स्थिर परिसम्पतियों का निपटान किया गया है। इसके अलावा, स्थिर परिसम्पति निपटान की कार्य व्यवस्था में एमएसटीसी पोर्टल के माध्यम से बेची गई स्थिर परिसम्पतियां अचल संपत्ति निपटान प्रकट नहीं हो रहा है। उदाहरण के तौर पर, कुर्सियां, सोफा, पंखे आदि की मदों की बिक्री की गई थी परन्तु उन्हें निपटान गणना में शामिल नहीं किया गया था, जिससे संपत्ति निपटान की अपूर्ण और गलत रिपोर्टिंग हुई है। इससे निपटान की राशि का निर्धारण नहीं किया जा सका है तथा ऐसा न होने के कारण हम निपटान की गई परिसम्पतियों / शेष स्थिर परिसम्पतियों के मूल्यन की सत्यता पर किसी प्रकार की टिप्पणी नहीं कर सकते हैं।	कुर्सियों, सोफ़ा, पंखों सहित स्थिर परिसम्पतियों का बहियों में बट्टा लेखन उसी वर्ष बहियों में किया जाता है जिस वर्ष में प्रबंधन द्वारा अनुमोदन दिए गए हैं। स्थिर परिसम्पतियों की निपटान वर्किंग अनुमोदन के आधार पर तैयार की गई है। यह पूर्व वर्षों में व्यवहार में लाए गए व्यवहारों के अनुरूप हैं। अनुमोदन के बाद, परिसम्पतियों को सूचीबद्ध किया जाता है तथा उनकी नीलामी एमएसटीसी पोर्टल के माध्यम से की जाती है तथा प्रतिफल की प्राप्त के पश्चात स्क्रेप बिक्री का लेखांकन लेखा बहियों में किया जाता है।
च) कम्पनी ने वित्तीय वर्ष 23'24 के दौरान 11.11 लाख रुपए की राशि की स्थिर परिसम्पतियों का निपटान किया है। तथापि, प्राप्त सूचना एवं प्रबंधन द्वारा उपलब्ध करवाए गए दस्तावेजों के अनुसार ये परिसम्पतियां वास्तव में वित्तीय वर्ष 24-25 में बिक्री की गई हैं। यह निपटान वित्तीय विवरणों में मात्र इस आधार पर प्रभारित किया गया था कि इसके अनुमोदन की प्रक्रिया प्रबंधन द्वारा (वित्तीय वर्ष 23-24) में की गई थी जबकि यह स्थिर परिसम्पति की बिक्री के वर्ष (वित्तीय वर्ष 24-26) में की जानी चाहिए थी। निपटान की इस अपरिपक्व स्वीकृति के परिणामस्वरूप व्ययों की अत्योक्ति हुई है तथा स्थिर परिसम्पतियों / रिजर्व एवं अधिशेष में 11.06 लाख रुपए की राशि की न्यूनोक्ति हुई है।	उत्तरी क्षेत्र में प्रबंधन से अनुमोदन प्राप्ति के पश्चात परिसम्पतियों का निपटान किया जाता है, निपटान की जाने वाली परिसम्पतियों की डब्ल्यूडीवी उसी वर्ष में प्रभारित की जाती है। निपटान के प्रति प्राप्त होने वाली राशि का लेखांकन आय के रूप में किया जाता है।

छ) कम्पनी द्वारा प्रतिफल की प्राप्ति के लिए अन्य परिसम्पतियों के अलावा 2.33 लाख रुपए के सकल मूल्य डब्ल्यूडीवी 0.33 लाख रुपए की एक कार (मारुति एसएक्स 4 794) की बिक्री किए जाने की सूचना दी है। उक्त वाहन के निपटान, कबाड़ के रूप में अथवा किसी प्रतिफल के रूप में किए जाने, से संबंधित कोई अनुमोदन को प्रमाणित करने वाला कोई समर्थित दस्तावेज उपलब्ध नहीं करवाया गया है। प्रमाण प्रस्तुत न किए जाने के कारण हम सत्यापन तथा उक्त कार की बिक्री की उपयुक्तता / हानि के बारे में कोई टिप्पणी नहीं कर पा रहे हैं। इस विसंगति के परिणामस्वरूप परिसम्पतियों की 2.33 लाख रुपए की न्यूनोक्ति हुई है, संचित मूल्यहास / रिजर्व एवं अधिशेष के लिए 2.00 लाख रुपए तथा 0.33 लाख रुपए की क्रमशः न्यूनोक्ति तथा वर्ष के दौरान 0.33 लाख रुपए के व्यय का अतिकथन हुआ है।	मारुती एसएक्स4 794 का निपटान का अनुमोदन चूंकि वित्तीय वर्ष 2023-24 में प्राप्त हुआ था अतः परिसम्पति का बढ़ा लेखन बहियों में स्क्रेप के रूप में किया गया है। इसके पश्चात, इस कार का स्क्रेप वस्तुतः वित्तीय वर्ष 2024-25 में बिक्री किया गया था तथा इसके प्रति प्राप्त राशि को आय माना गया है।
ज) कम्पनी ने अवस्थांतरण की तिथि यथा अप्रैल, 2015 को संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की मानित लागत का उपयोग वहन मूल्य के रूप में किया गया है। पश्चिमी क्षेत्र द्वारा प्रत्येक डॉफिन एन3 हेलीकॉप्टर के लिए 40 लाख रुपए और प्रत्येक डॉफिन एन हेलीकॉप्टर के लिए 60 लाख रुपए के अंतर्निहित अनुरक्षण को विचार में लिया गया है। इस तरह के निर्धारण का आधार उचित नहीं माना जा सकता है तथा इस प्रकार, इंड एस वित्तीय विवरणों पर इससे होने वाले प्रभाव की प्रमात्रा का निर्धारण नहीं किया जा सकता है।	अंतर्निहित लागत के मामले में, अंतर्निहित अनुरक्षण लागत ट्रांजिशन की तिथि से प्रत्येक डॉफिन एन3 हेलीकॉप्टर के लिए 40 लाख रुपये और प्रत्येक डॉफिन एन हेलीकॉप्टर के लिए 60 लाख रुपये मानी गई है। तदनुसार, 1 डॉफिन एन और 6 डॉफिन एन3 हेलीकॉप्टरों की अंतर्निहित अनुरक्षण लागत के अनुसार मूल्यहास किया गया है। इसका मूल्यहास पूरी तरह से हो चुका था। ट्रांजिशन अवधि के बाद, अंतर्निहित लागत का पूंजीयन वास्तविक व्यय के अनुसार व्यय की अवधि में किया जाता है।
झ) कम्पनी द्वारा अवस्था परिवर्तन प्रावधानों तथा इंड एस की उपयोग्यता के उद्देश्य से 1 अप्रैल, 2015 की स्थिति के अनुसार अपनी स्थिर परिसम्पति घटकों का पुनर्मूल्यांकन किया गया था। तथापि, यह देखने में आया है कि हमारे द्वारा की गई मूल्यहास गणना, जो परिसम्पति का क्रय किए जाने की तिथि से माह की संख्या पर आधारित थी, प्रबंधन द्वारा उपलब्ध करवाए गए ह्रासित मूल्य (डब्ल्यूडीवी) से मेल नहीं खाती है। इसी के साथ साथ यह देखने में आया है कि असंगतियों के लिए कोई मूल्यांकन रिपोर्ट अथवा समर्थित औचित्यपरकता उपलब्ध नहीं करवाई गई है। हमारी समीक्षा में हमने 595.76 लाख रुपए की महत्वपूर्ण भिन्नताओं की पहचान की है जिसके परिणामस्वरूप परिसम्पति तथा लाभ/रिजर्व एवं अधिशेष में 597.76 लाख रुपए की न्यूनोक्ति हुई है।	1 अप्रैल 2015 की स्थिति के अनुसार स्थिर परिसम्पतियों का पुनः मूल्यन कम्पनी द्वारा ट्रांजिशनल प्रावधान के उद्देश्य से तथा इंड एस के उपयोग्यता के अनुसार नहीं किया गया है। घटक लेखांकन के संबंध में इंड एस की अपेक्षाओं के अनुसार हेलीकॉप्टरों के प्रमुख घटक हेलीकॉप्टर की कुल लागत में से अलग किए गए थे। तदनुसार, परिसम्पतियों / रिजर्व में किसी प्रकार की न्यूनोक्ति / अतिकथन नहीं हुआ है।

ज) मूल्यहास के लिए घटक लेखांकन के संबंध में पश्चिमी क्षेत्र द्वारा मुख्य गियर बॉक्स (एमजीबी) तथा इंजन के अलावा सभी ज्ञात घटकों के लिए संक्रमण तिथि (1 अप्रैल, 2015) तक शून्य उड़ान घंटे विचार में लिए गए हैं, जबकि ये घटक पूंजीयन की तिथि से उपयोग में लाए जा रहे हैं। हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार संक्रमण की तिथि यथा 1 अप्रैल, 2015 से वास्तविक उड़ान घंटों का निर्धारण नहीं किया जा सकता है तथा इसके परिणामस्वरूप इससे वित्तीय विवरणों पर होने वाले प्रभाव की प्रमात्रा आंकी नहीं जा सकती है।	घटक लेखांकन के लिए मूल्यहास की गणना करते समय पवन हंस लिमिटेड द्वारा ट्रांजिशन की तिथि अर्थात एमजीबी, इंजनों तथा सन्नहित के लिए 1 अप्रैल 2015 को शून्य उड़ान घंटे विचार में लिए जाते हैं। कम्पनी द्वारा एमजीबी तथा इंजनों के संबंध में क्रमशः वित्तीय वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 के लिए ट्रांजिशन की अवधि अर्थात 1 अप्रैल, 2015 से आगे के लिए वास्तविक उड़ान घंटों के अनुसार संशोधित मूल्यहास किए जा चुके हैं।
ट) उत्तरी क्षेत्र में 182.77 लाख रुपए मूल्य की अमूर्त परिसम्पतियों के लिए 100% मूल्यहास प्रभारित किया गया है। तथापि, प्रबंधन द्वारा इसके लिए एफएआर में ट्रेसबिलिटी प्रदान नहीं की गई है।	अमूर्त परिसम्पतियों के संबंध में उपर्युक्त उपचार इंड एस में पारगमन की प्रक्रिया के अनुसार किया गया है। उपर्युक्त से ऐसा माना गया है कि परिसम्पति का मूल्यहास भी पूरी तरह से हो चुका है। इस प्रकार लाभ / हानि तथा परिसम्पति एवं देयता पर कोई प्रभाव नहीं है।
ठ) 31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार विदेशी पक्षकारों के पास 13,181.37 रुपए (निवल शेष) मूल्य के रोटेबल्स रखे गए हैं जिनके संबंध में कोई पुष्टि उपलब्ध नहीं कराई गई है। शेष की पुष्टि उपलब्ध न होने तथा हमें दी गई सूचना सीमित होने के कारण हम शेष की पुष्टि के संबंध में उत्पन्न होने वाले प्रभाव के परिमाण, यदि कोई हो, का निर्धारण नहीं कर सकते हैं।	विदेश में रखे स्टॉक की पुष्टियां मरम्मतकर्ता एजेंसियों से मांगी गई थी। कुछ पुष्टियां प्राप्त हुई थी तथा शेष के संबंध में मरम्मतकर्ता एजेंसियों के साथ आवश्यक फॉलोअप किया जा रहा है।
8) चेक इन ट्रांजिट - वर्ष के दौरान, "चेक इन ट्रांजिट" लेखे के अंतर्गत 529.16 लाख रुपए को संज्ञान में लिया गया है जो पिछले अनेक वर्षों से सम्मुख प्रस्तुत है परन्तु जिसका समायोजन नहीं हुआ है। प्रबंधन ने इन प्रविष्टियों के लिए सुधारात्मक उपाय किए गए थे। तथापि, बैंक खाते के माध्यम से इन संव्यवहार को रिवर्स करके विसंगतियों का एक महत्वपूर्ण भाग दूर किया गया था जिससे बैंक खातों का समाधान प्रभावित हुआ है। प्रबंधन ने स्पष्ट किया है कि ये प्रविष्टियां पूर्व वित्तीय वर्षों में उत्पन्न हुई थीं और उचित पुष्टिकरण साक्ष्य के बिना दर्ज की गई थीं। रिपोर्टिंग तिथि तक, प्रभावित बैंक खातों के लिए कोई समाधान विवरण उपलब्ध नहीं कराया गया है। इसके परिणामस्वरूप, लेखा बहियों में दर्शाए गए इन बैंक शेषों की सटीकता और विश्वसनीयता सत्यापित नहीं की जा सकती है।	उत्तरी क्षेत्र में लेखांकन प्रविष्टि से संबंधित प्रमुख मामले लेखा बहियों के पुरानी मदों के शेष से उत्पन्न होते हैं। वर्ष के दौरान इन पुरानी मदों को क्लीयर करने के लिए सुधार प्रविष्टियां वर्ष के दौरान की गई हैं। बैंक विवरणों का मिलान लेखा बहियों से करके आवश्यक अंतिम समायोजन किए जा रहे हैं।

9) कम्पनी द्वारा कार्यकारी एवं गैर-कार्यकारी कर्मचारियों, जिनमें संविदारत एवं नियमित कर्मचारी भी शामिल हैं, के संबंध में पूर्व वर्षों में 577.34 लाख रुपए के प्रावधान वर्ष 2019 से पूर्व प्रभाव से प्रभावी वेतन वृद्धि के लिए किए गए थे। तथापि, कम्पनी द्वारा उक्त राशि में से 197.38 लाख रुपए की राशि के लिए किए गए प्रावधानों का आधार प्रस्तुत नहीं किया जा सका है तथा यह उपलब्ध न होने के कारण हम किए गए प्रावधानों की पर्याप्तता के संबंध में कोई टिप्पणी नहीं कर पा रहे हैं।	उत्तरी क्षेत्र में, यह राशि कार्यकारी और गैर-कार्यकारी, दोनों, कर्मचारियों के वेतन संशोधन लाभों से संबंधित प्रावधान से संबंधित है। यह राशि अप्रैल-24 तक देय 382.00 लाख रुपये के रूप में दर्शाई गई है और गैर-कार्यकारी संविदा कर्मचारियों के बकाया को छोड़कर अन्य सभी बकाया राशि का भुगतान कर दिया गया है। गैर-कार्यकारी संविदा कर्मचारियों के बकाया का भुगतान मई-24 में किया गया है तथा अधिशेष के रूप में उत्पन्न परिणामी प्रविष्टि को वित्त वर्ष 2024-25 में प्रभारित किया जाएगा।
10) कम्पनी ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के संबंध में संदेहास्पद व्यापार प्राप्यों के लिए 7,242.21 लाख रुपए के प्रावधान किए थे। तथापि, प्रबंधन द्वारा एक स्वतंत्र तृतीय पक्ष के माध्यम से किए गए अपेक्षित ऋण हानि (ईसीएल) आकलन के आधार पर, किए जाने वाले आवश्यक प्रावधान की राशि 7,261.60 लाख रुपए थी। इस विसंगति के परिणामस्वरूप संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान की न्यूनोक्ति हुई है और साथ ही इसी के अनुरूप लाभ / रिजर्व एवं अधिशेष को 19.39 लाख रुपए अधिक दिखाया गया है जो कि पिछले वर्ष से दिखाया जा रहा है। इसके अलावा, प्रावधान मैट्रिक्स के आधार तथा ऐसी नीतियां हमें प्रबंधन द्वारा सत्यापन के लिए उपलब्ध नहीं करवाई गई हैं जिनके आधार पर लेखा प्रावधान किए गए हैं।	उत्तरी क्षेत्र में ये प्रावधान वित्तीय वर्ष 2023-24 में स्वतंत्र तृतीय पार्टी के माध्यम से प्रबंधन द्वारा आकलन की गई संभावित क्रेडिट हानि (ईसीएल) के आधार पर प्रभारित किए गए थे। प्रावधान की न्यूनोक्ति रोहिणी हेलीपोर्ट लिमिटेड के पूर्व वर्षों के देनदारों से संबंधित है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में आवश्यक समायोजन प्रविष्टि की जाएगी। तृतीय पार्टी द्वारा जारी विस्तृत रिपोर्ट लेखापरीक्षकों को समीक्षा के लिए प्रस्तुत की गई है।
11) कम्पनी ने पूर्व सामग्रीगत चूकों में सुधार के लिए वित्तीय वर्ष 2023-24 के वित्तीय विवरणों में पुनर्कथन किया है। तथापि, संज्ञान में आई कुछ पूर्वावधि आय का समायोजन वर्ष के दौरान नहीं किया गया जिसकी राशि 207.35 लाख रुपए है, जिसके कारण देनदारों की अत्योक्ति हुई है तथा चालू वर्ष के लाभ को अधिक दर्शाया गया है और पूर्व वर्ष के लाभ की न्यूनोक्ति हुई है। इसके अलावा, उत्तरी क्षेत्र में, 211.66 लाख रुपए की राशि को व्यापार देयताओं, विशेष रूप से एमएसएमई श्रेणी के अंतर्गत, का वर्गीकरण सम्बद्ध सही शीर्षों में करने के स्थान पर गलत विधि से किया गया है। इस गलत वर्गीकरण से व्यापार देयताओं के सही और निष्पक्ष प्रस्तुतीकरण प्रभावित हुआ है तथा इसके परिणामस्वरूप अन्य देनदारियों को कम या अधिक दर्शाया जा सकता है। इसके अलावा, इससे एमएसएमई देय राशि से संबंधित ब्याज प्रकटीकरण की सटीकता के बारे में प्रश्न उत्पन्न होते हैं।	उत्तरी क्षेत्र में, इस राशि का चूकवश वर्गीकरण एमएसएमई वर्ग के लिए किया गया है जबकि यह अन्य व्यापार देय से संबंधित है। इससे वित्तीय विवरणों पर कोई प्रभाव नहीं हुआ है। वित्तीय वर्ष 2024-25 आवश्यक पुनर्विवरण तैयार किए जाएंगे।

12) कम्पनी द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 10,257.59 लाख रुपए की राशि आस्थगित कर देयता (निवल) में स्वीकृत की गई है। तथापि, अंतर्निहित गणनाओं का सत्यापन करने पर यह देखने में आया है कि कम्पनी ने कर्मचारी लाभ के प्रावधान के लिए गलत कर दर का उपयोग किया था। इस त्रुटि के परिणामस्वरूप आस्थगित कर देयता 121.45 लाख रुपए अधिक दर्शाई गई है। इसके अतिरिक्त, आयकर पर मूल्यहास की गणना करते समय, मालसूची बिक्री से संबंधित 4.67 लाख रुपए की राशि को गलती से स्थिर परिसम्पत्तियों की बिक्री के अंतर्गत शामिल कर दिया गया था। इसके अलावा, उत्तरी क्षेत्र की अनेक स्थिर परिसम्पत्तियों की खरीद को "180 दिनों से कम" और "180 दिनों से अधिक" श्रेणियों के अंतर्गत परस्पर गलत तरीके से वर्गीकृत किया गया था जिससे परिणामस्वरूप गलत मूल्यहास/कर की गणना हुई है। गलत गणना के कारण, वर्ष के लिए देयता और व्यय की अव्योक्ति तथा आरक्षित एवं अधिशेष राशि की समान सीमा तक न्यूनोक्ति हुई है।	चूकवश कर्मचारी लाभों के आयकर अधिनियम के अंतर्गत मूल्यहास की गणना के लिए आयकर की दर 33.384% के स्थान पर 31.20% विचार में ली गई है। कम्पनी द्वारा आयकर विवरण प्रस्तुत करते समय मूल्यहास चार्ट को सही कर दिया जाएगा।
13) कम्पनी द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 300.00 लाख रुपए के आयकर प्रावधान किए गए हैं। तथापि, इससे संबंधित गणना का सत्यापन करने पर यह देखने में आया है कि कम्पनी द्वारा वित्त वर्ष 23-24 के लिए बीमांकिक के अनुसार प्रावधान की राशि (203.79 लाख रुपये) तथा पूंजी परिसंपत्तियों पर विनिमय दर में उतार-चढ़ाव (24.82 लाख रुपये) को गलत विधि से लिया गया है, जिसके परिणामस्वरूप करों/व्ययों के लिए किए गए प्रावधान की अव्योक्ति तथा आरक्षित निधि एवं अधिशेष की 77.09 लाख रुपए की न्यूनोक्ति हुई है।	वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए कम्पनी ने 300 लाख रुपए की कर राशि के प्रावधान किए हैं। इस संबंध में उनकी टीम के साथ चर्चा की गई थी तथा उन्हें दिनांक 25.4.2025 की ईमेल के माध्यम से समर्थित दस्तावेज भेजे गए थे। निर्मित प्रावधानों अथवा लाभ एवं हानि खाते में किए गए नामे से यह देखा जा सकता है कि कम्पनी ने करयोग्य आय के आकलन के लिए वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान 994.32 लाख रुपए की राशि के निर्मित प्रावधान सही जोड़े गए हैं जो चालू वर्ष के लिए पायलटों तथा एएमई से संबंधित हैं। इसके अलावा, कम्पनी ने विनिमय दर में उतार चढ़ाव के कारण 12.41 लाख रुपए की राशि के पूंजी व्यय के राजस्व तथा 51.37 लाख रुपए की राशि की पूंजी मदों के राजस्व, जिसका कुल योग 63.78 लाख रुपए है, का सही दावा किया गया है। इसकी सूचना लेखापरीक्षा टीम को दिनांक 25.04.2025 की मेल के माध्यम से दी गई थी। इस प्रकार, लेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षा रिपोर्ट की मद संख्या 13 के अंतर्गत रिपोर्ट किया गया प्रेक्षण सही नहीं है।

14) व्यापार प्राप्य, व्यापार देय, दीर्घकालिक और अल्पकालिक देयताओं, अन्य चालू देयताओं, दीर्घकालिक एवं अल्पकालिक ऋण तथा अग्रिम, और जमा राशि के संबंध में, पवन हंस की विलयन समाप्त हुई यूनिट यथा रोहिणी हेलीपोर्ट सहित 184.01 लाख रुपए की शेष राशि की बाह्य पुष्टि वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए उपलब्ध नहीं की गई है। व्यापार प्राप्य पर संभावित क्रेडिट हानि पद्धति के आधार पर यद्यपि प्रावधान किए गए हैं, तथापि शेष राशि की पुष्टि की अनुपलब्धता तथा हमारे पास उपलब्ध सीमित सूचना के कारण, हम भारतीय लेखांकन मानक (इंड एस) वित्तीय विवरणों पर शेष राशि की पुष्टि से उत्पन्न होने वाले प्रभाव, यदि कोई हो, का आकलन नहीं कर सकते हैं।	लेखा परीक्षक द्वारा की गई अपेक्षा के अनुसार, बाह्य पुष्टि विधिवत भेजी गई थी तथा उसकी पावती लेखा परीक्षक को प्रस्तुत की गई है और इनमें से कुछ पुष्टियां पार्टियों से प्राप्त हुई हैं। पुष्टि में देरी इस तथ्य के कारण हो रही है कि अधिकांश पार्टियां इंटर-स्टेट अथवा सरकारी पार्टियां हैं। यह प्रस्तुत है कि शेष राशि की पुष्टियां प्राप्त करना आवधिक एवं आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के अंतर्गत की जाने वाली एक निरंतर प्रक्रिया है।
15) भविष्य निधि का अंशदान ट्रस्ट को किए जाने में 6 माह की देरी हुई है, जिसके कारण विलंब की अवधि के लिए ब्याज लगाया गया है। तथापि, 48.43 लाख रुपए की संबंधित ब्याज देयता का लेखा-जोखा बहियों में नहीं दिया गया है। इसके परिणामस्वरूप वर्ष/आरक्षित एवं अधिशेष के लिए लाभ की न्यूनोक्ति हुई है तथा देयताओं की अतियोक्ति हुई है।	हमारे प्रमुख ग्राहक राज्य सरकारें / संघ शासित प्रदेश हैं तथा उनके द्वारा भुगतान तब किया जाता है जब बजट उपलब्ध होता है। ग्राहकों से निधियों की प्राप्ति में देरी होने के कारण कभी कभी ट्रस्ट को भविष्य निधि का अंशदान जमा करने में देरी होती है।
16) लेखा बहियों के रिकार्ड के अनुसार चालू वर्ष के संबंध में प्राप्त टीडीएस का पार्टी-वार समाधान फॉर्म 26एएस के साथ मेल नहीं होता है। इसके परिणामस्वरूप, लेखा बहियों में 4.60 लाख रुपए का टीडीएस कम प्रभारित हुआ है तथा 9.13 लाख रुपए का टीडीएस अधिक प्रभारित हुआ है। ऐसा होने से प्राप्त प्राप्य टीडीएस की अत्योक्ति हुई है तथा देनदार शेष के लिए 4.53 लाख रुपए की राशि की न्यूनोक्ति हुई है। टीडीएस समायोजन के लिए "डब्ल्यूआर/एनआर - टीडीएस" के अंतर्गत बहियों में 5.30 लाख रुपए की लेखा प्रविष्टि प्रभारित की गई थी; तथापि, इस प्रविष्टि से अंतर्निहित पार्टी-वार शेष में सुधार नहीं होता है। इनके परिणामस्वरूप, वित्तीय विवरणों में प्राप्त टीडीएस तथा देनदार शेष की सटीकता और विश्वसनीयता प्रभावित हुई है।	पार्टी वार टीडीएस क्रेडिट का मिलान फार्म 26एएस में उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार तैयार किया गया है तथा लेखापरीक्षा के प्रथम चरण यथा सितम्बर/अक्तूबर 2024 में काफी समय पूर्व तथा इसके पश्चात मार्च 2025 में दूसरे चरण में लेखापरीक्षकों को सौंप दिया गया था। कॉर्पोरेट कार्यालय की बहियों में दर्ज टीडीएस राशि का विवरण जर्नल वाउचर के साथ दिनांक 18.04.2025 को लेखा परीक्षक को सौंप दिया गया था तथा उन्हें 25/04/2025 को मेल के माध्यम से भी सूचित भी किया गया था। क्षेत्र ने 4.60 लाख रुपये का टीडीएस की शार्टबुकिंग तथा 9.13 लाख रुपये का अतिरिक्त टीडीएस प्रभारित किया है। 5.30 लाख रुपये का शुद्ध प्रभाव वसूली योग्य टीडीएस/टीसीएस के अंतर्गत दिखाया गया है। यहां यह उल्लेख करना उचित होगा कि कंपनी द्वारा टीडीएस/टीसीएस राशि दर्ज कर ली गई है तथा वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए अपने आईटीआर में इसका दावा कर दिया है तथा प्रविष्टियों का प्रभाव चालू वर्ष अर्थात 2023-24 में प्रविष्टियों के समापन को ध्यान में रखते हुए अगले वर्ष अर्थात वित्त वर्ष 2024-25 में लिया गया है।

17)	व्यावसायिक कर – उत्तरी क्षेत्र की लेखा बहियों में व्यावसायिक कर के लिए 1.32 लाख रुपए की अथ नामे शेष राशि दर्शाई गई है जिसका कोई विवरण उपलब्ध नहीं है। विवरण न होने के कारण हम उक्त शेष राशि की सत्यता/वसूलीयोग्यता के बारे में कोई टिप्पणी नहीं कर सकते हैं।	उत्तरी क्षेत्र में व्यावसायिक कर जीएल लेखा में 01.04.2023 की स्थिति के अनुसार 0.61 लाख रुपए का क्रेडिट के रूप में अथ शेष है। नामे शेष मुख्यतः जीएल के अंतर्गत अधीनस्थ शीर्षों में दर्शाए गए हैं। 31.03.2024 की स्थिति के अनुसार चुकता किए जाने वाला कुल क्रेडिट बकाया 1.06 लाख रुपए है। इसका भुगतान मिलान के पश्चात आगामी वित्तीय वर्ष में किया जाएगा।
18)	भविष्य निधि की कटौती न करना – यह देखा गया कि संगठन से सेवा त्याग करने वाले कुछ कर्मचारियों के देय के निपटान की देय वेतन खाते की राशि सीधे बैंक के माध्यम से चुकता की जाती है जिसके कारण से प्रबंधन द्वारा सेवा त्याग करने वाले कर्मचारियों के वेतन में से भविष्य निधि की राशि की कटौती नहीं की जाती है। प्रबंधन द्वारा केवल लेखापरीक्षा के अंतिमकरण के समय त्यागपत्र देने वाले कर्मचारियों की सूची ही उपलब्ध करवाई गई थी तथा इस प्रकार इसका सत्यापन नहीं किया जा सका था। इसे ध्यान में रखते हुए कटौती न की गई भविष्य निधि की इस राशि की प्रमात्रा का निर्धारण नहीं किया जा सकता है।	उत्तरी क्षेत्र में कुल 4 मामले संज्ञान में आए हैं तथा इसका कुल प्रभाव 0.17 लाख रुपए है। ऐसे मामलों के लिए अंतिम निपटान तथा भविष्य निधि निपटान चूंकि किया जा चुका है अतः भविष्य निधि से संबंधित अनुपालन भावी मामलों के लिए किए जाने का सुनिश्चय किया जाएगा। यह राशि महत्वपूर्ण नहीं है तथा भविष्य निधि अनुपालनों का सुनिश्चय किया जाता है।
19)	उत्तरी क्षेत्र की लेखा बहियों में संगठन से सेवा त्याग करने वाले कर्मचारियों को देय राशि के रूप में 6.45 लाख रुपए की राशि जमा है। तथापि, बकाया राशि का विवरण हमें उपलब्ध नहीं कराया गया है। ऐसी स्थिति में राशि की प्रामाणिकता या शुद्धता पर टिप्पणी नहीं की जा सकती।	ये काफी पुराने शेष हैं तथा राशि का भुगतान संबंधित कर्मचारियों को एनओसी प्राप्त होने पर तथा उनके संबंध में अंतिम निपटान के समय किया जाएगा।
20)	एनटीपीसी से 4.66 लाख रुपए की राशि प्राप्य दर्शाई गई है तथा इसका कोई विवरण उपलब्ध नहीं है। प्रबंधन द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, एनटीपीसी से संबंधित सभी अनुबंध अब तक समाप्त हो चुके हैं और सभी भुगतान/प्राप्तियों का निपटान कर दिया गया है, फिर भी शेष राशि लेखा बहियों में बकाया है, जिसका कोई औचित्य नहीं दिया गया है तथा इसके परिणामस्वरूप परिसम्पत्तियों के बारे में अतिकथन हुआ है तथा वर्ष के दौरान / रिजर्व एवं अधिशेष को 4.66 लाख रुपए अधिक दर्शाया गया है।	इसे वित्तीय वर्ष 2023-24 की आय में नहीं दर्शाया गया है। प्राप्य की इस प्रविष्टि की समीक्षा की जा रही है तथा वित्तीय वर्ष 2024-25 में सुधार प्रविष्टि की जाएगी। वित्तीय विवरणों के लिए यह राशि महत्वपूर्ण नहीं है।
21)	उत्तरी क्षेत्र में प्रबंधन द्वारा आरसीएस टिकट बिक्री के संबंध में राजस्व समाधान तैयार नहीं किए गए हैं। हमारे सत्यापन और हमें प्रदान की गई जानकारी तथा दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, 3.08 लाख रुपए का अतिरिक्त राजस्व प्रभारित किया गया है। इससे वर्ष के संबंध में राजस्व एवं लाभ / रिजर्व तथा अधिशेष का अतिकथन तथा बैंक शेष का भी समान राशि के लिए अतिकथन हुआ है।	राजस्व का लेखांकन बैंक खाते में प्राप्ति के आधार पर किया गया है। कुछ मामलों में सेवाओं का उपयोग न करने के कारण से धनवापसियां की जानी अपेक्षित थी। इसके अलावा, टिकट बिक्री के मिलान की प्रक्रिया की जा रही है। वित्तीय विवरणों के लिए यह राशि महत्वपूर्ण नहीं है।

22) कम्पनी द्वारा पट्टा देयताओं तथा उपयोग अधिकार वाली परिसम्पत्तियों की गणना के लिए लीज़ देनदारियों और उपयोग के अधिकार वाली संपत्ति की गणना के लिए क्रमिक ऋण दर को विचार में नहीं लिया है। कम्पनी द्वारा अपनाई गई यह लेखांकन पद्धति न तो लेखांकन नीति के अनुरूप है और न ही यह भारतीय लेखा मानक 116 'पट्टों' के अनुसरण में है। सूचना उपलब्ध न होने के कारण हम इसके प्रभाव की प्रमात्रा का निर्धारण नहीं कर पा रहे हैं तथा इसके अलावा, उत्तरी क्षेत्र ने पट्टा देयता के प्रभाव का सही ढंग से लेखा-जोखा नहीं किया है, जिसके परिणामस्वरूप उपयोग अधिकार परिसंपत्तियों (आरओयू) को 0.66 लाख रुपए कम दर्शाया गया है, पट्टा देयताओं के लिए 1.22 लाख रुपए का और मूल्यहास प्रावधान को 0.77 लाख रुपए का अतिकथन किया गया है जिसकी संचयी राशि 2.64 लाख रुपए है।	इंड एस 116 के अंतर्गत पट्टा देयताओं में छूट के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली दर या तो अंतर्निहित ब्याज दर होती है अथवा आवृत्ति ऋण दर होती है। यहां अंतर्निहित दर का उपयोग पट्टा देयता से ब्याज की अनवाइडिंग के लिए किया गया है।
23) वित्तीय विवरणों में हमारा ध्यान पिछले वित्तीय वर्ष में 1.04 लाख रुपए के "प्रारंभिक एसओसीई समायोजन" की ओर आकर्षित हुआ है। तथापि, प्रबंधन द्वारा इस समायोजन के लिए कोई सहायक दस्तावेज़ उपलब्ध नहीं कराया गया है। इस समायोजन के लिए पर्याप्त स्पष्टीकरण अथवा आधार न दिए जाने के कारण हम इस समायोजन की उपयुक्तता और सटीकता का आकलन नहीं कर सकते हैं।	यह राशि विशेषतः अथ रिजर्व में भिन्नता के लिए दर्शाई गई है तथा इसका मिलान किया जा रहा है तथा परिणामी प्रविष्टि चालू वर्ष 2024-25 में प्रभारित की जाएगी।
24) पश्चिमी क्षेत्र में भारतीय लेखांकन मानक 37 - प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक संपत्तियां का अनुपालन दुर्भर अनुबंधों के लिए कोई प्रावधान स्वीकृत न होने के कारण नहीं किया गया है जबकि यह संकेत उपलब्ध होते हुए भी कि संविदागत दायित्व अनुबंध के काल के दौरान प्राप्त होने संभावित आर्थिक लाभों से अधिक हैं। इसके अलावा, इस क्षेत्र में लागत केंद्रों की परिभाषित प्रणाली नहीं है तथा वैयक्तिक ग्राहक अनुबंधों के स्तर पर वास्तविक बनाम बजटीय राजस्व का तुलनात्मक विश्लेषण नहीं किया जाता है। ऐसी प्रणालियों तथा ऐसे निर्धारण उपलब्ध होने के कारण से दुर्भर अनुबंधों तथा उनके सम्बद्ध प्रावधानों का इंड एस वित्तीय विवरणों पर होने वाले संभावित प्रभाव की प्रमात्रा आंकी नहीं जा सकती है।	वर्तमान में कम्पनी लाभदेयता विवरण लागत केन्द्र वार के संबंध में मैनुअल स्वरूप में तैयार कर रही है। कम्पनी द्वारा सिस्टम को अपडेट करने की प्रक्रिया की जा रही है जिससे लागत केन्द्र वार लाभदेयता ज्ञात की जा सकेगी तथा इसकी तुलना अनुमोदित बजट के साथ की जा सकेगी।

25) हमारा ध्यान वित्तीय विवरणों की समीक्षा के दौरान तुलन पत्र के निम्नलिखित शीर्षकों में पाई गई कुछ विसंगतियों की ओर आकर्षित हुआ है (आंकड़े गलत दर्शाए गए)।

वित्तीय वर्ष 2023-24 के संबंध में

(रुपए लाख में)

शीर्षक	उप शीर्षक	उप-उप शीर्षक	सही आंकड़े	प्रकटीकरण किए गए आंकड़े
गैर-चालू परिसम्पत्तियां	ऋण	कर्मचारियों को ऋण – अप्रतिभूत	52.49	38.49
चालू परिसम्पत्तियां	नकदी एवं नकदी समतुल्य	उपलब्ध नकदी	6.52	6.60
चालू परिसम्पत्तियां	व्यापार देय	संदेहास्पद नामे / संभावित क्रेडिट हानियों के लिए भत्ता	11,760.08	11,740.69
गैर – चालू देयताएं	अन्य वित्तीय देयताएं	पट्टा देयताएं	8,729.82	8,735.63
चालू देयताएं	अन्य वित्तीय देयताएं	पट्टा देयताएं	2,797.36	2,791.53

यह मामला वित्तीय विवरणों के विभिन्न नोट्स के अंतर्गत परिसम्पत्तियों / देयताओं के शीर्ष के वर्गीकरण से संबंधित है। तथापि इससे कोई वित्तीय प्रभाव नहीं है तथा भविष्य में अनुपालन के लिए इसे नोट कर लिया गया है।

वित्तीय वर्ष 2022-23 के संबंध में

(रुपए लाख में)

शीर्षक	उप शीर्षक	उप-उप शीर्षक	सही आंकड़े	प्रकटीकरण किए गए आंकड़े
चालू देयताएं	व्यापार देय	सूक्ष्म एवं मध्यम उद्यम के बकाया देय	104.66	316.33

यह मामला वित्तीय विवरणों के विभिन्न नोट्स के अंतर्गत परिसम्पत्तियों / देयताओं के शीर्ष के वर्गीकरण से संबंधित है। तथापि इससे कोई वित्तीय प्रभाव नहीं है तथा भविष्य में अनुपालन के लिए इसे नोट कर लिया गया है।

वित्तीय वर्ष 2021-22 के संबंध में

(रुपए लाख में)

शीर्षक	उप शीर्षक	उप-उप शीर्षक	सही आंकड़े	प्रकटीकरण किए गए आंकड़े
गैर चालू परिसम्पत्तियां	पूंजी कार्य प्रगति पर	-	928.92	891.67
चालू देयताएं	प्रावधान	कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व प्रावधान	202.4	193.37

यह मामला वित्तीय विवरणों के विभिन्न नोट्स के अंतर्गत परिसम्पत्तियों / देयताओं के शीर्ष के वर्गीकरण से संबंधित है। तथापि इससे कोई वित्तीय प्रभाव नहीं है तथा भविष्य में अनुपालन के लिए इसे नोट कर लिया गया है।

- पेशगी एवं प्रतिभूति जमा के अंतर्गत चालू एवं गैर चालू शेषों के द्विभाजन प्रबंधन द्वारा नहीं किए गए हैं।

26) नीचे दस्तावेजों में पाई गई कुछ ऐसी विसंगतियों का ब्यौरा दिया गया है जो इन वित्तीय विवरणों के अभिन्न अंग लेखांकन नोट की समीक्षा एवं सत्यापन के लिए आवश्यक है तथा समीक्षा की तिथि तक जिनकी प्रस्तुत हमें नहीं की गई है तथा नीचे दिए गए विवरण के अनुसार इनके आंकड़ों में मिथ्याकथन पाया गया है:	वर्ष के अंत में पार्टियों से व्यापार प्राप्त / देय से संबंधित शेष की पुष्टि प्राप्त किए जाने के पत्र इस सूचना के साथ भेजे गए थे कि वे अपनी प्रतिक्रिया / पुष्टि सीधे सांविधिक लेखापरीक्षक को भेजें।
नोट 32(ii) (घ) के संबंध में, मुकदमेबाजी के अंतर्गत दर्शाई गई 233.81 लाख रुपए की राशि के संबंध में पर्याप्त समर्थक दस्तावेज हमें उपलब्ध नहीं करवाए गए हैं जिससे कि यह सत्यापन किया जा सके कि ये सही है अथवा नहीं हैं।	आकस्मिक देयताओं के अंतर्गत अतिरिक्त लेखांकन नोट में आवश्यक प्रकटीकरण किए गए हैं।
नोट 32(XIII) के संबंध में, रोहिणी हेलीपोर्ट लिमिटेड के संबंध में स्वीकृत विलय समाप्ति योजना के अनुसार अंतरण की गई व्यवसाय हानि एवं अनवशोषित मूल्यहास का विवरण नहीं दिया गया है।	विलय समाप्ति के समय वित्तीय वर्ष 2022-23 में आवश्यक प्रकटीकरण किए गए थे।
नोट 32(XVI) के संबंध में, परिचालन पट्टे के प्रति दायित्व का विवरण हमें प्रदान नहीं किया गया है।	सभी आवश्यक दस्तावेज / वर्किंग लेखापरीक्षकों को लेखापरीक्षा की प्रक्रिया के दौरान उपलब्ध करवाए गए थे। इनसे वित्तीय विवरणों पर कोई प्रभाव नहीं है।
नोट 32(XVII)(घ) के संबंध में, चालू वर्ष की पट्टा देयताओं की 2658.38 लाख रुपए के नकदी प्रवाह के संबंध में हमें कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है।	सभी आवश्यक दस्तावेज / वर्किंग लेखापरीक्षकों को लेखापरीक्षा की प्रक्रिया के दौरान उपलब्ध करवाए गए थे। इनसे वित्तीय विवरणों पर कोई प्रभाव नहीं है।
नोट 32(XXI)(क) तथा (ख) के संबंध में, अनुबंध परिसंपत्तियों तथा देयताओं के संचलन एवं व्यापार प्राप्तियों के संचलन का विवरण शाखा लेखा परीक्षक द्वारा प्रदान की गई सूचना से भिन्न है, इस प्रकार हम इनके संबंध में कोई टिप्पणी नहीं कर पा रहे हैं।	सभी आवश्यक दस्तावेज / वर्किंग लेखापरीक्षकों को लेखापरीक्षा की प्रक्रिया के दौरान उपलब्ध करवाए गए थे। इनसे वित्तीय विवरणों पर कोई प्रभाव नहीं है।
नोट 32(XXV)(ख) के संबंध में, निदेशक बैठक शुल्क प्राप्त करने वाले स्वतंत्र निदेशकों के विवरण का प्रकटीकरण नहीं किया गया है।	पूर्व प्रक्रिया के अनुसार कम्पनी ने स्वतंत्र निदेशकों की सूची का प्रकटीकरण वित्तीय विवरणों में नहीं किया है। इसका प्रकटीकरण निदेशक मंडल की रिपोर्ट में किया गया है।

नोट 32(XXV)(घ) के संबंध में, निदेशकों के 2.7 लाख रुपए के बैठक शुल्क का द्विभाजन अल्पकालिक रोजगार लाभों से अलग नहीं दर्शाया गया है।	पूर्व प्रक्रिया के अनुसार कम्पनी ने निदेशक सीटिंग फीस का प्रकटीकरण नोट 32 (XXV)(सी) में किया है।
नोट 32(XXVIII) के संबंध में, वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम को देय 316.33 लाख रुपए की राशि सही नहीं है क्योंकि उत्तरी क्षेत्र में, वित्तीय वर्ष 2022-23 में किया गया पुनर्कथन इसके बारे में कोई भी स्पष्टीकरण दिए बिना सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम को देय राशि के माध्यम से किया गया है।	उत्तरी क्षेत्र में व्यापार देय का वर्गीकरण एमएसएमई / अन्य लेनदारों के संबंध में सही नहीं किया गया है परन्तु इससे वित्तीय विवरणों पर कोई प्रभाव नहीं हुआ है। इसे भविष्य में अनुपालन के लिए नोट कर लिया गया है।
नोट 32(XXXIII)(ग)(ii) के संबंध में, शाखा लेखा परीक्षक द्वारा अप्रत्यक्ष इनपुट के उपयोग से उचित मूल्य मापन का विवरण दिया गया है, तथापि समेकित वित्तीय विवरणों में कोई प्रकटीकरण नहीं दिया गया है। इसके परिणामस्वरूप, इसे शून्य के स्थान पर 947.19 लाख पड़ा जाना है।	यह राशि पश्चिम क्षेत्र के बिल न किए राजस्व से संबंधित है। इसके बारे में लेखापरीक्षकों को सूचित कर दिया गया था।
नोट 32(XXXIII)(iii) के संबंध में, हमें विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों तथा देयताओं का विवरण नहीं दिया गया है, जिसके परिणामस्वरूप हम संवेदी विश्लेषण पर भी टिप्पणी नहीं कर सकते हैं।	शाखा लेखापरीक्षक द्वारा पश्चिम क्षेत्र के विदेशी मुद्रा विवरण की लेखापरीक्षा की गई थी तथा उत्तरी क्षेत्र एवं कॉर्पोरेट कार्यालय का विवरण लेखापरीक्षकों को लेखापरीक्षा के दौरान उपलब्ध करवाया गया था।
27) उपयुक्त अर्हताओं की प्रमात्रा पैराग्राफ 3,4, 6(ख),6(घ),7(क),7(ख),7(घ), 7(छ), 7(झ), 10,12,13,15,19,20,21,22 में उल्लिखित हमारी टिप्पणियों का संचयी प्रभाव इस प्रकार है: वर्ष के दौरान कम्पनी की हानि/ रिजर्व एवं अधिशेष की 2,317.93 लाख रुपए की न्यूनोक्ति की गई है, परिसम्पत्तियों के लिए 2,453.86 लाख रुपए की राशि का अतिकथन किया गया है तथा देयताओं के संबंध में 135.93 लाख रुपए की राशि अधिक दर्शाई गई है। अन्य पैराग्राफों में वर्णित मामले के संभावित प्रभाव का पता प्रबंधन द्वारा नहीं लगाया गया है। हमारे द्वारा की गई लेखापरीक्षा, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) में निर्दिष्ट लेखापरीक्षा मानकों ("एसए") के अनुसरण में गई है। इन मानकों के अंतर्गत हमारे उत्तरदायित्वों का विस्तृत विवरण हमारी रिपोर्ट में स्टैंडएलोन इंड एस वित्तीय विवरण के खंड में वर्णित लेखापरीक्षकों के दायित्व	ऊपर पर्याप्त स्पष्टीकरण दिए गए हैं।

में किया गया है। कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों तथा उनके अंतर्गत निर्मित नियमों के अनुसार, हमारे द्वारा की गई वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा, हमारी लेखापरीक्षा से सम्बद्ध आचार संहिता आवश्यकताओं के साथ साथ इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी आचार संहिता के अनुरूप है, जिसके अंतर्गत हम कंपनी से स्वतंत्र हैं तथा हमने इन आवश्यकताओं तथा इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की आचार संहिता के उत्तरदायित्वों का पालन किया है। हमारा यह मानना है कि हमारे द्वारा एकत्र किए गए लेखापरीक्षा प्रमाण, 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों पर अपने प्रतिकूल मत की प्रस्तुति के आधार के लिए पर्याप्त हैं एवं यथोचित हैं।	
मामले का प्रभाव 1. हम भारतीय लेखांकन मानक (इंड एस) के वित्तीय विवरणों के नोट संख्या 2(vi) की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं, जिसमें आंतरिक तकनीकी समिति के सुझाव पर हेलीकॉप्टरों का अनुमानित उपयोग काल कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II में उल्लिखित 20 वर्षों से बढ़ाकर पश्चिमी क्षेत्र में डॉफिन बेड़े के लिए 40 वर्ष किया गया था जिससे वर्ष का मूल्यहास शुल्क कम हुआ तथा जिससे इंड एस वित्तीय विवरणों में वर्ष में हुई हानि का परिणामी प्रभाव हुआ है। हमारा ध्यान इस ओर गया है कि पूर्व वर्षों में विमानों के ग्राउंड पर रहने (एओजी) के दिनों में ग्राहकों को दी जाने वाली निर्णित हजने की वसूली में वृद्धि हुई है, राजस्व उड़ान घंटों में कमी आई है, तथा अप्रचलन के कारण निर्माताओं/ओईएम से डॉफिन एस365एन के कुछ एवियोनिक्स पुर्जों की अनुपलब्धता के कारण हेलीकॉप्टरों को लंबे समय तक ग्राउंड रहना पड़ा है। यह चूंकि एक तकनीकी मामला है, इसलिए हमने तकनीकी समिति के आकलन के प्रति विश्वास किया है।	हेलीकॉप्टरों के अनुमानित उपयोग्यता काल का मूल्यांकन आंतरिक तकनीकी समिति द्वारा किया जाता है। बेल्ल एवं एयरबस हेलीकॉप्टरों का उपयोग्यता काल अनिश्चित है। एयरबस हेलीकॉप्टर्स द्वारा 30 से 40 वर्ष तक उत्पाद सहायता उपलब्ध करवाने का आश्वासन दिया गया है जिससे 30 से 40 की उपयोग्यता अवधि का आधार स्थापित होता है। एमआई -172 हेलीकॉप्टरों के मामले में रुसी हेलीकॉप्टर्स द्वारा 30 वर्ष की निश्चित उपयोग्यता अवधि प्रदान की गई है तथा इससे आगे की अवधि का संवर्धन उनके द्वारा प्रदान किए जाने वाले उपयोग्यता काल विस्तार कार्यक्रम पर आधारित है। विश्व भर में हेलीकॉप्टरों का नियोजन संबंधित देश के विनियामक प्राधिकरण द्वारा जारी उड़नयोग्यता प्रमाणपत्र पर आधारित होता है। इस प्रकार, हेलीकॉप्टर के उपयोग्यता काल के निर्धारण का मूल उपकरण निर्माता की स्पेयर्स की निरंतर सहायता के साथ युक्त एकमात्र मापदंड नागर विमानन महानिदेशालय (विनियामक प्राधिकरण) द्वारा जारी मान्य उड़नयोग्यता प्रमाणपत्र है।

2. क) कम्पनी तथा तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम (ओएनजीसी) के मध्य उत्पादन कार्यों के लिए हेलीकॉप्टर का चार्टर सेवा के उद्देश्य से दिनांक 19 जुलाई, 2022 को 3 डॉफिन 365एन हेलीकॉप्टर चार्टर किराए पर प्रदान करने का अनुबंध किया गया है तथा कम्पनी दिनांक दिनांक 15 फरवरी, 2022 को 2 सिकोसकी ए76डी क्रू चेंज हेलीकॉप्टर अपतटीय परिचालन के लिए चार्टर सेवा प्रदान करने के लिए अनुबंध किया गया है जो अनुबंध में उल्लिखित विशिष्टताओं के अनुसार ओएनजीसी के परिचालनों के लिए उपयोग में लाया जाएगा। इसके लिए उत्पादन कार्य हेलीकॉप्टर अनुबंध का नवीकरण 2 उत्पादन कार्य हेलीकॉप्टर अनुबंध दिनांक 13 अक्तूबर 2022 के अनुबंध संख्या एमयूएम/ओएफएफ-लॉजिस्टिक्स/एमएम/2022/ पी ए च टी ए च ए ल जी आर पी ए / 1067720 / पी76एल2204/ 90100357- के माध्यम से किया गया है तथा क्रू परिवर्तन हेलीकॉप्टर प्रदान किए जाने का अनुबंध उत्पादन कार्य अनुबंध के रूप में परिवर्तित करके अपतटीय परिचालनों के लिए 3 उत्पादन कार्य हेलीकॉप्टर प्रदान के लिए दिनांक 13 अक्तूबर, 2022 को अनुबंध संख्या एमयूएम/ओएफएफ-लॉजिस्टिक्स/एमएम/ 2022/ प्रोडक्शन/ 1027876/ पी76एल22004/ 9010035403 के माध्यम से किया गया है। कम्पनी को उक्त सेवाओं के लिए नियत मासिक प्रभार तथा फ्लाईंग मासिक प्रभारों की प्राप्ति होगी। ओएनजीसी को हेलीकॉप्टर उपलब्ध किए जाने की सेवाएं प्रदान करने की कम्पनी की असमर्थता की स्थिति में कम्पनी को उस अवधि के लिए नियत मासिक प्रभार देय नहीं होंगे जिस अवधि में हेलीकॉप्टर उपलब्ध नहीं करवाए गए थे। इसके अलावा पूर्ण दिवस ग्राउंडिंग के लिए नियत मासिक प्रभार के 5 % के समतुल्य तथा आधे दिन की ग्राउंडिंग के लिए नियत मासिक प्रभार के 2.5 % (अर्थात 5 % का 50 %) के समतुल्य निर्णित हर्जाना चुकता किया जाएगा जो कि 844.84 लाख रुपए (पिछले वर्ष 113.36 लाख रुपए) वर्ष के दौरान कटौती किया गया है। ऐसा 200 गैर परिचालनात्मक दिवसों के कारण नियत मासिक प्रभार की हानि एवं निर्णित हजाने के रूप में परिणत हुआ है जिसकी भुगतान में से कटौती की जानी है। चूंकि अनुबंध के तहत अनुमानित दायित्वों को पूरा करने की लागत अनुबंध की अवधि के दौरान प्राप्त होने वाले अपेक्षित आर्थिक लाभों से अधिक है, इसलिए यह अनुबंध एक दुर्भर अनुबंध है। (नोट संख्या 24 हेलीकॉप्टर परिचालन एवं अनुरक्षण व्यय देखें)

इसमें वित्तीय वर्ष 2023-24 के तथ्यपरक विवरण पर बल दिया गया है तथा निर्णित हर्जाना / कटौतियां ओएनजीसी के साथ किए गए अनुबंध के अनुसार हैं।

ख) कम्पनी द्वारा पिछले माह की गई उड़ानों के संबंध में प्रत्येक माह की 7 तिथि तक निश्चित मासिक शुल्क (एफएमसी) और उड़ान प्रति घंटा शुल्क (एफएमसी) तथा अन्य स्वीकार्य शुल्कों के चालान जारी करने के संबंध में अनुबंध की शर्तों का पालन नहीं किया है। निश्चित मासिक शुल्क (एफएमसी) और उड़ान प्रति घंटा शुल्क (एफएमसी) के लिए, भुगतान चालान प्राप्त होने के 21 कार्य दिवसों के भीतर प्राप्त किया जाना चाहिए, जिससे कम्पनी के नकदी प्रवाह पर प्रभाव पड़ सकता है।	एफएमसी के मामले में बीजकों की उत्पत्ति माह में अग्रिम रूप में की जाती है। घंटों के अनुसार बीजकों की उत्पत्ति तभी की जाती है जब दोनों पार्टियों द्वारा हस्ताक्षरित उड़ान मेनिफिस्ट प्राप्त होता है। इसकी प्राप्ति होने पर एफएमसी बीजक वरीयता के आधार पर तैयार किए जाते हैं। ऐसी भी घटनाएं घटित हुई हैं जब बिलों की उत्पत्ति विलंब से हुई थी, जैसा कि एस76डी के मामले में हुआ है तथा समाधान किया गया था तथा वर्तमान में राजस्व बीजक हस्ताक्षरित मेनिफेस्ट प्राप्त होने पर तत्काल तैयार किए जाते हैं। अनुबंध के अनुसार बीजक तैयार करने के लिए पार्टी से उड़ान मेनिफिस्ट जल्द प्राप्त होने के लिए फॉलो अप करने के प्रयास किए जाते हैं। इसके अलावा हम अनुबंध के अनुसार समय पर भुगतान प्राप्त करने के लिए ग्राहकों के कार्यालय में वैयक्तिक विजिट सहित निरंतर फॉलो अप करते हैं।
3. हम इंड एस वित्तीय विवरणों के अभिन्न भाग नोट संख्या 32(XXVIII) की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं। कम्पनी का यह मानना है कि 31 मार्च, 2024 तक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के अंतर्गत पंजीकृत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों पर तुलन पत्र की तिथि से 45 दिनों से अधिक अवधि का कोई बकाया नहीं है। आपूर्तिकर्ताओं से 'सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006' के प्रावधानों की प्रयोज्यता के बारे में जानकारी मांगी गई, लेकिन कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम बकाया राशि की जानकारी कम्पनी के पास उपलब्ध जानकारी के आधार पर प्रदान की गई है।	भुगतान अनुबंध के उपबंधों के अनुसार अनुसूचित होते हैं। निविदा प्रक्रिया के दौरान पवन हंस लिमिटेड द्वारा संभावित बोलीदाता से एमएसएमई स्तर के साथ साथ सम्बद्ध प्रमाणपत्र प्राप्त किया जाता है। तदनुसार, कार्य आदेश जारी होने पर आपूर्तिकर्ता को एमएसएमई अधिनियम के लागू प्रावधानों के अनुसार आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान किए जाते हैं।
4. इंड एस वित्तीय विवरणों के अभिन्न भाग नोट संख्या 32 (XIX) (ए) में जैसा कि सतर्कता विभाग के दिनांक 12 अगस्त, 2014 के अंतर कार्यालय ज्ञापन आरएफ संख्या पीएचएल/सीओ/वीआईजी/219 पर के आधार पर (आईओएम) सीवीओ (मुख्य सतर्कता अधिकारी) द्वारा जांच किए जाने तथा लक्षद्वीप में 129.20 लाख रुपएकी वित्तीय अनियमितताओं के संबंध में प्रबंधन को रिपोर्ट सौंपे जाने का उल्लेख है। प्रबंधन द्वारा कर्मचारियों को देय 40.09 लाख रुपएके समर्थित इनवॉयस/बिल/क्रेडिट को संज्ञान में लिया गया था तथा प्रबंधन द्वारा शेष 89.12 लाख रुपए की राशि को ही हानि माना गया था तथा इसे वर्ष 2014-15 के वित्तीय विवरणों में प्रभावित किया था।	अतिरिक्त लेखांकन नोट्स में पर्याप्त स्पष्टीकरण दिए गए हैं।

चालू वित्त वर्ष के दौरान, अप्रैल 2008 से मार्च 2011 की अवधि के लक्षद्वीप प्रशासन से यात्रा बिल प्राप्त हुए हैं। मानव संसाधन विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार जांच की गई है तथा दिए गए सुझाव के अनुसार कार्रवाई किए जाने की स्वीकृति सक्षम प्राधिकारी द्वारा दी गई है। इस मामले पर कम्पनी द्वारा आगे विचार किया जा रहा है।	
5. इंड एस वित्तीय विवरणों के अभिन्न भाग नोट संख्या 32 (II)(डी) में यह उल्लेख है कि पश्चिमी क्षेत्र द्वारा आईडी अधिनियम की धारा 33सी(आई) के अंतर्गत आरएलसीआरएलसी (सी) के 27 जून, 2022 के पारित आदेश के प्रति रिट याचिका दायर की गई है, इस आदेश में 10% की दर से प्रतिवर्ष ब्याज के साथ 580.75 लाख रुपएकी राशि का वसूली प्रमाणपत्र (आरसी) जारी किया गया था तथा इसकी प्रतिक्रिया में कलेक्टर, मुंबई उपनगरीय जिले द्वारा जारी दिनांक 12 अक्टूबर, 2022 को जारी कुर्की आदेश के अंतर्गत क्षेत्र के बैंक खाते को ऊपर उल्लिखित राशि के लिए कुर्क कर लिया गया था। माननीय बम्बई उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 15 नवंबर, 2022 के अपने आदेश में बैंक खाते को पूरी तरह से फ्रीज करने के स्थान पर बैंक ऑफ बड़ौदा को याचिकाकर्ता (पीएचएल) को 650.00 लाख रुपएकी राशि रोककर बैंक खाता संचालित करने की अनुमति देने का निर्देश दिया जा सकता है। इससे कम्पनी की चलनिधि स्थिति पर महत्वपूर्ण प्रभाव हुआ है।	अतिरिक्त लेखांकन नोट्स में पर्याप्त स्पष्टीकरण दिए गए हैं।
6. अनुलग्नक ख तथा प्रतिकूल मत के आधार से संबंधित पैराग्राफों की ध्यान आकर्षित किया जाता है जिनमें आंतरिक नियंत्रणों में विभिन्न कमियां पाए जाने का उल्लेख है जो कार्य प्रक्रियाओं / विभागों से की गई चूकों / अकरणों के रूप में परिणत हुए हैं। इस प्रकार, आंतरिक लेखापरीक्षा को सुदृढ़ बनाया जाना आवश्यक है तथा सभी कार्यात्मक विभागों, विशेष रूप से अचल परिसम्पति प्रबंधन, मालसूची प्रबंधन, क्रय प्रक्रिया, नकदी एवं बैंक प्रबंधन, लेखांकन एवं राजस्व वसूली, सांविधिक अनुपालन, मानव संसाधन प्रबंधन तथा सूचना प्रौद्योगिकी सामान्य नियंत्रण का गहन सत्यापन सुनिश्चित करने के लिए इसका दायरा बढ़ाया जाना चाहिए जिससे कि इसे कम्पनी के आकार एवं इसके परिचालनों की प्रकृति के अनुरूप बनाया जा सके।	कम्पनी द्वारा आंतरिक लेखापरीक्षक विभाग को सुदृढ़ बनाने की प्रक्रिया की जा रही है।

7. वर्ष के दौरान क्षमता हानि के संबंध में कोई प्रावधान नहीं किए गए हैं क्योंकि पश्चिमी क्षेत्र प्रबंधन का यह मानना है कि परिसंपत्तियों में क्षमता हानि के कोई संकेत स्पष्ट नहीं हुए हैं। तथापि, प्रबंधन द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण तथा दी गई सूचना के अनुसार आगामी वर्षों यथा वर्ष 2024-25 में प्रबंधन द्वारा परिसम्पत्तियों में क्षमता हानि के संबंध में स्वतंत्र रिपोर्ट प्राप्त की जाएगी।	कोई टिप्पणी अपेक्षित नहीं है।
8. प्राप्त ऋण एवं अग्रिम (देयताएं) की राशि शून्य (5.61 लाख) है, जिसके परिणामस्वरूप देयताओं की अत्युक्ति हुई है तथा लाभ को शून्य (5.61 लाख) तक कम दर्शाया गया है तथा पश्चिमी क्षेत्र में 41.60 लाख (25.15 लाख) रुपए की व्यापार देय राशि 3 से अधिक वर्षों से बकाया है। पार्टियों को भुगतान नहीं किया गया है और कोई पुष्टि प्राप्त नहीं हुई है।	कम्पनी द्वारा व्यापार देय के समाधान की प्रक्रिया की जा रही है तथा लेखों का निपटान यथाशीघ्र किया जाएगा। इनका भुगतान / समायोजन आगामी वित्तीय वर्ष में संबंधित विभागों से यथोचित सहायता के साथ किया जाएगा।
9. पश्चिमी क्षेत्र की 3987.65 लाख रुपए की व्यापार प्राप्ति की राशि 3 से भी अधिक वर्षों से बकाया है, इसमें से 3237.96 लाख रुपए के प्रावधान किए गए हैं परन्तु 3 वर्ष से भी अधिक देय देनदारों के बकाया के लिए किए गए प्रावधान का विवरण उत्तरी क्षेत्र में उपलब्ध नहीं है। शेष को पिछले अनेक वर्षों से अग्रेषित किया जा रहा है।	लेखा बहियों में इंड एस की अपेक्षा के अनुसार यथोचित प्रावधान किए गए हैं। कम्पनी द्वारा ग्राहकों से बकाया देयों की वसूली के लिए फॉलो अप किया जा रहा है।
अन्य विधिक एवं विनियामक अपेक्षाओं की रिपोर्ट 1. कम्पनी अधिनियम की धारा 143 की उप धारा (11) के उपबंधों के अनुसार भारत सरकार द्वारा कम्पनी (लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट) आदेश, 2020 ("आदेश") द्वारा अपेक्षित उक्त आदेश के पैरा 3 तथा 4 में यथा लागू विनिर्दिष्ट विषयों पर हम अनुलग्नक - क में विवरण प्रस्तुत कर रहे हैं।	कोई टिप्पणी अपेक्षित नहीं है।
2. अधिनियम के अनुच्छेद 143(3) की अपेक्षाओं के अनुसार हम यह रिपोर्ट करते हैं कि: क) हम वे सभी सूचनाएं और स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं कर पाए हैं जिनकी आवश्यकता हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा के लिए थी;	लेखापरीक्षकों द्वारा अपेक्षित प्रत्येक आवश्यक सूचना उपलब्ध करवाई गई थी तथा आवश्यकतानुसार ईमेल के माध्यम से भी भेजी गई थी।

ख)	हमारे मतानुसार, प्रतिकूल मत के आधार के पैराग्राफ में वर्णित मामलों के प्रभाव तथा कम्पनी (लेखापरीक्षा एवं लेखापरीक्षक) नियमावली, 2014 (यथासंशोधित) ("नियमावली") के नियम 11 (जी) के अंतर्गत नीचे प्रस्तुत रिपोर्टिंग के विचार से कम्पनी ने विधि अपेक्षाओं के अनुसार उचित लेखा बहियों का रखरखाव नहीं किया है, जो कि हमारे द्वारा इन बहियों के संबंध में की गई जांच से प्रतीत हुआ है।	कम्पनी द्वारा सांविधिक मानदंडों के अनुसार लेखा बहियों का अनुरक्षण किया जा रहा है तथा रिकार्डों के अनुसार प्रत्येक पूर्व सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा की गई लेखापरीक्षा के आधार पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है।
ग)	रिपोर्ट में वर्णित तुलन पत्र, लाभ-हानि विवरण तथा रोकड़ प्रवाह विवरण कम्पनी की लेखा बहियों से मेल खाते हैं;	कोई टिप्पणी अपेक्षित नहीं है।
घ)	हमारे मतानुसार, तुलन पत्र, लाभ-हानि विवरण, इक्विटी परिवर्तन विवरण तथा रोकड़ प्रवाह विवरण कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के अंतर्गत अधिसूचित कम्पनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियमावली, 2015 के अनुसार भारतीय लेखांकन मानकों ("इंड एस") के अनुसरण में संगत नहीं हैं।	यह स्वीकार्य नहीं है कि तुलन पत्र, लाभ एवं हानि विवरण, इक्विटी परिवर्तन विवरण तथा नकदी प्रवाह विवरण कम्पनी अधिनियम-2013 की धारा 133 के अंतर्गत अधिसूचित कम्पनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियमावली, 2015 के अनुसार भारतीय लेखांकन मानकों ("इंड एस") के अनुपालन में नहीं हैं। यह प्रस्तुत किया गया है कि पूर्व के वैधानिक लेखा परीक्षकों और सी एंड जी की ओर से ऐसी कोई राय नहीं दी गई है।
ङ)	हमारे मतानुसार "प्रतिकूल मत के आधार" में वर्णित मामलों का प्रतिकूल प्रभाव कम्पनी की कार्यप्रणाली पर संभव हो सकता है।	ऊपर पर्याप्त स्पष्टीकरण दिए गए हैं
च)	दिनांक 5 जून, 2015 की अधिसूचना संख्या 1/2/2014-सीएल- V के माध्यम से प्राप्त छूट को विचार में रखते हुए धारा 164(2) के अंतर्गत निदेशकों से प्राप्त की जाने वाली घोषणा की अपेक्षाएं कम्पनी के संबंध में लागू नहीं हैं।;	कोई टिप्पणी अपेक्षित नहीं है।
छ)	लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट में वर्णित अन्य मामलों के लिए अधिनियम की धारा 197(16), यथासंशोधित, की अपेक्षाएं सरकारी कम्पनियों के मामले में लागू नहीं हैं। कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी दिनांक 5 जून, 2015 की अधिसूचना संख्या जीएसआर 463(ई) के अनुसार धारा 197 सरकारी कम्पनियों के मामले में लागू नहीं है।	कोई टिप्पणी अपेक्षित नहीं है।

ज) कम्पनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और ऐसे नियंत्रणों के परिचालन प्रभाव का उल्लेख 'अनुलग्नक 'ख"' में प्रस्तुत हमारी पृथक रिपोर्ट में किया गया है; तथा	अनुलग्नक -ख में पर्याप्त स्पष्टीकरण दिए गए हैं
झ) हमारे मतानुसार और हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार कम्पनी (लेखा परीक्षा और लेखापरीक्षक) नियम, 2014, के नियम 11 के अनुसार लेखा परीक्षा रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में : i. कम्पनी ने अपने वित्तीय विवरणों के नोट संख्या 32(XLII) में लंबित मुकदमों के प्रभाव का प्रकटीकरण किया है। ii. कम्पनी के डेरियेटिव सहित ऐसे कोई दीर्घकालिक अनुबंध नहीं किए गए हैं जिनसे हानियों की किसी प्रकार की कोई संभावना हो। iii. ऐसी कोई राशियां नहीं थी जिन्हें कम्पनी के निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि में अंतरित किए जाने आवश्यकता हुई हो।	कोई टिप्पणी अपेक्षित नहीं है।
क) प्रबंधन ने यह प्रस्तुति दी है कि उनकी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार तथा नोट संख्या 32(XLII) में किए गए प्रकटीकरण के अनुसार, कम्पनी द्वारा विदेशी इकाईयों, ("मध्यस्थों") सहित किसी अन्य व्यक्ति अथवा इकाई को किसी निधि का अग्रिम अथवा ऋण नहीं दिया गया है अथवा निवेश (ऋण पर प्राप्त निधियों अथवा शेयर प्रीमियम अथवा अन्य स्रोतों से अथवा अन्य प्रकार की निधियों में किसी में से) इस सहमति, लिखित अथवा अन्यथा स्वरूप में, के साथ नहीं किया गया है कि मध्यस्थ द्वारा, प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में, कम्पनी अथवा कम्पनी की ओर से ("अंतिम लाभग्राहियों") अन्य व्यक्तियों अथवा निर्धारित इकाईयों को ऋण अथवा उनमें निवेश अथवा कोई गारंटी, प्रतिभूति अथवा, अंतिम लाभग्राहियों की ओर से किसी प्रकार की प्रतिभूति प्रदान की जाएगी;	कोई टिप्पणी अपेक्षित नहीं है।

(ख) प्रबंधन ने यह प्रस्तुति दी है कि उनकी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार तथा नोट संख्या 32(XLII) में किए गए प्रकटीकरण के अनुसार, कम्पनी ने विदेशी इकाई ("निधियन पार्टी") सहित किसी व्यक्ति (व्यक्तियों) अथवा इकाई (इकाईयों) से किसी निधि का अग्रिम अथवा ऋण की प्राप्ति इस सहमति, लिखित अथवा अन्यथा स्वरूप में, के साथ नहीं की है कि कम्पनी द्वारा, प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में, निधियन पार्टी ("अंतिम लाभग्राहियों") की ओर से अन्य व्यक्तियों अथवा निर्धारित इकाईयों को ऋण अथवा उनमें निवेश अथवा कोई गारंटी, प्रतिभूति अथवा, अंतिम लाभग्राहियों की ओर से किसी प्रकार की प्रतिभूति प्रदान की जाएगी;	कोई टिप्पणी अपेक्षित नहीं है।
ग) हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं, जिनका उपयोग परिस्थितियों के अनुसार औचित्यपरक एवं यथोचित समझा गया है, से हमारी जानकारी में ऐसा कुछ प्रकाश में नहीं आया है जिसके प्रभाव से ऐसा माना जा सके कि उपर्युक्त उप-खंड (क) एवं (ख) में की गई प्रस्तुति में किसी प्रकार का कोई मिथ्याकथन है।	कोई टिप्पणी अपेक्षित नहीं है।
v. कम्पनी द्वारा वर्ष के दौरान कोई लाभांश घोषित अथवा चुकता नहीं किया गया है।	कोई टिप्पणी अपेक्षित नहीं है।
vi. हमारे द्वारा की गई जांच, जिसमें औचक जांच भी शामिल है, के आधार पर कम्पनी द्वारा 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए आईआईएसपी (टीसीएस साफ्टवेयर) तथा डी बेस 3 का क्रमशः उपयोग अपनी लेखा बहियों के अनुरक्षण तथा मूल्यहास की गणना के लिए किया गया है। आईआईएसपी साफ्टवेयर में ऑडिट ट्रेल (एडिट लॉग) सुविधा रिकॉर्ड करने की सुविधा है तथा इसका परिचालन (क) एकीकृत सूचना प्रणाली पैकेज (आईआईएसपी) के कार्यात्मक इंटरफेस में टाइम स्टैम्प को कैप्चर नहीं किया जा सका है, (ख) डी बेस 3 के लिए ऑडिट ट्रेल का सत्यापन करने से संबंधित कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं करवाया गया है। तदनुसार, हम इस साफ्टवेयर के उपयोग से संसाधित किए गए आंकड़ों की सत्यता के बारे में कोई टिप्पणी नहीं कर सकते हैं।	क) टाइम स्टैम्प कैप्चर की जा रही है, वाउचर रिपोर्ट में वास्तविक पोस्टिंग तिथि तथा समय प्रदर्शित किया जाएगा। ख) सभी स्थिर परिसम्पतियों की क्रय बुकिंग ईआरपी में अधिग्रहण के समय की जाती है जो परिसम्पति विवरण एवं आवर्धनों के विवरण का सही स्रोत है। वर्ष के अंत, इन विवरणों की डी-बेस 3 की मूल्यहास फाइल में मैनुअल स्वरूप में प्रविष्टि की जाती है, जहां मूल्यहास के आकलन की प्रक्रिया ईआरपी से बाहर संसाधित होती है। पूर्व मूल्यहास वर्किंग का संपूर्ण इतिहास डी-बेस 3 फाइल में उपलब्ध है तथा ईआरपी में पूर्व वर्षों में किए गए परिसम्पति संवर्धन की सत्यता की कोई जांच की जा सकती है। इस विधि का उपयोग पूर्व वर्षों से निरंतर किया जा रहा है

इसके अलावा, लेखापरीक्षा की प्रक्रिया के दौरान हमारे सम्मुख ऐसी कोई स्थिति उत्पन्न नहीं हुई है जिसमें उस अवधि के लिए आईआईएसपी (टीसीएस साफ्टवेयर) के साथ ऑडिट ट्रेल फीचर में कोई छेड़खानी की गई हो जिस अवधि में ऑडिट ट्रेल को उपयोग के लिए सक्षम किया गया था।	तथा इसे पूर्व लेखापरीक्षाओं में स्वीकार किया गया था। ईआरपी में स्रोत डेटा तथा डी बेस 3 के संसाधित परिणाम पूर्ण हैं, पहुंच योग्य हैं तथा सत्यापित किए जा सकते हैं, जिससे सम्पूर्ण ऑडिट ट्रेल एवं डेटा की सत्यता की कोई क्षति न होने का सुनिश्चय हो सकता है।
vii कम्पनी (लेखा) नियमावली, 2014 के नियम 3(1) का परंतुक चूंकि कम्पनी के संबंध में 1 अप्रैल, 2023 से लागू है अतः ऑडिट ट्रेल के परिरक्षण से संबंधित कम्पनी (लेखापरीक्षा एवं लेखापरीक्षक) नियमावली, 2014 के नियम 11(जी) के अंतर्गत रिकार्ड परिरक्षण से जुड़ी सांविधिक अपेक्षा 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए लागू नहीं हैं।	कोई टिप्पणी अपेक्षित नहीं है।
ण) कम्पनी अधिनियम-2013 की धारा 143(5) की कम्पनी के संबंध में भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी निदेशों एवं उप निदेशों से संबंधित अपनी “अनुलग्नक – III” में प्रस्तुत किए गए हैं।	कोई टिप्पणी अपेक्षित नहीं है।

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक 'क'

लेखापरीक्षक का प्रेक्षण	निदेशक मंडल के उत्तर
31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के इंड एस वित्तीय विवरणों पर पवन हंस लिमिटेड के सदस्यों को संबोधित	
1. कम्पनी की संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण तथा अमूर्त संपत्तियों के संबंध में:	
क. (क) कम्पनी में कॉर्पोरेट कार्यालय अलावा संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के मात्रात्मक विवरण तथा स्थिति सहित पूर्ण विवरण दर्शाने वाले उचित रिकार्डों का अनुरक्षण नहीं किया है (उत्तरी एवं पश्चिमी क्षेत्र के रिकार्ड उचित नहीं हैं)।	सम्पूर्ण विवरण दर्शाने वाले यथोचित रिकार्ड का अनुरक्षण संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के लिए किया गया है। इस रिकार्ड के आधार पर स्वतंत्र एजेंसी द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 में विनिवेश की प्रक्रिया के दौरान भौतिक सत्यापन किया गया था।
ख. (ख) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कम्पनी के कॉर्पोरेट कार्यालय में अमूर्त संपत्तियों का पूर्ण विवरण दर्शाने वाले उचित रिकार्ड का रखरखाव किया जा रहा है। तथापि, उत्तरी क्षेत्र के संबंध में, कम्पनी ने अमूर्त संपत्तियों का पूर्ण विवरण दर्शाने वाले उचित रिकार्ड का अनुरक्षण नहीं किया है। पश्चिमी क्षेत्र के संबंध में, कम्पनी के पास कोई अमूर्त संपत्ति नहीं है तथा तदनुसार, इस उप-खंड के प्रावधान उस क्षेत्र पर लागू नहीं हैं।	उत्तरी क्षेत्र के मामले में अमूर्त परिसम्पत्तियों का पूर्ण मूल्यहास पूर्व वर्षों में किया गया है।
ग. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कम्पनी में अपनी संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों के भौतिक सत्यापन का एक नियमित कार्यक्रम स्थापित है जिसके अनुसार संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों का भौतिक सत्यापन 3 वर्षों की अवधि में चरणबद्ध विधि से किया जाता है, जो हमारे मतानुसार कम्पनी के आकार तथा इसके व्यवसाय की प्रकृति के विचार से पर्याप्त नहीं है। प्रासंगिक जानकारी उपलब्ध न होने के कारण हम वर्ष के दौरान किसी भौतिक असंगति के बारे में कोई टिप्पणी नहीं कर पा रहे हैं। कम्पनी में पश्चिमी क्षेत्र की प्रत्येक संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण पिछले वर्ष प्रबंधन द्वारा अपने योजनागत कार्यक्रम के अनुसार भौतिक रूप से सत्यापित नहीं किए गए थे। इसके अलावा, 13,181.37 लाख रुपये के सकल मूल्य के रोटेबल्स एवं मरम्मत योग्य सामग्री मरम्मत के लिए भेजी गई थी तथा वर्ष के अंत तक ये विदेशी ओईएम के पास रखे हुए थे। कम्पनी ने संबंधित ओईएम से इस आशय की पुष्टि प्राप्त नहीं की है कि ये उनके पास रखे हुए हैं।	स्थिर परिसम्पत्तियों का मूल्यहास स्वतंत्र एजेंसी द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान किया गया था तथा चालू वित्तीय वर्ष के दौरान उत्तरी क्षेत्र एवं पश्चिम क्षेत्र में भौतिक सत्यापन किया गया था। भौतिक सत्यापन रिपोर्ट का परिसम्पति रजिस्टर से मिलान करने करने की प्रक्रिया की जा रही है। विदेश में रखे स्टॉक के पुष्टि मरम्मतकर्ता एजेंसियों से की जाती है। कुछ पुष्टियां प्राप्त हुई हैं तथा शेष के संबंध में मरम्मतकर्ता एजेंसियों के साथ फॉलो अप किया जा रहा है।

वित्तीय वर्ष 23-24 में उत्तरी क्षेत्र में किए गए भौतिक सत्यापन से संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के भौतिक सत्यापन और लेखा बहियों के अनुसार 586 मदों का अंतर देखने में आया है तथा इस अंतर का मूल्य निर्धारित नहीं किया जा सकता है, जिसके कारण लेखा बहियों में विसंगतियों का समायोजन नहीं किया गया है। कॉर्पोरेट कार्यालय के संबंध में, पिछले वर्ष के दौरान भौतिक सत्यापन नहीं किया गया है, अंतिम सत्यापन अगस्त 2020 में किया गया था।

घ.) इंड एस वित्तीय विवरणों के नोट संख्या 32(III)(ख) में संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के संबंध में किए गए प्रकटीकरण के अनुसार पश्चिमी क्षेत्र में आवासीय भवन (जेएचसी) के अलावा अचल परिसम्पत्तियों के हक विलेख, जिसकी भूमि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) के नाम पर पंजीकृत है, कम्पनी के नाम पर हैं तथा क्षेत्र में 242 फ्लैटों का निर्माण किया था, जिनमें से 50 फ्लैट भाविप्रा को आंशिक रूप से 25 वर्षों की अवधि के लिए उक्त भूमि के प्रति पट्टा किराए पर दिए गए थे। इसके अलावा, संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के नोट संख्या 32(III)(ख) में उल्लिखित एमएचएडीए के 6 म्हाडा फ्लैटों का कब्जा कम्पनी के पास है, परन्तु इन फ्लैटों का हक विलेख कम्पनी के नाम से पंजीकृत नहीं है। इन फ्लैटों का विवरण नीचे दिया गया है:

सम्पत्ति का विवरण	सकल वहन मूल्य	किसके नाम धारित	क्या प्रमोटर, निदेशक अथवा उनके संबंधी अथवा प्रमोटर	किस अवधि से धारित हैं	कम्पनी के नाम धारित न होने के कारण
आवासीय फ्लैट	लागू नहीं	एमएचएडीए	लागू नहीं	1998 से अब तक	स्टाम्प ड्यूटी का भुगतान न किए जाने के कारण

इसके अलावा, निम्नलिखित कुछ आवासीय फ्लैट ऐसे हैं जिनका शेयर प्रमाणपत्र पश्चिम क्षेत्र में कम्पनी के नाम से धारित नहीं है:-

फ्लैट संख्या	स्थल	टिप्पणी
वृंदावन सोसायटी	2-बी-105, कांदिवली	शेयर प्रमाणपत्र नहीं
ओशिवाड़ा सोसायटी	13-107, मालाड	शेयर प्रमाणपत्र नहीं
ओशिवाड़ा सोसायटी	13-702, मालाड	दस्तावेज उपलब्ध नहीं करवाए गए
ओशिवाड़ा सोसायटी	23-401, मालाड	दस्तावेज उपलब्ध नहीं करवाए गए

ड)	कम्पनी ने वर्ष के दौरान अपनी किसी सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण तथा अमूर्त परिसम्पत्तियों का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया है।	कोई टिप्पणी अपेक्षित नहीं है
च)	हमें प्रस्तुत सूचना एवं दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार तथा हमारे द्वारा किए गए रिकार्डों के सत्यापन के आधार पर बेनामी संव्यवहार(प्रतिबंध) अधिनियम, 1988 (2016 में यथा संशोधित) तथा इसके अध्याधीन निर्मित नियमों के अंतर्गत वर्ष के दौरान कोई प्रक्रिया प्रारम्भ नहीं की गई है अथवा 31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार लंबित नहीं है।	कोई टिप्पणी अपेक्षित नहीं है
2.	क. हमें प्रस्तुत सूचना एवं दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार प्रबंधन द्वारा पश्चिमी तथा उत्तरी क्षेत्रों में उचित अंतराल में मालसूचियों का भौतिक सत्यापन किया गया है, जिसमें तृतीय पार्टियों के पास रखी गई मालसूची तथा मार्गस्थ मालसूची शामिल नहीं है। तथापि, उत्तरी क्षेत्र में किए गए भौतिक सत्यापन के दौरान लेखा बहियों की तुलना में 2.33 लाख रुपए की राशि की 12 अतिरिक्त मालसूची मर्दे पाई गई हैं। लेखा बहियों में इन विसंगतियों के बारे में यथोचित प्रक्रिया नहीं की गई है। डिटेचमेंट के लिए भंडार एवं कलपुर्जों के मामले में इन्हें मुम्बई से जारी किया जाता है तथा वर्ष के अंत में भंडार एवं कलपुर्जा का अंत भंडार पश्चिम क्षेत्र में संबंधित डिटेचमेंट द्वारा प्रस्तुत भौतिक सत्यापन रिपोर्टों के आधार पर रिकार्डबद्ध किया जाता है। इसके अलावा बही मात्रा तथा वास्तविक मात्रा के मध्य मालसूची मूवमेंट के किसी प्रकार व्यतिक्रम को हटाने के लिए यथोचित आंतरिक नियंत्रण स्थापित किए जाने चाहिए।	वित्तीय वर्ष 2023-24 में प्रत्येक क्षेत्रों में मालसूचियों का भौतिक सत्यापन किया गया था। लेखा बहियों के साथ भौतिक सत्यापन रिपोर्ट का मिलान किया जा रहा है। भौतिक सत्यापन से पाई गई न्यूनताओं एवं अतिरिक्त का लेखांकन पश्चिम क्षेत्र के लिए किया गया है।
ख.	कम्पनी को वर्ष के दौरान किसी भी समय, चालू परिसंपत्तियों की प्रतिभूति के आधार पर बैंकों अथवा वित्तीय संस्थानों से कुल 5 करोड़ रुपएसे अधिक की कार्यशील पूंजी सीमा स्वीकृत नहीं की गई है, अतः खंड 3(ii)(ख) के अंतर्गत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।	कोई टिप्पणी अपेक्षित नहीं है
3.	हमारे मतानुसार एवं हमें प्रस्तुत सूचना एवं दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, कम्पनी ने किन्हीं कंपनियों, फर्मों, सीमित देयता भागीदारी अथवा किसी अन्य पार्टियों को न तो कोई गारंटी अथवा प्रतिभूति अथवा कोई ऋण अथवा अग्रिम राशि प्रदान की है और न ही प्रतिभूत अथवा अप्रतिभूत ऋण के रूप में कोई निवेश किया है। इस प्रकार आदेश के खंड 3(iii) के अंतर्गत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।	कोई टिप्पणी अपेक्षित नहीं है

4.	हमारे मतानुसार एवं हमें प्रस्तुत सूचना एवं दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, कम्पनी द्वारा किसी ऋण, निवेश, गारंटी और सुरक्षा नहीं दी गई है/प्रदान नहीं की है तथा तदनुसार अधिनियम की धारा 185 और 186 के प्रावधान लागू नहीं हैं।	कोई टिप्पणी अपेक्षित नहीं
5.	हमें प्रस्तुत सूचना एवं दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, कम्पनी ने कोई ऐसे जमा अथवा किसी ऐसी धनराशि की प्राप्ति नहीं की गई है जिसे जमा माना जाता है। अतः, आदेश के खंड 3(v) के अंतर्गत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।	कोई टिप्पणी अपेक्षित नहीं
6.	हमें दी गई जानकारी और दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, केंद्र सरकार ने कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 148(1) के अंतर्गत कम्पनी द्वारा निर्मित उत्पादों (और/या प्रदान की गई सेवाओं) के लिए लागत अभिलेखों के अनुरक्षण का प्रावधान नहीं किया है। तदनुसार, आदेश का खंड 3(vi) लागू नहीं है।	कोई टिप्पणी अपेक्षित नहीं
7.	क) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कम्पनी सामान्यतः माल एवं सेवा कर, भविष्य निधि, आयकर, बिक्री कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, मूल्य संवर्धन कर, उपकर तथा उनके संबंध में लागू अन्य सामग्रीगत सांविधिक देय राशियों सहित अविवादित देय राशियों का भुगतान नियमित रूप से संबंधित प्राधिकरणों को जमा किया जाता है। तथापि, कुछ मामलों में टीडीएस, व्यावसायिक कर और माल एवं सेवा कर (उत्तरी क्षेत्र के अधिकांश राज्यों में) जमा करने में देरी देखने में आई है। वर्ष के दौरान व्यावसायिक कर, भविष्य निधि, स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) तथा जीएसटी पर टीडीएस की क्रमशः 0.29 लाख रुपए, 48.23 लाख रुपए, 0.30 लाख रुपए तथा 0.023 लाख रुपए की राशि देय थी तथा आयकर पोर्टल (टीआरएसीईएस) पर टीडीएस के बकाया 65.02 लाख रुपए दर्शाए गए हैं जो वित्तीय वर्ष के अंतिम बकाया थे तथा भुगतान की देय तिथि से छह माह से अधिक अवधि के हैं।	कम्पनी द्वारा समाधान की प्रक्रिया की जा रही है तथा टीडीएस विवरण को संशोधित किया जा रहा है। अधिकांश टीडीएस मांग 2008-09 से 2016-17 की अवधि की रेंज में 5 से अधिक वर्ष पुरानी हैं। भविष्य निधि देरी से जमा किए जाने के बारे में ऊपर पर्याप्त स्पष्टीकरण दिया गया है। इसके अलावा, व्यावसायिक कर, जीएसटी पर टीडीएस आदि समाधान के पश्चात जमा कर दिया जाएगा।
ख)	हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, नीचे उल्लिखित के अलावा, आयकर, भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, बिक्री कर, सेवा कर, माल और सेवा कर, मूल्य वर्धित कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और उपकर का कोई बकाया नहीं है जो 31 मार्च, 2024 तक किसी विवाद के कारण कम्पनी द्वारा चुकता नहीं किया गया हो:	ये राशियां अतिरिक्त लेखांकन नोट संख्या 32(II) में विचार में ली गई हैं।

क्र. सं.	विधान विवरण	देयता का स्वरूप	राशि (रुपए लाख में)*	राशि से संबद्ध अवधि	विवादित मामला कहाँ लंबित है
1	वित्त अधिनियम, 1994	सेवा कर	532.31	वि.व. 2006-07	अपीलिय ट्रिब्यूनल, वीएटी, दिल्ली
2	वित्त अधिनियम, 1994	सेवा कर	447.43	वि.वर्ष 2010-11	अपीलिय ट्रिब्यूनल, मुम्बई
3	वित्त अधिनियम, 1994	सेवा कर	551.39	वि.वर्ष 2011-12	अपीलिय ट्रिब्यूनल, मुम्बई
4	वित्त अधिनियम, 1994	सेवा कर	274.07 (50.51)	वि.वर्ष 2012-13	अपीलिय ट्रिब्यूनल, मुम्बई
5	वित्त अधिनियम, 1994	सेवा कर	482.40 (43.00)	वि.वर्ष 2014-15	अपीलिय ट्रिब्यूनल, मुम्बई
6	वित्त अधिनियम, 1994	सेवा कर	223.50 (20.07)	वि.वर्ष 2015-16	अपीलिय ट्रिब्यूनल, मुम्बई
7	वित्त अधिनियम, 1994	सेवा कर	354.08 (33.29)	वि.वर्ष 2016-17	अपीलिय ट्रिब्यूनल, मुम्बई
8	वित्त अधिनियम, 1994	सेवा कर	31.84 (2.69)	वि.वर्ष 2017-18	अपीलिय ट्रिब्यूनल, मुम्बई
9	वित्त अधिनियम, 1994	दंड	182.20 (13.66)	वि.वर्ष 2009-13	अपीलिय ट्रिब्यूनल, मुम्बई
10	आयकर अधिनियम, 1961	व्ययों एवं ब्याज की अस्वीकृति	4742 (5046.84)	वि.वर्ष 1999-00	आईटीएटी, दिल्ली
11	आयकर अधिनियम, 1961	व्ययों एवं ब्याज की अस्वीकृति	2556 (3277.93)	वि.वर्ष 2000-01	आईटीएटी, दिल्ली
12	आयकर अधिनियम, 1961	व्ययों एवं ब्याज की अस्वीकृति	131.37	वि.वर्ष 2019-20	सीआईटी (अपील), दिल्ली
13	आयकर अधिनियम, 1961	व्ययों एवं ब्याज की अस्वीकृति	628.71 (1254.09)	वि.वर्ष 2020-21	सीआईटी (अपील), दिल्ली
14	केन्द्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017	धारा 73(9) के अंतर्गत ब्याज एवं दंड	12.10	वि.वर्ष 2017-18	राज्य कर विभाग, नोएडा, उत्तर प्रदेश

* कोष्ठक में दिए गए आंकड़े या तो विरोध सहित जमा करवाई राशि अथवा प्राधिकरणों द्वारा कम्पनी को देय धनवापसी रोके जाने की सूचक है।

8.	हमें प्रदान की गई सूचना तथा दिए गए स्पष्टीकरण एवं कम्पनी के रिकार्डों की हमारे द्वारा की गई जांच के आधार पर पूर्व रिकार्ड की गई आय से संबंधित कोई भी ऐसा संव्यवहार नहीं हुआ है जो आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत कर निर्धारण वर्ष में आय के रूप में प्रस्तुत अथवा प्रकट किया गया हो।	कोई टिप्पणी अपेक्षित नहीं है
ख.	हमें दी गई सूचना और दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, कम्पनी को किसी भी बैंक अथवा वित्तीय संस्थान अथवा सरकार अथवा किसी सरकारी प्राधिकरण द्वारा स्वेच्छाचारी चूककर्ता घोषित नहीं किया गया है।	कोई टिप्पणी अपेक्षित नहीं
ग.	हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कम्पनी ने कोई सावधि ऋण नहीं लिया है, तदनुसार आदेश के खंड 3(ix)(ग) पर रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।	कोई टिप्पणी अपेक्षित नहीं
घ.	कम्पनी के वित्तीय विवरणों की समग्र जांच से यह ज्ञात हुआ है कि अल्पावधि आधार पर जुटाई गई धनराशि का, प्रथम दृष्टया उपयोग वर्ष के दौरान कम्पनी द्वारा दीर्घकालिक उद्देश्यों से नहीं किया गया है।	कोई टिप्पणी अपेक्षित नहीं
ग)	हमें प्रदान की गई सूचना एवं दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार कम्पनी ने वर्ष के दौरान किसी प्रकार के आवधिक ऋण तथा ऋण प्राप्त नहीं किए हैं। तदनुसार, कम्पनी (लेखापरीक्षा रिपोर्ट) आदेश 2020 ('आदेश') का पैराग्राफ 3(ix)(ग) कम्पनी के संबंध में लागू नहीं है।	कोई टिप्पणी अपेक्षित नहीं
ङ.	कम्पनी के वित्तीय विवरणों की समग्र जांच से यह ज्ञात हुआ है कि कम्पनी ने किसी इकाई अथवा व्यक्ति से कोई निधियां अथवा अपनी सहायक कम्पनियों के दायित्वों की पूर्ति के लिए कोई निधियां प्राप्त नहीं की गई हैं। कम्पनी की कोई सहायक कम्पनी अथवा संयुक्त उद्यम नहीं है।	कोई टिप्पणी अपेक्षित नहीं
च.	हमें प्रदान की गई सूचना तथा दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, कम्पनी ने वर्ष के दौरान अपनी प्रतिभूतियों, संयुक्त उद्यमों अथवा सहयोगी कंपनियों में रखी गई प्रतिभूतियों को रेहन रखकर कोई ऋण नहीं लिया है तथा इस प्रकार आदेश के खंड 3(ix)(एफ) के अंतर्गत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।	कोई टिप्पणी अपेक्षित नहीं
10.	क. कम्पनी ने वर्ष के दौरान आरंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव अथवा फर्दर सार्वजनिक प्रस्ताव (ऋण लिखतों सहित) के माध्यम से कोई धनराशि नहीं जुटाई है। इस प्रकार आदेश के खंड 3(x)(ए) के अंतर्गत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।	कोई टिप्पणी अपेक्षित नहीं

ख.	हमें दी गई जानकारी और प्रस्तुत स्पष्टीकरणों तथा कम्पनी के रिकार्डों की हमारे द्वारा की गई जांच के आधार पर, कम्पनी ने वर्ष के दौरान शेयरों अथवा पूर्ण अथवा आंशिक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर का कोई अधिमान्य आवंटन अथवा निजी प्लेसमेंट नहीं किया है। तदनुसार, आदेश का खंड 3(x)(ख) लागू नहीं है।	कोई टिप्पणी अपेक्षित नहीं
11.	क. हमें प्रस्तुत सूचना और दिए गए स्पष्टीकरणों तथा हमारे द्वारा कम्पनी के रिकार्डों की जांच के आधार पर, हमारी लेखापरीक्षा के दौरान कम्पनी द्वारा अथवा कम्पनी के प्रति कोई जालसाजी प्रकाश में नहीं आई है अथवा रिपोर्ट नहीं की गई है।	कोई टिप्पणी अपेक्षित नहीं
ख.	हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार, कम्पनी अधिनियम की धारा 143 की उप-धारा (12) के अंतर्गत कम्पनी (लेखापरीक्षा एवं लेखापरीक्षक) नियम, 2014 के नियम 13 के अंतर्गत निर्धारित प्रपत्र एडीटी-4 में वर्ष के दौरान और इस रिपोर्ट की तिथि तक केंद्र सरकार के समक्ष कोई रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई है।	कोई टिप्पणी अपेक्षित नहीं
ग.	प्रबंधन से प्राप्त सूचना के अनुसार वर्ष के दौरान कम्पनी को कोई व्हिसलब्लोअर शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।	कोई टिप्पणी अपेक्षित नहीं
12.	हमारे मतानुसार तथा हमें प्रदान की गई सूचना एवं दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार यह कम्पनी निधि कम्पनी नहीं है तथा तदनुसार आदेश के खंड (xii) के अंतर्गत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।	कोई टिप्पणी अपेक्षित नहीं
13.	हमें प्रदान की गई सूचना एवं दिए गए स्पष्टीकरणों और कम्पनी के रिकार्डों की हमारे द्वारा की गई जांच के आधार पर कम्पनी सम्बद्ध पक्षकारों के साथ लागू संव्यवहार के संबंध में कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 और 188 का अनुपालन कर रही है तथा सम्बद्ध पक्षकारों के साथ संव्यवहार का वित्तीय विवरणों में विवरण का प्रकटीकरण लागू भारतीय लेखा मानकों के अनुसार किया गया है।	कोई टिप्पणी अपेक्षित नहीं
14.	क) हमारे मतानुसार कम्पनी में आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली स्थापित है, तथापि लेखा परीक्षा के दायरे एवं इसकी प्रभावशीलता में सुधार की आवश्यकता है।	कम्पनी द्वारा आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग को सुदृढ़ बनाने की प्रक्रिया की जा रही है।
ख)	हमने अपनी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं की प्रकृति, समय और सीमा का निर्धारण करने के लिए वर्ष के दौरान और आज तक कम्पनी को जारी की गई लेखा परीक्षा के अंतर्गत वर्ष की आंतरिक लेखा परीक्षा रिपोर्टों को विचार में लिया है।	कोई टिप्पणी अपेक्षित नहीं

15.	हमें दी गई सूचना और प्रस्तुत स्पष्टीकरणों तथा कम्पनी के रिकार्डों की हमारी जांच के आधार पर, कम्पनी ने निदेशकों अथवा उनसे सम्बद्ध व्यक्तियों के साथ कोई गैर-नकद संव्यवहार नहीं किया है। अतः आदेश के खंड (xv) के अंतर्गत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।	कोई टिप्पणी अपेक्षित नहीं
16.	क. हमारे मतानुसार, कम्पनी से भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-IA के अंतर्गत पंजीकृत किए जाने की अपेक्षा नहीं है। अतः आदेश के खंड 3(xvi) (क), (ख) और (ग) के अंतर्गत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती।	कोई टिप्पणी अपेक्षित नहीं
ख.	हमारे मतानुसार, समूह के अंतर्गत कोई कोर निवेश कम्पनी नहीं है (जैसा कि कोर निवेश कंपनियां (रिज़र्व बैंक) निर्देश, 2016 में परिभाषित है) और तदनुसार आदेश के खंड 3(xvi)(घ) के अंतर्गत रिपोर्टिंग लागू नहीं हैं।	कोई टिप्पणी अपेक्षित नहीं
17.	कम्पनी को हमारे लेखापरीक्षा द्वारा कवर किए गए वित्तीय वर्ष तथा पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान कोई नकद हानि नहीं हुई है।	कोई टिप्पणी अपेक्षित नहीं
18.	वर्ष के दौरान कम्पनी के किसी भी सांविधिक लेखा परीक्षक ने त्यागपत्र नहीं दिया है।	कोई टिप्पणी अपेक्षित नहीं
19.	वित्तीय अनुपातों, वित्तीय परिसम्पतियों के उपयोज्यता काल तथा उनसे प्रतिफल प्राप्ति की संभावित तिथियों तथा वित्तीय देयताओं के भुगतान, वित्तीय विवरणों से सम्बद्ध अन्य सूचना एवं हमें ज्ञात निदेशक मंडल तथा प्रबंधन की योजनाओं तथा हमारे द्वारा की गई जांच एवं अनुमानों को समर्थन करने वाले प्रमाणों के आधार पर हमारी जानकारी में ऐसा कुछ नहीं आया है, जिससे लेखापरीक्षा की तिथि को ऐसी कोई तथ्यात्मक अनिश्चितता हमें यह विश्वास करने पर बाध्य करे कि तुलन पत्र की तिथि से एक वर्ष की अवधि में देय होने पर कम्पनी तुलन पत्र की तिथि को अपनी विद्यमान देयताओं की पूर्ति करने में समर्थ नहीं होगी। हम, तथापि, यह उल्लेख करना चाहते हैं कि यह कम्पनी की भावी व्यवहार्यता के प्रति किसी प्रकार का कोई आश्वासन नहीं है। हम आगे यह भी उल्लेख करते हैं कि हमारी रिपोर्टिंग लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तिथि तक के तथ्यों पर आधारित है तथा हम इसके संबंध में न तो कोई गारंटी अथवा कोई आश्वासन दे रहे हैं कि तुलन पत्र की तिथि तक देय सभी देयताओं का तब कम्पनी द्वारा निवर्हन कर लिया जाएगा जब वे देय होंगी।	कोई टिप्पणी अपेक्षित नहीं

20. हमें प्रदान की गई सूचना तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों तथा कम्पनी के रिकार्डों के संबंध में हमारे द्वारा की गई जांच के आधार पर, कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 में उल्लिखित कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व के प्रावधान इंड एस वित्तीय विवरणों के नोट संख्या 32(XV) में किए गए उल्लेख के कारण कम्पनी के संबंध में लागू नहीं हैं।	कोई टिप्पणी अपेक्षित नहीं
21. हमारे मतानुसार तथा हमें प्राप्त सूचना एवं दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार कम्पनी (लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट) आदेश, 2020 के अंतर्गत पश्चिम क्षेत्र के शाखा लेखापरीक्षक द्वारा किसी प्रकार की ऐसी कोई अलग अर्हता अथवा प्रतिकूल टिप्पणी नहीं की गई है जो इन वित्तीय विवरणों में शामिल हो। पश्चिम क्षेत्र के संबंधित लेखापरीक्षक द्वारा की गई अर्हता अथवा प्रतिकूल टिप्पणी का मदवार समावेश / विलय कॉर्पोरेट क्षेत्र तथा उत्तरी क्षेत्र की रिपोर्टिंग में सीएआरओ रिपोर्ट के साथ क्रमशः किया गया है।	प्रतिकूल अर्हताओं का यथोचित स्पष्टीकरण आवश्यकतानुसार दिया गया है।

स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट की समान तिथि का अनुबंध 'ख'

लेखापरीक्षकों का प्रेक्षण	निदेशक मंडल के उत्तर
कम्पनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 143 की उप धारा 3 के खंड वाक्य (i) के अंतर्गत आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की रिपोर्ट हमें पवन हंस लिमिटेड की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का लेखा परीक्षण उक्त तिथि को समाप्त वर्ष के लिए हमारे द्वारा किए गए वित्तीय विवरणों के लेखा परीक्षण के साथ करने का दायित्व सौंपा गया है।	
मत का प्रकटीकरण कम्पनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली हमें यह निर्धारण करने के लिए उपलब्ध नहीं करवाई गई थी कि क्या कम्पनी में वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित किए गए हैं अथवा नहीं किए गए हैं तथा क्या ये आंतरिक वित्तीय नियंत्रण 31.03.2024 की स्थिति के अनुसार प्रभावी ढंग से कार्यशील थे अथवा नहीं थे। तदनुसार हम अपने इस मत की अभिव्यक्ति के लिए पर्याप्त यथोचित लेखापरीक्षा प्रमाण भी उपलब्ध नहीं कर पाए हैं कि क्या कम्पनी में वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित हैं अथवा नहीं हैं तथा क्या ऐसे नियंत्रण 31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार प्रभावी रूप से परिचालनात्मक थे अथवा नहीं थे। हमने ऊपर सूचित प्रकटीकरण को कम्पनी के वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा की प्रकृति, समयावली तथा लेखापरीक्षा जांच में उपयोग्यता के विस्तार के निर्धारण के लिए विचार में लिया है तथा इस प्रकटीकरण से कम्पनी के वित्तीय विवरणों के संबंध में हमारा मत प्रभावित हुआ है तथा हमने वित्तीय विवरणों के लिए प्रतिकूल मत की अभिव्यक्ति की है।	कम्पनी में निम्नलिखित सहायता समर्थन के साथ सुदृढ़ आंतरिक नियंत्रण परिवेश की व्यवस्था पहले से ही स्थापित है :- - विधिवत परिभाषित प्राधिकार मैट्रिक्स, क्रय मैनुअल, तथा मानव संसाधन मैनुअल - आंतरिक लेखापरीक्षा, सतर्कता समीक्षा, सीएजी लेखापरीक्षा, एवं कम्पनी अधिनियम के अंतर्गत सांविधिक लेखापरीक्षा के अलावा नागर विमानन महानिदेशालय नियमावली एवं विनियमों की अनुरूपता। - प्रभावी प्रलेखन प्रणालियां, सभी संव्यवहारों के संबंध में समानुकरण / समुच्चयन एवं प्रस्तुति / रिपोर्टिंग स्तर पर नियंत्रण परिचालन के साथ समीक्षा एवं सुपरवीजन - स्थिर परिसम्पति प्रबंधन, प्रापण प्रक्रिया, राजस्व लेखांकन, सांविधिक अनुपालन, कोष प्रबंधन, मानव संसाधन प्रबंधन एवं सूचना प्रौद्योगिकी के लिए नियंत्रण तंत्र व्यवस्था की स्थापना इन फ्रेमवर्कों से यह सुनिश्चित होता है कि आंतरिक नियंत्रण स्थापित हैं तथा ये प्रभावी रूप में कार्यशील हैं। यह प्रलेखन एवं प्रस्तुति भिन्नता है तथा इससे यह नहीं माना जा सकता कि कम्पनी की आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों में किसी प्रकार की सामग्रीगत निर्बलता है।

कृते एवं निदेशक मंडल के निमित्त

दिनांक : 21.08.2025
स्थान : नोएडा

ह/-
(संजीव राजदान)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन :08711596

साचिविक लेखा परीक्षा रिपोर्ट 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के संबंध में

अनुलग्नक-घ

[कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 204(1) तथा कम्पनी (प्रबंधन कार्मिकों की नियुक्ति एवं पारिश्रमिक) नियमावली, 2014 के नियम 9 के अनुसरण में]

सेवा में

सदस्य,

पवन हंस लिमिटेड

हमने पवन हंस लिमिटेड (सीईएन यू62200यूपी 1985जीओआई129953) (एतद्वारा कम्पनी के नाम से संबोधित) द्वारा लागू सांविधिक प्रावधानों एवं उत्तम निगमित व्यवहारों का अनुसरण किए जाने का साचिविक लेखापरीक्षण किया है। साचिविक लेखापरीक्षण की प्रक्रिया का संचालन निगमित आचरण / सांविधिक अनुपालन के मूल्यांकन का औचित्यपरक आधार प्राप्त करने तथा उनके संबंध में अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए किया गया था।

क. हमारे द्वारा कम्पनी की बहियों, प्रपत्रों, कार्य विवरण पुस्तिकाओं, फार्मों एवं दाखिल की गई विवरणियों तथा कम्पनी द्वारा अनुरक्षित किए गए अन्य रिकार्ड तथा साचिविक लेखापरीक्षण का निर्वाह किए जाने के दौरान कम्पनी एवं प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा भी हमें उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं के संबंध में की गई जांच के आधार पर हम, एतद्वारा, यह सूचित करते हैं कि हमारे मतानुसार 31 मार्च, 2024 ("लेखापरीक्षा अवधि") को समाप्त वित्तीय वर्ष की समाहित लेखापरीक्षण अवधि के दौरान कम्पनी द्वारा यहां सूचीबद्ध सांविधिक प्रावधानों का पूर्णतः अनुसरण किया गया है तथा कम्पनी में यहां किए गए उल्लेख के अनुसार निदेशक मंडल प्रक्रियाएं एवं अनुसरण की यंत्र-व्यवस्था, रिपोर्टिंग किए जाने की शर्त के साथ, यथोचित ढंग से की गई है:

ख. हमने निम्नलिखित प्रावधानों का अनुसरण किए जाने के संदर्भ में 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कम्पनी की बहियों, प्रपत्रों, कार्य विवरण पुस्तिकाओं, फार्मों एवं दाखिल की गई विवरणियों तथा कम्पनी द्वारा अनुरक्षित किए गए अन्य रिकार्ड की जांच की है :-

- (i) कम्पनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) तथा उसके अध्याधीन निर्मित नियम;
- (ii) प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 ('एससीआरए') तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियम; **(लेखापरीक्षा अवधि के लिए कम्पनी पर लागू नहीं)**
- (iii) निक्षेपागार अधिनियम, 1996 तथा कम्पनी के संबंध में यथा लागू उसके अध्याधीन निर्मित विनियम एवं उप नियम;
- (iv) विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 तथा उसके अंतर्गत विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, समुद्रपारीय प्रत्यक्ष निवेश तथा विदेशी वाणिज्यिक ऋणों के लिए निर्मित नियम तथा विनियम **(लेखापरीक्षण अवधि के लिए कम्पनी पर लागू नहीं)**
- (v) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 ("सेबी अधिनियम") के अध्याधीन निर्धारित विनियमों एवं दिशानिर्देशों **(लेखापरीक्षण अवधि के लिए कम्पनी पर लागू नहीं)**

- (vi) लोक उद्यम विभाग द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के केन्द्रीय उपक्रमों के लिए जारी कॉर्पोरेट गवर्नेंस दिशानिर्देश 2010 (डीपीई दिशानिर्देश)
- (vii) हम आगे यह रिपोर्ट करते हैं कि कम्पनी में स्थापित अनुपालन प्रणाली को ध्यान में रखकर हमारे द्वारा औचक आधार पर संबंधित दस्तावेजों एवं रिकार्डों की जांच से हमें यह ज्ञात हुआ है कि कम्पनी द्वारा सामान्यतः कम्पनी के संबंध में प्रबंधन के संज्ञान के अनुसार यथा लागू यान अधिनियम, 1934 तथा वायुयान नियमावली, 1937 आदि सहित लागू कानूनों का अनुपालन किया गया है।
- ग. हमने नीचे उल्लिखित लागू उपवाक्यों का अनुसरण किए जाने के संबंध में भी जांच की है :-
- (i) इंस्टीट्यूट ऑफ कम्पनी सैक्रेटरिज्स ऑफ इंडिया (भारतीय कम्पनी सचिव संस्थान) द्वारा निदेशक मंडल की बैठकों (एसएस-1) तथा आम सभाओं (एसएस-2) के संबंध में जारी साचिविक मानक ।
- (ii) कम्पनी द्वारा स्टॉक एक्सचेंज (एक्सचेंजों) के साथ किए गए सूचीबद्धता अनुबंध **(लेखापरीक्षण अवधि के लिए कम्पनी पर लागू नहीं)**
- घ. विचाराधीन अवधि के दौरान, नीचे उल्लिखित प्रेक्षणों के साथ, कम्पनी द्वारा अधिनियम, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानकों, इत्यादि के प्रावधानों के संबंध में अनुपालन किया गया है:
- (i) निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित वित्तीय वर्ष 2022-23 से संबंधित लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां प्राप्त न होने के कारण दिनांक 29.12.2023 को आयोजित कम्पनी की 38वीं वार्षिक आम सभा में प्रस्तुत नहीं किए जा सके थे (कम्पनी द्वारा 3 माह के लिए विस्तार प्राप्त कर लिया गया था)। भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों के साथ इन्हें कम्पनी की स्थगित 38वीं वार्षिक आम सभा में दिनांक 23.7.2024 को प्रस्तुत किया गया था तथा इन्हें शेयरधारकों द्वारा स्वीकार कर लिया गया था।
- (ii) अधिनियम की धारा 173(1) के अनुसार आयोजित की जाने वाली निदेशक मंडल की दो बैठकों के मध्य अंतराल की अवधि 120 दिन से अधिक नहीं होनी चाहिए। तथापि, कम्पनी के रिकार्ड की संवीक्षा से यह देखा गया है कि निदेशक मंडल की दिनांक 17.5.2023 तथा 27.9.2023 को आयोजित बैठकों के मध्य अंतराल की अवधि 120 दिन से अधिक है।
- (iii) लोक उद्यम विभाग के दिशानिर्देशों के संबंध में :
- सरकार द्वारा नियुक्त किए जाने वाले नामित निदेशकों की संख्या अधिकतम दो होनी चाहिए। निदेशक मंडल का गठन लोक उद्यम विभाग के दिशानिर्देशों के खंड 3.1.4 के अनुसरण में दिनांक 1.4.2023 से 15.6.2023 तथा 17.8.2023 से 31.3.2024 की अवधि में नहीं किया गया है, दिशानिर्देशों के अनुसार निदेशक मंडल में कम से कम एक तिहाई निदेशक स्वतंत्र निदेशक होने चाहिए।
 - निदेशक मंडल की किन्हीं दो बैठकों में अंतराल तीन माह से अधिक नहीं होना चाहिए। तथापि, कम्पनी के रिकार्ड की जांच से यह देखने में आया है कि दिनांक 18.12.2023 तथा 17.5.2023, दिनांक 17.5.2023 एवं 27.9.2023 तथा दिनांक 7.11.2023 एवं 6.3.2024 को आयोजित बैठकों के मध्य अंतराल की अवधि तीन माह की निर्धारित सीमा से अधिक है।
 - निदेशक मंडल ने लोक उद्यम विभाग के दिशानिर्देशों का अनुसरण करके कम्पनी के संबंध में लागू सभी विधियों की अनुपालन रिपोर्ट की समीक्षा नहीं की है।

(ड) हम आगे यह रिपोर्ट करते हैं कि :

- (i) कम्पनी के निदेशक मंडल का गठन कार्यपालक निदेशकों, गैर-कार्यपालक निदेशकों के विधिवत संतुलन के साथ, पैरा घ में किए गए उल्लेख के अनुसार कम्पनी के निदेशक मंडल में नामित निदेशक (निदेशकों) तथा स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के अलावा, किया गया है। विचाराधीन अवधि के दौरान निदेशक मंडल की संरचना के संबंध में किए गए परिवर्तन अधिनियम के उपबंधों का अनुसरण करते हुए किए गए हैं।
 - (ii) निदेशक मंडल की बैठकों के आयोजन के संबंध में सभी निदेशकों को पर्याप्त नोटिस दिया जाता है, कार्यसूची तथा कार्यसूची के विस्तृत नोट अग्रिम तौर से सामान्यतः सात दिन पूर्व भेजे जाते हैं, तथापि, कुछ मामलों में नोटिस एवं कार्यसूची दस्तावेज निदेशक मंडल की सहमति से कम अवधि में भिजवाए गए थे तथा बैठक के आयोजन से पूर्व अतिरिक्त सूचना एवं स्पष्टीकरण ज्ञात करने एवं प्राप्त करने तथा बैठक में अर्थपूर्ण प्रतिभागिता के लिए व्यवस्था विद्यमान है।
 - (iii) कार्यवृत्तों में किए गए रिकार्ड के अनुसार निदेशक मंडल अथवा मंडल की समितियों की बैठकों में लिए गए सभी निर्णय, जैसे भी मामलें हों, एकमत रूप से लिए गए हैं।
- च. हम आगे यह रिपोर्ट करते हैं कि प्राप्त सूचना तथा अनुरक्षित रिकार्डों के अनुसार लागू विधानों, नियमों, विनियमों तथा दिशानिर्देशों का संचलन एवं अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कम्पनी के आकार एवं प्रचालनों के अनुरूप पर्याप्त प्रणाली एवं प्रक्रियाएं विद्यमान हैं।

नोट :

यह रिपोर्ट “अनुबंध-क” पर संलग्न हमारे इसी तिथि के पत्र के साथ पठित है तथा यह इस रिपोर्ट का अभिन्न भाग है।

कृते वीएपी एंड एसोसिएट्स
कंपनी सचिव
एफआरएन: पी2023यूपी098500
पीयर समीक्षा संख्या: 1083/2021

ह./-
पारुल जैन
स्तत्वधारी
एम. संख्या एफ8323
सीपी संख्या 13901
यूडीआईएन: F008323G000858031

स्थान: गाजियाबाद
दिनांक: 25.7.2025

सेवा में,
**सदस्यगण,
पवन हंस लिमिटेड**

हमारी समान तिथि की रिपोर्ट को इस पत्र के साथ पढ़ा जाना है।

1. साचिविक रिकार्ड का अनुरक्षण कम्पनी के प्रबंधन का दायित्व है। हमारा दायित्व इन साचिविक रिकार्डों की हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर अपने मत की अभिव्यक्ति करना है।
2. हमने प्रत्येक उन लेखांकन व्यवहारों एवं प्रक्रियाओं का उपयोग किया है जो साचिविक रिकार्डों के सार की शुद्धता का औचित्यपरक आश्वासन प्राप्त करने के लिए उचित हैं। साचिविक रिकार्डों में प्रस्तुत तथ्यों के सही होने का परीक्षण आधार पर सत्यापन किया गया था। हमारा ऐसा मानना है कि हमारे द्वारा अनुसरण की गई प्रक्रियाएं एवं व्यवहार हमारे मत की अभिव्यक्ति का उचित आधार है।
3. कॉर्पोरेट एवं अन्य लागू कानूनों, नियमों, विनियमों, मानकों के प्रावधानों के अनुपालन का दायित्व प्रबंधन का है। हमारा द्वारा किया गया परीक्षण औचक आधार पर प्रक्रियाओं के सत्यापन तक सीमित है।
4. हमारे द्वारा की गई लेखापरीक्षा केवल कम्पनी द्वारा लागू कानूनों के विधिसम्मत अनुपालन तक ही सीमित है, हमने इनके संबंध में व्यावहारिक पहलू की जांच नहीं की है।
5. हमने कम्पनी के वित्तीय रिकार्डों तथा लेखा बहियों की शुद्धता एवं उपयुक्तता एवं विनिर्दिष्ट कानूनों के अंतर्गत कम्पनी से प्रस्तुति के लिए अपेक्षित विभिन्न प्रकटीकरणों तथा विवरणों में सूचित मूल्यों एवं आंकड़ों की शुद्धता का सत्यापन नहीं किया है। तथापि, हमने कुछ सीमा तक इन विवरणों में दी गई सूचना का उपयोग किया है।
6. इस लेखापरीक्षा में कम्पनी द्वारा प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष कानूनों जैसे कम्पनी के संबंध में लागू वित्तीय कानूनों के अनुपालन की समीक्षा नहीं की गई है क्योंकि इसकी समीक्षा सांविधिक लेखापरीक्षकों तथा अन्य नामोद्दिष्ट व्यावसायिकों द्वारा की जानी है तथा रिपोर्ट में दिए गए सार का पठन उसके समुच्चय में किया जाना है तथा न कि किसी अन्य लेखापरीक्षक (लेखापरीक्षकों) / एजेंसियों/ प्राधिकरणों द्वारा कम्पनी के संबंध में प्रस्तुत / प्रस्तुत की जाने वाली रिपोर्ट (रिपोर्टों) में किए गए प्रेक्षणों, यदि कोई हों, से पृथक किया जाना है।
7. आंतरिक, वित्तीय एवं परिचालन नियंत्रणों सहित लेखापरीक्षा की अंतर्निहित सीमाओं के कारण इनमें ऐसा अपरिहार्य जोखिम व्याप्त होता है जिसके प्रभाव से मिथ्याकथन अथवा सामग्रीगत उल्लंघन ज्ञात नहीं हो पाते हैं, तथापि, लेखापरीक्षा की योजना सही ढंग से बनाई गई है तथा लेखापरीक्षा व्यवहारों के अनुसरण में निष्पादन किए गए हैं।
8. हमने, जहां कहीं आवश्यकता प्रतीत हुई है, प्रबंधन से कानूनों, नियमों एवं विनियमों तथा घटनाओं के घटित होने आदि के संबंध में प्रस्तुतियां प्राप्त की हैं।

9. यह साचिविक रिपोर्ट कम्पनी की किसी प्रकार की भावी व्यवहार्यता का न तो प्रमाणन करती है तथा न ही यह कम्पनी के प्रबंधन द्वारा किए जाने वाले क्रियाकलापों की कार्य कुशलता अथवा प्रभाव्यता के संबंध में किसी प्रकार का आश्वासन है।

कृते वीएपी एंड एसोसिएट्स

कम्पनी सचिव

एफआरएन: एस2014यूपी280200

पीयर समीक्षा संख्या: 1083/2021

ह/-

पारुल जैन

स्तत्वधारी

एम. संख्या एफ8323

सीपी सं 13901

यूडीआईएन : एफ008323जी000858031

स्थान: गाजियाबाद

दिनांक: 25.7.2025



सचिवीय लेखापरीक्षकों द्वारा अपने लेखापरीक्षा रिपोर्ट - वर्ष 2023-24 में की गई टिप्पणियों के प्रति निदेशक मंडल के उत्तर

प्रेक्षण (i):

- (i) निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित वित्तीय वर्ष 2022-23 से संबंधित लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां प्राप्त न होने के कारण दिनांक 29.12.2023 को आयोजित कम्पनी की 38वीं वार्षिक आम सभा में प्रस्तुत नहीं किए जा सके थे (कम्पनी द्वारा 3 माह के लिए विस्तार प्राप्त कर लिया गया था)। भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों के साथ इन्हें कम्पनी की स्थगित 38वीं वार्षिक आम सभा में दिनांक 23.7.2024 को प्रस्तुत किया गया था तथा इन्हें शेयरधारकों द्वारा स्वीकार कर लिया गया था।

प्रेक्षण का उत्तर (i) :

भविष्य में अनुपालन के लिए नोट कर लिया है।

प्रेक्षण (ii):

अधिनियम की धारा 173(1) के अनुसार आयोजित की जाने वाली निदेशक मंडल की दो बैठकों के मध्य अंतराल की अवधि 120 दिन से अधिक नहीं होनी चाहिए। तथापि, कम्पनी के रिकार्ड की संवीक्षा से यह देखा गया है कि निदेशक मंडल की दिनांक 17.5.2023 तथा 27.9.2023 को आयोजित बैठकों के मध्य अंतराल की अवधि 120 दिन से अधिक है।

प्रेक्षण (ii) के उत्तर :

भविष्य में अनुपालन के लिए नोट कर लिया है।

लोक उद्यम विभाग के दिशानिर्देशों से संबंधित प्रेक्षण (iii)

- क. सरकार द्वारा नियुक्त किए जाने वाले नामित निदेशकों की संख्या अधिकतम दो होनी चाहिए। निदेशक मंडल का गठन लोक उद्यम विभाग के दिशानिर्देशों के खंड 3.1.4 के अनुसरण में दिनांक 1.4.2023 से 15.6.2023 तथा 17.8.2023 से 31.3.2024 की अवधि में नहीं किया गया है, दिशानिर्देशों के अनुसार निदेशक मंडल में कम से कम एक तिहाई निदेशक स्वतंत्र निदेशक होने चाहिए।
- (ख) निदेशक मंडल की किन्हीं दो बैठकों में अंतराल तीन माह से अधिक नहीं होना चाहिए। तथापि, कम्पनी के रिकार्ड की जांच से यह देखने में आया है कि दिनांक 18.1.2023 तथा 17.5.2023, दिनांक 17.5.2023 एवं 27.9.2023 तथा दिनांक 7.11.2023 एवं 6.3.2024 को आयोजित बैठकों के मध्य अंतराल की अवधि तीन माह की निर्धारित सीमा से अधिक है।
- (ग) निदेशक मंडल ने लोक उद्यम विभाग के दिशानिर्देशों का अनुसरण करके कम्पनी के संबंध में लागू सभी विधियों की अनुपालन रिपोर्ट की समीक्षा नहीं की है।

प्रेक्षण (iii) के उत्तर :

- (क) कम्पनी के निदेशक मंडल का गठन प्रशासनिक मंत्रालय यथा नागर विमानन मंत्रालय द्वारा किया जाता है। निदेशक मंडल के उचित गठन का मामला लोक उद्यम विभाग के दिशानिर्देशों के नागर विमानन मंत्रालय के सम्मुख प्रस्तुत किया गया है। दिनांक 09.12.2024, 05.02.2025 तथा 15.05.2025 को इसके संबंध अनुरोध पत्र भी भेजे गए हैं।
- (ख) इसे भविष्य में अनुपालन के लिए नोट कर लिया है।
- (ग) लोक उद्यम विभाग के दिशानिर्देशों का अनुसरण करते हुए वित्तीय वर्ष 2023-24 से संबंधित कम्पनी के संबंध में लागू कानूनों की अनुपालन रिपोर्ट को लेखापरीक्षा समिति द्वारा दिनांक 5.6.2024 को आयोजित अपनी 79वीं बैठक में नोट किया गया है। निदेशक मंडल द्वारा इसकी समीक्षा किए जाने का सुझाव भविष्य में अनुपालन के लिए नोट किया गया है।

कृते एवं निदेशक मंडल के निमित्त

ह/-

(संजीव राजदान)

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

डी आई एन: 08711596

दिनांक : 21.8.2025

स्थान : नोएडा

निदेशक मंडल की रिपोर्ट का अनुबंध 'ड.' फार्म संख्या एओसी -2

(अधिनियम की धारा 134 उप-धारा (3) के खंड वाक्य (एच) तथा कम्पनी (लेखा) नियमावली, 2014 के नियम 8(2) के अनुसरण में)

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 की उप-धारा (1) में संदर्भित संबद्ध पार्टियों के साथ कम्पनी द्वारा तत्संबंधी तीसरे परन्तुक के अंतर्गत किए गए आम्स लैथ संव्यवहारों सहित किए गए अनुबंध / की गई व्यवस्थाओं के विवरणों के प्रकटीकरण का फार्म

1. आम्स लैथ के अलावा किए गए अनुबंधों अथवा की गई व्यवस्थाओं अथवा किए गए संव्यवहारों का विवरण

क्र.सं.	(क) संबद्ध पार्टी का/के नाम तथा संबद्धता	(ख) अनुबंध / व्यवस्थाओं / संव्यवहारों का स्वरूप	(ग) अनुबंध / व्यवस्थाओं / संव्यवहारों की अवधि	(घ) अनुबंध की प्रमुख शर्तें अथवा	(ङ) निदेशक मंडल द्वारा दिए गए अनुमोदन की तिथि (तिथियां), यदि कोई हों	(च) अग्रिम के रूप में चुकता राशि, यदि कोई हो	(ज) धारा 188 के प्रथम परन्तुक के अंतर्गत की गई अपेक्षा के अनुसार किस तिथि को आम बैठक में विशेष संकल्प पारित किया गया
	नाम	संबद्धता		प्रमुख शर्तें	संव्यवहार मूल्य (रुपए मिलियन में)		
					शून्य		

2. आम्स लैथ आधार पर किए गए अनुबंध अथवा व्यवस्थाएं अथवा संव्यवहारों का विवरण

क्र.सं.	(क) संबद्ध पार्टी का/के नाम तथा संबद्धता	(ख) अनुबंध / व्यवस्थाओं / संव्यवहारों का स्वरूप	(ग) अनुबंध / व्यवस्थाओं / संव्यवहारों की अवधि	(घ) अनुबंध की प्रमुख शर्तें अथवा	(ङ) निदेशक मंडल द्वारा दिए गए अनुमोदन की तिथि (तिथियां), यदि कोई हों	(च) अग्रिम के रूप में चुकता राशि, यदि कोई हो
	नाम	संबद्धता		प्रमुख शर्तें	संव्यवहार मूल्य (रुपए मिलियन में)	
1	तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड	एसोसिएट	वित्त वर्ष 2023-24 के लिए	आईसीबी के माध्यम से अनुबंध	10910.64	
2	तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड	एसोसिएट	वित्त वर्ष 2023-24 के लिए	वास्तविक	शून्य	
3	तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड	एसोसिएट	वित्त वर्ष 2023-24 के लिए	वास्तविक	844.84	

कृते एवं निदेशक मंडल के निमित्त

दिनांक : 21.8.2025

स्थान : नोएडा

ह/-

(संजीव राजदान)

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डी आई एन: 08711596

निदेशक मंडल की वर्ष 2023-24 की रिपोर्ट में शामिल किए जाने कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्वों के क्रियाकलापों की वार्षिक रिपोर्ट

1. कम्पनी द्वारा प्रक्रिया के लिए प्रस्तावित परियोजनाओं अथवा कार्यक्रमों एवं इसके वेब-लिंक के परिदृश्य सहित कम्पनी की कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व नीति की संक्षिप्त रूपरेखा

निदेशक मंडल द्वारा दिनांक 2 मई, 2017 को आयोजित अपनी 158वीं बैठक में कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 135, कारपोरेट मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी कम्पनी (कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व नीति) नियमावली, 2014 तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए लोक उद्यम विभाग, भारत सरकार द्वारा कॉर्पोरेट सामाजिक नीति (सीएसएस) एवं संवहनीयता के संबंध में जारी दिशानिर्देशों (लो.उ.वि. दिशानिर्देश) में उल्लिखित कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व नीति की रूपरेखा के अनुरूप आपकी कम्पनी की कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व एवं संवहनीयता के लिए अनुमोदन प्रदान किया गया था।

यह कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII में सूचीबद्ध क्रियाकलापों की स्पष्ट व्याख्या के अनुसार पवन हंस लिमिटेड द्वारा भारत के भौगोलिक क्षेत्र की सीमाओं में प्रमुखतः समाज के सुविधाहीन वंचित, निर्धन वर्ग के हितार्थ एवं पर्यावरण के लिए निर्वाह किए जा रहे सभी कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व परियोजनाओं / कार्यक्रमों के लिए लागू है।

नीति के अनुसार परियोजनाओं / कार्यक्रमों का निर्धारण तथा उनके लिए आवंटित किया जाने वाला बजट योग्य कार्यान्वयन एजेंसियों के समावेश, आवश्यक मूल्यांकन एवं अपेक्षित प्रतिफल की स्पष्ट प्रक्रिया के माध्यम से किया जाता है। कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व परियोजनाओं / कार्यक्रमों के संबंध में निम्नलिखित घटकों को यथासंभव विचार में लिया जाता है:

- i. आवश्यक / व्यवहार्य समझे जाने पर आवश्यकता आधारित मूल्यांकन / बेसलाइन सर्वेक्षण/ अध्ययन ;
- ii. संज्ञान किए गए क्षेत्रों तथा भौगोलिक क्षेत्रों के लिए विशिष्ट एवं मापनयोग्य प्रयोजक / लक्ष्यों का निर्धारण करना;
- iii. परियोजना का निर्माण करना तथा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करना;
- iv. समय सीमाओं का निर्धारण करना - उनके संबंध में प्रारम्भ तिथि एवं समापन तिथि का स्पष्ट उल्लेख करना;
- v. वार्षिक वित्तीय निर्धारण विनिर्दिष्ट करना;
- vi. लाभग्राहियों (जहां संभव हो नाम के साथ) की स्पष्ट पहचान का उल्लेख करना;
- vii. परियोजना / कार्यक्रम की पूर्ण अवधि के लिए लक्ष्यों का स्पष्ट निर्धारण करना;
- viii. कार्यान्वयन एजेंसियों के साथ करार निष्पादित करना एवं हस्ताक्षर करना;
- ix. विस्तृत एवं सहमत दस्तावेज प्रक्रिया तैयार करना तथा उसका कार्यान्वयन करना;
- x. सुदृढ़ आवधिक समीक्षा करना तथा निगरानी करना;
- xi. अनिवार्य रिपोर्टिंग।

कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व एवं संवहनीयता समिति द्वारा अलग अलग कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व परियोजनाओं / कार्यक्रमों के लिए ध्यान दिए जाने वाले क्षेत्रों एवं बजट का निर्धारण सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों तथा गैर सरकारी / निजी एजेंसियों सहित विभिन्न सरकारी विभागों से प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर प्रारंभ में प्रथम स्तर (कनिष्ठ) स्तर पर तथा उसके पश्चात दूसरे स्तर (वरिष्ठ) पर किया जाता है।

पवन हंस लिमिटेड की वेबसाइट www.pawanhans.co.in में कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व एवं संवहनीयता नीति के क्रियाकलापों तथा दिनांक 28.2.2014, 6.8.2014, 24.10.2014 एवं 23.5.2016 की सरकारी राजपत्र अधिसूचनाओं, लोक उद्यम विभाग के दिनांक 21.10.2014 के कार्यालय ज्ञापन, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के दिनांक 28.6.2014 के सामान्य परिपत्र संख्या 21/2014, दिनांक 12.1.2016 के 01/2016, दिनांक 16.5.2016 के 05/2016 तथा लोक उद्यम विभाग के दिनांक 10.12.2018 के कार्यालय ज्ञापन संख्या सीएसआर-08/002/2018-डीआर (सीएसआर) जैसे अन्य दस्तावेजों के लिए लिंक उपलब्ध करवाए गए हैं।

2. कॉर्पोरेट सामाजिक समिति की संरचना

पवन हंस लिमिटेड के निदेशक मंडल की कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व समिति में निम्नलिखित सदस्य हैं:-

- i) श्री असंगबा चुबा आओ, संयुक्त सचिव, नागर विमानन मंत्रालय तथा निदेशक – पवन हंस लिमिटेड – अध्यक्ष
- ii) श्री पदम लाल नेगी, संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, नागर विमानन मंत्रालय तथा निदेशक, पवन हंस लिमिटेड – सदस्य
- iii) श्री प्रशांत सिंह, जीजीएम – प्रमुख न्यू एनर्जी (हाइड्रोजन एवं सीसीयूएस), ओएनजीसी एवं निदेशक, पवन हंस लिमिटेड – सदस्य

3. पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान कम्पनी का औसत लाभ विवरण :-

नीचे दिए गए विवरण के अनुसार कम्पनी का पिछले तीन वर्षों के दौरान औसत निवल लाभ नकारात्मक है:-

(रुपए लाख में)

विवरण	2020-21	2021-22	2022-23
धारा 198 के अंतर्गत लाभ/ हानि	(3317.07)	(1006.11)	(471.04)
पिछले तीन वर्षों में धारा 135 के अंतर्गत औसत लाभ/ हानि	(1598.07) (4794.22 / 3)		

4. निर्धारित कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व व्यय (ऊपर मद 3 की राशि का दो प्रतिशत)

ऊपर तालिका 3 में दी गई स्थिति के अनुसार पिछले तीन वर्षों में औसत लाभ नकारात्मक होने के कारण वित्तीय वर्ष 2023-24 में कोई कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व व्यय नहीं किया गया है।

5. वित्तीय वर्ष के दौरान किए गए कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व व्यय का विवरण।

औसत लाभ नकारात्मक होने के कारण वित्तीय वर्ष 2023-24 में कोई कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व व्यय नहीं किया गया है।

- (क) वित्तीय वर्ष में व्यय की जाने वाली कुल राशि - शून्य
- (ख) व्यय न की गई राशि, यदि कोई हो - लागू नहीं

6. यदि कम्पनी द्वारा पिछले तीन वर्षों के अपने निवल लाभ के औसत की दो प्रतिशत राशि अथवा उसके किसी भाग का व्यय नहीं किया गया है तो कम्पनी को ऐसी राशि का व्यय न करने के कारण अपने निदेशक मंडल की रिपोर्ट में उपलब्ध करवाने चाहिए।

यह लागू नहीं है क्योंकि कम्पनी से वित्तीय वर्ष 2023-24 में कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व क्रियाकलापों के लिए किसी राशि के व्यय की अपेक्षा नहीं है।



7. कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व समिति का इस आशय का उत्तरदेयता विवरण कि कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व नीति का कार्यान्वयन एवं मॉनीटरिंग कम्पनी के कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व उद्देश्यों एवं नीति के अनुसार किया गया है।

यह प्रमाणित किया जाता है कि कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व नीति का कार्यान्वयन एवं मॉनीटरिंग कम्पनी के कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व उद्देश्यों एवं नीति के अनुसार सभी पूर्व परियोजनाओं / कार्यक्रमों के संबंध में किया गया है।

ह/-

संजीव राजदान

दिनांक : 21.08.2025

स्थान : नोएडा

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक,

डीआईएन: 08711596

ह/-

असंगबा चुबा आओ

अध्यक्ष, कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व समिति,

डीआईएन: 08086220

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(ख) के अंतर्गत 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के पवन हंस लिमिटेड के वित्तीय विवरणों पर की गई टिप्पणियों के उत्तर

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां	निदेशक मंडल के उत्तर
क. स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के संबंध में टिप्पणियां प्रतिकूल मत का आधार (i) पैरा 6 मालसूची लेखापरीक्षा मानक (एसए) 720 के पैरा 21 में यह उल्लेख है कि यदि वित्तीय विवरणों में ऐसा कोई सामग्रीगत मिथ्याकथन है जो वित्तीय विवरणों (वित्तीय विवरणों के नोट में किए गए मात्रात्मक प्रकटीकरण सहित) की विनिर्दिष्ट राशियों से संबंधित है, तो लेखापरीक्षक को अपने मत के आधार भाग में, यदि अव्यवहारिक नहीं है, मिथ्याकथन से होने वित्तीय प्रभाव का वर्णन एवं प्रमात्रा शामिल करनी चाहिए। इसके संबंध में, पैरा 6(ख) मालसूची के प्रतिकूल मत के आधार में सांविधिक लेखापरीक्षकों ने यह उल्लेख किया है कि “कम्पनी ने हमें भंडार बही रिपोर्ट प्रस्तुत की है जो लेखांकन उद्देश्य के लिए उपयोग किए जाने वाले सॉफ्टवेयर से उत्पन्न की गई है। तथापि, अंत शेष की जांच के दौरान, सिस्टम द्वारा निर्मित बही के अनुसार अंत शेष उत्तरी क्षेत्र के वित्तीय विवरणों (वित्तीय विवरणों में अधिक) में दिए गए अंत शेष से भिन्न पाया गया है। सत्यापन करने पर प्रारम्भ शेष राशि 2028.70 लाख रुपए तथा चालू वर्ष की मालसूची अंतर राशि 34.81 लाख रुपए पाई गई थी जिससे कुल 2063.51 लाख रुपए की भिन्नता पाई गई है। प्रबंधन द्वारा दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार 34.81 लाख रुपए का मिलान अभी तक नहीं हो पाया है तथा इसके लिए कोई विवरण उपलब्ध नहीं किया गया है तथा इसके अलावा प्रबंधन द्वारा वैस्टलैंड मालसूची की ट्रेसेबिलिटी एवं भंडार प्रस्तुत नहीं की जा सकी है जो कि 2028.70 लाख रुपए की राशि की मालसूची में भिन्नता में प्रमुख कारण है। इसके परिणामस्वरूप परिसम्पतियों एवं लाभ/रिजर्व एवं अधिशेष में 2063.51 लाख रुपए की अत्युक्ति हुई है।”	भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट पर सांविधिक लेखापरीक्षकों की टिप्पणियां प्राप्त हुई हैं जिसमें उन्होंने लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट में की गई टिप्पणियों को दोहराया है। वैस्टलैंड मालसूची के संबंध में किए गए प्रावधान की ट्रेसेबिलिटी मेल के माध्यम से सांविधिक लेखापरीक्षकों को दिनांक 29 अप्रैल 2025 को प्रस्तुत की गई थी जिसमें मूल लागत, परिशोधन एवं ट्रॉयल शेष के अनुसार जीएल कोड सहित वहन राशि के प्रावधान का विवरण प्रस्तुत किया गया था। 2028.70 लाख रुपए मूल्य की मालसूची के प्रावधान जीएल 150510 - ओबीएसओएल के माध्यम से किए गए हैं। 1436.26 लाख रुपए (क्रेडिट) के रिवर्स -आर/आर वैस्टलैंड तथा शेष 592.44 लाख रुपए के वित्तीय वर्ष 1999-2000 के दौरान जीएल 270520 के माध्यम से किए गए हैं। इन बहियों के संबंध में किसी प्रकार की कोई मूवमेंट नहीं हुई है। इस मामले का पर्याप्त प्रकटीकरण उत्तरी क्षेत्र के लेखांकन नोटों में किया गया है तथा वित्तीय वर्ष 2023-24 में इससे कोई प्रभाव नहीं है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां स्वतः स्पष्ट हैं तथा इस मामले पर कम्पनी द्वारा दी गई प्रस्तुति की समर्थक हैं।

उपर्युक्त प्रतिकूल मत के आधार को निम्नलिखित को विचार में लेकर देखा जा सकता है:-

क) वेस्टलैंड मालसूची का मामला एक विधिक मामला है तथा इससे संबंधित विस्तृत प्रकटीकरण प्रबंधन द्वारा सांविधिक लेखापरीक्षकों को उपलब्ध करवाए गए उत्तरी क्षेत्र के वित्तीय विवरणों में किया गया है। उक्त नोट से ज्ञात होता है कि यह मामला वर्ष 1993 से संबंधित है जब भारत सरकार ने (18 जनवरी, 1993) वैश्विक निविदा के माध्यम से संबंधित मालसूची सहित समग्र वेस्टलैंड उड़ान बेड़े की बिक्री किए जाने का निर्णय लिया गया था। इसी नोट में आगे वेस्टलैंड मालसूची के 647 लाख रुपए के बही मूल्य के पूर्ण प्रावधान किए जाने का उल्लेख है।

ख) इसके अलावा, पवन हंस लिमिटेड के उत्तरी क्षेत्र के वित्तीय विवरणों की जांच से यह ज्ञात हुआ है कि प्रबंधन ने वेस्टलैंड मालसूचियों की परिशोधन मूल्य के संबंध में लेखा प्रावधान निर्मित किए थे जो रोटेटब्ल्स / मरम्मतयोग्य, भंडार एवं स्पेयर्स की प्रकृति के थे तथा वेस्टलैंड मालसूचियों का मूल्य मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार 647 लाख रुपए है।

इस प्रकार, पवन हंस लिमिटेड के उत्तरी क्षेत्र के लेखांकन नोटों में किए गए उपर्युक्त प्रकटीकरण तथा इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि वित्तीय विवरणों में वेस्टलैंड मालसूची के लिए प्रावधान किए गए हैं, सांविधिक लेखापरीक्षक द्वारा प्रतिकूल मत के आधार के पैरा 6(ख) में प्रस्तुत यह प्रभाव सही नहीं है कि परिसम्पतियों तथा लाभ / रिजर्व एवं अतिरेक के संबंध में 2063.51 लाख रुपए का अतिकथन हुआ है।

(ii) स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक III

धारा 143(5) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक निदेशों के अनुसार सांविधिक लेखापरीक्षकों से स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की अपनी रिपोर्ट में यह रिपोर्ट किए जाने की अपेक्षा है कि *“क्या केन्द्र / राज्य सरकार अथवा इनकी एजेंसियों से प्राप्त / प्राप्य निधियों (अनुदान / राजसहायता आदि) का लेखांकन / उपयोग अनुबंध एवं शर्तों के अनुरूप किया गया था? व्यतिक्रम के मामले सूचीबद्ध करें”*

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान कम्पनी ने नागर विमानन मंत्रालय की आरसीएस-उड़ान योजना के अंतर्गत 25.42 करोड़ रुपए की वीजीएफ राशि का दावा किया है।

वीजीएफ दावों सहित प्रत्येक राजस्व रिकार्ड लेखापरीक्षकों को लेखापरीक्षा के लिए प्रस्तुत कर दिए गए थे।

सांविधिक लेखापरीक्षकों ने उक्त निदेशों का अनुपालन करते हुए यह रिपोर्ट किया है कि “हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार केन्द्र / राज्य एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए कोई निधियां प्राप्त / प्राप्य नहीं हैं, अतः यह खंड लागू नहीं है। तथापि, वित्तीय विवरणों की संवीक्षा से यह देखने में आया है कि कम्पनी ने नागर विमानन मंत्रालय, भारत सरकार की आरसीएस-उड़ान योजना के अंतर्गत वर्ष 2023-24 में वीजीएफ की राशि के दावे किए हैं। इस प्रकार सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा की गई यह रिपोर्टिंग, कि केन्द्र / राज्य एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के अंतर्गत कोई निधियां प्राप्त / प्राप्य नहीं है तथा यह खंड लागू नहीं है, सही नहीं है तथा एक प्रकार से अपूर्ण है।	
ख. अन्य टिप्पणी इक्विटी एवं देयताएं चालू देयताएं व्यापार देय – 6,788.33 लाख रुपए (नोट संख्या 19) सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के संबंध में 168.85 लाख रुपए के व्यापार देय की तुलन पत्र में प्रस्तुति अलग से नहीं की गई है जो कि कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा अधिसूचित कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III के संलग्न प्रारूप के अनुपालन में नहीं है। समान टिप्पणी वर्ष 2022-23 के दौरान भी की गई थी, तथापि, प्रबंधन द्वारा कोई सुधार कार्रवाई नहीं की गई है।	इसे आगामी वर्षों में अनुपालन के लिए नोट किया गया है।

कृते एवं निदेशक मंडल के निमित्त

ह/-

(संजीव राजदान)

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

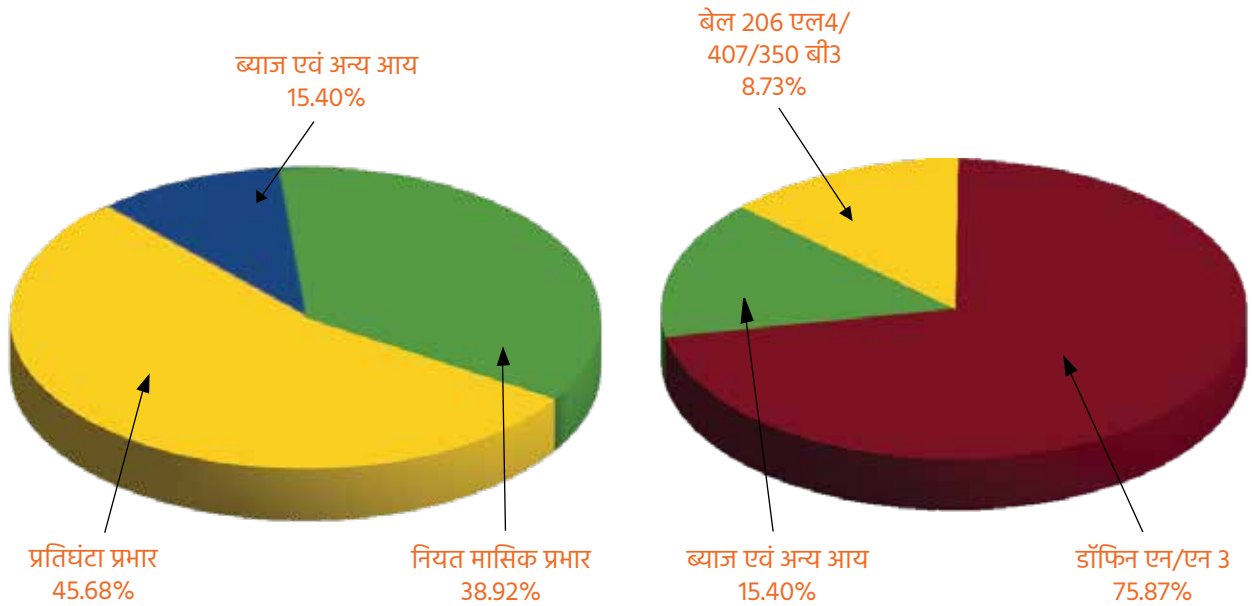
डीआईएन:08711596

दिनांक : 01.09.2025

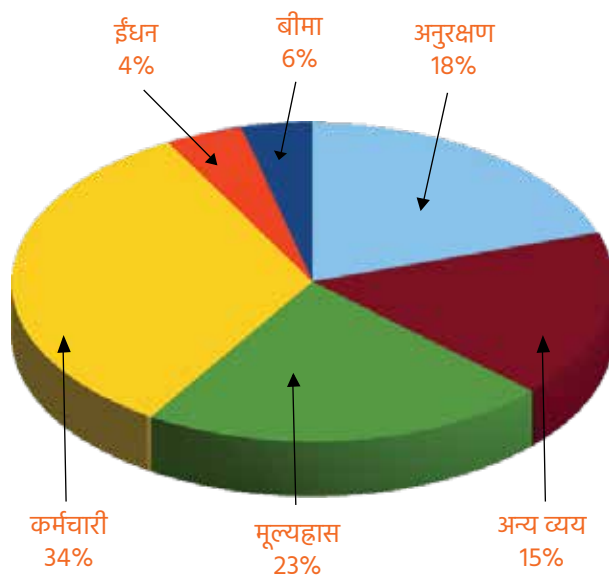
स्थान : नोएडा

वित्तीय अंश 2023-24 के लिए

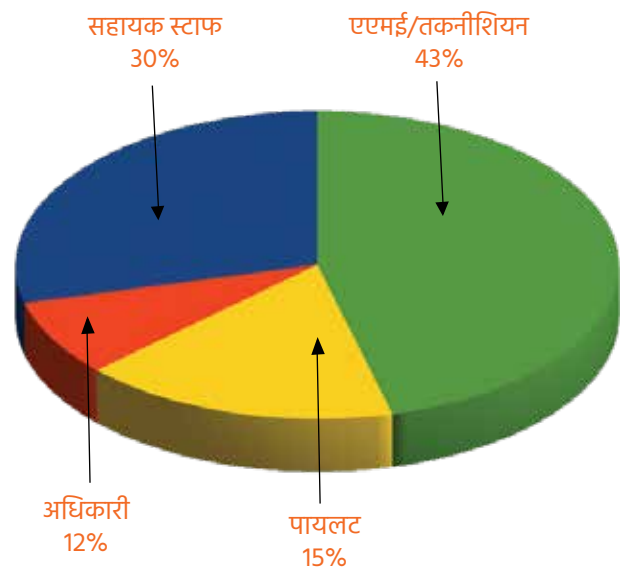
आय के स्रोत



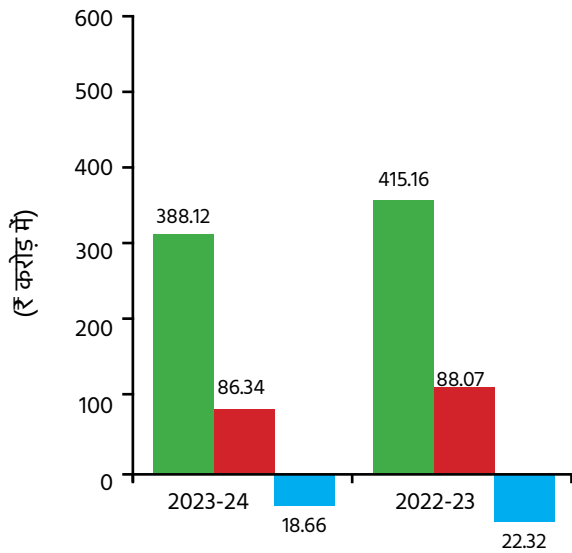
लागत संरचना



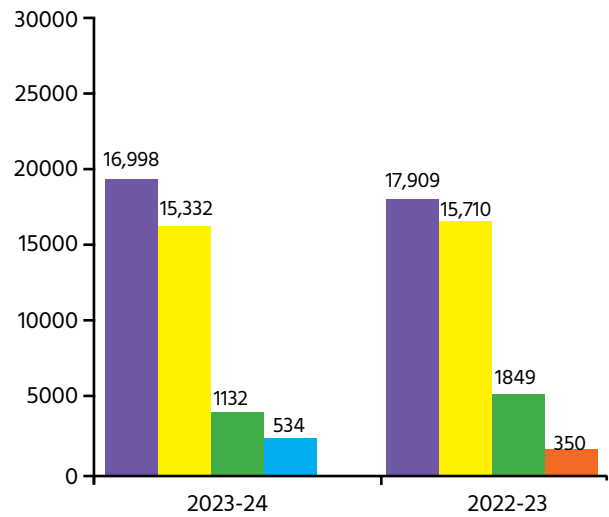
जनशक्ति विवरण



परिचालन से राजस्व, परिचालन लाभ और शुद्ध लाभ

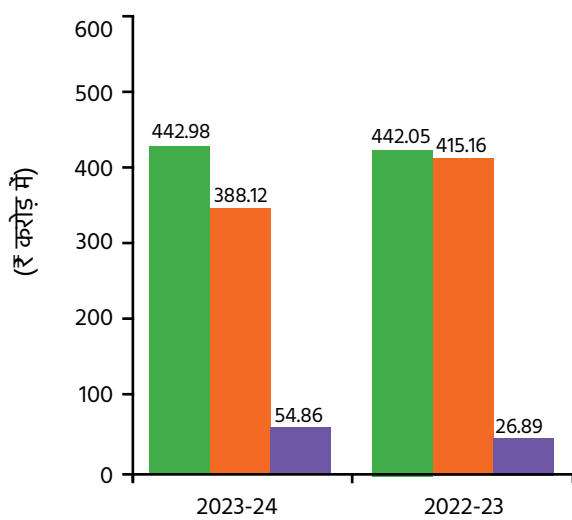


राजस्व उड़ान घंटे

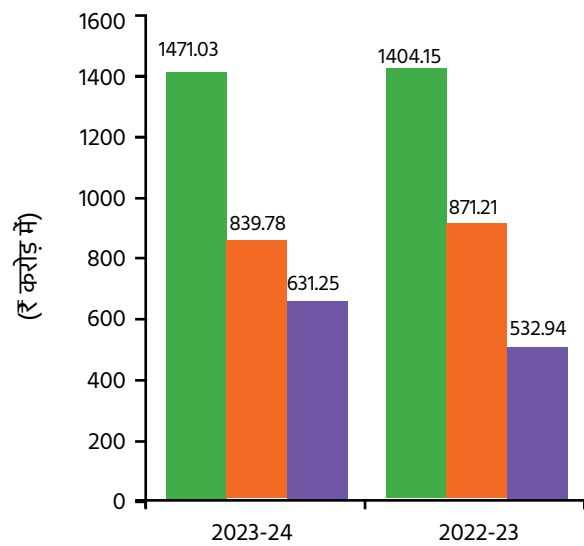


परिचालन राजस्व परिचालन लाभ कर पश्चात लाभ कुल डॉफिन बेल/बी3 एमआई-172 लीज्ड

राजस्व



संपत्ति संयंत्र एवं उपस्कर



कुल राजस्व परिचालन से राजस्व ब्याज/अन्य आय सकल मूल मूल्यमान शुद्ध ब्लाक संचयी मूल्यहास



पवन हंस लिमिटेड
वर्ष 2019-20 से 2023-24 के लेखापरीक्षित लेखों का संक्षेप सार

रु. करोड़ में

विवरण	अनुपात	2023-24 (इंड एस)	2022-23 (इंड एस)	2021-22 (इंड एस)	2020-21 (इंड एस)	2019-20 इंड एस)
संसाधन						
निवल सम्पत्ति		88502.04	90255.39	97000.66	98865.92	101011.02
गैर-चालू देयताएं						
-ऋण निधियां -प्रतिभूत ऋण			-	-	67.60	853.10
-अन्य दीर्घकालिक देयताएं		8749.91	11067.87	18164.21	755.89	873.72
-दीर्घकालिक प्रावधान		4971.11	4695.52	4391.56	4302.90	3913.05
-आस्थगित कर देयताएं		10257.59	10699.6	8933.98	8073.84	9329.72
योग		112480.65	116718.38	128490.41	112066.15	115980.61
संसाधनों का उपयोग						
स्थिर परिसम्पत्तियां		147102.68	140415.26	140550.92	114839.76	109512.59
घटाएं:मूल्यहास		63124.93	53294.48	45707.8	38563.14	32861.08
निवल स्थिर परिसम्पत्तियां		83977.75	87120.78	94843.12	76276.62	76651.51
पूंजी कार्य प्रगति पर		461.61	112.75	928.92	32.82	12.77
दीर्घकालिक ऋण एवं अग्रिम		38.49	54.66	93.08	100.83	121.43
अन्य गैर-चालू परिसम्पत्तियां		4963.83	7356.24	7076.54	6500.51	6717.09
अन्य वित्तीय परिसम्पत्तियां		393.88	475.70	514.81	520.52	547.28
निवल कार्यशील पूंजी		22645.1	21598.24	25033.94	28634.85	31930.53
		112480.66	116718.37	128490.41	112066.15	115980.61
नियोजित पूंजी		107084.46	108831.77	120805.98	104944.29	108594.81
आय						
प्रचालनों से राजस्व		38812.40	41515.96	38512.77	37237.48	34593.16
ब्याज / अन्य आय		5485.51	2688.76	2708.37	2881.32	3081.68
योग		44297.91	44204.72	41221.14	40118.80	37674.84
आउटगोइंग						
हेलीकॉप्टर प्रचालन एवं अनुरक्षण व्यय		12944.08	14212.13	12395.07	13031.46	14872.99
कर्मचारी लाभ व्यय		15732.7	15758.19	15829.01	16748.39	18016.27
वित्त लागतें		836.83	803.8	545.38	195.69	284.60
मूल्यहास एवं परिशोधन व्यय		10373.91	9805.16	9338.07	6599.2	7261.69
अन्य व्यय		5797.5	4272.59	3541.32	5788.78	5615.61
योग		45685.02	44851.87	41648.85	42363.52	46051.16
वर्ष में असाधारण मदों से पूर्व लाभ		(1,387.11)	(647.15)	(427.71)	(2,244.72)	(8,376.32)
अपरिहार्य मदें		-	-	-	-	-
कर पूर्व लाभ		(1,387.11)	(647.15)	(427.71)	(2,244.72)	(8,376.32)
कराधान के लिए प्रावधान		300	-	-	90.00	-
घटाएं: प्राप्त एमएटी क्रेडिट		-	-	-	-	-
पूर्व वर्षों के लिए कर के प्रावधान		67.17	-	-	-	191.21
आस्थगित कर देयता		(498.60)	1,709.22	885.14	(1,074.26)	(7,721.26)
अन्य व्यापक आय		124.78	124.37	(55.13)	(400.53)	(506.73)
बंद प्रचालनों से लाभ/(हानि)		-	-	(498.27)	(484.12)	(499.93)
कर पश्चात निवल लाभ		(1,130.90)	(2,232.00)	(1,866.25)	(2,145.11)	(1,852.93)
महत्वपूर्ण अनुपात						
निवल लाभ/(हानि)						
क) निवल लाभ अनुपात		-2.91%	-5.38%	-4.85%	-5.76%	-5.36%
योग राजस्व						
निवल लाभ/(हानि)						
ख) निवेश पर लाभ		-1.06%	-2.05%	-1.54%	-2.04%	-1.71%
नियोजित पूंजी						
निवल लाभ/(हानि)						
निवल सम्पत्ति पर लाभ		-1.28%	-2.47%	-1.92%	-2.17%	-1.83%
निवल सम्पत्ति						
प्रचालनात्मक नामे						
लंबित नामे संग्रहण (माह)		5.76	4.69	5.98	5.58	5.71
प्रचालन राजस्व का मासिक औसत वर्ष एवं मालसूची						
मालसूची टर्नओवर (माह)		1.65	1.59	1.94	1.59	1.77
प्रचालन राजस्व का मासिक औसत						
चालू अनुपात	सी.ए. : सी.एल.	1.97	2.01	2.15	2.34	2.76
नामे इक्विटी अनुपात	नामे / इक्विटी	-	-	-	0.00	0.02
नामे / निवल सम्पत्ति		-	-	-	0.00	0.01

लुथरा एंड लुथरा एलएलपी
चार्टर्ड एकाउंटेंट

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की संशोधित रिपोर्ट

सेवा में,

पवन हंस लिमिटेड के सदस्यगण

इंड एस वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा रिपोर्ट

प्रतिकूल मत

हमने पवन हंस लिमिटेड ("कम्पनी") के संलग्न इंड एस वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा की है, जिसमें 31 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र तथा लाभ एवं हानि विवरण, इक्विटी परिवर्तन विवरण एवं समाप्त वर्ष के अनुसार नकदी प्रवाह विवरण सहित महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का संक्षेप एवं अन्य स्पष्टीकरण सूचना (इसका उल्लेख एतद्वारा "इंड एस वित्तीय विवरणों" के रूप में किया जाएगा) शामिल है।

हमारे मत तथा हमारे पास उपलब्ध सूचना एवं हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार प्रतिकूल मत के आधार के पैरा में चर्चित मामले के महत्व के कारण से उपर्युक्त वित्तीय विवरण अधिनियम के अंतर्गत अपेक्षित सूचना की प्रस्तुति अपेक्षा के अनुसार नहीं करते हैं तथा ये 31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार कम्पनी की वित्तीय स्थिति एवं इसके वित्तीय निष्पादन, तथा वर्ष की उक्त तिथि को समाप्त इसके नकदी प्रवाह के संबंध में भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन मानकों के अनुरूप सत्य एवं स्वच्छ छवि की प्रस्तुति नहीं करते हैं।

प्रतिकूल मत का आधार

1. हमारे द्वारा लेखापरीक्षा का आयोजन मानक लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं तथा व्यवहारों के अनुसार किया गया था। लेखापरीक्षाएं प्रक्रियाएं औचक आधार पर ऐसे नमूना संव्यवहारों के लिए अंगीकार की गई थी जिनका चयन सामग्रीगत एवं अन्य सम्बद्ध विचारों के आधार पर किया गया था। लेखापरीक्षा के दौरान कुछ घटकों के संबंध में हमें पूर्ण सूचना उपलब्ध नहीं करवाई गई थी तथा न ही प्रबंधन द्वारा

उचित सूचना तथा स्पष्टीकरण प्रदान किए गए थे। इनके उपलब्ध न होने के कारण से लेखापरीक्षा का आयोजन हमें उपलब्ध करवाई गई सूचना / दस्तावेजों के आधार पर किया गया था। उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए लेखापरीक्षा के लिए अंतर्निहित सीमाओं के कारण अधिक चूकों / अकरणों की संभावना हो सकती है जिसे पूरी तरह से नकारा नहीं जा सकता है। मदवार विशिष्ट प्रेक्षण नीचे प्रस्तुत पैराग्राफों में दिया गया है।

2) पूर्व सांविधिक लेखापरीक्षक एस.एस. पेरीवाल एंड कम्पनी द्वारा अपनी सांविधिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट में कम्पनी की लेखा बहियों के बारे में अविश्वास व्यक्त करते हुए 31.3.2023 को समाप्त वर्ष के कम्पनी के वित्तीय विवरणों के संबंध में सम्बद्ध सूचना एवं पर्याप्त लेखापरीक्षा प्रमाण उपलब्ध न होने के कारण से प्रतिकूल मत दिया गया है। कम्पनी के पूर्व सांविधिक लेखापरीक्षक द्वारा दी गई लेखापरीक्षा अर्हता के प्रति कम्पनी द्वारा बिल न किए गए राजस्व, जीएसटी देयता के भुगतान में देरी, लम्बे काल से बकाया अग्रिम एवं व्यापार देय, व्यापार देय के नामे शेष, कार्यात्मक मुद्रा से भिन्न बीमा दावे, राजस्व बिलिंग में असंगति, विदेशी मुद्रा कंवर्जन से क्रमशः संबंधित अर्हता संख्या 5,9,10क,10ख,15ग,16,17क 17ब के बारे में की गई सुधार कार्रवाई की स्थिति प्रदान नहीं की गई है। सूचना एवं पर्याप्त लेखापरीक्षा प्रमाण उपलब्ध न होने के कारण से हम यह टिप्पणी नहीं कर पा रहे हैं कि क्या अथ शेषों में किसी प्रकार का ऐसा कोई मिथ्या विवरण व्याप्त है अथवा व्याप्त नहीं है जिससे चालू अवधि के वित्तीय विवरणों पर सामग्रीगत प्रभाव संभव हो सके।

3) **जीएसटी शेष में अंतर-** उत्तरी क्षेत्र द्वारा लेखापरीक्षा के कार्यक्षेत्र में वित्तीय वर्ष के दौरान प्रस्तुत विवरण में **375.69 लाख रुपए** की जीएसटी देयता की

रिपोर्टिंग कम की है तथा इसी के साथ साथ उत्तरी क्षेत्र द्वारा वित्तीय वर्ष के दौरान प्रस्तुत विवरण में **4.33 लाख रुपए** की अतिरिक्त इनपुट का दावा किया है। इसके अलावा, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर बैलेंस की तुलना में उत्तरी क्षेत्र तथा कॉर्पोरेट कार्यालय में इनपुट के अथ शेषों में क्रमशः **720.33 लाख रुपए** एवं **166.68 लाख रुपए** का अंतर (बहियों में अधिक) है। कम्पनी द्वारा कॉर्पोरेट कार्यालय की बहियों में इसके प्रति **67.64 लाख रुपए** के प्रावधान किए हैं। इसके परिणामस्वरूप, बहियों में इनपुट के अंत शेष में **819.36 लाख रुपए** का अतिकथन किया गया है। उपर्युक्त भिन्नताओं में से, कम्पनी द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार **102.51 लाख रुपए** लक्षद्वीप के मामले से संबंधित हैं जबकि पवन हंस लिमिटेड को दिनांक **30.3.2019** को **672 लाख रुपए** का अग्रिम प्राप्त हुआ है। कर का भुगतान दिनांक 16.4.2019 को किया गया था, तथापि बाद में यह अनुबंध समापन के कारण सामग्रीगत नहीं हो पाया था। कम्पनी द्वारा सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 54 के अंतर्गत धनवापसी का दावा किया गया जबकि धनवापसी का दावा देर से दिनांक 28.2.2024 को प्रस्तुत किया गया था तथा यह मामला जीएसटी अपील नोएडा के सम्मुख न्यायाधीन है। इसके अलावा, शेष भिन्नता के संबंध में हमें कोई समाधान / स्पष्टीकरण प्रदान नहीं किए गए हैं। इसी के साथ साथ, ईसीएल में **66.81 लाख रुपए** के स्वैच्छिक भुगतान नामे किए गए हैं तथा इन्हें लेखा बहियों में रिकार्ड नहीं किया गया है। इसके परिणामस्वरूप परिसम्पत्ति के प्रति वर्ष / रिजर्व एवं अधिशेष के संबंध में **886.17 लाख रुपए** का अतिकथन हुआ है तथा व्ययों की न्यूनोक्ति हुई है।

- 4) **जीएसटी नकदी बही शेष में भिन्नता** - जीएसटी पोर्टल तथा लेखा बहियों के अनुसार बही नकदी शेष में भिन्नता पाई गई थी, जीएसटी पोर्टल में **8.14 लाख रुपए** दर्शाया गया था जबकि लेखा बहियों में दर्शाया गया निवल **88.28 लाख रुपए** का था जिसके परिणामस्वरूप **80.14 लाख रुपए** की राशि का मेल गलत था। यह असंगति मार्गस्थ चैक

के समायोजनों जीएसटी देय बही से उत्पन्न हुई थी जिसके संबंध में पृच्छा पहले ही की जा चुकी है परन्तु कोई समर्थनकारी सूचना उपलब्ध नहीं करवाई गई है। इसके परिणामस्वरूप, गलत मेल की सटीक राशि की प्रमात्रा का निर्धारण नहीं किया जा सका है। इसके परिणामस्वरूप परिसम्पत्तियों तथा वर्ष के दौरान आय / **80.14 लाख रुपए** की राशि के रिजर्व एवं अतिरेक की अत्योक्ति हुई है।

- 5) वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान कम्पनी को ग्राहकों से **249.31 लाख रुपए** की राशि के अग्रिम पश्चिम क्षेत्र में मॉडल सिकोस्की एस76डी, डॉफिन एस 365एन3 तथा डॉफिन एसए 365एन की चार्टर उड़ान सेवाएं प्रदान करने के लिए प्राप्त हुए थे। कम्पनी द्वारा आउटपुट कर देयता (सीजीएसटी तथा एसजीएसटी @9 % प्रत्येक) के रूप में प्राप्त अग्रिम के प्रति **44.88 लाख रुपए** का भुगतान नहीं किया गया है जो कि केन्द्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 13 के अंतर्गत चुकता किया जाना अपेक्षित है। इसके परिणामस्वरूप करारोपण अथवा ब्याज अथवा गैर अनुपालन के प्रति अन्य कोई जुर्माना प्रावधान लगाए जा सकते हैं।

6) **मालसूची**

- क) पूर्व सांविधिक लेखापरीक्षक से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) देर से प्राप्त होने के परिणामस्वरूप सांविधिक लेखापरीक्षा प्रक्रिया देर से प्रारम्भ होने के कारण हम 31 मार्च 2024 तक प्रबंधन द्वारा की मालसूचियों के भौतिक सत्यापन का प्रेक्षण नहीं कर पाए हैं। तदनुसार, 31 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार मालसूचियों के अस्तित्व तथा उनकी स्थिति के संबंध में पर्याप्त उपयुक्त लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त नहीं किए जा सके हैं। इसके परिणामस्वरूप, यह निर्धारण भी नहीं किया जा सका है कि क्या मालसूचियों से संबंधित किसी प्रकार का कोई आवश्यक समायोजन किया जा सकता था अथवा नहीं, यदि किया भी जा सकता था तो ऐसा करने से उक्त वर्ष को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों पर क्या संबंधित प्रभाव होता।

- ख) कम्पनी ने हमें भंडार बही रिपोर्ट प्रस्तुत की है जो लेखांकन उद्देश्य के लिए उपयोग किए जाने वाले सॉफ्टवेयर से उत्पन्न की गई है। तथापि, अंत शेष की जांच के दौरान, सिस्टम द्वारा निर्मित बही के अनुसार अंत शेष उत्तरी क्षेत्र के वित्तीय विवरण में दिए गए अंत शेष से भिन्न (वित्तीय विवरण में अधिक) पाया गया है। सत्यापन करने पर प्रारम्भ शेष राशि **2028.70 लाख रुपए** तथा चालू वर्ष की मालसूची अंतर राशि **34.81 लाख रुपए** पाई गई थी जिससे कुल 2063.51 लाख रुपए की भिन्नता पाई गई है। प्रबंधन द्वारा प्रदान की गई सूचना एवं दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार 34.81 लाख रुपए की राशि का समाधान अभी भी नहीं हुआ है जिसका कोई विवरण प्रबंधन ने प्रस्तुत नहीं किया है तथा इसके अलावा प्रबंधन की ओर से वेस्टलैंड मालसूची की ट्रेसेबिलिटी एवं स्टॉक बही प्रस्तुत नहीं की जा सकी थी जो कि मालसूची में **2028.70 लाख रुपए** की भिन्नता का प्रमुख कारण है। इसके परिणामस्वरूप परिसम्पतियों तथा लाभ / रिजर्व एवं अतिरेक के संबंध में **2063.51 लाख रुपए** की अत्योक्ति हुई है।
- ग) कम्पनी की लेखांकन नीति के अनुसार, एवियन टर्बाइन ईंधन की मालसूची का मूल्यन लागत पर (मूल्यांकन का आधार - भारित औसत विधि) अथवा एनआरवी पर, जो भी कम हो, किया जाना है। तथापि, कम्पनी द्वारा लेखांकन नीति में की व्यवस्था का उल्लंघन करके **16.54 लाख रुपए** की अंत मालसूची का मूल्यन अंत दर के अनुसार किया है। आवश्यक डेटा उपलब्ध न होने के कारण, हम वित्तीय विवरणों पर इसके परिणामी प्रभाव का आकलन नहीं कर पा रहे हैं।
- घ) उत्तरी क्षेत्र में प्रबंधन द्वारा मार्च 2024 में मालसूचियों का भौतिक सत्यापन किया गया था। भौतिक सत्यापन की रिपोर्ट की समीक्षा से यह देखने में आया है कि विभाग द्वारा **2.33 लाख रुपए** मूल्य 12 ऐसी अतिरिक्त वस्तुओं को संज्ञान में लिया गया है जो वित्तीय विवरणों में रिपोर्ट की गई मालसूचियों

की मात्रा से भिन्न थीं। इसके अलावा, प्रबंधन द्वारा अतिरिक्त वस्तुओं के लिए कोई लेखांकन उपचार तथा कोई समाधान नहीं किया गया है। इसके परिणामस्वरूप परिसम्पतियों तथा लाभ / रिजर्व एवं अतिरेक के संबंध में समान राशि की न्यूनोक्ति हुई है।

7) स्थिर परिसम्पतियों / मूल्यहास

- क) कम्पनी ने पूर्व वर्षों में वेस्टलैंड परिसंपत्तियों से संबंधित स्थिर परिसंपत्तियों से संबंधित डब्ल्यूडीवी के प्रावधान के लिए **869.33 लाख रुपए** (सकल लागत **6,011.82 लाख रुपए** तथा संचयी मूल्यहास प्रावधान **5,142.48 लाख रुपए** एवं हासित मूल्य **869.33 लाख रुपए**) की स्वीकृति की गई है। तथापि, यह राशि कम्पनी के अचल संपत्ति रजिस्टर से ट्रेस नहीं की जा सकी है। इसके अलावा, प्रबंधन द्वारा उक्त राशि के लिए प्रासंगिक डब्ल्यूडीवी विवरण प्रदान नहीं किया जा सका है। इसके परिणामस्वरूप, स्थिर परिसम्पतियों के प्रारम्भ शेष की सटीकता और पूर्णता विश्वसनीय नहीं है। इसके अलावा, कम्पनी की मालसूची में **501.37 लाख रुपए** मूल्य के जीईएम मॉड्यूल शामिल हैं, जिनके लिए कम्पनी ने पूर्व वर्षों में जीईएम मॉड्यूल के प्रति **501.37 लाख रुपए** के प्रावधान किए थे। तथापि, इसका कोई आधार/समर्थनकारी दस्तावेज़/स्पष्टीकरण प्रदान नहीं किया गया है। यह उपलब्ध न होने की स्थिति में, हम मालसूची के मूल्य/इसके प्रति किए गए प्रावधान की पर्याप्तता अथवा अपर्याप्तता पर टिप्पणी नहीं कर पा रहे हैं।

- ख) **मूल्यहास प्रदान न किया जाना-** कम्पनी ने उत्तरी क्षेत्र में हेलीकॉप्टरों के कुछ ऐसे घटकों पर मूल्यहास प्रभारित नहीं किया था, जिन घटकों का उपयोग काल अभी समाप्त नहीं हुआ था। इसके लिए लेखा बहियों में किसी प्रकार का स्पष्टीकरण/समायोजन नहीं किया गया है। इसके परिणामस्वरूप वर्ष के दौरान व्यय / रिजर्व एवं अतिरेक की न्यूनोक्ति हुई है तथा /स्थिर परिसम्पतियों के संबंध में **28.44 लाख रुपए** की राशि का अतिकथन हुआ है।

- ग) उत्तरी क्षेत्र में वित्तीय वर्ष 23-24 के दौरान किए गए स्थिर परिसम्पतियों के भौतिक सत्यापन में **586 मदों** के भौतिक शेष तथा लेखा बही शेष के मध्य भिन्न प्रकाश में आई है तथा न्यूनता वाली संबंधित परिसम्पतियों के मूल्य के प्रति किसी की कोई संगत सम्बद्धता की प्रमात्रा नहीं आंकी जा सकी है जिससे लेखा बहियों में समायोजन नहीं किए जा सके हैं। इसके अलावा, कॉर्पोरेट कार्यालय तथा पश्चिम क्षेत्र में वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान भौतिक सत्यापन नहीं किया गया था। कॉर्पोरेट कार्यालय की परिसम्पतियों, संयंत्र एवं उपकरणों का अंतिम भौतिक सत्यापन अगस्त 2020 में किया गया था, जिससे अंतिम सत्यापन तीन वर्ष पूर्व किया गया था। वित्तीय वर्ष 2023-24 में भौतिक सत्यापन नहीं किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप परिसंपत्तियों की उपलब्धता/ परिसंपत्तियों का सट्टा मूल्य तथा सत्यापन में उत्पन्न हो सकने वाली किसी भी विसंगति पर टिप्पणी नहीं की जा सकती है।
- घ) स्थिर परिसम्पतियों के मूल्यहास में **5.23 लाख रुपए** की राशि का मिलान न होने के अनेक मामले प्रकाश में आए हैं जिसके परिणामस्वरूप लेखा बहियों में मूल्यहास अधिक प्रभारित हुआ है। इन भिन्नताओं के संबंध में प्रबंधन ने कोई औचित्य या स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया है तथा न ही लेखा बहियों में इसके लिए किसी प्रकार का कोई समायोजन किया गया है। इसके परिणामस्वरूप संचित मूल्यहास का अतिकथन हुआ है और साथ ही वर्ष में लाभ/आरक्षित एवं अधिशेष की इसी सीमा तक न्यूनोक्ति हुई है।
- ड) वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान उत्तरी क्षेत्र में **11.11 लाख रुपए** (सकल लागत) मूल्य की स्थिर परिसम्पतियों का निपटान किया गया है। इसके अलावा, स्थिर परिसम्पति निपटान की कार्य व्यवस्था में एमएसटीसी पोर्टल के माध्यम से बेची गई स्थिर परिसम्पतियां अचल संपत्ति निपटान प्रकट नहीं हो रहा है। उदाहरण के तौर पर, कुर्सियां, सोफा, पंखे आदि की मदों की बिक्री की गई थी परन्तु उन्हें निपटान

गणना में शामिल नहीं किया गया था, जिससे संपत्ति निपटान की अपूर्ण और गलत रिपोर्टिंग हुई है। इससे निपटान की राशि का निर्धारण नहीं किया जा सका है तथा ऐसा न होने के कारण हम निपटान की गई परिसम्पतियों / शेष स्थिर परिसम्पतियों के मूल्यन की सत्यता पर किसी प्रकार की टिप्पणी नहीं कर सकते हैं।

- च) कम्पनी द्वारा उत्तरी क्षेत्र में वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान **11.11 लाख रुपए** की स्थिर परिसम्पतियों का निपटान रिपोर्ट किया गया है। तथापि, प्रबंधन द्वारा प्रदान की गई सूचना एवं दिए गए दस्तावेजों के आधार पर इन परिसम्पतियों की बिक्री वस्तुतः वित्तीय वर्ष 2024-25 में की गई थी। वित्तीय विवरणों में यह निपटान मात्र प्रबंधन द्वारा प्रारम्भ की गई अनुमोदन प्रक्रिया (वित्तीय वर्ष 2023-24) के आधार पर रिपोर्ट किया गया है जबकि इसे तक रिकार्ड किया जाना चाहिए था जब स्थिर परिसम्पति की बिक्री (वित्तीय वर्ष 2024-25) हुई थी। निपटान की इस अपरिपक्व स्वीकृति के परिणामस्वरूप में व्ययों की अत्योक्ति तथा स्थिर परिसम्पतियों / रिजर्व एवं अतिरेक के संबंध में **11.06 लाख रुपए** की राशि की न्यूनोक्ति हुई है।
- छ) कम्पनी द्वारा प्रतिफल की प्राप्ति के लिए अन्य परिसम्पतियों के अलावा **2.33 लाख रुपए** के सकल मूल्य, हासित मूल्य (डब्ल्यूडीवी) **0.33 लाख रुपए** की एक कार (मारुति एसएक्स 4 794) की बिक्री किए जाने की सूचना दी है। उक्त वाहन के निपटान, कबाड़ के रूप में अथवा किसी प्रतिफल के रूप में किए जाने, से संबंधित कोई अनुमोदन को प्रमाणित करने वाला कोई समर्थित दस्तावेज उपलब्ध नहीं करवाया गया है। प्रमाण प्रस्तुत न किए जाने के कारण हम सत्यापन तथा उक्त कार की बिक्री की उपयुक्तता / हानि के बारे में कोई टिप्पणी नहीं कर पा रहे हैं। इस विसंगति के परिणामस्वरूप **2.33 लाख रुपए** की परिसम्पतियों की न्यूनोक्ति, संचित मूल्यहास / रिजर्व एवं अतिरेक के संबंध में क्रमशः **2.00 लाख रुपए**

एवं **0.33 लाख रुपए** की न्यूनोक्ति तथा वर्ष के दौरान **0.33 लाख रुपए** के व्ययों का अतिकथन हुआ है।

- ज) कम्पनी ने अवस्थांतरण की तिथि यथा अप्रैल, 2015 को संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की मानित लागत का उपयोग वहन मूल्य के रूप में किया गया है। पश्चिमी क्षेत्र द्वारा प्रत्येक डॉफिन एन3 हेलीकॉप्टर के लिए **40 लाख रुपए** और प्रत्येक डॉफिन एन हेलीकॉप्टर के लिए **60 लाख रुपए** के अंतर्निहित अनुरक्षण को विचार में लिया गया है। इस तरह के निर्धारण का आधार उचित नहीं माना जा सकता है तथा इस प्रकार, इंड एस वित्तीय विवरणों पर इससे होने वाले प्रभाव की प्रमात्रा का निर्धारण नहीं किया जा सकता है।
- झ) कम्पनी द्वारा अवस्था परिवर्तन प्रावधानों तथा इंड एस की उपयोज्यता के उद्देश्य से 1 अप्रैल, 2015 की स्थिति के अनुसार अपनी स्थिर परिसम्पति घटकों का पुनर्मूल्यांकन किया गया था। तथापि, यह देखने में आया है कि हमारे द्वारा की गई मूल्यहास गणना, जो परिसम्पति का क्रय किए जाने की तिथि से माह की संख्या पर आधारित थी, प्रबंधन द्वारा उपलब्ध करवाए गए ह्रासित मूल्य (डब्ल्यूडीवी) से मेल नहीं खाती है। इसी के साथ साथ यह देखने में आया है कि असंगतियों के लिए कोई मूल्यांकन रिपोर्ट अथवा समर्थित औचित्यपरकता उपलब्ध नहीं करवाई गई है। हमारी समीक्षा में हमने महत्वपूर्ण भिन्नताओं को संज्ञान में लिया है जिसके परिणामस्वरूप परिसम्पतियों तथा लाभ / रिजर्व एवं अतिरेक में **595.76 लाख रुपए** न्यूनोक्ति हुई है।
- ञ) मूल्यहास के लिए घटक लेखांकन के संबंध में पश्चिमी क्षेत्र द्वारा मुख्य गियर बॉक्स (**एमजीबी**) तथा इंजन के अलावा सभी ज्ञात घटकों के लिए संक्रमण तिथि (1 अप्रैल, 2015) तक शून्य उड़ान घंटे विचार में लिए गए हैं, जबकि ये घटक पूंजीयन की तिथि से उपयोग में लाए जा रहे हैं। हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार संक्रमण की तिथि यथा 1 अप्रैल, 2015 से वास्तविक उड़ान घंटों का निर्धारण नहीं किया जा सकता है तथा इसके परिणामस्वरूप इससे वित्तीय

विवरणों पर होने वाले प्रभाव की प्रमात्रा आंकी नहीं जा सकती है।

- ट) उत्तरी क्षेत्र में **182.77 लाख रुपए** मूल्य की अमूर्त परिसम्पतियों के लिए 100% मूल्यहास प्रभारित किया गया है। तथापि, प्रबंधन द्वारा इसके लिए एफएआर में ट्रेसबिलिटी प्रदान नहीं की गई है।
- ठ) 31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार विदेशी पार्टियों के पास **13,181.37 लाख रुपए** (निवल शेष) मूल्य के रोटेबल्स रखे गए हैं जिनके संबंध में कोई पुष्टि उपलब्ध नहीं कराई गई है। शेष की पुष्टि उपलब्ध न होने तथा सीमित सूचना उपलब्ध होने के कारण से हम इंड एस वित्तीय विवरणों में शेष की पुष्टि से उत्पन्न होने वाले इसके प्रभाव, यदि कोई हो, की प्रमात्रा का निर्धारण नहीं कर पा रहे हैं
- 8) **चेक इन ट्रांजिट** - वर्ष के दौरान, "चेक इन ट्रांजिट" लेखे के अंतर्गत **529.16 लाख रुपए** को संज्ञान में लिया गया है जो पिछले अनेक वर्षों से सम्मुख प्रस्तुत है परन्तु जिसका समायोजन नहीं हुआ है। प्रबंधन ने इन प्रविष्टियों के लिए सुधारात्मक उपाय किए गए थे। तथापि, बैंक खाते के माध्यम से इन संव्यवहार को रिवर्स करके विसंगतियों का एक महत्वपूर्ण भाग दूर किया गया था जिससे बैंक खातों का समाधान प्रभावित हुआ है। प्रबंधन ने स्पष्ट किया है कि ये प्रविष्टियां पूर्व वित्तीय वर्षों में उत्पन्न हुई थीं और उचित पुष्टिकरण साक्ष्य के बिना दर्ज की गई थीं। रिपोर्टिंग तिथि तक, प्रभावित बैंक खातों के लिए कोई समाधान विवरण उपलब्ध नहीं कराया गया है। इसके परिणामस्वरूप, लेखा बहियों में दर्शाए गए इन बैंक शेषों की सटीकता और विश्वसनीयता सत्यापित नहीं की जा सकती है।
- 9) कम्पनी द्वारा कार्यकारी एवं गैर-कार्यकारी कर्मचारियों, जिनमें संविदारत एवं नियमित कर्मचारी भी शामिल हैं, के संबंध में पूर्व वर्षों में **577.34 लाख रुपए** के प्रावधान वर्ष 2019 से पूर्व प्रभाव से प्रभावी वेतन वृद्धि के लिए किए गए थे। तथापि, कम्पनी द्वारा

- उक्त राशि में से **197.38 लाख रुपए** की राशि के लिए किए गए प्रावधानों का आधार प्रस्तुत नहीं किया जा सका है तथा यह उपलब्ध न होने के कारण हम किए गए प्रावधानों की पर्याप्तता के संबंध में कोई टिप्पणी नहीं कर पा रहे हैं।
- 10) कम्पनी ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के संबंध में संदेहास्पद व्यापार प्राप्यों के लिए **7,242.21 लाख रुपए** के प्रावधान किए थे। तथापि, प्रबंधन द्वारा एक स्वतंत्र तृतीय पक्ष के माध्यम से किए गए अपेक्षित ऋण हानि (ईसीएल) आकलन के आधार पर, किए जाने वाले आवश्यक प्रावधान की राशि **7,261.60 लाख रुपए** थी। इस विसंगति के परिणामस्वरूप संदिग्ध नामे एवं व्ययों के लिए किए गए प्रावधान की न्यूनोक्ति हुई है जिससे इसी के अनुरूप **19.39 लाख रुपए** के लाभ / रिजर्व एवं अतिरेक का अतिकथन हुआ है जो पिछले वर्ष से जारी है। इसके अलावा, प्रावधान मैट्रिक्स एवं नीतियों के जिस आधार पर प्रावधान लेखा बहियों में निर्मित किए गए थे वे सत्यापन के लिए प्रबंधन द्वारा उपलब्ध नहीं करवाए गए हैं।
- 11) कम्पनी ने पूर्व सामग्रीगत चूकों में सुधार के लिए वित्तीय वर्ष 2023-24 के वित्तीय विवरणों में पुनर्कथन किया है। तथापि, संज्ञान में आए **207.35 लाख रुपए** के शेष से उत्पन्न पूर्वावधि आय का समायोजन वर्ष के दौरान नहीं किया गया है जिसके परिणामस्वरूप लेनदारों की अत्योक्ति हुई है तथा चालू वर्ष में लाभ का अतिकथन तथा पिछले वर्ष के लाभ की न्यूनोक्ति हुई है। इसके अलावा, उत्तरी क्षेत्र में, **211.66 लाख रुपए** की राशि को व्यापार देयताओं, विशेष रूप से एमएसएमई श्रेणी के अंतर्गत, का वर्गीकरण संबंधित सही शीर्ष में किए जाने के स्थान पर गलत विधि से किया गया है। इस गलत वर्गीकरण से व्यापार देयताओं के सही और निष्पक्ष प्रस्तुतीकरण प्रभावित हुआ है तथा इसके परिणामस्वरूप अन्य देनदारियों की न्यूनोक्ति अथवा अत्योक्ति परिणत हो सकती है।
- 12) कम्पनी द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 में **10,257.59 लाख रुपए** की राशि की आस्थगित कर देयता (निवल) की स्वीकृति की गई है। तथापि, इसके संबंध में की गई गणना से यह देखने में आया है कि कम्पनी ने कर्मचारी हितलाभ के प्रावधान की गलत कर दर का उपयोग किया है। इस चूक के कारण **121.45 लाख रुपए** की आस्थगित कर देयता का अतिकथन हुआ है। इसके अलावा, आयकर पर मूल्यहास की गणना के दौरान मालसूची की बिक्री से संबंधित **4.67 लाख रुपए** की राशि को गलती से स्थिर परिसम्पतियों की बिक्री के अंतर्गत शामिल किया गया है। इसके अलावा, उत्तरी क्षेत्र के लिए क्रय की गई कुछ स्थिर परिसम्पतियां का "180 दिन से कम" एवं "180 दिन से अधिक" के वर्गीकरण के मध्य परस्पर परिवर्तन गलत ढंग से किया गया है जिसके कारण गलत मूल्यहास / कर गणना हुई है। गलत गणना के कारण से वर्ष से संबंधित देयता एवं व्ययों की अत्योक्ति तथा समान राशि के लिए रिजर्व एवं अतिरेक की न्यूनोक्ति हुई है।
- 13) कम्पनी द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए **300.00 लाख रुपए** की राशि के आयकर प्रावधान किए गए हैं। तथापि, संबंधित गणना के सत्यापन से यह देखने में आया है कि कम्पनी ने वित्तीय वर्ष 2023-24 (**203.79 लाख रुपए**) के अनुसार बीमांकन के अनुसार निर्मित प्रावधान की राशि तथा पूंजी परिसम्पतियों (**24.82 लाख रुपए**) के विनिमय दर उतार चढ़ाव की राशि गलत ली गई है जिसके परिणामस्वरूप **77.09 लाख रुपए** की राशि के लिए करों / व्ययों के लिए किए गए प्रावधान का अतिकथन तथा रिजर्व एवं अतिरेक की न्यूनोक्ति हुई है।
- 14) व्यापार प्राप्य, व्यापार देय, दीर्घकालिक और अल्पकालिक देयताओं, अन्य चालू देयताओं, दीर्घकालिक एवं अल्पकालिक ऋण तथा अग्रिम, और जमा राशि के संबंध में, पवन हंस की विलयन समाप्त हुई यूनिट यथा रोहिणी हेलीपोर्ट सहित **184.01 लाख रुपए** की शेष राशि की बाह्य पुष्टि वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए उपलब्ध नहीं की गई

- है। व्यापार प्राप्य पर संभावित क्रेडिट हानि पद्धति के आधार पर यद्यपि प्रावधान किए गए हैं, तथापि शेष राशि की पुष्टि की अनुपलब्धता तथा हमारे पास उपलब्ध सीमित सूचना के कारण, हम भारतीय लेखांकन मानक (इंड एस) वित्तीय विवरणों पर शेष राशि की पुष्टि से उत्पन्न होने वाले प्रभाव, यदि कोई हो, का आकलन नहीं कर सकते हैं।
- 15) भविष्य निधि का अंशदान ट्रस्ट को किए जाने में 6 माह की देरी हुई है, जिसके कारण विलंब की अवधि के लिए ब्याज लगाया गया है। तथापि, **48.43 लाख रुपए** की संबंधित ब्याज देयता का लेखा-जोखा बहियों में नहीं दिया गया है। इसके परिणामस्वरूप वर्ष/आरक्षित एवं अधिशेष के लिए लाभ की न्यूनोक्ति हुई है तथा लाभ की अतियोक्ति हुई है।
- 16) लेखा बहियों के रिकार्ड के अनुसार चालू वर्ष के संबंध में प्राप्त टीडीएस का पार्टी-वार समाधान फॉर्म 26एस के साथ मेल नहीं होता है। इसके परिणामस्वरूप, लेखा बहियों में **4.60 लाख रुपए** का टीडीएस कम प्रभारित हुआ है तथा लेखा बहियों में **9.13 लाख रुपए** के टीडीएस की राशि अधिक प्रभारित हुई है। ऐसा होने से प्राप्य टीडीएस का अतिकथन हुआ है तथा देनदार शेष के लिए **4.53 लाख रुपए** की राशि की न्यूनोक्ति हुई है। टीडीएस समायोजन के लिए "डब्ल्यूआर/एनआर - टीडीएस" के अंतर्गत बहियों में **5.30 लाख रुपए** की लेखा प्रविष्टि प्रभारित की गई थी; तथापि, इस प्रविष्टि से अंतर्निहित पार्टी-वार शेष में सुधार नहीं होता है। इनके परिणामस्वरूप, वित्तीय विवरणों में प्राप्त टीडीएस तथा देनदार शेष की सटीकता और विश्वसनीयता प्रभावित हुई है।
- 17) **व्यावसायिक कर** - उत्तरी क्षेत्र की लेखा बहियों में व्यावसायिक कर के लिए **1.32 लाख रुपए** की अथ नामे शेष राशि दर्शाई गई है जिसका कोई विवरण उपलब्ध नहीं है। विवरण न होने के कारण हम उक्त शेष राशि की सत्यता/वसूलीयोग्यता के बारे में कोई टिप्पणी नहीं कर सकते हैं।
- 18) **भविष्य निधि की कटौती न किया जाना** - यह देखा गया कि संगठन से सेवा त्याग करने वाले कुछ कर्मचारियों के देय के निपटान की देय वेतन खाते की राशि सीधे बैंक के माध्यम से चुकता की जाती है जिसके कारण से प्रबंधन द्वारा सेवा त्याग करने वाले कर्मचारियों के वेतन में से भविष्य निधि की राशि की कटौती नहीं की जाती है। प्रबंधन द्वारा केवल लेखापरीक्षा के अंतिमकरण के समय त्यागपत्र देने वाले कर्मचारियों की सूची ही उपलब्ध करवाई गई थी तथा इस प्रकार इसका सत्यापन नहीं किया जा सका था। इसे ध्यान में रखते हुए कटौती न की गई भविष्य निधि की इस राशि की प्रमात्रा का निर्धारण नहीं किया जा सकता है।
- 19) उत्तरी क्षेत्र की लेखा बहियों में संगठन से सेवा त्याग करने वाले कर्मचारियों को देय राशि के रूप में **6.45 लाख रुपए** की राशि जमा है। तथापि, बकाया राशि का विवरण हमें उपलब्ध नहीं कराया गया है। ऐसी स्थिति में राशि की प्रामाणिकता या शुद्धता पर टिप्पणी नहीं की जा सकती।
- 20) एनटीपीसी से **4.66 लाख रुपए** की राशि प्राप्य दर्शाई गई है तथा इसका कोई विवरण उपलब्ध नहीं है। प्रबंधन द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, एनटीपीसी से संबंधित सभी अनुबंध अब तक समाप्त हो चुके हैं और सभी भुगतान/प्राप्तियों का निपटान कर दिया गया है, फिर भी शेष राशि लेखा बहियों में बकाया है, जिसका कोई औचित्य नहीं दिया गया है, जिसके परिणामस्वरूप परिसम्पत्तियों का अतिकथन हुआ है तथा वर्ष के दौरान **4.66 लाख रुपए** की आय / रिजर्व एवं अतिरेक का अतिकथन हुआ है।
- 21) उत्तरी क्षेत्र में प्रबंधन द्वारा आरसीएस टिकट बिक्री के संबंध में राजस्व समाधान तैयार नहीं किए गए हैं। हमारे सत्यापन और हमें प्रदान की गई जानकारी तथा दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, **3.08 लाख रुपए** का अतिरिक्त राजस्व प्रभारित किया गया है। इससे वर्ष के संबंध में राजस्व एवं लाभ का अतिकथन तथा बैंक शेष का भी समान राशि के लिए अतिकथन हुआ है।

- 22) कम्पनी द्वारा पट्टा देयताओं तथा उपयोग अधिकार वाली परिसम्पत्तियों की गणना के लिए लीज़ देनदारियों और उपयोग के अधिकार वाली संपत्ति की गणना के लिए क्रमिक ऋण दर को विचार में नहीं लिया है। कम्पनी द्वारा अपनाई गई यह लेखांकन पद्धति न तो लेखांकन नीति के अनुरूप है और न ही यह भारतीय लेखा मानक 116 'पट्टों' के अनुसरण में है। सूचना उपलब्ध न होने के कारण हम इसके प्रभाव की प्रमात्रा का निर्धारण नहीं कर पा रहे हैं तथा इसके अलावा, उत्तरी क्षेत्र ने पट्टा देयता के प्रभाव का सही ढंग से लेखा-जोखा नहीं किया है, जिसके परिणामस्वरूप उपयोग अधिकार परिसंपत्तियों (आरओयू) को **0.66 लाख रुपए** कम दर्शाया गया है, पट्टा देयताओं के लिए **1.22 लाख रुपए** का और मूल्यहास प्रावधान को **0.77 लाख रुपए** का अतिकथन किया गया है जिसकी संचयी राशि **2.64 लाख रुपए** है।
- 23) वित्तीय विवरणों में हमारा ध्यान पिछले वित्तीय वर्ष में **1.04 लाख रुपए** के "प्रारंभिक एसओसीई समायोजन" की ओर आकर्षित हुआ है। तथापि, प्रबंधन द्वारा इस समायोजन के लिए कोई सहायक दस्तावेज़ उपलब्ध नहीं कराया गया है। इस समायोजन के लिए पर्याप्त स्पष्टीकरण अथवा आधार न दिए जाने के कारण हम इस समायोजन की उपयुक्तता और सटीकता का आकलन नहीं कर सकते हैं।
- 24) पश्चिमी क्षेत्र में भारतीय लेखांकन मानक 37 - प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक संपत्तियां का अनुपालन दुर्भर अनुबंधों के लिए कोई प्रावधान स्वीकृत न होने के कारण नहीं किया गया है जबकि यह संकेत उपलब्ध होते हुए भी कि संविदागत दायित्व अनुबंध के काल के दौरान प्राप्त होने संभावित आर्थिक लाभों से अधिक हैं। इसके अलावा, इस क्षेत्र में लागत केंद्रों की परिभाषित प्रणाली नहीं है तथा वैयक्तिक ग्राहक अनुबंधों के स्तर पर वास्तविक बनाम बजटीय राजस्व का तुलनात्मक विश्लेषण नहीं किया जाता है। ऐसी प्रणालियों तथा ऐसे निर्धारण उपलब्ध होने के कारण से दुर्भर अनुबंधों तथा उनके सम्बद्ध प्रावधानों का इंड एस वित्तीय विवरणों पर होने वाले संभावित प्रभाव की प्रमात्रा आंकी नहीं जा सकती है।
- 25) हमारा ध्यान वित्तीय विवरणों की समीक्षा के दौरान तुलन पत्र के निम्नलिखित शीर्षकों में पाई गई कुछ विसंगतियों की ओर आकर्षित हुआ है। (आंकड़े गलत दर्शाए गए हैं)

वित्तीय वर्ष 2023-24 के संबंध में

(रुपए लाख में)

शीर्षक	उप शीर्षक	उप-उप शीर्षक	सही आंकड़े	प्रकटीकरण किए गए आंकड़े
गैर-चालू परिसम्पत्तियां	ऋण	कर्मचारियों को ऋण – अप्रतिभूत	52.49	38.49
चालू परिसम्पत्तियां	नकदी एवं नकदी समतुल्य	उपलब्ध नकदी	6.52	6.60
चालू परिसम्पत्तियां	व्यापार देय	संदेहास्पद नामे / संभावित क्रेडिट हानियों के लिए भत्ता	11,760.08	11,740.69
गैर – चालू देयताएं	अन्य वित्तीय देयताएं	पट्टा देयताएं	8,729.82	8735.63
चालू देयताएं	अन्य वित्तीय देयताएं	पट्टा देयताएं	2,797.36	2,791.53

वित्तीय वर्ष 2022-23 के संबंध में

(रुपए लाख में)

शीर्षक	उप शीर्षक	उप-उप शीर्षक	सही आंकड़े	प्रकटीकरण किए गए आंकड़े
चालू देयताएं	व्यापार देय	सूक्ष्म एवं मध्यम उद्यम के बकाया देय	104.66	316.33

वित्तीय वर्ष 2021-22 के संबंध में

(रुपए लाख में)

शीर्षक	उप शीर्षक	उप-उप शीर्षक	सही आंकड़े	प्रकटीकरण किए गए आंकड़े
गैर-चालू परिसम्पत्तियां	पूँजी कार्य प्रगति पर	-	928.92	891.67
चालू देयताएं	प्रावधान	कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व के लिए प्रावधान	202.4	193.37

- पेशगी एवं प्रतिभूति जमा के अंतर्गत चालू एवं गैर चालू के द्विभाजन प्रबंधन द्वारा नहीं किए गए हैं।
- 26) नीचे दस्तावेजों में पाई गई कुछ ऐसी विसंगतियों का ब्यौरा दिया गया है जो इन वित्तीय विवरणों के अभिन्न अंग लेखांकन नोट की समीक्षा एवं सत्यापन के लिए आवश्यक है तथा समीक्षा की तिथि तक जिनकी प्रस्तुत हमें नहीं की गई है तथा नीचे दिए गए विवरण के अनुसार इनके आंकड़ों में मिथ्याकथन पाया गया है:
- नोट 32(ii) (घ) के संबंध में, मुकदमेबाजी के अंतर्गत दर्शाई गई **233.81 लाख रुपए** की राशि के संबंध में पर्याप्त समर्थक दस्तावेज हमें उपलब्ध नहीं करवाए गए हैं जिससे कि यह सत्यापन किया जा सके कि ये सही है अथवा नहीं हैं।
- नोट 32(XIII) के संबंध में, रोहिणी हेलीपोर्ट लिमिटेड के संबंध में स्वीकृत विलय समाप्ति योजना के अनुसार अंतरण की गई व्यवसाय हानि एवं अनवशोषित मूल्यहास का विवरण नहीं दिया गया है।
- नोट 32(XVI) के संबंध में, परिचालन पट्टे के प्रति दायित्व का विवरण हमें प्रदान नहीं किया गया है।
- नोट 32(XVII)(घ) के संबंध में चालू वर्ष से संबंधित **2658.38 लाख रुपए** की पट्टा देयताओं के नकदी प्रवाह के बारे में कोई स्पष्टीकरण हमें नहीं दिया गया है।
- नोट 32(XXI)(क) तथा (ख) के संबंध में, अनुबंध परिसंपत्तियों तथा देयताओं के संचलन का विवरण प्रबंधन द्वारा दी गई सूचना से संगत नहीं है, इस प्रकार हम इनके संबंध में कोई टिप्पणी नहीं कर पा रहे हैं।
- नोट 32(XXV)(ख) के संबंध में, निदेशक बैठक शुल्क प्राप्त करने वाले स्वतंत्र निदेशकों के विवरण का प्रकटीकरण नहीं किया गया है।
- नोट 32(XXV)(घ) के संबंध में, निदेशकों के **2.7 लाख रुपए** के बैठक शुल्क का द्विभाजन अल्पकालिक रोजगार लाभों से अलग नहीं दर्शाया गया है।
- नोट 32(XXVIII) के संबंध में, वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम को देय **316.33 लाख रुपए** की राशि सही नहीं है क्योंकि उत्तरी क्षेत्र में, वित्तीय वर्ष 2022-23 में किया गया पुनर्कथन इसके बारे में कोई भी स्पष्टीकरण दिए बिना सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम को देय राशि के माध्यम से किया गया है।

- नोट 32(XXXIII)(ग)(ii) के संबंध में, शाखा लेखा परीक्षक द्वारा अप्रत्यक्ष इनपुट के उपयोग से उचित मूल्य मापन का विवरण दिया गया है, तथापि समेकित वित्तीय विवरणों में कोई प्रकटीकरण नहीं दिया गया है। इसके परिणामस्वरूप, इसे शून्य के स्थान पर 947.19 लाख पड़ा जाना है।
- नोट 32(XXXIII)(iii) के संबंध में, हमें विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों तथा देयताओं का विवरण नहीं दिया गया है, जिसके परिणामस्वरूप हम संवेदी विश्लेषण पर भी टिप्पणी नहीं कर सकते हैं।

27. उपर्युक्त अर्हताओं की प्रमात्रा

पैराग्राफ 3, 4, 6 (ख), 6 (घ), 7 (क), 7 (ख), 7 (घ), 7 (छ), 7 (झ), 10, 12, 13, 15, 19, 20, 21, 22 में उल्लिखित हमारी टिप्पणियों का संचयी प्रभाव इस प्रकार है: वर्ष के दौरान कम्पनी के लाभ / रिजर्व एवं अतिरिक्त में **2,317.93 लाख रुपए** की अत्योक्ति की गई है, परिसंपत्तियों को **2,453.86 लाख रुपए** की अत्योक्ति तथा देयताओं के लिए **135.93 लाख रुपए** की राशि का अतिकथन किया गया है। अन्य पैरा में वर्णित मामले के संभावित प्रभाव का प्रबंधन द्वारा पता नहीं लगाया गया है।

हमारे द्वारा की गई लेखापरीक्षा, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) में निर्दिष्ट लेखापरीक्षा मानकों ("एसए") के अनुसरण में गई है। इन मानकों के अंतर्गत हमारे उत्तरदायित्वों का विस्तृत विवरण हमारी रिपोर्ट में स्टैंडएलोन इंड एस वित्तीय विवरण के खंड में वर्णित लेखापरीक्षकों के दायित्व में किया गया है। कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों तथा उनके अंतर्गत निर्मित नियमों के अनुसार, हमारे द्वारा की गई वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा, हमारी लेखापरीक्षा से सम्बद्ध आचार संहिता आवश्यकताओं के साथ साथ इंडस्टीयूट आफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी आचार संहिता के अनुरूप है, जिसके अंतर्गत हम कंपनी से स्वतंत्र हैं तथा हमने इन आवश्यकताओं तथा इंडस्टीयूट आफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया

की आचार संहिता के उत्तरदायित्वों का पालन किया है। हमारा यह मानना है कि हमारे द्वारा एकत्र किए गए लेखापरीक्षा प्रमाण, 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों पर अपने प्रतिकूल मत की प्रस्तुति के आधार के लिए पर्याप्त हैं एवं यथोचित हैं।

मामले का प्रभाव

1. हम भारतीय लेखांकन मानक (इंड एस) के वित्तीय विवरणों के नोट संख्या 2(vi) की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं, जिसमें आंतरिक तकनीकी समिति के सुझाव पर हेलीकॉप्टरों का अनुमानित उपयोग काल कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II में उल्लिखित 20 वर्षों से बढ़ाकर पश्चिमी क्षेत्र में डॉफिन बेड़े के लिए 40 वर्ष किया गया था जिससे वर्ष का मूल्यहास शुल्क कम हुआ तथा जिससे इंड एस वित्तीय विवरणों में वर्ष में हुई हानि का परिणामी प्रभाव हुआ है। हमारा ध्यान इस ओर गया है कि पूर्व वर्षों में विमानों के ग्राउंड पर रहने (एओजी) के दिनों में ग्राहकों को दी जाने वाली निर्णित हजनि की वसूली में वृद्धि हुई है, राजस्व उड़ान घंटों में कमी आई है, तथा अप्रचलन के कारण निर्माताओं/ओईएम से डॉफिन एस365एन के कुछ एवियोनिक्स पुर्जों की अनुपलब्धता के कारण हेलीकॉप्टरों को लंबे समय तक ग्राउंड रहना पड़ा है। यह चूंकि एक तकनीकी मामला है, इसलिए हमने तकनीकी समिति के आकलन के प्रति विश्वास किया है।
2. क) कम्पनी तथा तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम (ओएनजीसी) के मध्य उत्पादन कार्यों के लिए हेलीकॉप्टर का चार्टर सेवा के उद्देश्य से दिनांक 19 जुलाई, 2022 को 3 डॉफिन 365एन हेलीकॉप्टर चार्टर किराए पर प्रदान करने का अनुबंध किया गया है तथा कम्पनी दिनांक दिनांक 15 फरवरी, 2022 को 2 सिकोसकी ए76डी क्रू चेंज हेलीकॉप्टर अपतटीय परिचालन के लिए चार्टर सेवा प्रदान करने के लिए अनुबंध किया गया है जो अनुबंध में उल्लिखित विशिष्टताओं के अनुसार ओएनजीसी

के परिचालनों के लिए उपयोग में लाया जाएगा। इसके लिए उत्पादन कार्य हेलीकॉप्टर अनुबंध का नवीकरण 2 उत्पादन कार्य हेलीकॉप्टर अनुबंध दिनांक 13 अक्टूबर 2022 के अनुबंध संख्या एमयूएम/ओएफएफ-लॉजिस्टिक्स/एमएम/2022/पी ए च टी ए च ए ल जी आर पी ए / 1067720 / पी76एएल2204/ 90100357-5 के माध्यम से किया गया है तथा कू परिवर्तन हेलीकॉप्टर प्रदान किए जाने का अनुबंध उत्पादन कार्य अनुबंध के रूप में परिवर्तित करके अपतटीय परिचालनों के लिए 3 उत्पादन कार्य हेलीकॉप्टर प्रदान के लिए दिनांक 13 अक्टूबर, 2022 को अनुबंध संख्या एमयूएम/ओएफएफ-लॉजिस्टिक्स/एमएम/ 2022/प्रोडक्शन/ 1027876/पी76एएल22004/ 9010035403 के माध्यम से किया गया है। कम्पनी को उक्त सेवाओं के लिए नियत मासिक प्रभार तथा फ्लाइटिंग मासिक प्रभारों की प्राप्ति होगी। ओएनजीसी को हेलीकॉप्टर उपलब्ध किए जाने की सेवाएं प्रदान करने की कम्पनी की असमर्थता की स्थिति में कम्पनी को उस अवधि के लिए नियत मासिक प्रभार देय नहीं होंगे जिस अवधि में हेलीकॉप्टर उपलब्ध नहीं करवाए गए थे। इसके अलावा पूर्ण दिवस ग्राउंडिंग के लिए नियत मासिक प्रभार के 5 % के समतुल्य तथा आधे दिन की ग्राउंडिंग के लिए नियत मासिक प्रभार के 2.5 % (अर्थात् 5 % का 50 %) के समतुल्य निर्णित हर्जाना चुकता किया जाएगा जो कि 844.84 लाख रुपए (पिछले वर्ष 113.36 लाख रुपए) वर्ष के दौरान कटौती किया गया है। ऐसा 200 गैर परिचालनात्मक दिवसों के कारण नियत मासिक प्रभार की हानि एवं निर्णित हर्जाने के रूप में परिणत हुआ है जिसकी भुगतान में से कटौती की जानी है। चूँकि अनुबंध के तहत अनुमानित दायित्वों को पूरा करने की लागत अनुबंध की अवधि के दौरान प्राप्त होने वाले अपेक्षित आर्थिक लाभों से अधिक है, इसलिए यह अनुबंध एक दुर्भर अनुबंध है। (नोट संख्या 24 हेलीकॉप्टर परिचालन एवं अनुरक्षण व्यय देखें)

ख) कम्पनी द्वारा पिछले माह की गई उड़ानों के संबंध में प्रत्येक माह की 7 तिथि तक निश्चित मासिक शुल्क (एफएमसी) और उड़ान प्रति घंटा शुल्क (एफएमसी) तथा अन्य स्वीकार्य शुल्कों के चालान जारी करने के संबंध में अनुबंध की शर्तों का पालन नहीं किया है। निश्चित मासिक शुल्क (एफएमसी) और उड़ान प्रति घंटा शुल्क (एफएमसी) के लिए, भुगतान चालान प्राप्त होने के 21 कार्य दिवसों के भीतर प्राप्त किया जाना चाहिए, जिससे कम्पनी के नकदी प्रवाह पर प्रभाव पड़ सकता है।

3. हम इंड एस वित्तीय विवरणों के अभिन्न भाग नोट संख्या 32(XXVIII) की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं। कम्पनी का यह मानना है कि 31 मार्च, 2024 तक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के अंतर्गत पंजीकृत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों पर तुलन पत्र की तिथि से 45 दिनों से अधिक अवधि का कोई बकाया नहीं है। आपूर्तिकर्ताओं से 'सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006' के प्रावधानों की प्रयोज्यता के बारे में जानकारी मांगी गई, लेकिन कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम बकाया राशि की जानकारी कम्पनी के पास उपलब्ध जानकारी के आधार पर प्रदान की गई है।

4. इंड एस वित्तीय विवरणों के अभिन्न भाग नोट संख्या **32 (XIX) (ए)** में जैसा कि सतर्कता विभाग के दिनांक 12 अगस्त, 2014 के अंतर कार्यालय ज्ञापन आरएफ संख्या पीएचएल/सीओ/वीआईजी/219 पर के आधार पर (आईओएम) सीवीओ (मुख्य सतर्कता अधिकारी) द्वारा जांच किए जाने तथा लक्षद्वीप में **129.20 लाख रुपए** की वित्तीय अनियमितताओं के संबंध में प्रबंधन को रिपोर्ट सौंपे जाने का उल्लेख है। प्रबंधन द्वारा कर्मचारियों को देय **40.09 लाख रुपए** के समर्थित इनवॉयस/बिल/क्रेडिट को संज्ञान में लिया गया था तथा प्रबंधन द्वारा शेष **89.12 लाख रुपए** की राशि को ही हानि माना गया था तथा इसे वर्ष 2014-15 के वित्तीय विवरणों में प्रभारित किया

था। चालू वित्त वर्ष के दौरान, अप्रैल 2008 से मार्च 2011 की अवधि के लक्षद्वीप प्रशासन से यात्रा बिल प्राप्त हुए हैं। मानव संसाधन विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार जांच की गई है तथा दिए गए सुझाव के अनुसार कार्रवाई किए जाने की स्वीकृति सक्षम प्राधिकारी द्वारा दी गई है। इस मामले पर कम्पनी द्वारा आगे विचार किया जा रहा है।

5. इंड एस वित्तीय विवरणों के अभिन्न भाग नोट संख्या **32 (II)(डी)** में यह उल्लेख है कि पश्चिमी क्षेत्र द्वारा आईडी अधिनियम की धारा 33सी(आई) के अंतर्गत आरएलसीआरएलसी (सी) के 27 जून, 2022 के पारित आदेश के प्रति रिट याचिका दायर की गई है, इस आदेश में **10%** की दर से प्रतिवर्ष ब्याज के साथ **580.75 लाख रुपए** की राशि का वसूली प्रमाणपत्र (आरसी) जारी किया गया था तथा इसकी प्रतिक्रिया में कलेक्टर, मुंबई उपनगरीय जिले द्वारा जारी दिनांक 12 अक्टूबर, 2022 को जारी कुर्की आदेश के अंतर्गत क्षेत्र के बैंक खाते को ऊपर उल्लिखित राशि के लिए कुर्क कर लिया गया था। माननीय बम्बई उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 15 नवंबर, 2022 के अपने आदेश में बैंक खाते को पूरी तरह से फ्रीज करने के स्थान पर बैंक ऑफ बड़ौदा को याचिकाकर्ता (पीएचएल) को **650.00 लाख रुपए** की राशि रोककर बैंक खाता संचालित करने की अनुमति देने का निर्देश दिया जा सकता है। इससे कम्पनी की चलनिधि स्थिति पर महत्वपूर्ण प्रभाव हुआ है।
6. **अनुलग्नक ख** तथा प्रतिकूल मत के आधार से संबंधित पैराग्राफों की ध्यान आकर्षित किया जाता है जिनमें आंतरिक नियंत्रणों में विभिन्न कमियां पाए जाने का उल्लेख है जो कार्य प्रक्रियाओं / विभागों से की गई चूकों / अकरणों के रूप में परिणत हुए हैं। इस प्रकार, आंतरिक लेखापरीक्षा को सुदृढ़ बनाया जाना आवश्यक है तथा सभी कार्यात्मक विभागों, विशेष रूप से अचल परिसम्पत्ति प्रबंधन, मालसूची प्रबंधन, क्रय प्रक्रिया, नकदी एवं बैंक प्रबंधन, लेखांकन एवं राजस्व वसूली, सांविधिक अनुपालन, मानव संसाधन

प्रबंधन तथा सूचना प्रौद्योगिकी सामान्य नियंत्रण का गहन सत्यापन सुनिश्चित करने के लिए इसका दायरा बढ़ाया जाना चाहिए जिससे कि इसे कम्पनी के आकार एवं इसके परिचालनों की प्रकृति के अनुरूप बनाया जा सके।

7. वर्ष के दौरान क्षमता हानि के संबंध में कोई प्रावधान नहीं किए गए हैं क्योंकि पश्चिमी क्षेत्र प्रबंधन का यह मानना है कि परिसंपत्तियों में क्षमता हानि के कोई संकेत स्पष्ट नहीं हुए हैं। तथापि, प्रबंधन द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण तथा दी गई सूचना के अनुसार आगामी वर्षों यथा वर्ष 2024-25 में प्रबंधन द्वारा परिसम्पत्तियों में क्षमता हानि के संबंध में स्वतंत्र रिपोर्ट प्राप्त की जाएगी।
8. प्राप्त ऋण एवं अग्रिम (देयताएं) की राशि शून्य (**5.61 लाख**) है, जिसके परिणामस्वरूप देयताओं की अत्युक्ति हुई है तथा लाभ को शून्य (**5.61 लाख**) तक कम दर्शाया गया है तथा पश्चिमी क्षेत्र में **41.61 लाख (25.15 लाख)** रुपएकी व्यापार देय राशि 3 से अधिक वर्षों से बकाया है। पार्टियों को भुगतान नहीं किया गया है और कोई पुष्टि प्राप्त नहीं हुई है।
9. **3987.65 लाख रुपए** की राशि के व्यापार प्राप्य 3 से भी अधिक वर्षों से बकाया है, इसमें से **3237.96 लाख रुपए** के प्रावधान पश्चिम क्षेत्र में किए गए हैं तथा देनदार बकाया के लिए किए गए प्रावधान से संबंधित विवरण उत्तरी क्षेत्र में उपलब्ध नहीं है। शेष को पिछले अनेक वर्षों से अग्रेषित किया जा रहा है।

इन मामलों के संबंध में हमारा मत संशोधित नहीं किया गया है।

अन्य मामले

हमने कम्पनी के वित्तीय विवरणों में शामिल पश्चिम क्षेत्र के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा नहीं की है जिसके वित्तीय विवरणों में 31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार, जैसा कि इंड एस वित्तीय विवरणों में विचार में लिया गया है, कुल परिसम्पत्तियों की राशि **1,13,918.81 रुपए** तथा उक्त तिथि

को समाप्त वर्ष में कुल राजस्व **28,225.61 रुपए** दर्शाया गया है। पश्चिम क्षेत्र के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त शाखा लेखापरीक्षक ने की है तथा उनकी रिपोर्ट हमें प्रस्तुत की गई है। जहां तक पश्चिम क्षेत्र के संबंध में इसमें उल्लिखित राशियों एवं प्रकटीकरणों का संबंध है, हमारा मत शाखा लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर आधारित है।

वित्तीय विवरणों तथा उससे संबंधित लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के अलावा अन्य सूचना

कम्पनी का निदेशक मंडल अन्य सूचना की प्रस्तुति के प्रति उत्तरदायी है। अन्य सूचना में निदेशक मंडल की रिपोर्ट शामिल होती है परन्तु इसमें वित्तीय विवरणों तथा उससे संबंधित हमारी लेखा परीक्षा रिपोर्ट को शामिल नहीं किया जाता है।

वित्तीय विवरणों में व्यक्त हमारे मत में अन्य सूचना शामिल नहीं है तथा हम किसी प्रकार से उसके संबंध में किसी आश्वासन निष्कर्ष की प्रस्तुति नहीं कर रहे हैं। वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा के संबंध में हमारा दायित्व इसमें दी गई सूचना को पढ़ना है तथा ऐसा करते हुए यह विचार करना है कि क्या अन्य सूचना की सामग्री वित्तीय विवरणों तथा लेखा परीक्षा की प्रक्रिया के दौरान हमें प्राप्त जानकारी से वस्तुगत रूप से संगत है अथवा इसमें किसी प्रकार के वस्तुगत दुर्विवरण का उल्लेख किया गया है अथवा नहीं किया गया है। यदि हमारे द्वारा निष्पादित कार्य के आधार पर हमें अन्य सूचना में किसी प्रकार के सामग्रीगत मिथ्या कथन का आभास होता है तो ऐसे तथ्यों की रिपोर्ट किए जाने की अपेक्षा हमसे की गई है। इसके संबंध में रिपोर्ट के लिए कुछ प्रस्तुति नहीं कर रहे हैं।

वित्तीय विवरणों से संबंधित प्रबंधन के दायित्व

कम्पनी का निदेशक मंडल कम्पनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा-133 के अंतर्गत निर्दिष्ट लेखांकन मानकों सहित भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार कम्पनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय निष्पादन तथा नकदी प्रवाह की सत्य एवं स्वच्छ छवि प्रस्तुत करने से संबंधित कम्पनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 134(5) में उल्लिखित मामलों के प्रति उत्तरदायी है। इस

उत्तरदायित्व में कम्पनी की परिसम्पत्तियों को सुरक्षा प्रदान करने तथा जालसाजी व अन्य अनियमितताओं के निवारण तथा उनका पता लगाने; उपयुक्त लेखांकन नीतियों का चयन तथा अनुप्रयोग करने; युक्तिसंगत तथा विवेकपूर्ण निर्णय लेने एवं अनुमान लगाने; उपयुक्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के अभिकल्प, क्रियान्वयन तथा अनुरक्षण, जो लेखांकन रिकार्डों की परिशुद्धता और सम्पूर्णता को सुनिश्चित करने के लिए कुशलतापूर्वक प्रचालन करे और जो इंड एस वित्तीय विवरणों के निर्माण एवं प्रस्तुतिकरण के लिए संगत हों तथा जिनसे सत्य एवं स्वच्छ प्रस्तुत होती है तथा जो किसी जालसाजी अथवा किसी के किसी भी कारण से सामग्रीगत मिथ्याकथन से मुक्त हो, के प्रति उत्तरदायी है।

वित्तीय विवरणों के निर्माण के समय प्रबंधन कम्पनी की गोडंग कंसर्न को जारी रखे जाने की क्षमता का मूल्यांकन करने, गोडंग कंसर्न को जारी रखे जाने से संबंधित मामलों, यदि कोई हों, का प्रकटीकरण करने तथा प्रबंधन द्वारा कम्पनी को बंद किए जाने का विचार यदि नहीं है तो लेखांकन के लिए गोडंग कंसर्न को जारी रखने के आधार अथवा गोडंग कंसर्न को जारी रखने के अलावा अन्य कोई विकल्प न होने की प्रस्तुति करने के प्रति उत्तरदायी है। कम्पनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख का दायित्व कम्पनी के निदेशक मंडल का भी है।

वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षकों के उत्तरदायित्व

हमारा उद्देश्य वित्तीय विवरणों को तथ्यात्मक मिथ्याकथन, जालसाजी अथवा चूक के कारण, से मुक्त रखे जाने का युक्तिसंगत आश्वासन प्राप्त करके अपने मत सहित लेखापरीक्षा रिपोर्ट जारी रखना है। युक्तिसंगत आश्वासन को आश्वासन का उच्च स्तर कहा जा सकता है परन्तु इसमें किए गए लेखा परीक्षण के संबंध में यह गारंटी नहीं होती है कि एसए प्रक्रिया के अंतर्गत किए जाने वाले लेखा परीक्षण से तथ्यात्मक दुर्विवरण, यदि कोई हों, की प्राप्ति निश्चित तौर सदैव उपलब्ध हो सकेगी। मिथ्याकथन किसी जालसाजी अथवा चूक के कारण हो सकता है अथवा इसे तथ्यात्मक तभी माना जा सकता है जब इनसे अलग अलग अथवा समस्त रूप से इन वित्तीय विवरणों के आधार पर लिए गए आर्थिक निर्णयों पर किसी प्रकार का औचित्यपरक प्रभाव होने की संभावना की गई हो।

एसए के अंतर्गत की जाने वाली लेखा परीक्षा की पूरी प्रक्रिया के दौरान हमें व्यावसायिक तौर पर संशयात्मक दृष्टिकोण से युक्त व्यावसायिक निर्धारण करने होते हैं। हमारे द्वारा निम्नलिखित प्रक्रियाएं भी की गई हैं:-

- वित्तीय विवरणों में तथ्यात्मक दुर्विवरण के जोखिमों, जो चाहे जालसाजी अथवा चूक के कारण हों, का संज्ञान तथा मूल्यांकन करना तथा ऐसे जोखिमों पर प्रभावी लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं के स्वरूप के अनुसार लेखापरीक्षा प्रक्रियाएं करके अपने मत के आधार के लिए ऐसे लेखापरीक्षा प्रमाण की प्राप्ति करना जो पर्याप्त एवं औचित्यपरक हों। पता न लगाई जा सकी किसी जालसाजी से किए गए सामग्रीगत मिथ्याकथन के जोखिम परिणाम किसी चूक से उत्पन्न होने वाले जोखिमों से कहीं अधिक होते हैं क्योंकि जालसाजियां साठ गांठ, धोखाधड़ी, किन्हीं उद्देश्यों से की गई चूक, गलत प्रस्तुति अथवा आंतरिक नियंत्रण की अवहेलना किए जाने के कारण हो सकती हैं।
- परिस्थितियों के अनुकूल लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं के निर्माण के लिए लेखा परीक्षा से सम्बद्ध आंतरिक नियंत्रण को संज्ञान में लेना।
- प्रयुक्त लेखांकन नीतियों की पर्याप्तता एवं प्रबंधन द्वारा लगाए गए लेखा अनुमानों की औचित्यपरकता तथा सम्बद्ध प्रकटीकरणों का मूल्यांकन करना।
- प्रबंधन द्वारा लेखांकन के लिए उपयोग में लाए गए गोडंग कंसर्न के आधार तथा प्राप्त लेखा परीक्षा परिणामों के आधार की उपयुक्तता के संबंध में यह निश्चय करना कि क्या ऐसी स्थितियां अथवा परिस्थितियां हैं जिनसे यह तथ्यपरक अनिश्चितता होती हो तथा जिनसे गोडंग कंसर्न के लिए कम्पनी की क्षमता पर किसी प्रकार का प्रभाव होने की आशंका हुई हो। यदि ऐसी किसी प्रकार की तथ्यपरक अनिश्चितता को शामिल किया जाता है तो हम से अपनी लेखा परीक्षा से सम्बद्ध वित्तीय विवरणों में किए गए प्रकटीकरणों की ओर ध्यान आकर्षित

करवाए जाने तथा ऐसे प्रकटीकरण अपर्याप्त होने की स्थिति में अपना मत संशोधित करने की अपेक्षा की गई है। हमारे द्वारा किया गया निश्चय हमारी रिपोर्ट में उल्लिखित तिथि के दौरान प्राप्त किए गए लेखा परीक्षा प्रमाणों पर आधारित है। तथापि, भावी स्थितियों अथवा परिस्थितियों के परिणाम कम्पनी की प्रक्रियाओं को गोडंग कंसर्न के रूप में जारी न रखे जाने का कारण हो सकते हैं।

- प्रकटीकरणों सहित इंड एस वित्तीय विवरणों की पूर्ण प्रस्तुति, संरचना एवं सार संक्षेप का मूल्यांकन करना तथा यह ज्ञात करना कि क्या इंड एस वित्तीय विवरणों में लेन देन संव्यवहार एवं स्थिति का विवरण उचित स्वरूप में दिया गया है अथवा नहीं दिया गया है।

हम, अन्य मामलों के साथ साथ शासन व्यवस्था की देखरेख करने वाले पदाधिकारियों को योजनाबद्ध कार्यक्षेत्र तथा लेखा परीक्षा की समय सारणी एवं लेखा परीक्षण के निष्कर्षों और साथ ही हमारे द्वारा किए गए लेखा परीक्षण के दौरान प्रकाश में आई आंतरिक नियंत्रण से जुड़ी खामियों के संबंध में जानकारी प्रदान करते हैं।

शासन व्यवस्था की देखरेख करने वाले पदाधिकारियों को हमने उन मामलों का विवरण भी दिया है जिनका समेकन हमारे द्वारा स्वतंत्रता से सम्बद्ध आचार अपेक्षाओं के अनुसार किया गया था तथा हमारी लेखा परीक्षा स्वतंत्रता एवं उससे जुड़े सुरक्षा उपायों, जहां लागू हों, के प्रभाव के लिए प्रत्येक प्रकार की औचित्यपरक संबद्धता एवं अन्य मामलों का सम्प्रेषण भी उन्हें किया गया है।

अन्य विधिक एवं विनियामक अपेक्षाओं की रिपोर्ट

1. कम्पनी अधिनियम की धारा 143 की उप धारा (11) के उपबंधों के अनुसार भारत सरकार द्वारा कम्पनी (लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट) आदेश, 2016 ("आदेश") द्वारा अपेक्षित उक्त आदेश के पैरा 3 तथा 4 में यथा लागू विनिर्दिष्ट विषयों पर हम **अनुलग्नक - क** में विवरण प्रस्तुत कर रहे हैं।

2. अधिनियम के अनुच्छेद 143(3) की अपेक्षाओं के अनुसार हम यह रिपोर्ट करते हैं कि:
 - क) हम वे सभी सूचनाएं और स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं कर पाए हैं जिनकी आवश्यकता हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा के लिए थी;
 - ख) हमारे मतानुसार, प्रतिकूल मत के आधार के पैराग्राफ और पैराग्राफ 2 (एच)(vi) नीचे वर्णित मामलों के प्रभाव तथा कम्पनी (लेखापरीक्षा एवं लेखापरीक्षक) नियमावली, 2014 (यथासंशोधित) ("नियमावली") के नियम 11 (जी) के अंतर्गत नीचे प्रस्तुत रिपोर्टिंग के विचार से कम्पनी ने विधि अपेक्षाओं के अनुसार उचित लेखा बहियों का रख-रखाव नहीं किया है, जो कि हमारे द्वारा इन बहियों के संबंध में की गई जांच से प्रतीत हुआ है।
 - ग) इस रिपोर्ट में वर्णित तुलन पत्र, लाभ-हानि विवरण तथा रोकड़ प्रवाह विवरण कम्पनी की लेखा बहियों से मेल खाते हैं;
 - घ) हमारे मतानुसार, तुलन पत्र, लाभ-हानि विवरण तथा रोकड़ प्रवाह विवरण कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के अंतर्गत अधिसूचित कम्पनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियमावली, 2015 के अनुसार भारतीय लेखांकन मानकों ("इंड एस") के अनुसरण में संगत नहीं हैं।
 - ङ) हमारे मतानुसार "प्रतिकूल मत के आधार" पैराग्राफ में वर्णित मामलों का प्रतिकूल प्रभाव कम्पनी की कार्यप्रणाली पर संभव हो सकता है।
 - च) दिनांक 5 जून, 2015 की अधिसूचना संख्या 1/2/2014-सीएल- V के माध्यम से प्राप्त छूट को विचार में रखते हुए धारा 164(2) के अंतर्गत निदेशकों से प्राप्त की जाने वाली घोषणा की अपेक्षाएं कम्पनी के संबंध में लागू नहीं हैं;
 - छ) लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट में वर्णित अन्य मामलों के लिए अधिनियम की धारा 197(16), यथासंशोधित, की अपेक्षाएं सरकारी कम्पनियों के मामले में लागू नहीं हैं। कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी दिनांक 5 जून, 2015 की अधिसूचना संख्या जीएसआर 463(ई) के अनुसार धारा 197 सरकारी कम्पनियों के मामले में लागू नहीं है।
 - ज) कम्पनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और ऐसे नियंत्रणों के परिचालन प्रभाव का उल्लेख 'अनुलग्नक 'ख'' में प्रस्तुत हमारी पृथक रिपोर्ट में किया गया है; तथा
 - झ) हमारे मतानुसार और हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार कम्पनी (लेखा परीक्षा और लेखापरीक्षक) नियम, 2014, के नियम 11 के अनुसार लेखा परीक्षा रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में :
 - i. कम्पनी ने अपने वित्तीय विवरणों के नोट संख्या 32 (XLII) में लंबित मुकदमों के प्रभाव का प्रकटीकरण किया है।
 - ii. कम्पनी के डेरियेटिव सहित ऐसे कोई दीर्घकालिक अनुबंध नहीं किए गए हैं जिनसे हानियों की किसी प्रकार की कोई संभावना हो।
 - iii. ऐसी कोई राशियां नहीं थी जिन्हें कम्पनी के निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि में अंतरित किए जाने आवश्यकता हुई हो।
 - iv. (क) प्रबंधन ने यह प्रस्तुति दी है कि उनकी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार तथा नोट संख्या 32(XLII) में किए गए प्रकटीकरण के अनुसार, कम्पनी द्वारा विदेशी इकाईयों, ("मध्यस्थों") सहित किसी अन्य व्यक्ति अथवा इकाई को किसी निधि का अग्रिम अथवा ऋण नहीं दिया गया है अथवा निवेश (ऋण पर प्राप्त निधियों अथवा शेयर प्रीमियम अथवा अन्य स्रोतों से अथवा अन्य प्रकार की निधियों में किसी में से) इस सहमति, लिखित अथवा अन्यथा स्वरूप में, के साथ नहीं किया गया है कि मध्यस्थ द्वारा, प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में, कम्पनी अथवा कम्पनी की ओर से ("अंतिम लाभग्राहियों") अन्य

व्यक्तियों अथवा निर्धारित इकाईयों को ऋण अथवा उनमें निवेश अथवा कोई गारंटी, प्रतिभूति अथवा, अंतिम लाभग्राहियों की ओर से किसी प्रकार की प्रतिभूति प्रदान की जाएगी;

(ख) प्रबंधन ने यह प्रस्तुति दी है कि उनकी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार तथा नोट संख्या 32(XLII) में किए गए प्रकटीकरण के अनुसार, कम्पनी ने विदेशी इकाई ("निधियन पार्टी") सहित किसी व्यक्ति (व्यक्तियों) अथवा इकाई (इकाईयों) से किसी निधि का अग्रिम अथवा ऋण की प्राप्ति इस सहमति, लिखित अथवा अन्यथा स्वरूप में, के साथ नहीं की है कि कम्पनी द्वारा, प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में, निधियन पार्टी ("अंतिम लाभग्राहियों") की ओर से अन्य व्यक्तियों अथवा निर्धारित इकाईयों को ऋण अथवा उनमें निवेश अथवा कोई गारंटी, प्रतिभूति अथवा, अंतिम लाभग्राहियों की ओर से किसी प्रकार की प्रतिभूति प्रदान की जाएगी;

ग) हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं, जिनका उपयोग परिस्थितियों के अनुसार औचित्यपरक एवं यथोचित समझा गया है, से हमारी जानकारी में ऐसा कुछ प्रकाश में नहीं आया है जिसके प्रभाव से ऐसा माना जा सके कि उपर्युक्त उप-खंड (क) एवं (ख) में की गई प्रस्तुति में किसी प्रकार का कोई मिथ्याकथन है।

v. कम्पनी द्वारा वर्ष के दौरान कोई लाभांश घोषित अथवा चुकता नहीं किया गया है।

vi. हमारे द्वारा की गई जांच, जिसमें औचक जांच भी शामिल है, के आधार पर कम्पनी द्वारा 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए आईआईएसपी (टीसीएस साफ्टवेयर) तथा डी बेस 3 का क्रमशः उपयोग अपनी लेखा बहियों के अनुरक्षण तथा मूल्यहास की गणना के लिए किया गया है। आईआईएसपी साफ्टवेयर में ऑडिट ट्रेल (एडिट लॉग) सुविधा रिकॉर्ड करने की सुविधा है तथा इसका परिचालन

(क) एकीकृत सूचना प्रणाली पैकेज (119) के कार्यात्मक इंटरफेस में टाइम स्टैम्प को कैप्चर नहीं किया जा सका है, (ख) डी बेस 3 के लिए ऑडिट ट्रेल का सत्यापन करने से संबंधित कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं करवाया गया है। तदनुसार, हम इस साफ्टवेयर के उपयोग से संसाधित किए गए आंकड़ों की सत्यता के बारे में कोई टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा, लेखापरीक्षा की प्रक्रिया के दौरान हमारे सम्मुख ऐसी कोई स्थिति उत्पन्न नहीं हुई है जिसमें उस अवधि के लिए आईआईएसपी (टीसीएस साफ्टवेयर) के साथ ऑडिट ट्रेल फीचर में कोई छेड़खानी की गई हो जिस अवधि में ऑडिट ट्रेल को उपयोग के लिए सक्षम किया गया था।

vii. चूंकि कम्पनी (लेखा) नियमावली, 2014 के नियम 3(1) का परंतुक चूंकि कम्पनी के संबंध में 1 अप्रैल, 2023 से लागू है अतः ऑडिट ट्रेल के परिरक्षण से संबंधित कम्पनी (लेखापरीक्षा एवं लेखापरीक्षक) नियमावली, 2014 के नियम 11(जी) के अंतर्गत रिकार्ड परिरक्षण से जुड़ी सांविधिक अपेक्षा 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए लागू नहीं हैं।

ज) अधिनियम की धारा 143(5) की कम्पनी के संबंध में भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी निदेशों एवं उप निदेशों से संबंधित अपनी "अनुलग्नक - III" में प्रस्तुत किए गए हैं।

कृते लूथरा एंड लूथरा एलएलपी

सनदी लेखाकार

एफ. आर. सं.: 002081एन/एन500092

ह/-

निलेश मेहता

साझीदार

एम. सं.: 093847

स्थान: नई दिल्ली

तिथि: 23.06.2025

यूडीआईएन: 25093847BMMHWU6400

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक 'क'
यह अनुलग्नक कम्पनी के सदस्यों को संबोधित कम्पनी के 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों से संबंधित स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के संदर्भ में है।

1. कम्पनी की संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण तथा अमूर्त संपत्तियों के संबंध में:
- क. (क) कम्पनी में कॉर्पोरेट कार्यालय अलावा संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के मात्रात्मक विवरण तथा स्थिति सहित पूर्ण विवरण दर्शाने वाले उचित रिकार्डों का *अनुरक्षण नहीं किया* है (उत्तरी एवं पश्चिमी क्षेत्र के रिकार्ड उचित नहीं हैं)।
- ख. (ख) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कम्पनी के कॉर्पोरेट कार्यालय में अमूर्त संपत्तियों का पूर्ण विवरण दर्शाने वाले उचित रिकार्ड का रखरखाव किया जा रहा है। तथापि, उत्तरी क्षेत्र के संबंध में, कम्पनी ने अमूर्त संपत्तियों का पूर्ण विवरण दर्शाने वाले उचित रिकार्ड का अनुरक्षण नहीं किया है। पश्चिमी क्षेत्र के संबंध में, कम्पनी के पास कोई अमूर्त संपत्ति नहीं है तथा तदनुसार, इस उप-खंड के प्रावधान उस क्षेत्र पर लागू नहीं हैं।
- ग. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कम्पनी में अपनी संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों के भौतिक सत्यापन का एक नियमित कार्यक्रम स्थापित है जिसके अनुसार संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों का भौतिक सत्यापन 3 वर्षों की अवधि में चरणबद्ध विधि से किया जाता है, जो हमारे मतानुसार कम्पनी के आकार तथा इसके व्यवसाय की प्रकृति के विचार से पर्याप्त नहीं है। प्रासंगिक जानकारी उपलब्ध न होने के कारण हम वर्ष के दौरान किसी भौतिक असंगति के बारे में कोई टिप्पणी नहीं कर पा रहे हैं। कम्पनी में पश्चिमी क्षेत्र की प्रत्येक संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण पिछले वर्ष प्रबंधन द्वारा अपने योजनागत कार्यक्रम के अनुसार भौतिक रूप से सत्यापित नहीं किए गए थे। इसके अलावा, पश्चिमी क्षेत्र के 13,181.37 रुपए के सकल मूल्य के रोटेबल्स एवं मरम्मत योग्य सामग्री मरम्मत के लिए भेजी गई थी तथा वर्ष के अंत तक ये विदेशी ओईएम के पास रखे हुए थे। कम्पनी संबंधित ओईएम से इस आशय की पुष्टि प्राप्त नहीं कर पाई है कि क्या कम्पनी के ये रोटेबल्स उनके पास रखे हुए हैं अथवा नहीं रखे हुए हैं। वित्तीय वर्ष 23-24 में उत्तरी क्षेत्र में किए गए भौतिक सत्यापन से संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के भौतिक सत्यापन और लेखा बहियों के अनुसार 586 मदों का अंतर देखने में आया है तथा इस अंतर का मूल्य निर्धारित नहीं किया जा सकता है, जिसके कारण लेखा बहियों में विसंगतियों का समायोजन नहीं किया गया है। कॉर्पोरेट कार्यालय के संबंध में, पिछले वर्ष के दौरान भौतिक सत्यापन नहीं किया गया है, अंतिम सत्यापन अगस्त 2020 में किया गया था।
- घ. इंड एस वित्तीय विवरणों के नोट संख्या 32(III)(ख) में संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के संबंध में किए गए प्रकटीकरण के अनुसार पश्चिमी क्षेत्र में आवासीय भवन (जेएचसी) के अलावा अचल परिसम्पत्तियों के हक विलेख, जिसकी भूमि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) के नाम पर पंजीकृत है, कम्पनी के नाम पर हैं तथा क्षेत्र में 242 फ्लैटों का निर्माण किया था, जिनमें से 50 फ्लैट भाविप्रा को आंशिक रूप से 25 वर्षों की अवधि के लिए उक्त भूमि के प्रति पट्टा किराए पर दिए गए थे। इसके अलावा, संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के नोट संख्या 32(III)(ख) में उल्लिखित एमएचएडीए के 6 म्हाडा फ्लैटों का कब्जा कम्पनी के पास है, परन्तु इन फ्लैटों का हक विलेख कम्पनी के नाम से पंजीकृत नहीं है। इन फ्लैटों का विवरण नीचे दिया गया है:

सम्पत्ति का विवरण	सकल वहन मूल्य	किसके नाम से धारित	क्या प्रमोटर, निदेशक अथवा उनके कोई संबंधी अथवा प्रमोटर हैं	धारण की अवधि (रेंज का उल्लेख करें)	कम्पनी के नाम से धारित न होने के कारण
आवासीय फ्लैट	लागू नहीं	एमएचएडीए	लागू नहीं	1998 से अब तक	स्टाम्प ड्यूटी का भुगतान न किए जाने के कारण

इसके अलावा, निम्नलिखित कुछ आवासीय फ्लैट ऐसे हैं जिनका शेयर प्रमाणपत्र पश्चिम क्षेत्र में कम्पनी के नाम से धारित नहीं है:-

फ्लैट नम्बर	स्थल	टिप्पणी
वृंदावन सोसायटी	2-बी-105, कांदिवली	शेयर प्रमाणपत्र नहीं
ओशिवाड़ा सोसायटी	13-107, मालाड	शेयर प्रमाणपत्र नहीं
ओशिवाड़ा सोसायटी	13-702, मालाड	दस्तावेज उपलब्ध नहीं करवाए गए
ओशिवाड़ा सोसायटी	23-401, मालाड	दस्तावेज उपलब्ध नहीं करवाए गए

- ड. कम्पनी ने वर्ष के दौरान अपनी किसी सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण तथा अमूर्त परिसम्पत्तियों का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया है।
- च. हमें प्रस्तुत सूचना एवं दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार तथा हमारे द्वारा किए गए रिकार्डों के सत्यापन के आधार पर बेनामी संव्यवहार (प्रतिबंध) अधिनियम, 1988 (2016 में यथा संशोधित) तथा इसके अध्याधीन निर्मित नियमों के अंतर्गत वर्ष के दौरान कोई प्रक्रिया प्रारम्भ नहीं की गई है अथवा 31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार लंबित नहीं है।
2. क. हमें प्रस्तुत सूचना एवं दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार प्रबंधन द्वारा पश्चिमी तथा उत्तरी क्षेत्रों में उचित अंतराल में मालसूचियों का भौतिक सत्यापन किया गया है, जिसमें तृतीय पार्टियों के पास रखी गई मालसूची तथा मार्गस्थ मालसूची शामिल नहीं है। तथापि, उत्तरी क्षेत्र में किए गए भौतिक सत्यापन के दौरान लेखा बहियों की तुलना में 2.33 लाख रुपये मूल्य की 12 अतिरिक्त मालसूची मदे पाई गई हैं। लेखा बहियों में इन विसंगतियों के बारे में यथोचित प्रक्रिया नहीं की गई है। डिटेचमेंट के लिए भंडार एवं कलपुर्जों के मामले में इन्हें मुम्बई से जारी किया जाता है तथा वर्ष के अंत में भंडार एवं कलपुर्जा का अंत भंडार पश्चिम क्षेत्र में संबंधित डिटेचमेंट द्वारा प्रस्तुत भौतिक सत्यापन रिपोर्टों के आधार पर रिकार्डबद्ध किया जाता है। इसके अलावा बही मात्रा तथा वास्तविक मात्रा के मध्य मालसूची मूवमेंट के किसी प्रकार व्यतिक्रम को हटाने के लिए यथोचित आंतरिक नियंत्रण स्थापित किए जाने चाहिए।
- ख. कम्पनी को वर्ष के दौरान किसी भी समय, चालू परिसंपत्तियों की प्रतिभूति के आधार पर बैंकों अथवा वित्तीय संस्थानों से कुल 5 करोड़ रुपये से अधिक की कार्यशील पूंजी सीमा स्वीकृत नहीं की गई है, अतः खंड 3(ii)(ख) के अंतर्गत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।
3. हमारे मतानुसार एवं हमें प्रस्तुत सूचना एवं दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, कम्पनी ने किन्हीं कंपनियों, फर्मों, सीमित देयता भागीदारी अथवा किसी अन्य पार्टियों को न तो कोई गारंटी अथवा प्रतिभूति अथवा कोई ऋण अथवा अग्रिम राशि प्रदान की है और न ही प्रतिभूत अथवा अप्रतिभूत ऋण के रूप में कोई निवेश किया है। इस प्रकार आदेश के खंड 3(iii) के अंतर्गत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।
4. हमारे मतानुसार एवं हमें प्रस्तुत सूचना एवं दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, कम्पनी द्वारा किसी ऋण, निवेश, गारंटी और सुरक्षा नहीं दी गई है/प्रदान नहीं की है तथा तदनुसार अधिनियम की धारा 185 और 186 के प्रावधान लागू नहीं हैं।
5. हमें प्रस्तुत सूचना एवं दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, कम्पनी ने कोई ऐसे जमा अथवा किसी ऐसी धनराशि की प्राप्ति नहीं की गई है जिसे जमा माना जाता है। अतः, आदेश के खंड 3(v) के अंतर्गत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।
6. हमें दी गई जानकारी और दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, केंद्र सरकार ने कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 148(1) के अंतर्गत कम्पनी द्वारा निर्मित उत्पादों (और/या प्रदान की गई सेवाओं) के लिए लागत अभिलेखों के अनुरक्षण का प्रावधान नहीं किया है। तदनुसार, आदेश का खंड 3(vi) लागू नहीं है।

7. क) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कम्पनी सामान्यतः माल एवं सेवा कर, भविष्य निधि, आयकर, बिक्री कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, मूल्य संवर्धन कर, उपकर तथा उनके संबंध में लागू अन्य सामग्रीगत सांविधिक देय राशियों सहित अविवादित देय राशियों का भुगतान नियमित रूप से संबंधित प्राधिकरणों को जमा किया जाता है। तथापि, कुछ मामलों में टीडीएस, व्यावसायिक कर और माल एवं सेवा कर (उत्तरी क्षेत्र के अधिकांश राज्यों में) जमा करने में देरी देखने में आई है। वर्ष के दौरान व्यावसायिक कर, भविष्य निधि, स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) तथा जीएसटी पर टीडीएस की क्रमशः **0.29 लाख रुपए, 48.23 लाख रुपए, 0.30 लाख रुपए** तथा **0.023 लाख रुपए** की राशि देय थी तथा आयकर पोर्टल (टीआरएसीईएस) पर टीडीएस के बकाया **65.02 लाख रुपए** दर्शाए गए हैं जो वित्तीय वर्ष के अंतिम बकाया थे तथा भुगतान की देय तिथि से छह माह से अधिक अवधि के हैं।
- ख) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, नीचे उल्लिखित के अलावा, आयकर, भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, बिक्री कर, सेवा कर, माल और सेवा कर, मूल्य वर्धित कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और उपकर का कोई बकाया नहीं है जो **31 मार्च, 2024** तक किसी विवाद के कारण कम्पनी द्वारा चुकता नहीं किया गया हो:

क्र. सं.	विधि व्यवस्था विवरण	देयता	राशि (रुपए लाख में)*	राशि से संबद्ध अवधि	विवादित मामला कहाँ लंबित है
1	वित्त अधिनियम, 1994	सेवा कर	532.31 (71.21)	वि.वर्ष 2009-10	अपीलिय ट्रिब्यूनल, मुम्बई
2	वित्त अधिनियम, 1994	सेवा कर	447.43	वि.वर्ष 2010-11	अपीलिय ट्रिब्यूनल, वीएटी, दिल्ली
3	वित्त अधिनियम, 1994	सेवा कर	551.39	वि.वर्ष 2011-12	अपीलिय ट्रिब्यूनल, मुम्बई
4	वित्त अधिनियम, 1994	सेवा कर	274.07 (50.51)	वि.वर्ष 2012-13	अपीलिय ट्रिब्यूनल, मुम्बई
5	वित्त अधिनियम, 1994	सेवा कर	482.40 (43.00)	वि.वर्ष 2014-15	अपीलिय ट्रिब्यूनल, मुम्बई
6	वित्त अधिनियम, 1994	सेवा कर	223.50 (20.07)	वि.वर्ष 2015-16	अपीलिय ट्रिब्यूनल, मुम्बई
7	वित्त अधिनियम, 1994	सेवा कर	354.08 (33.29)	वि.वर्ष 2016-17	अपीलिय ट्रिब्यूनल, मुम्बई
8	वित्त अधिनियम, 1994	सेवा कर	31.84 (2.69)	वि.वर्ष 2017-18	अपीलिय ट्रिब्यूनल, मुम्बई
9	वित्त अधिनियम, 1994	दंड	182.20 (13.66)	वि.वर्ष 2009-13	अपीलिय ट्रिब्यूनल, मुम्बई
10	आयकर अधिनियम, 1961	व्ययों एवं ब्याज की अस्वीकृति	4742 (5046.84)	वि.वर्ष 1999-00	आईटीएटी, दिल्ली

क्र. सं.	विधि व्यवस्था विवरण	देयता	राशि (रुपए लाख में)*	राशि से संबद्ध अवधि	विवादित मामला कहाँ लंबित है
11	आयकर अधिनियम, 1961	व्ययों एवं ब्याज की अस्वीकृति	2556 (3277.93)	वि.वर्ष 2000-01	आईटीएटी, दिल्ली
12	आयकर अधिनियम, 1961	व्ययों एवं ब्याज की अस्वीकृति	131.37	वि.वर्ष 2019-20	सीआईटी (अपील), दिल्ली
13	आयकर अधिनियम, 1961	व्ययों एवं ब्याज की अस्वीकृति	628.71 (1254.09)	वि.वर्ष 2020-21	सीआईटी (अपील), दिल्ली
14	केन्द्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017	धारा 73(9) के अंतर्गत ब्याज एवं दंड	12.10	वि.वर्ष 2017-18	राज्य कर विभाग, नोएडा, उत्तर प्रदेश

* कोषक में दिए गए आंकड़े या तो विरोध सहित जमा करवाई राशि अथवा प्राधिकरणों द्वारा कम्पनी को देय धनवापसी रोके जाने की सूचक है।

8. हमें प्रदान की गई सूचना तथा दिए गए स्पष्टीकरण एवं कम्पनी के रिकार्डों की हमारे द्वारा की गई जांच के आधार पर पूर्व रिकार्ड की गई आय से संबंधित कोई भी ऐसा संव्यवहार नहीं हुआ है जो आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत कर निर्धारण वर्ष में आय के रूप में प्रस्तुत अथवा प्रकट किया गया हो।
9. क. हमें प्रदान की गई सूचना तथा दिए गए स्पष्टीकरण एवं कम्पनी के रिकार्डों की हमारे द्वारा की गई जांच के आधार पर कम्पनी ने वर्ष के दौरान किसी भी ऋणदाता को ऋण अथवा उधार के पुनर्भुगतान अथवा उस पर ब्याज के भुगतान में चूक नहीं की है।
- ख. हमें दी गई सूचना और दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, कम्पनी को किसी भी बैंक अथवा वित्तीय संस्थान अथवा सरकार अथवा किसी सरकारी प्राधिकरण द्वारा स्वेच्छाचारी चूककर्ता घोषित नहीं किया गया है।
- ग. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कम्पनी ने कोई सावधि ऋण नहीं लिया है, तदनुसार आदेश के खंड 3(ix)(ग) पर रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।
- घ. कम्पनी के वित्तीय विवरणों की समग्र जांच से यह ज्ञात हुआ है कि अल्पावधि आधार पर जुटाई गई धनराशि का, प्रथम दृष्टया उपयोग वर्ष के दौरान कम्पनी द्वारा दीर्घकालिक उद्देश्यों से नहीं किया गया है।
- ङ. कम्पनी के वित्तीय विवरणों की समग्र जांच से यह ज्ञात हुआ है कि कम्पनी ने किसी इकाई अथवा व्यक्ति से कोई निधियां अथवा अपनी सहायक कम्पनियों के दायित्वों की पूर्ति के लिए कोई निधियां प्राप्त नहीं की गई हैं। कम्पनी की कोई सहायक कम्पनी अथवा संयुक्त उद्यम नहीं है।
- च. हमें प्रदान की गई सूचना तथा दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, कम्पनी ने वर्ष के दौरान अपनी प्रतिभूतियों, संयुक्त उद्यमों अथवा सहयोगी कंपनियों में रखी गई प्रतिभूतियों को रेहन रखकर कोई ऋण नहीं लिया है तथा इस प्रकार आदेश के खंड 3(ix)(एफ) के अंतर्गत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।

10. क. कम्पनी ने वर्ष के दौरान आरंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव अथवा फर्दर सार्वजनिक प्रस्ताव (ऋण लिखतों सहित) के माध्यम से कोई धनराशि नहीं जुटाई है। इस प्रकार आदेश के खंड 3(x)(ए) के अंतर्गत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।
- ख. हमें दी गई जानकारी और प्रस्तुत स्पष्टीकरणों तथा कम्पनी के रिकार्डों की हमारे द्वारा की गई जांच के आधार पर, कम्पनी ने वर्ष के दौरान शेयरों अथवा पूर्ण अथवा आंशिक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर का कोई अधिमाम्य आवंटन अथवा निजी प्लेसमेंट नहीं किया है। तदनुसार, आदेश का खंड 3(x)(ख) लागू नहीं है।
11. क. हमें प्रस्तुत सूचना और दिए गए स्पष्टीकरणों तथा हमारे द्वारा कम्पनी के रिकार्डों की जांच के आधार पर, हमारी लेखापरीक्षा के दौरान कम्पनी द्वारा अथवा कम्पनी के प्रति कोई जालसाजी प्रकाश में नहीं आई है अथवा रिपोर्ट नहीं की गई है।
- ख. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार, कम्पनी अधिनियम की धारा 143 की उप-धारा (12) के अंतर्गत कम्पनी (लेखापरीक्षा एवं लेखापरीक्षक) नियम, 2014 के नियम 13 के अंतर्गत निर्धारित प्रपत्र एडीटी-4 में वर्ष के दौरान और इस रिपोर्ट की तिथि तक केंद्र सरकार के समक्ष कोई रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई है।
- ग. प्रबंधन से प्राप्त सूचना के अनुसार वर्ष के दौरान कम्पनी को कोई व्हिसलब्लोअर शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।
12. हमारे मतानुसार तथा हमें प्रदान की गई सूचना एवं दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार यह कम्पनी निधि कम्पनी नहीं है तथा तदनुसार आदेश के खंड (xii) के अंतर्गत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।
13. हमें प्रदान की गई सूचना एवं दिए गए स्पष्टीकरणों और कम्पनी के रिकार्डों की हमारे द्वारा की गई जांच के आधार पर कम्पनी सम्बद्ध पक्षकारों के साथ लागू संव्यवहार के संबंध में कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 और 188 का अनुपालन कर रही है तथा सम्बद्ध पक्षकारों के साथ संव्यवहार का वित्तीय विवरणों में विवरण का प्रकटीकरण लागू भारतीय लेखा मानकों के अनुसार किया गया है।
14. क) हमारे मतानुसार कम्पनी में आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली स्थापित है, तथापि लेखा परीक्षा के दायरे एवं इसकी प्रभावशीलता में सुधार की आवश्यकता है।
ख) हमने अपनी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं की प्रकृति, समय और सीमा का निर्धारण करने के लिए वर्ष के दौरान और आज तक कम्पनी को जारी की गई लेखा परीक्षा के अंतर्गत वर्ष की आंतरिक लेखा परीक्षा रिपोर्टों को विचार में लिया है।
15. हमें दी गई सूचना और प्रस्तुत स्पष्टीकरणों तथा कम्पनी के रिकार्डों की हमारी जांच के आधार पर, कम्पनी ने निदेशकों अथवा उनसे सम्बद्ध व्यक्तियों के साथ कोई गैर-नकद संव्यवहार नहीं किया है। अतः आदेश के खंड (xv) के अंतर्गत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।
16. क. हमारे मतानुसार, कम्पनी से भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-IA के अंतर्गत पंजीकृत किए जाने की अपेक्षा नहीं है। अतः आदेश के खंड 3(xvi)(क), (ख) और (ग) के अंतर्गत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती।
- ख. हमारे मतानुसार, समूह के अंतर्गत कोई कोर निवेश कम्पनी नहीं है (जैसा कि कोर निवेश कंपनियां (रिज़र्व बैंक) निर्देश, 2016 में परिभाषित है) और तदनुसार आदेश के खंड 3(xvi)(घ) के अंतर्गत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।
17. कम्पनी को हमारे लेखापरीक्षा द्वारा कवर किए गए वित्तीय वर्ष तथा तत्काल पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान कोई नकद हानि नहीं हुई है।
18. वर्ष के दौरान कम्पनी के किसी भी सांविधिक लेखा परीक्षक ने त्यागपत्र नहीं दिया है।

19. वित्तीय अनुपातों, वित्तीय परिसम्पत्तियों के उपयोग्यता काल तथा उनसे प्रतिफल प्राप्ति की संभावित तिथियों तथा वित्तीय देयताओं के भुगतान, वित्तीय विवरणों से सम्बद्ध अन्य सूचना एवं हमें ज्ञात निदेशक मंडल तथा प्रबंधन की योजनाओं तथा हमारे द्वारा की गई जांच एवं अनुमानों को समर्थन करने वाले प्रमाणों के आधार पर हमारी जानकारी में ऐसा कुछ नहीं आया है, जिससे लेखापरीक्षा की तिथि को ऐसी कोई तथ्यात्मक अनिश्चितता हमें यह विश्वास करने पर बाध्य करे कि तुलन पत्र की तिथि से एक वर्ष की अवधि में देय होने पर कम्पनी तुलन पत्र की तिथि को अपनी विद्यमान देयताओं की पूर्ति करने में समर्थ नहीं होगी। हम, तथापि, यह उल्लेख करना चाहते हैं कि यह कम्पनी की भावी व्यवहार्यता के प्रति किसी प्रकार का कोई आश्वासन नहीं है। हम आगे यह भी उल्लेख करते हैं कि हमारी रिपोर्टिंग लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तिथि तक के तथ्यों पर आधारित है तथा हम इसके संबंध में न तो कोई गारंटी अथवा कोई आश्वासन दे रहे हैं कि तुलन पत्र की तिथि तक देय सभी देयताओं का तब कम्पनी द्वारा निवर्हन कर लिया जाएगा जब वे देय होंगी।
20. हमें प्रदान की गई सूचना तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों तथा कम्पनी के रिकार्डों के संबंध में हमारे द्वारा की गई जांच के आधार पर, कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 में उल्लिखित कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व के प्रावधान इंड एस वित्तीय विवरणों के नोट संख्या

32(XV) में किए गए उल्लेख के कारण कम्पनी के संबंध में लागू नहीं हैं।

21. हमारे मतानुसार तथा हमें प्राप्त सूचना एवं दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार कम्पनी (लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट) आदेश, 2020 के अंतर्गत पश्चिम क्षेत्र के शाखा लेखापरीक्षक द्वारा किसी प्रकार की ऐसी कोई अलग अर्हता अथवा प्रतिकूल टिप्पणी नहीं की गई है जो इन वित्तीय विवरणों में शामिल हो। पश्चिम क्षेत्र के संबंधित लेखापरीक्षक द्वारा की गई अर्हता अथवा प्रतिकूल टिप्पणी का मदवार समावेश / विलय कॉर्पोरेट क्षेत्र तथा उत्तरी क्षेत्र की रिपोर्टिंग में सीएआरओ रिपोर्ट के साथ क्रमशः किया गया है।

कृते लूथरा एंड लूथरा एलएलपी

सनदी लेखाकार

एफ. आर. सं.: 002081एन/एन500092

ह/-

निलेश मेहता

साझीदार

एम. सं.: 093847

स्थान: नई दिल्ली

तिथि: 23.06.2025

यूडीआईएन: 25093847BMMHWU6400

स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट का अनुबंध 'ख'

कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 143 की उप धारा 3 के खंड वाक्य (i) के अंतर्गत आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की रिपोर्ट

हमने 31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार पवन हंस लिमिटेड की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का लेखा परीक्षण उक्त तिथि को समाप्त वर्ष के लिए हमारे द्वारा किए गए वित्तीय विवरणों के लेखा परीक्षण के साथ किया है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर प्रबंधन के उत्तरदायित्व

कम्पनी का निदेशक मंडल इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड एकाउंटेंट ऑफ इंडिया (आईसीएआई) द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के मार्गदर्शी नोट में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के अनिवार्य घटकों को ध्यान में रखकर कम्पनी द्वारा स्थापित किए गए अनिवार्य घटकों की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण पर आधारित आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की स्थापना तथा अनुरक्षण के प्रति उत्तरदायी है। इस उत्तरदायित्वों में कम्पनी की नीतियों के साथ साथ इसके व्यवसाय, इसकी परिसंपत्तियों को सुरक्षा प्रदान करने तथा जालसाजी व चूकों, लेखांकन रिकार्डों की परिशुद्धता एवं सम्पूर्णता तथा कम्पनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत अपेक्षित विश्वसनीय वित्तीय रिपोर्टों की समय पर प्रस्तुति के सुनिश्चय के लिए प्रभावशाली रूप से कुशलतापूर्वक कार्य कर रहे पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के डिजाइन, कार्यान्वयन तथा अनुरक्षण के प्रति उत्तरदायित्व शामिल है।

लेखा परीक्षक के दायित्व

हमारा उत्तरदायित्व हमारे द्वारा किए गए लेखा परीक्षण के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर कम्पनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के संबंध में अपना

मत व्यक्त करना है। हमारे द्वारा किया गया लेखा परीक्षण इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड एकाउंटेंट ऑफ इंडिया (आईसीएआई) द्वारा जारी मार्गदर्शी नोट तथा लेखा परीक्षण के मानकों के अनुसार, जो कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) में निर्धारित माने गए, आंतरिक लेखा परीक्षण के लिए यथासंभव लागू, जो दोनों आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लिए लागू हैं, तथा जो दोनों इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड एकाउंटेंट ऑफ इंडिया (आईसीएआई) द्वारा जारी किए गए हैं, किया गया है।

मत के प्रकटीकरण के नीचे प्रस्तुत पैराग्राफ में वर्णित मामलों के कारण हम वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए कम्पनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली के संबंध में लेखापरीक्षा मत के आधार की प्रस्तुति के लिए यथोचित पर्याप्त प्रमाण प्राप्त नहीं कर सके हैं।

वित्तीय विवरणों के संदर्भ में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का अभिप्राय

वित्तीय रिपोर्टिंग पर किसी कम्पनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिससे वित्तीय रिपोर्टिंग तथा सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार बाह्य उद्देश्यों से वित्तीय विवरणों के निर्माण के संबंध में औचित्यपरक आश्वासन प्राप्त होते हैं। किसी कम्पनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लिए नीतियां एवं प्रक्रियाएं भी शामिल होती हैं जिनके अनुसार (1) रिकार्डों का अनुरक्षण इस प्रकार किया जाना होता है कि उसमें औचित्यपरक विवरण, परिशुद्धता तथा कम्पनी की परिसम्पत्तियों के संबंध में लेन देन व्यवहार तथा विन्यास की छवि स्पष्ट प्रतीत होती हो ; (2) जिससे यह औचित्यपरक आश्वासन की प्राप्ति होती हो कि किए गए लेन देन व्यवहारों को सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरणों के अनुमत्त निर्माण की आवश्यकता

के अनुरूप रिकार्डबद्ध किया गया है तथा कम्पनी की प्राप्ति एवं व्यय की प्रविष्टि केवल कम्पनी के प्रबंधन तथा निदेशकों से प्राधिकार प्राप्ति के पश्चात की गई है ; तथा (3) कम्पनी की परिसम्पत्तियों के संबंध में वित्तीय विवरणों पर सामग्रीगत प्रभाव करने वाले कम्पनी की परिसम्पत्तियों के अनाधिकृत अधिग्रहण, उपयोग अथवा निपटान के संबंध में रोकथाम अथवा समय पर जानकारी प्राप्त होने का औचित्यपरक आश्वासन प्राप्त होता हो।

मत का प्रकटीकरण

कम्पनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली हमें यह निर्धारण करने के लिए उपलब्ध नहीं करवाई गई थी कि क्या कम्पनी में वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित किए गए हैं अथवा नहीं किए गए हैं तथा क्या ये आंतरिक वित्तीय नियंत्र 31.3.2024 की स्थिति के अनुसार प्रभावी ढंग से कार्यशील थे अथवा नहीं थे। तदनुसार हम अपने इस मत की अभिव्यक्ति के लिए पर्याप्त यथोचित लेखापरीक्षा प्रमाण भी उपलब्ध नहीं कर पाए हैं कि क्या कम्पनी में वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित हैं अथवा नहीं हैं तथा क्या ऐसे नियंत्रण 31 मार्च, 2024

की स्थिति के अनुसार प्रभावी रूप से परिचालनात्मक थे अथवा नहीं थे।

हमने ऊपर सूचित प्रकटीकरण को कम्पनी के वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा की प्रकृति, समयावली तथा लेखापरीक्षा जांच में उपयोग्यता के विस्तार के निर्धारण के लिए विचार में लिया है तथा इस प्रकटीकरण से कम्पनी के वित्तीय विवरणों के संबंध में हमारा मत प्रभावित हुआ है तथा हमने वित्तीय विवरणों के लिए प्रतिकूल मत की अभिव्यक्ति की है।

कृते लूथरा एंड लूथरा एलएलपी

सनदी लेखाकार

एफ. आर. सं.: 002081एन/एन500092

ह/-

निलेश मेहता

(साझीदार)

एम. सं.: 093847

स्थान: नई दिल्ली

तिथि: 19.05.2025

यूडीआईएन: 25093847BMMHWU99101

लेखापरीक्षक की रिपोर्ट का अनुलग्नक 'III'

(हमारी समतिथि की रिपोर्ट में संदर्भित)

“अनुलग्नक III” का संदर्भ पवन हंस लिमिटेड के 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों से संबंधित हमारी समतिथि की “अन्य विधिक एवं विनियामक अपेक्षाओं की रिपोर्ट” शीर्षक युक्त रिपोर्ट के पैराग्राफ (3) में दिया गया है:

1.	क्या कम्पनी में सूचना प्रौद्योगिकी व्यवस्था के माध्यम से सभी लेखांकन संव्यवहारों की प्रक्रिया किए जाने की व्यवस्था स्थापित की गई है? यदि हां, तो लेखांकन संव्यवहारों को बाह्य सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से की जाने वाली प्रक्रिया से लेखों के समेकन में होने वाली कठिनाईयों तथा वित्तीय कठिनाईयों, यदि कोई हों, का विवरण प्रस्तुत करें।	कम्पनी के सभी लेखांकन संव्यवहारों का क्षेत्रवार संसाधन केन्द्रीकृत एकीकृत सूचना प्रौद्योगिकी प्रणालियों के माध्यम से किया जाता है। तथापि, स्टैंडएलोन / समेकित तुलनपत्र के निर्माण के लिए तथा रिपोर्टिंग उद्देश्य से कम्पनी को वित्तीय डेटा तथा क्षेत्रवार लेखा बहियों का समेकन करना होता है तथा ऐसे करने से वित्तीय विवरणों के समेकन के दौरान मानव चूक, लोप तथा अकरण संभव हो सकता है। सभी क्षेत्रों से संबंधित ट्रॉयल शेष, जीएसटी, टीडीएस एवं बही लेखों की उत्पत्ति अलग अलग की जाती है। इसे ध्यान में रखते हुए इनके संबंध में रिपोर्टिंग, मिलान, डेटा विश्लेषण सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली स्थापित नहीं है जिसके माध्यम से लेखापरीक्षा रिपोर्टों की उत्पत्ति सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली पर की सकती है। लेखापरीक्षा प्रेक्षण के लिए निष्कर्ष स्थापित करने/ रिपोर्टिंग तथा विश्लेषण के उद्देश्य से उपलब्ध सूचना प्रौद्योगिकी एवं मैनुअल प्रणाली को विचार में लिया जाता है। तथापि, लेखापरीक्षा प्रेक्षण के लिए निष्कर्ष स्थापित करने के उद्देश्य से हमने उपलब्ध सूचना प्रौद्योगिकी एवं मैनुअल प्रणाली को विचार में लिया है। एक्सेल में तैयार किए जाने वाले वित्तीय ट्रॉयल शेष से सम्बद्ध नहीं होते हैं, एक्सेल शीट लिंकिंग के कुछ कॉलमों में आंकड़ों की पंचिंग / प्रविष्टि मैनुअल स्वरूप में की जाती है।

2	क्या किसी विद्यमान ऋण अथवा किसी ऋणदाता द्वारा कम्पनी को दिए गए उधार/ऋण/ब्याज इत्यादि के संबंध में कम्पनी ऋण अदायगी न किए जाने के कारण ऋण की किसी प्रकार की पुनर्संरचना अथवा छूट / बट्टा/ किए जाने की प्रक्रिया की गई है? यदि हां, तो इससे होने वाले वित्तीय प्रभाव का उल्लेख करें। यह बताएं कि क्या ऐसे मामलों का सही ढंग से लेखांकन किया जाता है अथवा नहीं किया जाता है? (यदि ऋणदाता सरकारी कम्पनी है तो ये निदेश सांविधिक लेखापरीक्षक अथवा ऋणदाता कम्पनी के संबंध में भी लागू हैं)	हमें प्रदान की गई सूचना एवं दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार कम्पनी में, किसी विद्यमान ऋण की पुनर्संरचना करने अथवा किसी ऋणदाता द्वारा कम्पनी को दिए गए ऋण की अदायगी करने की असमर्थता के कारण उधार/ऋण/ब्याज इत्यादि के संबंध में छूट/बट्टा प्रदान करने के कोई मामले नहीं हैं। इसलिए यह खंड लागू नहीं है।
3	क्या विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत केन्द्र / राज्य सरकारों अथवा इनकी एजेंसियों से प्राप्त / प्राप्य से अनुदान / राजसहायता का उचित लेखाजोखा रखा गया है/नियमों एवं शर्तों के अनुसार उचित उपयोग किया गया है? व्यतिक्रम के मामलों की सूची प्रस्तुत करें।	हमें प्रदान की गई सूचना एवं दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार कम्पनी को वर्ष के दौरान केन्द्र / राज्य सरकारों की एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए कोई निधियां प्राप्त नहीं हुई हैं, इस प्रकार यह खंड लागू नहीं है।

कृते लूथरा एंड लूथरा एलएलपी

सनदी लेखाकार

एफ. आर. सं.: 002081एन/एन500092

ह/-

निलेश मेहता

(साझीदार)

एम. सं.: 093847

स्थान: नई दिल्ली

तिथि: 23.06.2025

यूडीआईएन: 25093847BMMHWU6400

लूथरा एंड लूथरा एलएलपी
चार्टर्ड एकाउंटेंट

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

सेवा में,

पवन हंस लिमिटेड के सदस्यगण

इंड एस वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा रिपोर्ट

प्रतिकूल मत

हमने पवन हंस लिमिटेड ("कम्पनी") के संलग्न इंड एस वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा की है, जिसमें 31 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र तथा लाभ एवं हानि विवरण, इक्विटी परिवर्तन विवरण एवं समाप्त वर्ष के अनुसार नकदी प्रवाह विवरण सहित महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का संक्षेप एवं अन्य स्पष्टीकरण सूचना (इसका उल्लेख एतद्वारा "इंड एस वित्तीय विवरणों" के रूप में किया जाएगा) शामिल है।

हमारे मत तथा हमारे पास उपलब्ध सूचना एवं हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार प्रतिकूल मत के आधार के पैरा में चर्चित मामले के महत्व के कारण से उपर्युक्त वित्तीय विवरण अधिनियम के अंतर्गत अपेक्षित सूचना की प्रस्तुति अपेक्षा के अनुसार नहीं करते हैं तथा ये 31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार कम्पनी की वित्तीय स्थिति एवं इसके वित्तीय निष्पादन, तथा वर्ष की उक्त तिथि को समाप्त इसके नकदी प्रवाह के संबंध में भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन मानकों के अनुरूप सत्य एवं स्वच्छ छवि की प्रस्तुति नहीं करते हैं।

प्रतिकूल मत का आधार

1) लेखापरीक्षा का आयोजन मानक लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं तथा व्यवहारों के अनुसार किया गया था। लेखापरीक्षाएं प्रक्रियाएं औचक आधार पर ऐसे नमूना संव्यवहारों के लिए अंगीकार की गई थी जिनका चयन सामग्रीगत एवं अन्य सम्बद्ध विचारों के आधार पर किया गया था। लेखापरीक्षा के दौरान कुछ घटकों के संबंध में हमें पूर्ण सूचना उपलब्ध नहीं करवाई गई थी तथा न ही प्रबंधन द्वारा उचित सूचना तथा

स्पष्टीकरण प्रदान किए गए थे। इनके उपलब्ध न होने के कारण से लेखापरीक्षा का आयोजन हमें उपलब्ध करवाई गई सूचना / दस्तावेजों के आधार पर किया गया था। उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए लेखापरीक्षा के लिए अंतर्निहित सीमाओं के कारण अधिक चूकों / अकरणों की संभावना हो सकती है जिसे पूरी तरह से नकारा नहीं जा सकता है। मदवार विशिष्ट प्रेक्षण नीचे प्रस्तुत पैराग्राफों में दिया गया है।

2) पूर्व सांविधिक लेखापरीक्षक एस.एस. पेरीवाल एंड कम्पनी द्वारा अपनी सांविधिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट में कम्पनी की लेखा बहियों के बारे में अविश्वास व्यक्त करते हुए 31.3.2023 को समाप्त वर्ष के कम्पनी के वित्तीय विवरणों के संबंध में सम्बद्ध सूचना एवं पर्याप्त लेखापरीक्षा प्रमाण उपलब्ध न होने के कारण से प्रतिकूल मत दिया गया है। कम्पनी के पूर्व सांविधिक लेखापरीक्षक द्वारा दी गई लेखापरीक्षा अर्हता के प्रति कम्पनी द्वारा बिल न किए गए राजस्व, जीएसटी देयता के भुगतान में देरी, लम्बे काल से बकाया अग्रिम एवं व्यापार देय, व्यापार देय के नामे शेष, कार्यात्मक मुद्रा से भिन्न बीमा दावे, राजस्व बिलिंग में असंगति, विदेशी मुद्रा कंवर्जन से क्रमशः संबंधित अर्हता संख्या 5,9,10क,10ख,15ग,16,17क के बारे में की गई सुधार कार्रवाई की स्थिति प्रदान नहीं की गई है। सूचना एवं पर्याप्त लेखापरीक्षा प्रमाण उपलब्ध न होने के कारण से हम यह टिप्पणी नहीं कर पा रहे हैं कि क्या अथ शेषों में किसी प्रकार का ऐसा कोई मिथ्या विवरण व्याप्त है अथवा व्याप्त नहीं है जिससे चालू अवधि के वित्तीय विवरणों पर सामग्रीगत प्रभाव संभव हो सके।

3) **जीएसटी शेष में अंतर-** उत्तरी क्षेत्र द्वारा लेखापरीक्षा के कार्यक्षेत्र में वित्तीय वर्ष के दौरान प्रस्तुत विवरण में 375.69 लाख रुपए की जीएसटी देयता की रिपोर्टिंग कम की है तथा इसी के साथ साथ उत्तरी क्षेत्र द्वारा वित्तीय वर्ष के दौरान प्रस्तुत विवरण में

4.33 लाख रुपए की अतिरिक्त इनपुट का दावा किया है। इसके अलावा, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर बैलेंस की तुलना में उत्तरी क्षेत्र तथा कॉर्पोरेट कार्यालय में इनपुट के अथ शेषों में क्रमशः 720.33 लाख रुपए एवं 166.68 लाख रुपए का अंतर (बहियों में अधिक) है। कम्पनी द्वारा कॉर्पोरेट कार्यालय की बहियों में इसके प्रति 67.64 लाख रुपए के प्रावधान किए हैं। इसके परिणामस्वरूप, बहियों में इनपुट के अंत शेष में 819.36 लाख रुपए का अतिकथन किया गया है। उपर्युक्त भिन्नताओं में से, कम्पनी द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार 102.51 लाख रुपए लक्षद्वीप के मामले से संबंधित हैं जबकि पवन हंस लिमिटेड को दिनांक 30.3.2019 को 672 लाख रुपए का अग्रिम प्राप्त हुआ है। कर का भुगतान दिनांक 16.4.2019 को किया गया था, तथापि बाद में यह अनुबंध समापन के कारण सामग्रीगत नहीं हो पाया था। कम्पनी द्वारा सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 54 के अंतर्गत धनवापसी का दावा किया गया जबकि धनवापसी का दावा देर से दिनांक 28.2.2024 को प्रस्तुत किया गया था तथा यह मामला जीएसटी अपील नोएडा के सम्मुख न्यायाधीन है। इसके अलावा, शेष भिन्नता के संबंध में हमें कोई समाधान / स्पष्टीकरण प्रदान नहीं किए गए हैं। इसी के साथ साथ, ईसीएल में 66.81 लाख रुपए के स्वैच्छिक भुगतान नामे किए गए हैं तथा इन्हें लेखा बहियों में रिकार्ड नहीं किया गया है। इसके परिणामस्वरूप परिसम्पत्ति के प्रति वर्ष / रिजर्व एवं अधिशेष के संबंध में 886.17 लाख रुपए का अतिकथन हुआ है तथा व्ययों की न्यूनोक्ति हुई है।

- 4) **जीएसटी नकदी बही शेष में भिन्नता** - जीएसटी पोर्टल तथा लेखा बहियों के अनुसार बही नकदी शेष में भिन्नता पाई गई थी, जीएसटी पोर्टल में 8.14 लाख रुपए दर्शाया गया था जबकि लेखा बहियों में दर्शाया गया निवल 88.28 लाख रुपए का था जिसके परिणामस्वरूप 80.14 लाख रुपए की राशि का मेल गलत था। यह असंगति मार्गस्थ चैक के समायोजनों जीएसटी देय बही से उत्पन्न हुई थी

जिसके संबंध में पृच्छा पहले ही की जा चुकी है परन्तु कोई समर्थनकारी सूचना उपलब्ध नहीं करवाई गई है। इसके परिणामस्वरूप, गलत मेल की सटीक राशि की प्रमात्रा का निर्धारण नहीं किया जा सका है। इसके परिणामस्वरूप परिसम्पत्तियों तथा वर्ष के दौरान आय / 80.14 लाख रुपए की राशि के रिजर्व एवं अतिरेक की अत्योक्ति हुई है।

- 5) वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान कम्पनी को ग्राहकों से 249.31 लाख रुपए की राशि के अग्रिम पश्चिम क्षेत्र में मॉडल सिकोस्की एस76डी, डॉफिन एस 365एन3 तथा डॉफिन एसए 365एन की चार्टर उड़ान सेवाएं प्रदान करने के लिए प्राप्त हुए थे। कम्पनी द्वारा आउटपुट कर देयता (सीजीएसटी तथा एसजीएसटी @9 % प्रत्येक) के रूप में प्राप्त अग्रिम के प्रति 44.88 लाख रुपए का भुगतान नहीं किया गया है जो कि केन्द्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 13 के अंतर्गत चुकता किया जाना अपेक्षित है। इसके परिणामस्वरूप करारोपण अथवा ब्याज अथवा गैर अनुपालन के प्रति अन्य कोई जुर्माना प्रावधान लगाए जा सकते हैं।

6) **मालसूची**

- क) पूर्व सांविधिक लेखापरीक्षक से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) देर से प्राप्त होने के परिणामस्वरूप सांविधिक लेखापरीक्षा प्रक्रिया देर से प्रारम्भ होने के कारण हम 31 मार्च 2024 तक प्रबंधन द्वारा की मालसूचियों के भौतिक सत्यापन का प्रेक्षण नहीं कर पाए हैं। तदनुसार, 31 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार मालसूचियों के अस्तित्व तथा उनकी स्थिति के संबंध में पर्याप्त उपयुक्त लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त नहीं किए जा सके हैं। इसके परिणामस्वरूप, यह निर्धारण भी नहीं किया जा सका है कि क्या मालसूचियों से संबंधित किसी प्रकार का कोई आवश्यक समायोजन किया जा सकता था अथवा नहीं, यदि किया भी जा सकता था तो ऐसा करने से उक्त वर्ष को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों पर क्या संबंधित प्रभाव होता।

ख) कम्पनी ने हमें भंडार बही रिपोर्ट प्रस्तुत की है जो लेखांकन उद्देश्य के लिए उपयोग किए जाने वाले सॉफ्टवेयर से उत्पन्न की गई है। तथापि, अंत शेष की जांच के दौरान, सिस्टम द्वारा निर्मित बही के अनुसार अंत शेष उत्तरी क्षेत्र के वित्तीय विवरण में दिए गए अंत शेष से भिन्न (वित्तीय विवरण में अधिक) पाया गया है। सत्यापन करने पर प्रारम्भ शेष राशि 2028.70 लाख रुपए तथा चालू वर्ष की मालसूची अंतर राशि 34.81 लाख रुपए पाई गई थी जिससे कुल 2063.51 लाख रुपए की भिन्नता पाई गई है। प्रबंधन द्वारा प्रदान की गई सूचना एवं दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार 34.81 लाख रुपए की राशि का समाधान अभी भी नहीं हुआ है जिसका कोई विवरण प्रबंधन ने प्रस्तुत नहीं किया है तथा इसके अलावा प्रबंधन की ओर से वेस्टलैंड मालसूची की ट्रेसेबिलिटी एवं स्टॉक बही प्रस्तुत नहीं की जा सकी थी जो कि मालसूची में 2028.70 लाख रुपए की भिन्नता का प्रमुख कारण है। इसके परिणामस्वरूप परिसम्पतियों तथा लाभ / रिजर्व एवं अतिरेक के संबंध में 2063.51 लाख रुपए की अत्योक्ति हुई है।

ग) कम्पनी की लेखांकन नीति के अनुसार, एवियन टर्बाइन ईंधन की मालसूची का मूल्यन लागत पर (मूल्यांकन का आधार - भारित औसत विधि) अथवा एनआरवी पर, जो भी कम हो, किया जाना है। तथापि, कम्पनी द्वारा लेखांकन नीति में की व्यवस्था का उल्लंघन करके 16.64 लाख रुपए की अंत मालसूची का मूल्यन अंत दर के अनुसार किया है। आवश्यक डेटा उपलब्ध न होने के कारण, हम वित्तीय विवरणों पर इसके परिणामी प्रभाव का आकलन नहीं कर पा रहे हैं।

घ) उत्तरी क्षेत्र में प्रबंधन द्वारा मार्च 2024 में मालसूचियों का भौतिक सत्यापन किया गया था। भौतिक सत्यापन की रिपोर्ट की समीक्षा से यह देखने में आया है कि विभाग द्वारा 2.33 लाख रुपए मूल्य 12 ऐसी अतिरिक्त वस्तुओं को संज्ञान में लिया गया है जो वित्तीय विवरणों में रिपोर्ट की गई मालसूचियों

की मात्रा से भिन्न थीं। इसके अलावा, प्रबंधन द्वारा अतिरिक्त वस्तुओं के लिए कोई लेखांकन उपचार तथा कोई समाधान नहीं किया गया है। इसके परिणामस्वरूप परिसम्पतियों तथा लाभ / रिजर्व एवं अतिरेक के संबंध में समान राशि की न्यूनोक्ति हुई है।

7) स्थिर परिसम्पतियों / मूल्यहास

क) कम्पनी ने पूर्व वर्षों में वेस्टलैंड परिसंपत्तियों से संबंधित स्थिर परिसंपत्तियों से संबंधित डब्ल्यूडीवी के प्रावधान के लिए 869.33 लाख रुपए (सकल लागत 6,011.82 लाख रुपए तथा संचयी मूल्यहास प्रावधान 5,142.48 लाख रुपए एवं हासित मूल्य 869.33 लाख रुपए) की स्वीकृति की गई है। तथापि, यह राशि कम्पनी के अचल संपत्ति रजिस्टर से ट्रेस नहीं की जा सकी है। इसके अलावा, प्रबंधन द्वारा उक्त राशि के लिए प्रासंगिक डब्ल्यूडीवी विवरण प्रदान नहीं किया जा सका है। इसके परिणामस्वरूप, स्थिर परिसम्पतियों के प्रारम्भ शेष की सटीकता और पूर्णता विश्वसनीय नहीं है। इसके अलावा, कम्पनी की मालसूची में 501.37 लाख रुपए मूल्य के जीईएम मॉड्यूल शामिल हैं, जिनके लिए कम्पनी ने पूर्व वर्षों में जीईएम मॉड्यूल के प्रति 501.37 लाख रुपए के प्रावधान किए थे। तथापि, इसका कोई आधार/समर्थनकारी दस्तावेज़/स्पष्टीकरण प्रदान नहीं किया गया है। यह उपलब्ध न होने की स्थिति में, हम मालसूची के मूल्य/इसके प्रति किए गए प्रावधान की पर्याप्तता अथवा अपर्याप्तता पर टिप्पणी नहीं कर पा रहे हैं।

ख) मूल्यहास प्रदान न किया जाना- कम्पनी ने उत्तरी क्षेत्र में हेलीकॉप्टरों के कुछ ऐसे घटकों पर मूल्यहास प्रभारित नहीं किया था, जिन घटकों का उपयोग काल अभी समाप्त नहीं हुआ था। इसके लिए लेखा बहियों में किसी प्रकार का स्पष्टीकरण/समायोजन नहीं किया गया है। इसके परिणामस्वरूप वर्ष के दौरान व्यय / रिजर्व एवं अतिरेक की न्यूनोक्ति हुई है तथा /स्थिर परिसम्पतियों के संबंध में 28.44 लाख रुपए की राशि का अतिकथन हुआ है।

- ग) उत्तरी क्षेत्र में वित्तीय वर्ष 23-24 के दौरान किए गए स्थिर परिसम्पतियों के भौतिक सत्यापन में 586 मदों के भौतिक शेष तथा लेखा बही शेष के मध्य भिन्न प्रकाश में आई है तथा न्यूनता वाली संबंधित परिसम्पतियों के मूल्य के प्रति किसी की कोई संगत सम्बद्धता की प्रमात्रा नहीं आंकी जा सकी है जिससे लेखा बहियों में समायोजन नहीं किए जा सके हैं। इसके अलावा, कॉर्पोरेट कार्यालय तथा पश्चिम क्षेत्र में वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान भौतिक सत्यापन नहीं किया गया था। कॉर्पोरेट कार्यालय की परिसम्पतियों, संयंत्र एवं उपकरणों का अंतिम भौतिक सत्यापन अगस्त 2020 में किया गया था, जिससे अंतिम सत्यापन तीन वर्ष पूर्व किया गया था। वित्तीय वर्ष 2023-24 में भौतिक सत्यापन नहीं किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप परिसंपत्तियों की उपलब्धता/ परिसंपत्तियों का सट्टा मूल्य तथा सत्यापन में उत्पन्न हो सकने वाली किसी भी विसंगति पर टिप्पणी नहीं की जा सकती है।
- घ) स्थिर परिसम्पतियों के मूल्यहास में 5.23 लाख रुपए की राशि का मिलान न होने के अनेक मामले प्रकाश में आए हैं जिसके परिणामस्वरूप लेखा बहियों में मूल्यहास अधिक प्रभारित हुआ है। इन भिन्नताओं के संबंध में प्रबंधन ने कोई औचित्य या स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया है तथा न ही लेखा बहियों में इसके लिए किसी प्रकार का कोई समायोजन किया गया है। इसके परिणामस्वरूप संचित मूल्यहास का अतिकथन हुआ है और साथ ही वर्ष में लाभ/आरक्षित एवं अधिशेष की इसी सीमा तक न्यूनोक्ति हुई है।
- ड) वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान उत्तरी क्षेत्र में 11.11 लाख रुपए (सकल लागत) मूल्य की स्थिर परिसम्पतियों का निपटान किया गया है। इसके अलावा, स्थिर परिसम्पति निपटान की कार्य व्यवस्था में एमएसटीसी पोर्टल के माध्यम से बेची गई स्थिर परिसम्पतियां अचल संपत्ति निपटान प्रकट नहीं हो रहा है। उदाहरण के तौर पर, कुर्सीयां, सोफा, पंखे आदि की मदों की बिक्री की गई थी परन्तु उन्हें निपटान गणना में शामिल

नहीं किया गया था, जिससे संपत्ति निपटान की अपूर्ण और गलत रिपोर्टिंग हुई है। इससे निपटान की राशि का निर्धारण नहीं किया जा सका है तथा ऐसा न होने के कारण हम निपटान की गई परिसम्पतियों / शेष स्थिर परिसम्पतियों के मूल्यन की सत्यता पर किसी प्रकार की टिप्पणी नहीं कर सकते हैं।

- च) कम्पनी द्वारा उत्तरी क्षेत्र में वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान 11.11 लाख रुपए की स्थिर परिसम्पतियों का निपटान रिपोर्ट किया गया है। तथापि, प्रबंधन द्वारा प्रदान की गई सूचना एवं दिए गए दस्तावेजों के आधार पर इन परिसम्पतियों की बिक्री वस्तुतः वित्तीय वर्ष 2024-25 में की गई थी। वित्तीय विवरणों में यह निपटान मात्र प्रबंधन द्वारा प्रारम्भ की गई अनुमोदन प्रक्रिया (वित्तीय वर्ष 2023-24) के आधार पर रिपोर्ट किया गया है जबकि इसे तक रिकार्ड किया जाना चाहिए था जब स्थिर परिसम्पति की बिक्री (वित्तीय वर्ष 2024-25) हुई थी। निपटान की इस अपरिपक्व स्वीकृति के परिणामस्वरूप में व्ययों की अत्योक्ति तथा स्थिर परिसम्पतियों / रिजर्व एवं अतिरेक के संबंध में 11.06 लाख रुपए की राशि की न्यूनोक्ति हुई है।

- छ) कम्पनी द्वारा प्रतिफल की प्राप्ति के लिए अन्य परिसम्पतियों के अलावा 2.33 लाख रुपए के सकल मूल्य, हासित मूल्य (डब्ल्यूडीवी) 0.33 लाख रुपए की एक कार (मारुति एसएक्स 4 794) की बिक्री किए जाने की सूचना दी है। उक्त वाहन के निपटान, कबाड़ के रूप में अथवा किसी प्रतिफल के रूप में किए जाने, से संबंधित कोई अनुमोदन को प्रमाणित करने वाला कोई समर्थित दस्तावेज उपलब्ध नहीं करवाया गया है। प्रमाण प्रस्तुत न किए जाने के कारण हम सत्यापन तथा उक्त कार की बिक्री की उपयुक्तता / हानि के बारे में कोई टिप्पणी नहीं कर पा रहे हैं। इस विसंगति के परिणामस्वरूप 2.33 लाख रुपए की परिसम्पतियों की न्यूनोक्ति, संचित मूल्यहास / रिजर्व एवं अतिरेक के संबंध में क्रमशः 2.00 लाख रुपए एवं 0.33 लाख रुपए की न्यूनोक्ति तथा वर्ष के दौरान 0.33 लाख रुपए के व्ययों का अतिकथन हुआ है।

- ज) कम्पनी ने अवस्थांतरण की तिथि यथा अप्रैल, 2015 को संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की मानित लागत का उपयोग वहन मूल्य के रूप में किया गया है। पश्चिमी क्षेत्र द्वारा प्रत्येक डॉफिन एन3 हेलीकॉप्टर के लिए 40 लाख रुपए और प्रत्येक डॉफिन एन हेलीकॉप्टर के लिए 60 लाख रुपए के अंतर्निहित अनुरक्षण को विचार में लिया गया है। इस तरह के निर्धारण का आधार उचित नहीं माना जा सकता है तथा इस प्रकार, इंड एस वित्तीय विवरणों पर इससे होने वाले प्रभाव की प्रमात्रा का निर्धारण नहीं किया जा सकता है।
- झ) कम्पनी द्वारा अवस्था परिवर्तन प्रावधानों तथा इंड एस की उपयोग्यता के उद्देश्य से 1 अप्रैल, 2015 की स्थिति के अनुसार अपनी स्थिर परिसम्पति घटकों का पुनर्मूल्यांकन किया गया था। तथापि, यह देखने में आया है कि हमारे द्वारा की गई मूल्यहास गणना, जो परिसम्पति का क्रय किए जाने की तिथि से माह की संख्या पर आधारित थी, प्रबंधन द्वारा उपलब्ध करवाए गए ह्रासित मूल्य (डब्ल्यूडीवी) से मेल नहीं खाती है। इसी के साथ साथ यह देखने में आया है कि असंगतियों के लिए कोई मूल्यांकन रिपोर्ट अथवा समर्थित औचित्यपरकता उपलब्ध नहीं करवाई गई है। हमारी समीक्षा में हमने महत्वपूर्ण भिन्नताओं को संज्ञान में लिया है जिसके परिणामस्वरूप परिसम्पतियों तथा लाभ / रिजर्व एवं अतिरेक में 595.76 लाख रुपए न्यूनोक्ति हुई है।
- ञ) मूल्यहास के लिए घटक लेखांकन के संबंध में पश्चिमी क्षेत्र द्वारा मुख्य गियर बॉक्स (एमजीबी) तथा इंजन के अलावा सभी ज्ञात घटकों के लिए संक्रमण तिथि (1 अप्रैल, 2015) तक शून्य उड़ान घंटे विचार में लिए गए हैं, जबकि ये घटक पूंजीयन की तिथि से उपयोग में लाए जा रहे हैं। हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार संक्रमण की तिथि यथा 1 अप्रैल, 2015 से वास्तविक उड़ान घंटों का निर्धारण नहीं किया जा सकता है तथा इसके परिणामस्वरूप इससे वित्तीय विवरणों पर होने वाले प्रभाव की प्रमात्रा आंकी नहीं जा सकती है।
- ट) उत्तरी क्षेत्र में 182.77 लाख रुपए मूल्य की अमूर्त परिसम्पतियों के लिए 100% मूल्यहास प्रभारित किया गया है। तथापि, प्रबंधन द्वारा इसके लिए एफएआर में ट्रेसबिलिटी प्रदान नहीं की गई है।
- ठ) 31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार विदेशी पार्टियों के पास 13,181.37 लाख रुपए (निवल शेष) मूल्य के रोटेबल्स रखे गए हैं जिनके संबंध में कोई पुष्टि उपलब्ध नहीं कराई गई है। शेष की पुष्टि उपलब्ध न होने तथा सीमित सूचना उपलब्ध होने के कारण से हम इंड एस वित्तीय विवरणों में शेष की पुष्टि से उत्पन्न होने वाले इसके प्रभाव, यदि कोई हो, की प्रमात्रा का निर्धारण नहीं कर पा रहे हैं
- 8) **चेक इन ट्रांजिट** - वर्ष के दौरान, "चेक इन ट्रांजिट" लेखे के अंतर्गत 529.16 लाख रुपए को संज्ञान में लिया गया है जो पिछले अनेक वर्षों से सम्मुख प्रस्तुत है परन्तु जिसका समायोजन नहीं हुआ है। प्रबंधन ने इन प्रविष्टियों के लिए सुधारात्मक उपाय किए गए थे। तथापि, बैंक खाते के माध्यम से इन संव्यवहार को रिवर्स करके विसंगतियों का एक महत्वपूर्ण भाग दूर किया गया था जिससे बैंक खातों का समाधान प्रभावित हुआ है। प्रबंधन ने स्पष्ट किया है कि ये प्रविष्टियां पूर्व वित्तीय वर्षों में उत्पन्न हुई थीं और उचित पुष्टिकरण साक्ष्य के बिना दर्ज की गई थीं। रिपोर्टिंग तिथि तक, प्रभावित बैंक खातों के लिए कोई समाधान विवरण उपलब्ध नहीं कराया गया है। इसके परिणामस्वरूप, लेखा बहियों में दर्शाए गए इन बैंक शेषों की सटीकता और विश्वसनीयता सत्यापित नहीं की जा सकती है।
- 9) कम्पनी द्वारा कार्यकारी एवं गैर-कार्यकारी कर्मचारियों, जिनमें संविदारत एवं नियमित कर्मचारी भी शामिल हैं, के संबंध में पूर्व वर्षों में 577.34 लाख रुपए के प्रावधान वर्ष 2019 से पूर्व प्रभाव से प्रभावी वेतन वृद्धि के लिए किए गए थे। तथापि, कम्पनी द्वारा उक्त राशि में से 197.38 लाख रुपए की राशि के लिए किए गए प्रावधानों का आधार प्रस्तुत नहीं किया जा

सका है तथा यह उपलब्ध न होने के कारण हम किए गए प्रावधानों की पर्याप्तता के संबंध में कोई टिप्पणी नहीं कर पा रहे हैं।

- 10) कम्पनी ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के संबंध में संदेहास्पद व्यापार प्राप्यों के लिए 7,242.21 लाख रुपए के प्रावधान किए थे। तथापि, प्रबंधन द्वारा एक स्वतंत्र तृतीय पक्ष के माध्यम से किए गए अपेक्षित ऋण हानि (ईसीएल) आकलन के आधार पर, किए जाने वाले आवश्यक प्रावधान की राशि 7,261.60 लाख रुपए थी। इस विसंगति के परिणामस्वरूप संदिग्ध नामे एवं व्ययों के लिए किए गए प्रावधान की न्यूनोक्ति हुई है जिससे इसी के अनुरूप 19.39 लाख रुपए के लाभ / रिजर्व एवं अतिरेक का अतिकथन हुआ है जो पिछले वर्ष से जारी है। इसके अलावा, प्रावधान मैट्रिक्स एवं नीतियों के जिस आधार पर प्रावधान लेखा बहियों में निर्मित किए गए थे वे सत्यापन के लिए प्रबंधन द्वारा उपलब्ध नहीं करवाए गए हैं।
- 11) कम्पनी ने पूर्व सामग्रीगत चूकों में सुधार के लिए वित्तीय वर्ष 2023-24 के वित्तीय विवरणों में पुनर्कथन किया है। तथापि, संज्ञान में आए 207.35 लाख रुपए के शेष से उत्पन्न पूर्वावधि आय का समायोजन वर्ष के दौरान नहीं किया गया है जिसके परिणामस्वरूप लेनदारों की अत्योक्ति हुई है तथा चालू वर्ष में लाभ का अतिकथन तथा पिछले वर्ष के लाभ की न्यूनोक्ति हुई है। इसके अलावा, उत्तरी क्षेत्र में, 211.66 लाख रुपए की राशि को व्यापार देयताओं, विशेष रूप से एमएसएमई श्रेणी के अंतर्गत, का वर्गीकरण संबंधित सही शीर्ष में किए जाने के स्थान पर गलत विधि से किया गया है। इस गलत वर्गीकरण से व्यापार देयताओं के सही और निष्पक्ष प्रस्तुतीकरण प्रभावित हुआ है तथा इसके परिणामस्वरूप अन्य देनदारियों की न्यूनोक्ति अथवा अत्योक्ति परिणत हो सकती है।
- 12) कम्पनी द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 में 10,257.59 लाख रुपए की राशि की आस्थगित कर देयता (निवल) की स्वीकृति की गई है। तथापि, इसके संबंध

में की गई गणना से यह देखने में आया है कि कम्पनी ने कर्मचारी हितलाभ के प्रावधान की गलत कर दर का उपयोग किया है। इस चूक के कारण 121.45 लाख रुपए की आस्थगित कर देयता का अतिकथन हुआ है। इसके अलावा, आयकर पर मूल्यहास की गणना के दौरान मालसूची की बिक्री से संबंधित 4.67 लाख रुपए की राशि को गलती से स्थिर परिसम्पतियों की बिक्री के अंतर्गत शामिल किया गया है। इसके अलावा, उत्तरी क्षेत्र के लिए क्रय की गई कुछ स्थिर परिसम्पतियां का "180 दिन से कम" एवं "180 दिन से अधिक" के वर्गीकरण के मध्य परस्पर परिवर्तन गलत ढंग से किया गया है जिसके कारण गलत मूल्यहास / कर गणना हुई है।

गलत गणना के कारण से वर्ष से संबंधित देयता एवं व्ययों की अत्योक्ति तथा समान राशि के लिए रिजर्व एवं अतिरेक की न्यूनोक्ति हुई है।

- 13) कम्पनी द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 300.00 लाख रुपए की राशि के आयकर प्रावधान किए गए हैं। तथापि, संबंधित गणना के सत्यापन से यह देखने में आया है कि कम्पनी ने वित्तीय वर्ष 2023-24 (203.79 लाख रुपए) के अनुसार बीमांकन के अनुसार निर्मित प्रावधान की राशि तथा पूंजी परिसम्पतियों (24.82 लाख रुपए) के विनिमय दर उतार चढ़ाव की राशि गलत ली गई है जिसके परिणामस्वरूप 77.09 लाख रुपए की राशि के लिए करों / व्ययों के लिए किए गए प्रावधान का अतिकथन तथा रिजर्व एवं अतिरेक की न्यूनोक्ति हुई है।
- 14) व्यापार प्राप्य, व्यापार देय, दीर्घकालिक और अल्पकालिक देयताओं, अन्य चालू देयताओं, दीर्घकालिक एवं अल्पकालिक ऋण तथा अग्रिम, और जमा राशि के संबंध में, पवन हंस की विलयन समाप्त हुई यूनिट यथा रोहिणी हेलीपोर्ट सहित 184.01 लाख रुपए की शेष राशि की बाह्य पुष्टि वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए उपलब्ध नहीं की गई है। व्यापार प्राप्य पर संभावित क्रेडिट हानि पद्धति के आधार पर यद्यपि प्रावधान किए गए हैं, तथापि शेष राशि

की पुष्टि की अनुपलब्धता तथा हमारे पास उपलब्ध सीमित सूचना के कारण, हम भारतीय लेखांकन मानक (इंड एस) वित्तीय विवरणों पर शेष राशि की पुष्टि से उत्पन्न होने वाले प्रभाव, यदि कोई हो, का आकलन नहीं कर सकते हैं।

- 15) भविष्य निधि का अंशदान ट्रस्ट को किए जाने में 6 माह की देरी हुई है, जिसके कारण विलंब की अवधि के लिए ब्याज लगाया गया है। तथापि, 48.43 लाख रुपए की संबंधित ब्याज देयता का लेखा-जोखा बहियों में नहीं दिया गया है। इसके परिणामस्वरूप वर्ष/आरक्षित एवं अधिशेष के लिए लाभ की न्यूनोक्ति हुई है तथा लाभ की अतियोक्ति हुई है।
- 16) लेखा बहियों के रिकार्ड के अनुसार चालू वर्ष के संबंध में प्राप्त टीडीएस का पार्टी-वार समाधान फॉर्म 26एस के साथ मेल नहीं होता है। इसके परिणामस्वरूप, लेखा बहियों में 4.60 लाख रुपए का टीडीएस कम प्रभारित हुआ है तथा लेखा बहियों में 9.13 लाख रुपए के टीडीएस की राशि अधिक प्रभारित हुई है। ऐसा होने से प्राप्य टीडीएस का अतिकथन हुआ है तथा देनदार शेष के लिए 4.53 लाख रुपए की राशि की न्यूनोक्ति हुई है। टीडीएस समायोजन के लिए "डब्ल्यूआर/एनआर - टीडीएस" के अंतर्गत बहियों में 5.30 लाख रुपए की लेखा प्रविष्टि प्रभारित की गई थी; तथापि, इस प्रविष्टि से अंतर्निहित पार्टी-वार शेष में सुधार नहीं होता है। इनके परिणामस्वरूप, वित्तीय विवरणों में प्राप्त टीडीएस तथा देनदार शेष की सटीकता और विश्वसनीयता प्रभावित हुई है।
- 17) **व्यावसायिक कर** - उत्तरी क्षेत्र की लेखा बहियों में व्यावसायिक कर के लिए 1.32 लाख रुपए की अथ नामे शेष राशि दर्शाई गई है जिसका कोई विवरण उपलब्ध नहीं है। विवरण न होने के कारण हम उक्त शेष राशि की सत्यता/वसूलीयोग्यता के बारे में कोई टिप्पणी नहीं कर सकते हैं।
- 18) **भविष्य निधि की कटौती न किया जाना** - यह देखा गया कि संगठन से सेवा त्याग करने वाले कुछ

कर्मचारियों के देय के निपटान की देय वेतन खाते की राशि सीधे बैंक के माध्यम से चुकता की जाती है जिसके कारण से प्रबंधन द्वारा सेवा त्याग करने वाले कर्मचारियों के वेतन में से भविष्य निधि की राशि की कटौती नहीं की जाती है। प्रबंधन द्वारा केवल लेखापरीक्षा के अंतिमकरण के समय त्यागपत्र देने वाले कर्मचारियों की सूची ही उपलब्ध करवाई गई थी तथा इस प्रकार इसका सत्यापन नहीं किया जा सका था। इसे ध्यान में रखते हुए कटौती न की गई भविष्य निधि की इस राशि की प्रमात्रा का निर्धारण नहीं किया जा सकता है।

- 19) उत्तरी क्षेत्र की लेखा बहियों में संगठन से सेवा त्याग करने वाले कर्मचारियों को देय राशि के रूप में 6.45 लाख रुपए की राशि जमा है। तथापि, बकाया राशि का विवरण हमें उपलब्ध नहीं कराया गया है। ऐसी स्थिति में राशि की प्रामाणिकता या शुद्धता पर टिप्पणी नहीं की जा सकती।
- 20) एनटीपीसी से 4.66 लाख रुपए की राशि प्राप्य दर्शाई गई है तथा इसका कोई विवरण उपलब्ध नहीं है। प्रबंधन द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, एनटीपीसी से संबंधित सभी अनुबंध अब तक समाप्त हो चुके हैं और सभी भुगतान/प्राप्तियों का निपटान कर दिया गया है, फिर भी शेष राशि लेखा बहियों में बकाया है, जिसका कोई औचित्य नहीं दिया गया है, जिसके परिणामस्वरूप परिसम्पत्तियों का अतिकथन हुआ है तथा वर्ष के दौरान 4.66 लाख रुपए की आय / रिजर्व एवं अतिरेक का अतिकथन हुआ है।
- 21) उत्तरी क्षेत्र में प्रबंधन द्वारा आरसीएस टिकट बिक्री के संबंध में राजस्व समाधान तैयार नहीं किए गए हैं। हमारे सत्यापन और हमें प्रदान की गई जानकारी तथा दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, 3.08 लाख रुपए का अतिरिक्त राजस्व प्रभारित किया गया है। इससे वर्ष के संबंध में राजस्व एवं लाभ का अतिकथन तथा बैंक शेष का भी समान राशि के लिए अतिकथन हुआ है।

- 22) कम्पनी द्वारा पट्टा देयताओं तथा उपयोग अधिकार वाली परिसम्पत्तियों की गणना के लिए लीज़ देनदारियों और उपयोग के अधिकार वाली संपत्ति की गणना के लिए क्रमिक ऋण दर को विचार में नहीं लिया है। कम्पनी द्वारा अपनाई गई यह लेखांकन पद्धति न तो लेखांकन नीति के अनुरूप है और न ही यह भारतीय लेखा मानक 116 'पट्टों' के अनुसरण में है। सूचना उपलब्ध न होने के कारण हम इसके प्रभाव की प्रमात्रा का निर्धारण नहीं कर पा रहे हैं तथा इसके अलावा, उत्तरी क्षेत्र ने पट्टा देयता के प्रभाव का सही ढंग से लेखा-जोखा नहीं किया है, जिसके परिणामस्वरूप उपयोग अधिकार परिसंपत्तियों (आरओयू) को 0.66 लाख रुपए कम दर्शाया गया है, पट्टा देयताओं के लिए 1.22 लाख रुपए का और मूल्यहास प्रावधान को 0.77 लाख रुपए का अतिकथन किया गया है जिसकी संचयी राशि 2.64 लाख रुपए है।
- 23) वित्तीय विवरणों में हमारा ध्यान पिछले वित्तीय वर्ष में 1.05 लाख रुपए के "प्रारंभिक एसओसीई समायोजन" की ओर आकर्षित हुआ है। तथापि, प्रबंधन द्वारा इस समायोजन के लिए कोई सहायक दस्तावेज़ उपलब्ध नहीं कराया गया है। इस समायोजन के लिए पर्याप्त स्पष्टीकरण अथवा आधार न दिए जाने के कारण हम इस समायोजन की उपयुक्तता और सटीकता का आकलन नहीं कर सकते हैं।
- 24) पश्चिमी क्षेत्र में भारतीय लेखांकन मानक 37 - प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक संपत्तियां का अनुपालन दुर्भर अनुबंधों के लिए कोई प्रावधान स्वीकृत न होने के कारण नहीं किया गया है जबकि यह संकेत उपलब्ध होते हुए भी कि संविदागत दायित्व अनुबंध के काल के दौरान प्राप्त होने संभावित आर्थिक लाभों से अधिक हैं। इसके अलावा, इस क्षेत्र में लागत केंद्रों की परिभाषित प्रणाली नहीं है तथा वैयक्तिक ग्राहक अनुबंधों के स्तर पर वास्तविक बनाम बजटीय राजस्व का तुलनात्मक विश्लेषण नहीं किया जाता है। ऐसी प्रणालियों तथा ऐसे निर्धारण उपलब्ध होने के कारण से दुर्भर अनुबंधों तथा उनके सम्बद्ध प्रावधानों का इंड एस वित्तीय विवरणों पर होने वाले संभावित प्रभाव की प्रमात्रा आंकी नहीं जा सकती है।
- 25) हमारा ध्यान वित्तीय विवरणों की समीक्षा के दौरान तुलन पत्र के निम्नलिखित शीर्षकों में पाई गई कुछ विसंगतियों की ओर आकर्षित हुआ है। (आंकड़े गलत दर्शाए गए हैं)

वित्तीय वर्ष 2023-24 के संबंध में

(रुपए लाख में)

शीर्षक	उप शीर्षक	उप-उप शीर्षक	सही आंकड़े	प्रकटीकरण किए गए आंकड़े
गैर-चालू परिसम्पत्तियां	ऋण	अप्रतिभूत – अच्छा समझा गया – एनसीएसडी	सकल राशि – 14.33 प्रावधान – 14	सकल राशि – 45.93 प्रावधान -42.66
चालू परिसम्पत्तियां	नकदी एवं नकदी समतुल्य	उपलब्ध नकदी	633.65	633.73
चालू देयताएं	नकदी एवं नकदी समतुल्य	सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को देय बकाया	23.51	235.18
चालू देयताएं	व्यापार देय	संदेहास्पद नामे / संभावित क्रेडिट हानियों के लिए भत्ता	7261.6	7242.21
गैर चालू देयताएं	अन्य वित्तीय देयताएं	पट्टा देयताएं	8730.26	8753.63
पट्टा देयताएं	अन्य वित्तीय देयताएं	पट्टा देयताएं	2814.9	2791.53

वित्तीय वर्ष 2021-22 के संबंध में

(रुपए लाख में)

शीर्षक	उप शीर्षक	उप-उप शीर्षक	सही आंकड़े	प्रकटीकरण किए गए आंकड़े
गैर-चालू परिसम्पत्तियां	पूंजी कार्य प्रगति पर	-	928.92	891.67
चालू देयताएं	प्रावधान	कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व के लिए प्रावधान	202.4	193.37

- पेशगी एवं प्रतिभूति जमा के अंतर्गत चालू एवं गैर चालू के द्विभाजन प्रबंधन द्वारा नहीं किए गए हैं।
- 26) नीचे दस्तावेजों में पाई गई कुछ ऐसी विसंगतियों का ब्यौरा दिया गया है जो इन वित्तीय विवरणों के अभिन्न अंग लेखांकन नोट की समीक्षा एवं सत्यापन के लिए आवश्यक है तथा समीक्षा की तिथि तक जिनकी प्रस्तुत हमें नहीं की गई है तथा नीचे दिए गए विवरण के अनुसार इनके आंकड़ों में मिथ्याकथन पाया गया है:
 - नोट 32(ii) (घ) के संबंध में, मुकदमेबाजी के अंतर्गत दर्शाई गई 233.81 लाख रुपए की राशि के संबंध में पर्याप्त समर्थक दस्तावेज हमें उपलब्ध नहीं करवाए गए हैं जिससे कि यह सत्यापन किया जा सके कि ये सही है अथवा नहीं हैं।
 - नोट 32(XIII) के संबंध में, रोहिणी हेलीपोर्ट लिमिटेड के संबंध में स्वीकृत विलय समाप्ति योजना के अनुसार अंतरण की गई व्यवसाय हानि एवं अनवशोषित मूल्यहास का विवरण नहीं दिया गया है।
 - नोट 32(XVI) के संबंध में, परिचालन पट्टे के प्रति दायित्व का विवरण हमें प्रदान नहीं किया गया है।
 - नोट 32(XVII)(घ) के संबंध में चालू वर्ष से संबंधित 2658.38 लाख रुपए की पट्टा देयताओं के नकदी प्रवाह के बारे में कोई स्पष्टीकरण हमें नहीं दिया गया है।
 - नोट 32(XXI)(क) तथा (ख) के संबंध में, अनुबंध परिसंपत्तियों तथा देयताओं के संचलन का विवरण प्रबंधन द्वारा दी गई सूचना से संगत नहीं है, इस प्रकार हम इनके संबंध में कोई टिप्पणी नहीं कर पा रहे हैं।
 - नोट 32(XXV)(ख) के संबंध में, निदेशक बैठक शुल्क प्राप्त करने वाले स्वतंत्र निदेशकों के विवरण का प्रकटीकरण नहीं किया गया है।
 - नोट 32(XXV)(घ) के संबंध में, निदेशकों के 2.7 लाख रुपए के बैठक शुल्क का द्विभाजन अल्पकालिक रोजगार लाभों से अलग नहीं दर्शाया गया है।
 - नोट 32(XXVIII) के संबंध में, वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम को देय 316.33 लाख रुपए की राशि सही नहीं है क्योंकि उत्तरी क्षेत्र में, वित्तीय वर्ष 2022-23 में किया गया पुनर्कथन इसके बारे में कोई भी स्पष्टीकरण दिए बिना सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम को देय राशि के माध्यम से किया गया है।
 - नोट 32(XXXIII)(ग)(ii) के संबंध में, शाखा लेखा परीक्षक द्वारा अप्रत्यक्ष इनपुट के उपयोग से उचित मूल्य मापन का विवरण दिया गया है, तथापि समेकित वित्तीय विवरणों में कोई प्रकटीकरण नहीं दिया गया है। इसके परिणामस्वरूप, इसे शून्य के स्थान पर 947.19 लाख पढ़ा जाना है।
 - नोट 32(XXXIII)(iii) के संबंध में, हमें विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों तथा देयताओं का विवरण नहीं दिया गया है, जिसके परिणामस्वरूप हम संवेदी विश्लेषण पर भी टिप्पणी नहीं कर सकते हैं।

27. उपर्युक्त अर्हताओं की प्रमात्रा

पैराग्राफ 3, 4, 6(ख), 6(घ), 7(क), 7(ख), 7(घ), 7(छ), 7(झ), 10, 12, 13, 15, 19, 20, 21, 22 में उल्लिखित हमारी टिप्पणियों का संचयी प्रभाव इस प्रकार है: वर्ष के दौरान कम्पनी के लाभ / रिजर्व एवं अतिरिक्त में 2,317.93 लाख रुपए की अत्योक्ति की गई है, परिसम्पत्तियों को 2,453.86 लाख रुपए की अत्योक्ति तथा देयताओं के लिए 135.93 लाख रुपए की राशि का अतिकथन किया गया है। अन्य पैरा में वर्णित मामले के संभावित प्रभाव का प्रबंधन द्वारा पता नहीं लगाया गया है।

मामले का प्रभाव

1. हम भारतीय लेखांकन मानक (इंड एस) के वित्तीय विवरणों के नोट संख्या 2(vi) की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं, जिसमें आंतरिक तकनीकी समिति के सुझाव पर हेलीकॉप्टरों का अनुमानित उपयोग काल कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II में उल्लिखित 20 वर्षों से बढ़ाकर पश्चिमी क्षेत्र में डॉफिन बेड़े के लिए 40 वर्ष किया गया था जिससे वर्ष का मूल्यह्रास शुल्क कम हुआ तथा जिससे इंड एस वित्तीय विवरणों में वर्ष में हुई हानि का परिणामी प्रभाव हुआ है। हमारा ध्यान इस ओर गया है कि पूर्व वर्षों में विमानों के ग्राउंड पर रहने (एओजी) के दिनों में ग्राहकों को दी जाने वाली निर्णित हजनि की वसूली में वृद्धि हुई है, राजस्व उड़ान घंटों में कमी आई है, तथा अप्रचलन के कारण निर्माताओं/ओईएम से डॉफिन एस365एन के कुछ एवियोनिक्स पुर्जों की अनुपलब्धता के कारण हेलीकॉप्टरों को लंबे समय तक ग्राउंड रहना पड़ा है। यह चूंकि एक तकनीकी मामला है, इसलिए हमने तकनीकी समिति के आकलन के प्रति विश्वास किया है।
2. क) कम्पनी तथा तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम (ओएनजीसी) के मध्य उत्पादन कार्यों के लिए हेलीकॉप्टर का चार्टर सेवा के उद्देश्य से दिनांक 19

जुलाई, 2022 को 3 डॉफिन 365एन हेलीकॉप्टर चार्टर किराए पर प्रदान करने का अनुबंध किया गया है तथा कम्पनी दिनांक दिनांक 15 फरवरी, 2022 को 2 सिकोसकी ए76डी क्रू चेंज हेलीकॉप्टर अपतटीय परिचालन के लिए चार्टर सेवा प्रदान करने के लिए अनुबंध किया गया है जो अनुबंध में उल्लिखित विशिष्टताओं के अनुसार ओएनजीसी के परिचालनों के लिए उपयोग में लाया जाएगा। इसके लिए उत्पादन कार्य हेलीकॉप्टर अनुबंध का नवीकरण 2 उत्पादन कार्य हेलीकॉप्टर अनुबंध दिनांक 13 अक्टूबर 2022 के अनुबंध संख्या एमयूएम/ओएफएफ-लॉजिस्टिक्स/एमएम/2022/पीएचटीएचएलजीआरपीए/1067720/पी76एल2204/90100357- के माध्यम से किया गया है तथा क्रू परिवर्तन हेलीकॉप्टर प्रदान किए जाने का अनुबंध उत्पादन कार्य अनुबंध के रूप में परिवर्तित करके अपतटीय परिचालनों के लिए 3 उत्पादन कार्य हेलीकॉप्टर प्रदान के लिए दिनांक 13 अक्टूबर, 2022 को अनुबंध संख्या एमयूएम/ओएफएफ-लॉजिस्टिक्स/एमएम/2022/प्रोडक्शन/1027876/पी76एल22004/9010035403 के माध्यम से किया गया है। कम्पनी को उक्त सेवाओं के लिए नियत मासिक प्रभार तथा फ्लाइटिंग मासिक प्रभारों की प्राप्ति होगी। ओएनजीसी को हेलीकॉप्टर उपलब्ध किए जाने की सेवाएं प्रदान करने की कम्पनी की असमर्थता की स्थिति में कम्पनी को उस अवधि के लिए नियत मासिक प्रभार देय नहीं होंगे जिस अवधि में हेलीकॉप्टर उपलब्ध नहीं करवाए गए थे। इसके अलावा पूर्ण दिवस ग्राउंडिंग के लिए नियत मासिक प्रभार के 5 % के समतुल्य तथा आधे दिन की ग्राउंडिंग के लिए नियत मासिक प्रभार के 2.5 % (अर्थात् 5 % का 50 %) के समतुल्य निर्णित हजाना चुकता किया जाएगा जो कि 844.84 लाख रुपए (पिछले वर्ष 113.36 लाख रुपए) वर्ष के दौरान कटौती किया गया है। ऐसा 200 गैर परिचालनात्मक दिवसों के कारण नियत मासिक प्रभार की हानि एवं निर्णित हजनि के रूप में परिणत हुआ है जिसकी भुगतान में से कटौती की जानी है।

चूँकि अनुबंध के तहत अनुमानित दायित्वों को पूरा करने की लागत अनुबंध की अवधि के दौरान प्राप्त होने वाले अपेक्षित आर्थिक लाभों से अधिक है, इसलिए यह अनुबंध एक दुर्भर अनुबंध है। (नोट संख्या 24 हेलीकॉप्टर परिचालन एवं अनुरक्षण व्यय देखें)

- ख) कम्पनी द्वारा पिछले माह की गई उड़ानों के संबंध में प्रत्येक माह की 7 तिथि तक निश्चित मासिक शुल्क (एफएमसी) और उड़ान प्रति घंटा शुल्क (एफएमसी) तथा अन्य स्वीकार्य शुल्कों के चालान जारी करने के संबंध में अनुबंध की शर्तों का पालन नहीं किया है। निश्चित मासिक शुल्क (एफएमसी) और उड़ान प्रति घंटा शुल्क (एफएमसी) के लिए, भुगतान चालान प्राप्त होने के 21 कार्य दिवसों के भीतर प्राप्त किया जाना चाहिए, जिससे कम्पनी के नकदी प्रवाह पर प्रभाव पड़ सकता है।
3. हम इंड एस वित्तीय विवरणों के अभिन्न भाग नोट संख्या 32(XXV)(ई) की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं। कम्पनी का यह मानना है कि 31 मार्च, 2024 तक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के अंतर्गत पंजीकृत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों पर तुलन पत्र की तिथि से 45 दिनों से अधिक अवधि का कोई बकाया नहीं है। आपूर्तिकर्ताओं से 'सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006' के प्रावधानों की प्रयोज्यता के बारे में जानकारी मांगी गई, लेकिन कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम बकाया राशि की जानकारी कम्पनी के पास उपलब्ध जानकारी के आधार पर प्रदान की गई है।
4. इंड एस वित्तीय विवरणों के अभिन्न भाग नोट संख्या 32 (XIX) (ए) में जैसा कि सतर्कता विभाग के दिनांक 12 अगस्त, 2014 के अंतर कार्यालय ज्ञापन आरएफ संख्या पीएचएल/सीओ/वीआईजी/219 पर के आधार पर (आईओएम) सीवीओ (मुख्य सतर्कता अधिकारी) द्वारा जांच किए जाने तथा लक्षद्वीप में 129.20 लाख रुपएकी वित्तीय अनियमितताओं के संबंध में प्रबंधन

को रिपोर्ट सौंपे जाने का उल्लेख है। प्रबंधन द्वारा कर्मचारियों को देय 40.09 लाख रुपएके समर्थित इनवॉयस/बिल/क्रेडिट को संज्ञान में लिया गया था तथा प्रबंधन द्वारा शेष 89.12 लाख रुपए की राशि को ही हानि माना गया था तथा इसे वर्ष 2014-15 के वित्तीय विवरणों में प्रभारित किया था। चालू वित्त वर्ष के दौरान, अप्रैल 2008 से मार्च 2011 की अवधि के लक्षद्वीप प्रशासन से यात्रा बिल प्राप्त हुए हैं। मानव संसाधन विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार जांच की गई है तथा दिए गए सुझाव के अनुसार कार्रवाई किए जाने की स्वीकृति सक्षम प्राधिकारी द्वारा दी गई है। इस मामले पर कम्पनी द्वारा आगे विचार किया जा रहा है।

5. इंड एस वित्तीय विवरणों के अभिन्न भाग नोट संख्या 32 (II)(डी) में यह उल्लेख है कि पश्चिमी क्षेत्र द्वारा आईडी अधिनियम की धारा 33सी(आई) के अंतर्गत आरएलसीआरएलसी (सी) के 27 जून, 2022 के पारित आदेश के प्रति रिट याचिका दायर की गई है, इस आदेश में 10% की दर से प्रतिवर्ष ब्याज के साथ 580.75 लाख रुपएकी राशि का वसूली प्रमाणपत्र (आरसी) जारी किया गया था तथा इसकी प्रतिक्रिया में कलेक्टर, मुंबई उपनगरीय जिले द्वारा जारी दिनांक 12 अक्टूबर, 2022 को जारी कुर्की आदेश के अंतर्गत क्षेत्र के बैंक खाते को ऊपर उल्लिखित राशि के लिए कुर्क कर लिया गया था। माननीय बम्बई उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 15 नवंबर, 2022 के अपने आदेश में बैंक खाते को पूरी तरह से फ्रीज करने के स्थान पर बैंक ऑफ बडौदा को याचिकाकर्ता (पीएचएल) को 650.00 लाख रुपएकी राशि रोककर बैंक खाता संचालित करने की अनुमति देने का निर्देश दिया जा सकता है। इससे कम्पनी की चलनिधि स्थिति पर महत्वपूर्ण प्रभाव हुआ है।
6. अनुलग्नक ख तथा प्रतिकूल मत के आधार से संबंधित पैराग्राफों की ध्यान आकर्षित किया जाता है जिनमें आंतरिक नियंत्रणों में विभिन्न कमियां पाए

जाने का उल्लेख है जो कार्य प्रक्रियाओं / विभागों से की गई चूकों / अकरणों के रूप में परिणत हुए हैं। इस प्रकार, आंतरिक लेखापरीक्षा को सुदृढ़ बनाया जाना आवश्यक है तथा सभी कार्यात्मक विभागों, विशेष रूप से अचल परिसम्पत्ति प्रबंधन, मालसूची प्रबंधन, क्रय प्रक्रिया, नकदी एवं बैंक प्रबंधन, लेखांकन एवं राजस्व वसूली, सांविधिक अनुपालन, मानव संसाधन प्रबंधन तथा सूचना प्रौद्योगिकी सामान्य नियंत्रण का गहन सत्यापन सुनिश्चित करने के लिए इसका दायरा बढ़ाया जाना चाहिए जिससे कि इसे कम्पनी के आकार एवं इसके परिचालनों की प्रकृति के अनुरूप बनाया जा सके।

7. वर्ष के दौरान क्षमता हानि के संबंध में कोई प्रावधान नहीं किए गए हैं क्योंकि पश्चिमी क्षेत्र प्रबंधन का यह मानना है कि परिसंपत्तियों में क्षमता हानि के कोई संकेत स्पष्ट नहीं हुए हैं। तथापि, प्रबंधन द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण तथा दी गई सूचना के अनुसार आगामी वर्षों यथा वर्ष 2024-25 में प्रबंधन द्वारा परिसम्पत्तियों में क्षमता हानि के संबंध में स्वतंत्र रिपोर्ट प्राप्त की जाएगी।
8. प्राप्त ऋण एवं अग्रिम (देयताएं) की राशि शून्य (5.61 लाख) है, जिसके परिणामस्वरूप देयताओं की अत्युक्ति हुई है तथा लाभ को शून्य (5.61 लाख) तक कम दर्शाया गया है तथा पश्चिमी क्षेत्र में 41.61 लाख (25.15 लाख) रुपएकी व्यापार देय राशि 3 से अधिक वर्षों से बकाया है। पार्टियों को भुगतान नहीं किया गया है और कोई पुष्टि प्राप्त नहीं हुई है।
9. 3987.65 लाख रुपए की राशि के व्यापार प्राप्य 3 से भी अधिक वर्षों से बकाया है, इसमें से 3237.96 लाख रुपए के प्रावधान पश्चिम क्षेत्र में किए गए हैं तथा देनदार बकाया के लिए किए गए प्रावधान से संबंधित विवरण उत्तरी क्षेत्र में उपलब्ध नहीं है। शेष को पिछले अनेक वर्षों से अग्रेषित किया जा रहा है।

इन मामलों के संबंध में हमारा मत संशोधित नहीं किया गया है।

अन्य मामले

हमने कम्पनी के वित्तीय विवरणों में शामिल पश्चिम क्षेत्र के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा नहीं की है जिसके वित्तीय विवरणों में 31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार, जैसा कि इंड एएस वित्तीय विवरणों में विचार में लिया गया है, कुल परिसम्पत्तियों की राशि 1,13,918.81 रुपए तथा उक्त तिथि को समाप्त वर्ष में कुल राजस्व 28,225.61 रुपए दर्शाया गया है। पश्चिम क्षेत्र के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त शाखा लेखापरीक्षक ने की है तथा उनकी रिपोर्ट हमें प्रस्तुत की गई है। जहां तक पश्चिम क्षेत्र के संबंध में इसमें उल्लिखित राशियों एवं प्रकटीकरणों का संबंध है, हमारा मत शाखा लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर आधारित है।

वित्तीय विवरणों तथा उससे संबंधित लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के अलावा अन्य सूचना

कम्पनी का निदेशक मंडल अन्य सूचना की प्रस्तुति के प्रति उत्तरदायी है। अन्य सूचना में निदेशक मंडल की रिपोर्ट शामिल होती है परन्तु इसमें वित्तीय विवरणों तथा उससे संबंधित हमारी लेखा परीक्षा रिपोर्ट को शामिल नहीं किया जाता है।

वित्तीय विवरणों में व्यक्त हमारे मत में अन्य सूचना शामिल नहीं है तथा हम किसी प्रकार से उसके संबंध में किसी आश्वासन निष्कर्ष की प्रस्तुति नहीं कर रहे हैं। वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा के संबंध में हमारा दायित्व इसमें दी गई सूचना को पढ़ना है तथा ऐसा करते हुए यह विचार करना है कि क्या अन्य सूचना की सामग्री वित्तीय विवरणों तथा लेखा परीक्षा की प्रक्रिया के दौरान हमें प्राप्त जानकारी से

वस्तुगत रूप से संगत है अथवा इसमें किसी प्रकार के वस्तुगत दुर्विवरण का उल्लेख किया गया है अथवा नहीं किया गया है। यदि हमारे द्वारा निष्पादित कार्य के आधार पर हमें अन्य सूचना में किसी प्रकार के सामग्रीगत मिथ्या कथन का आभास होता है तो ऐसे तथ्यों की रिपोर्ट किए जाने की अपेक्षा हमसे की गई है। इसके संबंध में रिपोर्ट के लिए कुछ प्रस्तुति नहीं कर रहे हैं।

वित्तीय विवरणों से संबंधित प्रबंधन के दायित्व

कम्पनी का निदेशक मंडल कम्पनी कम्पनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा-133 के अंतर्गत निर्दिष्ट लेखांकन मानकों सहित भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार कम्पनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय निष्पादन तथा नकदी प्रवाह की सत्य एवं स्वच्छ छवि प्रस्तुत करने से संबंधित कम्पनी अधिनियम, 2013("अधिनियम") की धारा134(5) में उल्लिखित मामलों के प्रति उत्तरदायी है। इस उत्तरदायित्व में कम्पनी की परिसम्पत्तियों को सुरक्षा प्रदान करने तथा जालसाजी व अन्य अनियमितताओं के निवारण तथा उनका पता लगाने; उपयुक्त लेखांकन नीतियों का चयन तथा अनुप्रयोग करने; युक्तिसंगत तथा विवेकपूर्ण निर्णय लेने एवं अनुमान लगाने; उपयुक्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के अभिकल्प, क्रियान्वयन तथा अनुरक्षण, जो लेखांकन रिकार्डों की परिशुद्धता और सम्पूर्णता को सुनिश्चित करने के लिए कुशलतापूर्वक प्रचालन करे और जो इंड एस वित्तीय विवरणों के निर्माण एवं प्रस्तुतिकरण के लिए संगत हों तथा जिनसे सत्य एवं स्वच्छ प्रस्तुत होती है तथा जो किसी जालसाजी अथवा किसी के किसी भी कारण से सामग्रीगत मिथ्याकथन से मुक्त हो, के प्रति उत्तरदायी है।

वित्तीय विवरणों के निर्माण के समय प्रबंधन कम्पनी की गोडंग कंसर्न को जारी रखे जाने की क्षमता का मूल्यांकन करने, गोडंग कंसर्न को जारी रखे जाने

से संबंधित मामलों, यदि कोई हों, का प्रकटीकरण करने तथा प्रबंधन द्वारा कम्पनी को बंद किए जाने का विचार यदि नहीं है तो लेखांकन के लिए गोडंग कंसर्न को जारी रखने के आधार अथवा गोडंग कंसर्न को जारी रखने के अलावा अन्य कोई विकल्प न होने की प्रस्तुति करने के प्रति उत्तरदायी है। कम्पनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख का दायित्व कम्पनी के निदेशक मंडल का भी है।

वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षकों के उत्तरदायित्व

हमारा उद्देश्य वित्तीय विवरणों को तथ्यात्मक मिथ्याकथन, जालसाजी अथवा चूक के कारण, से मुक्त रखे जाने का युक्तिसंगत आश्वासन प्राप्त करके अपने मत सहित लेखापरीक्षा रिपोर्ट जारी रखना है। युक्तिसंगत आश्वासन को आश्वासन का उच्च स्तर कहा जा सकता है परन्तु इसमें किए गए लेखा परीक्षण के संबंध में यह गारंटी नहीं होती है कि एसए प्रक्रिया के अंतर्गत किए जाने वाले लेखा परीक्षण से तथ्यात्मक दुर्विवरण, यदि कोई हों, की प्राप्ति निश्चित तौर सदैव उपलब्ध हो सकेगी। मिथ्याकथन किसी जालसाजी अथवा चूक के कारण हो सकता है अथवा इसे तथ्यात्मक तभी माना जा सकता है जब इनसे अलग अलग अथवा समस्त रूप से इन वित्तीय विवरणों के आधार पर लिए गए आर्थिक निर्णयों पर किसी प्रकार का औचित्यपरक प्रभाव होने की संभावना की गई हो। एसए के अंतर्गत की जाने वाली लेखा परीक्षा की पूरी प्रक्रिया के दौरान हमें व्यावसायिक तौर पर संशयात्मक दृष्टिकोण से युक्त व्यावसायिक निर्धारण करने होते हैं। हमारे द्वारा निम्नलिखित प्रक्रियाएं भी की गई हैं:-

- वित्तीय विवरणों में तथ्यात्मक दुर्विवरण के जोखिमों, जो चाहे जालसाजी अथवा चूक के कारण हों, का संज्ञान तथा मूल्यांकन करना तथा ऐसे जोखिमों पर प्रभावी लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं के

स्वरूप के अनुसार लेखापरीक्षा प्रक्रियाएं करके अपने मत के आधार के लिए ऐसे लेखापरीक्षा प्रमाण की प्राप्ति करना जो पर्याप्त एवं औचित्यपरक हों। पता न लगाई जा सकी किसी जालसाजी से किए गए सामग्रीगत मिथ्याकथन के जोखिम परिणाम किसी चूक से उत्पन्न होने वाले जोखिमों से कहीं अधिक होते हैं क्योंकि जालसाजियां साठ गांठ, धोखाधड़ी, किन्हीं उद्देश्यों से की गई चूक, गलत प्रस्तुति अथवा आंतरिक नियंत्रण की अवहेलना किए जाने के कारण हो सकती हैं।

- परिस्थितियों के अनुकूल लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं के निर्माण के लिए लेखा परीक्षा से सम्बद्ध आंतरिक नियंत्रण को संज्ञान में लेना।
- प्रयुक्त लेखांकन नीतियों की पर्याप्तता एवं प्रबंधन द्वारा लगाए गए लेखा अनुमानों की औचित्यपरकता तथा सम्बद्ध प्रकटीकरणों का मूल्यांकन करना।
- प्रबंधन द्वारा लेखांकन के लिए उपयोग में लाए गए गोडंग कंसर्न के आधार तथा प्राप्त लेखा परीक्षा परिणामों के आधार की उपयुक्तता के संबंध में यह निश्चय करना कि क्या ऐसी स्थितियां अथवा परिस्थितियां हैं जिनसे यह तथ्यपरक अनिश्चितता होती हो तथा जिनसे गोडंग कंसर्न के लिए कम्पनी की क्षमता पर किसी प्रकार का प्रभाव होने की आशंका हुई हो। यदि ऐसी किसी प्रकार की तथ्यपरक अनिश्चितता को शामिल किया जाता है तो हम से अपनी लेखा परीक्षा से सम्बद्ध वित्तीय विवरणों में किए गए प्रकटीकरणों की ओर ध्यान आकर्षित करवाए जाने तथा ऐसे प्रकटीकरण अपर्याप्त होने की स्थिति में अपना मत संशोधित करने की अपेक्षा की गई है। हमारे द्वारा किया गया निश्चय हमारी रिपोर्ट में उल्लिखित तिथि के दौरान प्राप्त किए गए लेखा परीक्षा प्रमाणों पर आधारित है। तथापि, भावी स्थितियों अथवा परिस्थितियों के परिणाम कम्पनी की प्रक्रियाओं को गोडंग कंसर्न के रूप में जारी न रखे जाने का कारण हो सकते हैं।

- प्रकटीकरणों सहित इंड एस वित्तीय विवरणों की पूर्ण प्रस्तुति, संरचना एवं सार संक्षेप का मूल्यांकन करना तथा यह ज्ञात करना कि क्या इंड एस वित्तीय विवरणों में लेन देन संव्यवहार एवं स्थिति का विवरण उचित स्वरूप में दिया गया है अथवा नहीं दिया गया है।

हम, अन्य मामलों के साथ साथ शासन व्यवस्था की देखरेख करने वाले पदाधिकारियों को योजनाबद्ध कार्यक्षेत्र तथा लेखा परीक्षा की समय सारणी एवं लेखा परीक्षण के निष्कर्षों और साथ ही हमारे द्वारा किए गए लेखा परीक्षण के दौरान प्रकाश में आई आंतरिक नियंत्रण से जुड़ी खामियों के संबंध में जानकारी प्रदान करते हैं।

शासन व्यवस्था की देखरेख करने वाले पदाधिकारियों को हमने उन मामलों का विवरण भी दिया है जिनका समेकन हमारे द्वारा स्वतंत्रता से सम्बद्ध आचार अपेक्षाओं के अनुसार किया गया था तथा हमारी लेखा परीक्षा स्वतंत्रता एवं उससे जुड़े सुरक्षा उपायों, जहां लागू हों, के प्रभाव के लिए प्रत्येक प्रकार की औचित्यपरक संबद्धता एवं अन्य मामलों का सम्प्रेषण भी उन्हें किया गया है।

अन्य विधिक एवं विनियामक अपेक्षाओं की रिपोर्ट

1. कम्पनी अधिनियम की धारा 143 की उप धारा (11) के उपबंधों के अनुसार भारत सरकार द्वारा कम्पनी (लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट) आदेश, 2016 ("आदेश") द्वारा अपेक्षित उक्त आदेश के पैरा 3 तथा 4 में यथा लागू विनिर्दिष्ट विषयों पर हम **अनुलग्नक - क** में विवरण प्रस्तुत कर रहे हैं।
2. अधिनियम के अनुच्छेद 143(3) की अपेक्षाओं के अनुसार हम यह रिपोर्ट करते हैं कि:
 - क) हम वे सभी सूचनाएं और स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं कर पाए हैं जिनकी आवश्यकता हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा के लिए थी;

- ख) हमारे मतानुसार, प्रतिकूल मत के आधार के पैराग्राफ में वर्णित मामलों के प्रभाव तथा कम्पनी (लेखापरीक्षा एवं लेखापरीक्षक) नियमावली, 2014 (यथासंशोधित) ("नियमावली") के नियम 11(जी) के अंतर्गत नीचे प्रस्तुत रिपोर्टिंग के विचार से कम्पनी ने विधि अपेक्षाओं के अनुसार उचित लेखा बहियों का रखरखाव नहीं किया है, जो कि हमारे द्वारा इन बहियों के संबंध में की गई जांच से प्रतीत हुआ है।
- ग) इस रिपोर्ट में वर्णित तुलन पत्र, लाभ-हानि विवरण तथा रोकड़ प्रवाह विवरण कम्पनी की लेखा बहियों से मेल खाते हैं;
- घ) हमारे मतानुसार, तुलन पत्र, लाभ-हानि विवरण तथा रोकड़ प्रवाह विवरण कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के अंतर्गत अधिसूचित कम्पनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियमावली, 2015 के अनुसार भारतीय लेखांकन मानकों ("इंड एस") के अनुसरण में संगत नहीं हैं।
- ङ) हमारे मतानुसार "प्रतिकूल मत के आधार" में वर्णित मामलों का प्रतिकूल प्रभाव कम्पनी की कार्यप्रणाली पर संभव हो सकता है।
- च) दिनांक 5 जून, 2015 की अधिसूचना संख्या 1/2/2014-सीएल- V के माध्यम से प्राप्त छूट को विचार में रखते हुए धारा 164(2) के अंतर्गत निदेशकों से प्राप्त की जाने वाली घोषणा की अपेक्षाएं कम्पनी के संबंध में लागू नहीं हैं;
- छ) लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट में वर्णित अन्य मामलों के लिए अधिनियम की धारा 197(16), यथासंशोधित, की अपेक्षाएं सरकारी कम्पनियों के मामले में लागू नहीं हैं। कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी दिनांक 5 जून, 2015 की अधिसूचना संख्या जीएसआर 463(ई) के अनुसार धारा 197 सरकारी कम्पनियों के मामले में लागू नहीं है।
- ज) कम्पनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और ऐसे नियंत्रणों के परिचालन प्रभाव का उल्लेख 'अनुलग्नक 'ख' में प्रस्तुत हमारी पृथक रिपोर्ट में किया गया है; तथा
- (i) हमारे मतानुसार और हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार कम्पनी (लेखा परीक्षा और लेखापरीक्षक) नियम, 2014, के नियम 11 के अनुसार लेखा परीक्षा रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में :
- i. कम्पनी ने अपने वित्तीय विवरणों के नोट संख्या 32(XLII) में लंबित मुकदमों के प्रभाव का प्रकटीकरण किया है।
- ii. कम्पनी के डेरियेटिव सहित ऐसे कोई दीर्घकालिक अनुबंध नहीं किए गए हैं जिनसे हानियों की किसी प्रकार की कोई संभावना हो।
- iii. ऐसी कोई राशियां नहीं थी जिन्हें कम्पनी के निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि में अंतरित किए जाने आवश्यकता हुई हो।
- iv. (क) प्रबंधन ने यह प्रस्तुति दी है कि उनकी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार तथा नोट संख्या 32(XLII) में किए गए प्रकटीकरण के अनुसार, कम्पनी द्वारा विदेशी इकाईयों, ("मध्यस्थों") सहित किसी अन्य व्यक्ति अथवा इकाई को किसी निधि का अग्रिम अथवा ऋण नहीं दिया गया है अथवा निवेश (ऋण पर प्राप्त निधियों अथवा शेयर प्रीमियम अथवा अन्य स्रोतों से अथवा अन्य प्रकार की निधियों में किसी में से) इस सहमति, लिखित अथवा अन्यथा स्वरूप में, के साथ नहीं किया गया है कि मध्यस्थ द्वारा, प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में, कम्पनी अथवा कम्पनी की ओर से ("अंतिम लाभग्राहियों") अन्य व्यक्तियों अथवा निर्धारित इकाईयों को ऋण अथवा उनमें निवेश अथवा कोई गारंटी, प्रतिभूति अथवा, अंतिम लाभग्राहियों की ओर से किसी प्रकार की प्रतिभूति प्रदान की जाएगी;

- (ख) प्रबंधन ने यह प्रस्तुति दी है कि उनकी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार तथा नोट संख्या 32(XLII) में किए गए प्रकटीकरण के अनुसार, कम्पनी ने विदेशी इकाई ("निधियन पार्टी") सहित किसी व्यक्ति (व्यक्तियों) अथवा इकाई (इकाईयों) से किसी निधि का अग्रिम अथवा ऋण की प्राप्ति इस सहमति, लिखित अथवा अन्यथा स्वरूप में, के साथ नहीं की है कि कम्पनी द्वारा, प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में, निधियन पार्टी ("अंतिम लाभग्राहियों") की ओर से अन्य व्यक्तियों अथवा निर्धारित इकाईयों को ऋण अथवा उनमें निवेश अथवा कोई गारंटी, प्रतिभूति अथवा, अंतिम लाभग्राहियों की ओर से किसी प्रकार की प्रतिभूति प्रदान की जाएगी;
- ग) हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं, जिनका उपयोग परिस्थितियों के अनुसार औचित्यपरक एवं यथोचित समझा गया है, से हमारी जानकारी में ऐसा कुछ प्रकाश में नहीं आया है जिसके प्रभाव से ऐसा माना जा सके कि उपर्युक्त उप-खंड (क) एवं (ख) में की गई प्रस्तुति में किसी प्रकार का कोई मिथ्याकथन है।
- v. कम्पनी द्वारा वर्ष के दौरान कोई लाभांश घोषित अथवा चुकता नहीं किया गया है।
- vi. हमारे द्वारा की गई जांच, जिसमें औचक जांच भी शामिल है, के आधार पर कम्पनी द्वारा 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए आईआईएसपी (टीसीएस साफ्टवेयर) तथा डी बेस 3 का क्रमशः उपयोग अपनी लेखा बहियों के अनुरक्षण तथा मूल्यहास की गणना के लिए किया गया है। आईआईएसपी साफ्टवेयर में ऑडिट ट्रेल (एडिट लॉग) सुविधा रिकॉर्ड करने की सुविधा है तथा इसका परिचालन (क) एकीकृत सूचना प्रणाली पैकेज (119) के कार्यात्मक इंटरफेस में टाइम स्टैम्प को कैप्चर नहीं किया जा सका है, (ख) डी बेस 3 के लिए ऑडिट ट्रेल का सत्यापन करने से संबंधित कोई प्रमाण उपलब्ध

नहीं करवाया गया है। तदनुसार, हम इस साफ्टवेयर के उपयोग से संसाधित किए गए आंकड़ों की सत्यता के बारे में कोई टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा, लेखापरीक्षा की प्रक्रिया के दौरान हमारे सम्मुख ऐसी कोई स्थिति उत्पन्न नहीं हुई है जिसमें उस अवधि के लिए आईआईएसपी (टीसीएस साफ्टवेयर) के साथ ऑडिट ट्रेल फीचर में कोई छेड़खानी की गई हो जिस अवधि में ऑडिट ट्रेल को उपयोग के लिए सक्षम किया गया था।

- vii. कम्पनी (लेखा) नियमावली, 2014 के नियम 3(1) का परंतुक चूंकि कम्पनी के संबंध में 1 अप्रैल, 2023 से लागू है अतः ऑडिट ट्रेल के परिरक्षण से संबंधित कम्पनी (लेखापरीक्षा एवं लेखापरीक्षक) नियमावली, 2014 के नियम 11(जी) के अंतर्गत रिकार्ड परिरक्षण से जुड़ी सांविधिक अपेक्षा 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए लागू नहीं हैं।
- ज) अधिनियम की धारा 143(5) की कम्पनी के संबंध में भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी निर्देशों एवं उप निर्देशों से संबंधित अपनी "अनुलग्नक - III" में प्रस्तुत किए गए हैं।

कृते लूथरा एंड लूथरा एलएलपी
सनदी लेखाकार

एफ. आर. सं.: 002081एन/एन500092

ह/-

निलेश मेहता

साझीदार

एम. सं.: 093847

स्थान: नई दिल्ली

तिथि: 19.05.2025

यूडीआईएन: 25093847BMMHWU99101

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक क

यह अनुलग्नक कम्पनी के सदस्यों को संबोधित कम्पनी के 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों से संबंधित स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के संदर्भ में है।

1. कम्पनी की संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण तथा अमूर्त संपत्तियों के संबंध में:
 - क. कम्पनी में कॉर्पोरेट कार्यालय अलावा संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के मात्रात्मक विवरण तथा स्थिति सहित पूर्ण विवरण दर्शाने वाले उचित रिकार्डों का अनुरक्षण नहीं किया है (उत्तरी एवं पश्चिमी क्षेत्र के रिकार्ड उचित नहीं हैं)।
 - ख. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कम्पनी के कॉर्पोरेट कार्यालय में अमूर्त संपत्तियों का पूर्ण विवरण दर्शाने वाले उचित रिकार्ड का रख-रखाव किया जा रहा है। तथापि, उत्तरी क्षेत्र के संबंध में, कम्पनी ने अमूर्त संपत्तियों का पूर्ण विवरण दर्शाने वाले उचित रिकार्ड का अनुरक्षण नहीं किया है। पश्चिमी क्षेत्र के संबंध में, कम्पनी के पास कोई अमूर्त संपत्ति नहीं है तथा तदनुसार, इस उप-खंड के प्रावधान उस क्षेत्र पर लागू नहीं हैं।
 - ग. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कम्पनी में अपनी संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों के भौतिक सत्यापन का एक नियमित कार्यक्रम स्थापित है जिसके अनुसार संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों का भौतिक सत्यापन 3 वर्षों की अवधि में चरणबद्ध विधि से किया जाता है, जो हमारे मतानुसार कम्पनी के आकार तथा इसके व्यवसाय की प्रकृति के विचार से पर्याप्त नहीं है। प्रासंगिक जानकारी उपलब्ध न होने के कारण हम वर्ष के दौरान किसी भौतिक असंगति के बारे में कोई टिप्पणी नहीं कर पा रहे हैं। कम्पनी में पश्चिमी क्षेत्र की प्रत्येक संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण पिछले वर्ष प्रबंधन द्वारा अपने योजनागत कार्यक्रम के अनुसार भौतिक रूप से सत्यापित नहीं किए गए थे।
- इसके अलावा, 13,181.37 लाख रुपए के सकल मूल्य के रोटेबल्स एवं मरम्मत योग्य सामग्री मरम्मत के लिए भेजी गई थी तथा वर्ष के अंत तक ये विदेशी ओईएम के पास रखे हुए थे। कम्पनी ने संबंधित ओईएम से इस आशय की पुष्टि प्राप्त नहीं की है कि ये उनके पास रखे हुए हैं। वित्तीय वर्ष 23-24 में उत्तरी क्षेत्र में किए गए भौतिक सत्यापन से संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के भौतिक सत्यापन और लेखा बहियों के अनुसार 586 मदों का अंतर देखने में आया है तथा इस अंतर का मूल्य निर्धारित नहीं किया जा सकता है, जिसके कारण लेखा बहियों में विसंगतियों का समायोजन नहीं किया गया है। कॉर्पोरेट कार्यालय के संबंध में, पिछले वर्ष के दौरान भौतिक सत्यापन नहीं किया गया है, अंतिम सत्यापन अगस्त 2020 में किया गया था।
- घ. इंड एस वित्तीय विवरणों के नोट संख्या 32(III)(ख) में संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के संबंध में किए गए प्रकटीकरण के अनुसार पश्चिमी क्षेत्र में आवासीय भवन (जेएचसी) के अलावा अचल परिसम्पत्तियों के हक विलेख, जिसकी भूमि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) के नाम पर पंजीकृत है, कम्पनी के नाम पर हैं तथा क्षेत्र में 242 फ्लैटों का निर्माण किया था, जिनमें से 50 फ्लैट भाविप्रा को आंशिक रूप से 25 वर्षों की अवधि के लिए उक्त भूमि के प्रति पट्टा किराए पर दिए गए थे। इसके अलावा, संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के नोट संख्या 32(III)(ख) में उल्लिखित एमएचएडीए के 6 म्हाडा फ्लैटों का कब्जा कम्पनी के पास है, परन्तु इन फ्लैटों का हक विलेख कम्पनी के नाम से पंजीकृत नहीं है। इन फ्लैटों का विवरण नीचे दिया गया है:

सम्पत्ति का विवरण	सकल वहन मूल्य	किसके नाम से धारित	क्या प्रमोटर, निदेशक अथवा उनके कोई संबंधी अथवा प्रमोटर हैं	धारण की अवधि (रेंज का उल्लेख करें)	कम्पनी के नाम से धारित न होने के कारण
आवासीय फ्लैट	लागू नहीं	एमएचएडीए	लागू नहीं	1998 से अब तक	स्टाम्प ड्यूटी का भुगतान न किए जाने के कारण

इसके अलावा, निम्नलिखित कुछ आवासीय फ्लैट ऐसे हैं जिनका शेयर प्रमाणपत्र पश्चिम क्षेत्र में कम्पनी के नाम से धारित नहीं है:-

फ्लैट संख्या	स्थल	टिप्पणी
वृंदावन सोसायटी	2-बी-105, कांदिवली	शेयर प्रमाणपत्र नहीं
ओशिवाड़ा सोसायटी	13-107, मालाड	शेयर प्रमाणपत्र नहीं
ओशिवाड़ा सोसायटी	13-702, मालाड	दस्तावेज उपलब्ध नहीं करवाए गए
ओशिवाड़ा सोसायटी	23-401, मालाड	दस्तावेज उपलब्ध नहीं करवाए गए

- ड. कम्पनी ने वर्ष के दौरान अपनी किसी सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण तथा अमूर्त परिसम्पत्तियों का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया है।
- च. हमें प्रस्तुत सूचना एवं दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार तथा हमारे द्वारा किए गए रिकार्डों के सत्यापन के आधार पर बेनामी संव्यवहार(प्रतिबंध) अधिनियम, 1988 (2016 में यथा संशोधित) तथा इसके अध्याधीन निर्मित नियमों के अंतर्गत वर्ष के दौरान कोई प्रक्रिया प्रारम्भ नहीं की गई है अथवा 31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार लंबित नहीं है।
2. क. हमें प्रस्तुत सूचना एवं दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार प्रबंधन द्वारा पश्चिमी तथा उत्तरी क्षेत्रों में उचित अंतराल में मालसूचियों का भौतिक सत्यापन किया गया है, जिसमें तृतीय पार्टियों के पास रखी गई मालसूची तथा मार्गस्थ मालसूची शामिल नहीं है। तथापि, उत्तरी क्षेत्र में किए गए भौतिक सत्यापन के दौरान लेखा बहियों की तुलना में 2.33 लाख रुपए की राशि की 12 अतिरिक्त मालसूची मदे पाई गई हैं। लेखा बहियों में इन विसंगतियों के बारे में यथोचित प्रक्रिया नहीं की गई है। डिटेचमेंट के लिए भंडार एवं कलपुर्जा के मामले में इन्हें मुम्बई से जारी किया जाता है तथा वर्ष के अंत में भंडार एवं कलपुर्जा का अंत भंडार पश्चिम क्षेत्र में संबंधित डिटेचमेंट द्वारा प्रस्तुत भौतिक सत्यापन रिपोर्टों के आधार पर रिकार्डबद्ध किया जाता है। इसके अलावा बही मात्रा तथा वास्तविक मात्रा के मध्य मालसूची मूवमेंट के किसी प्रकार व्यतिक्रम को हटाने के लिए यथोचित आंतरिक नियंत्रण स्थापित किए जाने चाहिए।
- ख. कम्पनी को वर्ष के दौरान किसी भी समय, चालू परिसंपत्तियों की प्रतिभूति के आधार पर बैंकों अथवा वित्तीय संस्थानों से कुल 5 करोड़ रुपएसे अधिक की कार्यशील पूंजी सीमा स्वीकृत नहीं की गई है, अतः खंड 3(ii)(ख) के अंतर्गत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।
3. हमारे मतानुसार एवं हमें प्रस्तुत सूचना एवं दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, कम्पनी ने किन्हीं कंपनियों, फर्मों, सीमित देयता भागीदारी अथवा किसी अन्य पार्टियों को न तो कोई गारंटी अथवा प्रतिभूति अथवा कोई ऋण अथवा अग्रिम राशि प्रदान की है और न ही प्रतिभूत अथवा अप्रतिभूत ऋण के रूप में कोई निवेश किया है। इस प्रकार आदेश के खंड 3(iii) के अंतर्गत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।
4. हमारे मतानुसार एवं हमें प्रस्तुत सूचना एवं दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, कम्पनी द्वारा किसी ऋण, निवेश, गारंटी और सुरक्षा नहीं दी गई है/प्रदान नहीं की है तथा तदनुसार अधिनियम की धारा 185 और 186 के प्रावधान लागू नहीं हैं।
5. हमें प्रस्तुत सूचना एवं दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, कम्पनी ने कोई ऐसे जमा अथवा किसी ऐसी धनराशि की प्राप्ति नहीं की गई है जिसे जमा माना जाता है। अतः, आदेश के खंड 3(v) के अंतर्गत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।
6. हमें दी गई जानकारी और दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, केंद्र सरकार ने कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 148(1) के अंतर्गत कम्पनी द्वारा निर्मित उत्पादों (और/या प्रदान की गई सेवाओं) के लिए लागत अभिलेखों के अनुरक्षण का प्रावधान नहीं किया है। तदनुसार, आदेश का खंड 3(vi) लागू नहीं है।

7. क) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कम्पनी सामान्यतः माल एवं सेवा कर, भविष्य निधि, आयकर, बिक्री कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, मूल्य संवर्धन कर, उपकर तथा उनके संबंध में लागू अन्य सामग्रीगत सांविधिक देय राशियों सहित अविवादित देय राशियों का भुगतान नियमित रूप से संबंधित प्राधिकरणों को जमा किया जाता है। तथापि, कुछ मामलों में टीडीएस, व्यावसायिक कर और माल एवं सेवा कर (उत्तरी क्षेत्र के अधिकांश राज्यों में) जमा करने में देरी देखने में आई है। वर्ष के दौरान व्यावसायिक कर, भविष्य निधि, स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) तथा जीएसटी पर टीडीएस की क्रमशः **0.29 लाख रुपए**, 48.23 लाख रुपए,

0.30 लाख रुपए तथा 0.023 लाख रुपए की राशि देय थी तथा आयकर पोर्टल (टीआरएसीईएस) पर टीडीएस के बकाया 65.02 लाख रुपए दर्शाए गए हैं जो वित्तीय वर्ष के अंतिम बकाया थे तथा भुगतान की देय तिथि से छह माह से अधिक अवधि के हैं।

- ख) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, नीचे उल्लिखित के अलावा, आयकर, भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, बिक्री कर, सेवा कर, माल और सेवा कर, मूल्य वर्धित कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और उपकर का कोई बकाया नहीं है जो 31 मार्च, 2024 तक किसी विवाद के कारण कम्पनी द्वारा चुकता नहीं किया गया हो:

क्र. सं.	विधि व्यवस्था विवरण	देयता	राशि (रुपए लाख में)*	राशि से संबद्ध अवधि	विवादित मामला कहां लंबित है
1	वित्त अधिनियम, 1994	सेवा कर	532.31 (71.21)	वि.वर्ष 2009-10	अपीलिय ट्रिब्यूनल, मुम्बई
2	वित्त अधिनियम, 1994	सेवा कर	447.43	वि.वर्ष 2010-11	अपीलिय ट्रिब्यूनल, मुम्बई
3	वित्त अधिनियम, 1994	सेवा कर	551.39	वि.वर्ष 2011-12	अपीलिय ट्रिब्यूनल, मुम्बई
4	वित्त अधिनियम, 1994	सेवा कर	274.07 (50.51)	वि.वर्ष 2012-13	अपीलिय ट्रिब्यूनल, मुम्बई
5	वित्त अधिनियम, 1994	सेवा कर	482.40 (43.00)	वि.वर्ष 2014-15	अपीलिय ट्रिब्यूनल, मुम्बई
6	वित्त अधिनियम, 1994	सेवा कर	223.50 (20.07)	वि.वर्ष 2015-16	अपीलिय ट्रिब्यूनल, मुम्बई
7	वित्त अधिनियम, 1994	सेवा कर	354.08 (33.29)	वि.वर्ष 2016-17	अपीलिय ट्रिब्यूनल, मुम्बई
8	वित्त अधिनियम, 1994	सेवा कर	31.84 (2.69)	वि.वर्ष 2017-18	अपीलिय ट्रिब्यूनल, मुम्बई
9	वित्त अधिनियम, 1994	दंड	182.20 (13.66)	वि.वर्ष 2009-13	अपीलिय ट्रिब्यूनल, मुम्बई
10	आयकर अधिनियम, 1961	व्ययों एवं ब्याज की अस्वीकृति	4742 (5046.84)	वि.वर्ष 1999-00	आईटीएटी, दिल्ली
11	आयकर अधिनियम, 1961	व्ययों एवं ब्याज की अस्वीकृति	2556 (3277.93)	वि.वर्ष 2000-01	आईटीएटी, दिल्ली
12	आयकर अधिनियम, 1961	व्ययों एवं ब्याज की अस्वीकृति	131.37	वि.वर्ष 2019-20	सीआईटी (अपील), दिल्ली

क्र. सं.	विधि व्यवस्था विवरण	देयता	राशि (रुपए लाख में)*	राशि से संबद्ध अवधि	विवादित मामला कहां लंबित है
13	आयकर अधिनियम, 1961	व्ययों एवं ब्याज की अस्वीकृति	628.71 (1254.09)	वि.वर्ष 2020-21	सीआईटी (अपील), दिल्ली
14	केन्द्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017	धारा 73(9) के अंतर्गत ब्याज एवं दंड	12.10	वि.वर्ष 2017-18	राज्य कर विभाग, नोएडा, उत्तर प्रदेश

8. हमें प्रदान की गई सूचना तथा दिए गए स्पष्टीकरण एवं कम्पनी के रिकार्डों की हमारे द्वारा की गई जांच के आधार पर पूर्व रिकार्ड की गई आय से संबंधित कोई भी ऐसा संव्यवहार नहीं हुआ है जो आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत कर निर्धारण वर्ष में आय के रूप में प्रस्तुत अथवा प्रकट किया गया हो।
9. क. हमें प्रदान की गई सूचना तथा दिए गए स्पष्टीकरण एवं कम्पनी के रिकार्डों की हमारे द्वारा की गई जांच के आधार पर कम्पनी ने वर्ष के दौरान किसी भी ऋणदाता को ऋण अथवा उधार के पुनर्भुगतान अथवा उस पर ब्याज के भुगतान में चूक नहीं की है।
ख. हमें दी गई सूचना और दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, कम्पनी को किसी भी बैंक अथवा वित्तीय संस्थान अथवा सरकार अथवा किसी सरकारी प्राधिकरण द्वारा स्वेच्छाचारी चूककर्ता घोषित नहीं किया गया है।
ग. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कम्पनी ने कोई सावधि ऋण नहीं लिया है, तदनुसार आदेश के खंड 3(ix)(ग) पर रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।
घ. कम्पनी के वित्तीय विवरणों की समग्र जांच से यह ज्ञात हुआ है कि अल्पावधि आधार पर जुटाई गई धनराशि का, प्रथम दृष्टया उपयोग वर्ष के दौरान कम्पनी द्वारा दीर्घकालिक उद्देश्यों से नहीं किया गया है।
ड. कम्पनी के वित्तीय विवरणों की समग्र जांच से यह ज्ञात हुआ है कि कम्पनी ने किसी इकाई अथवा व्यक्ति से कोई निधियां अथवा अपनी सहायक कम्पनियों के दायित्वों की पूर्ति के लिए कोई निधियां प्राप्त नहीं की गई हैं। कम्पनी की कोई सहायक कम्पनी अथवा संयुक्त उद्यम नहीं है।
च. हमें प्रदान की गई सूचना तथा दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, कम्पनी ने वर्ष के दौरान अपनी प्रतिभूतियों, संयुक्त उद्यमों अथवा सहयोगी कंपनियों में रखी गई प्रतिभूतियों को रेहन रखकर कोई ऋण नहीं लिया है तथा इस प्रकार आदेश के खंड 3(ix)(एफ) के अंतर्गत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।
10. क. कम्पनी ने वर्ष के दौरान आरंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव अथवा फर्दर सार्वजनिक प्रस्ताव (ऋण लिखतों सहित) के माध्यम से कोई धनराशि नहीं जुटाई है। इस प्रकार आदेश के खंड 3(x)(ए) के अंतर्गत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।
ख. हमें दी गई जानकारी और प्रस्तुत स्पष्टीकरणों तथा कम्पनी के रिकार्डों की हमारे द्वारा की गई जांच के आधार पर, कम्पनी ने वर्ष के दौरान शेयरों अथवा पूर्ण अथवा आंशिक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर का कोई अधिमान्य आवंटन अथवा निजी प्लेसमेंट नहीं किया है। तदनुसार, आदेश का खंड 3(x)(ख) लागू नहीं है।
11. क. हमें प्रस्तुत सूचना और दिए गए स्पष्टीकरणों तथा हमारे द्वारा कम्पनी के रिकार्डों की जांच के आधार पर, हमारी लेखापरीक्षा के दौरान कम्पनी द्वारा अथवा कम्पनी के प्रति कोई जालसाजी प्रकाश में नहीं आई है अथवा रिपोर्ट नहीं की गई है।

- ख. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार, कम्पनी अधिनियम की धारा 143 की उप-धारा (12) के अंतर्गत कम्पनी (लेखापरीक्षा एवं लेखापरीक्षक) नियम, 2014 के नियम 13 के अंतर्गत निर्धारित प्रपत्र एडीटी-4 में वर्ष के दौरान और इस रिपोर्ट की तिथि तक केंद्र सरकार के समक्ष कोई रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई है।
- ग. प्रबंधन से प्राप्त सूचना के अनुसार वर्ष के दौरान कम्पनी को कोई व्हिसलब्लोअर शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।
12. हमारे मतानुसार तथा हमें प्रदान की गई सूचना एवं दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार यह कम्पनी निधि कम्पनी नहीं है तथा तदनुसार आदेश के खंड (xii) के अंतर्गत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।
13. हमें प्रदान की गई सूचना एवं दिए गए स्पष्टीकरणों और कम्पनी के रिकार्डों की हमारे द्वारा की गई जांच के आधार पर कम्पनी सम्बद्ध पक्षकारों के साथ लागू संव्यवहार के संबंध में कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 और 188 का अनुपालन कर रही है तथा सम्बद्ध पक्षकारों के साथ संव्यवहार का वित्तीय विवरणों में विवरण का प्रकटीकरण लागू भारतीय लेखा मानकों के अनुसार किया गया है।
14. क) हमारे मतानुसार कम्पनी में आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली स्थापित है, तथापि लेखा परीक्षा के दायरे एवं इसकी प्रभावशीलता में सुधार की आवश्यकता है।
- ख) हमने अपनी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं की प्रकृति, समय और सीमा का निर्धारण करने के लिए वर्ष के दौरान और आज तक कम्पनी को जारी की गई लेखा परीक्षा के अंतर्गत वर्ष की आंतरिक लेखा परीक्षा रिपोर्टों को विचार में लिया है।
15. हमें दी गई सूचना और प्रस्तुत स्पष्टीकरणों तथा कम्पनी के रिकार्डों की हमारी जांच के आधार पर, कम्पनी ने निदेशकों अथवा उनसे सम्बद्ध व्यक्तियों के साथ कोई गैर-नकद संव्यवहार नहीं किया है। इसलिए आदेश के खंड (w) के अंतर्गत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।
16. क. हमारे मतानुसार, कम्पनी से भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-IA के अंतर्गत पंजीकृत किए जाने की अपेक्षा नहीं है। अतः आदेश के खंड 3(xvi)(क), (ख) और (ग) के अंतर्गत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती।
- ख. हमारे मतानुसार, समूह के अंतर्गत कोई कोर निवेश कम्पनी नहीं है (जैसा कि कोर निवेश कंपनियां (रिज़र्व बैंक) निर्देश, 2016 में परिभाषित है) और तदनुसार आदेश के खंड 3(xvi)(घ) के अंतर्गत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।
17. कम्पनी को हमारे लेखापरीक्षा द्वारा कवर किए गए वित्तीय वर्ष तथा पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान कोई नकद हानि नहीं हुई है।
18. वर्ष के दौरान कम्पनी के किसी भी सांविधिक लेखा परीक्षक ने त्यागपत्र नहीं दिया है।
19. वित्तीय अनुपातों, वित्तीय परिसम्पत्तियों के उपयोग्यता काल तथा उनसे प्रतिफल प्राप्ति की संभावित तिथियों तथा वित्तीय देयताओं के भुगतान, वित्तीय विवरणों से सम्बद्ध अन्य सूचना एवं हमें ज्ञात निदेशक मंडल तथा प्रबंधन की योजनाओं तथा हमारे द्वारा की गई जांच एवं अनुमानों को समर्थन करने वाले प्रमाणों के आधार पर हमारी जानकारी में ऐसा कुछ नहीं आया है, जिससे लेखापरीक्षा की तिथि को ऐसी कोई तथ्यात्मक अनिश्चितता हमें यह विश्वास करने पर बाध्य करे कि तुलन पत्र की तिथि से एक वर्ष की अवधि में देय होने पर कम्पनी तुलन पत्र की तिथि को अपनी विद्यमान देयताओं की पूर्ति करने में समर्थ नहीं होगी। हम, तथापि, यह उल्लेख करना चाहते हैं कि यह कम्पनी की भावी व्यवहार्यता के प्रति किसी प्रकार का कोई आश्वासन नहीं है। हम आगे यह भी उल्लेख करते हैं कि हमारी रिपोर्टिंग लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तिथि तक के तथ्यों पर आधारित है तथा हम इसके संबंध में न तो कोई गारंटी अथवा कोई आश्वासन दे रहे हैं कि तुलन पत्र की तिथि तक देय सभी देयताओं का तब कम्पनी द्वारा निवर्हन कर लिया जाएगा जब वे देय होंगी।

20. हमें प्रदान की गई सूचना तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों तथा कम्पनी के रिकार्डों के संबंध में हमारे द्वारा की गई जांच के आधार पर, कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 में उल्लिखित कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व के प्रावधान इंड एस वित्तीय विवरणों के नोट संख्या 32(XV) में किए गए उल्लेख के कारण कम्पनी के संबंध में लागू नहीं हैं।
21. हमारे मतानुसार तथा हमें प्राप्त सूचना एवं दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार कम्पनी (लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट) आदेश, 2020 के अंतर्गत पश्चिम क्षेत्र के शाखा लेखापरीक्षक द्वारा किसी प्रकार की ऐसी कोई अलग अर्हता अथवा प्रतिकूल टिप्पणी नहीं की गई है जो इन वित्तीय विवरणों में शामिल हो। सीएआरओ रिपोर्ट पश्चिम क्षेत्र के संबंधित लेखापरीक्षक द्वारा की गई अर्हता अथवा प्रतिकूल टिप्पणी का मदवार समावेश / विलय कॉर्पोरेट क्षेत्र तथा उत्तरी क्षेत्र की रिपोर्टिंग में सीएआरओ रिपोर्ट के साथ क्रमशः किया गया है।

कृते लूथरा एंड लूथरा एलएलपी

सनदी लेखाकार

एफ. आर. सं.: 002081एन/एन500092

ह/-

निलेश मेहता

(साझीदार)

एम. सं.: 093847

स्थान: नई दिल्ली

तिथि: 23.06.2025

यूडीआईएन: 25093847BMMHWU6400

लेखे

पवन हंस लिमिटेड
31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के तुलन पत्र

(रुपए लाख में)

विवरण	नोट संख्या	31 मार्च, 2024 की स्थिति	31 मार्च, 2023 की स्थिति	1 अप्रैल, 2022 की स्थिति
परिसम्पत्तियां				
(1) गैर-चालू परिसम्पत्तियां				
(क) सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण	3.1	83,977.75	86,694.91	94,527.04
(ख) पुंजीगत कार्य प्रगति पर	3.1	461.61	73.21	891.67
(ग) अमूर्त परिसंपत्तियां	4	-	-	-
(घ) वित्तीय परिसंपत्ति				
(i) निवेश	5	-	-	-
(ii) ऋण	6	38.49	77.13	93.08
(iii) अन्य वित्तीय परिसंपत्ति संपत्तियां	7	393.88	475.70	514.81
(ड.) अन्य गैर-चालू परिसंपत्तियां	8	4,963.83	7,356.24	7,076.54
कुल गैर-चालू परिसंपत्तियां		89,835.55	94,677.19	1,03,103.14
(2) चालू परिसंपत्तियां				
(क) माल-सूची	9	5,348.96	5,497.64	6,231.50
(ख) वित्तीय परिसंपत्तियां				
(i) व्यापार प्राप्त्य	10	18,644.79	16,225.71	19,225.11
(ii) नकद और नकद समतुल्य	11.1	3,627.05	3,956.17	2,655.73
(iii) अन्य बैंक शेष	11.2	6,176.05	6,213.03	5,200.83
(iv) ऋण	12	247.09	313.18	330.98
(v) अन्य वित्तीय परिसंपत्ति	7	3,692.48	2,558.14	1,842.81
(ग) चालू कर परिसंपत्ति (निवल)	13	2,493.48	2,073.97	1,340.27
(घ) अन्य चालू परिसंपत्ति	8	5,835.74	6,271.42	4,503.57
(ड.) निपटान / वितरण के लिए रखे वर्गीकृत परिसंपत्तियां	32(XV)	-	1.65	5,528.27
कुल चालू परिसंपत्तियां		46,065.64	43,110.92	46,859.07
कुल परिसम्पत्तियां		1,35,901.19	1,37,788.11	1,49,962.21
इक्विटी एवं देयताएं				
(1) इक्विटी				
(क) इक्विटी शेयर पूंजी	14.1	55,748.20	55,748.20	55,748.20
(ख) अन्य इक्विटी	14.2	32,753.84	33,883.72	41,264.40
योग इक्विटी देयताएं		88,502.04	89,631.92	97,012.60
(2) गैर चालू देयताएं				
(क) वित्तीय देयताएं				
(i) ऋण	15	-	-	-
(ii) अन्य वित्तीय देयताएं	18	8,749.91	11,105.54	18,164.21
(ख) अन्य गैर चालू देयताएं	20	-	-	-
(ग) प्रावधान	16	4,971.11	4,626.18	4,391.56
(घ) आस्थगित कर देयताएं (निवल)	17	10,257.59	10,699.59	8,933.97
कुल गैर चालू देयताएं		23,978.61	26,431.32	31,489.74
(3) चालू देयताएं				
(क) वित्तीय देयताएं				
(i) व्यवसाय प्राप्त्य	19	6,788.33	6,940.08	6,186.60
(ii) अन्य वित्तीय देयताएं	18	9,743.64	7,730.19	6,163.84
(ख) अन्य चालू देयताएं	20	4,655.95	4,653.63	4,177.68
(ग) प्रावधान	21	2,232.61	2,400.98	4,315.50
(घ) चालू कर देयताएं (निवल)	13	-	-	-
कुल चालू देयताएं		23,420.54	21,724.87	20,843.62
(4) देयताओं से सीधे सम्बद्ध परिसम्पत्तियों का वर्गीकरण बिक्री के धारित के रूप में किया गया है।	32(XV)	-	-	616.25
कुल इक्विटी एवं देयताएं		1,35,901.19	1,37,788.11	1,49,962.21

नोट 1 से 32 वित्तीय विवरणों का अभिन्न भाग हैं।

यह वह बैलेंस शीट है जिसका संदर्भ हमारी समतिथि की रिपोर्ट में दिया गया है।

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

कृते लुथरा एंड लुथरा चार्टर्ड एकाउंटेंट्स एलएलपी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण सं. 002081एन/एन500092

ह/-
(निलेश मेहता)
साझेदार
सदस्यता संख्या 093847

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 19.05.2025
यूडीआईएन : 25093847BMMHW99101

ह/-
(रंजीत सिंह चौहान)
कम्पनी सचिव
सदस्यता संख्या एफ 8785
स्थान : नोएडा
दिनांक : 22.04.2025

ह/-
(संजीव राजदान)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन संख्या 08711596

ह/-
(अजय गुप्ता)
मुख्य वित्त अधिकारी
सदस्यता संख्या 079580



पवन हंस लिमिटेड
31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष का लाभ एवं हानि विवरण

(रुपए लाख में)

विवरण	नोट संख्या	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
I परिचालनों से राजस्व	22	38,812.40	41,515.96
II अन्य आय	23	5,485.51	2,713.59
योग आय (III)		44,297.91	44,229.55
IV व्यय			
हेलीकॉप्टर परिचालन एवं अनुरक्षण व्यय	24	12,944.08	15,149.36
कर्मचारी हितलाभ व्यय	25	15,732.70	15,758.19
वित्त लागतें	26	836.83	815.62
मूल्यहास एवं परिशोधन व्यय	27	10,373.91	9,896.57
अन्य व्यय	28	5,797.50	3,493.63
योगव्यय(IV)		45,685.02	45,113.38
V अपरिहार्य मदों एवं कर पूर्व लाभ /(हानि) (III-IV)		(1,387.11)	(883.84)
VI अपरिहार्य मदें	29		-
VII कर पूर्व लाभ /(हानि) (V-VI)		(1,387.11)	(883.84)
VIII कर व्यय :			
(1) कराधान के लिए प्रावधान		300.00	-
(2) पूर्व वर्षों के आयकर के लिए प्रावधान		67.17	-
(3) आस्थगित कर		(498.59)	1,709.22
		(131.42)	1,709.22
IX अवधि में जारी परिचालनों से लाभ /(हानि) (VII-VIII)		(1,255.68)	(2,593.05)
X समाप्त किए गए प्रचालन			
बंद परिचालनों से कर पूर्व लाभ /(हानि)			-
बंद परिचालनों का कर व्यय			
XI अन्य व्यापक आय			
(क) अनुवर्ती अवधियों में लाभ अथवा हानि के रूप में पुनः वर्गीकरण की जाने वाली अन्य व्यापक आय:			
(i) उपर्युक्त पर निवल लाभ/(हानि)			
(ii) उपर्युक्त पर कर प्रभाव			
(ख) अनुवर्ती अवधियों में लाभ अथवा हानि के रूप में पुनः वर्गीकरण न की जाने वाली अन्य व्यापक आय:			
(i) उपर्युक्त पर निवल लाभ/(हानि)	30	181.37	180.78
(ii) उपर्युक्त पर कर प्रभाव		(56.59)	(56.40)
		124.78	124.38
XII अवधि (IX+ X+XI) से संबंधित कुल व्यापक आय (लाभ/(हानि) तथा अवधि में अन्य व्यापक आय के योग युक्त)		(1,130.90)	(2,468.68)
XIII प्रति इक्विटी शेयर आय	31		
-जारी परिचालन			
(1) बेसिक		(203)	(443)
(2) डायल्युटिड		(203)	(443)
-बंद परिचालन			
(1) बेसिक		-	-
(2) डायल्युटिड		-	-

नोट 1 से 32 वित्तीय विवरणों का अभिन्न भाग हैं।

यह वह बैलेंस शीट है जिसका संदर्भ हमारी समतिथि की रिपोर्ट में दिया गया है।

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

ह/-

(संजीव राजदान)

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन संख्या 08711596

कृते लुथरा एंड लुथरा चार्टर्ड एकाउंटेंट्स एलएलपी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण सं. 002081एन/एन500092

ह/-

(निलेश मेहता)

साझेदार
सदस्यता संख्या 093847

ह/-

(रंजीत सिंह चौहान)

कम्पनी सचिव
सदस्यता संख्या एफ 8785
स्थान : नोएडा
दिनांक : 22.04.2025

ह/-

(अजय गुप्ता)

मुख्य वित्त अधिकारी
सदस्यता संख्या 079580

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 19.05.2025
यूडीआईएन : 25093847BMMHW99101

पवन हंस लिमिटेड
31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष का इक्विटी परिवर्तन विवरण

(रुपए लाख में)

विवरण	इक्विटी शेयर पूंजी	आवंटन पूर्व शेयर आवंटन राशि	आरक्षित तथा अतिरिक्त		अन्य व्यापक आय की मदें		योग अन्य इक्विटी
			सामान्य आरक्षित	धारित आय	इक्विटी उपकरण के माध्यम से अन्य विस्तृत आय	अन्य विस्तृत आय की अन्य मदें	
1 अप्रैल, 2022 की स्थिति	55,748.20	-	2,050.00	40,489.80	(95.65)	(792.95)	41,651.20
लेखांकन नीति में परिवर्तन	-	-	-	-	-	-	-
पूर्वावधि चूकें	-	-	-	(386.80)	-	-	(386.80)
रिपोर्टिंग अवधि के आरंभ में पुनर्लेखित शेष	55,748.20	-	2,050.00	40,103.00	(95.65)	(792.95)	41,264.40
वर्ष के दौरान जारी परिचालनों से लाभ / (हानि)	-	-	-	(2,593.05)	-	-	(2,593.05)
अन्य व्यापक आय	-	-	-	-	-	124.38	124.38
वर्ष के दौरान अन्य व्यापक आय	55,748.20	-	-	(2,593.05)	-	124.38	(2,468.68)
लाभभंडा	-	-	-	-	-	-	-
लाभभंडा वितरण कर का भुगतान	-	-	-	-	-	-	-
विलय समाप्ति पर रो.हे.लि. को परिसम्पत्तियों (देयताओं का निवल) का अंतरण	-	-	-	(4,912.02)	-	-	(4,912.02)
धारित आय में अंतरित	-	-	-	-	-	-	-
अन्य कोई परिवर्तन	-	-	-	-	-	-	-
31 मार्च, 2023 की स्थिति	55,748.20	-	2,050.00	32,597.93	(95.65)	(668.57)	33,883.72
लेखांकन नीति में परिवर्तन	-	-	-	-	-	-	-
रिपोर्टिंग अवधि के प्रारंभ में पुनर्लेखित शेष	-	-	-	(1,255.68)	-	-	(1,255.68)
वर्ष के दौरान जारी परिचालनों से लाभ / (हानि)	-	-	-	-	-	124.78	124.78
अन्य व्यापक आय	-	-	-	-	-	-	-
वर्ष के दौरान कुल व्यापक आय	55,748.20	-	2,050.00	31,342.24	(95.65)	(543.79)	32,752.81
लाभभंडा	-	-	-	-	-	-	-
लाभभंडा वितरण कर का भुगतान	-	-	-	-	-	-	-
धारित आय में अंतरित	-	-	-	1.04	-	-	1.04
अन्य कोई परिवर्तन	-	-	-	-	-	-	-
31 मार्च, 2024 की स्थिति	55,748.20	-	2,050.00	31,343.28	(95.65)	(543.79)	32,753.85

नोट 1 से 32 वित्तीय विवरणों का अभिन्न भाग हैं।

यह शेकडू प्रवाह विवरण समान तिथि की हमारी रिपोर्ट से संदर्भित है।

कृते लुथरा एंड लुथरा चार्टर्ड एकाउंटेंट्स एलएलपी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण सं. 002081एन/एन500092

ह/-

(निलेश मेहता)

साझेदार

सदस्यता संख्या 093847

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक : 19.05.2025

यूडीआईएन : 25093847BMMHW99101

ह/-

(रंजीत सिंह चौहान)

कम्पनी सचिव

सदस्यता संख्या एक 8785

स्थान : नोएडा

दिनांक : 22.04.2025

ह/-

(संजीव राजदान)

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

डीआईएन संख्या 08711596

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

ह/-

(अजय गुप्ता)

मुख्य वित्त अधिकारी

सदस्यता संख्या 079580



पवन हंस लिमिटेड

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष का रोकड़ प्रवाह विवरण

(रुपए लाख में)

विवरण	यथा तिथि	
	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
क. परिचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
जारी परिचालनों से कर पूर्व निवल लाभ	(1,205.74)	(703.06)
बंद परिचालनों से कर पूर्व निवल लाभ	-	-
निम्नलिखित के लिए समायोजन:		
जारी परिचालन का मूल्यहास एवं परिशोधन व्यय (निवल)	10,373.91	9,896.57
बंद परिचालन का मूल्यहास एवं परिशोधन व्यय (निवल)	-	-
बैंक जमा से ब्याज आय	(365.47)	(340.40)
स्थिर परिसम्पत्तियों की बिक्री से लाभ	(2.29)	(6.67)
ब्याज लागत	836.83	815.62
बट्टा लेखित स्थिर परिसम्पत्तियां	56.17	343.28
संदेहास्पद नामे एवं अग्रिम / प्रत्याशित क्रेडिट हानियों के लिए प्रावधान	2,185.73	476.57
अचल मालसूची / उपयोग अवधि समाप्त मदों के लिए प्रावधान	364.63	212.82
अतृप्त विदेशी मुद्रा उतार चढ़ाव	-	-
स्थिर परिसम्पत्तियों की बिक्री से हानि	-	2.01
पुनर्लेखित अतिरिक्त प्रावधान (अन्य)	(956.98)	(2,221.64)
मालसूची न्यूनता / अतिरिक्त के लिए प्रावधान	16.56	4.68
पट्टा परिवर्तन से हानि	-	-
क्षमता हानि के लिए प्रावधान	-	-
डिटेचमेंट पर हानि के लिए प्रावधान	(0.01)	0.83
	12,509.08	9,183.68
कार्यशील पूंजी परिवर्तनों से पूर्व परिचालन लाभ	11,303.35	8,480.62
परिसम्पत्तियों एवं देयताओं में परिवर्तन	-	-
व्यापार प्राप्त	(4,351.59)	3,075.66
ऋण एवं अग्रिम तथा अन्य परिसम्पत्तियां	1,627.27	(1,113.33)
मालसूचियां	(640.29)	516.40
व्यापार देय, अन्य देयताएं तथा प्रावधान	(315.04)	(6,491.43)
परिचालनों से उत्पन्न नकदी	(3,679.66)	(4,012.70)
आयकर (चुकता) / प्राप्त	2,210.86	(1,175.42)
परिचालन गतिविधियों से उत्पन्न निवल नकदी	9,834.55	3,292.50
ख. निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
स्थिर परिसम्पत्तियों का क्रय	(9,278.03)	(4,498.95)
स्थिर परिसम्पत्तियों की बिक्री / बीमा दावा / समायोजन	10.30	7.54
पूंजी कार्य प्रगति पर	(461.61)	(71.43)
विलयन समाप्ति पर रोहिणी हेलीपोर्ट लिमिटेड को अंतरित स्थिर परिसम्पत्तियां	-	4,070.56
प्राप्त ब्याज	365.47	340.40
निवेश गतिविधियों में प्रयुक्त निवल नकदी	(9,363.87)	(151.88)
ग. वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
ब्याज लागत	(836.83)	(815.62)
दीर्घकालिक ऋणों का पुनर्भूगतान	-	(67.60)
वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह से उत्पन्न / (में प्रयुक्त) निवल नकदी	(836.83)	(883.23)
नकदी एवं नकदी समतुल्यो के उपयोग में निवल वृद्धि	(366.14)	2,257.39
अवधि के प्रारम्भ में नकदी एवं नकदी समतुल्य	10,169.04	7,911.65
अवधि की समाप्ति पर नकदी एवं नकदी समतुल्य	9,802.90	10,169.04
नोट:		
1. नकदी एवं नकदी समतुल्यो में निम्नलिखित शामिल हैं :		
जारी परिचालनों से संबंधित नकदी एवं नकदी समतुल्य	3,627.05	3,956.17
घटाए: बैंक में लाभांश लेखा का शेष	0.20	0.16
जारी परिचालनों से संबंधित निवल नकदी एवं नकदी समतुल्य (क)	3,626.85	3,956.01
बंद परिचालनों से संबंधित नकदी एवं नकदी समतुल्य (ख)	-	-
नकदी एवं नकदी समतुल्य (क+ख)	3,626.85	3,956.01
अन्य बैंक शेष (ग)	6,176.05	6,213.03
योग नकदी एवं नकदी समतुल्य (क+ख+ग)	9,802.90	10,169.04

नोट 1 से 32 वित्तीय विवरणों का अभिन्न भाग हैं।

नोट:

- कोष्ठक में दिए गए आंकड़े नकदी बहिर्प्रवाह से संबंधित हैं।
- उक्त नकदी प्रवाह विवरण का निर्माण इंड एस-7 नकदी प्रवाह विवरण में निर्धारित अप्रत्यक्ष के अनुसार किया गया है।
- नकदी एवं नकदी समतुल्यो के योग में 4385.86 लाख रुपए (पिछले वर्ष 3566.39 लाख रुपए) की मार्जिन धनराशि शामिल है।

यह वह नकदी प्रवाह विवरण है जिसका संदर्भ हमारी समतिथि की रिपोर्ट में दिया गया है।

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

ह/-

(संजीव राजदान)

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन संख्या 08711596

कृते लुथरा एंड लुथरा चार्टर्ड एकाउंटेंट्स एलएलपी

चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

फर्म पंजीकरण सं. 002081एन/एन500092

ह/-

(निलेश मेहता)

साझेदार

सदस्यता संख्या 093847

ह/-

(रंजीत सिंह चौहान)

कम्पनी सचिव

सदस्यता संख्या एफ 8785

स्थान : नोएडा

दिनांक : 22.04.2025

ह/-

(अजय गुप्ता)

मुख्य वित्त अधिकारी

सदस्यता संख्या 079580

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक : 19.05.2025

यूडीआईएन : 24097954BKBLAS8324

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ

1. कॉर्पोरेट सूचना

पवन हंस लिमिटेड ("कम्पनी") (सीआईएन संख्या यू 62200यूपी1985जीओआई129953) एक पब्लिक लिमिटेड कम्पनी है जिसका निगमन कम्पनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत 15 अक्टूबर, 1985 को हुआ था तथा भारत में स्थित इस कम्पनी का पंजीकृत कार्यालय सी-14, सेक्टर-1, नोएडा, जिला गौतम बुध नगर - 201 301 में स्थित है। यह कम्पनी सरकारी क्षेत्र का उपक्रम है तथा यह कम्पनी पंजीयक, उत्तर प्रदेश में पंजीकृत है।

कम्पनी भारत के विमानन सेक्टर का पथप्रदर्शक के रूप में नेतृत्व कर रही है तथा यह कम्पनी समग्र राष्ट्र को अवसंरचना निर्माण, मानव संसाधन तथा हेलीकॉप्टर प्रचालनों के संरक्षा स्तरों में संवर्धन के साथ साथ विविध श्रेणी की हेलीकॉप्टर सेवाएं प्रदान कर रही है। कम्पनी द्वारा विभिन्न राज्य सरकारों नामतः मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, गुजरात, गृह मंत्रालय, लक्षद्वीप प्रशासन, अंडमान एवं निकोबार प्रशासन, केदारनाथ के लिए हेलीकॉप्टर सेवाएं प्रदान करने के साथ साथ ओएनजीसी, एनटीपीसी, महाराष्ट्र पुलिस, आदि को भी अपनी सेवाएं दे रही हैं।

2. निर्माण का आधार

(i) अनुपालन विवरण

वित्तीय विवरणों का निर्माण एवं प्रस्तुति कम्पनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियमावली, 2015 के नियम 3 के साथ पठनीय कम्पनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम"), की धारा 133 के अंतर्गत निर्दिष्ट अनिवार्य भारतीय लेखांकन मानकों ("इंड एस") के अनुसरण के लिए सम्बद्ध प्रावधानों तथा भारत में सामान्यतः स्वीकृत अन्य लेखांकन सिद्धांतों का अनुपालन करते हुए भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों (जीएएपी) की अपेक्षाओं के अनुसार की गई है। कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के दिनांक 16 फरवरी, 2015 की अधिसूचना, जिसके माध्यम

से कम्पनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियमावली, 2015 अधिसूचित की गई है, के अनुसरण में कम्पनी द्वारा 1 अप्रैल, 2015 की अवस्थांतरण तिथि के साथ 1 अप्रैल, 2016 से भारतीय लेखांकन मानक (इंड एस) अंगीकार किए गए हैं।

वित्तीय विवरणों को जारी करने का प्राधिकार निदेशक मंडल द्वारा दिनांक 22 अप्रैल, 2025 को प्रदान किया गया है।

(ii) मापन का आधार

ये वित्तीय विवरण उचित मूल्य अथवा परिशोधन लागत पर मापन किए गए कुछ वित्तीय प्रपत्रों के अलावा ऐतिहासिक लागत के आधार पर तैयार किए गए हैं।

(iii) महत्वपूर्ण लेखांकन अनुमान तथा निर्धारण

इन वित्तीय विवरणों को तैयार करते समय प्रबंधन द्वारा वित्तीय विवरणों की तिथि के अनुसार लेखांकन नीतियों एवं सूचित परिसम्पत्तियों, देयताओं, आय एवं व्यय की राशियों, आकस्मिक देयताओं के प्रकटीकरण की उपयोज्यता पर प्रभावी होने वाले निर्धारण किए गए हैं, अनुमान लगाए गए हैं तथा पूर्वानुमान लगाए गए हैं। वास्तविक परिणाम ऐसे अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं।

अनुमानों तथा पूर्वानुमानों की समीक्षा ऑनगोइंग आधार पर की जाती है। लेखांकन अनुमानों में किए गए संशोधनों की स्वीकृति भावी प्रभाव के लिए की गई है।

लेखांकन नीतियों के उपयोग से महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए लगाए गए जिस अनुमान / अनिश्चितता तथा निर्धारण से वित्तीय विवरणों पर जो महत्वपूर्ण प्रभाव हो सकते हैं उससे संबंधित सूचना नीचे दी गई है:-

नीचे प्रस्तुत मद संख्या 2 (xi) - परिभाषित लाभ दायित्वों का मापन : प्रमुख बीमांकिक पूर्वानुमान

नीचे प्रस्तुत नोट 2 (vi) - सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के उपयोज्यता काल एवं अवशिष्ट मूल्य का मापन।

नीचे प्रस्तुत मद संख्या 2 (iii) – वित्तीय प्रपत्रों के उचित मूल्य का मापन।

ऐसे कोई पूर्वानुमान तथा अनुमान अनिश्चितताएं नहीं हैं जिनके परिणामस्वरूप अगले वित्तीय वर्ष में सामग्रीगत समायोजन के प्रति महत्वपूर्ण जोखिम हो।

ख) महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

नीचे प्रस्तुत की गई लेखांकन नीतियों का क्रमिक उपयोग प्रस्तुत वित्तीय विवरणों की सभी अवधियों के संबंध में किया गया है।

(i) चालू बनाम गैर-चालू वर्गीकरण

सभी परिसम्पत्तियों तथा देयताओं का वर्गीकरण चालू तथा गैर-चालू के रूप में किया गया है।

परिसम्पत्तियां

किसी परिसम्पत्ति का वर्गीकरण चालू के रूप में तब किया जाता है जब निम्नलिखित मानदंडों में से किसी एक के प्रति संतुष्टि हो :

- वह नकदीकरण अथवा बिक्री के लिए नियत हो अथवा कम्पनी के सामान्य परिचालन क्रम में खपत के लिए आशित हो;
- वह प्रारम्भ से ही व्यवसाय के लिए धारित की गई हो;
- वह रिपोर्टिंग अवधि के पश्चात बारह माह के भीतर बिक्री की जानी हो, अथवा
- वे विनियम के लिए प्रतिबंधित न होने अथवा रिपोर्टिंग अवधि के पश्चात किसी देयता के समाधान के लिए कम से कम बारह माह के लिए उपयोग की जा रही होने के अलावा नकदी अथवा नकदी समतुल्य हो।

चालू परिसम्पत्तियों में गैर-चालू वित्तीय परिसम्पत्तियों का चालू भाग भी शामिल है। अन्य सभी परिसम्पत्तियों का वर्गीकरण गैर-चालू परिसम्पत्ति के रूप में किया गया है।

देयताएं

किसी देयता का वर्गीकरण चालू देयता के रूप में तब किया जाता है जब नीचे उल्लिखित मापदंड में से किसी एक के प्रति संतुष्टि होती हो :

- कम्पनी के सामान्य परिचालन क्रम में इसका निपटान संभावित हो;
- यह मुख्यतः व्यवसाय के उद्देश्य से धारित की गई हो;
- रिपोर्टिंग अवधि के पश्चात 12 माह के भीतर इसका समाधान किया जाना हो, अथवा
- कम्पनी के पास इसके प्रति रिपोर्टिंग अवधि के पश्चात कम से कम 12 माह की अवधि के लिए देयताओं के निपटान को स्थगित करने का किसी प्रकार का कोई अप्रतिबंधित अधिकार न हो। दूसरी पार्टी को उपलब्ध विकल्प के अनुसार देयताओं के निबंधन इक्विटी प्रपत्र को जारी करने के निपटान के तौर पर परिणत होते हों तथा जिससे यह वर्गीकरण प्रभावित न होता हो।

चालू देयताओं में गैर-चालू वित्तीय दायित्वों का चालू भाग शामिल है। अन्य सभी दायित्वों का वर्गीकरण गैर-चालू के रूप में किया गया है।

आस्थगित कर परिसम्पत्तियों तथा देयताओं का वर्गीकरण गैर-चालू परिसम्पत्ति तथा देयताओं के रूप में किया गया है।

परिचालन काल क्रम समय संसाधन के लिए परिसम्पत्तियों के अधिग्रहण तथा उनकी नकदी अथवा नकदी समतुल्य की प्राप्ति के बीच का समय है। प्रचालनों की प्रकृति तथा उनके नकदी अथवा नकदी समतुल्य प्राप्ति के आधार पर कम्पनी द्वारा परिसम्पत्तियों एवं देयताओं को चालू अथवा गैर-चालू वर्गीकरण प्रदान करने के उद्देश्य से अपने परिचालन काल क्रम की अवधि बारह माह निर्धारित की गई है।

(ii) विदेशी मुद्रा संव्यवहार एवं विनिमय

कार्यात्मक एवं उपयोग की मुद्रा

प्रबंधन द्वारा उस मुद्रा को कार्यात्मक मुद्रा अर्थात् भारतीय रुपए (₹) को उपयोग के लिए अपनाया गया है जिसके प्राथमिक आर्थिक परिवेश में कम्पनी द्वारा अपने कार्य किए जाते हैं। वित्तीय विवरण भारतीय रुपए में प्रस्तुत किए गए हैं जो कम्पनी की कार्यात्मक एवं उपयोग की मुद्रा है। यदि कहीं अन्यथा उल्लेख नहीं किया गया है तो सभी राशियों को दो दशमलव स्थल तक निकटतम लाख रुपए में राउंड ऑफ किया गया है।

संव्यवहार एवं शेष

विदेशी मुद्राओं में किए जाने वाले मौद्रिक एवं गैर-मौद्रिक संव्यवहार की प्रारंभिक स्वीकृति कार्यात्मक मुद्रा में संव्यवहार की तिथि की विनिमय दर के अनुसार रिकार्ड की जाती है।

रिपोर्टिंग तिथि को समाधान न की गई मौद्रिक विदेशी मुद्रा परिसम्पत्तियों तथा देयताओं का समाधान रिपोर्टिंग तिथि की प्रचलित विनिमय दरों के अनुसार किया जाता है। विदेशी मुद्रा संव्यवहार की स्वीकृति / समाधान से होने वाले लाभ / (हानियों) तथा विदेशी मुद्रा परिसम्पत्तियों एवं देयताओं की स्वीकृति लाभ एवं हानि विवरण में की जाती है जिसमें 31 मार्च, 2016 से पूर्व लिए गए दीर्घकालिक विदेशी मुद्रा मौद्रिक ऋणों के अंतरण से उत्पन्न ऐसी लाभ / (हानियां) शामिल नहीं होती हैं जो मूल्यहास योग्य सम्पत्ति, संयंत्र तथा उपकरण के अधिग्रहण के लिए उपयोग में लाई गई हैं तथा जिनका समायोजन सम्पत्ति, संयंत्र तथा उपकरण की लागत पर किया गया है। उपर्युक्त व्यवस्था विदेशी मुद्रा ऋण का पुनर्भुगतान कर दिए जाने तक जारी रखी गई है।

विदेशी मुद्रा के मौद्रिक ऋणों के अंतरण से उत्पन्न विदेशी मुद्रा विनिमय दर लाभ / (हानि) को निवल आधार पर लाभ एवं हानि विवरण में दर्शाया गया है। तथापि, विदेशी मुद्रा ऋण से उत्पन्न मुद्रा विनिमय

अंतर को उनकी वित्त लागतों के दायरे में लाभ एवं हानि विवरण में ऋण लागतों को समायोजित करते हुए दर्शाया गया है।

(iii) उचित मूल्य मापन

उचित मूल्य वह मूल्य होता है जो मापन की तिथि को बाजार भागियों के मध्य व्यवस्थित संव्यवहार द्वारा किसी परिसम्पत्ति की बिक्री से प्राप्त हो अथवा जो किसी देयता के अंतरण के लिए चुकता किया जा सकता हो। उचित मूल्य के मापन का आधार परिसम्पत्ति की बिक्री अथवा देयता के अंतरण से संबंधित संव्यवहार के पूर्वानुमान पर आधारित है जो निम्नलिखित में से किसी में भी किया जा सकता है:-

- परिसम्पत्ति अथवा देयता के लिए श्रेष्ठ बाजार में, अथवा
- परिसम्पत्ति अथवा देयता के लिए श्रेष्ठ बाजार उपलब्ध न होने की स्थिति में अत्यधिक लाभकारी बाजार में।

श्रेष्ठ अथवा अत्यधिक लाभकारी बाजार कम्पनी के लिए / द्वारा गम्य होने आवश्यक हैं।

वित्तीय विवरणों में उचित मूल्य के साथ मापन अथवा प्रकटीकरण की गई सभी परिसम्पत्तियों तथा देयताओं का वर्गीकरण उनके उचित मूल्य के क्रम में उनके उचित मूल्य मापन के महत्वपूर्ण न्यूनतम स्तर इनपुट के आधार पर निम्नानुसार वर्णित किया गया है:-

- स्तर 1 - सक्रिय बाजार में समान परिसम्पत्तियों अथवा देयताओं का उद्धृत (गैर-समायोजित) मूल्य
- स्तर 2 - न्यूनतम स्तर इनपुट के लिए मूल्यांकन तकनीक जो उचित मूल्य मापन के लिए प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में विचार योग्य है।
- स्तर 3 - न्यूनतम स्तर इनपुट के लिए मूल्यांकन तकनीक जो उचित मूल्य मापन के लिए लक्षित नहीं है।

वित्तीय विवरणों में आवृत्ति आधार पर मान्य परिसम्पत्तियों एवं देयताओं के लिए कम्पनी द्वारा यह निर्धारण किया जाता है कि क्या इनके संबंध में क्रमों के स्तरों के मध्य पुनः मूल्यांकित वर्गीकरण (पूर्ण उचित मूल्य मापन के लिए महत्वपूर्ण न्यूनतम स्तर इनपुट के आधार पर) से प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में अंतरण हुए हैं अथवा नहीं हुए हैं।

उचित मूल्य के प्रकटीकरण के उद्देश्य से कम्पनी द्वारा परिसम्पत्तियों एवं देयताओं के वर्गों का निर्धारण उनकी प्रकृति, विशिष्टता तथा परिसम्पत्ति अथवा देयता के जोखिम तथा ऊपर स्पष्ट क्रम बद्ध उचित मूल्यों के अनुसार किया गया है।

कम्पनी द्वारा निवेश जैसे (सहायक कम्पनियों में किए गए निवेश के अलावा) वित्तीय प्रपत्रों का मापन रिपोर्टिंग तिथि को उनके उचित मूल्य के अनुसार किया गया है। इसके अलावा वित्तीय प्रपत्रों के उचित मूल्यों का मापन परिशोधन लागत पर किया गया है।

(iv) वित्तीय प्रपत्र

किसी करार के ऐसे वित्तीय प्रपत्र जिनसे किसी एक इकाई की वित्तीय परिसम्पत्तियां तथा किसी अन्य इकाई की वित्तीय देयताएं अथवा इक्विटी प्रपत्र का उत्थान होता हो।

क) वित्तीय परिसम्पत्तियां

स्वीकृति तथा प्रारम्भिक मापन

प्रारम्भिक स्वीकृति करते हुए वित्तीय परिसम्पत्तियों का प्रारम्भिक मापन एवं स्वीकृति केवल उस स्थिति के अलावा उचित मूल्य पर होती है जिस स्थिति में कम्पनी द्वारा अवस्थांतरण की तिथि के पश्चात किए गए संव्यवहार के लिए उचित मूल्य का मापन भावी प्रभाव पर करने के लिए इंड ए एस 101 के पैरा डी20 में अंगीकरण किए जाने पर पहली बार दी जाने वाली छूट का प्रयोग किया है। लाभ अथवा हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर रिकार्ड में न ली गई वित्तीय परिसम्पत्ति के मामले में उसकी संव्यवहार लागतें वित्तीय परिसम्पत्ति के अधिग्रहण से संबद्ध की गई हैं।

वर्गीकरण एवं अनुवर्ती मापन

वर्गीकरण

कम्पनी द्वारा अपनी वित्तीय परिसम्पत्तियों का वर्गीकरण नीचे उल्लिखित अनुवर्ती मापन वर्गों में किया गया है:-

- परिशोधित मूल्य पर मापन किए गए ऋण प्रपत्र
- अन्य व्यापक आय (एफवीटीओसीआई) के माध्यम से उचित मूल्य पर मापन किए गए ऋण प्रपत्र
- लाभ एवं हानि के माध्यम से (एफवीटीपीएल) उचित मूल्य पर मापन किए गए ऋण प्रपत्र, डेरिएटिव्स तथा इक्विटी प्रपत्र,
- अन्य व्यापक आय (एफवीटीओसीआई) के माध्यम से उचित मूल्य पर मापन किए गए ऋण प्रपत्र

यह वर्गीकरण वित्तीय परिसम्पत्तियों तथा नकदी प्रवाहों के संविदागत उपबंधों के प्रबंधन के लिए कम्पनी के व्यापार मॉडल पर निर्भर करता है। उचित मूल्य, लाभ एवं हानि पर मापन की गई परिसम्पत्तियों को लाभ एवं हानि विवरण अथवा अन्य व्यापक आय में रिकार्ड किया जाता है। ऋण प्रपत्रों में किए गए निवेश की स्थिति में यह उस व्यापार मॉडल पर निर्भर है जिसमें निवेश धारित है। इक्विटी प्रपत्र में निवेश के लिए इसकी निर्भरता कम्पनी द्वारा अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर किए गए इक्विटी निवेश की प्रारम्भिक स्वीकृति लेखे में करते समय अप्रतिसंहरणीय का चयन किए जाने अथवा न किए जाने पर निर्भर करती है।

प्रारम्भिक स्वीकृति एवं मापन

अनुवर्ती मापन

परिशोधन लागत पर वित्तीय परिसम्पत्तियों का मापन

किसी वित्तीय परिसम्पत्ति का मापन परिशोधन लागत पर तब किया जाता है जब उसका धारण ऐसे व्यावसायिक मॉडल में किया गया हो जिसका

लक्ष्य संविदागत नकदी प्रवाहों के संग्रहण के लिए परिसम्पत्ति का धारण करना है तथा वित्तीय परिसम्पत्ति के संविदागत उपबंधों से विशिष्ट तिथियों को ऐसे नकदी प्रवाह उत्पन्न होते हैं जो केवल मूलधन एवं मूलधन के ब्याज की बकाया राशि के भुगतान के लिए हों।

यह श्रेणी कम्पनी के लिए सर्वाधिक श्रेयस्कर है। प्रारंभिक मापन के पश्चात ऐसी वित्तीय परिसम्पत्तियों का अनुवर्ती मापन प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर) विधि के उपयोग से परिशोधन लागत पर किया जाता है। प्रभावी ब्याज दर परिशोधन को लाभ एवं हानि विवरण की वित्तीय आय में शामिल किया जाता है। अक्षमता क्षति के कारण उत्पन्न हानियों (यदि कोई हों) की स्वीकृति लाभ एवं हानि विवरण में की जाती है। यह श्रेणी सामान्यतः कर्मचारियों को दिए गए ऋणों, व्यापार प्राप्यों, सुरक्षा जमा राशियों तथा अन्य प्राप्यों के लिए लागू होती है।

अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर मापन की गई वित्तीय परिसम्पत्तियां (एफवीटीओसीआई)

किसी वित्तीय परिसम्पत्ति का मापन एफवीटीओसीआई के अनुसार तब किया जाता है जब उसका धारण ऐसे व्यापार मॉडल में किया गया हो जिसमें उसके संविदागत नकदी प्रवाह तथा वित्तीय परिसम्पत्तियों की बिक्री के दोनों लक्ष्य प्राप्त किए जा चुके हों तथा उसके संविदागत उपबंधों से विशिष्ट तिथियों को ऐसे नकदी प्रवाह उत्पन्न होते हैं जो केवल मूलधन एवं मूलधन के ब्याज की बकाया राशि के भुगतान के लिए हों।

लाभ अथवा हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर मापन की गई वित्तीय परिसम्पत्तियां (एफवीटीपीएल)

उपर्युक्त में से किसी भी वर्ग में शामिल न की गई परिसम्पत्ति का मापन एफवीटीपीएल के अनुसार किया जाता है।

ख) वित्तीय परिसम्पत्तियों की अक्षमता क्षति (उचित मूल्य के अलावा)

कम्पनी द्वारा लाभ अथवा हानि के माध्यम से उचित मूल्य न की गई वित्तीय परिसम्पत्तियों के लिए संभावित क्रेडिट हानि (ईसीएल) मॉडल के उपयोग से हानि भत्ते की स्वीकृति की जाती है। किसी गैर महत्वपूर्ण वित्तीय घटक वाले व्यापार प्राप्यों के हानि भत्ते का मापन संभावित क्रेडिट हानि के उपयोज्यता काल की समतुल्य राशि पर किया जाता है। अन्य सभी वित्तीय परिसम्पत्तियों के लिए संभावित क्रेडिट हानियों का मापन 12 माह के संभावित क्रेडिट हानि की समतुल्य राशि पर किया गया है तथा प्रारंभिक स्वीकृति में से क्रेडिट जोखिम में महत्वपूर्ण बढ़ोतरी होने की स्थिति के मामलों में वित्तीय परिसम्पत्तियों का मापन उनकी उपयोज्यता काल की संभावित क्रेडिट हानि के लिए होता है। संभावित क्रेडिट हानि मॉडल के उपयोग से हानि भत्ते में किसी प्रकार के बदलाव (वृद्धिशील अथवा विपर्यय) की स्वीकृति लाभ एवं हानि विवरण में क्षति लाभ अथवा हानि के रूप में की जाती है।

ग) बट्टा

वित्तीय विवरण में ऐसी सकल वहन राशि को बट्टा (आंशिक अथवा पूर्ण) मान लिया जाता है जिसकी प्राप्ति की कोई उचित संभावना नहीं होती है।

घ) वित्तीय देयताएं

प्रारम्भिक स्वीकृति एवं मापन

वित्तीय देयताओं की प्रारम्भिक स्वीकृति का वर्गीकरण निम्नानुसार किया जा सकता है:-

- लाभ अथवा हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय देयताएं,
- परिशोधन लागत पर मापन की गई वित्तीय देयताएं,
- ऋण एवं उधार तथा देय,

सभी वित्तीय देयताओं की प्रारंभिक स्वीकृति उनके उचित मूल्य पर तथा ऋण एवं उधार तथा देय के मामले में संव्यवहार लागतों से प्रत्यक्ष संबंध मूल्य पर की जाती है।

कम्पनी की सभी वित्तीय देयताओं में सुरक्षा जमा, व्यापार एवं अन्य देय शामिल हैं।

अनुवर्ती मापन

परिशोधन लागत पर मापन (जो कम्पनी की एकमात्र सम्बद्ध श्रेणी है) की गई वित्तीय देयताओं का अनुवर्ती मापन प्रभावी ब्याज दर के उपयोग से परिशोधन लागत पर किया जाता है। ब्याज व्यय एवं विदेशी मुद्रा विनिमय लाभ तथा हानियों की स्वीकृति लाभ एवं हानि विवरण की जाती है।

ड) वित्तीय प्रपत्रों की स्वीकृति समाप्त करना

कम्पनी द्वारा ऐसी वित्तीय परिसम्पत्ति की स्वीकृति समाप्त की जाती है जिस वित्तीय परिसम्पत्ति के नकदी प्रवाह के संविदागत अधिकारों की अवधि समाप्त हो गई होती है अथवा जिन वित्तीय परिसम्पत्तियों का अंतरण किया जाता है तथा ऐसा अंतरण इंड एस 109 के अंतर्गत स्वीकृति समाप्ति के लिए योग्य होता है।

कम्पनी के तुलन पत्र में से किसी वित्तीय देयता (अथवा किसी वित्तीय देयता का कोई भाग) की स्वीकृति तब समाप्त की जाती है जब उसकी संविदा में निर्धारित दायित्वों का निर्वाह हो जाता है अथवा रद्द हो जाते हैं अथवा समाप्त हो जाते हैं।

च) वित्तीय प्रपत्रों की समंजन

वित्तीय परिसम्पत्तियों एवं वित्तीय देयताओं का समंजन तथा तुलन पत्र में निवल राशियों की स्वीकृति तब की जाती है जब स्वीकृत राशियों के समंजन के प्रति कोई प्रवर्तन योग्य चालू विधिक अधिकार न हो तथा ऐसा परिसम्पत्तियां निवल आधार पर धर्नाजन करके दायित्वों को चुकाने के लिए निपटाए जाने की मंशा से हो।

v) रोकड़ अथवा रोकड़ समतुल्य

तुलन पत्र में दर्शाए गए नकदी तथा नकदी समतुल्य में बैंकों में जमा एवं उपलब्ध चैक तथा तीन माह अथवा कम अवधि की सामान्य परिपक्वता के साथ अल्प-कालिक जमा, जो मूल्य में परिवर्तन के अल्प जोखिम की शर्त पर है, शामिल हैं।

vi) सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण

स्वीकृति एवं मापन

सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण का मापन उनकी लागत में से संचित मूल्यहास एवं संचित तथा अपसामान्य क्षतियों को लागत, यदि कोई हों, को घटाकर किया गया है। लागत में वे व्यय शामिल हैं जो प्रबंधन के अभिप्रेत उद्देश्य से परिचालन योग्य बनाने के लिए सम्पत्ति को स्थल तथा आवश्यक स्थिति में लाए जाने के लिए प्रत्यक्ष जुड़े हुए हैं। कम्पनी द्वारा सम्पत्ति, संयंत्र तथा प्रपत्र का मूल्यहास उनके अनुमानित उपयोग्यता काल के लिए सीधी लाइन विधि के उपयोग से किया जाता है। किसी सम्पत्ति, संयंत्र तथा प्रपत्र की मूल लागत की 5% राशि को अवशिष्ट मूल्य माना जाता है।

वर्ष 2015-16 के दौरान, कम्पनी की एक तकनीकी समिति द्वारा गहन तकनीकी मूल्यांकन के पश्चात हेलीकॉप्टर बेड़े के अनुमानित उपयोग्यता काल का पुनः मूल्यांकन किया गया था। इस प्रकार इन परिसम्पत्तियों का उपयोग्यता काल कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II के भाग ग में निर्धारित उपयोग्य कालों से भिन्न है। वर्ष 2022-23 के दौरान, कंपनी ने डॉल्फिन एस ए 365 एन के अनुमानित उपयोग्य काल का पूर्णमूल्यांकन किया और मूल उपकरण निर्माता (OEM) के साथ विचार-विमर्श एवं स्वीकृत चर्चा के बाद, हेलीकॉप्टर के अनुमानित उपयोग्य काल को 35 वर्ष से संशोधित कर 40 वर्ष कर दिया। इसके अलावा लीज पर लिए गए सिकोरस्की S76D हेलीकॉप्टर का अनुमानित उपयोग्य काल को डिलीवरी की तारीख से 7 वर्ष माना गया है, जो अधिकार-से-उपयोग (Right-to-Use) परिसंपत्तियों के अंतर्गत आती है।

इस प्रकार इन परिसम्पत्तियों का उपयोग्यता काल कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II के भाग ग में निर्धारित उपयोग्य कालों से भिन्न है। भिन्न प्रकार के हेलीकॉप्टर बेड़े लिए निर्धारित किए उपयोग्यता काल का विवरण नीचे दिया गया है:-

हेलीकॉप्टर का प्रकार	अनुमानित उपयोग्यता काल वर्षों में	अनुमानित उपयोग्यता काल उड़ान घंटों में
डॉफिन एसए 365 एन	40 वर्ष	1,00,000 उड़ान घंटे
डॉफिन ए एस 365 एन3	35 वर्ष	1,00,000 उड़ान घंटे
इक्यूरेयूडल ए एस350 बी3	35 वर्ष	1,00,000 उड़ान घंटे
बेल्ल 206 एल4	35 वर्ष	35,000 उड़ान घंटे
बेल्ल 407	35 वर्ष	35,000 उड़ान घंटे
एमआई-172	30 वर्ष	18,000 उड़ान घंटे
सिकोस्की एस76डी (पट्टे पर)	7 वर्ष	

कम्पनी द्वारा सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण का घटक लेखांकन इंड एस-16 के अनुसरण में उनकी स्वीकृति एवं किसी सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के किसी महत्वपूर्ण घटक, जिसकी लागत की सम्बद्धता मद की कुल लागत पर विशिष्ट हो तथा जिसका उपयोग्यता काल भिन्न हो, का अलग से मूल्यहास करते हुए किया गया है। कम्पनी द्वारा ऐसे घटक को विचार में लिया गया है जिनकी लागत हेलीकॉप्टर के महत्वपूर्ण घटक की कुल लागत का 8% अथवा अधिक है, तथापि, सन्निहित अनुरक्षण के रूप में प्रस्तुत हेलीकॉप्टर के प्रमुख ओवरहॉल की लागत की स्वीकृति अलग से की गई है तथा अन्य परिसम्पत्तियों के मामले में किसी महत्वपूर्ण घटक की स्वीकार्यता घटक लेखांकन के उद्देश्य से नहीं की गई है।

हेलीकॉप्टर के संदर्भ में भिन्न उपयोग्यता वाले स्वीकृत महत्वपूर्ण घटकों का विवरण नीचे दिया गया है:-

बेड़ा प्रकार	स्वीकृत घटक	घटक का उपयोग्य काल
डॉफिन एन	इंजन	3000 घंटे / 5 वर्ष **
	एम.जी.बी.	3000 घंटे / 5 वर्ष **
	हेलीकॉप्टर की ओवरहॉल लागत	5400 घंटे / 9 वर्ष **
डॉफिन एन3	इंजन	3500 घंटे / 6 वर्ष **
	एम.जी.बी.	3000 घंटे / 5 वर्ष **
	हेलीकॉप्टर की ओवरहॉल लागत	5400 घंटे / 9 वर्ष **
इक्यूरेयूडल ए एस 350 बी3	इंजन	3500 घंटे / 6 वर्ष **
	एम.जी.बी.	3000 घंटे / 5 वर्ष **
	हेलीकॉप्टर की ओवरहॉल लागत	प्रमुख जांच- 12 वर्ष **
बेल्ल 407	इंजन	2000 घंटे / 3 वर्ष **
	ट्रांसमिशन एसेंबली	5000 घंटे / 8 वर्ष **
	हब एसेंबली	2500 घंटे / 4 वर्ष **
	हेलीकॉप्टर की ओवरहॉल लागत	कोई प्रमुख ओवरहॉल नहीं
एमआई-172	इंजन	1500 घंटे / 5 वर्ष **
	हेलीकॉप्टर की ओवरहॉल लागत	4500 घंटे / 15 वर्ष **

** एन, एन3, बी3 एवं बेल्ल 407 के संदर्भ में वर्ष का निर्धारण 600 घंटों की उड़ान तथा एमआई-172 के लिए 300 घंटों की उड़ान के आधार पर है।

किसी परिसम्पत्ति के प्रमुख पुर्जे को बदलने अथवा पुनः निर्मित किए जाने की स्थिति में पुराने पुर्जे की वहन राशि की स्वीकृति समाप्त कर दी जाती है तथा नए पुर्जे को परिसम्पत्ति में जोड़ लिया जाता है। जब किसी स्वीकृति समाप्त किए गए / बदले गए घटक का वहन मूल्य ज्ञात नहीं होता है तो चालू लागत के अनुसार उचित अनुमान निर्धारित किए जाते हैं।

अनुवर्ती लागतें

अनुवर्ती लागतों का पूंजीयन तभी किया जाता है जब विशिष्ट परिसम्पत्ति से संबद्ध इसके भावी आर्थिक लाभों में वृद्धि हो। अन्य मूर्त परिसम्पत्तियों की सभी अन्य मरम्मत एवं अनुरक्षण व्ययों की स्वीकृति लाभ एवं हानि विवरण में इनके उत्पन्न होने के समय की जाती है।

मूल्यहास

एयरफ्रेम तथा एयरो-इंजन प्रपत्र-रोटेबल्स का मूल्यहास एवं मध्य उपयोज्यता काल उन्नयन कार्यक्रम (टाइप प्रमाणन लागतों के साथ) / हैलीकॉप्टरों के प्रमुख पुनःसंयोजन का लागत आकलन सीधी रेखा आधार पर इस स्वरूप में किया गया है कि उनकी प्रमुख परिसम्पत्ति (हैलीकॉप्टरों के प्रकार) का शेष उपयोज्यता काल की 95% राशियों का बट्टा वह हो जिनसे वे सम्बद्ध हैं। इस उद्देश्य से हैलीकॉप्टरों के अंतिम बैच (डाफिन एन के मामले में चूंकि इसका बेड़ा आकार में बड़ा है) अथवा नवीनतम हैलीकॉप्टर (अन्य किसी बेड़े के मामले में) को विचार में लिया गया है।

पट्टे की भूमि की लागत का परिशोधन पट्टे की अवधि के अनुसार किया गया है। इसी प्रकार भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के साथ संयुक्त विकास कार्यक्रम के अंतर्गत निर्मित आवासीय फ्लैटों की लागत का परिशोधन उनके करार से संबंधित शर्तों के अनुसार सम्पत्ति के धारण अधिकार की अवधि पर किया गया है।

हैलीकॉप्टरों / अतिरिक्त एयरो इंजनों के संवर्धन अथवा विलोपन से संबंधित मूल्यहास आनुपातिक

आधार पर अधिग्रहण की तिथि / निपटान से / तक दिनों (हैलीकॉप्टरों के लिए भारत के क्षेत्र में उड़नयोग्यता अधिकारी द्वारा उड़नयोग्यता प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर किए जाने की तिथि) की संख्या के अनुसार किया जाता है। अन्य प्रत्येक सम्पत्ति, संयंत्र तथा प्रपत्र से संबंधित मूल्यहास दिनों की संख्या के अनुसार आनुपातिक आधार पर किया जाता है। परिसम्पत्ति का क्रय किए जाने वाले माह के अगले माह के पहले दिन को ऐसी अन्य परिसम्पत्तियों के संवर्धन की प्रभावी तिथि माना जाता है। इसी प्रकार विलोपन के मामले में पूर्व माह के अंतिम दिन को ऐसी परिसम्पत्ति से संबंधित मूल्यहास के लिए विचार में लिया जाता है। सक्रिय उपयोग के पश्चात सामग्रीगत मूल्य वाली हटाई गई तथा निपटान के लिए धारित परिसम्पत्तियों की प्रस्तुति उनके न्यूनतम निवल बही मूल्य अथवा निवल प्राप्य मूल्य (जहां भी उपलब्ध हो) के अनुसार की जाती है तथा लेखे में अलग से उनका प्रकटीकरण किया जाता है। ऐसी परिसम्पत्तियों (वित्तीय वर्ष 1995-96 से वैस्टलैंड हैलीकॉप्टरों तथा संबंधित मदों सहित) के लिए मूल्यहास प्रदान नहीं किया जाता है। परिसम्पत्तियों को हटाए जाने अथवा निपटान किए जाने से उत्पन्न लाभ अथवा हानियां लाभ एवं हानि विवरण में प्रभारित की जाती हैं।

मोबाइल हैंडसेट का अनुमानित उपयोज्यता काल तीन वर्ष माना गया है। मूल्यहास विधियों, उपयोज्यता काल तथा शेष मूल्य की समीक्षा प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में किए जाने के साथ साथ आवधिक रूप में भी की जाती है।

पूंजीगत कार्य प्रगति पर

रिपोर्टिंग तिथि को उस सम्पत्ति, संयंत्र तथा उपकरण का प्रकटीकरण पूंजी कार्य प्रगति पर होने के रूप में किया जाता है जो प्रयोग के लिए तैयार नहीं हैं।

(vii) अमूर्त परिसम्पत्तियां

स्वीकृति एवं मापन

अलग अलग अधिगृहित अमूर्त परिसम्पत्तियों का मापन उनकी प्रारंभिक स्वीकृत लागत तथा उसकी अनुवर्ती

वहन लागत में से संचित परिशोधन एवं संचित क्षति हानि घटाकर, यदि कोई हो, किया जाता है।

किसी अमूर्त परिसम्पत्ति की स्वीकृति की समाप्ति उसके निपटान अथवा उसके उपयोग अथवा निपटान से किसी प्रकार के भावी आर्थिक लाभ संभावित न होने की स्थिति में की जाती है। स्वीकृति समाप्ति से उत्पन्न लाभ अथवा हानियों का निर्धारण उनसे हुए मुनाफे की तुलना वहन राशि से करके उन्हें लाभ एवं हानि विवरण में शामिल किया जाता है।

अनुवर्ती लागतें

किसी विशिष्ट परिसम्पत्ति की सन्निहित लागत में सम्बद्ध भावी आर्थिक लाभ बढ़ने पर अनुवर्ती लागतों का पूंजीयन किया जाता है। अन्य अमूर्त परिसम्पत्तियों के अन्य सभी व्ययों की स्वीकृति किए गए व्यय के अनुसार लाभ एवं हानि विवरण में की जाती है।

परिशोधन

कम्पनी द्वारा अमूर्त परिसम्पत्तियों का परिशोधन अमूर्त परिसम्पत्तियों के उपयोग्यता काल पर सीधी रेखा विधि के उपयोग से परिमित उपयोग्यता काल के साथ किया जाता है। अमूर्त परिसम्पत्तियों के परिशोधन व्यय की स्वीकृति लाभ एवं हानि विवरण में की जाती है। प्रबंधन द्वारा अनुमानित उपयोग्य जीवन की वार्षिक समीक्षा की जाती है तथा उनका समायोजन पूर्व प्रभाव से किया जाता है।

क्रय किए गए/आंतरिक रूप से विकसित किए गए 5 लाख रुपए प्रत्येक से अधिक मूल्य के साफ्टवेयर की लागत का परिशोधन सीधी रेखा आधार पर साफ्टवेयर की सफल कमीशनिंग की तिथि से, प्रत्येक वर्ष के अंत में उनकी समीक्षा किए जाने की शर्त के साथ, 60 माह की अवधि में किया जाता है। 5 लाख रुपए प्रत्येक लागत वाले साफ्टवेयर के लिए क्रय के वर्ष में उसे राजस्व में प्रभारित किया जाता है।

बिक्री के लिए धारित गैर-चालू परिसम्पत्तियां

गैर-चालू परिसम्पत्तियों तथा निपटान समूहों का वर्गीकरण बिक्री के लिए धारित मदों के लिए तब

किया जाता है जब उनकी वहन राशि की वसूली मूलतः उनके निरंतर उपयोग के स्थान पर बिक्री संव्यवहार से की जानी हो। इस स्थिति को पूर्ण तब माना जाता है जब परिसम्पत्ति (अथवा निपटान समूह) अपनी वर्तमान स्थिति में तत्काल बिक्री के लिए केवल व्यावहारिक एवं सामान्य शर्त के साथ उपलब्ध हो तथा ऐसी परिसम्पत्ति (अथवा निपटान समूह) की बिक्री की संभावना उच्चतर हो। प्रबंधन ऐसी बिक्री के प्रति प्रतिबद्ध होता है जिसकी पूर्ण बिक्री उसके वर्गीकरण की तिथि से एक वर्ष के भीतर स्वीकृति के लिए संभावित समझी गई हो।

बिक्री के लिए धारित के तौर पर वर्गीकृत की गई गैर-चालू परिसम्पत्तियों (तथा निपटान समूहों) का मापन उनकी वहन राशि से कम तथा उचित मूल्य में से बिक्री की लागत कम करते हुए किया जाता है।

(viii) मालसूचियां

मालसूचियों (अलग से नीचे उल्लिखित मदों के अलावा) का मूल्य निर्धारण, उनके अप्रयोग एवं अन्य हानियों के प्रावधान करते हुए, जहां आवश्यक समझे जाएं, उनकी न्यूनतम लागत (गतिमान भारित औसत आधार पर) तथा निवल प्राप्य मूल्य के अनुसार किया जाता है। लागतों में माल को उसके वर्तमान स्थल तथा स्थिति पर लाने के लिए व्यय किए गए सभी प्रभार शामिल होते हैं। वर्ष के अंत में शॉप फ्लोर में रखे गए कलपूजों तथा भंडार की मदों को भी मालसूची के अंतर्गते के भाग के रूप में विचार में लिया जाता है।

लूज औजारों / परीक्षण औजारों का परिशोधन समान रूप से 3 वित्तीय वर्षों की अवधि में किया जाता है जिसमें इनके क्रय का वर्ष शामिल होता है तथा इनका उल्लेख उसी के अनुसार किया जाता है। इन शीर्षों के अंतर्गत रद्द की गई मदों का बट्टा एफआईएफओ आधार पर किया जाता है।

भंडार एवं अतिरिक्त पूजों की वे मदें, जिनका प्राप्ति मूल्य यदि 1000/- रुपए से कम है, तथा तेल, ग्रीस एवं स्नेहकों की सभी उपभोग्य मदों के व्यय उनके क्रय वर्ष में प्रभारित किए जाते हैं।

लेखे में भंडार, अतिरिक्त पूर्यों तथा उपभोज्य मदों (स्थल सहायता एवं परीक्षण प्रपत्रों तथा अनुरक्षण औजारों के अलावा) की गैर गतिमान मदों, जो पिछले संव्यवहार की तिथि से तीन निरंतर वर्षों में वास्तविक उपयोग के लिए जारी नहीं की गई हैं, के संबंध में गतिमान भारित औसत आधार पर प्रावधान किए गए हैं।

(ix) अक्षमता क्षति

क) वित्तीय परिसम्पत्तियां

इंड ए एस 109 के अनुसरण में कम्पनी द्वारा अक्षमता क्षति के मापन एवं स्वीकृति के उद्देश्य से निम्नलिखित वित्तीय परिसम्पत्तियों एवं क्रेडिट जोखिम विवरण के लिए संभावित क्रेडिट हानि (ईसीएल) मॉडल का उपयोग किया गया है:-

- i. वित्तीय परिसम्पत्तियां, जो ऋण प्रपत्र हैं तथा जिनका मापन परिशोधन लागत अर्थात् ऋण, जमा इत्यादि पर किया गया है।
- ii. **व्यापार प्राप्य** – कम्पनी द्वारा व्यापार प्राप्यों का मापन, यदि संव्यवहार में महत्वपूर्ण वित्तीय घटक शामिल नहीं है, उनके संव्यवहार मूल्य पर तथा किया जाता है तथा अक्षमता क्षति हानि भत्ते की स्वीकृति के उद्देश्य से कम्पनी द्वारा व्यापार प्राप्य के लिए इंड ए एस -109 वित्तीय प्रपत्र में दी गई सरलीकृत विधि का उपयोग किया जाता है। सरलीकृत विधि के उपयोग से कम्पनी को क्रेडिट जोखिम में होने वाले ट्रेक परिवर्तनों का अनुगमन नहीं करना होता है। इसकी अपेक्षा इसमें अक्षमता क्षति हानि भत्ते की स्वीकृति उनके उपयोग्यता काल की प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को संभावित क्रेडिट पर की गई प्रारंभिक स्वीकृति पर आधारित है।

कम्पनी द्वारा संभावित क्रेडिट हानियों का मापन केवल उन मामलों में किया गया है जिनके लिए रिपोर्टिंग तिथि के लिए औचित्यपरक एवं समर्थनकारी सूचना किसी अदेय लागत अथवा पूर्व कार्यों, चालू स्थितियों एवं भावी आर्थिक स्थिति के पूर्वानुमान के प्रयासों के बिना उपलब्ध होती है।

किसी औचित्यपरक सूचना प्राप्त न होने की स्थिति में कम्पनी द्वारा सामान्यतः केन्द्रीय सरकार/ राज्य सरकार /संघ शासित प्रदेश से सात वर्षों से अधिक अवधि के प्राप्य बकाया को संदेहास्पद मानकर प्रभारित किया जाता है। केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार/ संघ शासित प्रदेशों के अलावा अन्य पार्टियों से तीन वर्ष से अधिक अवधि के प्राप्य बकाया को संदेहास्पद माना जाता है तथा इस अवधि से पूर्व उनके संदेहास्पद न होने का विशिष्ट संज्ञान होने की स्थिति के अलावा स्थिति में उसे प्रभारित किया जाता है।

- iii. **व्यापार देय** – बाह्य पार्टियों के दावा न किए गए क्रेडिट शेष तथा तीन वर्षों से अधिक बकाया को लेखे में लेकर आय मान लिया जाता है।
- iv. सरकार / सरकारी विभागों/ सरकारी कम्पनियों से कालातीत देयताओं को सामान्यतः ऐसी वित्तीय परिसम्पत्ति के ऋण जोखिम में वृद्धि के रूप में विचार में नहीं लिया जाता है।
- v. विधिक प्रक्रिया में विवादित देयताओं के संबंध में कम्पनी के प्रति प्रतिकूल निर्णय होने के विचार से प्रावधान किए जाते हैं भले ही इसके प्रति उच्च प्राधिकरणों / न्यायालयों में अपील की गई हो।
- vi. लम्बे समय से बकाया देयताओं की समीक्षा की जाती है तथा मामलावार आधार पर प्रावधान किए जाते हैं।
- vii. लाभ एवं हानि विवरण में क्षति हानि भत्ते (अथवा विपर्यय) की स्वीकृति व्यय / आय के रूप में की जाती है।

ख) गैर-वित्तीय परिसम्पत्तियां

सम्पत्ति, संयंत्र तथा प्रपत्र एवं नियत उपयोग्यता काल वाली अमूर्त परिसम्पत्तियों के संबंध में उनकी वहन राशि की वसूली न हो पाने का कोई लक्षण होने की स्थिति में उनका मूल्य निर्धारण उनकी वसूली योग्यता के अनुसार किया जाता है। लाभ एवं हानि विवरण में उस राशि के लिए क्षति हानि की स्वीकृति की जाती है जिस राशि से परिसम्पत्ति का वहन मूल्य उसकी वसूली योग्य राशि से अधिक होता है। किसी

परिसम्पत्ति से यदि ऐसे नकदी प्रवाह उत्पन्न नहीं होते हैं, मुख्यतः जो अन्य परिसम्पत्तियों से अलग हो, तो उसकी वसूली योग्य राशि (उचित मूल्य का उच्चतर घटा बिक्री लागत एवं उपयोग मूल्य) का निर्धारण किसी एकल परिसम्पत्ति के आधार पर किया जाता है। ऐसे मामलों में वसूली योग्य राशि का निर्धारण उसकी उस नकदी उत्पत्ति यूनिट (सीजीयू) के लिए होता है जिससे ऐसी परिसम्पत्ति सम्बद्ध होती है।

(x) कर्मचारी हितलाभ

क) अल्पकालिक कर्मचारी हितलाभ

रिपोर्टिंग अवधि के अंत में उस बारह माह की अवधि, जिस अवधि में कर्मचारियों द्वारा संबद्ध सेवाएं प्रदान की गई हैं, के दौरान देय वेतन, मजदूरी, बोनस इत्यादि के सभी कर्मचारी हितलाभों की देयताओं की स्वीकृति रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक की गई है तथा उनका मापन गैर छूट प्राप्त राशि पर देयताओं के निपटान के भुगतान की संभाव्यता के साथ किया गया है।

ख) सेवानिवृत्ति उपरांत हितलाभ योजनाएं

कर्मचारी हितलाभों में भविष्य निधि अंशदान, पेंशन, सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा हितलाभ, उपदान निधि, प्रतिपूरक अनुपस्थिति तथा सेवानिवृत्ति के समय दिया जाने वाला सामान भत्ता इत्यादि शामिल है।

परिभाषित अंशदायी योजनाएं

पात्र कर्मचारियों के लिए परिभाषित अंशदायी सेवानिवृत्ति हितलाभ योजना के भुगतान देय होने पर व्यय में प्रभारित किए जाते हैं। ऐसे हितलाभ परिभाषित अंशदायी योजनाओं के रूप में वर्गीकृत किए गए हैं क्योंकि अंशदान दिए जाने के अलावा कम्पनी के अन्य कोई दायित्व नहीं होते हैं।

भविष्य निधि

कम्पनी द्वारा भविष्य निधि में अंशदान के तात्पर्य से योग्य कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति हितलाभ योजना के अंतर्गत परिभाषित अंशदान दिया जाता है। योजना के अंतर्गत कम्पनी से हितलाभों में निधियन के लिए मूल वेतन के विशिष्ट प्रतिशत का अंशदान

किया जाना अपेक्षित किया गया है। यह अंशदान विधि द्वारा निर्दिष्ट है तथा इसका भुगतान कम्पनी द्वारा स्थापित भविष्य निधि ट्रस्ट को किया जाता है। कम्पनी से मासिक अंशदान किया जाना अपेक्षित किया गया है तथा निधि परिसम्पत्ति में किसी प्रकार की न्यूनता भारत सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट न्यूनतम दरों पर आधारित होती है। ऐसे अंशदान एवं न्यूनताओं, यदि कोई हों, को भुगतान के वर्ष में प्रभारित किया जाता है।

पेंशन निधि

कम्पनी की पेंशन योजना परिभाषित अंशदान योजना है जिसमें कम्पनी की देयताएं प्रत्येक माह में किए गए अंशदान पर उस वेतन के 11% के समतुल्य हैं जिस पर भविष्य निधि अंशदान किया गया है। कम्पनी द्वारा नागर विमानन मंत्रालय से अनुमोदन के पश्चात भारतीय जीवन बीमा निगम के साथ पेंशन योजना को अंतिम रूप दिया गया है।

परिभाषित हितलाभ योजनाएं

कम्पनी द्वारा नीचे प्रस्तुत प्रमुख परिभाषित हितलाभ योजनाएं प्रदान की गई हैं:-

उपदान

कम्पनी में परिभाषित हितलाभ उपदान योजना लागू की गई है। पांच वर्ष अथवा अधिक काल की अनवरत सेवाएं प्रदान करने वाला प्रत्येक कर्मचारी अपनी सेवानिवृत्ति, त्याग-पत्र, सेवा मुक्ति, अक्षमता अथवा मृत्यु होने पर 20.00 लाख रुपये की अधिकतम सीमा तक उपदान का पात्र होता है। उपदान योजना के लिए निधियन कम्पनी द्वारा किया जाता है तथा इसका प्रबंधन अलग ट्रस्ट द्वारा किया जाता है।

सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा हितलाभ योजना (पीआरएमबीएस)

कम्पनी में सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा हितलाभ योजना लागू है जिसके अंतर्गत सेवानिवृत्त कर्मचारी तथा उसकी पत्नी/ उसके पति को कम्पनी द्वारा निर्धारित अधिकतम सीमा की शर्त के साथ पैनलबद्ध अस्पतालों के माध्यम से चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं।

सेवानिवृत्ति के समय सामान भत्ता

सामान भत्ते के अंतर्गत सेवानिवृत्ति के पश्चात भारत में किसी भी ऐसे स्थान के लिए, जहां कर्मचारी अपनी सेवानिवृत्ति के पश्चात अपना निवास स्थापित करना चाहता है, कर्मचारी/ परिवार के सदस्यों की यात्रा तथा सामान की शिफ्टिंग के लिए पुनर्भुगतान करने की व्यवस्था की गई है।

कम्पनी की परिभाषित हितलाभ योजनाओं के संबंध में देयताओं अथवा परिसम्पत्तियों की स्वीकृति तुलन पत्र में परिभाषित हितलाभ दायित्व के विद्यमान मूल्य पर रिपोर्टिंग अवधि के अंत में योजना परिसम्पत्तियों में से उचित मूल्य घटाकर की जाती है। परिभाषित हितलाभ दायित्व का आकलन वार्षिक तौर पर बीमांकक द्वारा अनुमानित यूनिट क्रेडिट विधि के उपयोग से किया जाता है।

उक्त दायित्व के विद्यमान मूल्य का निर्धारण सरकारी बांडों, जो संबद्ध दायित्व के काल की लगभग समान अवधि के अवधि के होते हैं, के बाजार प्रतिफल के उपयोग से अनुमानित भावी नकदी बहिर्प्रवाह में न्यूनता करके किया जाता है।

ब्याज आय / (व्यय) का आकलन सकल परिभाषित देयता अथवा परिसम्पत्ति पर छूट दर के उपयोग से किया जाता है। निवल परिभाषित हितलाभ दायित्व अथवा परिसम्पत्ति पर निवल ब्याज आय / (व्यय) की स्वीकृति लाभ एवं हानि विवरण में की जाती है।

अनुभव समायोजनों से उत्पन्न पुनःमापन लाभों तथा हानियों एवं बीमांकक अनुमानों की स्वीकृति उनके उत्पन्न होने के वर्ष में सीधे अन्य व्यापक आय में की जाती है। इन्हें इक्विटी परिवर्तन विवरण एवं तुलन पत्र में धारित आय में शामिल किया जाता है।

योजना संशोधनों अथवा संक्षेपन से उत्पन्न परिभाषित हितलाभ दायित्व के वर्तमान मूल्य के परिवर्तन पूर्व सेवा लागत पर लाभ एवं हानि विवरण में तत्काल स्वीकृत किए जाते हैं।

छुट्टी (अर्जित छुट्टी/अर्ध वेतन छुट्टी)

कम्पनी द्वारा अपने कर्मचारियों को अर्जित छुट्टी हितलाभ (प्रतिपूरक अनुपस्थिति सहित) तथा अर्ध वेतन छुट्टी लाभ प्रदान किए जाते हैं जिनकी उत्पत्ति वर्ष में क्रमशः 30 दिन एवं 20 दिन की होती है। सेवा के दौरान 75% अर्जित छुट्टियों का नकदीकरण किया जा सकता है। अर्ध-वेतन छुट्टी का नकदीकरण केवल 50 वर्ष की आयु के पश्चात कम्पनी से कार्यमुक्त होते समय अधिकतम 480 दिनों के लिए किया जा सकता है तथा अर्ध वेतन छुट्टी के विनिमय की अनुमति नहीं है। लोक उद्यम विभाग के दिशानिर्देशों के अनुसार अर्जित छुट्टी तथा अर्ध-वेतन छुट्टी का एक साथ नकदीकरण अधिकतम 300 दिनों के लिए किया जा सकता है। इसके दायित्व की स्वीकृति बीमांकक मूल्यांकन के आधार पर की जाती है।

(xi) प्रावधान

प्रावधानों की स्वीकृति तब की जाती है जब कम्पनी के समक्ष किसी पूर्व घटना के परिणामस्वरूप (विधिक अथवा तर्कसाध्य) विद्यमान दायित्व हो तथा जिसमें आर्थिक लाभों के बहिर्प्रवाह की अपेक्षा ऐसे दायित्व के निपटान के लिए किए जाने की संभावना की गई हो तथा जिसकी राशि के विश्वसनीय अनुमान लगाए जा सकते हों। 5000/- रुपए से कम मूल्य के संव्यवहार के संबंध में व्यय /दायित्वों के प्रावधान लेखों में नहीं किए जाते हैं।

तुलन पत्र की तिथि को प्रत्येक ज्ञात दायित्वों के लिए लेखों में प्रावधान किए गए हैं। ऐसे दायित्वों को लेखों में नहीं लिया गया है जिन दायित्वों की जानकारी नहीं है अथवा जिन दायित्वों की राशि का निर्धारण औचित्यपरक सटीकता के साथ नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा, माल तथा मरम्मत / ओवरहॉल प्रभारों के दायित्व आपूर्तिकर्ता द्वारा प्रत्येक वर्ष 31 मार्च तक किए गए ऐसे माल के प्रेषण के संबंध में किए गए हैं जिनकी डिलीवरी कम्पनी को वर्ष के अंत तक प्राप्त नहीं हुई है तथा इन्हें निर्माता से प्राप्त सूचना / इंजीनियरिंग अनुमानों के आधार पर लेखों में प्रभारित किए गए हैं।

किसी दुर्भर अनुबंध के प्रति प्रावधान की स्वीकृति तब की जाती है जब कम्पनी को किसी अनुबंध से प्राप्त होने वाले लाभ अनुबंध के अंतर्गत निर्वाह किए जाने वाले दायित्वों की अपहिरार्य लागतों से कम हों। प्रावधान का मापन अनुबंध को समाप्त किए जाने की न्यूनतर प्रत्याशित लागत तथा अनुबंध को जारी रखे जाने की प्रत्याशित शुद्ध लागत के अनुसार किया जाता है। किसी प्रावधान को स्थापित करने से पूर्व कम्पनी द्वारा अनुबंध से सम्बद्ध क्षति हानि के प्रति स्वीकृति प्रदान की जाती है।

किसी प्रावधान से संबंधित किसी पुनर्भुगतान के व्यय लाभ एवं हानि विवरण में प्रस्तुत किए गए हैं। धन का समय मूल्य सामग्रीगत होने की स्थिति में दायित्व से संबद्ध जोखिम के समरूप चालू कर पूर्व दर के उपयोग, जहां उचित हो, से प्रावधानों में न्यूनता की जाती है। न्यूनता का उपयोग किए जाने की स्थिति में समय के साथ साथ प्रावधान में होने वाली बढ़त की स्वीकृति वित्त लागतों के रूप में की जाती है।

(xii) आकस्मिक देयताएं / आकस्मिक परिसम्पत्तियां

आकस्मिक देयताएं संभावित दायित्व होते हैं जो पूर्व घटनाओं के फलस्वरूप उत्पन्न होते हैं तथा जिनके अस्तित्व की पुष्टि भविष्य में उनके एक अथवा अधिक अवसरों पर घटित होने अथवा न होने से होती है जो कि कम्पनी के नियंत्रण से परे होते हैं अथवा जिनकी स्वीकृति दायित्वों के निपटान के लिए संसाधनों का बहिर्प्रवाह अपेक्षित न होने की संभावना से नहीं की गई थी। कम्पनी द्वारा किसी आकस्मिक देयता की स्वीकृति नहीं की गई है परन्तु वित्तीय विवरणों में उनके विद्यमान होने का प्रकटीकरण किया गया है। ऐसे संभावित दायित्व अथवा किसी ऐसे विद्यमान दायित्व, जिससे संसाधनों के बहिर्प्रवाह की संभावना अत्यधिक कम है, के संबंध में प्रकटीकरण नहीं किया गया है।

आकस्मिक परिसम्पत्तियां संभावित परिसम्पत्तियां होती हैं जो पूर्व घटनाओं के फलस्वरूप उत्पन्न होती हैं तथा जिनके अस्तित्व की पुष्टि भविष्य में उनके एक अथवा अधिक अवसरों पर घटित होने अथवा न होने से होती है जो कि कम्पनी के नियंत्रण से परे होते हैं।

(xiii) राजस्व स्वीकृति

ग्राहकों के साथ किए गए अनुबंध से राजस्व

i. राजस्व स्वीकृति (अथवा के रूप में) तब प्रदान की जाती है जब कम्पनी किसी ग्राहक को प्रतिबद्ध माल एवं सेवाओं (अर्थात परिसम्पत्ति) के अंतरण के निष्पादन के प्रति संतुष्ट हो।

ii. समय बिंदु पर दायित्वों का संतोषजनक निष्पादन

क. माल अथवा सेवाओं के नियंत्रण के अंतरण के निष्पादित दायित्व की प्रगति के प्रति पूर्ण संतुष्टि होने का मापन करने के समय बिंदु पर निम्नलिखित में से किसी एक मापदंड को पूरा किए जाने की स्थिति में राजस्व मान्यता प्रदान की जाती है:-

- जब कम्पनी के निष्पादन के परिणामस्वरूप ग्राहक को कम्पनी के निष्पादन के साथ साथ लाभ प्राप्त करने एवं उपयोग का अधिकार होता है।
- जब कम्पनी द्वारा किए जाने वाले निष्पादन से उस परिसम्पत्ति की उत्पत्ति अथवा संवर्धन होता हो जिसका परिसम्पत्ति की उत्पत्ति एवं संवर्धन के साथ साथ नियंत्रण ग्राहक द्वारा किया गया हो।
- जब कम्पनी के निष्पादन से कम्पनी द्वारा किए जाने वाले वैकल्पिक उपयोग वाली किसी परिसम्पत्ति की उत्पत्ति न हो तथा अब तक प्रदान किए गए निष्पादन के संबंध में कम्पनी को भुगतान के प्रवर्तनीय अधिकार प्राप्त हों।

ख. किसी निष्पादन दायित्व की प्रगति के संतोषजनक निर्वाह का मूल्यांकन अनुबंध को पूरा किए जाने की संभावित अनुमानित लागत की रिपोर्टिंग तिथि तक व्यय की गई वास्तविक लागतों के अनुपात के आधार पर किया जाता है। यदि किसी निष्पादन दायित्व के प्रतिफल के विश्वसनीय अनुमान लगाए जाने संभव नहीं होते तथा जब लागतों की वसूली संभाव्य हो तो व्यय की गई लागतों के लिए राजस्व स्वीकृति की जाती है।

ग. एएमसी अनुबंधों के ऐसे मामलों में, जिनमें निष्पादन दायित्व के प्रति संतुष्टि के मापदंड समय पर आधारित होते हैं, राजस्व स्वीकृति आउटपुट विधि के उपयोग से की जाती है।

iii. समय बिन्दु पर निष्पादन दायित्व के प्रति संतुष्टि

क. ऐसे मामलों के संबंध में जब नियंत्रण का अंतरण समय बिंदु पर न किया गया हो तो कम्पनी द्वारा राजस्व के प्रति प्रदान की जाने वाली स्वीकृति निष्पादन दायित्वों के प्रति संतुष्टि के समय बिन्दु पर की जाती है।

ख. ग्राहक द्वारा परिसम्पत्ति का नियंत्रण प्राप्त किए जाने पर निष्पादन दायित्व पूरा हो जाते हैं। नियंत्रण अंतरण के सूचकों में निम्नलिखित शामिल है:-

- कम्पनी द्वारा परिसम्पत्ति का भौतिक धारण अंतरित किया जाना
- ग्राहक के पास परिसम्पत्ति का विधिक शीर्ष होना
- ग्राहक द्वारा परिसम्पत्ति की स्वीकृति किया जाना
- कम्पनी के पास परिसम्पत्ति के लिए भुगतान करने के अधिकार विद्यमान होना
- परिसम्पत्ति के महत्वपूर्ण जोखिम एवं स्वामित्व प्रतिफल ग्राहक का होना। अनुबंध से सम्बद्ध दायित्वों के मूल्यांकन के आधार पर महत्वपूर्ण जोखिमों एवं स्वामित्व प्रतिफल का अंतरण किया जाता है।

iv. मापन

1. निष्पादन दायित्व के लिए निर्धारित संव्यवहार मूल्य की राशि पर राजस्व स्वीकृति की जाती है।
2. संव्यवहार मूल्य वह राशि है जिसकी प्रत्याशित पात्रता कम्पनी द्वारा किसी ग्राहक को प्रतिबद्ध माल एवं सेवाओं के विनिमय, तृतीय पक्षकारों की ओर से संग्रहित राशि के अलावा, के फलस्वरूप की जाती है।
3. मूल्य संवर्धन के मामले में, जिसमें ग्राहक द्वारा अतिरिक्त प्रतिफल का निर्धारण एवं अनुमोदन दिया जाता है, अतिरिक्त राजस्व के प्रति दी जाने वाली

स्वीकृति ग्राहक (ग्राहकों) से प्राप्ति की पुष्टि के पश्चात की जाती है।

4. राजस्व का मापन प्राप्त अथवा प्राप्य उचित मूल्य पर होता है। राजस्व स्वीकृति से पूर्व नीचे प्रस्तुत विशिष्ट स्वीकृति मापदंड भी पूरे किए जाने चाहिए:

क) हैलीकॉप्टरों के परिचालन से राजस्व की स्वीकृति उपचय आधार पर अनुबंध की शर्तों के अनुसार की जाती है।

ख) इंजीनियरिंग तथा अन्य सेवाओं से सम्बद्ध राजस्व की स्वीकृति संव्यवहार की पूर्णता के स्तर के संदर्भ में रिपोर्टिंग तिथि के अंत में तब की जाती है जब सेवाओं की प्रस्तुति के संबंध में प्रतिफल के विश्वसनीय अनुमान लगाए जा सकते हों।

ग) अपशिष्ट परिसम्पत्तियों / भंडार की बिक्री से प्राप्त राजस्व की स्वीकृति वास्तविक प्राप्ति के अनुसार की जानी है।

घ) वित्तीय परिसम्पत्तियों से ब्याज आय की स्वीकृति तब की जानी है जब ऐसी संभावना हो कि इससे कम्पनी के लिए आर्थिक लाभ प्रवाहित होंगे तथा आय की राशि का मापन विश्वसनीयता से किया जा सकेगा। मूल बकाया के संदर्भ में समय आनुपातिक आधार पर लागू ब्याज दर पर उत्पन्न ब्याज की दर वह होती है जो उस परिसम्पत्ति की प्रारंभिक स्वीकृति के समय की निवल वहन राशि के अनुसार वित्तीय परिसम्पत्तियों के संभावित उपयोग्यता काल के माध्यम से अनुमानित भावी नकदी प्राप्ति में सटिक न्यूनता करती है।

v. स्टैंड-एलोन विक्रय मूल्य उपलब्ध न होने की स्थिति में कम्पनी द्वारा स्टैंड-एलोन विक्रय मूल्य के अनुमान लगाए जाते हैं।

vi. दंड

किसी अनुबंध में निर्दिष्ट दंड (विलम्बित देरी के निर्णित हर्जानों पर लेवी सहित) संव्यवहार मूल्य का अंतर्निहित भाग नहीं माना जाता है यदि उसकी पुनरीक्षा ग्राहक द्वारा की जानी अपेक्षित है।

(xiv) शेयरधारकों को लाभांश

इक्विटी शेयरधारक के लाभांश की स्वीकृति दायित्व के रूप में की जाती है तथा शेयरधारक की इक्विटी में से इसकी कटौती उस अवधि में की जाती है जिस अवधि के दौरान आम बैठक में शेयरधारक द्वारा लाभांश अनुमोदित किया गया है। अंतरिम लाभांश, यदि कोई हो, कम्पनी के निदेशक मंडल द्वारा की गई घोषणा की तिथि के लिए दायित्व के तौर पर रिकार्ड में लिया जाता है।

(xv) पूर्व चुकता व्यय

5,000/- रुपए की राशि से कम के एकल पूर्व चुकता व्यय का लेखांकन नहीं किया जाता है।

(xvi) ऋण लागतें

किसी ऐसी योग्य परिसम्पत्ति, जिसके आशित उपयोग अथवा बिक्री के लिए निर्माण अथवा अधिग्रहण में काफी समय लगना अपेक्षित हो, से सीधे सम्बद्ध ऋण लागतों का पूंजीयन परिसम्पत्तियों के भाग के रूप में उस समय तक किया जाता है जब तक ऐसी परिसम्पत्तियां आशित उद्देश्य अथवा बिक्री के लिए तैयार होती है। सामान्यतः ऋण लागतों का पूंजीयन ऐसी परिसम्पत्ति के व्यय पर पूंजीयन दर के उपयोग से योग्य परिसम्पत्तियों के रूप में किया जाता है। विशिष्ट ऋणों के अलावा सामान्य ऋण बकायों पर लागू ऋण लागतों की भारित औसत पूंजीयन दर होती है। अन्य सभी ऋण लागतों को व्यय किए जाने की अवधि में प्रभारित किया जाता है। ऋण लागतों में ब्याज तथा वे अन्य लागतें भी शामिल होती हैं जो इकाई द्वारा निधियों के ऋण के लिए व्यय की गई हों। ऋण लागत में ऋण लागतों पर समायोजन के लिए उपयोग में लाया गया ऋण अंतर भी शामिल होता है। अन्य ऋण लागतों की व्यय के रूप में स्वीकृति उनके व्यय किए जाने के वर्ष में की जाती है।

(xvii) कमीशन

बिक्री पर चुकता / देय कमीशन की स्वीकृति टिकटों की बिक्री के लिए तथा एजेंटों (ग्राहकों) के साथ किए गए अनुबंध के उपबंधों के अनुसार की जाती है।

कम्पनी इसमें चूंकि प्रधान के कार्य करती है अतः लाभ एवं हानि विवरण में इस व्यय की स्वीकृति कमीशन के रूप में की जाती है।

(xviii) व्यय

व्ययों का लेखांकन उपचय आधार पर किया जाता है तथा प्रत्येक ज्ञात हानियों एवं देयताओं के लिए प्रावधान किए जाते हैं।

(xix) हेलीकॉप्टर मरम्मत एवं अनुरक्षण लागत

कम्पनी द्वारा हेलीकॉप्टर मरम्मत एवं अनुरक्षण लागत (प्रमुख ओवरहॉल लागत के अलावा) को व्यय के आधार पर लाभ एवं हानि विवरण में प्रभारित किया जाता है।

(xx) हेलीकॉप्टर ईंधन व्यय

हेलीकॉप्टर ईंधन व्ययों की स्वीकृति लाभ एवं हानि विवरण में किसी प्रकार की छूट काटकर भराई एवं खपत के अनुसार की जाती है।

(xxi) आय कर

आय कर व्यय में चालू एवं आस्थगित आय कर शामिल है। लाभ एवं हानि विवरण में आय कर व्ययों की स्वीकृति, इक्विटी से प्रत्यक्ष स्वीकृत मदों के अलावा जिन्हें अन्य व्यापक आय में स्वीकृत किया जाता है, के अलावा की जाती है।

चालू कर

चालू एवं पूर्वावधियों के चालू आय कर की स्वीकृति कर प्राधिकरणों को देय संभावित राशि अथवा वसूल की जाने वाली राशि के अनुसार उन कर दरों एवं कर विधियों के उपयोग से की जाती है जिनका सम्पादन अथवा अनुवर्ती सम्पादन तुलन पत्र तिथि के लिए किया गया है। इक्विटी में प्रत्यक्ष स्वीकृत मदों से सम्बद्ध चालू कर की स्वीकृति लाभ एवं हानि विवरण के स्थान पर अन्य व्यापक आय में की जाती है।

निर्धारण के अनुसार की गई अतिरिक्त आय कर मांग की स्वीकृति अंतिम निर्धारण तय होने के वर्ष में की जाती है। तदनुसार आय कर धनवापसी पर ब्याज का

लेखांकन निर्धारण तय होने के वर्ष अथवा वास्तविक प्राप्ति, जो भी बाद में हो, के अनुसार किया जाता है।

कम्पनी द्वारा उन चालू कर परिसम्पत्तियों तथा चालू कर दायित्वों का समंजन किया जाता है जिनके संबंध में स्वीकृत मात्रा के अनुसार समंजन के लिए विधिक प्रवर्तन अधिकार उपलब्ध हैं तथा जो सकल आधार पर इनका निपटान करने अथवा परिसम्पत्ति से धन प्राप्त करने अथवा साथ साथ दायित्व का निपटान करने की मंशा से हो। संबंधित वर्ष के लिए आय कर प्रावधान वित्तीय वर्ष के लिए लागू संभावित वार्षिक कर दर पर किए जाते हैं।

(xxii) आस्थगित कर

आस्थगित आय कर परिसम्पत्तियों एवं दायित्वों की स्वीकृति परिसम्पत्तियों एवं दायित्वों के कर आधार एवं वित्तीय विवरणों में उनकी वहन राशि के कर आधार के मध्य उत्पन्न सभी अस्थाई अंतरों के अनुसार की जाती है। आस्थगित कर की वहन राशि की समीक्षा प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि के अंत में होती है तथा इसे उस सीमा तक न्यून किया जाता है जहां तक उपयोग की जाने वाली आस्थगित कर परिसम्पत्ति के प्रत्येक अथवा किसी भाग पर पर्याप्त कर योग्य लाभ प्राप्त होने की संभावना न हो।

आस्थगित कर परिसम्पत्तियों एवं दायित्वों का मापन तुलन पत्र तिथि के सम्पादन अथवा अनुवर्ती सम्पादन के लिए उपयोग में लाई गई कर दरों तथा कर विधियों के अनुसार किया जाता है तथा जिनके उपयोग की संभावना उन वर्षों की कर योग्य आय के लिए होती है जिन वर्षों में इनके अस्थाई अंतरों की वसूली अथवा निपटान संभावित हैं। आस्थगित कर परिसम्पत्तियों तथा दायित्वों की कर दरों में परिवर्तन के प्रभाव उनके अधिनियमन अथवा विधिवत प्रस्तावित अधिनियमन की तिथि के साथ वर्ष की आय अथवा व्यय में स्वीकृत किए जाते हैं। आस्थगित कर आय परिसम्पत्ति की स्वीकृति उस सीमा तक की जाती है जिसके प्रति उनसे ऐसे भावी कर योग्य लाभों की प्राप्ति की संभावना हो जिससे कटौती योग्य अस्थाई अंतरों तथा कर हानियों का उपयोग किया जा सकेगा।

स्वीकृत न किए गए आस्थगित कर का पुनःमूल्यांकन प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को किया जाता है तथा उनकी स्वीकृति उस सीमा तक की जाती है जिसमें उन कर योग्य लाभों की प्राप्ति की संभावना हो जिन्हें इनके प्रति उपयोग में लाया जा सकेगा।

आस्थगित कर परिसम्पत्तियों एवं दायित्वों का समंजन केवल तभी किया जाता है जब कम्पनी के पास चालू कर दायित्वों के प्रति चालू कर परिसम्पत्तियों के समंजन के लिए प्रवर्तन योग्य विधिक अधिकार उपलब्ध हो तथा आस्थगित कर परिसम्पत्तियां एवं आस्थगित कर दायित्व उन्हीं कराधान प्राधिकरण द्वारा समान कर योग्य इकाई के लिए अधिरोपित आय कर से संबंधित हों।

लाभ एवं हानि से बाहर की मदों से संबंधित स्वीकृत आस्थगित कर की स्वीकृति लाभ एवं हानि के बाहर (अन्य व्यापक आय में अथवा इक्विटी में) की जाती है।

आय कर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अंतर्गत उपलब्ध न्यूनतम वैकल्पिक कर (एमएटी) की स्वीकृति लाभ एवं हानि विवरण में की जाती है। चुकता किए गए न्यूनतम वैकल्पिक कर के संबंध में अधिनियम के अंतर्गत प्रयुक्त क्रेडिट की स्वीकृति परिसम्पत्ति के रूप में केवल तभी की जाती है जब ऐसा स्वीकार्य प्रमाण उपलब्ध हो कि कम्पनी द्वारा उस अवधि के लिए सामान्य आय कर चुकता कर दिया जाएगा जिस अवधि के लिए सामान्य कर दायित्वों का समंजन न्यूनतम वैकल्पिक कर को अप्रेषित करके किया जा सकता है। परिसम्पत्ति के तौर पर स्वीकृत न्यूनतम वैकल्पिक कर की समीक्षा प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि में की जाती है तथा उपर्युक्तानुसार स्वीकार्य प्रमाण विद्यमान न होने की स्थिति में इन्हें संबंधित सीमा तक प्रभारित कर लिया जाता है।

(xxiii) प्रति इक्विटी शेयर आय

प्रति इक्विटी शेयर मूल आय का आकलन कम्पनी के इक्विटी शेयरधारकों के शुद्ध लाभ अथवा हानि को वित्तीय वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की

भारित औसत संख्या से विभाजित करके किया जाता है। प्रति शेयर विरल की गई राशि सामान्य इक्विटी शेयरों के लाभ एवं हानि तथा भारित औसत इक्विटी शेयरों से समायोजित करके आकलित करते हुए सम्बद्ध की जाती है जिससे विरल किए गए शेयरों की संख्या के प्रभाव उत्पन्न हो सकें।

(xxiv) सेगमेंट रिपोर्टिंग

प्रचालनात्मक सेगमेंट की रिपोर्टिंग आंतरिक रिपोर्टिंग से संगत पद्धति के अनुसार मुख्य परिचालन निर्णय निर्धारक को की जाती है। मुख्य परिचालन निर्णय निर्धारक निदेशक मंडल होता है जिसके द्वारा रणनीतिक निर्णय लिए जाते हैं तथा जो प्रचालनात्मक सेगमेंट के संसाधनों एवं निष्पादन मूल्यांकन के निर्धारण के प्रति उत्तरदायी है।

(xxv) बीमा/ बीमा दावे

- क) हेलीकॉप्टरों तथा मालसूची से भिन्न बीमा दावों का लेखांकन नकदी आधार पर किया जाता है तथा आय के रूप में इनकी स्वीकृति तब की जाती है जब ये किसी तृतीय पक्षकार को देय हों।
- ख) पूर्ण हानि के अलावा वसूली योग्य हेलीकॉप्टर एवं मालसूची से संबंधित दावों का लेखांकन अनुमानित / अंतिम मूल्यांकित मूल्य पर बीमा सर्वेक्षक / बीमा कम्पनी द्वारा दावे की स्वीकृति के प्रति यथार्थ निश्चितता स्थापित होने के संबंध में संबंधित वित्तीय वर्ष की लेखा बहियों के समापन से पूर्व जानकारी प्राप्त होने पर अंतिम दावा किए जाने के वर्ष की लेखा बहियों में किया जाता है अथवा इनका लेखांकन दावा स्वीकृति के वर्ष में किया जाता है। मरम्मत के वास्तविक व्यय तथा कुल बीमा दावे की स्वीकृति लाभ एवं हानि विवरण में की जाती है तथा परिसम्पत्तियों को उनके बही मूल्य पर अग्रेषित किया जाता है।
- ग) हेलीकॉप्टर की पूर्ण क्षति के मामले में घटना घटित होने के वर्ष में सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण में से हेलीकॉप्टर के बही मूल्य को घटाकर समायोजन किए जाते हैं तथा “बीमा दावा प्राप्य लेखा” में

इसका उल्लेख किया जाता है तथा बीमा कम्पनी द्वारा दावे के मूल्य की स्वीकृति / निपटान किए जाने पर “परिसम्पत्ति के भंजन पर प्राप्त बीमा दावे” के लिए लाभ / हानि के उचित समायोजन किए जाते हैं।

(xxvi) रिपोर्टिंग अवधि के पश्चात घटित घटनाएं

समायोजन स्थितियां वे स्थितियां हैं जिनमें उन परिस्थितियों के संबंध में प्रमाण प्राप्त होते हैं जो रिपोर्टिंग अवधि के अंत में विद्यमान थे। ऐसी स्थितियों के लिए वित्तीय विवरणों का समायोजन जारी किए जाने के प्राधिकार से पूर्व किया गया है।

गैर-समायोजन स्थितियां वे स्थितियां हैं जो उन परिस्थितियों की सूचक हैं जो रिपोर्टिंग अवधि के पश्चात उत्पन्न हुई थी। रिपोर्टिंग अवधि के पश्चात गैर-समायोजन स्थितियों का लेखांकन नहीं किया गया है, अपितु उनका प्रकटीकरण किया गया है।

(xxvii) पट्टे

पट्टेदार के रूप में कम्पनी

ऐसे तृतीय पक्ष पट्टों, जिनसे कम्पनी को परिसम्पत्ति के संबंध में उपयोग अधिकार प्राप्त होता है, का लेखांकन, यदि लेखांकन मानक में निर्दिष्ट स्वीकृति मानक पूरे किए गए होते हैं, इंड एस 116 – पट्टे के प्रावधानों के अनुसरण में किया जाता है।

अल्पकालिक पट्टों तथा न्यून मूल्य की परिसम्पत्तियों से संबंधित पट्टा भुगतान पट्टा काल के दौरान सीधी रेखा आधार पर व्यय प्रभारित किए जाते हैं अथवा अन्य व्यवस्थित आधार पर किए जाते हैं, जो भी लागू हो।

प्रारंभ तिथि को “उपयोग अधिकार” मूल्य का पूंजीयन, उनके बकाया पट्टा भुगतान जमा प्रारंभिक प्रत्यक्ष लागत एवं संबंधित परिसम्पत्ति के विखंडन तथा हटाए जाने की अनुमानित लागत, यदि कोई हो, पर किया जाता है तथा इसे संयंत्र, संपत्ति एवं उपकरण में शामिल किया जाता है।

पट्टे के प्रति बकाया पट्टा भुगतानों के वर्तमान मूल्य के समान राशि की देयता निर्मित की जाती है तथा इसे

ऋण के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। लागत मॉडल के उपयोग से अनुवर्ती मापन, यदि कोई हो, किया जाता है।

सभी पट्टा भुगतान निर्मित दायित्व एवं वित्त लागत के मध्य नियत किए जाते हैं। प्रत्येक अवधि के लिए शेष बकाया की सतत आवधिक ब्याज दर प्राप्त करने के लिए वित्त लागत को पट्टा अवधि के दौरान लाभ एवं हानि विवरण में प्रभारित किए जाता है।

उपयोग अधिकार वाली परिसम्पत्ति का मूल्यहास परिसम्पत्ति की उपयोग्यता से कम काल में तथा पट्टा काल में सीधी रेखा आधार पर किया जाता है।

पट्टा भुगतानों का मितिकाटा पट्टे में निहित ब्याज दर, यदि ऐसी ब्याज निर्धारण योग्य है, अथवा कम्पनी की वृद्धिशील ऋण दर के उपयोग से किया जाता है।

पट्टा संशोधनों, यदि कोई हों, का लेखांकन मानक के निर्दिष्ट स्वीकृति मानकों को पूरा कर लिए जाने की स्थिति में अलग पट्टे के रूप में किया जाता है।

पट्टाकार के रूप में कम्पनी

पट्टों का वर्गीकरण इंड एस 116 – पट्टे में विनिर्दिष्ट स्वीकृति के मापदंडों के आधार पर परिचालन पट्टा अथवा वित्त पट्टा के रूप में किया जाता है।

क) वित्त पट्टा :

प्रारंभ तिथि को 'पट्टे में निवल निवेश' की समतुल्य राशि की प्रस्तुति प्राप्त के तौर पर की जाती है। निहित ब्याज दर का उपयोग 'पट्टे में निवल निवेश' के मापन के लिए किया जाता है।

प्रत्येक लीज़ भुगतान को सृजित प्राप्त्य एवं वित्तीय आय के मध्य सभी पट्टा भुगतान नियत किए जाते हैं। पट्टे में निवल निवेश पर नियत आवधिक दर के प्रतिफल को दशानि के लिए पट्टा काल के दौरान वित्त आय की स्वीकृति लाभ एवं हानि विवरण में की जाती है।

इंड एस 109 – वित्तीय प्रपत्र के अनुसार स्वीकृति समाप्त करने तथा अक्षमता हानि अपेक्षाओं के लिए परिसम्पत्ति का परीक्षण किया जाता है।

पट्टा संशोधनों, यदि कोई हों, का लेखांकन मानक के निर्दिष्ट स्वीकृति मानकों को पूरा कर लिए जाने की स्थिति में अलग पट्टे के रूप में किया जाता है।

ख) प्रचालन पट्टे :

कम्पनी द्वारा परिचालन पट्टों से प्राप्त पट्टा भुगतानों की स्वीकृति सीधी रेखा आधार पर अथवा आवश्यकतानुसार अन्य किसी व्यवस्थित आधार पर की जाती है।

पट्टा संशोधनों, यदि कोई हों, का लेखांकन मानक के निर्दिष्ट स्वीकृति मानकों को पूरा कर लिए जाने की स्थिति में अलग पट्टे के रूप में किया जाता है।

पवन हंस लिमिटेड
31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों के नोट

3 सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण
3.1 सक्रिय उपयोग के अंतर्गत परिसम्पत्तियां

विवरण	उपयोग अधिकार वाली परिसम्पत्तियां हेलीकॉप्टर एस76डी	हेलीकॉप्टर / एयरो इंजन तथा अन्य संबंधित घटक	भवन	संयंत्र एवं उपकरण	फर्नीचर एवं जुड़नार	वाहन	कार्यालय उपकरण	कम्प्यूटर एवं अन्य संबंधित उपकरण	उपयोग अधिकार परिसम्पत्तियां	योग	(रुपए लाख में)
1 अप्रैल 2022 की स्थिति के अनुसार सकल वहन मूल्य	19,892.78	1,11,102.78	2,486.75	3,080.52	322.15	80.70	197.53	241.48	2,868.80	1,40,273.47	956.25
आवर्धन	-	5,093.63	-	246.54	0.74	-	19.80	28.13	69.49	5,458.33	71.43
निपटान / समायोजन	(3,046.14)	(2,566.83)	-	(14.06)	(0.16)	(10.27)	(0.58)	(13.53)	-	(5,651.57)	(889.89)
क्षमता हानि	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
बंद परिचालनों में अंतर्गत	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार सकल वहन मूल्य	16,846.64	1,13,629.59	2,486.75	3,312.99	322.73	70.43	216.75	256.07	2,938.29	1,40,080.23	137.79
आवर्धन	-	7,689.80	4.36	234.55	8.20	23.91	16.85	4.59	1,368.99	9,351.24	461.61
निपटान / समायोजन	(1,636.52)	(689.75)	-	(0.55)	(1.07)	(6.92)	(2.69)	8.70	-	(2,328.80)	(73.21)
क्षमता हानि	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार सकल वहन मूल्य	15,210.12	1,20,629.64	2,491.11	3,546.99	329.86	87.42	230.91	269.36	4,307.28	1,47,102.68	526.19
मूल्यहास एवं क्षमता हानि											
1 अप्रैल, 2022 की स्थिति के अनुसार संवयी मूल्यहास	1,665.26	38,794.01	862.55	1,630.46	271.03	68.28	129.99	193.74	2,131.11	45,746.43	-
वर्ष के दौरान मूल्यहास - जारी परिचालन	2,225.14	6,671.43	113.91	217.70	5.15	2.08	10.41	8.24	642.52	9,896.57	-
वर्ष के दौरान प्रभारित मूल्यहास - जारी परिचालन	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
बंद परिचालनों में अंतर्गत	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
क्षमता हानि	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
धारित आय में से समायोजित राशि	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
निपटान / समायोजन	-	(2,230.55)	-	(7.25)	(0.12)	(8.63)	(0.47)	(10.65)	-	(2,257.68)	-
31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार संवयी मूल्यहास	3,890.40	43,234.89	976.46	1,840.91	276.06	61.73	139.93	191.33	2,773.63	53,385.33	-
वर्ष के दौरान प्रभारित मूल्यहास - जारी परिचालन	2,006.97	7,290.21	114.22	210.87	4.92	1.61	13.31	15.55	716.24	10,373.91	-
क्षमता हानि	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
धारित आय में से समायोजित राशि	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
निपटान / समायोजन	-	(633.59)	-	(0.46)	(0.97)	-5.92	(2.34)	8.97	-	(634.31)	-



विवरण	उपयोग अधिकार वाली परिसम्पत्तियां हेलीकॉप्टर एस76डी	हेलीकॉप्टर / एयरो इंजन तथा अन्य संबंधित घटक	भवन	संयंत्र एवं उपकरण	फर्नीचर एवं जुड़नार	वाहन	कार्यालय उपकरण	कम्प्यूटर एवं अन्य संबंधित उपकरण	उपयोग अधिकार परिसम्पत्तियां	योग	पूँजी कार्य प्रगति पर
31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार संवयी मूल्यहास	5,897.37	49,891.51	1,090.68	2,051.32	280.00	57.42	150.91	215.85	3,489.87	63,124.93	-
निवल बढी मूल्य											
31 मार्च 2024 की स्थिति	9,312.75	70,738.13	1,400.42	1,495.67	49.85	30.01	80.00	53.51	817.41	83,977.75	526.19
31 मार्च, 2023 की स्थिति	12,956.24	70,394.70	1,510.28	1,472.09	46.67	8.71	76.82	64.75	164.66	86,694.91	137.79
1 अप्रैल, 2022 की स्थिति	18,227.52	72,308.77	1,624.20	1,450.06	51.12	12.42	67.54	47.74	737.69	94,527.04	956.25
			31 मार्च, 2024 की स्थिति	31 मार्च, 2023 की स्थिति	अप्रैल, 2022 की स्थिति						
सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण			83,977.75	86,694.91	94,527.04						
घटाएं : उपयोग में न लाई जा रही परिसम्पत्तियों के लिए प्रावधान			-	-	-						
			83,977.75	86,694.91	94,527.04						
पूँजी कार्य प्रगति पर			526.19	137.79	956.25						
घटाएं : पूँजी कार्य प्रगति पर के प्रति प्रावधान			(64.58)	(64.58)	(64.58)						
			461.61	73.21	891.67						

नोट सं. 4
अमूर्त परिसम्पत्तियां

(रुपए लाख में)

विवरण	कम्प्यूटर साफ्टवेयर	योग
1 अप्रैल, 2022 को सकल वहन मूल्य	207.30	207.30
आवर्धन/ ((विलोपन / समायोजन)	-	-
31 मार्च, 2023 को सकल वहन मूल्य	207.30	207.30
आवर्धन/ ((विलोपन / समायोजन)	-	-
31 मार्च, 2024 को सकल वहन मूल्य	207.30	207.30
परिशोधन एवं क्षमता हानि		
1 अप्रैल 2022 की स्थिति के अनुसार संचित मूल्यह्रास	207.30	207.30
परिशोधन	-	-
क्षमता हानि	-	-
31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार संचित मूल्यह्रास	207.30	207.30
परिशोधन	-	-
क्षमता हानि	-	-
31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार संचित मूल्यह्रास	207.30	207.30
निवल बही मूल्य		
31 मार्च 2024 की स्थिति	-	-
31 मार्च 2023 की स्थिति	-	-
1 अप्रैल 2022 की स्थिति	-	-

नोट सं. 5
निवेश

(रुपए लाख में)

विवरण	निम्नानुसार स्थिति		
	31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2023	1 अप्रैल 2022
गैर चालू			
गैर-उद्भूत इक्विटी उपकरण			
अन्य व्यापक आय (पूर्ण चुकता) के माध्यम से उचित मूल्य पर निवेश			
नेशनल फ्लाइंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट प्रा.लि.	289.34	289.34	289.34
28,93,353 (पि.व.28,93,353) 10/रुपए मूल्य प्रत्येक के पूर्ण चुकता इक्विटी शेयर)			
घटाएं: निवेश मूल्य पर घटत के प्रावधान	(289.34)	(289.34)	(289.34)
योग	-	-	-
गैर-उद्भूत निवेश का औसत वहन मूल्य	289.34	289.34	289.34
गैर-उद्भूत निवेश का औसत बाजार मूल्य			
निवेश के मूल्य की औसत अक्षमता हानि राशि	289.34	289.34	289.34



नोट सं. 6

ऋण*

(रुपए लाख में)

विवरण	निम्नानुसार स्थिति		
	31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2023	1 अप्रैल 2022
गैर चालू			
सम्बद्ध पार्टियों को ऋण			-
अन्य ऋण			
(i) कर्मचारियों को ऋण			
प्रतिभूत, अच्छा माना गया	11.42	51.44	87.47
अप्रतिभूत, अच्छा माना गया	27.07	25.63	3.95
अप्रतिभूत, संदेहास्पद माना गया	69.98	22.55	21.75
	108.47	99.62	113.17
घटाएं: संदेहास्पद ऋण के प्रावधान	(69.98)	(22.55)	(21.75)
	38.49	77.07	91.42
(ii) पूर्व चुकता व्यय – प्रतिभूत, अच्छा माना गया	-	0.06	1.66
(iii) सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों को ऋण, संदेहास्पद माना गया	725.00	725.00	725.00
घटाएं: संदेहास्पद ऋण के प्रावधान	(725.00)	(725.00)	(725.00)
	-	-	-
योग	38.49	77.13	93.08

*निदेशक, कम्पनी के अन्य अधिकारियों अथवा फर्मों जिनमें निदेशक साझीदार हैं अथवा ऐसी निजी कम्पनियों जिनमें कोई निदेशक रिपोर्टिंग अवधि के किसी समय के दौरान निदेशक अथवा सदस्य रहा है, से कोई राशि देय नहीं है।

नोट सं. 7

अन्य वित्तीय परिसम्पत्तियां

(रुपए लाख में)

विवरण	निम्नानुसार स्थिति		
	31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2023	1 अप्रैल 2022
(अप्रतिभूत, यदि अन्य उल्लेख नहीं है तो अच्छा माना गया)			
गैर-चालू			
प्रतिभूति जमा			
अप्रतिभूत – अच्छा समझा गया	356.07	423.53	429.93
अप्रतिभूत- संदेहास्पद समझा गया	13.73	13.72	13.72
	369.80	437.25	443.65
घटाएं: संदेहास्पद जमा के प्रावधान	(13.73)	(13.72)	(13.72)
	356.07	423.53	429.93
उपार्जित ब्याज			
-कर्मचारी ऋण			
प्रतिभूत, अच्छा समझा गया	37.81	52.17	84.88
अप्रतिभूत – अच्छा समझा गया	-	-	-
अप्रतिभूत- संदेहास्पद समझा गया	22.78	22.78	22.78
	60.59	74.95	107.66
घटाएं: कर्मचारी ऋण पर संदेहास्पद ब्याज उपार्जन के लिए प्रावधान	(22.78)	(22.78)	(22.78)
	37.81	52.17	84.88
सम्बद्ध पार्टी से उपार्जित ब्याज			-
	393.88	475.70	514.81
चालू			
निम्नलिखित पर उपार्जित ब्याज			
- सावधि जमा	123.52	136.31	108.35
- कर्मचारी ऋण			
प्रतिभूत, अच्छा समझा गया	20.31	28.24	17.94
अप्रतिभूत, अच्छा समझा गया	-	-	-
	20.31	28.24	17.94
सम्बद्ध पार्टी से उपार्जित ब्याज			-
प्राप्य बीमा दावे	2,628.92	2,078.19	1,348.81
घटाएं : संदेहास्पद अग्रिम के लिए प्रावधान	(52.75)	(52.75)	(52.75)
	2,576.17	2,025.44	1,296.06
बैंकों में सावधि जमा खाते / चालू खाते	75.24	71.11	68.09
(ना.वि.महानिदेशालय से परियोजना के लिए राशि उपार्जित ब्याज सहित)			
संविदा परिसम्पत्तियां	1,699.55	1,057.09	1,079.24
घटाएं : संभावित क्रेडिट हानियों के प्रावधान	(947.50)	(947.50)	(947.50)
	752.05	109.59	131.74
अन्य	155.16	197.41	230.60
घटाएं : अन्यो से संदेहास्पद के प्रावधान	(9.97)	(9.97)	(9.97)
	145.19	187.44	220.63
	3,692.48	2,558.14	1,842.81
	4,086.36	3,033.84	2,357.62



नोट सं. 8

अन्य परिसम्पत्तियां*

(रुपए लाख में)

विवरण	निम्नानुसार स्थिति		
	31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2023	1 अप्रैल 2022
गैर-चालू	-	-	-
पूंजी अग्रिम			-
अन्यों को अग्रिम			
अप्रतिभूत, अच्छा समझा गया	806.80	27.41	221.39
अप्रतिभूत - संदेहास्पद समझा गया	65.18	65.18	65.18
	871.98	92.59	286.57
घटाएं: संदेहास्पद अग्रिम प्रावधान	(65.18)	(65.18)	(65.18)
	806.80	27.41	221.39
अग्रिम आयकर (निवल प्रावधान)	4,235.15	7,232.67	6,809.45
घटाएं: संदेहास्पद अग्रिम के लिए प्रावधान	(129.55)	(95.53)	(95.53)
	4,105.60	7,137.14	6,713.92
पूर्व चुकता व्यय	-	-	-
अन्य प्राप्त्य	54.35	194.61	144.15
घटाएं: संदेहास्पद प्राप्त्य के लिए प्रावधान	(2.92)	(2.92)	(2.92)
	51.43	191.69	141.23
योग	4,963.83	7,356.24	7,076.54
चालू	-	-	-
अन्यों को अग्रिम			
अप्रतिभूत, अच्छा समझा गया	592.53	1,363.77	1,754.38
अप्रतिभूत - संदेहास्पद समझा गया	231.77	127.83	127.83
	824.30	1,491.60	1,882.21
घटाएं: संदेहास्पद अग्रिम प्रावधान	(231.77)	(127.83)	(127.83)
	592.53	1,363.77	1,754.38
अप्रतिभूत, अच्छा समझा गया			
'सांविधिक प्राधिकरणों के पास शेष	4,521.71	3,937.97	2,219.55
घटाएं: संदेहास्पद अग्रिम प्रावधान	(117.63)	(49.99)	(49.99)
	4,404.08	3,887.98	2,169.56
एमएटी क्रेडिट पात्रता			
घटाएं: प्रयुक्त एमएटी क्रेडिट	-	-	-
पूर्व चुकता व्यय	509.17	660.97	578.15
रोहिणी हेलीपोर्ट लिमिटेड	327.92	356.68	-
अन्य	2.03	2.03	1.48
योग	5,835.74	6,271.42	4,503.57

*निदेशक, कम्पनी के अन्य अधिकारियों अथवा फर्मों जिनमें निदेशक साझीदार हैं अथवा ऐसी निजी कम्पनियों जिनमें कोई निदेशक रिपोर्टिंग अवधि के किसी समय के दौरान निदेशक अथवा सदस्य रहा है, से कोई राशि देय नहीं है।

नोट सं. 9
मालसूचियां

(रुपए लाख में)

विवरण	निम्नानुसार स्थिति		
	31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2023	1 अप्रैल 2022
(प्रमाणित तथा प्रबंधन द्वारा मूल्यांकित)			
भंडार एवं कलपूजें	10,174.11	9,842.50	9,499.68
जांच किया जा रहा माल	72.75	124.38	1,008.04
घटाएं: (i) नान मूविंग भंडार एवं कलपूजों के लिए प्रावधान	(4,201.70)	(4,018.55)	(3,805.74)
(ii) मालसूची में न्यूनता के लिए प्रावधान	(371.74)	(173.69)	(169.01)
(iii) मूल्य में न्यूनता के लिए प्रावधान	(453.13)	(453.14)	(453.14)
	5,220.29	5,321.50	6,079.83
मरम्मत तुल्य तथा रोटेबल्स कलपूजें	1,575.57	1,575.57	1,575.57
घटाएं: (i) अप्रचलित रिजर्व	(1,436.26)	(1,436.26)	(1,436.26)
(ii) मूल्य में अक्षमता हानि के	(139.31)	(139.31)	(139.31)
	-	-	-
टेस्ट टूल उपकरण (लागत पर)	116.26	147.81	125.49
घटाएं : अक्षमता हानि के प्रावधान	(4.14)	(2.38)	(0.96)
	112.12	145.43	124.53
जीड्रैम मॉड्यूल	501.37	501.37	501.37
घटाएं: (i) अप्रचलित रिजर्व	(447.21)	(447.21)	(447.21)
(ii) मूल्य में अक्षमता हानि के प्रावधान	(54.16)	(54.16)	(54.16)
	-	-	-
मार्गस्थ माल (लागत पर)	-	4.52	4.35
एविएशन टर्बाइन फ्यूल (लागत पर)	16.55	26.19	22.79
योग	5,348.96	5,497.64	6,231.50



नोट सं. 10

व्यवसाय प्राप्य

(रुपए लाख में)

विवरण	निम्नानुसार स्थिति		
	31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2023	1 अप्रैल 2022
अप्रतिभूत, अच्छा समझा गया	18,644.79	16,225.71	19,225.11
संदेहास्पद	11,740.69	9,808.18	9,369.92
	30,385.48	26,033.89	28,595.03
घटाएं: संदेहास्पद नामे/संभावित क्रेडिट हानियां	(11,740.69)	(9,808.18)	(9,369.92)
योग	18,644.79	16,225.71	19,225.11

- (i) सामान्यतः व्यवसाय प्राप्य ब्याज मुक्त होते हैं तथा इनकी अवधि सामान्यतः 30 से 90 दिन होती है।
- (ii) कम्पनी के किसी भी निदेशक अथवा अन्य अधिकारी से अलग अलग अथवा किसी अन्य व्यक्ति के साथ संयुक्त रूप से कोई व्यवसाय अथवा अन्य प्राप्य बकाया नहीं है। ऐसी किसी फर्म अथवा निजी कम्पनियों से भी क्रमशः कोई व्यवसाय अथवा अन्य प्राप्य बकाया नहीं है जिसमें कोई निदेशक तथा उनके कोई संबंधी, निदेशक, साझीदार अथवा सदस्य है।
- (iii) किसी नए ग्राहक की स्वीकृति से पूर्व कम्पनी द्वारा संभावित ग्राहक की क्रेडिट गुणवत्ता का मूल्यांकन करके ग्राहक की क्रेडिट सीमा निर्धारित की जाती है। ग्राहकों से सम्बद्ध सीमाओं की वार्षिक समीक्षा की जाती है।
- (iv) 31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार पांच ग्राहकों से 17357.20 लाख रुपए (31 मार्च 2023 की स्थिति के अनुसार 16291.02 लाख रुपए, अप्रैल 2022 की स्थिति के अनुसार छह ग्राहकों से 17297.49 लाख रुपए) के व्यवसाय प्राप्य शेष हैं। ऐसे कोई अन्य ग्राहक नहीं हैं जिनसे कुल शेष का 5% से अधिक व्यवसाय शेष प्राप्य हो।

नोट सं. 11

रोकड़ तथा रोकड़ समतुल्य

(रुपए लाख में)

विवरण	निम्नानुसार स्थिति		
	31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2023	1 अप्रैल 2022
11.1 बैंकों में शेष:			
- चालू खाते में	2,589.99	1,045.28	608.34
- विदेशी मुद्रा खाते से निर्यात आय	-	3.05	438.18
- फ्लैक्सी जमा खाते	1,030.45	2,903.14	2,016.41
- 3 माह से कम मूल परिपक्वता वाले सावधि जमा खाते	-	-	-
घटाएं : अस्थाई बैंक ओवरड्राफ्ट	-	-	(413.11)
उपलब्ध रोकड़	6.60	4.69	5.91
योग	3,627.05	3,956.17	2,655.73
11.2 अन्य बैंक शेष			
- सावधि जमा खाते	1,790.19	2,646.64	989.97
(3 माह से अधिक मूल परिपक्वता वाले)			
चालू खाता *	650.00	650.00	-
- बैंकों में मार्जिन धन	3,735.86	2,916.39	4,210.86
योग अन्य बैंक शेष	6,176.05	6,213.03	5,200.83
योग	9,803.10	10,169.20	7,856.56

* संदर्भ नोट संख्या 32 II (घ)

नोट सं. 12

ऋण

(रुपए लाख में)

विवरण	निम्नानुसार स्थिति		
	31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2023	1 अप्रैल 2022
चालू			
सम्बद्ध पार्टियों को ऋण	0.64	1.17	-
अन्य			
- कर्मचारियों को ऋण तथा अग्रिम			
प्रतिभूत, अच्छा समझा गया	129.16	144.81	76.17
अप्रतिभूत - अच्छा समझा गया	117.29	167.20	254.81
अप्रतिभूत - संदेहास्पद समझा गया	14.46	14.46	14.46
	260.91	326.47	345.43
घटाएं: संदेहास्पद ऋण एवं अग्रिम प्रावधान	(14.46)	(14.46)	(14.46)
	246.45	312.01	330.98
योग	247.09	313.18	330.98

*निदेशक, कम्पनी के अन्य अधिकारियों अथवा फर्मों जिनमें कोई निदेशक साझीदार हैं अथवा ऐसी निजी कम्पनियों जिनमें कोई निदेशक रिपोर्टिंग अवधि के किसी समय के दौरान निदेशक अथवा सदस्य रहा है, से 0.64 लाख रुपए (पिछले वर्ष 1.17 लाख रुपए) की कम्पनी के मुख्य प्रबंधन कार्मिक से प्राप्य राशि के अलावा कोई राशि शेष नहीं है।

नोट सं. 13

चालू कर परिसम्पत्तियां एवं देयताएं

(रुपए लाख में)

विवरण	निम्नानुसार स्थिति		
	31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2023	1 अप्रैल 2022
चालू कर परिसम्पत्तियां (निवल)	2793.48	2073.97	1,340.27
चालू कर देयताएं (निवल)	(300.00)	-	-
योग	2,493.48	2,073.97	1,340.27

(क) 31 मार्च, 2024, 31 मार्च, 2023, 1 अप्रैल, 2022 को समाप्त वर्ष की स्थिति के लिए आय कर व्यय के प्रमुख घटक निम्नानुसार हैं:-

लाभ एवं हानि खंड:

(रुपए लाख में)

विवरण	निम्नानुसार स्थिति		
	31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2023	1 अप्रैल 2022
चालू आय कर :			
चालू आय कर प्रभार		-	-
पूर्व वर्ष के चालू आय कर के संबंध में समायोजन		-	-
आस्थगित कर:			
अस्थाई अंतरों की व्युत्पत्ति तथा व्युत्क्रमण से सम्बद्ध	(498.59)	1,709.22	885.13
	(498.59)	1,709.22	885.13



अन्य व्यापक आय खंड:

(रुपए लाख में)

विवरण	निम्नानुसार स्थिति		
	31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2023	1 अप्रैल 2022
एफवीटीओसीआई इक्विटी सिक्क्योरिटिज पर अप्रयुक्त लाभ/(हानि)		-	-
निवेश के मूल्य में घटत से निवल हानि /(लाभ)		-	-
परिभाषित हितलाभ योजनाओं के पुनःमापन से निवल हानि/(लाभ)	56.59	56.40	(25.00)
अन्य व्यापक आय पर प्रभारित आय कर	56.59	56.40	(25.00)

(ख) कर व्ययों का समाधान तथा 31 मार्च, 2024, 31 मार्च, 2023, 1 अप्रैल, 2022 की भारतीय घरेलू कर दर से गुणक करके लाभ का लेखांकन

(रुपए लाख में)

विवरण	निम्नानुसार स्थिति		
	31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2023	1 अप्रैल 2022
कर पूर्व लेखांकन लाभ	(1,387.11)	(883.84)	(389.28)
उपर्युक्त पर आयकर (31 मार्च, 2024:@ 33.384%)		-	-
जोड़ें: बही लाभ के निर्धारण के लिए कटौती न किए जाने वाले व्ययों का कर प्रभाव		-	-
कर उद्देश्यों से गैर-कटौती योग्य व्यय :			
- संदेहास्पद / नामे एवं अग्रिम के प्रावधान		-	-
- नॉन मूविंग / न्यून मालसूचियों के लिए प्रावधान		-	-
- अन्य व्यापक आय के अनुसार परिभाषित हितलाभ दायित्वों का पुनः मापन		-	-
- आयकर के प्रावधानों के अंतर्गत गैर अनुमत्त व्यय / प्रावधान		-	-
- इंड एसएस प्रभाव तथा घटक लेखांकन के कारण वित्तीय वर्ष 2015-16 के कर पूर्व लाभ में परिवर्तन		-	-
- धारित आय में प्रभारित पूर्वावधि मदों का कर प्रभाव		-	-
- आय कर अधिनियम,1961 की धारा 234(बी)एवं234(सी) के अंतर्गत आय कर पर ब्याज	-	-	-
लाभ एवं हानि विवरण में रिपोर्ट किए गए व्यय पर आय कर	-	-	-

नोट सं. 14.1
इक्विटी शेयर पूंजी

(यदि अन्यथा उल्लेख नहीं है तो रुपए लाख में)

विवरण	निम्नानुसार स्थिति		
	31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2023	1 अप्रैल 2022
शेयर पूंजी			
(क) प्राधिकृत, जारी, अभिदत्त एवं चुकता शेयर पूंजी तथा प्रति शेयर सम मूल्य			
प्राधिकृत पूंजी			
10,000/- रुपए मूल्य प्रत्येक के 5,60,000 (पि.व. 5,60,000) इक्विटी शेयर	56,000.00	56,000.00	56,000.00
जारी पूंजी, अभिदत्त तथा पूर्ण चुकता			
10,000/- रुपए मूल्य प्रत्येक के 5,57,482 (पि.व. 5,57,482) इक्विटी शेयर	55,748.20	55,748.20	55,748.20
पूर्व चुकता पूंजी			
10,000/- रुपए मूल्य प्रत्येक के 5,57,482 (पि.व. 5,57,482) इक्विटी शेयर	55,748.20	55,748.20	55,748.20
	55,748.20	55,748.20	55,748.20

(ख) वर्ष के प्रारम्भ तथा अंत में बकाया इक्विटी शेयरों की संख्या का समाधान

(यदि अन्यथा उल्लेख नहीं है तो रुपए लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2024 की स्थिति		31 मार्च, 2023 की स्थिति		1 अप्रैल 2022 की स्थिति	
	शेयरों की संख्या	राशि	शेयरों की संख्या	राशि	शेयरों की संख्या	राशि
अवधि के प्रारम्भ में बकाया इक्विटी शेयरों की संख्या	5,57,482	55,748.20	5,57,482	55,748.20	5,57,482	55,748.20
अवधि के अंत में बकाया इक्विटी शेयरों की संख्या	5,57,482	55,748.20	5,57,482	55,748.20	5,57,482	55,748.20
वर्ष के दौरान परिवर्तन	-	-	-	-	-	-

(ग) विभिन्न वर्गों के शेयरों से सम्बद्ध राइट, अधिमान तथा प्रतिबंध

शेयरों का वर्ग	इक्विटी शेयरों से सम्बद्ध शर्तें तथा अधिकार
इक्विटी	कम्पनी के 10,000 रुपए प्रति सम मूल्य के साधारण शेयर के साथ सम्बद्ध राइट, अधिमान एवं प्रतिबंध तथा शेयरों के वर्ग सहित उनके समरूप वितरण के प्रतिबंधों में वोटिंग अधिकार एवं लाभांश की पात्रता तथा पूंजी का पुनःभुगतान शामिल है।

(घ) 5% से अधिक शेयरधारिता वाले शेयरधारकों का विवरण

विवरण	31 मार्च, 2024 की स्थिति		31 मार्च, 2023 की स्थिति		1 अप्रैल 2022 की स्थिति	
	शेयरों की संख्या	%धारण	शेयरों की संख्या	%धारण	शेयरों की संख्या	%धारण
भारत के राष्ट्रपति	2,84,316	51%	2,84,316	51%	2,84,316	51%
ओएनजीसी लिमिटेड	2,73,166	49%	2,73,166	49%	2,73,166	49%



नोट सं. 14.2 अन्य इक्विटी

(रुपए लाख में)

विवरण	निम्नानुसार स्थिति		
	31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2023	1 अप्रैल 2022
सामान्य आरक्षित	2,050.00	2,050.00	2,050.00
धारित आय	31,343.28	32,597.93	40,103.00
अन्य व्यापक आय के माध्यम से इक्विटी उपकरणों के लिए आरक्षित	(95.65)	(95.65)	(95.65)
अन्य व्यापक आय के माध्यम से ऋण उपकरणों के लिए आरक्षित	-	-	-
आबंटन से पूर्व प्राप्त शेयर आवेदन राशि	-	-	-
अन्य आरक्षित	(543.79)	(668.57)	(792.95)
योग	32,753.84	33,883.70	41,264.40

नोट सं. 15

ऋण

(रुपए लाख में)

विवरण	परिपक्वता	निम्नानुसार स्थिति		
		31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2023	1 अप्रैल 2022
गैर-चालू देयताएं				
प्रत्याभूत आवधिक ऋण				
- एनटीपीसी लिमिटेड	1 अप्रैल, 2022	-	-	-
योग		-	-	-
ऋण की परिपक्वता का संक्षेप नीचे प्रस्तुत है:				
- एक वर्ष से अधिक नहीं		-	-	67.60
		-	-	67.60
दीर्घकालिक नामे की चालू परिपक्वता				
- एक वर्ष से अधिक परन्तु पांच वर्ष से अधिक नहीं		-	-	-
- पांच वर्ष के पश्चात		-	-	-

नोट सं. 16

प्रावधान

(रुपए लाख में)

विवरण	निम्नानुसार स्थिति		
	31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2023	1 अप्रैल 2022
गैर-चालू			
कर्मचारी हितलाभ प्रावधान			
- सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा हितलाभ योजना	3,157.13	2,755.88	2,476.58
- अर्जित छुट्टी	1,120.29	1,056.82	1,125.10
- अर्ध वेतन अवकाश	680.41	797.75	773.04
- अन्य	13.28	15.73	16.84
योग	4,971.11	4,626.18	4,391.56

नोट सं. 17

आस्थगित कर देयताएं

(रुपए लाख में)

विवरण	निम्नानुसार स्थिति		
	31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2023	1 अप्रैल 2022
आस्थगित कर देयताएं (निवल)	10,257.59	10,699.59	8,933.97
	10,257.59	10,699.59	8,933.97

(क) आस्थगित आय कर परिसम्पत्तियों तथा देयताओं से उत्पन्न कर प्रभाव का महत्वपूर्ण अस्थाई अंतर निम्नानुसार

(रुपए लाख में)

विवरण	निम्नानुसार स्थिति		
	31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2023	1 अप्रैल 2022
आस्थगित आय कर देयताएं:-			
- कर उद्देश्यों से त्वरित मूल्यहास	23,524.20	23,623.81	24,897.00
कुल आस्थगित कर देयताएं	23,524.20	23,623.81	24,897.00
आस्थगित आय कर परिसम्पत्तियां :			
- कर्मचारी हितलाभ	2,438.79	2,367.76	2,890.96
- नॉन मूविंग मालसूची	2,372.82	2,097.36	2,029.81
- निवेश के मूल्य में घटत के लिए प्रावधान	96.59	90.27	90.27
- अनावशोषित मूल्यहास का अग्रेषण	-	544.10	1,699.98
- संदेहास्पद नामे/ अग्रिम	4,479.77	3,504.81	3,367.82
- अवस्थांतरण वर्ष में संज्ञान में लिए गए पूर्वावधि समायोजन	-	-	-
- पट्टा दायित्व	3,848.23	4,291.48	5,856.02
- लक्षद्वीप एवं अन्य में क्षति के प्रावधान	30.42	28.43	28.17
योग आस्थगित आय कर परिसम्पत्तियां	13,266.61	12,924.21	15,963.03
समंजन के पश्चात आस्थगित आय कर परिसम्पत्तियां	-	-	-
समंजन के पश्चात आस्थगित आय कर देयताएं	10,257.59	10,699.59	8,933.97

(ख) आस्थगित कर देयताओं का समाधान (निवल)

(रुपए लाख में)

विवरण	निम्नानुसार स्थिति		
	31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2023	1 अप्रैल 2022
1 अप्रैल को अथ शेष			
लाभ एवं हानि में स्वीकृत अवधि के दौरान कर(आय)/व्यय	(498.59)	1,709.22	885.13
अन्य व्यापक आय में स्वीकृत अवधि के दौरान कर(आय)/व्यय	56.59	56.40	(25.00)
31 मार्च को अंत शेष	(442.00)	1,765.62	860.13



नोट सं. 18 अन्य वित्तीय देयताएं

(रुपए लाख में)

विवरण	निम्नानुसार स्थिति		
	31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2023	1 अप्रैल 2022
गैर-चालू			
प्रतिभूतिजमा / बयाना जमा	14.28	102.65	45.51
पट्टा दायित्व	8,735.63	11,002.90	18,118.70
	<u>8,749.91</u>	<u>11,105.54</u>	<u>18,164.21</u>
चालू			
दीर्घकालिक नामे की चालू परिपक्वता	-	-	67.60
स्थिर परिसम्पत्तियों की खरीद पर देय	3,163.34	866.79	1,002.10
पूंजी व्यय के लिए देय	19.05	19.05	19.05
कर्मचारियों को देय*	2,823.87	3,019.19	3,407.90
देय उपदान	762.55	859.94	842.49
प्रतिभूति/ बयाना जमा	106.89	103.89	105.68
पट्टा दायित्व	2,791.53	2,789.51	650.59
ना.वि.महानिदेशालय से परियोजना के प्रति अग्रिम (ब्याज सहित)	1,237.18	1,232.60	1,229.20
घटाएं : परियोजना पर व्यय की गई राशि	<u>(1,160.77)</u>	<u>(1,160.77)</u>	<u>(1,160.77)</u>
	<u>76.41</u>	<u>71.82</u>	<u>68.43</u>
	9,743.64	7,730.19	6,163.84
योग	18,493.55	18,835.73	24,328.05

*कर्मचारियों को देय 9.13 लाख रुपए (पिछले वर्ष 7.15 लाख रुपए) में कम्पनी के प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों को देय हैं।

नोट सं. 19 व्यवसाय देय*

(रुपए लाख में)

विवरण	निम्नानुसार स्थिति		
	31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2023	1 अप्रैल 2022
चालू			
सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के बकाया देय	168.85	316.33	91.86
सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के अलावा अन्यो को बकाया देय	6,619.48	6,623.75	6,094.74
योग	6,788.33	6,940.08	6,186.60

*व्यवसाय प्राप्य ब्याज मुक्त हैं तथा सामान्यतः 120 दिनों में इनका समाधान होता है।

नोट सं. 20
अन्य देयताएं

(रुपए लाख में)

विवरण	निम्नानुसार स्थिति		
	31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2023	1 अप्रैल 2022
गैर चालू	-	-	-
चालू	-	-	-
प्रतिभूति / बयाना जमा	88.87	115.20	129.96
संविदा देयताएं	988.39	137.66	63.89
सांविधिक देयताएं	2,467.17	3,058.96	1,359.77
अन्य देय	1,111.52	1,341.81	2,624.06
	4,655.95	4,653.63	4,177.68
योग	4,655.95	4,653.63	4,177.68

नोट सं. 21
प्रावधान

(रुपए लाख में)

विवरण	निम्नानुसार स्थिति		
	31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2023	1 अप्रैल 2022
चालू			
कर्मचारी हितलाभ			
-सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा हितलाभ योजना	9.82	6.08	6.97
-अर्जित छुट्टी	350.16	299.44	263.79
-अर्ध वेतन छुट्टी	225.79	95.57	149.35
- अन्य	1,353.34	1,706.38	3,611.74
	1,939.11	2,107.46	4,031.85
लक्षद्वीप में हानि के प्रावधान	89.12	89.12	89.12
कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व के लिए प्रावधान	202.40	202.40	193.37
डिटेचमेंट में हुई हानि के लिए प्रावधान	1.98	1.99	1.16
योग	2,232.61	2,400.98	4,315.50



नोट सं. 22 प्रचालन से राजस्व

(रुपए लाख में)

विवरण	निम्नानुसार समाप्त वर्ष के लिए	
	31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2023
सेवाएं प्रदान करना		
हेलीकॉप्टर किराया प्रभार	39,161.21	40,966.21
घटाएं: हेलीकॉप्टर के प्रावधान न होने पर कटौती (एओजी)	(1,684.65)	(886.18)
	37,476.56	40,080.03
अन्य प्रचालन राजस्व		
प्रचालन एवं अनुरक्षण अनुबंधों से आय	16.14	7.15
रोहिणी हेलीपोर्ट परिचालनों से राजस्व		-
प्रशिक्षण शुल्क एवं अन्य वसूलियां	14.61	110.69
हेलीपोर्ट विकास परामर्श	1,305.09	1,318.09
	1,335.84	1,435.93
योग	38,812.40	41,515.96

नोट सं. 23 अन्य आय

(रुपए लाख में)

विवरण	निम्नानुसार समाप्त वर्ष के लिए	
	31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2023
ब्याज आय :		
-बैंकों में जमा	365.47	340.40
-कर्मचारियों को ऋण	7.11	10.38
-अन्य	3,162.68	-
	3,535.26	350.78
-प्रावधान जो अब अपेक्षित नहीं - प्रतिलेखित	956.98	2,221.64
-निर्णित हर्जाना (क्रय)	54.94	-
-स्थिर परिसम्पत्तियों की बिक्री पर लाभ	0.03	17.14
-विनिमय दर उतार चढ़ाव (निवल)	2.29	6.67
-विविध आय	814.12	-
अन्य आय	121.89	117.35
योग	5,485.51	2,713.59

नोट सं. 24

हेलीकॉप्टर प्रचालन एवं अनुरक्षण व्यय

(रुपए लाख में)

विवरण	निम्नानुसार समाप्त वर्ष के लिए	
	31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2023
हेलीकॉप्टर अनुरक्षण व्यय	5,494.84	6,282.86
ईंधन व्यय	2,021.64	2,760.56
बीमा व्यय	2,714.28	2,913.34
लैंडिंग, पार्किंग एवं अन्य व्यय	387.75	180.63
हेलीकॉप्टर पट्टा प्रभार	483.71	611.56
निर्णित हर्जाना	844.84	118.51
श्राइन बोर्ड को रायल्टी/कमीशन	7.40	8.32
नॉन मूविंग मालसूची/कालातीत मदों के लिए प्रावधान	364.63	212.82
विनिमय उतार चढ़ाव (निवल)	-	561.07
हेलीपोर्ट विकास व्यय (आरसीएस)	354.68	873.53
प्रतिलेखित स्थिर परिसम्पत्तियां	56.17	343.28
भंडारण, संचलन एवं विलंब शुल्क प्रभार	82.29	115.26
मालभाड़ा, परिवहन एवं डुलाई	63.70	88.94
मालसूची न्यूनता / अतिरिक्त के लिए प्रावधान	16.56	4.68
अन्य परिचालन व्यय	51.59	74.00
अन्य परिचालन व्यय	12,944.08	15,149.36

नोट सं. 25

कर्मचारी हितलाभ व्यय

(रुपए लाख में)

विवरण	निम्नानुसार समाप्त वर्ष के लिए	
	31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2023
वेतन, मजदूरी एवं अन्य हितलाभ	14,135.13	14,171.28
भविष्य निधि, पेंशन एवं उपदान निधि में अंशदान	1,326.95	1,411.07
कर्मचारी कल्याण	46.06	36.27
अन्य कर्मचारी व्यय	224.56	139.57
योग	15,732.70	15,758.19

नोट सं. 26

वित्त लागतें

(रुपए लाख में)

विवरण	निम्नानुसार समाप्त वर्ष के लिए	
	31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2023
ब्याज	238.44	157.64
पट्टा दायित्वों पर ब्याज	598.38	657.98
योग	836.83	815.62



नोट सं. 27

मूल्यहास एवं परिशोधन व्यय

(रुपए लाख में)

विवरण	निम्नानुसार समाप्त वर्ष के लिए	
	31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2023
मूर्त परिसम्पत्तियों का मूल्यहास	7,650.70	7,028.91
अमूर्त परिसम्पत्तियों का परिशोधन	-	-
उपयोग अधिकार परिसम्पत्तियों का परिशोधन	2,723.21	2,867.66
योग	10,373.91	9,896.57

नोट सं. 28

अन्य व्यय

(रुपए लाख में)

विवरण	निम्नानुसार समाप्त वर्ष के लिए	
	31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2023
मरम्मत एवं अनुरक्षण		
-भवन	80.00	51.66
-उपकरण	60.81	50.39
-अन्य	73.59	79.07
	214.40	181.12
किराया	24.93	132.23
पट्टा संशोधन पर हानि	-	-
यात्रा एवं परिवहन	1,448.53	1,262.05
कर्मिंदल एवं कर्मचारी प्रशिक्षण	573.24	397.84
बैंक प्रभार	39.98	37.84
बिजली एवं जल व्यय	154.29	195.15
टेलीफोन, फैक्स एवं डाक व्यय	107.84	89.64
विज्ञापन एवं प्रचार	15.78	15.95
मुद्रण एवं लेखन सामग्री	42.58	45.38
वाहन चालन एवं अनुरक्षण	14.78	23.44
प्रशिक्षण संस्थान व्यय	0.54	0.47
लेखापरीक्षक पारिश्रमिक		
-सांविधिक लेखापरीक्षा शुल्क	8.50	7.49
-अन्य मामलों के लिए	-	-
-व्ययों की धनवापसी	0.73	0.54
	9.23	8.03
दरें, शुल्क एवं कर	333.45	255.66
नामों एवं अग्रिमों की अक्षमता हानि	253.23	0.59
संभावित क्रेडिट हानि के लिए प्रावधान	1,932.50	475.98

विवरण	निम्नानुसार समाप्त वर्ष के लिए	
	31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2023
डिटेचमेंट पर हानि के लिए प्रावधान	-0.01	0.83
परिसम्पत्तियों की बिक्री से हानि	-	2.01
बीमा व्यय	51.89	59.79
अन्य व्यय	580.32	309.64
योग	5,797.50	3,493.63

नोट सं. 29
अपरिहार्य मर्दे

(रुपए लाख में)

विवरण	निम्नानुसार समाप्त वर्ष के लिए	
	31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2023
	-	-
योग	-	-

नोट सं. 30
अन्य व्यापक आय

(रुपए लाख में)

विवरण	निम्नानुसार समाप्त वर्ष के लिए	
	31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2023
कर्मचारी हितलाभ व्यय	181.37	180.78
निवेश मूल्यों में ह्रास के प्रावधान	-	-
योग	181.37	180.78

नोट सं. 31
प्रति शेयर (ईपीएस)

(रुपए लाख में)

विवरण	निम्नानुसार समाप्त वर्ष के लिए	
	31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2023
अनवरत प्रचालनों पर इक्विटी धारकों से सम्बद्ध लाभ/(हानि)	(1,130.90)	(2,468.68)
मूल ईपीएस (रुपए)	(203)	(443)
डायल्युटिड ईपीएस (रुपए)	(203)	(443)
समाप्त प्रचालनों पर इक्विटी धारकों से सम्बद्ध लाभ/(हानि)		
बेसिक ईपीएस (रुपए)		
डायल्युटिड ईपीएस (रुपए)		

32. वित्तीय विवरणियों से संबंधित अतिरिक्त नोट

(31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के वार्षिक लेखों का पूरक एवं अभिन्न भाग)

I. पूंजी तथा अन्य प्रतिबद्धताएं

पूंजी लेखा / निवेशों (चुकता अग्रिम का निवल) में निष्पादन के लिए शेष तथा प्रावधान न किए गए अनुबंधों की अनुमानित राशि:

(रुपए लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2023
पूंजी प्रतिबद्धताएं	657.92	445.07

II. आकस्मिक देयताएं

क. प्रदान की गई गारंटी

(रुपए लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2023
बैंकों को दी गई काउंटर गारंटी	2834.06	1371.41

ख. साख पत्र

(रुपए लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2023
साख पत्र	901.80	1544.98

ग. कर आकस्मिकताएं

राजस्व प्राधिकरणों द्वारा कम्पनी पर आय कर के संबंध में विवादाधीन मांग की गई राशियां नीचे तालिका में दर्शाई गई हैं:-

i. आय कर

(रुपए लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2023
कंपनी द्वारा ITAT/CIT (अपील) में आयकर मांगों का प्रतिवाद	4067.26	4003.06

कम्पनी द्वारा विभिन्न वर्षों में जमा करवाई गई मांग / धनवापसी की राशियों के प्रति आय कर विभाग द्वारा उक्त राशियों को रोक दिया गया है। अनेक मामलों में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रारंभिक मूल्यांकन करते समय की गई आय कर मांग अपीलिय ट्रिब्यूनल द्वारा समाप्त कर दी जाती है। अधिकांश कर मांगे भारत सरकार ऋण के प्रति देय ब्याज से संबंधित हैं जो आय कर अपीलिय ट्रिब्यूनल में लम्बित पड़ी हैं। इस संबंध में नोट संख्या III की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान, केन्द्रीय संसाधन केन्द्र, आयकर विभाग द्वारा धारा 143(1)/154 के अंतर्गत कर निर्धारण वर्ष 2021-22 के लिए दिनांक 28.12.2022 तथा दिनांक 24.02.2023 का आदेश जारी करके 628.71 लाख रुपए मांग की गई थी जो कि वित्तीय वर्ष 2020-21 में की गई अनेक ऐसी अस्वीकृतियों से संबंधित थी जिनके प्रति कम्पनी ने सीआईटी (अपील) के सम्मुख अपील प्रस्तुत की है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान विभाग द्वारा कर निर्धारण वर्ष 2023-24 की धनवापसी में से दिनांक 20.1.2024 के चालान संख्या 05628 के द्वारा मांग को समा-

योजित किया गया था। आयकर विभाग द्वारा धारा 154 के अंतर्गत कर निर्धारण वर्ष 2020-21 के संबंध में भी दिनांक 20.3.2024 तथा 20.9.2024 को 131.37 लाख रुपए की मांग की गई है।

ii. मूल्य संवर्धित कर

(रुपए लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2023
मूल्य संवर्धित कर का जुमाने एवं ब्याज सहित भुगतान किए जाने से संबंधित वर्ष 2006-07 से 2009-10 की अवधि के मांग नोटिस	शून्य	43254.92

यह हेलीकॉप्टरों के उपयोग अधिकार का अंतरण ग्राहकों को किए जाने के संबंध में दिल्ली बिक्री कर विभाग द्वारा की गई वित्तीय वर्ष 2006-07 से 2009-10 की अवधि की मांग से संबंधित है।

कम्पनी द्वारा यह उत्तर दिया गया है कि चूंकि कम्पनी द्वारा ऐसे संव्यवहारों के प्रति पूर्व कर व्यवस्था के अनुसार भुगतान किया गया है अतः मूल्य संवर्धन कर के भुगतान की सही नहीं है। पवन हंस लिमिटेड द्वारा वीएटी ट्रिब्यूनल के न्याय निर्णय के प्रति दायर की गई अपील पर माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा विवादित आदेश के प्रति स्थगन जारी करके प्रतिवादियों को मांग की वसूली के संबंध में किसी प्रकार की प्रतिरोधी क्रिया न करने का निदेश दिया गया था। दिनांक 19.12.2024 को दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा वीएटी मांग को खारीज करके यह निर्णय दिया गया था कि विभिन्न सरकारों इकाईयों के साथ हेलीकॉप्टर के उपयोग के लिए किए गए करार को कर कानून के अंतर्गत "उपयोग अधिकार का अंतरण" नहीं माना जा सकता है क्योंकि पवन हंस द्वारा धारण नियंत्रण एवं अनुरक्षण दायित्व का ग्रहण स्वयं किया गया है।

iii. सेवा कर / वस्तु एवं सेवा कर

(रुपए लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2023
सेवा कर विभाग से अप्रैल, 2009 से जून, 2017 की अवधि के लिए प्राप्त कारण बताओ नोटिस	7435.07	7435.07
वस्तु एवं सेवा कर विभाग से जुलाई, 2017 से मार्च 2022 की अवधि के लिए प्राप्त कारण बताओ नोटिस	4021.13	4021.13

यह सेवा कर विभाग से अप्रैल, 2009 से जून, 2017 की अवधि के लिए प्राप्त कारण बताओ नोटिस से सम्बद्ध है। कम्पनी इस कारण बताओ नोटिस के संबंध में 18.59 लाख रुपए की मांग के लिए सेवा कर आयुक्त, सेवा कर विभाग के सम्मुख, 2431.09 लाख रुपए की मांग के लिए ट्रिब्यूनल के सम्मुख, 364.40 लाख रुपए के मांग नोटिस के लिए सीजीएसटी एवं सीएक्स (अपील) आयुक्त के सम्मुख प्रतिवाद कर रही है तथा 265.15 लाख रुपए के मांग नोटिस का न्याय निर्णय प्रतीक्षित है। पूर्वोत्तर राज्यों को 2014-15 से 2016-17 के दौरान पट्टे पर प्रदान किए गए हेलीकॉप्टरों के संबंध में जुमाने एवं ब्याज सहित 4355.84 लाख रुपए की सेवा कर की राशि का भुगतान करने से संबंधित दिनांक 6.7.2021 का आर्जिनल-इन-आर्डर प्राप्त हो गया है। इसके अलावा जुलाई 2017 से मार्च, 2022 के दौरान पूर्वोत्तर राज्यों को प्रदान किए हेलीकॉप्टर से संबंधित जीएसटी का भुगतान न किए जाने की मांग के बारे में अपर आयुक्त, सीजीएसटी से ब्याज एवं जुमाने सहित 4021.13 लाख रुपए के भुगतान की मांग का नोटिस 7 जून, 2023 को प्राप्त हुआ है। तथापि, एक परामर्शदाता से प्राप्त मत के आधार पर कम्पनी का यह मानना है कि इससे परिचालन अथवा रोकड़ प्रवाह के परिणामों पर किसी प्रकार का महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं होगा।

इसके अलावा, प्रबंधन का यह मत है कि कम्पनी के संबंध में सीजीएसटी अधिनियम के अंतर्गत मेगा छूट अधिसूचना संख्या 12/2017 लागू है, इस प्रकार कम्पनी से असम सरकार, ऑयल इंडिया इत्यादि के किए गए अनुबंधों के अलावा पूर्वोत्तर में किए जाने वाले इसके परिचालनों के लिए जीएसटी प्रभारित नहीं की जा रही है।

घ. कानूनी विवाद

(रुपए लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2023
i) कानूनी मामले / विवाचन के अधीन मामले	2338.59	2425.93
ii) अन्य मामले	84.24	114.99

उपरोक्त में औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 33(सी)(1) के अंतर्गत आरएलसी द्वारा 10% प्रतिवर्ष के ब्याज सहित 580.76 लाख रुपए के वसूली प्रमाणपत्र (आरसी) जारी किए जाने से संबंधित दिनांक 27.6.2022 के आदेश तथा मुम्बई उपनगर जिला द्वारा ऊपर उल्लिखित राशि तक के पवन हंस लिमिटेड के बैंक खातों को कुर्क किए जाने के लिए जारी दिनांक 12.10.2022 के परिणामी आदेश के प्रति बम्बई उच्च न्यायालय में पवन हंस लिमिटेड द्वारा दायर की गई 2022 की रिट याचिका (एल) संख्या 34184, पवन हंस लिमिटेड बनाम एविएशन कर्मचारी संगठन से संबंधित रिट याचिका के परिणामस्वरूप 650.00 लाख रुपए की राशि शामिल हैं। यह वसूली आदेश नियमित कर्मचारियों के साथ संविदा कर्मचारियों के वेतन और भत्ते में समानता के दावे के लिए जारी किया गया है। माननीय बॉम्बे उच्च न्यायालय ने दिनांक 15.11.2022 के अपने आदेश के माध्यम यह निर्देश दिया है कि बैंक खाते को पूरी तरह से फ्रीज करने के स्थान पर, बैंक को याचिकाकर्ता (पीएचएल) की 650.00 लाख रुपए की राशि रोककर बैंक खाता के परिचालन की अनुमति दी जा सकती है। माननीय उच्च न्यायालय ने दिनांक 9.11.2023 को यह निर्देश दिया गया है कि याचिकाकर्ता (पीएचएल) अब 27.11.2023 को अथवा उससे पूर्व 220.00 लाख रुपए की अंतर राशि अथवा बैंक गारंटी प्रस्तुत करके इस अदालत में जमा करके सुरक्षित रख सकेगा तथा वसूली सर्टिफिकेट को आगे बढ़ाने की कार्रवाई 28.11.2023 तक स्थगित रहेगी। माननीय बॉम्बे उच्च न्यायालय में बैंक गारंटी जमा कर दी गई है (इसे ऊपर नोट संख्या II(क) में विचार में लिया गया है)। पवन हंस लिमिटेड ने याचिका के प्रति एक संशोधन दायर किया है जिसकी अनुमति माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दी गई है। सुनवाई की अगली तिथि 15.1.2025 है।

- ड. कम्पनी के लम्बित कानूनी विवादों में कम्पनी के खिलाफ किए गए दावे तथा कर/सांविधिक/सरकारी प्राधिकरणों में लम्बित कानूनी प्रक्रियाएं शामिल हैं। कम्पनी द्वारा अपने सभी कानूनी विवादों तथा प्रक्रियाओं की समीक्षा की गई है तथा अपेक्षित प्रावधान करते हुए आवश्यकतानुसार अपने वित्तीय विवरणों में आकस्मिक देयताओं के संबंध में प्रकटीकरण, यथा लागू किया गया है। कम्पनी को इन प्रक्रियाओं के परिणामस्वरूप अपनी वित्तीय स्थिति पर कोई वस्तुगत प्रभाव होता प्रतीत नहीं हो रहा है। उपर्युक्त के संबंध में भावी रोकड़ प्रवाह का निर्धारण न्यायनिर्णय / विभिन्न मंचों / प्राधिकरण के निर्णय की प्राप्ति पर ही किया जा सकेगा।

III. आवासीय फ्लैट / क्वार्टर्स

- क) कम्पनी द्वारा वर्ष 2002-03 में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण से 25 वर्ष की अवधि के लिए जुहू हवाईअड्डे पर आबंटित की गई 35,490 वर्ग मीटर भूमि पर 2270.68 लाख रुपए की लागत से 242 फ्लैटों का निर्माण एवं पूंजीयन किया गया था। कम्पनी द्वारा संयुक्त विकास करार के अंतर्गत उक्त भूमि के पट्टा किराए तथा परियोजना आर्किटेक्ट द्वारा अनुमानित इन फ्लैटों की निर्माण लागत की 595.00 लाख रुपए की राशि के स्थान पर 242 फ्लैटों में से 50 फ्लैट भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को आबंटित किए गए थे।

- ख) कम्पनी द्वारा अपने कर्मचारियों के लिए वर्ष 1998 में एमएचएडीए, मुम्बई से 6 आवासीय फ्लैट खरीदे गए थे तथा इन फ्लैटों का कब्जा आबंटन पत्र के आधार पर प्राप्त कर लिया गया है तो भी ये स्टाम्प ड्यूटी देकर पंजीकरण करवा लिए जाने एवं अंतिम भुगतान किए जाने पर ये फ्लैट सोसायटी के पक्ष में उचित हस्तांतरण करार तैयार किए जाने की शर्त पर है। कुछ सोसायटियों द्वारा मुम्बई उच्च न्यायालय में एमएचएडीए के खिलाफ मूल्य में भिन्नता का दावा किया गया है। तथापि, इंड एस 37 की अपेक्षाओं के अनुसार कम्पनी द्वारा अपनी बहियों में स्टाम्प ड्यूटी का वर्तमान मूल्य नहीं दर्शाया गया है। कम्पनी द्वारा मुख्य संग्राहक, एमएचएडीए के कार्यालय को स्टाम्प ड्यूटी का वर्तमान मूल्य ज्ञात करने के लिए लिखा गया है। तथापि, मुख्य संग्राहक से अभी कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है। जब कभी भी उत्तर की प्राप्ति के पश्चात लेखा बहियों में राशि में बढ़ोतरी किए जाने की आवश्यकता पड़ेगी तो उसे संबंधित वर्ष के लिए शामिल कर लिया जाएगा।

IV. सम्पत्ति, संयंत्र तथा उपकरण

- क. 31.3.2024 की स्थिति के अनुसार विदेशी उपकरण आपूर्तिकर्ता के पास 17068.38 लाख रुपए (31 मार्च, 2023 को 7982.72 लाख रुपए) की सकल लागत के रोटेब्ल्स एवं मरम्मत योग्य रखे गए हैं। इनमें से 3887.01 लाख रुपए (31 मार्च, 2023 को 2014.60 लाख रुपए) के सकल मूल्य के रोटेब्ल्स 31 मार्च, 2024 के पश्चात वापस प्राप्त हो गए हैं। संबंधित पार्टियों से ऐसे शेष रोटेब्ल्स में पुष्टि प्राप्त की गई है जो अभी भी उनके पास रखे हैं। मदों को विधिवत मरम्मत / ओवरहॉल के साथ मूल उपकरण निर्माता से वापस प्राप्त करने के प्रयास किए जा रहे हैं।
- ख. कम्पनी द्वारा सभी स्थिर परिसम्पत्तियों की मदों का भौतिक सत्यापन तीन वर्ष की अवधि में पूरा करने के लिए चरणबद्ध स्वरूप में प्रक्रिया की जा रही है। वित्तीय वर्ष में किए गए स्थिर परिसम्पत्तियों के भौतिक सत्यापन की पुनरीक्षा स्वतंत्र एजेंसी द्वारा स्थिर परिसम्पत्ति रजिस्टर से इनका समाधान करके की जा रही है।
- ग. कम्पनी की यह मत है कि कम्पनी के स्वामित्व वाले हेलीकॉप्टर नागर विमानन महानिदेशालय से आवधिक / वार्षिक आधार पर उड़नयोग्यता के लिए प्रमाणित किए गए हैं तथा इनसे वर्ष के दौरान राजस्व का अर्जन किया गया है, हेली-कॉप्टरों के संबंध में कोई क्षमता हानि नहीं है।
- घ. कम्पनी का यह मत है कि इसकी परिसम्पत्तियों का वहन मूल्य चूंकि वसूली योग्य मूल्य से अधिक नहीं होता है अतः परिसम्पत्तियों के संबंध में अक्षमता हानि का परीक्षण किया जाना अपेक्षित नहीं है।

V. मालसूचियां

1. वर्ष के दौरान मालसूचियों का भौतिक सत्यापन किए जाने पर नीचे उल्लिखित कमियां / बढ़ोतियां देखने में आई हैं :
(रुपए लाख में)

2023-24		2022-23	
कमियां	बढ़ोतियां	कमियां	बढ़ोतियां
198.05	शून्य	4.68	शून्य

उक्त राशियों के संबंध में वित्तीय विवरणों में उचित समायोजन कर लिए गए हैं। तथापि, भौतिक शेष एवं बही रिकार्ड का समाधान किया जा रहा है।

- 2) अनुमोदित लेखांकन नीति का अनुसरण करते हुए विचाराधीन वर्ष के दौरान स्थिर भंडार, कलपूजों एवं उपभोग्य वस्तुओं की समीक्षा करने पर वर्ष के दौरान 183.14 लाख रुपए (31 मार्च, 2023: 212.82 लाख रुपए) के प्रावधान किए गए हैं।

- 3) विमानन क्षेत्र के मूल्य प्रवाह अन्य उद्योगों के मूल्य प्रवाह से भिन्न होते हैं जिससे पूर्व स्वामित्व वाले हेलीकॉप्टरों, कल-पूजों, उपयोग्यताओं की उपलब्धि खुले बाजार में नहीं हो पाती है। इसके अलावा, विमानन क्षेत्र का विकास काफी तेजी से हो रहा है जबकि बाजार में इसके विक्रेता काफी कम हैं। तदनुसार, मालसूचियों का मूल्यांकन उनके प्रचलित भारित औसत मूल्य पर किया गया है।

VI. प्रतिभूत ऋण

(रुपए लाख में)

क्र.स.	कहां से ऋण	स्वीकृत सीमा / तिथि	31.3.2024 तक निकासी	31.3.2024 तक पुनर्भुगतान	ब्याज दर (मासिक शेष)	भुगतान अनुसूची	प्रत्याभूत माध्यम
1	एन.टी. पी.सी. लिमिटेड	5430.00 29/04/2010	5283.63	5283.63	18.6.2019 तक 6% प्रतिवर्ष 19.6.2019 से 27.11.2019 तक 12.20% प्रतिवर्ष तथा 1.12.2019 से 6% प्रतिवर्ष	अप्रैल, 2022 तक पूर्ण चुकता राशि	डॉफिन एन3 हेलीकॉप्टरों के प्रति रेहन

- VII. 31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार व्यापार प्राप्य, व्यवसाय देय एवं ऋण तथा अग्रिम / जमा के शेष की पुष्टि मांगी गई थी परन्तु इसकी काफी कम प्रतिक्रिया प्राप्त हुई है।

- VIII. प्रबंधन द्वारा जी.एस.टी. विवरणों में दी गई सूचना के अनुसार सेवा / बिक्रियों तथा प्राप्त / क्रय की गई सेवा के आंकड़ों का समाधान लेखा बहियों जीएसटीआर-2ए में दिए गए आंकड़ों से किया जा रहा है।

IX. कर्मचारी पारिश्रमिक एवं अन्य हितलाभ

- क) निदेशक मंडल द्वारा अपनी 154वीं बैठक में पॉयलटों तथा विमान अनुरक्षण अभियंताओं के लिए दिनांक 1.4.2016 से लाइसेंस सम्बद्ध भत्ता अनुमोदित कर दिया गया है तथा तदनुसार वित्तीय 2016-17 के लिए 1147.39 लाख रुपए के प्रावधान किए गए थे। वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान पॉयलटों तथा विमान अनुरक्षण अभियंताओं के लिए 1.1.2017 से लोक उद्यम विभाग के अनुसार वेतन संशोधन में समय फ्रिक्वेंसी के साथ प्रभावी किए जाने वाले अतिरिक्त लाइसेंस सम्बद्ध भत्ते से संबंधित एक मंत्रिमंडलीय नोट नागर विमानन मंत्रालय को अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया गया था। तदनुसार, वित्तीय वर्ष 2022-23 तक की अवधि के लिए 1699.00 लाख रुपए लाइसेंस संबंधी भत्ते के प्रावधान किए गए तथा तथा 31.3.2024 की स्थिति के अनुसार ऐसे नियमित पायलटों / एएमई, जो कम्पनी की वेतनसूची में अभी भी हैं, के संबंध में प्रत्येक संबंधित वित्तीय वर्ष के अनुसार उनकी वास्तविक संख्या के आधार पर प्रावधान संशोधित किए गए थे। इस प्रकार, लेखा बहियों में वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 539.00 लाख रुपए के प्रावधान रिवर्स किए गए हैं तथा वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 185.50 लाख रुपए के प्रावधान निर्मित किए गए हैं। 31 मार्च, 2024 तक के लिए पायलटों तथा एएमई से संबंधित किए गए लाइसेंस संबंधी अतिरिक्त प्रावधान की राशि 1345.50 लाख रुपए है।

- ख) सेवानिवृत्ति हितलाभ योजनाएं

- 1) नीचे दी गई तालिका में वित्तीय विवरणों में स्वीकृत सेवानिवृत्ति हितलाभ योजनाओं की स्थिति दर्शाई गई है:-

(रुपए लाख में)

विवरण	2023-24			2022-23		
	अथ शेष देयताएं	वर्ष के दौरान निर्मित / समायोजित	अंत शेष देयताएं	अथ शेष देयताएं	वर्ष के दौरान निर्मित / समायोजित	अंत शेष देयताएं
अर्जित छुट्टी	1356.25	114.20	1470.45	1388.88	(32.63)	1356.25

विवरण	2023-24			2022-23		
	अथ शेष देयताएं	वर्ष के दौरान निर्मित / समायोजित	अंत शेष देयताएं	अथ शेष देयताएं	वर्ष के दौरान निर्मित / समायोजित	अंत शेष देयताएं
अर्ध वेतन छुट्टी	893.32	12.88	906.20	922.39	(29.07)	893.32
सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा हितलाभ योजना	2761.96	404.98	3166.94	2483.55	278.41	2761.96
सेवानिवृत्ति पर सामान प्रेषण भत्ता	18.50	(1.08)	17.42	19.99	(1.49)	18.50
उपदान	859.94	(97.39)	762.55	842.50	17.44	859.94
योग	5889.97	433.59	6323.56	5657.31	232.66	5889.97

2) उपदान

i. हितलाभ दायित्वों में निम्नानुसार परिवर्तन हुए हैं:-

(रुपए लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2023
वर्ष के प्रारम्भ में परिभाषित हितलाभ दायित्व	4757.51	5137.39
उपार्जन समायोजन आईएन	(19.46)	-
चालू सेवा लागत	242.52	241.33
ब्याज लागत	347.77	367.84
संक्षेपण लाभ/हानियों सहित पूर्व सेवा लागत	-	-
चुकता हितलाभ	(659.31)	(692.06)
दायित्व पर बीमांकिक लाभ / (हानि) का योग	(382.02)	(296.99)
वर्ष के अंत में परिभाषित हितलाभ दायित्व	4287.01	4757.51

ii. योजना परिसम्पत्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन निम्नानुसार है:-

(रुपए लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2023
वर्ष के प्रारम्भ में योजना परिसम्पत्तियों का उचित मूल्य	3899.16	4295.36
योजना परिसम्पत्तियों पर वास्तविक लाभ	285.07	293.45
नियोक्ता द्वारा अंशदान	-	2.41
चुकता हितलाभ	(659.31)	(692.06)
वर्ष के अंत में योजना परिसम्पत्तियों का उचित मूल्य	3524.92	3899.16

iii. कुल योजना परिसम्पत्तियों में से प्रमुख वर्गों की योजना परिसम्पत्तियों के उचित मूल्य का प्रतिशत निम्नानुसार है:-

विवरण	31 मार्च, 2024 (%)	31 मार्च, 2023 (%)
भारत सरकार प्रतिभूतियां	-	-
राज्य सरकार प्रतिभूतियां	-	-
उच्च गुणवत्ता वाले कॉर्पोरेट बांड	-	-



विवरण	31 मार्च, 2024 (%)	31 मार्च, 2023 (%)
सूचीबद्ध कम्पनियों के इक्विटी शेयर	-	-
बीमाकर्ता द्वारा प्रबंधित निधियां	100%	100%
बैंक शेष	-	-

iv. तुलन पत्र एवं संबंधित विश्लेषण :-

(रुपए लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2023
परिभाषित हितलाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य	4287.01	4757.51
योजना परिसम्पत्तियों का उचित मूल्य	3524.92	3899.16
तुलन पत्र में गैर-निधियन देयताएं / प्रावधान	(762.09)	(858.34)

v. लाभ एवं हानि विवरण में स्वीकृत व्यय :

(रुपए लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2023
चालू सेवा लागत	242.52	241.33
हितलाभ दायित्व की ब्याज लागत	62.74	60.29
अवधि के दौरान निवल व्यय	305.27	301.62

vi. अन्य व्यापक आय:

(रुपए लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2023
अवधि से सम्बद्ध दायित्वों पर बीमांकिक लाभ/ (हानि)	382.02	296.99
योजना परिसम्पत्तियों पर बीमांकिक लाभ/ (हानि)	0.04	(14.10)
अवधि के दौरान अस्वीकृत बीमांकिक लाभ/ (हानि)	382.06	282.89

vii. कर्मचारी हितलाभ के निर्धारण के लिए प्रयुक्त प्रमुख अनुमान :-

विवरण	31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2023
छूट दर	7.05%	7.31%
भावी लागत वृद्धि/वेतन संवर्धन दर	6.00%	6.00%
सेवानिवृत्ति आयु	60	60
संघर्षण दर		
आयु (वर्ष)		
30 वर्ष तक	3.00%	3.00%
31 से 44 वर्ष तक	2.00%	2.00%
44 वर्ष से अधिक	1.00%	1.00%

उक्त सूचना का प्रमाणन बीमांकक द्वारा किया गया है तथा इसे लेखा परीक्षकों द्वारा विश्वसनीय मानकर उपयोग किया गया है।

बीमांकिक मूल्यांकन के लिए विचार में लाई गई अनुमानित भावी वेतन वृद्धि में मंहगाई दर, वरिष्ठता, पदोन्नति एवं रोजगार बाजार में आपूर्ति एवं मांग जैसे अन्य सम्बद्ध घटकों की ओर ध्यान दिया गया है। योजना परिसम्पत्तियों के प्रतिफल की समग्र प्रत्याशित दर का निर्धारण तुलन पत्र तिथि को प्रचलित बाजार मूल्यों के आधार पर किया गया है जो दायित्व का समाधान किए जाने की अवधि के लिए लागू हैं।

viii. संवेदी विश्लेषण

(रुपए लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2023
चालू पूर्वानुमानों पर अनुमानित हितलाभ दायित्व		
डिस्काउंटिंग दर में +0.50% परिवर्तन से डेल्टा प्रभाव	(150.11)	(166.92)
डिस्काउंटिंग दर में -0.50% परिवर्तन से डेल्टा प्रभाव	189.69	176.56
वेतन वृद्धि में +0.50% परिवर्तन से डेल्टा प्रभाव	189.25	175.80
वेतन कमी में - 0.50% परिवर्तन से डेल्टा प्रभाव	(151.23)	(168.47)

ix. अनुमानित हितलाभ दायित्वों का परिपक्वता विश्लेषण

(रुपए लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2023
रिपोर्टिंग तिथि से भावी वर्षों में देय अनुमानित हितलाभ		
पहले अनुगामी वर्ष	1046.39	810.20
दूसरे अनुगामी वर्ष	925.65	891.76
तीसरे अनुगामी वर्ष	489.95	842.67
चौथे अनुगामी वर्ष	341.03	481.16
पांचवे अनुगामी वर्ष	360.55	317.49
छठे अनुगामी वर्ष	230.89	348.94
6 वर्षों के पश्चात	892.54	891.18

3) सेवानिवृत्ति उपरांत हितलाभ योजना

i. हितलाभ दायित्व के वर्तमान मूल्य में हुआ परिवर्तन निम्नानुसार है:-

(रुपए लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2020	31 मार्च, 2023
वर्ष के प्रारंभ में दायित्व का वर्तमान मूल्य	2761.96	2483.55
चालू सेवा लागत	50.81	48.74
ब्याज लागत	201.90	177.82
बीमांकिक लाभ / (हानि)	203.78	105.36
पूर्व सेवा लागत	-	-
चुकता हितलाभ	(51.51)	(53.51)
वर्ष के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	3166.94	2761.96

ii. तुलन पत्र तथा सम्बद्ध विश्लेषण :-

(रुपए लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2023
अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	3166.94	2761.96
योजना परिसम्पत्तियों का उचित मूल्य	-	-
गैर-निधियन देयताएं/ तुलन पत्र में प्रावधान	(3166.94)	(2761.96)
तुलन पत्र में स्वीकृत गैर-निधियन दायित्व	(3166.94)	(2761.96)

iii. लाभ एवं हानि विवरण में स्वीकृत व्यय :-

(रुपए लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2023
चालू सेवा लागत	50.81	48.74
हितलाभ दायित्व पर ब्याज लागत	201.90	177.82
अवधि के दौरान निवल व्यय	252.71	226.56

iv. अन्य व्यापक आय में स्वीकृत व्यय :-

(रुपए लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2023
अवधि के दौरान दायित्व पर बीमांकिक हानियां	(203.78)	(105.36)
निवल गैर-स्वीकृत बीमांकिक लाभ/(हानि) अथ शेष	-	-
अवधि के दौरान परिसम्पत्तियों पर बीमांकिक लाभ/(हानि)	-	-
अन्य व्यापक आय में स्वीकृत अवधिक में निवल व्यय	(203.78)	(105.36)

v. कर्मचारी हितलाभों के निर्धारण के लिए उपयोग में लाए गए प्रमुख अनुमान निम्नानुसार हैं:-

विवरण	31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2023
छूट दर	7.05%	7.31%
भावी लागत वृद्धि / वेतन संवर्धन दर	6.00%	6.00%
सेवानिवृत्ति आयु	60	60
संघर्षण दर		
आयु (वर्ष)		
30 वर्ष तक	3.00	3.00
31 से 44 वर्ष तक	2.00	2.00
44 वर्ष से अधिक	1.00	1.00

उक्त सूचना का प्रमाणन बीमांकक द्वारा किया गया है तथा इसे लेखा परीक्षकों द्वारा विश्वसनीय मानकर उपयोग किया गया है।

बीमांकिक मूल्यांकन के लिए विचार में लाई गई अनुमानित भावी वेतन वृद्धि में मंहगाई दर, वरिष्ठता, पदोन्नति एवं रोजगार बाजार में आपूर्ति एवं मांग जैसे अन्य सम्बद्ध घटकों की ओर ध्यान दिया गया है।

vi. संवेदी विश्लेषण

(रुपए लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2023
चालू अनुमानों पर संभावित हितलाभ दायित्व		
डिस्काउंटिंग दर में +0.50% परिवर्तन से डेल्टा प्रभाव	92.41	(86.53)
डिस्काउंटिंग दर में -0.50% परिवर्तन से डेल्टा प्रभाव	(91.56)	86.41

4) अर्जित छुट्टी देयता

i. हितलाभ दायित्व के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन निम्नानुसार है :-

(रुपए लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2023
वर्ष के प्रारंभ में दायित्व का वर्तमान मूल्य	1356.25	1388.88
उपार्जन समायोजन	(4.34)	3.17
चालू सेवा लागत	152.93	107.58
ब्याज लागत	99.14	99.44
बीमांकिक लाभ / (हानि)	198.11	453.75
चुकता हितलाभ	(331.64)	(696.58)
वर्ष के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	1470.45	1356.25



ii. तुलन पत्र तथा सम्बद्ध विश्लेषण

(रुपए लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2023
अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	1470.45	1356.27
योजना परिसम्पत्तियों का उचित मूल्य	-	-
गैर-निधियन देयताएं/तुलन पत्र में प्रावधान	(1470.45)	(1356.27)

iii. लाभ एवं हानि विवरण में स्वीकृत व्यय :-

(रुपए लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2023
चालू सेवा लागत	152.92	107.58
हितलाभ दायित्व पर ब्याज लागत	99.14	99.44
अवधि के दौरान स्वीकृत निवल बीमांकिक (हानि)/ लाभ	198.11	453.75
अवधि के दौरान निवल व्यय	450.17	660.78

iv. कर्मचारी हितलाभ के निर्धारण के लिए प्रयुक्त प्रमुख अनुमान निम्नानुसार हैं:-

विवरण	31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2023
छूट दर	7.05%	7.31%
भावी लागत वृद्धि/वेतन संवर्धन दर	6.00%	6.00%
सेवानिवृत्ति आयु	60	60
संघर्षण दर		
आयु (वर्ष)		
30 वर्ष तक	3.00	3.00
31 से 44 वर्ष तक	2.00	2.00
44 वर्ष से अधिक	1.00	1.00

उक्त सूचना का प्रमाणन बीमांकिक द्वारा किया गया है तथा इसे लेखा परीक्षकों द्वारा विश्वसनीय मानकर उपयोग किया गया है।

बीमांकिक मूल्यांकन के लिए विचार में लाई गई अनुमानित भावी वेतन वृद्धि में मंहगाई दर, वरिष्ठता, पदोन्नति एवं रोजगार बाजार में आपूर्ति एवं मांग जैसे अन्य सम्बद्ध घटकों की ओर ध्यान दिया गया है।

v. संवेदी विश्लेषण

(रुपए लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2023
चालू पूर्वानुमानों पर अनुमानित हितलाभ दायित्व		
डिस्काउंटिंग दर में +0.50% परिवर्तन से डेल्टा प्रभाव	(88.53)	(81.29)
डिस्काउंटिंग दर में -0.50% परिवर्तन से डेल्टा प्रभाव	87.51	84.28
वेतन वृद्धि में +0.50% परिवर्तन से डेल्टा प्रभाव	87.34	84.05
वेतन कमी में - 0.50% परिवर्तन से डेल्टा प्रभाव	(88.95)	(81.76)

vi. अनुमानित हितलाभ दायित्व का परिपक्वता विश्लेषण : नियोक्ता की ओर से

(रुपए लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2023	31 मार्च, 2022
पहले अनुगामी वर्ष	350.31	299.44
दूसरे अनुगामी वर्ष	319.84	212.97
तीसरे अनुगामी वर्ष	166.37	231.52
चौथे अनुगामी वर्ष	105.36	128.01
पांचवे अनुगामी वर्ष	116.47	78.78
छठे अनुगामी वर्ष	84.13	85.91
6 वर्षों के पश्चात	328.11	206.09

5) सामान भत्ता

i. हितलाभ दायित्व के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन निम्नानुसार है:-

(रुपए लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2023
वर्ष के प्रारंभ में दायित्व का वर्तमान मूल्य	18.51	199.99
चालू सेवा लागत	0.66	0.68
ब्याज लागत	1.35	1.43
बीमांकिक लाभ / (हानि)	(3.10)	(3.25)
चुकता हितलाभ	0.00	(0.35)
वर्ष के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	17.42	18.51

ii. तुलन पत्र तथा सम्बद्ध विश्लेषण :-

(रुपए लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2023
अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	17.42	18.51
योजना परिसम्पत्तियों का उचित मूल्य	-	-
गैर-निधियन देयताएं/तुलन पत्र में प्रावधान	(17.42)	(18.51)
गैर-निधियन देयताएं/तुलन पत्र में स्वीकृत	(17.42)	(18.51)

iii. लाभ एवं हानि विवरण में स्वीकृत व्यय

(रुपए लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2023
चालू सेवा लागत	0.66	0.68
हितलाभ दायित्व पर ब्याज लागत	1.35	1.43
अवधि के दौरान निवल व्यय	2.01	2.11

iv. अन्य व्यापक आय में स्वीकृत व्यय :

(रुपए लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2023
अवधि के दौरान दायित्व पर बीमांकिक लाभ/ (हानियां)	3.10	3.25
निवल संचयी गैर-स्वीकृत बीमांकिक लाभ/(हानि) अथ शेष	-	-
अवधि के दौरान परिसम्पत्तियों पर बीमांकिक लाभ/(हानि)	-	-
अन्य व्यापक आय(ओसीआई) में स्वीकृत अवधि में निवल व्यय	(3.10)	(3.25)

v. कर्मचारी हितलाभ के निर्धारण के लिए प्रयुक्त प्रमुख अनुमान निम्नानुसार हैं:-

विवरण	31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2023
छूट दर	7.05%	7.31%
भावी लागत वृद्धि/वेतन संवर्धन दर	6.00%	6.00%
सेवानिवृत्ति आयु	60	60
संघर्षण दर		
आयु (वर्ष)		
30 वर्ष तक	3.00	3.00
31 से 44 वर्ष तक	2.00	2.00
44 वर्ष से अधिक	1.00	1.00

उक्त सूचना का प्रमाणन बीमांकक द्वारा किया गया है तथा इसे लेखा परीक्षकों द्वारा विश्वसनीय मानकर उपयोग किया गया है।

बीमांकिक मूल्यांकन के लिए विचार में लाई गई अनुमानित भावी वेतन वृद्धि में मंहगाई दर, वरिष्ठता, पदोन्नति एवं रोजगार बाजार में आपूर्ति एवं मांग जैसे अन्य सम्बद्ध घटकों की ओर ध्यान दिया गया है।

vi. संवेदी विश्लेषण

(रुपए लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2023
चालू पूर्वानुमानों पर अनुमानित हितलाभ दायित्व		
डिस्काउंटिंग दर में +0.50% परिवर्तन से डेल्टा प्रभाव	(0.66)	(0.71)
डिस्काउंटिंग दर में -0.50% परिवर्तन से डेल्टा प्रभाव	0.64	0.71

6) अर्ध-वेतन छुट्टी देयता

i. हितलाभ दायित्व में परिवर्तन का वर्तमान मूल्य निम्नानुसार है :-

(रुपए लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2023
वर्ष के प्रारम्भ में दायित्व का वर्तमान मूल्य	893.32	922.39
उर्पाजन समायोजन	(4.82)	-
चालू सेवा लागत	53.27	45.69
ब्याज लागत	65.30	66.04
बीमांकिक लाभ / (हानि)	(29.84)	(33.79)
चुकता हितलाभ	(71.04)	(107.01)
वर्ष के अंत में परिभाषित हितलाभ दायित्व	906.20	893.32

ii. तुलन पत्र तथा सम्बद्ध विश्लेषण :-

(रुपए लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2023
परिभाषित हितलाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य	906.20	893.32
योजना परिसम्पत्तियों का उचित मूल्य	-	-
गैर निधियन देयता / तुलन पत्र में प्रावधान	(906.20)	(893.32)



iii. लाभ एवं हानि विवरण में स्वीकृत व्यय :-

(रुपए लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2023
चालू सेवा लागत	53.27	45.69
हितलाभ दायित्व की ब्याज लागत	65.30	66.04
अवधि के दौरान स्वीकृत बीमांकिक लाभ / (हानि)	(29.84)	(33.79)
अवधि के दौरान निवल व्यय	88.73	77.95

iv. कर्मचारी हितलाभ के निर्धारण के लिए प्रयुक्त प्रमुख अनुमान निम्नानुसार हैं:-

विवरण	31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2023
छूट दर	7.05%	7.31%
भावी लागत वृद्धि/वेतन संवर्धन दर	6.00%	6.00%
सेवानिवृत्ति आयु	60	60
संघर्षण दर		
आयु (वर्ष)		
30 वर्ष तक	3.00	3.00
31 से 44 वर्ष तक	2.00	2.00
44 वर्ष से अधिक	1.00	1.00

उक्त सूचना का प्रमाणन बीमांकक द्वारा किया गया है तथा इसे लेखा परीक्षकों द्वारा विश्वसनीय मानकर उपयोग किया गया है।

बीमांकिक मूल्यांकन के लिए विचार में लाई गई अनुमानित भावी वेतन वृद्धि में मंहगाई दर, वरिष्ठता, पदोन्नति एवं रोजगार बाजार में आपूर्ति एवं मांग जैसे अन्य सम्बद्ध घटकों की ओर ध्यान दिया गया है।

v. संवेदी विश्लेषण

(रुपए लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2023
चालू अनुमानों पर संभावित हितलाभ दायित्व		
डिस्काउंटिंग दर में +0.50%परिवर्तन से डेल्टा प्रभाव	(23.01)	(22.62)
डिस्काउंटिंग दर में -0.50% परिवर्तन से डेल्टा प्रभाव	6.28	19.75
वेतन वृद्धि में +0.50%परिवर्तन से डेल्टा प्रभाव	6.36	19.88
वेतन कमी में - 0.50% परिवर्तन से डेल्टा प्रभाव	(23.21)	(22.89)

vi. अनुमानित हितलाभ दायित्वों का परिपक्वता विश्लेषण : नियोक्ता की ओर से

(रुपए लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2023
पहले अनुगामी वर्ष	225.79	95.56
दूसरे अनुगामी वर्ष	248.32	71.70
तीसरे अनुगामी वर्ष	82.77	53.78
चौथे अनुगामी वर्ष	63.17	79.69
पांचवे अनुगामी वर्ष	82.38	165.58
छठे अनुगामी वर्ष	60.29	206.17
6 वर्षों के पश्चात	143.48	214.11

x. इक्विटी शेयरों (गैर-सूचीबद्ध) में लागत पर निवेश - (स्तर 3 निवेश)

कम्पनी द्वारा वित्तीय वर्ष 2009-10 के दौरान नेशनल फ्लाइंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट प्राइवेट लिमिटेड, गोंदिया, महाराष्ट्र में 289.34 लाख रुपए का इक्विटी अंशदान (गैर-सूचीबद्ध) किया गया है। निवेशी कम्पनी को 31.3.2024 की स्थिति के अनुसार 8368.40 लाख रुपए की चुकता शेयर पूंजी में से 8770.28 लाख रुपए की हानियां (अस्थाई अलेखापरीक्षित लेखा) हुई हैं। कम्पनी द्वारा एनएफटीआई की चुकता पूंजी पर हुई लगभग 109.32% (31 मार्च, 2023 : 105.83%) की इन संचयी हानियों को विचार में लेकर 31.3.2024 तक के लिए हानि के मूल्य के प्रति 289.34 लाख रुपए (31 मार्च, 2023 : 289.34 लाख रुपए) के प्रावधान किए गए हैं।

xi. बीमा दावे

- 2) क) दिनांक 28 जून, 2013 को उत्तराखंड में मातेली से हार्शिल के एक बचाव मिशन के दौरान एन3 हेलीकॉप्टर पंजीकरण संख्या वीटी-पीएचजैड दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। हेलीकॉप्टर की मरम्मत के पश्चात 1086.76 लाख रुपए की राशि का वित्तीय दावा मैसर्स न्यू इंडिया एश्यूरेंस कम्पनी लिमिटेड को मूल्यांकन तथा अग्रेतर कार्रवाई के लिए प्रस्तुत किया गया था। इसके पश्चात दिनांक 10 सितम्बर, 2015 को सर्वेयर से प्राप्त ई-मेल के अनुसार दावे का मूल्यांकन 733.45 लाख रुपए के लिए हुआ था जो कि बीमा कम्पनी द्वारा समाधान किए जाने की शर्त के अध्याधीन था। बीमा कम्पनी द्वारा हमारा दावा नागर विमानन महानिदेशालय की दुर्घटना रिपोर्ट के आधार पर निरस्त कर दिया गया है। कम्पनी द्वारा अपने दिनांक 13 अगस्त, 2018 के माध्यम से दुर्घटना के कारणों के बारे में विस्तार में स्पष्टीकरण प्रस्तुत किए गए हैं तथा बीमा कम्पनी को एक बार फिर से इस मामले पर पुनर्विचार करने और दावे का निपटान करने का अनुरोध किया गया है। कम्पनी द्वारा मैसर्स न्यू इंडिया एश्यूरेंस कम्पनी लिमिटेड के खिलाफ माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय में बीमा कम्पनी को 812.74 लाख रुपए का भुगतान का निदेश देने की प्रार्थना के साथ याचिका दायर की गई है। याचिका के संबंध में मामले पर पिछली सुनवाई 21.3.2025 को हुई थी। दलीलों के लिए मामले की अगली सुनवाई के लिए दिनांक 13.5.2025 निर्धारित की गई है।
- ख) दिनांक 3.10.2018 को बेल्ल 206एल4 हेलीकॉप्टर वीटी-पीएचडी (बीमा मूल्य 875.00 लाख रुपए) द्वारा पदौम से उड़ान भरी गई थी तथा इसने लेह से आगे जांसकर में स्थित कारगियाक में आपात लैंडिंग की थी। इस दावे का मूल्यांकन

रचनात्मक कुल हानि के रूप में किया गया था और कंपनी को 19.01.2021 (वित्त वर्ष 2020-21) को कुल प्राप्य 835.00 लाख रुपए (कटौती योग्य 40 लाख रुपए का शुद्ध) में से 780.00 लाख रुपए (बचाव मूल्य का निवल) प्राप्त हुए थे। 55 लाख रुपए का शेष भुगतान (बचाव मूल्य), जो बचाव के निपटान के कारण लंबित था, बीमाकर्ता से 20.07.2023 को प्राप्त हुआ है।

- ग) कंपनी का \$12,700,000 की बीमित राशि वाला पट्टे पर प्राप्त एक सिकोरस्की हेलीकॉप्टर वीटी-पीडब्ल्यूआई (एमएसएन 761060) है, जो मेसर्स तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग (ओएनजीसीवी) के लिए उड़ान कार्य करते हुए दिनांक 28/06/2022 को मुंबई हार्ड ऑफशोर फील्ड में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। पवन हंस लिमिटेड द्वारा बीमा कंपनी को दुर्घटना की सूचना दी गई थी तथा विमान को "पूर्ण क्षति" घोषित कर दिया गया था। तदनुसार, बीमा कंपनी ने \$12,600,000 (कटौती योग्य राशि - \$100,000 का निवल) की निवल राशि के दावे का निपटान किया है तथा भुगतान जनवरी, 2023 में सीधे पट्टादाता को जारी कर दिया गया है। पट्टा समझौते के अनुसार पवन हंस लिमिटेड द्वारा पट्टादाता को \$100,000 की कटौती योग्य राशि का भुगतान कर दिया गया है। मृतक के परिवार के सदस्यों/ओएनजीसी लिमिटेड के साथ स्वैच्छिक निपटान हेतु यात्री देयता दावों का मूल्यांकन सर्वेक्षक द्वारा किया जा रहा है।
- घ) वित्तीय वर्ष 23-24 के दौरान रोहिणी हेलीपोर्ट स्थित सामग्री विभाग से कुछ स्पेयर पार्ट्स गायब पाए गए ज्ञात हुए थे। इसके अलावा, मालसूची के वार्षिक भौतिक सत्यापन के दौरान, बेल 206 एल4, एस 350 बी3 हेलीकॉप्टरों से संबंधित कुछ और सामान गायब पाया गया था। इस संदर्भ में, दिनांक 09/11/2023 और 11/12/2023 को एफआईआर दर्ज की गई जिसके संबंध में मामले की जांच की जा रही है। कंपनी ने बीमा कंपनी अर्थात् मेसर्स द ओरिएंटल इंड्योरेंस कंपनी लिमिटेड के सम्मुख दावा दायर किया है। बीमा कंपनी ने इस संबंध में सर्वेक्षक नियुक्त किया है। सर्वेक्षक के पास दावे का मूल्यांकन प्रक्रियाधीन है। गायब वस्तुओं की अनुमानित लागत/डब्ल्यूडीवी 121.48 लाख रुपए है।

XII कराधान

- क) 31.3.2007 से 31.3.2017 को समाप्त हुए वित्तीय वर्षों के दौरान करयोग्य हानियों को विचार में लेकर कम्पनी द्वारा आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 115जेबी के अंतर्गत 13,343.44 लाख रुपए (31 मार्च, 2023: 13,343.44 लाख रुपए) का न्यूनतम वैकल्पिक कर (एमएटी) चुकता किया गया था जिसमें वित्तीय वर्ष 2016-17 से संबंध 4669.72 लाख रुपए की एमएटी शामिल थी। (सामान्य प्रावधान के अंतर्गत कर 3743.12 लाख रुपए आंके गए थे तथा एमएटी के अंतर्गत कुल चुकता कर 8412.85 लाख रुपए था जिसमें कर निर्धारण वर्ष 2017-18 से संबंधित उपलब्ध एमएटी क्रेडिट की शेष राशि के रूप में 4669.73 लाख रुपए उपलब्ध थे)

कर निर्धारण वर्ष 2017-18 के संबंध में अपने दिनांक 6/12/2019 के आदेश संख्या आईटीबीए/एससी/एस/143(3)/2019-20/ 1021788059(1) के माध्यम कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आयकर के सामान्य प्रावधान के अंतर्गत कुछ अस्वीकृतियां दी गईं थी तथा कर निर्धारण अधिकारी द्वारा गणना किया गया कुल कर 12657.82 लाख रुपए जमा 2037.95 लाख रुपए का ब्याज दायित्व था जिससे कर का कुल योग 14695.77 लाख रुपए है तथा कम्पनी द्वारा जमा करवाई गई 8943.11 लाख रुपए की राशि, जिसमें स्रोत पर कर कटौति, अग्रिम कर तथा स्व मूल्यांकन कर शामिल है, के समायोजन के पश्चात आयकर विभाग द्वारा 5752.66 लाख रुपए की अतिरिक्त मांग की गई है।

तदनुसार, कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अपने दिनांक 2.2.2021 के संशोधन आदेश संख्या आईटीबीए/आरईसी/एस/154-1/2020-21/ 1030290334 (1) के माध्यम से उपलब्ध एमएटी क्रेडिट की 8673.72 लाख रुपए के उपलब्ध

क्रेडिट में से 4144.08 लाख रुपए के एमएटी क्रेडिट को प्रभावी करके, कर निर्धारण वर्ष 2017-18 तक के 4529.64 लाख रुपए के शेष को छोड़कर, गणन किया गया है। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा गणना किया गया कुल कर 12657.82 लाख घटा 4144.08 लाख रुपए है। एमएटी समायोजन के पश्चात शेष देय कर 8513.74 लाख रुपए जमा 559.09 लाख रुपए है जिससे निवल कर देयता का योग 9072.21 लाख रुपए तथा कम्पनी द्वारा चुकता की गई 9827.21 लाख रुपए की कुल राशि के समायोजन के पश्चात विभाग द्वारा 754.38 लाख रुपए की राशि की धनवापसी की गई है। इसके अलावा, यह उल्लेखनीय है कि कम्पनी ने कर निर्धारण अधिकारी द्वारा दी गई अस्वीकृति के प्रति पहले से ही सीआईटी (अपील) के सम्मुख अपील प्रस्तुत की गई है।

इसके अलावा, आयकर विभाग द्वारा कर निर्धारण वर्ष 2018-19 के संबंध में अपने दिनांक 27.4.2022 के मूल्यांकन आदेश संख्या आईटीबीए/आरईसी/एस/186/2022-23/1042878977(1) द्वारा 4866.78 लाख रुपए की कर देयता का गणन किया गया है तथा इसमें उपलब्ध 4529.64 लाख रुपए के एमएटी क्रेडिट में से 4028.06 लाख रुपए का एमएटी क्रेडिट का समायोजन किया गया है तथा निवल देय कर 838.72 लाख रुपए जमा 17.93 लाख रुपए के ब्याज दायित्व हैं जिससे कुल कर देयता 856.65 लाख रुपए तथा कम्पनी द्वारा चुकता किए गए 912.74 लाख रुपए के समायोजन के पश्चात विभाग द्वारा 56.09 लाख रुपए का धनवापसी आदेश जारी किया गया है। इसके अलावा, यहां यह उल्लेखनीय है कि कम्पनी ने वित्तीय वर्ष 2018-19 के संबंध कर निर्धारण अधिकारी द्वारा दी गई अस्वीकृति के प्रति पहले से ही सीआईटी (अपील) के सम्मुख अपील प्रस्तुत की गई है। वर्तमान में कम्पनी का उपलब्ध एमएटी क्रेडिट शेष 501.58 लाख रुपए है जिसका समायोजन विवेकी आधार पर किया जा सकता है क्योंकि कम्पनी को यह निश्चितता नहीं है कि उपलब्ध एमएटी क्रेडिट में समायोजन के लिए भविष्य में कर योग्य लाभ की उत्पत्ति होगी अथवा नहीं।

- ख) प्रावधान के बाद अग्रिम कर का विवरण, ₹6,728.64 लाख (पिछले वर्ष ₹9,306.65 लाख) है। इसमें से गैर-चालू अग्रिम कर के अंतर्गत ₹4,235.16 लाख (पिछले वर्ष ₹7,232.68 लाख) दर्शाया गया है, जिसमें ₹129.55 लाख (पिछले वर्ष ₹95.55 लाख) का प्रावधान है, जो अमान्य टीडीएस प्रमाणपत्रों के लिए है, संबंधित आकलन वर्ष 2004-05, 2005-06, 2006-07, 2009-10 और 2010-11 के लिए। चालू कर के अंतर्गत ₹2,493.48 लाख (पिछले वर्ष ₹2,073.97 लाख) रखा गया है और चालू देनदारियों के अंतर्गत ₹ शून्य (पिछले वर्ष ₹ शून्य लाख) रखा गया है, जो निम्नानुसार हैं।

(रुपए लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2023
स्रोत पर कर कटौती सहित अग्रिम कर	41,618.32	43,731.14
आय कर के लिए प्रावधान	34,889.68	34,424.49
अग्रिम चुकता आय कर की निवल राशि	6,728.64	9,306.65

- ग) अग्रिम कर की राशि में कर निर्धारण वर्ष 2022-23 तक के पूर्ण मूल्यांकनों से संबंधित 5,973.77 लाख रुपए (31 मार्च, 2023: 7,478.78 लाख रुपए) एवं कर निर्धारण वर्ष 2022-23 से संबंधित 21.79 लाख रुपए की वह राशि शामिल है जिसके मूल्यांकन अभी नहीं हुए हैं तथा शेष 1,033.06 लाख रुपए का अग्रिम कर चालू वित्तीय वर्ष से संबंधित है।

31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार उपर्युक्त अग्रिम कर में से 5,973.77 लाख रुपए की राशि कर निर्धारण वर्ष 2022-23 (31 मार्च, 2023: 7,478.78 लाख रुपए) तक की वह धनवापसी योग्य राशि है जो वर्तमान स्तर पर आय कर

अपीलिय ट्रिब्यूनल के सम्मुख इनके मामले लम्बित होने के कारण स्वीकृति योग्य नहीं है। इस प्रकार आय कर विभाग से धनवापसी के रूप में प्राप्य / समायोजन योग्य 4,235.15 लाख रुपए (31 मार्च, 2023: 7,232.68 लाख रुपए) की राशि को 'गैर चालू परिसम्पत्तियों' के अंतर्गत दर्शाया गया है तथा 2,793.48 लाख रुपए (31 मार्च, 2023: 2,073.97 लाख रुपए) की बकाया राशि को 'चालू कर परिसम्पत्तियों' के अंतर्गत दर्शाया गया है।

कम्पनी ने कर निर्धारण अधिकारी द्वारा दी गई अस्वीकृति एवं आय कर आयुक्त (अपील) द्वारा की गई पुष्टि के प्रति आय कर अपीलिय ट्रिब्यूनल के सम्मुख अपीलें दायर की गई हैं। ये अपीलें मुख्यतः कम्पनी द्वारा केन्द्र सरकार को देय ब्याज के दावों / वित्तीय वर्ष 1996-97 से 2001-02 के कर मुक्त बांडों के ब्याज से संबंधित हैं।

XIII. हेलीपोर्ट परियोजना

सरकार द्वारा कम्पनी के लिए रोहिणी, नई दिल्ली में 6400 लाख रुपए (1907 लाख रुपए की भूमि लागत सहित जो नागर विमानन मंत्रालय के नाम है) की अनुमानित लागत से हेलीपोर्ट के निर्माण की परियोजना का अनुमोदन दिया गया था जिसे नागर विमानन मंत्रालय द्वारा दिनांक 7.6.2016 को अनिवार्य सुरक्षा, संरक्षा तथा प्रचालनात्मक अवसंरचना लागत के लिए अतिरिक्त मदों एवं आकस्मिकताओं को विचार में लेकर 9925.00 लाख रुपए कर दिया गया था। इस परियोजना के लिए निधियन निम्नानुसार किया गया है:-

- क) अनुमानित मूल्य अवसंरचना विकास की 80% लागत के लिए सरकारी इक्विटी के तौर पर लगभग 6414.00 लाख रुपए का योगदान
- ख) कम्पनी द्वारा परियोजना लागत 20% भाग के तौर पर 1604 लाख रुपए का योगदान

कम्पनी को हेलीपोर्ट परियोजना की लागत के लिए भारत सरकार से 6414.00 लाख रुपए के इक्विटी अंशदान (जिसमें भारत सरकार (नागर विमानन मंत्रालय) से मार्च, 2017 में इक्विटी पूंजी के रूप में प्राप्त 2814.00 लाख रुपए शामिल हैं) मार्च 2017 तक प्राप्त हो गया था।

इस परियोजना पर 31.3.2022 तक किए गए व्यय का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है:-

(रुपए लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2023
भूमि की लागत-भारत सरकार द्वारा निधियन नहीं	7.01	7.01
परामर्शदाताओं को डिजाइनिंग तथा परियोजना योजना के लिए भुगतान	178.68	178.68
चारदीवारी तथा ठेकेदारों, बिजली लोड स्वीकृति फीस इत्यादि के आर/ए बिलों के भुगतान के लिए।	5948.26	5948.26
योग	6133.95	6133.95

वित्तीय वर्ष 2016-17 में दिनांक 28.2.2017 से रोहिणी स्थित हेलीपोर्ट से परिचालन प्रारम्भ हो गए थे। तदनुसार, दिनांक 28.2.2017 को घटक एप्रोच का अनुसरण करते हुए विभिन्न स्वीकृत घटकों के अंतर्गत 6133.95 लाख रुपए का अस्थाई पूंजीयन कर लिया गया था। इसके अलावा, चूंकि रोहिणी हेलीपोर्ट के संबंध में कम्पनी एवं नागर विमानन मंत्रालय के बीच किसी प्रकार का पट्टा करार किए जाने की आवश्यकता थी अतः कम्पनी अधिनियम के अंतर्गत उल्लिखित उपयोग्यता काल को संबंधित स्वीकृत घटकों के लिए विचार में लिया गया है।

कम्पनी के विनिवेश की प्रक्रिया जारी होने को विचार में लेते हुए पवन हंस लिमिटेड के निदेशक मंडल द्वारा दिनांक 31 अक्टूबर, 2019 को आयोजित निदेशक मंडल की बैठक में रोहिणी हेलीपोर्ट से अलग होने का अनुमोदन दिया गया है। कॉर्पोरेट कार्यालय द्वारा दिनांक 29.8.2022 के आदेश संख्या 24/2/2020-सीएल-III के माध्यम से 1 अप्रैल, 2022 से प्रभावी विलय समाप्ति का अनुमोदन दिया गया है। तदनुसार, विलय समाप्ति की अनुमोदित योजना के अनुसार 1.4.2022 की स्थिति के अनुसार रोहिणी हेलीपोर्ट से संबंधित परिसम्पतियों एवं देयताओं का अंतरण रोहिणी हेलीपोर्ट लिमिटेड (आरएचएल) को निम्नानुसार किया गया है:-

(रुपए लाख में)

विवरण	01/04/2022
परिसम्पत्तियां	
सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण	4070.56
व्यापार प्राप्य	38.54
नकदी एवं नकदी समतुल्य	55.24
अन्य चालू परिसम्पत्तियां	1363.93
योग	5528.27
देयताएं	
अन्य गैर चालू वित्तीय देयताएं	0.06
व्यापार देय	13.98
अन्य चालू देयताएं	602.21
योग	616.25
धारित आय के प्रति अंतरित / समायोजित राशि की भिन्नता	4912.02

XIV. हडप्सर, पुणे में हेलीकॉप्टर प्रशिक्षण अकादमी एवं हेलीपोर्ट

कम्पनी को हडप्सर, पुणे में स्थित नागर विमानन महानिदेशालय के स्वामित्व एवं नियंत्रणाधीन विद्यमान ग्लाइडिंग सेन्टर में हेलीकॉप्टर प्रशिक्षण अकादमी एवं हेलीपोर्ट के निर्माण का उत्तरदायित्व सौंपा गया था। नागर विमानन मंत्रालय द्वारा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को अनुमोदन दे दिया गया है। नागर विमानन महानिदेशालय द्वारा इस उद्देश्य से अप्रैल, 2010 में 1000.00 लाख रुपए की राशि जारी कर दी गई है। उक्त अग्रिम में से 31.3.2024 तक निम्नानुसार व्यय किए गए हैं:-

(रुपए लाख में)

	विवरण	31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2023
क	- नागर विमानन महानिदेशालय से अप्रैल, 2010 में प्राप्त अग्रिम	1000.00	1000.00
	- कुल उपार्जित एवं अर्जित ब्याज	237.18	232.60
	योग निधि	1237.18	1232.60
ख	- एनबीसीसी को दी गई राशि	1134.09	1134.09
	- कम्पनी द्वारा परियोजना पर व्यय की गई राशि	26.68	26.68
	योग संवितरण / व्यय	1160.77	1160.77

	विवरण	31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2023
ग	बैंक में उपलब्ध रोकड़		
	- चालू खाते में	4.92	4.92
	- सावधि जमा में	69.62	65.55
	- ब्याज उपार्जित एवं अन्य	0.69	0.64
	योग	75.24	71.11

XV. निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व एवं संवहनीय विकास निधि

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अनुसार 1 अप्रैल, 2014 से कम्पनी से पूर्व तीन वर्षों में कम्पनी द्वारा उपार्जित शुद्ध लाभ के औसत का प्रत्येक वर्ष कम से कम 2% सीएसआर नीति के अंतर्गत व्यय किया जाना अपेक्षित किया गया है। इसके आधार पर सीएसआर में वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए शून्य लाख रुपए (31 मार्च, 2023: शून्य लाख रुपए) की राशि के व्यय की अपेक्षा की गई है। इसके अलावा, पूर्व वर्षों के लिए 200.92 लाख रुपए (31 मार्च, 2019: 200.92 लाख रुपए) के प्रावधान अग्रेषित किए गए हैं। चालू वित्त वर्ष के दौरान कम्पनी द्वारा सीएसआर क्रियाकलापों पर निम्नलिखित शीर्ष के अंतर्गत शून्य लाख रुपए (31 मार्च, 2023: शून्य लाख रुपए) व्यय किए गए हैं :

(रुपए लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2023
स्वच्छ भारत अभियान	शून्य	शून्य
शिक्षा प्रोत्साहन **	शून्य	शून्य
स्वास्थ्य सेवा	शून्य	शून्य
प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण	शून्य	शून्य
प्रशिक्षण एवं कौशल विकास	शून्य	शून्य
योग	शून्य	शून्य

शिक्षा प्रोत्साहन के लिए मैसर्स कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस के साथ 6.75 लाख रुपए के कुल मूल्य का अनुबंध किया गया था जिसमें से 31.3.2019 तक 5.06 लाख रुपए का व्यय किया जा चुका है तथा शेष राशि के संबंध में आपूर्तिकर्ता ने यह सूचना दी है कि इस धनराशि का उपयोग कर लिया गया है, तथापि निधि उपयोग प्रमाणपत्र, परियोजना समापन रिपोर्ट की प्रस्तुति लंबित है तथा अनुबंध के प्रावधानों के उपबंधों के अनुसार चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा सीएसआर के अंतर्गत प्रतिबद्ध देयता के रूप में लेखा बहियों में 1.69 लाख रुपए के प्रावधान अग्रेषित किए गए हैं।

31.3.2024 की स्थिति के अनुसार व्यय न की गई 202.40 लाख रुपए की राशि का व्यय लोक उपक्रम विभाग के दिनांक 23.9.2011 के दिशानिर्देशों तथा समय समय पर जारी दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाएगा।

XVI. परिचालन पट्टे के प्रति दायित्व :-

निरस्त किए गए परिचालन पट्टों के संबंध में 1262.03 लाख रुपए (31 मार्च, 2023: 1511.14 लाख रुपए) का किराया व्यय / हेलीकॉप्टर पट्टा प्रभार लाभ एवं हानि विवरणी में प्रभारित किए गए है । कम्पनी द्वारा वर्टिकल एविएशन नम्बर 1 के साथ एस76डी हेलीकॉप्टर के संबंध में सात वर्षों के लिए गैर-निरस्त परिचालन पट्टे किए गए हैं तथा विचाराधीन वित्तीय वर्ष के दौरान हेलीकॉप्टर पट्टा प्रभारों के रूप में 2034.62 लाख रुपए (31 मार्च, 2023: 2816.60 लाख रुपए) चुकता किए गए हैं।

हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ परिचालन पट्टे का प्रकटीकरण *:-

(रुपए लाख में)

विवरण	एक वर्ष से अधिक नहीं	एक वर्ष से अधिक परन्तु पांच वर्ष से अधिक नहीं	पांच वर्ष से अधिक
हि.ए.लि. से ड्राई लीज पर ध्रुव हेलीकॉप्टर (वीटी-एचएक्यू / वीटी-एचएआर)	शून्य	शून्य	शून्य

*वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान 473.47 लाख रुपए (पिछले वर्ष – 698.52 लाख रुपए) लाभ एवं हानि विवरण में प्रभारित किए गए हैं।

XVII पट्टे :-

क. रिपोर्टिंग अवधि के अंत में वर्ग वार उपयोग अधिकार वाली परिसम्पत्तियों का वहन मूल्य निम्नलिखित है:-

विवरण	2023-24	2022-23
वर्ष के प्रारम्भ में	13120.90	18965.21
अवधि के दौरान आवर्धन	1368.99	69.49
वर्ष के दौरान विलोपन	(1636.52)	(3046.14)
मूल्यहास	(2723.21)	(2867.66)
अंत शेष	10130.16	13120.90

ख. पट्टा देयताओं का परिपक्वता विश्लेषण :

परिपक्वता विश्लेषण – संविदागत गैर-छूट प्राप्त रोकड़ प्रवाह	31 मार्च, 2024 की स्थिति	31 मार्च, 2023 की स्थिति
एक वर्ष से कम	2908.80	3483.83
एक से पांच वर्ष	9672.59	15317.01
पांच वर्ष से अधिक	545.66	550.84
कुल गैर-छूट प्राप्त पट्टा देयताएं	13127.05	19352.69
वित्तीय स्थिति विवरण में शामिल पट्टा देनदारिया	11527.16	13792.41
चालू	2791.53	2789.51
गैर – चालू	8735.63	11002.90

ग. लाभ अथवा हानि में स्वीकृत राशियां:

विवरण	31 मार्च, 2024 की स्थिति	31 मार्च, 2023 की स्थिति
पट्टा देयताओं पर ब्याज	598.38	657.98
आरओयू पर परिशोधन	2723.21	2867.66

घ. रोकड़ प्रवाह विवरण में स्वीकृत राशियां :

विवरण	31 मार्च, 2024 की स्थिति	31 मार्च, 2023 की स्थिति
पट्टे के लिए कुल रोकड़ प्रवाह	2658.38	3311.16

XVIII. घटक लेखांकन

वित्तीय वर्ष 2016-17 से हेलीकॉप्टर के कलपुर्जे के लिए घटक लेखांकन की प्रक्रिया अपनाई गई थी तथा घटक लेखांकन के लिए निम्नलिखित कलपुर्जे विचार में लिए गए थे:-

- क इंजन
- ख मुख्य गियर बॉक्स
- ग हब एसेम्बली
- घ ट्रांसमिशन एसेम्बली
- ङ सन्निहित लागत
- च हल्ल

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान हेलीकॉप्टरों तथा घटकों के मूल्यहास की कुल राशि 7,290.21 लाख रुपए (31 मार्च, 2023: 6,671.43 लाख रुपए) है। ओवरहॉल प्रभार / जी निरीक्षण व्यय की 6695.88 लाख रुपए (31 मार्च, 2023: 3995.28 लाख रुपए) की राशि का वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान पूंजीयन किया गया है।

XIX. क) वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान लक्षद्वीप डिटेचमेंट में एक वित्तीय अनियमितता पाई गई थी। सतर्कता विभाग द्वारा जांच करके अपनी रिपोर्ट प्रबंधन को प्रस्तुत की गई थी। सतर्कता विभाग द्वारा सूचित 129.21 लाख रुपए की अनुमानित वित्त हानि में से वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान 89.12 लाख रुपए के प्रावधान किए गए थे। इस 89.12 लाख रुपए की राशि का निर्धारण 129.21 लाख रुपए की अनुमानित लागत के अनुसार किया गया था जिसमें से कर्मचारियों को देय यात्रा बिल/क्रेडिट/ सहायक कार्यों/बीजकों इत्यादि के लिए देय 40.09 लाख रुपए का संज्ञान कर लिया गया था। पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान लक्षद्वीप प्रशासन से अप्रैल 2008 से मार्च, 2011के यात्री बिलों के लिए 59.29 लाख रुपए की राशि प्राप्त हुई थी। मानव संसाधन विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार जांच कार्रवाई पूरी हो चुकी है तथा दिए गए सुझाव के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है।

ख) वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान दमन डिटेचमेंट के बेस सहायक द्वारा दमन एवं दीव प्रशासन की ओर से टिकटें जारी करने के लिए संग्रहित की गई 3.56 लाख रुपए (अनुमानित) का दुरुपयोग किया गया था । राशि की वसूली के लिए उचित कार्रवाई की गई है तथा उससे 2.40 लाख रुपए की वसूली कर ली गई है और 1.16 लाख रुपए की शेष राशि की वसूली एवं अन्य उचित कार्रवाई करने के लिए उचित कदम उठाए जा रहे हैं। इस राशि को वित्तीय वर्ष 2018-19 के लेखों में शामिल किया गया है।

- ग) वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान पोर्टब्लेयर डिटेचमेंट में उपलब्ध नकदी के अंत शेष तथा बही नकदी शेष में 0.83 लाख रुपए (लगभग) के दुरुपयोग का मामला प्रकाश में आया था। इस मामले की जांच प्रारम्भ की गई थी तथा इससे संबंधित विस्तृत रिपोर्ट प्रतीक्षित है। कम्पनी की नियमावली के अनुसरण में रिपोर्ट के आधार पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। लेखा बहियों में आवश्यक प्रावधान निर्मित किए गए हैं।

XX. प्रावधान

31.3.2024 की स्थिति के अनुसार बहियों में किए गए विभिन्न प्रावधान नीचे दिए गए हैं:-

(रुपए लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2022 की स्थिति	वर्ष के दौरान निर्मित/ प्रयुक्त/ अन्य समायोजन	31 मार्च, 2023 की स्थिति	वर्ष के दौरान निर्मित/ प्रयुक्त/ अन्य समायोजन	31 मार्च, 2024 की स्थिति
परिसम्पत्तियों की अक्षमता क्षति के प्रावधान	2006.31	-	2006.31	-	2006.31
पॉयलटों तथा इंजीनियरों के लिए लाइसेंस सम्बद्ध भत्ते के प्रावधान	3602.00	(1903.00)	1699.00	(353.50)	1345.50
संदेहास्पद ऋण/अग्रिम/संभावित क्रेडिट हानि	10794.29	439.08	11233.37	2185.54	13418.91
स्थिर मालसूचियां/ कालातीत मर्दे इत्यादि के लिए प्रावधान	3974.76	217.49	4192.24	381.20	4573.44
डिटेचमेंट में क्षति के लिए प्रावधान	90.28	0.83	91.11	-	91.11
निवेश के मूल्य के प्रति घटाव के लिए प्रावधान	289.34	-	289.34	-	289.34

XXI. (क) संविदागत परिसम्पत्तियों एवं संविदागत देयताओं का संचलन

(रुपए लाख में)

विवरण	2023-24		2022-23	
	संविदागत परिसम्पत्तियां	संविदागत देयताएं	संविदागत परिसम्पत्तियां	संविदागत देयताएं
अथ शेष (क)	109.59	137.66	131.74	63.90
आवर्धन				
वर्ष के दौरान स्वीकृत बिक्री के प्रति	752.05		109.59	
वर्ष के दौरान ग्राहकों से प्राप्त अग्रिम		1179.25		202.03
वर्ष के दौरान स्वीकृत संव्यवहार मूल्य में परिवर्तन				
अन्य (यदि कोई हों)		0.41		12.43
योग - ख	752.05	1179.66	109.59	214.46
कटौतियां				
वर्ष के दौरान स्वीकृत राजस्व के प्रति समायोजित संविदागत देयता - अथ		65.29	-	18.76
वर्ष के दौरान स्वीकृत राजस्व के प्रति समायोजित संविदागता देयता - चालू		226.44	-	121.94
संविदा परिसम्पत्तियों का व्यापार प्राप्य में परिवर्तन	109.59		131.74	-
अनुबंधों की अक्षमता हानि (यदि कोई हो)			-	-
अनुबंध देयता का प्रतिलेखन			-	-
संव्यवहार मूल्य में परिवर्तन			-	-
अन्य (यदि कोई हों)		37.21	-	-
योग - ग	109.59	328.94	131.74	140.70
कुल योग (अंत शेष)-घ (क+ख+ग)	752.05	988.39	109.59	137.66

(ख) व्यापार प्राप्य में मूवमेंट

विवरण	2023-24	2022-23
व्यवसाय प्राप्य (निवल) का अर्थ शेष (क)	16225.70	19204.94
आवर्धन		
वर्ष के दौरान स्वीकृत बिक्री के प्रति	39079.42	42310.70
संविदा परिसम्पत्तियों का व्यापार प्राप्य में परिवर्तन	109.59	131.74
वर्ष के दौरान स्वीकृत संव्यवहार मूल्य में परिवर्तन	-	-
अन्य (यदि कोई हों)	6132.58	6345.55
योग - ख	45321.59	48787.99
कटौतियां		
वर्ष के दौरान की गई वसूलियां	40231.06	50614.83
वर्ष के दौरान स्वीकृत राजस्व में समायोजित अग्रिम	226.61	113.33
देनदारों से हानि - संदेहास्पद नाम के लिए प्रावधान	1932.50	475.98
वर्ष के दौरान स्वीकृत संव्यवहार मूल्य में परिवर्तन		
अन्य (यदि कोई हों)	512.33	563.08
योग - ग	42902.50	51767.22
कुल योग (अंत शेष) - घ = क+ख+ग	18644.79	16225.71

XXII. क) नागर विमानन मंत्रालय द्वारा दिनांक 15.6.2017 के पत्र संख्या एवी.30020/365/2015-जी के माध्यम से आम सभा में शेयरधारकों से अनुमोदन प्राप्त करने की शर्त के साथ कम्पनी की प्राधिकृत शेयर पूंजी 25,000 लाख रुपए से बढ़ाकर 56,000 लाख रुपए अर्थात् 31,000 लाख रुपए की वृद्धि करने के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान किया गया है। इसके पश्चात दिनांक 22.6.2017 को कम्पनी के शेयरधारकों के साथ आयोजित असाधारण आम सभा में शेयरधारकों से 25,000 लाख रुपए की प्राधिकृत पूंजी को बढ़ाकर 56,000 लाख रुपए करने के लिए नागर विमानन मंत्रालय से प्राप्त 15,905 लाख रुपए (दिनांक 20.1.2017 को प्राप्त तथा 13,091 लाख रुपए तथा दिनांक 31.3.2017 को प्राप्त 2,814 लाख रुपए प्राप्त) एवं ओएनजीसी लिमिटेड से प्राप्त 15,281.60 लाख रुपए (दिनांक 6.7.2017 को प्राप्त) के उपयोग से भारत के राष्ट्रपति के नाम राइट इश्यू जारी किए जाने का अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है। निदेशक मंडल की दिनांक 10.7.2017 को आयोजित 159वीं बैठक में राइट इश्यू के लिए अनुमोदन दिया गया था तथा भारत के राष्ट्रपति के नाम 10,000 रुपए के अंकित मूल्य प्रत्येक के 1,59,050 इक्विटी शेयर तथा ओएनजीसी लिमिटेड के नाम 1,52,816 इक्विटी शेयर जारी किए गए थे। तदनुसार कम्पनी की इक्विटी संरचना 10.7.2017 की स्थिति के अनुसार निम्नानुसार है:-

(रुपए लाख में)

पवन हंस लिमिटेड के इक्विटी शेयरधारक	10.7.2017 से पूर्व शेयरधारिता	10.7.2017 को आबंटित राइट इश्यू के इक्विटी शेयर	31.03.2024 की स्थिति के अनुसार कुल शेयरधारिता (प्राधिकृत पूंजी 56,000 लाख रुपए)	% शेयर धारिता
ना.वि. मंत्रालय के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति (भारत सरकार)	12,526.60	15,905.00	28,431.60	51%
ओएनजीसी लि.	12,035.00	15,281.60	27,316.60	49%
कुल चुकता पूंजी	24,561.60	31,186.60	55,748.20	100%

XXIII. पवन हंस लिमिटेड में भारत सरकार के अंशभाग (51%) का रणनीतिक विनिवेश किए जाने की प्रक्रिया में वर्तमान में की जा रही है, जिसके लिए दिनांक 08 दिसंबर, 2020 को प्रारम्भिक सूचना ज्ञापन (पीआई) / रुचि अभिव्यक्ति अनुरोध (ईओआई) जारी किया गया था। नियत तारीख (05 मार्च, 2021) तक प्राप्त रुचि अभिव्यक्ति के मूल्यांकन तथा आईएमजी के निर्देशों के आधार पर रुचि अभिव्यक्ति के मूल्यांकन से चयन किए गए बोलीदाताओं को वीडिआर, एसआईएम, आरएफपी तथा शेयर क्रय अनुबंध के मसौदे की पहुंच प्रदान की गई थी। चयन किए गए बोलीदाताओं ने विभिन्न उद्यम करके अपनी बोलियां प्रस्तुत की थी तथा इनका तकनीकी मूल्यांकन किया गया था। वित्तीय बोलियां दिनांक 23 अप्रैल, 2022 को खोली गई थी। दिनांक 29 अप्रैल, 2022 को 3 सदस्यों के एक संघ (अर्थात् स्टार9 मोबिलिटी प्राइवेट लिमिटेड) को सर्वोच्च बोलीदाता घोषित किया गया था। सरकार द्वारा सफल बोलीदाता संघ मैसर्स स्टार 9 मोबिलिटी प्राइवेट लिमिटेड को प्रारम्भिक सूचना ज्ञापन तथा रुचि अभिव्यक्ति के प्रावधानों के अनुसार पवन हंस लिमिटेड के रणनीतिक विनिवेश की प्रक्रिया से अयोग्य घोषित किया गया है। इसके अलावा, रणनीतिक विनिवेश की वर्तमान रुचि अभिव्यक्ति प्रक्रिया दिनांक 3 जुलाई 2023 को रद्द कर दी गई है।

XXIV. पूर्वावधि चूकें

कम्पनी से वित्तीय विवरणों को तैयार किए जाने के दौरान सुधार की गई निम्नलिखित चूकों के संबंध में प्रकटीकरण किए जाने की अपेक्षा की गई है:-

- (क) पूर्वावधि चूक का स्वरूप
- (ख) प्रत्येक प्रस्तुत पूर्वावधि के संबंध में राशि में यथासंभव व्यवहार्य सुधार निम्नानुसार है:-
 - प्रत्येक प्रभावित वित्तीय विवरण प्रविष्टि मद; तथा
 - प्रति शेयर मूल एवं डायल्युटिड आय के संबंध में;
- (ग) निकटतम पूर्वावधि के प्रारम्भ के संबंध में की राशि में सुधार की प्रस्तुति;

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान निम्नलिखित पूर्वावधि समायोजन किए गए हैं:-

(रुपए लाख में)

विवरण	राशि
वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान वित्तीय वर्ष 2021-22 तथा पूर्व वर्षों के संबंध में संज्ञान में ली गई पूर्वावधियों के अथ रिजर्व एवं अधिशेष में से किया गया समायोजन	386.80
नामे	
हेलीकॉप्टर परिचालन एवं अनुरक्षण व्यय	364.31
मूल्यहास एवं परिशोधन व्यय	शून्य
अन्य व्यय	40.91
परिचालनों से राजस्व	शून्य
बट्टा लेखित स्थिर परिसम्पत्तियां	शून्य
अन्य आय	1.21
योग	406.43
जमा	

विवरण	राशि
प्रचालनों से राजस्व	0.82
अन्य आय	शून्य
हेलीकॉप्टर परिचालन एवं अनुरक्षण व्यय	5.94
अन्य व्यय	12.87
मूल्यहास एवं परिशोधन व्यय	शून्य
योग	19.63
वित्तीय वर्ष 2021-22 से संबंधित वित्तीय वर्ष 2023-24 में संज्ञान में ली गई पूर्ववधियां का वित्तीय वर्ष 2023-24 की संबंधित प्रविष्टि के अंतर्गत किया गया समायोजन	(236.66)
नामे	
हेलीकॉप्टर परिचालन एवं अनुरक्षण व्यय	174.28
मूल्यहास एवं परिशोधन व्यय	96.11
अन्य व्यय	96.22
ब्याज देयताओं पर ब्याज	12.47
अन्य आय	0.20
योग	379.28
जमा	
कर्मचारी लागत	
हेलीकॉप्टर परिचालन एवं अनुरक्षण व्यय	112.27
मूल्यहास एवं परिशोधन व्यय	4.71
परिचालनों से राजस्व	0.65
अन्य आय	24.92
अन्य व्यय	0.07
योग	142.62

XXV. सम्बद्ध पार्टी प्रकटीकरण

भारतीय लेखांकन मानक-24 के अंतर्गत अपेक्षित सम्बद्ध पार्टी प्रकटीकरण नीचे दिए गए हैं:-

क) नियंत्रण प्रभाव वाले व्यक्ति

भारत के राष्ट्रपति, भारत सरकार	-	51% शेयरधारिता
तेल एवं प्राकृतिक गैस कम्पनी लिमिटेड	-	49% शेयरधारिता

ख) प्रमुख प्रबंधन कार्मिक

- i. श्री संजीव राजदान, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
- ii. श्री अजय गुप्ता, मुख्य वित्त अधिकारी
- iii. श्री रंजीत सिंह चौहान, कम्पनी सचिव

ग) संव्यवहारों का विवरण (प्रमुख प्रबंधन कार्मिक)

(रुपए लाख में)

विवरण	2023-24	2022-23
अल्पकालिक कर्मचारी हितलाभ	99.48	92.67
परिभाषित सेवानिवृत्ति हितलाभ में अंशदान	7.89	7.22
सेवानिवृत्ति उपरांत हितलाभ	8.61	7.88
अन्य दीर्घकालिक हितलाभ	शून्य	शून्य
सेवा समाप्ति हितलाभ	5.00 लाख रुपए का मेडीक्लेम बीमा	5.00 लाख रुपए का मेडीक्लेम बीमा
शेयर आधारित भुगतान	शून्य	शून्य
निदेशकों की सीटिंग फीस	2.70	3.90
प्राप्य राशि	0.64	1.17
देय राशि	9.13	7.15

घ) अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक सहित निदेशकों को चुकता पारिश्रमिक -

(रुपए लाख में)

विवरण	2023-24	2022-23
अल्पकालिक कर्मचारी हितलाभ	49.07	43.64
परिभाषित सेवानिवृत्ति हितलाभ में अंशदान	3.77	3.34
सेवानिवृत्ति उपरांत हितलाभ	4.11	3.65
अन्य दीर्घकालिक हितलाभ	शून्य	शून्य
सेवा समाप्ति हितलाभ	5.00 लाख रुपए का मेडीक्लेम बीमा	5.00 लाख रुपए का मेडीक्लेम बीमा
शेयर आधारित भुगतान	शून्य	शून्य

ङ) महत्वपूर्ण प्रभाव प्राप्त उद्यम -

ओएनजीसी लिमिटेड- इक्विटी शेयरधारिता - 49% जिसकी राशि 27316.60 लाख रुपए है।

(रुपए लाख में)

संव्यवहार :-	2023-24	2022-23
हेलीकॉप्टर किराया प्रभार (ए.ओ.जी./निर्णित हजनि का निवल)	10065.80	11696.52
वर्ष के अंत में व्यापार प्राप्य (नामे)	3445.61	1644.99
भुनाई गई निष्पादन बैंक गारंटी	शून्य	92.42



च) ट्रस्ट जिनमें कम्पनी का महत्वपूर्ण प्रभाव है:-

(रुपए लाख में)

ट्रस्ट का नाम	2022-23			2021-22		
	चुकता	देय	प्राप्य	चुकता	देय	प्राप्य
पवन हंस कर्मचारी भविष्य निधि ट्रस्ट	1949.56	162.00	शून्य	2202.12	162.95	शून्य
पवन हंस हैलीकॉप्टर्स लि. कर्मचारी उपदान ट्रस्ट	शून्य	762.55	शून्य	शून्य	859.94	शून्य
पवन हंस लिमिटेड कर्मचारी परिभाषित अंशदान सेवानिवृत्ति ट्रस्ट	458.06	37.69	शून्य	462.50	39.72	शून्य

XXVI. मूल एवं डायल्यूटिड शेयरों की संख्या के मध्य समाधान निम्नानुसार है:-

विवरण	शेयरों की संख्या	
	2023-24	2022-23
वर्ष के प्रारंभ में शेयरों की संख्या	5,57,482	5,57,482
जोड़ें: वर्ष के दौरान	शून्य	शून्य
वर्ष के अंत में डायल्यूटिड शेयरों की कुल संख्या	5,57,482	5,57,482

XXVII. वित्तीय अनुपात

अनुपात	2022-23	2021-22	भिन्नता	भिन्नता के कारण
चालू अनुपात (समय में)	1.97	1.98	0.88%	-
नामे इक्विटी अनुपात (समय के अनुसार)	लागू नहीं	लागू नहीं	-	-
नामे सेवा कवरेज अनुपात (समय के अनुसार)	लागू नहीं	लागू नहीं	-	-
इक्विटी पर लाभ (% में)	(1.28%)	(2.75%)	(53.61%)	आयकर धनवापसी पर ब्याज की प्राप्ति से घाटों में कमी
मालसूची टर्नओवर अनुपात (समय के अनुसार)	7.16	7.08	1.09%	-
व्यापार प्राप्य टर्नओवर अनुपात	1.38	1.52	(9.48%)	-
व्यापार प्राप्य टर्नओवर अनुपात (समय के अनुसार)	0.82	1.07	(23.10%)	-
निवल पूंजी टर्नओवर (समय के अनुसार)	1.71	1.94	(11.71%)	-
निवल लाभ अनुपात (% में)	(2.55%)	(5.58%)	(54.26%)	आयकर धनवापसी पर ब्याज की प्राप्ति से घाटों में कमी
नियोजित पूंजी पर लाभ (%में)	(0.33%)	0.10%	(438.16%)	घाटों, आवधिक ऋण के पुनर्भुगतान में हास के कारण

XXVIII. तुलन पत्र तिथि को सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के प्रति कम्पनी द्वारा 45 दिन की अवधि से अधिक कुछ बकाया नहीं है। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम व्यवसाय देयताओं के संबंध में ब्याज एवं मूलधन राशि का विवरण नीचे दिया गया है:-

विवरण	31 मार्च, 2023 की स्थिति	31 मार्च, 2022 की स्थिति
सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को देय		
-मूलधन	168.85	316.33
-ब्याज	शून्य	शून्य
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (एमएसएमईडी अधिनियम, 2006) के अंतर्गत क्रेता द्वारा चुकता की गई ब्याज की राशि	शून्य	शून्य
प्रत्येक लेखांकन वर्ष के दौरान नियत तिथि के पश्चात सूक्ष्म एवं लघु आपूर्तिकर्ता को भुगतान की गई राशियां	शून्य	शून्य
भुगतान में देरी के कारण चुकता एवं देय ब्याज की राशि (जो वर्ष के दौरान नियत तिथि के पश्चात एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 में निर्दिष्ट ब्याज को जोड़े बिना चुकता की गई है)	शून्य	शून्य
उपार्जित ब्याज की राशि जो प्रत्येक लेखांकन वर्ष में चुकता नहीं की गई है।	शून्य	शून्य
आगे देय और भुगतान योग्य ब्याज की राशि, जो नियत तिथि से लघु उद्यमी को किए गए भुगतान पर अगले वर्षों के लिए सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के अंतर्गत, व्यवकलनीय व्यय के रूप में अस्वीकृत के उद्देश्य से देय है।	शून्य	शून्य

यह सूचना ऐसे सेवा प्रदाताओं के संबंध में दी गई है जिन्हें कम्पनी को प्राप्त सूचना के अनुसार सूक्ष्म एवं लघु उद्यम के रूप में संज्ञान में लिया जा सका है तथा तदनुसार, इसका उपयोग लेखापरीक्षकों द्वारा किया गया है।

XXIX. सामान्य परिचालन क्रम को 12 माह की संकल्पित अवधि माना गया है तथा कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III के उद्देश्य से परिसम्पत्तियों देयताओं का वर्गीकरण दीर्घकालिक एवं अल्पकालिक आधार पर किया गया है।

XXX. घटक रिपोर्टिंग

कम्पनी द्वारा मुख्यतः भारत में हेलीकॉप्टर सेवाएं प्रदान करने का व्यवसाय किया जा रहा है जो कि “परिचालन घटक” के संदर्भ में भारतीय लेखांकन मानक – 108 के अंतर्गत मुख्य परिचालन निर्णय निर्धारक (“सीओडीएम”) को आंतरिक रिपोर्टिंग के अनुरूप रिपोर्ट किए जाने योग्य केवल एक ही व्यवसाय घटक माना गया है। निदेशक मंडल को मुख्य परिचालन निर्णय निर्धारक माना गया है क्योंकि इसके द्वारा कार्यनीतिक निर्णय लिए जाते हैं तथा यह परिचालन घटक के संबंध में संसाधनों के निर्धारण तथा निष्पादन का मूल्यांकन करने के प्रति उत्तरदायी है। कम्पनी अपने परिचालन भारत में करती है जो कि समान प्रकार के जोखिम होने के कारण एक ही भौगोलिक घटक माना गया है।

क) प्रमुख ग्राहक

कम्पनी के प्रमुख ग्राहक निम्नानुसार हैं:-

- तेल एवं प्राकृतिक गैस कम्पनी लिमिटेड
- अंडमान एवं निकोबार प्रशासन



- iii. लक्षद्वीप प्रशासन
- iv. दमन एवं दीव प्रशासन
- v. त्रिपुरा सरकार
- vi. मिजोरम सरकार
- vii. महाराष्ट्र पुलिस

XXXI. कम्पनी तथा तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम (ओएनजीसी) के मध्य उत्पादन कार्यों के लिए हेलीकॉप्टर का चार्टर सेवा के उद्देश्य से दिनांक 19 जुलाई, 2022 को 3 डॉफिन 365एन हेलीकॉप्टर चार्टर किराए पर प्रदान करने का अनुबंध किया गया है तथा कम्पनी दिनांक 15 फरवरी, 2022 को 2 सिकोसकी ए76डी कू चेंज हेलीकॉप्टर अपतटीय परिचालन के लिए चार्टर सेवा प्रदान करने के लिए अनुबंध किया गया है जो अनुबंध में उल्लिखित विशिष्टताओं के अनुसार ओएनजीसी के परिचालनों के लिए उपयोग में लाया जाएगा। इसके लिए उत्पादन कार्य हेलीकॉप्टर अनुबंध का नवीकरण 2 उत्पादन कार्य हेलीकॉप्टर अनुबंध दिनांक 13 अक्तूबर 2022 के अनुबंध संख्या एमयूएम/ओएफएफ-लॉजिस्टिक्स/एमएम/2022/पीएचटीएचएलजीआरपीए/1067720/ पी76एएल2204/ 90100357- के माध्यम से किया गया है तथा कू परिवर्तन हेलीकॉप्टर प्रदान किए जाने का अनुबंध उत्पादन कार्य अनुबंध के रूप में परिवर्तित करके अपतटीय परिचालनों के लिए 3 उत्पादन कार्य हेलीकॉप्टर प्रदान के लिए दिनांक 13 अक्तूबर, 2022 को अनुबंध संख्या एमयूएम/ओएफएफ-लॉजिस्टिक्स/एमएम/ 2022/ प्रोडक्शन/ 1027876/पी76एएल22004/9010035403 के माध्यम से किया गया है। कम्पनी को उक्त सेवाओं के लिए नियत मासिक प्रभार तथा फ्लाइटिंग मासिक प्रभारों की प्राप्ति होगी। ओएनजीसी को हेलीकॉप्टर उपलब्ध किए जाने की सेवाएं प्रदान करने की कम्पनी की असमर्थता की स्थिति में कम्पनी को उस अवधि के लिए नियत मासिक प्रभार देय नहीं होंगे जिस अवधि में हेलीकॉप्टर उपलब्ध नहीं करवाए गए थे। इसके अलावा पूर्ण दिवस ग्राउंडिंग के लिए नियत मासिक प्रभार के 5 % के समतुल्य तथा आधे दिन की ग्राउंडिंग के लिए नियत मासिक प्रभार के 2.5 % (अर्थात् 5 % का 50 %) के समतुल्य निर्णित हर्जाना चुकता किया जाएगा जो कि 844.84 लाख रुपए (पिछले वर्ष 113.36 लाख रुपए) वर्ष के दौरान कटौती किया गया है। ऐसा 200 गैर परिचालनात्मक दिवसों के कारण नियत मासिक प्रभार की हानि एवं निर्णित हर्जाने के रूप में परिणत हुआ है जिसकी भुगतान में से कटौती की जानी है।

XXXII. एटीएफ के लिए बिलिंग एवं लेखांकन की प्रक्रिया ग्राहक के साथ किए गए अनुबंध के अनुसार की जाती है।

XXXIII. वित्तीय उपकरण

i. मूल्यांकन

सभी वित्तीय उपकरणों की प्रारंभिक स्वीकृति एवं अनुवर्ती पुनःमापन उनके उचित मूल्य पर किया जाता है जो कि ऐसे मामलों में नहीं किया जाता जिनके संबंध में इंड एस 101 के पैरा डी20 के अंतर्गत इंड एस में पारगमन के दौरान निम्नानुसार प्राप्त छूट का उपयोग किया गया है:-

क) कर्मचारियों को दिए गए ऋण का उचित मूल्यांकन

पूर्व सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन व्यवहारों (जीएएपी) के अंतर्गत कर्मचारियों को रियायती दर (जिनकी वसूली ऋण की शर्तों के अनुसार नकद की जाती है) पर दिए जाने वाले ऋण संव्यवहार के मूल्य पर रिकार्ड में लिए जाते थे। इंड एस के अंतर्गत सभी वित्तीय परिसम्पत्तियों की स्वीकृति उनके उचित मूल्य पर किए जाने की अपेक्षा की गई है। तदनुसार, कम्पनी द्वारा अवस्थांतरण की तिथि को विद्यमान ऋणों के अलावा इंड एस के अंतर्गत ऐसे ऋणों का उचित मूल्य निर्धारण, अवस्थांतरण की तिथि को विद्यमान ऋणों के अलावा, किया गया है। ऋणों के उचित मूल्य एवं

संव्यवहार मूल्य के बीच के अंतर को वर्ष से संबंधित लाभ एवं हानि विवरण में व्यय के रूप में स्वीकृति दी गई है। इसके परिणामस्वरूप, वर्ष 2023-24 में कोई परिवर्तन नहीं है।

ख) प्रतिभूति जमा

इंड एस के अंतर्गत सभी वित्तीय परिसम्पत्तियों की स्वीकृति उनके उचित मूल्य पर किए जाने की अपेक्षा की गई है। तदनुसार, कम्पनी द्वारा सुरक्षा जमा के संबंध में इंड एस के अंतर्गत उचित मूल्य आंके गए हैं। सुरक्षा जमा के उचित मूल्य एवं संव्यवहार मूल्य के बीच के अंतर को आस्थगित कर के रूप में स्वीकृति दी गई है। तथापि, सुरक्षा जमा की राशि सामग्रीगत न होने के कारण कम्पनी द्वारा सुरक्षा जमा को उचित मूल्य पर स्वीकृति प्रदान नहीं की गई है।

ग) जहां कहीं लागू होता है वहां वित्तीय उपकरणों के उचित मूल्य का निर्धारण बट्टाकृत नकदी प्रवाह के विश्लेषण से किया जाता है।

i. वित्तीय उपकरणों का वर्गीकरण

(रुपए लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2024 की स्थिति	31 मार्च, 2019 की स्थिति
वित्तीय परिसम्पत्तियां		
परिशोधन लागत पर मापन		
गैर – चालू परिसम्पत्तियां		
1) ऋण	38.49	77.13
2) अन्य वित्तीय परिसम्पत्तियां	393.88	475.70
चालू परिसम्पत्तियां		
1) व्यवसाय प्राप्त्य	18644.79	16225.71
2) रोकड़ एवं रोकड़ समतुल्य	3627.05	3956.17
3) अन्य बैंक शेष	6176.05	6213.03
4) ऋण	247.09	313.18
5) अन्य वित्तीय परिसम्पत्तियां	3692.48	2558.14
अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर मापन		
1) इक्विटी उपकरणों में निवेश	-	-
लाभ एवं हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर मापन		-
वित्तीय देयताएं		
परिशोधन लागत पर मापन		
गैर चालू देयताएं		
1) ऋण	-	-
2) अन्य वित्तीय देयताएं	8749.91	11105.54
चालू देयताएं		
क) ऋण	-	-
2) व्यवसाय प्राप्त्य	6788.33	6940.08
3) अन्य वित्तीय देयताएं	9743.64	7730.19



ii. उचित मूल्य तारतम्यता

नीचे दी गई तालिका में कम्पनी की उन वित्तीय परिसम्पत्तियों एवं देयताओं का ब्यौरा दिया गया है जो उचित मूल्य पर मापन की गई हैं अथवा जिनका उचित मूल्य प्रकटीकरण 31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार अपेक्षित किया गया है:

विवरण	योग	निम्नलिखित के उपयोग से किया गया उचित मापन		
		सक्रिय बाजार में उद्धृत मूल्य (स्तर 1)	महत्वपूर्ण विचारणीय इनपुट (स्तर 2)	महत्वपूर्ण अलक्ष्य इनपुट (स्तर 3)
एफवीटीओसीआई वित्तीय परिसम्पत्तियां / देयताएं	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
एफवीटीपीएल वित्तीय परिसम्पत्तियां / देयताएं	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
परिशोधन लागत वित्तीय परिसम्पत्तियां / देयताएं	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

नीचे दी गई तालिका में कम्पनी की उन वित्तीय परिसम्पत्तियों एवं देयताओं का ब्यौरा दिया गया है जो उचित मूल्य पर मापन की गई हैं अथवा जिनका उचित मूल्य प्रकटीकरण 31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार अपेक्षित किया गया है:

विवरण	योग	निम्नलिखित के उपयोग से किया गया उचित मापन		
		सक्रिय बाजार में उद्धृत मूल्य (स्तर 1)	महत्वपूर्ण विचारणीय इनपुट (स्तर 2)	महत्वपूर्ण अलक्ष्य इनपुट (स्तर 3)
एफवीटीओसीआई वित्तीय परिसम्पत्तियां / देयताएं	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
एफवीटीपीएल वित्तीय परिसम्पत्तियां / देयताएं	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
परिशोधन लागत वित्तीय परिसम्पत्तियां / देयताएं	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

iii. विदेशी मुद्रा जोखिम प्रबंधन :-

कम्पनी द्वारा विदेशी मुद्राओं के मूल्य वर्ग में संव्यवहार किए जाते हैं; जिसके कारण विनिमय दर में उतार चढ़ाव के प्रति जोखिम होता है।

31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार कम्पनी की विदेशी मुद्रा मूल्यवर्ग की परिसम्पत्तियां तथा देयताओं की वहन राशि का वर्णन निम्नानुसार है :-

(रुपए लाख में)

विवरण	अमेरिकी डालर		यूरो		अन्य मुद्राएं	
	विदेशी मुद्रा	भारतीय रुपए	विदेशी मुद्रा	भारतीय रुपए	विदेशी मुद्रा	भारतीय रुपए
रोकड़ एवं रोकड़ समतुल्य	-	-	-	-	-	-
व्यापार प्राप्य	-	-	-	-	-	-
अन्य वित्तीय परिसम्पत्तियां	1.24	103.43	3.10	283.20	0.44	47.14
व्यवसाय देय	4.91	359.18	55.24	5034.83	-	-
अन्य वित्तीय देयताएं	0.09	7.52	-	-	-	-
आकस्मिक देयताएं	-	-	-	-	-	-

31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार कम्पनी की विदेशी मुद्रा मूल्यवर्ग की परिसम्पत्तियां तथा देयताओं की वहन राशि का वर्णन निम्नानुसार है :-

(रुपए लाख में)

विवरण	अमेरिकी डालर		यूरो		अन्य मुद्राएं	
	विदेशी मुद्रा	भारतीय रुपए	विदेशी मुद्रा	भारतीय रुपए	विदेशी मुद्रा	भारतीय रुपए
रोकड़ एवं रोकड़ समतुल्य	0.04	3.05	-	-	-	-
व्यापार प्राप्य	-	-	-	-	-	-
अन्य वित्तीय परिसम्पत्तियां	0.01	0.50	-	-	0.05	5.30
व्यवसाय देय	3.85	318.52	2.97	269.27	0.04	4.51
अन्य वित्तीय देयताएं	0.09	6.84	24.92	2256.72	-	-
आकस्मिक देयताएं	0.29	23.78	-	-	-	-

iv. विदेशी मुद्रा संवेदी विश्लेषण :-

कम्पनी के सम्मुख मुख्यतः अमेरिकी डालर तथा यूरोपियन यूरो मुद्रा के प्रति जोखिम होता है;

नीचे दी गई तालिका में सम्बद्ध विदेशी मुद्राओं के प्रति रुपए में 5 % बढ़त अथवा घटत की संवेदनशीलता दर्शाई गई है। 5% की संवेदनशील दर का उपयोग तब किया जाता है जब प्रमुख प्रबंधन कार्मिक को विदेशी मुद्रा जोखिम की आंतरिक रिपोर्टिंग की जाती है तथा जिससे प्रबंधन के मूल्यांकन में विदेशी मुद्रा दरों से औचित्यपरक संभावित परिवर्तन होते हैं। मुख्यतः यह रिपोर्टिंग अवधि के अंत में समूह में प्राप्य अथवा बकाया जोखिम से सम्बद्ध है। संवेदी विश्लेषण में केवल बकाया विदेशी मुद्रा मूल्यवर्ग की मदें शामिल होती हैं तथा उनके अंतरण का समायोजन अवधि के अंत में विदेशी मुद्रा पर 5% प्रभारित करके किया जाता है। नीचे प्रस्तुत सकारात्मक संख्या से सम्बद्ध मुद्रा के प्रति 5% मजबूती आने से लाभ अथवा इक्विटी में बढ़त दर्शाई गई है। रुपए की सम्बद्ध मुद्रा के प्रति 5% कमजोरी होने से लाभ अथवा इक्विटी पर तुलनात्मक प्रभाव होता है तथा नीचे प्रस्तुत शेष नकारात्मक होंगे।

(रुपए लाख में)

विवरण	अमेरिकी डालर प्रभाव	
	31 मार्च, 2024 की स्थिति	31 मार्च, 2023 की स्थिति
विनिमय दर में 5% की बढ़त	(13.16)	(14.90)
विनिमय दर में 5% की घटत	13.16	14.90
विवरण	यूरो प्रभाव	
	31 मार्च, 2024 की स्थिति	31 मार्च, 2023 की स्थिति
विनिमय दर में 5% की बढ़त	(204.89)	(97.78)
विनिमय दर में 5% की घटत	204.89	97.78

विवरण	अन्य मुद्रा प्रभाव	
	31 मार्च, 2024 की स्थिति	31 मार्च, 2023 की स्थिति
विनिमय दर में 5% की बढ़त	2.36	(0.04)
विनिमय दर में 5% की घटत	(2.36)	0.04



v. ब्याज जोखिम

कम्पनी की वित्तीय देयताओं से सम्बद्ध किसी प्रकार का ब्याज जोखिम नहीं है।

vi. ऋण जोखिम

ऋण जोखिम का संदर्भ उस जोखिम से है जो प्रतिपक्षी पार्टी द्वारा अपने संविदागत दायित्वों के निर्वाह में की गई चूक के कारण कम्पनी के लिए वित्तीय हानि में परिवर्तित होता है। ऋण जोखिम चलनिधि परिसम्पत्तियों, गैर-चालू वित्तीय परिसम्पत्तियों, डेरियेटिव परिसम्पत्तियों, व्यवसाय एवं अन्य प्राप्यों के प्रति उत्पन्न होता है। कम्पनी के पास किसी प्रकार की डेरियेटिव परिसम्पत्तियां नहीं हैं तथा रोकड़ एवं रोकड़ समतुल्य के संबंध में उक्त राशि अनुसूचित बैंक के चालू खाते में जमा है जहां चूक होने के अवसर न्यूनतम हैं। ऋण जोखिम के प्रति अधिकतम जोखिम वहन की जा रही राशि के प्रति है जो कम्पनी की अन्य वित्तीय परिसम्पत्तियों के समान है।

vii. क्रेडिट जोखिम प्रबंधन:

क. व्यवसाय प्राप्य

कम्पनी वित्तीयन, बाजार आसूचना तथा ग्राहक साख के मूल्यांकन के माध्यम से समूह द्वारा क्रेडिट जोखिम का प्रबंधन सदैव किया जाता है। कम्पनी द्वारा प्राप्यों की वसूली के निर्धारण के उद्देश्य से सम्बद्ध भूगोल, ग्राहक के पूर्ववृत्त तथा समान प्रकार की परियोजना की तुलनात्मकता के प्रति ऐतिहासिक प्रवाह सहित काल प्रभाव की सम्बद्धता से किए जाने वाले जोखिम मूल्यांकन के आधार देनदारों के प्रति प्रावधान किए जाते हैं।

ख. अन्य वित्तीय परिसम्पत्तियां

कम्पनी परिसम्पत्ति के प्रारंभिक मूल्यांकन के प्रति चूक की संभावना को विचार में लेकर यह ज्ञात करती है कि क्या प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के पूरे काल के दौरान आनगोइंग आधार पर क्रेडिट जोखिम में काफी अधिक वृद्धि होने के कोई आसार हैं अथवा नहीं हैं। किसी परिसम्पत्ति के संबंध में क्रेडिट जोखिम में अधिक बढ़ोतरी होने अथवा न होने के मूल्यांकन के उद्देश्य से कम्पनी रिपोर्टिंग अवधि के अनुसार चूक के जोखिम की तुलना प्रारंभिक स्वीकृति के चूक के जोखिम के साथ करती है। इसके लिए उपलब्ध औचित्यपरक सूचना एवं अग्र दृष्टिकोण से युक्त समर्थकारी सूचना को विचार में लिया जाता है।

viii. क्रेडिट ऋण जोखिम :

क. व्यवसाय प्राप्य

परामर्शदाताओं द्वारा किए गए प्रमाणन के अनुसार उपयोग्यता काल में संभावित क्रेडिट हानि भत्ते का आकलन मैट्रिक्स के आधार पर किया गया है जिसके लिए ऐतिहासिक क्रेडिट हानि अनुभव उपयोग करके अग्र विचार सूचना के अनुसार इनका समायोजन किया गया है।

व्यवसाय प्राप्यों की वहन राशि से ग्राहक के अधिकतम क्रेडिट जोखिम की प्रस्तुति होती है। किसी रिपोर्टिंग तिथि को क्रेडिट जोखिम की अधिकतम व्यापकता मुख्यतः 30385.48 लाख रुपए (पिछले वर्ष 26033.89 लाख रुपए) के व्यवसाय प्राप्यों से है।

हानि भत्ते के प्रावधान का समाधान - व्यापार प्राप्य :

(रुपए लाख में)

विवरण	2023-24	2022-23
वर्ष के प्रारंभ में शेष	9808.18	9369.92
स्वीकृत / रद्द की गई अक्षमता हानि	1932.51	475.96
प्रतिलेखित राशि	शून्य	(37.70)
वर्ष के अंत में शेष	11740.69	9808.18

ख. अन्य वित्तीय परिसम्पत्तियां

अन्य वित्तीय परिसम्पत्तियों की वहन राशि से कर्मचारी ऋणों, बीमा दावों, प्राप्य दावों, बिल न किए गए राजस्व इत्यादि सहित बकाया आय की प्रस्तुति होती है। क्रेडिट जोखिम के प्रति अधिकतम व्यापकता 5133.09 लाख रुपए (पिछले वर्ष 4080.56 लाख रुपए) है। इन वित्तीय परिसम्पत्तियों के लिए विचाराधीन वर्ष में 12 माह की संभावित क्रेडिट हानि / उपयोज्यता काल संभावित क्रेडिट हानि 1046.72 लाख रुपए (पिछले वर्ष 1046.72 लाख रुपए) है।

हानि भत्ते के प्रावधान का समाधान - अन्य वित्तीय परिसम्पत्तियां:

(रुपए लाख में)

विवरण	2023-24		2022-23	
	12 माह की संभावित हानियां	उपयोज्यता काल की संभावित हानियां	12 माह की संभावित हानियां	उपयोज्यता काल की संभावित हानियां
वर्ष के प्रारंभ में शेष	शून्य	1046.72	शून्य	1046.72
जोड़ें/(घटाएं): जोखिम मापदंडों में बदलाव के कारण हानि भत्तों में परिवर्तन	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
वर्ष के अंत में शेष	शून्य	1046.72	शून्य	1046.72

ix. चलनिधि जोखिम -

चलनिधि जोखिम वह जोखिम है जिसमें कम्पनी के सम्मुख अपनी वित्तीय देयताओं से सम्बद्ध दायित्वों को पूरा करने में कठिनाई होती है तथा जिसका समाधान रोकड़ अथवा अन्य वित्तीय परिसम्पत्तियों की आपूर्ति से किया जाता है। कम्पनी का ऐसा मानना है कि इसकी कार्यशील पूंजी अपनी वर्तमान अपेक्षाओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त है। तदनुसार, किसी चलनिधि जोखिम की संभावना नहीं है।

31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार महत्वपूर्ण वित्तीय देयताओं की संविदागत परिपक्वता से संबंधित विवरण नीचे दिया गया है:-

(रुपए लाख में)

विवरण	1 वर्ष से कम	1-5 वर्ष	5+ वर्ष	योग	वहन राशि
ऋण	-	-	-	-	-
व्यापार प्राप्य	4143.96	2644.37	-	6788.33	6788.33
अन्य वित्तीय देयताएं (पट्टा देयताओं के अलावा)	6952.11	14.28	-	6966.39	6966.39



31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार महत्वपूर्ण वित्तीय देयताओं की संविदागत परिपक्वता से संबंधित विवरण नीचे दिया गया है:-

(रुपए लाख में)

विवरण	1 वर्ष से कम	1-5 वर्ष	5+ वर्ष	योग	वहन राशि
ऋण	-	-	-	-	-
व्यापार प्राप्य	3841.54	3098.54	-	6940.08	6940.08
अन्य वित्तीय देयताएं (पट्टा देयताओं के अलावा)	4940.68	102.65	-	5043.33	5043.33

XXXIV. पूंजी प्रबंधन

कम्पनी द्वारा अपनी पूंजी का प्रबंधन ऋण एवं इक्विटी शेष के माध्यम से भागीदारों को इष्टतम लाभ प्रदान करने के साथ साथ गोडंग कंसर्न के सुनिश्चय के लिए किया जाता है। कम्पनी की पूंजी संरचना में निवल ऋण तथा कम्पनी की कुल इक्विटी है।

कम्पनी किन्हीं बाह्य प्रत्यारोपित पूंजी अपेक्षाओं के अध्याधीन नहीं है।

(रुपए लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2024 की स्थिति	31 मार्च, 2023 की स्थिति
ऋण		-
व्यापार प्राप्य	6788.33	6940.08
अन्य वित्तीय देयताएं	6966.39	5043.33
निवल ऋण	13754.72	11983.41
इक्विटी शेयर पूंजी	55748.20	55748.20
अन्य इक्विटी	32753.85	33883.72
कुल पूंजी	88502.05	89631.92
पूंजी एवं ऋण	102256.77	101615.33
गियरिंग अनुपात	0.16	0.13

XXXV. उपयोग्यता काल विश्लेषण :

(क) व्यापार प्राप्य

क. व्यापार प्राप्य कालक्रम अनुसूची : 31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार

विवरण	भुगतान की नियत तिथि से निम्नलिखित अवधियों के बकाया					
	6 माह से कम	6 माह - 1 वर्ष	1 से 2 वर्ष	2 से 3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	योग
(i) अविवादित व्यापार प्राप्य - अच्छा समझे गए	11745.84	1445.81	806.06	659.43	3987.65	18644.79
(ii) अविवादित व्यापार प्राप्य - जिनमें क्रेडिट जोखिम वृद्धि व्याप्त है	2742.66	1044.97	594.89	802.33	6555.84	11740.69
(iii) अविवादित व्यापार प्राप्य - क्रेडिट हानि	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(iv) विवादित व्यापार प्राप्य - अच्छा समझे गए	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(v) विवादित व्यापार प्राप्य - जिनमें क्रेडिट जोखिम वृद्धि व्याप्त है	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(vi) विवादित व्यापार प्राप्य - क्रेडिट हानि	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

(ख) व्यापार प्राप्य कालक्रम अनुसूची : 31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार

विवरण	भुगतान की नियत तिथि से निम्नलिखित अवधियों के बकाया					
	6 माह से कम	6 माह - 1 वर्ष	1 से 2 वर्ष	2 से 3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	योग
(i) अविवादित व्यापार प्राप्य - अच्छा समझे गए	7745.72	1201.74	1999.99	650.80	4627.46	16225.71
(ii) अविवादित व्यापार प्राप्य - जिनमें क्रेडिट जोखिम वृद्धि व्याप्त है	2409.94	836.86	553.37	481.71	5526.30	9808.18
(iii) अविवादित व्यापार प्राप्य - क्रेडिट हानि	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(iv) विवादित व्यापार प्राप्य - अच्छा समझे गए	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(v) विवादित व्यापार प्राप्य - जिनमें क्रेडिट जोखिम वृद्धि व्याप्त है	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(vi) विवादित व्यापार प्राप्य - क्रेडिट हानि	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

(ख) व्यापार देय

(क) व्यापार देय कालक्रम अनुसूची : 31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार

विवरण	भुगतान की नियत तिथि से निम्नलिखित अवधियों के बकाया				
	एक वर्ष से कम	1 से 2 वर्ष	2 से 3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	योग
(i) सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम	167.27	1.58	शून्य	शून्य	168.85
(ii) अन्य	3976.69	1943.00	658.19	41.60	6619.48
(iii) विवादित देय- एमएसएमई	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(iv) विवादित देय - अन्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

(ख) व्यापार देय कालक्रम अनुसूची : 31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार

विवरण	भुगतान की नियत तिथि से निम्नलिखित अवधियों के बकाया				
	1 वर्ष से कम	1 से 2 वर्ष	2 से 3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	योग
(i) सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम	316.33	शून्य	शून्य	शून्य	316.33
(ii) अन्य	3525.21	2272.37	123.81	702.35	6623.75
(iii) विवादित देय- एमएसएमई	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(iv) विवादित देय - अन्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

(ग) पूंजी कार्य प्रगति पर

पूंजी कार्य प्रगति पर कालक्रम अनुसूची - 31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार

(रुपए लाख में)

पूंजी कार्य प्रगति पर	एक अवधि के लिए सी डब्ल्यू आई पी में राशि				योग
	1 वर्ष से कम	1 से 2 वर्ष	2 से 3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
परियोजना प्रगति पर	461.61	शून्य	शून्य	शून्य	461.61
परियोजनाएं अस्थाई रूप से स्थगित	शून्य	शून्य	शून्य	64.58	64.58



पूँजी कार्य प्रगति पर कालक्रम अनुसूची – 31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार

(रुपए लाख में)

पूँजी कार्य प्रगति पर	एक अवधि के लिए सी डब्ल्यू आई पी में राशि				योग
	1 वर्ष से कम	1 से 2 वर्ष	2 से 3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
परियोजना प्रगति पर	73.21	शून्य	शून्य	शून्य	73.21
परियोजनाएं अस्थाई रूप से स्थगित	शून्य	शून्य	शून्य	64.58	64.58

XXXVI. चालू वर्ष के आंकड़ों की अनुरूपता के लिए जहां आवश्यक समझा गया है वहां पूर्व वर्ष के आंकड़ों का पुनः समूहन किया गया है।

XXXVII. वर्ष के दौरान कम्पनी ने वर्ष 2022-23 से पूर्व के वर्षों के लिए पूर्वावधि सामग्री समायोजन संज्ञान में लिए हैं जिसके कारण तुलन पत्र के तीसरे कॉलम अर्थात् आंकड़े 1 अप्रैल, 2022 की स्थिति के अनुसार दर्शाए गए हैं।

XXXVIII. बंद कम्पनियों के साथ संबंध

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 अथवा कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 के अंतर्गत चालू वर्ष तथा पिछले वर्ष के दौरान कम्पनी का बंद कम्पनियों के साथ किसी प्रकार का कोई संव्यवहार नहीं हुआ है।

XXXIX. धारित बेनामी सम्पति का विवरण

कम्पनी के पास ऐसी कोई बेनामी सम्पति नहीं है जिसके संबंध में बेनामी सम्पति के धारण के लिए कम्पनी के खिलाफ किसी प्रकार की कोई प्रारम्भ की गई हो अथवा लंबित हो।

XL. प्रकट न की गई आय

कम्पनी ने ऐसे कोई संव्यवहार नहीं किए हैं जो लेखा बहियों में रिकार्ड न किए गए हों, जो आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत वर्ष के दौरान कर मूल्यांकन में प्रस्तुत अथवा प्रकटीकरण किए गए हों (जैसे जांच अथवा सर्वेक्षण अथवा आयकर अधिनियम, 1961 के अन्य कोई संबंधित प्रावधान)

XLI. क्रिष्टो करंसी अथवा वर्चुअल करंसी का विवरण

चालू वर्ष तथा पिछले वर्ष के दौरान कम्पनी ने न तो क्रिष्टो और न ही वर्चुअल करंसी में किसी प्रकार का कोई निवेश किया है।

XLII. कंपनी ने विदेशी इकाई ("निधि पोषण पार्टी") सहित किसी व्यक्ति (व्यक्तियों) अथवा इकाई (इकाईयों) से किसी निधि का अग्रिम अथवा ऋण की प्राप्ति इस सहमति, लिखित अथवा अन्यथा स्वरूप में, के साथ नहीं की है कि कंपनी द्वारा प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में, निधि पोषण पार्टी ("अंतिम लाभग्राहियों") की ओर से अन्य व्यक्तियों अथवा निर्धारित इकाईयों को ऋण अथवा उनमें निवेश किया जाएगा। कंपनी को किसी पार्टी (निधियन पार्टी) से इस सहमति, लिखित अथवा अन्यथा स्वरूप में, के साथ नहीं प्राप्त नहीं हुआ है कि कंपनी द्वारा, प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में, कंपनी ("अंतिम लाभग्राहियों") अथवा अंतिम लाभग्राहियों की ओर से कोई गारंटी, प्रतिभूति अथवा, किसी प्रकार की प्रतिभूति प्रदान की जाएगी।

XLIII. कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा समय समय पर कम्पनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियमावली के विद्यमान मानकों के संबंध में नए मानक अथवा संशोधन अधिसूचित किए जाते हैं। 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के दौरान कम्पनी के संबंध में लागू विद्यमान मानकों में कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा कोई नया मानक अथवा संशोधन जारी नहीं किया गया है।

नोट 1 से 32 वित्तीय विवरणों के अभिन्न भाग हैं।

यह वह नकदी प्रवाह विवरण है जिसका संदर्भ हमारी समतिथि की रिपोर्ट में दिया गया है।

कृते लुथरा एंड लुथरा चार्टर्ड एकाउंटेंट एलएलपी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण संख्या 002081एन/एन500092

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

ह/-
निलेश मेहता
साझेदार
सदस्यता सं. 093847
दिनांक : 19.05.2025

ह/-
संजीव राजदान
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन सं. 08711596

ह/-
रंजीत सिंह चौहान
कम्पनी सचिव
सदस्यता सं. एफ8785

ह/-
अजय गुप्ता
मुख्य वित्त अधिकारी
सदस्यता संख्या 079580

स्थान : नई दिल्ली

स्थान : नोएडा

दिनांक : 22.04.2025



भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(ख) के अंतर्गत 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के पवन हंस लिमिटेड के वित्तीय विवरणों पर की टिप्पणियां

कम्पनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के अंतर्गत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क अनुसार 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के पवन हंस लिमिटेड के वित्तीय विवरण तैयार करने का दायित्व कम्पनी के प्रबंधन का है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा अधिनियम की धारा 139(5) के अंतर्गत नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक अधिनियम धारा 143(10) के अंतर्गत निर्धारित लेखापरीक्षण मानकों के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर अपने विचार धारा 143 के अंतर्गत व्यक्त करने के लिए उत्तरदायी हैं। यहां यह उल्लेखनीय है कि उन्होंने दिनांक 23 जून, 2025 की अपनी पिछली रिपोर्ट के माध्यम से ऐसा कर लिया है जो उनकी दिनांक 19 मई, 2025 की पूर्व लेखापरीक्षा रिपोर्ट का अधिक्रमण करती है।

मैंने, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की ओर से अधिनियम की धारा 143(6) (क) के अंतर्गत 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए पवन हंस लिमिटेड के वित्तीय विवरणों की अनुपूरक लेखापरीक्षा की है। यह अनुपूरक लेखापरीक्षा सांविधिक लेखापरीक्षकों के कार्य दस्तावेजों पर पहुंच के बिना स्वतंत्र रूप से की गई है तथा यह सांविधिक लेखापरीक्षकों व कम्पनी के कार्मिकों की जांच तथा कुछ लेखांकन रिकार्डों की चुनिंदा जांच तक ही सीमित है। यह लेखापरीक्षा रिपोर्ट सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा अनुपूरक लेखापरीक्षा के दौरान मेरे द्वारा किए गए प्रेक्षण को प्रभावी बनाने के लिए संशोधित की गई है।

इसके अलावा, मैं यहां यह उल्लेख करना चाहूंगा कि मेरे संज्ञान में अधिनियम की धारा 143(6)(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित महत्वपूर्ण मामले आए हैं जो मेरे मतानुसार वित्तीय विवरणों की उत्तम अनुकूलता के लिए आवश्यक हैं तथा लेखापरीक्षा रिपोर्ट से संबंधित हैं।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां

क. स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के संबंध में टिप्पणियां

प्रतिकूल मत का आधार

(i) पैरा 6 मालसूची

लेखापरीक्षा मानक (एसए) 720 के पैरा 21 में यह उल्लेख है कि यदि वित्तीय विवरणों में ऐसा कोई सामग्रीगत मिथ्याकथन है जो वित्तीय विवरणों (वित्तीय विवरणों के नोट में किए गए मात्रात्मक प्रकटीकरण सहित) की विनिर्दिष्ट राशियों से संबंधित है, तो लेखापरीक्षक को अपने मत के आधार भाग में, यदि अव्यवहारिक नहीं है, मिथ्याकथन से होने वित्तीय प्रभाव का वर्णन एवं प्रमात्रा शामिल करनी चाहिए।

इसके संबंध में, पैरा 6(ख) मालसूची के प्रतिकूल मत के आधार में सांविधिक लेखापरीक्षकों ने यह उल्लेख किया है कि *“कम्पनी ने हमें भंडार बही रिपोर्ट प्रस्तुत की है जो लेखांकन उद्देश्य के लिए उपयोग किए जाने वाले सॉफ्टवेयर से उत्पन्न की गई है। तथापि, अंत शेष की जांच के दौरान, सिस्टम द्वारा निर्मित बही के अनुसार अंत शेष उत्तरी क्षेत्र के वित्तीय विवरणों (वित्तीय विवरणों में अधिक) में दिए गए अंत शेष से भिन्न पाया गया है। सत्यापन करने पर प्रारम्भ शेष राशि*

2028.70 लाख रुपए तथा चालू वर्ष की मालसूची अंतर राशि 34.81 लाख रुपए पाई गई थी जिससे कुल 2063.51 लाख रुपए की भिन्नता पाई गई है। प्रबंधन द्वारा दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार 34.81 लाख रुपए का मिलान अभी तक नहीं हो पाया है तथा इसके लिए कोई विवरण उपलब्ध नहीं किया गया है तथा इसके अलावा प्रबंधन द्वारा वैस्टलैंड मालसूची की ट्रेसेबिलिटी एवं भंडार प्रस्तुत नहीं की जा सकी है जो कि 2028.70 लाख रुपए की राशि की मालसूची में भिन्नता में प्रमुख कारण है। इसके परिणामस्वरूप परिसम्पतियों एवं लाभ/रिजर्व एवं अधिशेष में 2063.51 लाख रुपए की अत्युक्ति हुई है।”

उपर्युक्त प्रतिकूल मत के आधार को निम्नलिखित को विचार में लेकर देखा जा सकता है:-

- क) वेस्टलैंड मालसूची का मामला एक विधिक मामला है तथा इससे संबंधित विस्तृत प्रकटीकरण प्रबंधन द्वारा सांविधिक लेखापरीक्षकों को उपलब्ध करवाए गए उत्तरी क्षेत्र के वित्तीय विवरणों में किया गया है। उक्त नोट से ज्ञात होता है कि यह मामला वर्ष 1993 से संबंधित है जब भारत सरकार ने (18 जनवरी, 1993) वैश्विक निविदा के माध्यम से संबंधित मालसूची सहित समग्र वैस्टलैंड उड़ान बेड़े की बिक्री किए जाने का निर्णय लिया गया था। इसी नोट में आगे वेस्टलैंड मालसूची के 647 लाख रुपए के बही मूल्य के पूर्ण प्रावधान किए जाने का उल्लेख है।
- ख) इसके अलावा, पवन हंस लिमिटेड के उत्तरी क्षेत्र के वित्तीय विवरणों की जांच से यह ज्ञात हुआ है कि प्रबंधन ने वेस्टलैंड मालसूचियों की परिशोधन मूल्य के संबंध में लेखा प्रावधान निर्मित किए थे जो रोटैब्ल्स / मरम्मतयोग्य, भंडार एवं स्पेयर्स की प्रकृति के थे तथा वेस्टलैंड मालसूचियों का मूल्य मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार 647 लाख रुपए है।

इस प्रकार, पवन हंस लिमिटेड के उत्तरी क्षेत्र के लेखांकन नोटों में किए गए उपर्युक्त प्रकटीकरण तथा इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि वित्तीय विवरणों में वेस्टलैंड मालसूची के लिए प्रावधान किए गए हैं, सांविधिक लेखापरीक्षक द्वारा प्रतिकूल मत के आधार के पैरा 6(ख) में प्रस्तुत यह प्रभाव सही नहीं है कि परिसम्पतियों तथा लाभ / रिजर्व एवं अतिरेक के संबंध में 2063.51 लाख रुपए का अतिकथन हुआ है।

(ii) लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

धारा 143(5) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक निदेशों के अनुसार सांविधिक लेखापरीक्षकों से स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की अपनी रिपोर्ट में यह रिपोर्ट किए जाने की अपेक्षा है कि “क्या केन्द्र / राज्य सरकार अथवा इनकी एजेंसियों से प्राप्त / प्राप्य निधियों (अनुदान / राजसहायता आदि) का लेखांकन / उपयोग अनुबंध एवं शर्तों के अनुरूप किया गया था? व्यतिक्रम के मामले सूचीबद्ध करें” सांविधिक लेखापरीक्षकों ने उक्त निदेशों का अनुपालन करते हुए यह रिपोर्ट किया है कि “हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार केन्द्र / राज्य एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए कोई निधियां प्राप्त / प्राप्य नहीं हैं, अतः यह खंड लागू नहीं है।”

तथापि, वित्तीय विवरणों की संवीक्षा से यह देखने में आया है कि कम्पनी ने नागर विमानन मंत्रालय, भारत सरकार की आरसीएस-उड़ान योजना के अंतर्गत वर्ष 2023-24 में वीजीएफ की राशि के दावे किए हैं। इस प्रकार सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा की गई यह रिपोर्टिंग, कि केन्द्र / राज्य एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के अंतर्गत कोई निधियां प्राप्त / प्राप्य नहीं है तथा यह खंड लागू नहीं है, सही नहीं है तथा एक प्रकार से अपूर्ण है।



ख. अन्य टिप्पणी

इक्विटी एवं देयताएं

चालू देयताएं

व्यापार देय – 6,788.33 लाख रुपए (नोट संख्या 19)

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के संबंध में 168.85 लाख रुपए के व्यापार देय की तुलन पत्र में प्रस्तुति अलग से नहीं की गई है जो कि कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा अधिसूचित कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III के संलग्न प्रारूप के अनुपालन में नहीं है।

समान टिप्पणी वर्ष 2022-23 के दौरान भी की गई थी, तथापि, प्रबंधन द्वारा कोई सुधार कार्रवाई नहीं की गई है।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
के निमित्त और उनकी ओर से

ह/-

(प्रमोद कुमार)

अपर उप नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
(अवसंरचना)

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक : 21 अगस्त, 2025